राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 06] चौदहवीं विधान सभा के छठे सत्र का बत्तीसवां दिवस [संख्या: 20

गुरुवार,

31 मार्च 2016

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: नमस्कार। नमस्कार। आज इनका आग्रह मान लेता हूं। आपको दूसरी बार और प्रणाम।

प्रश्नकाल। श्री रामहेत सिंह यादव।

तारांकित प्रश्नोत्तर

किशनगढ़बास के गांव व ढाणियों में पेयजल उपलब्ध कराने की योजना

424. श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रदेश के गांव एवं ढाणियों में पेयजल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित किया गया था? यदि हां, तो अब तक कितने गांव व ढाणियों में पेयजल उपलब्ध कराया गया और इस पर कितनी राशि व्यय की गई? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक बहुल गांव-ढाणियों की संख्या सहित जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में वित्तीय वर्ष 2014-15 में किन-किन गांव-ढाणियों में पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई तथा उस पर कितनी राशि व्यय कर पेयजल सम्बन्धी क्या-क्या कार्य कराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के खैरथल व किशनगढ़बास कस्बे सहित ग्राम घासोली, पाटन, मेवान व बम्बोरा आदि ग्राम पेयजल की गम्भीर समस्या से ग्रस्त हैं? यदि हां, तो सरकार उक्त विधान सभा

(श्री रामहेत सिंह यादव)

क्षेत्र में पर्याप्त व गुणवत्तायुक्त पेयजल उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान व आगामी वर्षों में पेयजल सम्बन्धी क्या-क्या योजनाएं व कार्य कितनी-कितनी राशि व्यय कर स्वीकृत करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जल संसाधन मंत्री (डा. रामप्रताप): (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री के स्थान पर) (1) जी हां। वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रदेश की कुल 3,173 हैबिटेशन में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 3,513 हैबिटेशन को उक्त वर्ष में लाभान्वित किया जाकर रुपये 3,476.12 करोड़ की राशि व्यय की गई।

इन 3,513 हैबिटेशन में अनुसूचित जाति बाहुल्य की 312, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य की 242 एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य की 302 हैबिटेशन को स्वच्छ पेयजल से लाभान्वित किया गया। भारत सरकार के समेकित सूचना प्रबंधन तंत्र के अनुसार हैबिटेशन हेतु निर्धारित लक्ष्य एवं प्राप्तियों के सम्बन्ध में जिलेवार वांछित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारु रूप से बनाये रखने हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 की अवधि में रुपये 468.81 लाख की कुल 52 योजनाओं की स्वीकृति आवश्यकतानुसार जारी की गई। उक्त स्वीकृति के विरुद्ध अब तक 51 योजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं तथा इन योजनाओं पर माह फरवरी, 2016 तक रुपये 414.59 लाख की राशि व्यय की जा चुकी है। शेष एक योजना के निष्पादन हेतु निविदा सम्बन्धी कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। स्वीकृत एवं पूर्ण की गई योजनाओं अन्तर्गत कराये गये कार्यों के सम्बन्ध में वांछित विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के कस्बा खैरथल एवं नवसृजित कस्बा किशनगढ़ में पेयजल समस्या के तात्कालिक समाधान के अन्तर्गत क्रमश: नवीन 3 नलकूप एवं 1 नलकूप निर्माण की माह फरवरी, 2016 में स्वीकृति जारी की गई है तथा इनका निर्माण माह अप्रैल, 2016 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है।

दीर्घकालिक समाधान के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत इन दोनों कस्बों की पेयजल आपूर्ति में आवर्धन हेतु विस्तृत

(डा. रामप्रताप)

परियोजना रिपोर्ट बनाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 25.02.2016 को क्रमश: राशि रुपये 5.44 लाख एवं रुपये 4.67 लाख की जारी की गई है। इन कार्यों के निष्पादन हेतु निविदा सम्बन्धी कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

उक्त क्षेत्र के वर्णित पाइप्ड जल योजना से लाभान्वित ग्राम घासोली एवं बम्बोरा में जल सेवा स्तर में सुधार हेतु माह मार्च, 2016 में दो-दो नवीन नलकूपों के निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है तथा इनका कार्य माह अप्रैल, 2016 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है। पाइप्ड योजना से लाभान्वित ग्राम पाटन, मेवान में पर्याप्त रूप से पेयजल आपूर्ति वर्तमान में सुनिश्चित की जा रही है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 225 गांव हैं और 2 नगरपालिकाएं हैं। पेयजल योजना 4 तरह की हैं- जनता जल योजना, एन आर डी डब्ल्यू पी, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, सेक्टर रिफॉर्म और पी एच ई डी की योजनाएं। मेरे यहां पर जनता जल योजना की 40 योजनाएं हैं; एन आर डी डब्ल्यू पी में 24 योजनाएं हैं; सेक्टर रिफॉर्म में 18; और पी एच ई डी की 19 योजनाएं हैं। इस तरह से 105 गांवों में पेयजल योजनाएं हैं।

मैं माननीय मंत्री महोदय का हृदय से आभारी हूं कि आपने जनता जल योजना के लिए तो, 3 योजनाएं हैं 4 में से, जे जे वाई, एन आर डी डब्ल्यू पी और सेक्टर रिफॉर्म, ये तो ग्राम पंचायत के अधीन हैं। वही इसका रख-रखाव करती है, संधारण करती थी। एक पी एच ई डी की योजना है। तीन योजनाओं में से आपने जनता जल योजना को तो पी एच ई डी विभाग द्वारा इनका संधारण करने के लिए, टूट-फूट ठीक करने के लिए, मोटर लगाने के लिए, नये बोरिंग करने के लिए, पैसे जारी कर दिये। मेरे भी विधान सभा क्षेत्र में लगभग ढाई करोड़ रुपये मिले हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय को आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूं।

मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि और 2 योजनाएं हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन और सेक्टर रिफॉर्म, इन योजनाओं को क्या जे जे वाई की तरह से पी एच ई डी विभाग इनके संधारण के लिए भी कोई

(श्री रामहेत सिंह यादव)

योजना बनाकर इनको ठीक करने की योजना है? ये योजनाएं बंद पड़ी हैं। ग्राम पंचायतों के पास बजट नहीं है; न तो ठीक करने के लिए, न मोटर का और न बिल भरने के लिए। पाइपलाइन टूट जाती है, या और कोई रख-रखाव करना हो, तो उसके पास किसी भी तरह के पैसे की कोई व्यवस्था नहीं है। एक तो मैं यह कहना चाहता हूं।

दूसरा, 225 में से 120 गांव ऐसे हैं जो हैंडपंप योजना से जुड़े हुए हैं, जिसमें पी एच ई डी विभाग द्वारा 90 मीटर गहराई तक के ही हैंडपंप किये जाते हैं। आज ड्राई जोन होने के कारण एक भी हैंडपंप ऐसा नहीं है जो चालू हालत में हो। उन 120 गांवों में पानी की क्या व्यवस्था करेगी सरकार?

दो बात मैं इस क्वेश्चन में कहना चाहता हूं कि जो 2 योजनाएं हैं सैक्टर रिफॉर्म की और एन आर डी डब्ल्यू पी, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, क्या पी एच ई डी विभाग इनको ठीक करने की, रख-रखाव रखने की, मेंटीनेंस करने का विचार रखता है? एक जो हैंडपंप योजना है 120 गांवों में, उसके लिए पेयजल की क्या स्कीम बनाना चाहता है? पहला प्रश्न तो यह है। दूसरा एक और है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आपने सेक्टर रिफॉर्म और एन आर डी डब्ल्यू पी योजनाएं बतायीं, इनमें निश्चित रूप से कठिनाइयां हैं। आपके विचारों से मैं व्यक्तिशः भी सहमत हूं। फाइनेन्स डिपार्टमेंट से बात करके इसमें जितना सुधार हो सकता है, करने का पूरा प्रयास करेंगे।

दूसरा, जो आपके नलकूप से लाभान्वित एरिया है, उसमें कहीं कमी है। 120 गांव आपने बताये हैं। तो आप फरमाना, वह व्यवस्था करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मेरे प्रश्न के पैरा 3 में बताया है, मेरी 2 नगरपालिकाएं हैं किशनगढ़बास और खैरथल, पहले अलवर जिले के सभी शहरी क्षेत्रों की एन सी आर में योजना बनाकर भेजी थी। मेरे विधान सभा क्षेत्र को इंटेशनली उस समय 2013 में छोड़ दिया गया। इसमें किशनगढ़बास और खैरथल दो नगरपालिकाओं की जो पेंडिंग योजनाएं थीं, मैंने राज्य सरकार को, माननीय मंत्री महोदय को आग्रह

(श्री रामहेत सिंह यादव)

किया। उन्होंने उनकी डी पी आर बनाने की बात तो कही है, डी पी आर के लिए पैसे भी सैंक्शन किये हैं; खैरथल के लिए 5.44 लाख और किशनगढ़बास के लिए 4.67 लाख डी पी आर के लिए स्वीकृत किये हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि यह डी पी आर बनेगी, फिर एन सी आर में जायेगी, उसके बाद इसका पैसा आयेगा। इसमें कम से कम एक साल लगेगा। जो पुराना अनुभव है, जिनको आपने पहले एन सी आर में भेजा था 2013 के अन्दर, उसमें 278 करोड़ रुपये सैंक्शन किये थे एन सी आर से पेयजल के लिए, जिसमें बहरोड़, भिवाड़ी, तिजारा, राजगढ़ और अलवर शहर थे, लेकिन अब उनका टैंडर हुआ है। 3 साल तक, लगभग 44 महीने तक कोई काम नहीं हुआ। यही नहीं, उसके लिए, एन सी आर के लिये एक एस ई की पोस्ट, 3 एक्स ईएन की पोस्ट, 9 ए ईएन की पोस्ट 2013 में सैंक्शन करके पोस्टिंग कर दी, अधिकारियों ने लगभग 4 करोड़ रुपये तनख्वाह उठा ली, लेकिन जो बजट आया था, आज मान लो, 278 करोड़ की योजना थी, निश्चित रूप से अब 500 करोड़ से कम में उस योजना को पूरा नहीं किया जा सकता। इतने अधिकारी बैठाने के बाद भी उस योजना का इम्पलीमेंटेशन नहीं हुआ। क्या इसमें अधिकारी दोषी हैं? नम्बर एक।

दूसरी, मेरे जो नगरपालिका का क्षेत्र है, मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने मेरे आग्रह पर 3 बोरिंग तो खैरथल में और एक बोरिंग आपने किशनगढ़ में सैंक्शन किया, लेकिन यह पर्याप्त नहीं हैं। मेरे यहां खैरथल नगरपालिका है जिसमें वार्ड नम्बर 13 से लेकर के 25 तक एक बूंद पानी नहीं है। उसमें लगभग 30-40 हजार की आबादी रहती है। आप इसकी डी पी आर बनवायेंगे, इस योजना को एन सी आर में भेजेंगे, आयेगी, चालू होगी, तो कम से कम एक साल लगेगा।

श्री अध्यक्ष: सवाल पूछिये सवाल।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): इसलिए क्या उस समय तक के लिए कम से कम 5 बोरिंग और सैंक्शन करने का विचार रखते हैं? यह माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बात से मैं पूरा इत्तफाक कर रहा हूं कि आपके दो कस्बे

(डा. रामप्रताप)

वंचित रहे। अगर सबके साथ होते तो शायद आपके पीड़ा नहीं होती, लेकिन अलग से छोड़ने पर थोड़ा अजीब-सा लगता है। इसलिए जो कमी पीछे रह गई है उसके लिए तो जो रह गई है उसकी जांच करवा लेंगे, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही कर देंगे।

दूसरा जो आपने डी पी आर का जिक्र किया, डी पी आर 22 तारीख को रिसीव कर ली है और अब उसका वर्क ऑर्डर दो-चार दिन में दे देंगे। दो महीने का उसको टाइम शिड्यूल दिया है, उसकी दो महीने में डी पी आर बनकर तैयार हो जाएगी। एन सी आर में भी इसको हम पूरा फोलो करेंगे, जितना समय लगना चाहिए आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, उससे कम समय में पूरा करेंगे।

इसके बाद में, माननीय अध्यक्ष महोदय, इतने समय में लोगों को पीने के पानी की दिक्कत नहीं हो, आपने पांच बोरिंग की मांग की है, अगर पांच की जगह दस की जरूरत भी पड़ेगी तो लोगों को प्यासा नहीं रहने दिया जाएगा, निश्चित तौर पर देंगे।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। श्री फूलचन्द भिण्डा। (व्यवधान)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विराटनगर विधान सभा क्षेत्र में विराटनगर छोटी नगरपालिका है और वह अरावली की पहाड़ियों के बीच में है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): प्रश्न पूरे प्रदेश का नहीं है।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): हां, पूरे प्रदेश का प्रश्न है यह। (व्यवधान) अध्यक्षजी, आप सहयोग करें।

श्री अध्यक्ष: आप भी सहयोग कीजिए। विभागीय मंत्री आज यहां नहीं हैं और उनकी बजाय मैंने दूसरे मंत्री को इजाजत दी है।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: हां, निवेदन ही कर दो।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): मेरे सात वार्ड ऐसे हैं जिनमें पानी नहीं है। मैं मंत्रीजी को तो धन्यवाद दूंगा कि आठ किलोमीटर से पानी लाने के

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

लिए पाइपलाइन तो दे दी, लेकिन बांटने की पाइपलाइन नहीं दी। इसलिए आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उसके लिए अतिरिक्त सैंक्शन दिलवाने की घोषणा करें।

श्री अध्यक्ष: प्रभारी मंत्रीजी।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विराटनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी जो समस्या बताई है, ये मेरे पास चैम्बर में आ जाएं, जो भी समस्या है उसका समाधान निश्चित तौर पर करेंगे।

श्री अध्यक्ष: गोविन्द सिंह डोटासरा। तीसरा पूरक प्रश्न। (व्यवधान) आप भी ध्यान रखें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां, बिलकुल, पूरा, एकदम। एक बात भी गलत बोलूं तो आप मुझे टोक देना, मैं बैठ जाउंगा।

श्री अध्यक्ष: मैं गलत-सही का निर्णय करता ही नहीं हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि प्रदेश में आपने जो बजट घोषणा की थी 2014-15 में, उसमें एस सी की 570 बस्तियों का लक्ष्य लिया था और उसमें 312 ही पूरा कर पाए और एस टी की 390 का लक्ष्य लिया था वह 242 ही पूरा कर पाए। इसमें अलवर जिले में, केवल अलवर जिले की बात कर रहा हूं, 17 का लक्ष्य लिया था एस सी की बस्तियों का, केवल आप 8 पूरा कर पाए; एस टी में 14 का लक्ष्य लिया था, 6 पूरा कर पाए और केवल मात्र अलवर में 7 सिंगल फेज के ट्यूबवैल स्वीकृत किए 2014-15 में। मैं आपसे, मंत्री महोदय, पूछना चाहता हूं कि लक्ष्य की जिन्होंने पूर्ति नहीं की, उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करना चाह रहे हैं? प्रस्ताव किए, आए और उसके अगेंस्ट में पूरे अलवर जिले को 7 ही सिंगल फेज ट्यूबवैल स्वीकृत किए। (व्यवधान) आप बीच में मत बोलो। ऐसा नहीं होता है। फिर आप कैसे बोलेंगे? ऐसा मत करो। आपके हाथ जोड़ता हूं, ऐसा मत करो। बात पूछ रहा हूं, अगर नहीं जवाब देंगे तो कोई बात नहीं। अच्छा दे देंगे, तो धन्यवाद, नहीं देंगे तो वैसे ही हमारे मारवाड़ी में कहावत है....

श्री अध्यक्ष: मारवाड़ी की कहावत पर मत जाइए। आप सवाल कीजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ऐसे नहीं। मजा आएगा, मजा आएगा, आप तो परमिशन दो।

श्री अध्यक्ष: आप सवाल कीजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): दुश्मन का घोड़ा पड़े तो एक मजा, और सवार पड़े तो दो मजा। कर देंगे तो हमें धन्यवाद मिलेगा कि हमने करवा दिया, कहकर, नहीं करोगे तो आपकी भी हमारे वाली गत होनी है। इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं।

यह थोड़ा-सा बता दें कि कितने प्रस्ताव आए? केवल 7 ही ट्यूबवेल सैंक्शन हुए, तो प्रस्ताव कितने आए और इस लक्ष्य की पूर्ति नहीं करने वाले, एस सी-एस टी की बस्तियों में, तो उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: बैठिए आप। माननीय मंत्रीजी।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संख्या पूछी है, it is a stop-gap arrangement. (व्यवधान) अंग्रेजी आती नहीं है, बाद में बता देंगे। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने फरमाया है, यह जानकारी आपको अलग से उपलब्ध करवा दूंगा, और इसमें जो शिथिलता रही है, उसके लिए अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने लगे तो सारां न ही काढ लेस्या। इसलिए टोनअप करने का प्रयास करेंगे जिससे ये कमियां नहीं रहें।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न। श्री बनवारीलाल।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में 175 करोड़ रुपए की एन सी आर की जो योजना स्वीकृत हुई है, उससे काम शहर में पानी की लाइनों के स्ट्रेंथनिंग का होगा। उसके बाद वंचित क्षेत्र जो बचेगा, सरकार किसी भी योजना में नया प्लान बनाकर उसको भी लाभांवित करने का विचार रखती है क्या?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्रीजी, जवाब हो तो ठीक।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब है। जवाब है, वह सूखा नहीं है। जवाब यह है कि जो लाभांवित नहीं हुए हैं उनको किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा, किसी भी योजना में लाभांवित निश्चित तौर पर करेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री रमेश।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आप मेरे पूरक प्रश्नों का जवाब दिलवा दें तो मैं प्रश्न पूछूं, नहीं तो प्रश्न का उत्तर मेरे पास मंत्रीजी ने भिजवा दिया है। (व्यवधान) वह बता दें। अगर उत्तर दिलवा दें तो पूछूं, नहीं तो पूछने की जरूरत नहीं है; प्रश्न का उत्तर आ चुका है।

श्री अध्यक्षः अच्छा, वह संतोषप्रद मान रहे हैं न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): संतुष्ट हैं जवाब से, तो ठीक है।

श्री अध्यक्षः संतुष्ट हैं।

डीडवाना (नागौर) के सर्किल बनाने पर जारी की गई विशेष स्वीकृतियां

425. **श्री रमेश** (सपोटरा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में किसी भी क्षेत्र को सर्किल घोषित करने के क्या मानदंड निर्धारित हैं? वर्तमान में प्रदेश में कुल कितने सर्किल हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र डीडवाना को सर्किल घोषित किया गया है? यदि हां, तो किस आधार पर?

(3) सर्किल घोषित कर उक्त विधान सभा क्षेत्र को क्या-क्या विशेष स्वीकृतियां जारी की गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त मानदंड प्रदेश के अन्य विधान सभा क्षेत्र भी पूरा करते हैं? यदि हां, तो सरकार अब कब तक अन्य क्षेत्रों को भी सर्किल घोषित करने का विचार रखती है व नहीं, तो क्यों?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री युनुस खान): (1) सार्वजनिक निर्माण विभाग में सर्किल (वृत्त) कार्यालय की स्थापना प्रशासनिक दृष्टि, भौगोलिक परिस्थितियों एवं कार्य-भार को ध्यान में रखते हुए की जाती है।

वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग में 35 सिविल सर्किल, 4 राष्ट्रीय राजमार्ग सर्किल, 6 सर्वे एवं गुण नियंत्रण सर्किल, 5 विद्युत सर्किल एवं 2 यांत्रिक सर्किल कार्यरत हैं। (सूची परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।)

(2) जी नहीं। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.1(78)सानि)2013

(श्री युनुस खान)

दिनांक 04.03.2014 के द्वारा नागौर जिले में नागौर के अतिरिक्त, डीडवाना मुख्यालय पर सार्वजनिक निर्माण विभाग का एक वृत्त कार्यालय और स्थापित किया गया है (परिशिष्ट-2), जिसमें विधान सभा क्षेत्र परबतसर, मकराना, डीडवाना, नावां एवं लाडनूं का कार्यक्षेत्र आता है।

(3) सर्किल घोषित कर इसके अधीन विधान सभा क्षेत्र डीडवाना को कोई विशेष स्वीकृतियां जारी नहीं की गई हैं; विभागीय प्रक्रिया अनुसार केवल सामान्य स्वीकृतियां ही जारी की गई हैं।

(4) वृत्त कार्यालय की स्थापना प्रशासनिक दृष्टि, भौगोलिक परिस्थितियों एवं कार्य-भार को ध्यान में रखते हुए की जाती है। वर्तमान में राज्य सरकार स्तर पर सार्वजनिक निर्माण विभाग में अन्य क्षेत्रों में वृत्त कार्यालय की स्थापना/घोषित करने के प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

(सूची व प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री शंकरलाल शर्मा।

दौसा के पशु स्वास्थ्य केन्द्रों का क्रमोन्नयन

426. **श्री शंकर लाल शर्मा** (दौसा): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र दौसा के शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार हेतु नए पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने/पशु स्वास्थ्य केन्द्र क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव सरकार के स्तर पर लम्बित हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र दौसा में शहरी क्षेत्र पचकुंइया दौसा/सैंथल मोड़ तथा ग्राम पंचायत भांकरी, चावण्डेडा, धर्मपुरा तथा बड़ागांव में नए पशु स्वास्थ्य केन्द्र खोलने/पशु स्वास्थ्य केन्द्र बापी एवं बनियाना को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पशुपालन मंत्री (श्री प्रभू लाल सैनी): (1) जी हां। वित्तीय वर्ष 2015-16 में विधान सभा क्षेत्र दौसा के लिए नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोलने/क्रमोन्नत करने के प्राप्त प्रस्ताव एवं उनकी वर्तमान स्थिति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(श्री प्रभू लाल सैनी)

(2) ग्राम पंचायत बनियाना एवं बापी में पशु औषधालय संचालित हैं तथा वर्तमान में पशु औषधालय को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत नहीं किया जा रहा है।

पशु चिकित्सा संस्थाएं आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार खोली/क्रमोन्नत की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 में 1,000 पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोले जाने प्रस्तावित हैं, जिनमें उपयुक्त स्थानों पर विचार किया जा सकेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं कृषि मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि 5 करोड़ 76 लाख हमारे को पशु चिकित्सालय, दौसा के लिए जो क्रमोन्नत किये, खोल भी दिये और एक आपने चल पशु औषधालय भी हमारे को दे दिया, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि दौसा शहर में एक ही पशु चिकित्सालय है जबकि 13-14 हजार पशुधन है। शहर बड़ा हो गया, जानवरों को वहां ले जाने में भी तकलीफ होती है। छोटा दौसा एरिया है जिसमें 13-14 हजार पशु हैं। मेरा निवेदन है कि वहां पर सरकारी भवन भी मौजूद है, अगर केवल मात्र एक पशुधन सहायक वहां दे देंगे तो दौसा के अन्दर शहर में बहुत बड़ा फायदा होगा।

साथ ही आपको बता दूं, आपने जवाब दिया है, और 1,000 खोलने का भी दिया है। उन्हीं के अन्दर जैसे मेरे यहां खानभांकरी में 5,000, सींगवाड़ा में 8,500, भांकरी में 5,000, बड़ा गांव में 6,000, हिंगोटिया में 6,000, खानवास में 6,500, जोपाड़ा में 5,500, डूगरावता में 6,000, धर्मपुरा में 5,000, ये पशुधन वहां पर हैं। हमारे यहां सबसे बड़ा खेती का और दूसरा पशुधन का ही काम है। बरसात नहीं होने से खेती तो कम हो गई, हम कम से कम पशुओं के कारण हमारा एरिया ...(व्यवधान) मैं यही चाह रहा हूं कि इनके अन्दर आप, दौसा के अन्दर आप दे दें पशु चिकित्सालय।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पशु चिकित्सा उप केन्द्र और चिकित्सा केन्द्र खोलने के प्रावधान और नियम बने हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 4 किलोमीटर की दूरी पर एक सब सेंटर और शहरी

(श्री प्रभू लाल सैनी)

क्षेत्र में 3 किलोमीटर की परिधि में एक सब सेंटर खोलने के प्रोविजन्स दिए हुए हैं। यदि हम दौसा की बात करते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो 10,555 के लगभग पशुओं पर एक चिकित्सालय या संस्था वर्तमान में खोली जा रही है और दौसा विधान सभा क्षेत्र का जहां तक प्रश्न है, यहां 24 के लगभग संस्थाएं चल रही हैं। इसके अलावा मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा कि धर्मपुरा और भांकरी, 2 सब सेंटर, इसी वितीय वर्ष, यानी आज हम लोग इसकी स्वीकृति जारी कर रहे हैं।

साथ में मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि दौसा जिले में 36 इंटीग्रेटेड लाइवस्टॉक डवलपमेंट सेंटर खोलने की अनुमति दी गई है। पूरे राजस्थान में 1,000 हम खोल रहे हैं और उसके आधार पर 36 में से इनके विधान सभा क्षेत्र में गोठड़ा, सियालवास, रलावता, नागर छापर, पीलवा, माडवासी, ये 6 सेंटर खोल रहे हैं।

जहां तक आपने शहर का प्रश्न किया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि यदि तीन किलोमीटर की परिधि में इस प्रकार का कहीं बनता है और नोर्म्स आते हैं, तो उस पर विचार किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न। आ गया जवाब पर्याप्त। क्या है?

अगला सवाल। श्री धनसिंह रावत।

बांसवाड़ा की पंचायत समितियों में कार्मिकों के रिक्त पद

427. **श्री धनसिंह रावत** (बांसवाड़ा): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा की पंचायत समिति बांसवाड़ा एवं छोटी सरवन में विकास अधिकारी, कनिष्ठ अभियन्ताओं एवं अन्य कार्मिकों के पद काफी समय से रिक्त हैं? यदि हां, तो उक्त दोनों पंचायत समितियों में किस-किस पद पर कौन-कौन कार्मिक कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री सुरेन्द्र गोयल): (1) जी हां। पंचायत समिति बांसवाड़ा एवं छोटी सरवन में पदवार पदस्थापित कार्मिकों की नामजद सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

(2) जी हां। विभाग में राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा के 54 अधिकारी वर्तमान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जिनका पदस्थापन जून माह में प्रशिक्षण उपरान्त विभिन्न पंचायत समितियों में किया जावेगा। इसके अतिरिक्त, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 30 पद कार्मिक विभाग द्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से भरे जाने हैं, जिसके लिये समय-समय पर कार्मिक विभाग को पदस्थापन हेतु लिखा जाता रहा है। उपरोक्तानुसार अधिकारी उपलब्ध होते ही विकास अधिकारी के रिक्त पदों को भरे जाने का प्रयास किया जावेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक कार्यक्रम अधिकारी, कम्प्यूटर अनुदेशक, लिपिक ग्रेड-II (कनिष्ठ लिपिक) के रिक्त पदों को सीधी भर्ती-2013 बोनस अंकों के आधार पर भरने की कार्यवाही की गई, परन्तु उक्त भर्ती बोनस अंकों के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. दायर किये जाने के कारण लम्बित है। उक्त न्यायिक प्रकरण के निस्तारण पश्चात् उक्त पदों की भर्ती के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा। इसके साथ ही, ग्राम सेवक के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड से करवाये जाने के क्रम में पंचायती राज नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

वाहन चालक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद सीधी भर्ती एवं मृतक आश्रितों से जिला स्थापना समिति द्वारा भरे जाते हैं।

पंचायत प्रसार अधिकारी, सहायक सचिव, सहायक कार्यालय अधीक्षक, लिपिक ग्रेड प्रथम के पद पदोन्नति से भरे जाते हैं। पदोन्नति की कार्यवाही एक सतत प्रक्रिया है।

प्रगति प्रसार अधिकारी, लेखा संवर्ग एवं फिटर का पद प्रतिनियुक्ति का पद है। प्रगति प्रसार अधिकारी के पदों पर आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि विभाग एवं मूल्यांकन संगठन विभाग द्वारा एवं लेखा संवर्ग के पदों पर निदेशालय कोष एवं लेखा द्वारा तथा फिटर पद हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा कार्मिक उपलब्ध कराये जाने पर पद भरने की कार्यवाही की जावेगी।

हैण्डपंप मिस्त्री का पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने का प्रावधान नहीं है।

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

विभागीय आदेश क्रमांक 193 दिनांक 1.2.2008 में पंचायत समितियों के हैण्डपम्प मिस्त्रियों एवं फिटर्स की सेवायें अग्रिम आदेशों तक जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को सौंपी हुई हैं। 'हैण्डपम्प अभियान व तत्पश्चात् हैण्डपम्प के रख-रखाव का पूर्ण उत्तरदायित्व जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का ही होगा', अंकित है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। श्री धनसिंह रावत।

श्री धनसिंह रावत (बांसवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पंचायत समिति बांसवाड़ा व छोटी सरवन में बहुत से पद रिक्त हैं जिससे सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता को नहीं मिल पाता है। मैं मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि ये जो पद रिक्त हैं, इनमें विकास अधिकारी, कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता और तकनीकी पद रिक्त हैं। इन पदों को कब तक भरने की कार्यवाही आप करेंगे?

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विकास अधिकारी, सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता व अन्य पदों के लिए कहा है, मैं इनसे निवेदन कर दूं, जैसे बांसवाड़ा में विकास अधिकारी का एक पद स्वीकृत है, एक पद खाली है। पंचायत समिति छोटी सरवन में विकास अधिकारी का एक पद स्वीकृत है और वह पद भरा हुआ है, इसलिए कोई रिक्त नहीं है। मैं माननीय सदस्य से निवेदन कर रहा हूं कि आपके विकास अधिकारी, जैसा मैंने जवाब में आपसे निवेदन किया कि 54 अधिकारी आर डी एस हमारे पास आ गये हैं, जून में ट्रेनिंग लेकर आ जाएंगे। जून में, जहां बांसवाड़ा में वेकेंट हैं, वहां पर वह पद भर दिया जाएगा।

दूसरे कनिष्ठ अभियन्ता के हैं, सहायक कार्यक्रम अधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय के पद हैं, जो वेकेंट हैं, उनकी एस एल पी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में जब भी डिसाइड हो जाएगी, उसके बाद में इनको सब्जैक्ट–टू-डिसीजन ऑफ दी कोर्ट के हिसाब से नियुक्तियां दे दी जाएंगी।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर दो। रह गया क्या पूछना?

श्री धनसिंह रावत (बांसवाड़ा): आ गया उत्तर, अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष: नारायण सिंह जी देवल। यह तो केवल दो पंचायत समितियों का है। इसमें आपका क्या सम्बन्ध है?

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): मैं इसी से सम्बन्धित पूछूंगा, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: इसी से सम्बन्धित, बांसवाड़ा और छोटी सरवन?

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): बांसवाड़ा से सम्बन्धित।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में यह बताया है कि हैण्डपम्प मिस्त्री का पद सीधी भर्ती द्वारा नहीं भरे जाने का प्रावधान है। इन्होंने आदेश भी निकाल दिया है, आदेश क्रमांक 193 दिनांक 1.2.2008 को कि हैण्डपम्प जितने भी लगे हुए हैं बांसवाड़ा और पूरे राजस्थान में, उनकी रिपेयरिंग पी एच ई डी विभाग करेगा, यह पंचायत राज मंत्रीजी का आदेश है, परन्तु वास्तविक स्थिति यह है कि फील्ड में पी एच ई डी के अधिकारी इन हैण्डपम्पों की रिपेयरिंग नहीं करते हैं और यह कह देते हैं कि ये तो पंचायती राज के द्वारा लगे हुए हैं, इसलिए यह पंचायती राज का ही काम है। इसके बारे में, मंत्री महोदय, स्पष्टीकरण दें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूं, जैसा मैंने जवाब में कहा कि हमने इन हैण्डपम्प मिस्त्रियों के लिए 1.2.2008 को आदेश जारी कर दिये हैं कि जो भी हैण्डपम्प के मिस्त्री हैं और फीटर हैं उन सबको पी एच ई डी विभाग देखेगा और पी एच ई डी विभाग के अधीन ही वे लगे हुए हैं और उनकी मानिटरिंग वे ही करते हैं। इसलिए कहीं स्पेशल कोई शिकायत होगी तो मुझे बता दें। उसके बारे में इंक्वायरी करके वहां पर जो भी हो सकता है, करने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। सुशील कटारा। यह बांसवाड़ा व सरवन का है, इधर-उधर मत होना।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पड़ोसी ही हैं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, यह नहीं।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): बांसवाड़ा का ही पूछ लेता हूं।

श्री अध्यक्ष: बांसवाड़ा का केवल पूछ लेते हो, उससे क्या है? और मिल लेना आप।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्रीजी से जानकारी चाहता हूं कि बांसवाड़ा और बांसवाड़ा जिले में जो सचिव हैं...

श्री अध्यक्ष: बैठो, बैठो। बांसवाड़ा जिले का ये कैसे जवाब देंगे?

श्री सुशील कटारा (चौरासी): बांसवाड़ा का है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, बैठो अब आप।

अगला पूरक प्रश्न। श्री शंकर सिंह। इसमें कुछ है नहीं।

अगला प्रश्न। श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, बुलाकर ही वापस रख दिया।

कोटा के रीको औद्योगिक क्षेत्र में भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरण

428. श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत दस वर्षों में कोटा में रीको द्वारा कितने औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किन-किन उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु किया गया?

(2) उक्त औद्योगिक क्षेत्रों में कितनी औद्योगिक फर्मों को भूखण्ड आबंटित किये गये? क्या वर्तमान में उक्त भू-खण्डों में वही उद्योग संचालित किये जा रहे हैं, जिनके लिए इन्हें आबंटित किया गया था? यदि नहीं, तो कितनी औद्योगिक इकाइयों द्वारा उन्हें आबंटित भूखण्डों का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ करने हेतु भू-उपयोग परिवर्तन करवाया गया? रीको के भू-उपयोग परिवर्तन के नियमों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री गजेन्द्रसिंह): (1) विगत 10 वर्षों में कोटा में रीको द्वारा निम्नलिखित औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये गये :-

1. रेडिमेड गारमेंट्स जोन, इन्द्रप्रस्थ, कोटा - वस्त्र आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए;

2. एग्रो फूड पार्क, रानपुर द्वितीय चरण, कोटा - कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए; एवं

3. कुबेर (विस्तार), रानपुर, कोटा - सामान्य उद्योगों जैसे कोटा स्टोन/सैण्डस्टोन/इंजीनियरिंग उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से।

(श्री गजेन्द्रसिंह)

(2) खण्ड संख्या 1 में वर्णित औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्ड आबंटन एवं संचालित उद्योगों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। आबंटित भूखण्डों में से किसी भी भूखण्ड का अभी तक भू-उपयोग परिवर्तन नहीं किया गया है। औद्योगिक भूखण्ड का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ करने हेतु भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी नियम की प्रति परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(विवरण व प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अध्यक्षः पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान खण्ड-2 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने खण्ड-2 में सवाल किया है, क्या वर्तमान में उक्त भूखण्डों में वही उद्योग संचालित किये जा रहे हैं जिनके लिए उन्हें आबंटित किया गया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका कोई जवाब नहीं।

श्री अध्यक्षः आप पूरक प्रश्न पूछ लीजिए, दे देंगे।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): पूरक प्रश्न ही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्षः नहीं है तो फिर दे देंगे।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): बहुत गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्षः मैं इसीलिए कह रहा हूं कि नहीं तो फिर दे देंगे। इसीलिए कह रहा हूं फिर...

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा है कि आबंटित भूखण्डों का अन्य प्रयोजनार्थ कहां उपयोग हो रहा है, जीरो बता दिया; कहीं नहीं हो रहा। जब भू-उपयोग परिवर्तन के नियमों के बारे में मैंने पूछा, तो इन्होंने धीरे से नीचे इंडस्ट्रियल से होटल, हास्टल परपज फार ओनली कोटा। माननीय अध्यक्ष महोदय, रीको और इण्डस्ट्रियल नियमों को ताक में रखकर पिछली सरकार ने तत्कालीन न्यास अध्यक्ष के हास्टल को औद्योगिक से व्यावसायिक में कन्वर्ट कर दिया। इण्डस्ट्रियल के प्लाट में हास्टल बन गया 500 कमरों का। माननीय मंत्री महोदय बताएं। या तो उस रीको इण्डस्ट्रियल एरिया में आज की तारीख में 100 हास्टल काम कर रहे हैं, 100 का भू-उपयोग परिवर्तन करके उन्हें कानूनी मान्यता प्रदान करें, या पिछले राज में जो गलत तरीके से भू-आबंटन परिवर्तन, रीको में यू आई टी कैसे कर सकती है, या उसको निरस्त करें।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, आपने नियम बताये कि इण्डस्ट्रियल से किस-किस में कन्वर्जन हो सकता है, इंस्टिट्यूशनल से किस-किस में कन्वर्जन हो सकता है। इन्होंने क्रम संख्या 6 से लेकर 9 तक इंस्टिट्यूशन के लिए जो जमीन दी गई वह किस-किस परपज के लिए आबंटित हो सकती है, लिखा है- ''Institutional to Industrial; Institutional to Commercial; Institutional (specified use) to Another Institutional use- (i) Hospital/Nursing Home, (ii) Other than Hospital/Nursing Home; and Residential to Industrial.'' माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आपने ओम कोठारी को इंस्टिट्यूशनल जमीन आबंटित की और आज वहां पर 300 से ज्यादा रेजिडेंशियल फ्लैट बनकर बाजार में बिक गये। किसने उनको इसकी अनुमति दी? नगर विकास न्यास, कोटा ने भू-धनपति के प्रभाव में आकर, पिछली सरकार के प्रभाव में, या जो भी हो, आपने इंस्टिट्यूशनल जमीन को रेजिडेंशियल में कन्वर्ट कर दिया; जिस परपज के लिए आपने इंस्टिट्यूट को जमीन दी, आज 500 फ्लैट बनाकर बेच दिये। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि अगर आपके नियमों में इंस्टिट्यूशनल से रेजिडेंशियल में कन्वर्ट का प्रोविजन ही नहीं है, तो जिन अधिकारियों ने इंस्टिट्यूशनल से रेजिडेंशियल में परिवर्तित कर दिया, उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे, या डिस्मेंटल करेंगे? आज जो कोटा शहर के 500 लोग वहां फ्लैट लेकर रह रहे हैं, गैर-कानूनी तरीके से रह रहे हैं। इस पर सरकार क्या कहना चाहती है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि जो उन्होंने प्रश्न पूछा, मेरी ड्यूटी बनती है कि जो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया, उसका स्पेसिफिक जवाब देना। माननीय सदस्य ने पूछा है कि गत दस वर्षों में रीको द्वारा कितने औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किन-किन उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु किया गया है। इन्होंने यह नहीं लिखा कि कोटा शहर में या कोटा जिले में, पर हमने कोटा जिले की पूरी डिटेल दे दी है। अध्यक्ष महोदय, डिटेल के अन्दर तीन....

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय मंत्री महोदय, खण्ड-2 पर आइये। खण्ड-1 पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। खण्ड-2 पर आइये आप।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, दस साल का इन्होंने पूछा है। अगर आप सेटिस्फाई....

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय मंत्री महोदय, खण्ड-2 पर आइये।

श्री अध्यक्ष: प्रहलाद जी, बार-बार खड़े मत होइये। वह जवाब आ रहा है और दूसरा पूरक प्रश्न आपका और है, उस समय पूछ लेना। माननीय मंत्री महोदय।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): ठीक है।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, खण्ड-2 पर आऊंगा, पर पहले मैं इनका बैक-ग्राउण्ड दे देता हूं कि तीन औद्योगिक क्षेत्र, जो हमने जवाब में दिया है, एक तो रेडिमेड गारमेंट जोन इन्द्रप्रस्थ कोटा 2008-09 में 65 एकड़ में स्थापित में हुआ था और 3 हजार रुपये इसकी आबंटन दर थी। इसके अन्दर टोटल प्लाट्स 45 थे, जिनमें से 35 अलाट हो गये और 10 बिक्री के लिए बचे हुए हैं। इन-प्रोडक्शन इसके अन्दर कोई भी नहीं आया है क्योंकि यह क्षेत्र अभी अण्डर-डवपलमेंट है। इसके अन्दर रोड्स, लाइट, इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया गया है। (व्यवधान) जब मैं जवाब दे रहा हूं तो मुझे मालूम है कि क्या जवाब देना है। तो आप बीच में क्यों जवाब दे रहे हों? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: देखिये, जवाब वे दे रहे हैं। आपकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं आता है तो दूसरे तरीके हैं। उनसे आप कीजिये।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): मैं इसका जवाब दे रहा हूं, स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूं मैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह प्रश्न सदन की प्रोपर्टी हो गया है और सदन की प्रोपर्टी होने के बाद में वही क्वेश्चन का जवाब आना चाहिए, जो माननीय सदस्य ने पूछा है।

श्री अध्यक्ष: मिस्टर डोटासरा, आपको अनुमति नहीं दी है। आप बीच-बीच में.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ये मुंह में शब्द नहीं डाल सकते, अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री महोदय के मुंह में ये शब्द नहीं डाल सकते। मंत्री महोदय सही जवाब दे रहे हैं।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने खण्ड-2 में तीन इण्डस्ट्रियल एरियाज के बारे में पूछा। इन्होंने पूछा कि दस साल में कौन-कौन

(श्री गजेन्द्रसिंह)

से इण्डस्ट्रियल एरियाज आये। मैंने बताया कि तीन इण्डस्ट्रियल एरियाज और इन तीन इण्डस्ट्रियल एरियाज के बारे में जब बता रहा हूं, तो ये कह रहे हैं कि खण्ड-2 का जवाब दीजिये, खण्ड 1 का मैं पूछ ही नहीं रहा हूं। अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल नहीं दूं आपको, तो ये तीनों जो इण्डस्ट्रियल एरियाज हैं इनके अन्दर कोई भी लैण्ड यूज चेंज नहीं हुआ। इसके अन्दर जो उद्योग के लिए जमीन दी गई थी, उन्होंने उद्योग के लिए ही यूज की है। यह मेरा जवाब है।

श्री अध्यक्ष: दूसरा प्रश्न।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहकर माननीय मंत्री महोदय सवाल का जवाब टाल नहीं सकते। अध्यक्ष महोदय, नहीं देना है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं विथड्रा कर लूंगा सवाल को।

मैं पूछ रहा हूं कि आपने नियम तो बता दिये कि इंस्टिट्यूशनल से रेजिडेंशियल में परिवर्तित ही नहीं हो सकते। मैं पूछ रहा हूं कि ओम कोठारी को कैसे कर दिया? मैं पूछ रहा हूं कि न्यास के पूर्व अध्यक्ष के रीको के भूखण्ड को हास्टल में कैसे कर दिया? मैं पूछ रहा हूं कि आपने जो इण्डस्ट्रियल एरिया में मार्केटिंग को दो प्लाट चावल और दाल मिल के लिए अलॉट किये, आज उसमें मैरिज गार्डन चल रहा है, वहां पर एक प्राइवेट कम्पनी ने अपना वेयरहाउस बना रखा है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): इसके बारे में आप स्पेसिफाई करके तय करिये कि नियम विरुद्ध हुआ है। उसके खिलाफ आप क्या काम करना चाहते हैं? धनपतियों के गिरवी रख दें कानून और विधान सभा में हम +++ बोल दें? इस पर आप जवाब दीजिये, माननीय मंत्री महोदय।

श्री अध्यक्ष: +++ शब्द विलोपित किया जाए।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि इण्डस्ट्रियल से रेजिडेंशियल प्लाट नहीं कर सकते हैं और यही मैं इनको बता रहा हूं और ये सुनने को तैयार नहीं हैं। इन्होंने 10 साल का पूछा कि कौन से इण्डस्ट्रियल एरियाज, वे मैंने बता दिये।

श्री अध्यक्ष: अब सुन रहे हैं। प्रहलाद जी, नहीं।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): इसके अन्दर कोई भी रेजिडेंशियल के लिए नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष: आप चाहो जैसा जवाब नहीं आयेगा। वे जवाब देंगे, वह सुनना पड़ेगा।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): कोई भी लैण्ड यूज चेंज नहीं किया गया है। ये तीनों के तीनों इण्डस्ट्रियल एरियाज की जब मैं डिटेल दे रहा हूं तो कभी वहां से उठकर बोलते हैं कि प्रश्न को अवाइड कर रहे हैं। (व्यवधान) मैं डिटेल्स दे रहा हूं, आप डिटेल्स नहीं देने दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप तो अपनी डिटेल्स दे दीजिये।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): मैं इनको बता रहा हूं कि कोई नहीं हुआ है।

मैं डिटेल्स दे देता हूं। अध्यक्ष महोदय, 10 साल का पूछा है, 10 साल के अन्दर कोटा जिले के अन्दर, नाट कोटा सिटी, कोटा जिले के अन्दर तीन औद्योगिक क्षेत्र हैं जो नये बने हैं, 10 साल का इन्होंने पूछा है, पिछले 10 साल के अन्दर। नम्बर वन, रेडिमेड गारमेंट जोन इन्द्रप्रस्थ कोटा 2008-09 में यह बना, जिसमें 65 एकड़ जमीन, 45 प्लाट्स थे, उनमें से 35 बिके और 10 अभी नहीं बिके। इन-प्रोडक्शन कोई भी यूनिट नहीं आई। यह अण्डर-डवलपमेंट है, अभी इसका इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हुआ है। तो रेडिमेड गारमेंट्स का जहां जोन है उसके अन्दर कोई भी चेंजेज नहीं आई, कोई इण्डस्ट्री ही नहीं आई, कोई प्लाट के अन्दर काम भी शुरू नहीं हुआ। एक का मैंने जवाब दे दिया।

अब जो सेकण्ड एरिया आ गया, एग्रो फूड पार्क रानपुर द्वितीय चरण, यह 2006-07 में एस्टेब्लिश हुआ। इसके अन्दर 100 एकड़ जमीन है, यहां पर 2500 हजार रुपये के प्लाट बिके। यहां पर 155 प्लाट्स थे जिनमें से 152 अलाट हो गये और 3 अभी फोर सेल हैं। इन-प्रोडक्शन 42 हैं, इकाइयां 24 लगी हुई हैं, नो एक्टिविटी इन 104 और इनकी अभी अवधि जून 2018 तक की है और इनके पास अभी इतना टाइम एस्टेब्लिश करने के लिए तीन साल का।

तीसरा, कुबेर रानपुर का आ गया, 2007-08 में स्थापित हुआ, 229 एकड़ में हुआ, 91 प्लाट्स हैं उनमें 20 भूखण्ड बेचे गये और 71 अटक गये, क्योंकि नया नियम आ गया था पर्यावरण का कि 50 हेक्टेयर से ज्यादा का कोई भी इण्डस्ट्रियल एरिया है उसको एन्वायरनमेंटल क्लीयरेंस लेना है। इसके अन्दर 14 इकाइयां हैं और 5 इकाइयों में कोई एक्टिविटी नहीं है। न तो कोई रेजिडेंशियल में कन्वर्ट हुआ, न इसके अन्दर कोई लैण्ड यूज चेंज हुआ।

(श्री गजेन्द्रसिंह)

अब यह इश्यू है रेजिडेंशियल लैण्ड यूज, कौनसी इकाई आई, मतलब कौनसा इण्डस्ट्रियल एरिया आया 10 साल में, मैंने सब जवाब दे दिया है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। पूरक प्रश्न। शत्रुघ्न गौतम।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): मेरा कहना यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, धनपति के प्रभाव में क्वेश्चन को दायरे में मत बांधो। हमारा पूछने का स्कोप वाइड होता है।

श्री अध्यक्ष: नो-नो। आपको जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। पूरक प्रश्न। श्री शत्रुघ्न गौतम।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा से सम्बन्धित बात करूंगा।

श्री अध्यक्ष: इसी में।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी): हां, कोटा से सम्बन्धित ही बात करूंगा। इन्द्रप्रस्थ इण्डस्ट्रियल एरिया में रोड नं. 1 से लेकर रोड नं. 6 तक नियम-कानून की धज्जियां यदि उड़ रही हैं तो उस इण्डस्ट्रियल एरिया में उड़ रही हैं। एक नम्बर पर आप इण्डस्ट्री में अलाउ कर रहे हों, 5 नम्बर में आप रेजिडेंशियल पर अलाउ कर रहे हों, कहीं अन्य प्रयोजनार्थ अलाउ कर रहे हों। क्या जिनको अलाउ किया है, ओम कोठारी ने 500 फ्लैट बनाकर बेच दिये। अगर बेचे हैं, गलत बेचे हैं, तो, मंत्री महोदय, यह बतायें कि उनके खिलाफ कार्यवाही होगी या नहीं होगी? या तो सभी रोड पर आप अलाउ करो। माननीय मंत्री महोदय, यह इच्छा रखते हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस एरिया की ये बात कर रहे हैं, ये तीनों इण्डस्ट्रियल एरिया में आते ही नहीं हैं। इसके बावजूद मैं माननीय सदस्य के साथ बैठकर आपकी जो भी ग्रीवेंस हैं, आपके साथ बैठकर पूरी सुनवाई करूंगा और उस पर मैं एक्शन लूंगा।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी): इसकी जांच कमेटी बनवाकर, मंत्री महोदय, सदन में, इसकी जांच कमेटी बनवाकर एक महीने में.....

श्री अध्यक्ष: यों नहीं, सदन की जांच कमेटी नहीं बनती है। आप बैठिये।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी): जांच कमेटी बनाकर जांच होनी चाहिए, साहब।

श्री अध्यक्ष: आप उनके साथ बैठ जाइये न। बुला रहे हैं आपको। खुला आमंत्रण हैं।

दूसरा पूरक प्रश्न। श्री हीरालाल नागर।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं कि कोटा के इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र में पिछले दस वर्षों में कितनी औद्योगिक इकाइयों ने होटल के व्यवसाय के लिए लैण्ड यूज परिवर्तन के लिए आवेदन किया और कितनी इकाइयों को आपने औद्योगिक से होटल में परिवर्तित किया? उसकी सूची आप उपलब्ध करायें। कोटा के रीको क्षेत्र का मामला है, इण्डस्ट्रियल एरिया का मामला है। कोटा के इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र का, कोटा के इण्डस्ट्रियल एरिये का मामला है।

श्री अध्यक्ष: बैठिये। आप बैठिये। श्री हीरालाल नागर, बैठिये आप। आप सवाल कर चुके हैं।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): अध्यक्ष महोदय, हम मान लें कि ओम कोठारी के खिलाफ कार्रवाही नहीं हो सकती, तो आप घोषणा कर दो, सबको परमिशन देंगे। (व्यवधान) मैं बैठ जाऊंगा, अध्यक्ष महोदय, लेकिन ये जवाब नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जवाब नहीं है संवेदनशील सरकार का। बैठ जायेंगे हम।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): ×××

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, जवाब देने की भी जरूरत नहीं है। नहीं, ये जवाब नहीं देंगे। (व्यवधान) सवाल के दायरे के बाहर आप नहीं जा सकते। आप भी नहीं जा सकते। बैठिये।

अगला प्रश्न। श्री मानिकचन्द सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): प्रश्न संख्या 429.

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं, एक मिनट नहीं। मैं चाहता हूं, मामला तो कोटा का है, लेकिन प्रश्नकाल में उसको इतना लम्बा-चौड़ा नहीं किया जा सकता, इसका दायरा नहीं बढ़ाया जा सकता। लिखा है यह, कोटा तक का।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्षजी ने अगला प्रश्न पुकार लिया है। अब क्या है? माननीय मंत्रीजी जवाब दे देंगे। विधान सभा में नियमों में है, आप आ जाओ, जवाब दे देंगे। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): राठौड़ साहब, क्या स्थिति बन गई सरकार की।

श्री अध्यक्ष: श्री मानिकचन्द सुराना।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): एक को और निकाल दो। कल घनश्यामजी को निकाल दिया, आज इनको और निकाल दो।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। आप भी इनकी आदत पर आ गये क्या?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): एक को तो निकाल ही दिया, अब इनको भी निकाल दो।

बीकानेर जिले की तहसीलों में धारा 183-बी के लम्बित मुकदमे

429. **श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बीकानेर जिले में धारा 183-बी, राजस्थान टीनेंसी एक्ट, 1955 के कितने मुकदमे किन-किन तहसीलदारों के यहां गत दिसम्बर, 2008 के पश्चात् दायर किये गये, कितने निस्तारित किये गये व कितने लम्बित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) धारा 183-बी, राजस्थान टीनेंसी एक्ट, 1955 में समरी कार्यवाही के प्रावधान अनुसार ऐसे प्रकरणों में तहसीलदार द्वारा समरी कार्यवाही में तीन साल में भी निर्णय न किये जाने की न्यायिक कार्यवाही से क्या सरकार संतुष्ट है? क्या कलेक्टर द्वारा तहसीलदारों की कार्यवाही के न्यायिक superintendence व control में उक्त प्रकरणों को देखा गया है?

(3) क्या सरकार द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति द्वारा किये गये मुकदमों में कोई विस्तृत दिशानिर्देश कलेक्टर्स, उपखण्ड अधिकारियों व तहसीलदारों को जारी किये गये हैं? यदि हां, तो दिशानिर्देशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

श्री अर्जुन लाल (राज्य मंत्री, विधि) (राज्य मंत्री, राजस्व के स्थान पर): (1) बीकानेर जिले में धारा 183-बी, राजस्थान टीनेंसी एक्ट, 1955 के अन्तर्गत दर्ज मुकदमे तथा निस्तारित व लम्बित प्रकरणों की सूचना तहसीलवार परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(श्री अर्जुन लाल)

(2) राजस्थान टीनेंसी एक्ट, 1955 की धारा 183-बी में समरी ट्रायल कर निर्णय पारित किये जाने का प्रावधान है। अनुसूचित जाति/जनजाति की कृषि भूमि को अन्य व्यक्तियों के कब्जे से मुक्त कराये जाने बाबत राज्य सरकार द्वारा राज्य के समस्त जिला कलेक्टर्स को समय-समय पर निर्देश जारी किये गये हैं। समय-समय पर राजस्व अधिकारियों की बैठकों में भी धारा 183-बी के प्रकरणों की समीक्षा की जाकर शीघ्र निर्णय दिये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये हैं। तदनुसार कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों/परिपत्र की छाया प्रतियां परिशिष्ट-ख व ग पर संलग्न हैं।

(सूचना व प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने संलग्न कागजात दिये हैं। क्या यह सही है कि सन् 2008 में बीकानेर जिले में आठ तहसीलें होते हुए भी मात्र दो केसेज, दो तहसीलों में ही एक-एक केस रजिस्टर्ड किया गया? आठ तहसीलों में से मात्र दो तहसीलों में। क्या यह सही है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय। आप विराजिये। दूसरा पूरक प्रश्न कर लेना।

श्री अर्जुन लाल (राज्य मंत्री, विधि): बीकानेर जिले के आठ तहसीलों में दिसम्बर, 2008 से 24 प्रकरण पंजीकृत हुए थे तथा उसमें...

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सिर्फ मैं आठ का पूछ रहा हूं कि आठ तहसीलों में मात्र दो ही प्रकरण दर्ज किये गये, आठ तहसीलों के बावजूद।

श्री अर्जुन लाल (राज्य मंत्री, विधि): 24 प्रकरण पूरे जिले में दर्ज हुए हैं और उनमें 12 का निस्तारण कर चुके हैं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर दो।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): पहली बात तो यह है, अध्यक्ष महोदय, ये 2008 से क्यों कतरा रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: यह तो इनसे पूछो।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): आठ तहसीलों में मात्र दो प्रकरण 183-बी के अनुसूचित जाति और जनजाति की जमीन पर अन्य ताकतवर लोगों के कब्जों के प्रकरणों को हटाने के लिए मात्र दो केस। अब आपने जो जवाब दिया है, 2008 से 2015, यानी आठ सालों में मात्र 22 प्रकरण दर्ज हुए। कुल 24 प्रकरण, 2008 को मिलाकर दर्ज हुए, जिनमें, मान्यवर, आपने कहा है ना, समरी ट्रायल है, तो समरी ट्रायल में जो मुकदमे 2009 और 2010 में दर्ज हुए, पांच-पांच साल कैसे चल रहे हैं समरी ट्रायल के मुकदमे? आपने 12 तो निस्तारित कर दिये और 12 पैंडिंग हैं। यह जो गति है नीचे के प्रशासन की 183-बी के निर्धारण की, माननीय मंत्री महोदय, आप इसको देखें कि 12 प्रकरण आज क्यों लम्बित हैं? जब समरी ट्रायल है, तो क्यों नहीं उनका निस्तारण किया गया? समरी ट्रायल का मतलब ही है, अध्यक्षजी, नोटिस दिया, जवाब आया उसका, जिसका कब्जा है, और उसके बाद महीने, 20 दिन में, डेढ़ महीने में निस्तारण किया। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को रिलीफ देने में पिछली सरकार फेल हुई। माफ करेंगे मुझे, यह सरकार भी कोई ज्यादा मुस्तैदी से अनुसूचित जाति की जमीनों से वापस कब्जा हटाने की कार्रवाही नहीं कर रही है। यह आपके रिकार्ड से साफ है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये। मंत्री महोदय।

श्री अर्जुन लाल (राज्य मंत्री, विधि): माननीय अध्यक्ष महोदय,...

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): ऐसा है कि मैं निर्दलीय हूं। मैं आपका भी कोई पक्ष नहीं ले सकता और न मैं इनका पक्ष ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: ये निर्दलीय हैं। विराजिये, मानिकजी, विराजिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं निर्दलीय हूं पर मैं वैचारिक भाजपा हूं। ध्यान रखें हमेशा।

श्री अध्यक्ष: अपन दोनों ही हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): ये संगठनात्मक भाजपा हैं, मैं वैचारिक भाजपा हूं और ये गलत रास्ते चलेंगे तो मेरा धर्म है कि मैं इनको सही रास्ते लाने की कोशिश करूं। बताइये, मंत्री महोदय, जवाब दीजिये।

श्री अध्यक्ष: बिल्कुल। वे गलत रास्ते पर हैं तो सही करें।

श्री अर्जुन लाल (राज्य मंत्री, विधि): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो आपने सवाल में ही दिसम्बर, 2008 का पूछा है, तो उसमें दिसम्बर, 2008 तक दो प्रकरण दर्ज हुए। दिसम्बर, 2008 के बाद 2015 तक 22

(श्री अर्जुन लाल)

प्रकरण दर्ज हुए। उन 24 प्रकरणों में से मैंने बताया आपको कि 12 प्रकरण निस्तारित कर दिये गये हैं और उनमें से पीछे जो आपके आठ प्रकरण बच गये थे...

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): 12 बच गये हैं। 12 बच गये हैं। यह देखें ध्यान से। 24 में 12 निस्तारित हुए, 12 बच गये।

श्री अर्जुन लाल (राज्य मंत्री, विधि): नहीं, 12 प्रकरण बच गये थे। आप बीकानेर और लूणकरणसर का पूछ रहे हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैंने नहीं पूछा। मैं पूछ रहा हूं कि 12 ही निस्तारित क्यों हुए? समरी ट्रायल में महीने, दो महीने में निस्तारण होना है। 2009 के मुकदमे, 2010 के मुकदमे, 2011 के मुकदमे, 2012 के मुकदमे, 2015 तक निस्तारित क्यों नहीं हुए? और 2016 की मार्च तक निस्तारित क्यों नहीं हुए? यह पूछ रहा हूं मैं।

श्री अर्जुन लाल (राज्य मंत्री, विधि): देखिये, इसमें 67 के तहत यह बता रखा है कि as for as possible, 90 दिन के अन्दर समरी ट्रायल चलनी चाहिए और उसको कन्क्लूड करना चाहिए। आप बैठो, एक बार मेरा जवाब सुन लो। उसके बाद 12 में से चार प्रकरण तो कोर्ट से स्टे हो चुके हैं, ए डी जे कोर्ट से उनके ऊपर स्टे हो चुका है और इसके अलावा जो प्रकरण 2015 के हैं, उन प्रकरण के लिए न्यायालय द्वारा, जिला सेशन न्यायालय फास्ट ट्रैक, बीकानेर से स्थगन हो गये और पांच केसेज, जिनके अन्दर शहादत और साक्ष्य हेतु अभी विचाराधीन हैं, जो जन सुनवाई में आये थे...

श्री अध्यक्ष: मानिकजी, अब यह तीसरा सवाल नहीं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ सरकार का ध्यान...

श्री अध्यक्ष: ध्यान खींच लो आप।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): नहीं, नहीं, राजस्व मंत्री तो नहीं हैं, दूसरे मंत्री जवाब दे रहे हैं, अध्यक्षजी। मैं सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करता हूं कि 183-बी के प्रकरणों में आप जो 22 या 24 मुकदमे हैं, इनकी पत्रावलियां मंगायें। आप देखें कि कितने एडजोर्नमेंट बिना मतलब किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल। श्री डोटासरा। अगला सवाल।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): ...और यह जो गति है, सिर्फ बीकानेर जिले में ही नहीं, सारे जिलों में यही स्थिति है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): प्रश्न संख्या 430.

एक माननीय सदस्य: आज इनका जन्मदिन भी है, सुरानाजी का। सुरानाजी का जन्मदिन है आज।

श्री अर्जुन लाल (राज्य मंत्री, विधि): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनको आश्वस्त करता हूं कि मैं जल्दी ही इनके निस्तारण की कार्रवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष: हो गया। बैठिये। अगला प्रश्न। श्री डोटासरा।

प्रदेश के औद्योगिक संस्थानों में बेरोजगारों को रोजगार

430. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में 01 जनवरी, 2014 से 31 दिसम्बर, 2015 की अवधि में किस-किस राजकीय उपक्रम/निजी उपक्रम में कितने-कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया? उपक्रमवार संख्या-विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2016 में सरकार द्वारा प्रदेश में किस-किस क्षेत्र में कितने-कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजकीय उपक्रम मंत्री (श्री गजेन्द्रसिंह): (1) राजकीय उपक्रम ब्यूरो के क्षेत्राधिकार में 23 राजकीय उपक्रम हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। 23 उपक्रमों से प्राप्त सूचना के अनुसार 01 जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2015 की अवधि में कुल 9,610 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। उपक्रमवार सूचना परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है। निजी उपक्रमों में रोजगार की सूचना राजकीय उपक्रम ब्यूरो में संकलित नहीं की जाती है।

(2) राज्य सरकार अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्पित है। इस हेतु राज्य सरकार राजकीय पदों पर एवं निजी क्षेत्र में भी अधिक से अधिक रोजगार हेतु विभिन्न योजनाओं तथा आधारभूत सुविधा, नीतिगत निर्णय, तकनीकी सहायता, कौशल उन्नयन, विपणन सहायता आदि के माध्यम से अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने के प्रयास करती है।

(श्री गजेन्द्रसिंह)

राजकीय उपक्रम ब्यूरो के क्षेत्राधिकार में आने वाले 23 उपक्रमों में वर्ष 2016 में प्रस्तावित नियुक्तियों की संख्या 9,557 है। सूचना परिशिष्ट-'स' पर संलग्न है।

(सूची व सूचनाएं विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है, मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि 2014-15 में 01 जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2015 में राजकीय उपक्रम और निजी उपक्रम में कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया? आपने जवाब दिया है कि राजकीय उपक्रम में 2014-15 में 9,610 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है और 2016 में आपने यह कहा है कि 9,557 की नियुक्तियों का प्रस्ताव है; नियुक्त नहीं किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने जवाब दिया कि निजी का हमारे में कोई उपलब्ध नहीं है, तो उद्योग मंत्री नहीं बताएंगे तो खनिज मंत्री थोड़े ही बताएंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीया मुख्य मंत्रीजी ने सदन में ही यह कहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, छह लाख लोगों को हमने रोजगार दे दिया और मैंने इसी उद्देश्य से पूछा है कि वह छह लाख का आंकड़ा तो यह सरकार सदन में कम से कम बताये कि निजी में, सार्वजनिक में, सरकारी में, पहले हमने सरकारी में पूछा था तो सरकारी का आंकड़ा भी चालीस हजार से ऊपर नहीं गया। अब मैं यह पूछना चाह रहा हूं, निजी और सार्वजनिक उपक्रमों में आपने तो केवल मात्र 9,610 लोगों को ही रोजगार देना माना है, मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपसे कि जो मुख्य मंत्रीजी ने छह लाख का आंकड़ा बताया है उसमें से आपने कौन-कौनसी जगह कहां-कहां कितनी नियुक्तियां दे दीं? वह बताने का कष्ट करें।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो क्वेश्चन है यह बेसिकली पी एस यू ज के ऊपर केन्द्रित है। यह जो अपने ज्यादा रोजगार मिलता है वह अपने माइक्रो, स्माल, मिडियम, लार्ज इण्डस्ट्रीज, खादी के यूनिट्स हैं, थ्रू 'रूडा,' इसमें कई अलग-अलग संस्थाएं आ जाती हैं। मैं यह एम एस एम ई के जो फिगर्स हैं, ये जितने भी जो प्राइवेट के अन्दर जितनी नौकरियां मिली हैं, उनकी आपको डिटेल भेज दूंगा। एक्चुअली, ये एम्प्लायमेंट रिलेटिड जो इश्यूज हैं ये मेरे मंत्रालय से सम्बन्धित नहीं हैं। यह टीटी साहब का जो मंत्रालय है वह इसका रिकार्ड रखता है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मेरा क्वेश्चन जो था, माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रम एवं रोजगार का था...

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, श्रम): मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास आंकड़े हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक मिनट, आप विराजो। पहले मैं पूछ तो लूं। मैं, उद्योग मंत्रीजी, आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा था कि निजी और राजकीय उपक्रमों में कितने लोगों को रोजगार दे दिया। आपने केवल 9,610 का बताया है दो साल में और 2016 में केवल प्रस्तावित बताया है आपने कि 2016 में प्रस्तावित नियुक्तियों की संख्या 9,557 हैं। यानी, हम मानकर के चलें कि आपने दो साल में केवल मात्र 9,610 लोगों को ही रोजगार दिया है। क्योंकि आप बच नहीं सकते। निजी उपक्रमों का मैंने लिखा है और आप उद्योग मंत्री हैं, आपके अधीन आते हैं। इसलिए आप यह कहकर के, मंत्रीजी, नहीं बच सकते कि केवल राजकीय उपक्रमों की ही हम बात करें। आप तो स्पेसिफिक मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए कि निजी उपक्रमों में आपने इन दो सालों में कितने लोगों को रोजगार दिया? जिनके लिए माननीया सदन की नेता बार-बार छह लाख की रोजगार की बात कर रही हैं, उनमें से आपके निजी उपक्रमों में कितने लोगों को नौकरी दीं?

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बोला प्रस्तावित, अब 2016 का इन्होंने मांगा है और उससे एक वर्ष पहले का मैंने दे दिया है। अब प्रस्तावित इन्होंने मांगा है, तो यह तो 2016 जब खतम होगा तभी मालूम पड़ेगा हमें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कोई दिक्कत नहीं।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): नई इण्डस्ट्रीज कितनी आएंगी, कौनसी मैटेरियलाइज होंगी, यह तो जब 31 मार्च, 2016 के जो फिगर्स आएंगे उसके बाद हमारे पास डैटा आएगा। इससे पहले ही थोड़े न आएगा। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं कब कह रहा हूं? मैं 2016 की दिक्कत ही नहीं कर रहा हूं। मैंने 2016 का तो प्रस्तावित पूछा है।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। पूरक प्रश्न। श्री सुखराम।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इसलिए पूछा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने 15 लाख का वादा किया है और 9,610 को रोजगार दे पाये और आपका 2016 के अन्दर भी केवल 9 हजार के लगभग का देने का विचार है।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): ये खाली पी एस यूज के फिगर्स हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप विराजिए। मैं दूसरा पूरक प्रश्न पूछ रहा हूं। दूसरा मैंने पूछा ही नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो एक ही पूछा है।

श्री अध्यक्षः एक में ही दो पूछ लिये थे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, दो पूछा था। दूसरी बार ही खड़ा हुआ हूं, आपकी अनुमति से। आपकी अनुमति चाहिए।

इसलिए प्रस्तावित की ही पूछ रहा था। आपने प्रस्तावित का कहा, उससे मैं सहमत हूं कि आप 9 हजार लोगों को 2016 में देंगे और आपने 9,610 को दे दिया 2015 मार्च तक, ठीक है। निजी उपक्रमों में, जिसकी मुख्य मंत्रीजी 15 लाख की घोषणा करती थीं सुराज संकल्प यात्रा में, 6 लाख का आंकड़ा यहां इस सदन की नेता ने कहा था, उनमें से आपके निजी उपक्रमों ने कितने लोगों को रोजगार दिया है? यह पूछना चाह रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सदन की नेता ने जो कुछ कहा, वह सत्य कहा है। 6 लाख लोगों को राजस्थान के अन्दर स्वावलंबी किया है। (व्यवधान) राजकाम के माध्यम्य से, अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षित किया है और 6 लाख लोगों को स्वावलंबी बनाया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बिलकुल सत्य नहीं कहा, असत्य कहा, गुमराह करने के लिए कहा। पूरे प्रदेश की जनता को सुराज संकल्प यात्रा में गुमराह किया 15 लाख के नाम पर, यहां 6 लाख के नाम पर सदन में गुमराह किया। पूरे सदन के सामने सदन की नेता ने असत्य बयानबाजी की है। आज आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं निजी उपक्रमों का। मैंने पूछा है।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): पांच साल में 15 लाख लोगों का बोला है। एक साल के लिए नहीं बोला था। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) वह भी गलत किया है। आपका यह सवाल करने का तरीका गलत है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय मंत्रीजी, निजी उपक्रमों के आप मंत्रीजी हैं, आप उद्योग मंत्री हैं ...(व्यवधान) यह सारा का सारा असत्य का पुलिंदा है। प्रदेश की जनता को गुमराह करने वाला है। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): डोटासरा जी, आपके असत्य बोलने से असत्य सत्य नहीं होता। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): टीटी साहब आपको फिगर बता रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, श्रम): डोटासरा जी, सुनिए, आपने मिक्स कर दिया क्वेश्चन। अध्यक्ष महोदय, अगर आप इजाजत दें तो मैं इसका जवाब बताना चाहता हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ऐसा नहीं है। मैं उद्योग मंत्रीजी से यह पूछ रहा हूं। आप बाहर दे देना बाइट। मंत्रीजी, आप बाहर बाइट दे देना। मुख्य मंत्रीजी ने जो कहा था, मैं निजी उपक्रमों की बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, आप बैठिये। जो उनके पास था, उन्होंने दे दिया है। इसके आगे दूसरे मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। वह सुन लीजिए आप। हां, आप दीजिए फिगर्स।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सिर्फ निजी उपक्रम का जवाब दिलवा दीजिए।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, श्रम): डोटासरा जी, सुनिए, रोजगार से मतलब है आपको और हमने 6 लाख लोगों को रोजगार दिये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तीन-चार विभागों का मिक्स कर दिया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पहले मुझे उद्योग मंत्रीजी से तो जवाब दिलाओ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: दूसरे मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, श्रम): ...(व्यवधान) ई एस आई और उसमें 4 लाख 72 हजार 514 ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उद्योग मंत्री कौन हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये क्या बोलेंगे? मैंने निजी उपक्रमों की बात पूछी है।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, श्रम): ...(व्यवधान) भर्ती हुई है तीन हजार और कुल 6 लाख 86 हजार 852 लोगों को रोजगार मिला है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये सारा असत्य का पुलिंदा

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

है। ये असत्य का पुलिंदा है। जब चुनाव में जाएंगे ना तब पता चलेगा, मंत्री महोदय, इस तरह से सदन को गुमराह नहीं कर सकते आप। सदन को गुमराह नहीं कर सकते।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, श्रम): आप सुनो। (व्यवधान) मिक्स कर दिया क्वेश्चन।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आप दुबारा सुन लो। तेज बोलने से आवाज नहीं दब सकती। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जनता को गुमराह तो कर दिया, दुबारा जनता भी गुमराह नहीं होने वाली है। राजस्थान का बेरोजगार बहुत जागरूक है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): एक मिनट।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, श्रम): दुबारा सुन लो। ई एस आई, पी पी एस माडल पर ...(व्यवधान) जो यह सिद्ध करता है कि इतने लोगों को रोजगार मिला है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप इस तरीके से उद्योग मंत्री जवाब नहीं दे पायें ...(व्यवधान) आप खड़े हों बार-बार। आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): आप जनता की बात करते हों बार-बार, जनता ने तो आपको पीट दिया है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मेरे सवाल का जवाब चाहिए, अध्यक्ष महोदय, आप महान् हैं।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने सवाल को मिक्स किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रार्थना करना चाह रहा हूं। आप एक मिनट बैठो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ...(व्यवधान) उद्योग मंत्री निजी उपक्रमों की नौकरियों में बारे में बतायें। मैं केवल इतना पूछना चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: बता दिया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): दो मिनट और है, साहब, चलने दो। उद्योग मंत्री से पूछा है मैंने तो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, एक प्रार्थना है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं तो उद्योग मंत्री से पूछ रहा हूं। संसदीय कार्य मंत्रीजी, आप तो ए एन एम की नौकरी नहीं दे पाये, पैरामेडिकल में भर्ती नहीं कर पाये। इसलिए उद्योग मंत्री से पूछ रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि हम कलेक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी, आर्टिकल 164 (4) के तहत हम कलेक्टिवली रेस्पोंसिबल हैं। माननीय मंत्री महोदय से एक सवाल पूछा है, इस सवाल के अन्दर तीन-चार विभाग सम्मिलित थे। चूंकि ये उद्योग से सम्बन्धित सीधा नहीं था, पर फिर भी सीनियर मिनिस्टर से जवाब दिया है। अब आपकी अनुमति से हमारे श्रम मंत्री उन आंकड़ों को रखना चाहते हैं, आप इसकी इजाजत दें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): तीन-चार थे तो इनको तैयारी करके आना चाहिए था। केवल निजी उपक्रम की बात कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल निजी उपक्रम की बात कर रहा हूं जो उद्योग मंत्री के क्षेत्र में आता है, उनके जुरिस्डिक्शन में आते हैं। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) आप लोगों के सामने बोलते हो ना ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): राठौड़ साहब, इस तरीके से फ्लोर मैनेजमेंट से नहीं बचेगी सरकार। (व्यवधान) यह गलत बयानबाजी है। नहीं, नहीं, ऐसे नहीं। सारे खड़े हो गये मंत्री। उद्योग मंत्री से सवाल किया है मैंने।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 13 दिसम्बर, 2013 के बाद में हमारी जो रिक्रूटमेंट कम्प्लीटेड इन गवर्नमेंट सैक्टर 57 हजार 225, स्किल ट्रेनिंग कम्प्लीटेड फोर एम्प्लायबिलिटी 4 लाख 28 हजार 988 हैं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैंने नौकरी की बात की है, मैंने रोजगार की बात है; मैंने स्किल डवपलमेंट की बात नहीं की है, मंत्री महोदय। मैं केवल रोजगार की बात कर रहा हूं, स्किल डवलपमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। हमारे लाखों इंजीनियर्स स्किल डवलप्ड पहले से हैं, आई आई टी किए हुए हैं, इंजीनियरिंग किए हुए हैं, मेडिकल किए हुए हैं। वह स्किल डवलपमेंट आपकी मेहरबानी से नहीं हुआ है। वह हमने भी किया है।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): ...(व्यवधान) टोटल नौकरी दी है 6 लाख 15 हजार। (व्यवधान) 6 लाख 15 हजार 361 हैं, सुन लीजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय मंत्री महोदय, आप तो केवल निजी उपक्रम में बता दीजिये। असत्य बात है, असत्य। 6 लाख को नौकरी नहीं दी। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित एवं समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

(12.00 बजे)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्या की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर में विद्युत विहीन गांव-ढाणियों में विद्युत कनेक्शन देने के सम्बन्ध में;
2. श्री दर्शन सिंह एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र करौली में अधिशासी अभियंता (विद्युत) द्वारा गलत तरीके से वी.सी.आर. भरने तथा भारी अनियमितताएं किए जाने से किसानों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में;
3. श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से बाड़मेर क्षेत्र को चार आई.सी.डी.एस. भागों में बांटे जाने से जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में;
4. श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से स्वच्छ भारत विद्यालय अभियान के तहत एलबेन्डाजोल टेबलेट को सभी विद्यालयों में समान रूप से वितरित किए जाने के सम्बन्ध में;

(श्री अध्यक्ष)

5. श्री गिर्राज सिंह एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से जिला धौलपुर में वन विभाग में ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों के माध्यम से किये गये करोड़ों रुपये के घोटालों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में;

6. श्री भँवर सिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश में वन्य जीव प्रेमियों का मनोबल बढ़ाये जाने के लिए शौर्य पुरस्कार दिए जाने के सम्बन्ध में;

7. श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से पिटीशन संख्या 1416/1976, 3566/1994 व 3927/2001 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.12.13 की पालना नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में;

8. श्री पूरणमल सैनी, सदस्य की ओर से डा. बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा प्रदेश के विभिन्न विभागों में लगाये जाने के सम्बन्ध में;

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

9. श्री रामनारायण, सदस्य की ओर से नसीराबाद में नगरपालिका का गठन किये जाने के सम्बन्ध में;

10. श्री श्रवण कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में नगरपालिका चैयरमेन द्वारा अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर उत्तरधिकार प्रमाण पत्र जारी करने एवं पद का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में; एवं

11. श्रीमती अंजु देवी धानका, सदस्या की ओर से विधान सभा क्षेत्र बस्सी के राजकीय आश्रम छात्रावास भवन के जर्जर होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री रामनारायण, श्री श्रवण कुमार एवं श्रीमती अंजु देवी को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(श्री अध्यक्ष)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. डा. फूलचन्द भिण्डा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में मांग राशि जमा कराने के उपरांत भी आवेदकों को विद्युत कनेक्शन नहीं देने के सम्बन्ध में।
2. श्री कैलाश भंसाली, सदस्य की ओर से माध्यमिक शिक्षा में जोधपुर शहर की उपेक्षा करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
3. श्री अर्जुन लाल जीनगर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कपासन में उपखण्ड मुख्यालय पर अजवाइन मंडी खोलने के सम्बन्ध में।
4. श्री नारायण सिंह देवल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में गंदे पानी की निकासी हेतु सीवरेज लाइन डाले जाने के सम्बन्ध में।
5. श्री जगदीश नारायण, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में पटवारियों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में।
6. श्री राजेन्द्र गुर्जर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में स्थित मोतीसागर बांध की नहर की मरम्मत व रख-रखाव के लिए बजट उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
7. श्री नंदकिशोर महरिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर से निकलने वाले नेशनल हाईवे 65 तथा 11 का कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में।
8. श्री गुरजण्ट सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर को जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर से जोड़ने वाली सड़क स्टेट हाईवे-7-बी की अधूरी पड़ी 4 किलोमीटर सड़क को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।
9. श्रीमती राजकुमारी, सदस्या की ओर से नगर परिषद हिण्डौन में हुए करोड़ों रुपये के घोटाले की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में।
10. श्री गोपाल कृष्ण, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम की गंगाशहर क्षेत्र की डिस्पेंसरी को सैटेलाइट हास्पिटल का दर्जा दिए जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

11. श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना का सर्वे कराकर जरूरतमंद लोगों को योजना का लाभ प्रदान करने के सम्बन्ध में।

12. श्री राजेन्द्र सिंह यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में सीवर लाइन का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

मानननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को शून्य काल में बोलने हेतु 48 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नांकित हैं:-

1. श्री भागीरथ चौधरी, किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना किए जाने के सम्बन्ध में;
2. श्रीमती द्रोपती, पीलीबंगा नगरपालिका क्षेत्र में गंदे पानी की निकासी के सम्बन्ध में;
3. श्री समाराम गरासिया, सहायक निदेशक, कृषि (वि.) कार्यालय, पिण्डवाड़ा को बाड़मेर में स्थानान्तरित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में; एवं
4. श्री सुखराम विश्नोई, भारतीय खाद्य निगम के अलवर कैम्प में कथित रूप से हुए लाखों क्विंटल गेहूं के घोटाले के सम्बन्ध में।

श्री रामनारायण।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

नसीराबाद में नगरपालिका का गठन

श्री रामनारायण (नसीराबाद): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी को यह पूछना चाहता हूं कि नसीराबाद नगरपालिका गठन हेतु बार-बार घोषणा किये जाने के बाद भी धरातल पर कुछ भी नहीं है, जबकि नगरपालिका गठन के सभी मापदंड पूरे कर दिये गये हैं। इसी सत्र में मेरे द्वारा लगाये गये अतारांकित प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि नगरपालिका गठन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, लेकिन उसके बाद राज्य के बजट में इसकी कहीं भी घोषणा नहीं हुई है, न कोई जिक्र हुआ है। नसीराबाद

(श्री रामनारायण)

उप चुनाव 2014 में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने नसीराबाद दौरे के दौरान जनता से वादा किया था कि नगरपालिका गठन इसी साल कर दिया जाएगा, लेकिन नसीराबाद के नगरवासी अपने आपको ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।

नसीराबाद छावनी की स्थापना 1818 में हुई थी। वर्तमान छावनी में निर्वाचित आठ सदस्य हैं, आठ मनोनीत सदस्य हैं। यह प्रथम वर्ग की छावनी है। सांसद और विधायक इसमें आमंत्रित सदस्य हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये छावनी कैसे बना रखी है?

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हाउस कंट्रोल में नहीं है। छावनी बना रखी है।

श्री अध्यक्ष: आपकी बात बिलकुल वाजिब है। आप इसको छावनी मत बताइये। यह आपने बड़ा अच्छा पाइंट-आउट किया। वैरी गुड। बैठिये।

श्री रामनारायण (नसीराबाद): चैयरमेन सिटिंग में ब्रिगेडियर होते हैं। नसीराबाद छावनी की कुल जनसंख्या 50,800 जनगणना 2011 के अनुसार है। नसीराबाद छावनी की भूमि का वर्गीकरण रक्षा मंत्रालय व छावनी बोर्ड के अधीन है। नसीराबाद में जन हित के विकास सम्बन्धित सार्वजनिक कार्य भी छावनी मंडल की एन ओ सी के बिना नहीं कराये जा सकते हैं, जैसे छोटी-छोटी चीजें, हैंडपंप लगाना, सार्वजनिक शौचालय, मूत्रालय और साथ ही सामुदायिक भवनों की मरम्मत कराना है। माल रोड, सार्वजनिक उद्यान में जाने के रास्ते भी नागरिकों के लिए बंद कर दिये गये हैं। राजस्थान में नसीराबाद ही ऐसा शहर है जिसमें सिर्फ कटक मंडल ही है जबकि अजमेर, जोधपुर में कटक मंडल के साथ-साथ नगर निगम भी हैं।

नसीराबाद में निवास कर रहे बी पी एल के परिवारों को राज्य सरकार की मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया हुआ है। बी पी एल परिवारों को आवास निर्माण का अनुदान व आवास बनाने के लिए अनुमति भी नहीं मिल पा रही है। यहां ये बी पी एल परिवार नि:शुल्क पानी, बिजली व गैस कनेक्शन भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। सभी ए पी एल और बी पी एल परिवारों को शौचालय निर्माण के अनुदान की सुविधा भी नहीं है।

आम नागरिक को दुकानों, मकानों के लिए व्यापार करने के लिए कोई

(श्री रामनारायण)

भी लोन की सुविधा नहीं मिल पा रही है। बालिकाओं के लिए एक छोर में विद्यालय है, दूसरे छोर में अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र होने के बाद भी जमीन नहीं मिल पा रही है। नगरपालिका होने के साथ-साथ यहां विद्यालयों की बहुत ही कमी का कारण, कैंटोनमेंट बोर्ड होने के कारण नहीं हो पा रहा है। जमीन के अभाव में नसीराबाद में अनुसूचित जाति, जनजाति विद्यार्थियों के लिये कोई छात्रावास भी नहीं बन पाया है। नसीराबाद में छावनी होने से लघु कुटीर उद्योग भी नहीं लगाये जा सके हैं जिससे निरन्तर बेरोजगारी फैल रही है।

मेरा आपसे अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण कार्यवाही कर माननीय मंत्रीजी को इस बात के लिये बतावें कि नगरपालिका अति आवश्यक है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री श्रवण कुमार। श्रवण कुमार जी, बैठिये वे रेस्पोंड कर रहे हैं। रामनारायण जी के स्थगन प्रस्ताव पर वे रेस्पोंड कर रहे हैं। करने दीजिए। उनका उद्देश्य पूरा हो जायेगा। फिर आपका भी करा देंगे।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपका आदेश सर माथे है।

श्री अध्यक्ष: बड़े भले आदमी हो। ऐसा भला एम एल ए ही नहीं है यहां।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): श्रवण कुमार तो हमेशा भले ही होते हैं। आज तक का इतिहास यही रहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि नसीराबाद सबसे पुरानी छावनियों में से एक है। यह बात भी सही है कि आपने जो प्रश्न मुझसे पूछा था, उस प्रश्न में मैंने आपको निवेदन किया था कि हम नसीराबाद के कैन्टोनमेंट इलाके से निकालकर कुछ हिस्से को नगरपालिका में परिवर्तित करना चाहते हैं। मैंने जवाब में यह भी निवेदन किया था कि हमने यह प्रक्रिया शुरू की है। मैंने इस आधार पर किया था कि 13.2.2016 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी की बैठक हुई थी। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कलेक्टर अजमेर को हम कहेंगे कि वह नसीराबाद के कुछ इलाके को कैन्टोनमेंट से बाहर निकालकर नगरपालिका बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजें। उसके आधार पर कलेक्टर को पत्र लिखा गया। कलेक्टर ने उस पत्र का जवाब भी

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

16 मार्च को दिया, लेकिन 16 मार्च को जवाब आया वह प्रस्ताव के रूप में नहीं आया। अगर वह प्रस्ताव के रूप में आता तो निश्चित रूप से दिल्ली की सरकार को हम इसको डिनोटिफाई करने के लिये लिखते।

मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि कैन्टोनमेंट एक्ट 2006 के सेक्शन 4 के तहत ही कोई इलाका कैन्टोनमेंट इलाके से बाहर आ सकता है। सैक्शन 4 यह कहता है, "The Central Government may after consulting the State Government and the Board concerned, by notification in the Official Gazette, declare its intention to include within the cantonment any local area situated in the vicinity thereof or to exclude from the cantonment any local area comprised therein."

इसका मतलब यह नोटिफिकेशन राजस्थान सरकार का नहीं होगा, यह नोटिफिकेशन सैंट्रल गवर्नमेंट का होगा। सैंट्रल गवर्नमेंट यह नोटिफिकेशन इश्यू करेगी स्टेट गवर्नमेंट के कन्सलटेशन में और उस कैन्टोनमेंट के कन्सलटेशन में। अभी जब कलेक्टर का प्रपोजल हमारे पास में आयेगा, उस प्रपोजल को हम गवर्नमेंट आफ इंडिया को भेजेंगे। गवर्नमेंट आफ इंडिया से बात करने के बाद, गवर्नमेंट आफ इंडिया राजस्थान की सरकार से कन्सलटेशन करेगी और न केवल राजस्थान की सरकार से कन्सलटेशन करेगी बल्कि नसीराबाद बोर्ड से भी कन्सलटेशन करेगी। इन तीनों के कन्सलटेशन के बाद में, इन तीनों की conference के बाद में, सैंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जारी करेगी। जिस पब्लिक नोटिफिकेशन के तहत 8 हफ्ते में किसी को आब्जेक्शन है या नहीं है, यह आब्जेक्शन मांगेगी और उसके बाद एक प्रक्रिया शुरू हो सकती है।

इसलिए, माननीय सदस्य, प्रक्रिया शुरू कर दी है लेकिन प्रक्रिया इतनी cumbersome है, इतनी लम्बी है कि उस प्रक्रिया में समय लग सकता है। मैं इतना आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार के पक्ष में हम दिल्ली की सरकार को लिखने में, दिल्ली की सरकार को इस बात के लिए कहने के लिए कि नसीराबाद के कन्टोनमेंट के कुछ इलाके को नगरपालिका में तब्दील कर लिया जाय। ऐसा अंबाला में हुआ है। अंबाला का पूरा इलाका पहले कैन्टोनमेंट एरिया में आया करता था। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रद्युम्न सिंह जी फरमा रहे हैं, आगरा में भी हुआ है। अंबाला की मुझे जानकारी थी। अंबाला के आधार पर हम दिल्ली की सरकार को लिखेंगे।

मैं समझता हूं कि जल्दी से जल्दी कलेक्टर अजमेर का यह प्रस्ताव इस बारे में आ जायेगा। प्रस्ताव आने के बाद हम दिल्ली की सरकार को

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

लिखेंगे और दिल्ली की सरकार को लिखने के बाद कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन जारी हो, आब्जेक्शन लिये जाये। नसीराबाद के जिन लोगों को विभिन्न प्रकार की परेशानियां सिर्फ इसलिए आ रही हैं कि वह नगर पालिका क्षेत्र में नहीं है, कैन्टोनमेंट का इलाका रीडिफाइन कर दिया जाये, नगरपालिका का इलाका रीडिफाइन कर दिया जाये, नगरपालिका के चुनाव हो जायें और उन सब समस्याओं की चर्चा जो आप कर रहे हैं उन समस्याओं को निदान करने की चिंता हम सबको बराबर है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से उस मामले में कोई कोताही नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष: श्री श्रवण कुमार।

सूरजगढ़ नगरपालिका चेयरमैन द्वारा अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, सूरजगढ नगर पालिका के चेयरमैन ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए 2.2.2016 को दो लाख रुपये लेकर उत्तरधिकार प्रमाण पत्र दे दिया। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र देने का अधिकार केवल सैशन जज को होता है, और कोई नहीं दे सकता। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, इस तरह से किसी के अधिकार का कोई अधिकारी उपयोग करने लग जायेगा तो, अध्यक्ष महोदय, आप बता दो, अध्यक्ष तो आप ही हों, राजस्थान में चाहे जो बैठ जायेगा अध्यक्ष बनकर, तो काम चलेगा क्या? इसलिए पैसा लेकर पद का दुरुपयोग करना और उस प्रमाण पत्र को देना यह बहुत ही बड़ा निंदनीय है।

मैं मंत्रीजी से एक निवेदन करूंगा कि अखबारों में भी आ गया, अखबारों में छपा है और मैंने आपके माध्यम से इनको सूचित भी कर दिया है। इसकी जांच करवाकर जो लोग दोषी पाये जायें, उन लोगों को दंडित किया जाये। यह नहीं बात करके, कर दिया जायेगा, जांच करवा ली जायेगी। जांच तो स्पष्ट है, यह प्रमाण-पत्र मेरे साथ है, यह पूरे राजस्थान के अख़बार में आई है। उसके बाद में चेयरमैन क्या कहता है कि और चाहिये तो और बता दो, और दे दूंगा। इसका मतलब यह तो दादागीरी हो गई और आपके होते दादागीरी चल सकती है क्या? दादा तो एक ही होता है, दादागीरी करने के लिये। सब लोग दादागीरी कैसे करेंगे? आपकी तो चल सकती है, आप तो राजस्थान के शेर हो, पर सबको शेर कैसे बना रहे हों? मेरा निवेदन है कि मेरी बात को ध्यान से सुना जाये..

श्री अध्यक्ष: गम्भीरता से।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): गम्भीरता से सुना नहीं जाये, गम्भीरता से उस पर एक्शन लिया जाये। एक्शन नहीं होगा तो रिएक्शन होगा और रिएक्शन होगा तो नुकसान होगा। इसलिए एक्शन होना चाहिये। मंत्रीजी वैसे तो ईमानदार व्यक्ति है, मुझे मालूम है।

श्री अध्यक्ष: वे जवाब दे रहे हैं आपकी बात का।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट करने का अधिकार केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को है। यह सही है। Indian Succession Act, 1925 की धारा 372 के तहत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है, यह बात सही है, लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की विभिन्न नगरपालिकाओं में छोटे-छोटे लोग आते हैं जिनके मां-बाप की मृत्यु होने के बाद अपनी झोंपडी को इधर से उधर कराना चाहते हैं। तो वह उत्तरधिकार प्रमाण पत्र तो नहीं, पर कुर्सीनामा नाम की कोई चीज कई नगर पालिकाओं में लिखते आये हैं, पार्षद भी लिखते आये हैं; चेयरमैन की बात अलग है। लेकिन जिस चेयरमैन की आपने बात की, सही है, उसमें ऊपर लिखा है 'उत्तरधिकार प्रमाण पत्र'। यह आपने मुझे दिखाया है, यह मेरे पास भी है, पर मेरे पास में केवल चेयरमैन का ही नहीं है, मेरे पास डिप्टी चेयरमैन साहब ने भी दो आदमियों को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र दिये गये हैं, उसके कागज भी हैं। एक का नाम है नागरमल पुत्र दूलाराम और दूसरे का नाम है रामजीलाल पुत्र गणेशराम। ये दो उत्तरधिकार प्रमाण पत्र डिप्टी चेयरमैन ने भी दिये हैं।

इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बड़ी खुशी की बात है, राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि नगरपालिकाओं के पार्षद के चुनाव में दसवीं तक की योग्यता उन्होंने जरूरी कर दी, वरना उत्तराधिकार प्रमाण पत्र इसके पहले तो बहुत नगरपालिकाओं के उप चेयरमैन ने बहुत जगह दिये हैं। जैसा मैंने निवेदन किया, कई लोग कुर्सीनामे के बीच में, उत्तरधिकार प्रमाण पत्र के बीच में अंतर नहीं कर पाये। लेकिन जो प्रमाण पत्र चाहे चेयरमैन ने दिये हों या डिप्टी चेयरमैन ने दिये हों, वे गलत हैं। उनको खारिज कर दिया जायेगा। इन दोनों प्रमाण पत्रों का कोई दुरुपयोग अभी तक तो नहीं हुआ; न तो चेयरमैन के दिये

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

हुए का हुआ है और न डिप्टी चेयरमैन के दिये हुए का हुआ है, लेकिन दुरुपयोग नहीं हुआ, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें अधिकार है। यह बात सही है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): दो लाख रुपये रिश्वत के लिये। वह तो काम में ले ही लिये होंगे।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इसकी जानकारी आपने मुझे दी होती तो उसकी भी जांच करा लेते, दो लाख किसने लिये, डिप्टी चेयरमैन ने कितने लिये। मुझे नहीं मालूम, पर मैं इतना निवेदन कर सकता हूं कि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र देने का राइट न तो चेयरमैन को था, न वाइस चेयरमैन को था, पर परम्परागत रूप से राजस्थान की नगरपालिकाओं में कई सालों से लोग यह कुर्सीनामा लिखते हैं और उसके आधार पर पेरेंटल प्रोपर्टीज को कन्वर्ट करते आये हैं। लेकिन फिर भी इस प्रकार के निर्देश दे दिये जायेंगे कि राजस्थान की किसी भी नगरपालिका में कोई उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करना, जो कि कानूनी रूप से उसके लिए सम्भव नहीं हो, वह नहीं हो। फिर भी अगर उसका दुरुपयोग हुआ है, तो मेरी जानकारी में ला दें, एफ आई आर दर्ज करानी होगी तो एफ आई आर दर्ज करायेंगे, बाकी कोई कार्यवाही करनी हो तो बाकी कार्यवाही करेंगे। लेकिन एक चेयरमैन के खिलाफ यह कार्यवाही करेंगे और राजस्थान की बाकी नगर पालिकाओं में लोगों ने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र दे दिये हों, उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करेंगे, ऐसी स्थिति नहीं होगी। अगर इसके आधार पर कार्यवाही करेंगे ...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं कब कह रहा हूं, मत करो? मैं तो कह रहा हूं, करो ना। करो ना।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): तो उसके आधार पर हम कार्यवाही करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की गलती के लिए कार्यवाही करेंगे, तो पूरे राजस्थान में जहां-जहां भी नगर पालिकाओं के अध्यक्ष ने, नगरपालिकाओं के वाइस चेयरमैन ने या पार्षदों ने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर दे दिये हैं, उसकी जांच करा लेंगे और जांच के आधार पर अगर कोई आफेंस बनता है, उस आफेंस के तहत हम निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अंजू देवी।

बस्सी का जर्जर राजकीय आश्रम छात्रावास भवन

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया नियम 50 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बस्सी, जिला जयपुर में संचालित राजकीय आश्रम छात्रावासों के सम्बन्ध में आपने बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, जयपुर जिले के विधान सभा क्षेत्र बस्सी में जयपुर-आगरा हाईवे पर बस्सी उपखण्ड में झर गांव में मांडा योजनान्तर्गत वर्ष 1984 में राजकीय आश्रम छात्रावास खोला गया। इसमें बस्सी समेत आसपास के क्षेत्र के आर्थिक रूप से तंग अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु प्रवेश दिया गया। कक्षा तीन से आठवीं तक संचालित इस छात्रावास में दौसा व जयपुरजिले के कई गांव की बालिकाएं अध्ययनरत हैं। इसमें दो कमरे जर्जर हालात में हैं।

इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है और वह सब मैं एज-इट-इज नहीं पढ़ना चाहती । मैं तो सिर्फ मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि खाली यह पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, आप इसको फील भी करें। इसलिए मैं लिखा हुआ न बोलकर, कहना चाहूंगी कि हम अपने बच्चों को इतने बढ़िया से बढ़िया हास्टल में डालने की कोशिश करते हैं और सरकार अपने स्तर छात्रावासों का निर्माण भी करती है, बनाती भी है, कई बनाये हैं। अध्यक्ष महोदय, यह छात्रावास 1984 का है। आप यह अंदाजा लगाइए कि 1984 से अब तक उसकी कोई मरम्मत नहीं हुई है। उस टाइम पर लेंटर नहीं डला करते थे, टुकड़ियों पर बनते थे। तो वे टुकड़ियां गिरने की अवस्था में हैं। मौत के डर के साये में वे बच्चे वहां पर रह रहे हैं। तो हमें अपने आप में संवेदनशील होकर खुद इस चीज को पूरे राजस्थान में चिह्नित करना चाहिए कि 1984 के जो बने हुए हैं उनको खुद ही देखकर उनको रिन्यू करना चाहिए, ठीक करना चाहिए।

वहां पर बालिकाओं की देखभाल के लिए सिर्फ एक वार्डन है, एक कोच है, खाना बनाने के लिए एक है और चौकीदार समेत सिर्फ सात कर्मचारी वहां पर कार्यरत हैं। लड़कियों के लिए, छात्राओं के लिए वहां पर सिर्फ पांच कमरे हैं।

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

(12.22 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहूंगी कि अभी-अभी कई छात्रावासों में मैं जाकर आई हूं। वहां इतनी दु:खद स्थिति थी कि कभी-भी पट्टियां अगर गिरती हैं तो दो-चार बच्चों का मरना तय है। मैं चाहूंगी कि 1984 की जर्जर अवस्था को देखते आप उसे जल्द से जल्द ठीक कराने की कोशिश करें, नहीं तो कोई भी हादसा हो सकता है।

इसके अलावा, मैं एक और कस्तूरबा गांधी छात्रावास में गई थी। वहां पर जो वार्डन बिल बनाती है, उन बिलों में प्रिंसिपल को कैश विथ्ड्राअल करती है और सरकार को जो बिल पेश करती है, उसमें जमीन-आसमान का अंतर है। उसमें लाखों का घोटाला हुआ है। वहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि प्रिंसिपल तीन हजार से ज्यादा का कैश चैक से निकाल नहीं सकती। वे कैश दे नहीं सकते, वह दूध वाले को भी कैश देती है, वह फल वाले को भी कैश देती है और वह पैसा स्वयं जाकर निकालती है। उसके स्टेटमेंट का मेरे पास रिकार्ड है। उस छात्रावास में बच्चों को पैरेंट्स से मिलने नहीं दिया जाता। यह सारी समस्याएं बच्चों के पैरेंटस ने हमको आकर कही थी कि हमें बच्चों से मिलना है, कृपया आप हमें बच्चों से मिलवा दीजिए। तब मैंने खुद जाकर वहां पर देखा तो स्थिति बहुत ही दयनीय थी। मैं यह भी जानती हूं कि दूध का जो बिल उठाया जाता है, मैंने वहां जाकर जब बच्चों से पूछा तो पता चला कि वहां दूध कुछ नहीं दिया जाता, उनका सिर्फ बिल ही उठाया जा रहा है। दूध वाले से जब पूछा तो उन्होंने मुझे पूरे महीने का सिर्फ पांच किलो बताया । उसने बताया कि मैडम, सिर्फ पांच किलो दूध हम स्कूल में देकर आते हैं। अब पाच किलो दूध से एक महीने में कैसे काम चलता है? मेरी समझ से परे है।

माननीय मंत्रीजी, बालिकाओं को अव्यवस्था के चलते रोज हर वक्त इस चीज का भय रहता है कि कब उनके ऊपर सीढ़ियां गिर जाएंगी और कब उनका अंत हो जाएगा। छात्रावास प्रबंधन एवं अभिभावक उच्च अधिकारियों को समस्याओं से अवगत करा चुके हैं, लेकिन कार्यवाही नहीं हो रही है। एक तरफ आप बेटियों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ छात्राओं को अनदेखा कर रहे हैं। खतरे के बीच पढ़ने वाली इन छात्राओं के लिए आप जरूर कुछ न कुछ करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप जवाब देंगे तो और भी अच्छा होगा।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बस्सी से आने वाली माननीय सदस्या ने जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित, इनके निर्वाचन क्षेत्र में जो आश्रम छात्रावास संचालित हो रहे हैं, उनकी अव्यवस्था के बारे में सदन को अवगत कराया। उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2015-16 में जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित बालक और बालिकाओं के आश्रम छात्रावासों, चाहे वे ट्राइबल सब प्लान एरिया के छात्रावास हों, माडा क्षेत्रों एवं माडा क्लस्टर के हों या बिखरी हुई आबादी के हों, जहां-जहां भी विभाग द्वारा छात्रावास भवनों के हालात के बारे में जो रिपोर्ट आई है, उसके हिसाब से सभी की मरम्मत के लिए पैसा जारी कर दिया है। परन्तु माननीय सदस्या ने यह बताया कि बस्सी विधान सभा क्षेत्र के छात्रावास में दो कमरे ऐसे हैं, जो 1984 के बने हुए हैं। मैं यहां सदन को यह आश्वस्त कर देना चाहता हूं, यदि माननीय सदस्य मुझे कहेंगे तो इनके साथ चलकर मैं मौके पर देखने के लिए तैयार हूं, और जल्दी से जल्दी उसकी मरम्मत हो और भी जो शिकायतें आपने उजागर की हैं, उनका क्या समाधान हो सकता है, आज ही मैं अधिकारी को निर्देशित करूंगा कि वे मौके पर जाकर इनका समाधान करें।

श्री उपाध्यक्ष: प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत। डा. फूलचन्द भिण्डा।

(अनुपस्थित)

श्री कैलाश भंसाली

(अनुपस्थित)

संसदीय कार्य मंत्री महोदय, अगर सदस्य आज हाउस में उपस्थित हैं और 295 की रीडिंग में नहीं आये हैं तो पहले भी आसन आपको निवेदन कर चुका है, अब इस बात को बार-बार हम टोलरेट नहीं करेंगे। वैसे आसन आज की अटेंडेंस शीट मंगायेगा।

श्री अर्जुन लाल जीनगर।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

कपासन में उपखण्ड मुख्यालय पर अजवाइन मण्डी की मांग

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): +++

श्री उपाध्यक्ष: आप पढ़ रहे हैं या......?

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): यह इसमें लिखा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, विराज जाएं। आप 295 पढ़ रहे हैं?

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, एक बार विराज जाएं। आसन ने कई बार आप लोगों से निवेदन किया है कि 295 में वह ही पढ़ें जो आपने प्रस्तुत किया है।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): वह ही।

श्री उपाध्यक्ष: अक्षरशः आपने ऐसा ही पढ़ा है?

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): दो-तीन अक्षर चेंज हो सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: यह 295 निरस्त किया जाता है।

श्री नारायण सिंह देवल।

रानीवाड़ा में गंदे पानी की निकासी हेतु सीवरेज लाइन

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख कर मान्यवर जी, निवेदन है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा जो जिला जालौर में है, यह अन्तरराज्यीय सीमा पर स्थित है। विधान सभा क्षेत्र की 55 ग्राम पंचायतों में रानीवाड़ा जो कि विधान सभा क्षेत्र की एक बड़ी ग्राम पंचायत है, जो उपखण्ड मुख्यालय है, इस ग्राम पंचायत में घरों की नालियों से निकलने वाले गंदे पानी की निकासी का उचित साधन नहीं होने के कारण यह पानी नालियों में भरा रह जाता है। इस गंदे पानी की निकासी के लिए रानीवाड़ा उपखण्ड मुख्यालय पर सीवरेज की व्यवस्था किए जाने हेतु मांग की जा रही है, मगर सीवरेज व्यवस्था शहरी क्षेत्र होने पर ही सम्भव बताई गई है, रानीवाड़ा ग्राम पंचायत की आबादी करीब 15,000 है और 15,000 की आबादी के लिए पंचायत द्वारा निर्मित नालियों से गंदे पानी की निकासी सम्भव नहीं है। ग्राम पंचायत के पास निजी आय कुछ भी नहीं है, जिस कारण सफाई और गांव में बिजली की व्यवस्था पर्याप्त नहीं हो पा रही है। ग्राम पंचायत रानीवाड़ा में गंदे पानी की निकासी के लिए सीवरेज की व्यवस्था ही बेहतर साधन है।

मुख्यमंत्री स्वच्छ ग्राम योजना से ग्राम स्तर पर इस कार्यक्रम को सफल बनाये जाने के लिए क्षेत्र की आबादी में, बड़ी ग्राम पंचायत में सीवरेज व्यवस्था लागू किए जाने से उन पंचायतों के विकास के कार्य अच्छे ढंग से हो पायेंगे।

(श्री नारायण सिंह देवल)

अतः मैं निवेदन करना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की ग्राम पंचायत रानीवाड़ा में सीवरेज व्यवस्था लागू किए जाने से 15,000 की आबादी को लाभ मिलेगा और भविष्य में भी आबादी बढ़ेगी। इसलिए 15,000 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में सीवरेज व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जगदीश नारायण।

जमवारामगढ़ में पटवारियों के रिक्त पद

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में राजस्व विभाग के विभिन्न पद काफी सालों से रिक्त चल रहे हैं जिसके कारण आम जनता के कार्य समय पर नहीं हो रहे हैं एवं क्षेत्र की जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

वर्तमान में मेरे विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में राजस्व विभाग के राजस्व निरीक्षक/गिरदावर के 15 पद स्वीकृत हैं जिनमें 7 पद वर्ष 2015 से रिक्त चल रहे हैं। इसी प्रकार से पटवारियों के 49 पद स्वीकृत हैं और वर्तमान में 28 पटवारियों के पद रिक्त चल रहे हैं और बड़े दु:ख की बात है कि ये करीब 2013 से रिक्त चल रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे क्षेत्र के निवासियों के काम कैसे होंगे। मेरे क्षेत्र के पटवार वृत्त गांवली, बहलोड, रायसर महंगी, थौलाई, भावनी, सामरेडकलां, माथासुला, डांगरवाड़ा, खरकड़ा, लांगड़ियावास, चावंडिया, जयचन्दपुरा, बासना, थली, राम्यावाला, नटाटा, नेवर, सानकोटड़ा, इन्द्रगढ़, ताला, लालवास, खवारानीजी, नीमला, धर्मपुरा, रूपवास, बिलोद, इत्यादि गांवों में तो एक भी पटवारी वर्तमान में कार्यरत नहीं है जिसके कारण क्षेत्र की जनता के सारे कार्य ठप पड़े हुए हैं।

अतः इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मंत्रीजी से पुरजोर शब्दों में मांग है कि जन हित में मेरे विधान सभा क्षेत्र में उक्त खाली पड़े पदों का शीघ्रताशीघ्र भरने के आदेश प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राजेन्द्र गुर्जर।

देवली-उनियारा के मोतीसागर बांध की नहर की मरम्मत व रखरखाव

श्री राजेन्द्र गुर्जर (देवली-उनियारा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि मेरे

(श्री राजेन्द्र गुर्जर)

विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में स्थित मोतीसागर बांध का लगभग 50 वर्ष पूर्व निर्माण करवाया गया था। इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य आसपास के ग्रामीणों को सिंचाई के लिए पानी मुहैया करवाना था। मोतीसागर बांध निर्माण में बांध की जल भराव क्षमता की परिधि में आने वाले ग्रामीणों की खातेदारी की भूमि को सरकार द्वारा अवाप्त किया गया था जिसमें से कुछ खातेदारों को तो उसी समय भुगतान कर दिया गया था किन्तु आज भी सैकड़ों खातेदार भूमि अवाप्ति की एवज में मिलने वाले मुआवजे से वंचित हैं जिसके कारण गरीब किसान आर्थिक तंगी से परेशान हो रहा है। अतः मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि जिन किसानों को भूमि अवाप्ति का मुआवजा दिया जाना शेष है, उनको जल्द से जल्द मुआवजे का लाभ दिया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि मोतीसागर बांध की गहराई/जल भराव क्षमता लगभग 17 फीट है। इस बांध की नहर के माध्यम से आसपास की कई ग्राम पंचायतों के हजारों किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाता रहा है। इस बांध की नहर के द्वारा ग्राम धुंआकला, मेहमूदगंज, भरनी, थली, महुआ, छान, दाखिया, आदि गांवों को पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है किन्तु रखरखाव के अभाव में काफी वर्षों से इस बांध के पेटे में मिट्टी जमा होने से बांध के जल भराव में कमी आई है जिसके कारण नहर की टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है और यदि यही हालात रहे तो स्थानीय किसानों की जीवनदायनी कही जाने वाली इस नहर में बहता हुआ पानी नहीं दिखेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि मोतीसागर बांध एवं इसकी नहर के मरम्मत तथा रखरखाव के लिये बजट उपलब्ध करवाकर स्थानीय किसानों को राहत पहुंचाएं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नंद किशोर महरिया।

फतेहपुर से निकलने वाले नेशनल हाईवे 65 तथा 11 का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाना

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि फतेहपुर विधान

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

सभा क्षेत्र से निकल रहे एन एच 65 का कार्य हाईवे स्वीकृत होने के 12 वर्षों बाद भी पूर्ण नहीं हुआ है। फतेहपुर से सालासर के बीच पूर्ण यह कार्य कई वर्षों तक शुरू नहीं हुआ था, जबकि अब शुरू तो हो गया लेकिन बंद पड़ा हुआ है। हाईवे के लिए किसानों से जमीन कई वर्षों पहले ले ली गई थी। उसके बावजूद भी कार्य पूर्ण नहीं किया गया। इससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा इसके साथ ही प्रोजेक्ट की लागत भी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकार व जनता पर इसका भार पड़ रहा है। हरियाणा, पंजाब से सालासर हजारों यात्री आते हैं। हाईवे पूर्ण नहीं होने से उन्हें करीब 30 किमी. का ज्यादा सफर तय करना पड़ता है तथा जोखिम उठाना पड़ता है। विभाग को बार-बार अवगत करवाने के बाद भी हाईवे का कार्य शुरू नहीं करवाया जा सका।

वहीं बीकानेर से रेवाड़ी वाया फतेहपुर के लिए दो वर्ष पहले नेशनल हाईवे 11 की घोषणा की गई। नेशनल हाईवे 11 का कार्य फतेहपुर से बीकानेर का पूर्ण है लेकिन फतेहपुर से रेवाड़ी का कार्य अभी तक शुरू भी नहीं किया गया है। फतेहपुर से मंडावा, झुंझुनूं होकर यह हाईवे निकलना प्रस्तावित है। इसके चलते फतेहपुर से मंडावा जाने वाले सड़क मार्ग को क्षतिग्रस्त होने के बावजूद भी राज्य सरकार ने सही नहीं करवाया। वर्तमान में फतेहपुर से मंडावा मार्ग की हालत बेहद खराब है। सड़क पर इतने गड्ढे हैं कि दो पहिया वाहन भी नहीं चल सकते हैं। बड़े वाहनों व यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फतेहपुर से मंडावा के 20 किमी. के सफर में एक घंटा लग जाता है तथा वाहनों का नुकसान भी होता है। यह मार्ग बीकानेर से दिल्ली जाने का मुख्य मार्ग है। इस पर दिन भर हजारों विदेशी पर्यटक सहित आम लोग निकलते हैं। ऐसे में इसका निर्माण करवाना बेहद जरूरी है। स्वीकृति के दो वर्ष बाद भी निर्माण नहीं होने से निर्माण की लागत भी बढ़ रही है तथा लोगों को परेशानी भी हो रही है।

अतः निवेदन है कि उक्त दोनों हाईवे का कार्य शीघ्र पूर्ण करवाकर क्षेत्र की जनता को राहत दी जाए।

एक निवेदन आपसे है, जैसी आप व्यवस्था दे रहे हैं, सम्बन्धित मंत्री भी अगर मौजूद रहें तो ज्यादा अच्छा है। थैंक यू।

श्री उपाध्यक्षः इस पर नहीं आ सकता। It is not possible.

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री गुरजंटसिंह जी

(अनुपस्थित)

श्रीमती राजकुमारी।

हिण्डौन नगर परिषद में करोड़ों रुपये का घोटाला

श्रीमती राजकुमारी (हिण्डौन): उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि नगर परिषद हिण्डौन में खारे नाले के काम की लगभग 17 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी हुई थी, जिसका काम बहुत ही घटिया क्वालिटी का हुआ है। जिस नाले का काम करवाया गया है, नाले में गंदगी जमा थी, गंदगी के ऊपर पटाव कर दिया गया है, यानी कि ढक दिया गया है इससे शहर के पानी का निकास बंद हो गया है । इससे शहरवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसी नाले के पास में शहर हिण्डौन की सब्जी मण्डी है। नाला बंद करने के कारण सब्जी मण्डी में गंदा पानी भर गया है जिससे सब्जियां भी खराब हो जाती हैं व शहर में खतरनाक बीमारियां फैल रही हैं।

दिनांक 14.03.15 को सब्जी मण्डी के क्रेता व विक्रेता एवं स्थानीय नागरिकों द्वारा धरना-प्रदर्शन भी किया गया लेकिन विभागीय अधिकारी/कर्मचारी लापरवाही कर रहे हैं एवं नगर परिषद हिण्डौन के आयुक्त भी इस समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं व इस समस्या को गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं तथा कार्यकारी एजेंसी (रावील) से मिलीभगत कर कार्य पूर्ण नहीं करने पर भी कार्य की सम्पूर्ण राशि ट्रांसफर कर दी गई है।

इस सम्बन्ध में पूर्व में भी मेरे द्वारा चर्चा की गई थी, जिस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

अतः स्वायत्त शासन मंत्री महोदय से निवेदन है कि नगर परिषद हिण्डौन में हुए करोड़ों रुपये के घोटाले में लिप्त आयुक्त एवं सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध जांच कर कार्यवाही करते हुए कार्यकारी एजेंसी (रावील) के विरुद्ध भी कार्यवाही कराने की कृपा करें। धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय विराजमान हैं।

श्री उपाध्यक्ष: इसमें मंत्री महोदय सदन में जवाब नहीं देते हैं। विराज जाएं।

डा. गोपाल जोशी।

बीकानेर पश्चिम की गंगाशहर क्षेत्र की डिस्पेंसरी को सैटेलाइट हास्पिटल का दर्जा

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत निवेदन है कि बीकानेर पश्चिम क्षेत्र में गंगाशहर में एक डिस्पेंसरी है, जिसमें निरन्तर मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बीकानेर पी.बी.एम. हास्पिटल की दूरी अधिक होने के कारण मरीजों को गंगाशहर से पी.बी.एम. जाने में अधिक समय लगता है। चूंकि इस डिस्पेंसरी के अन्तर्गत गंगाशहर, भीनाशहर, किशमीदेसर, सुजानदेसर, गोपेश्वर बस्ती, आदि अनेक गांव व मोहल्ले आते हैं, आपातकालीन स्थिति में वहां कोई व्यवस्था नहीं है।

आपके द्वारा चिकित्सा क्षेत्र को अच्छा पैकेज देने एवं बीकानेर क्षेत्र की एक आवश्यक मांग को देखते हुए, बीकानेर में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र को सही दिशा देने के उद्देश्य से हमने निरन्तर चार वर्षों से इसकी मांग की है, पर किन्हीं कारणों से गंगाशहर डिस्पेंसरी को सैटेलाइट हास्पिटल का दर्जा नहीं मिल सका है।

अत:, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि बीकानेर व आसपास के क्षेत्र की जनता की भावना को दृष्टिगत रखते हुए इसी बजट सत्र में गंगाशहर डिस्पेंसरी को सैटेलाइट हास्पिटल का दर्जा देने के साथ ही वहां पर स्पेशलिस्ट डाक्टर्स, सर्जन, गाइनेकोलोजिस्ट, मेडिसिन की नियुक्ति की आवश्यकता है। सधन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री संदीप शर्मा।

खाद्य सुरक्षा योजना का सर्वे

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत सदन का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना लागू हो चुकी है, लेकिन प्रदेश में अभी भी जरूरतमंद लोगों को इस योजना का पूरी तरह से लाभ नहीं मिल पा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, कोटा शहर में बिना कोई सर्वे किये आर.ए.वाई. (राजीव आवासीय योजना) को आधार मानकर ही खाद्य सुरक्षा योजना लागू कर दी गयी है। राशन विक्रेताओं को राजीव आवास योजना की सर्वे सूची

(श्री संदीप शर्मा)

पकड़ा दी गयी और उसी आधार पर राशन का वितरण वर्तमान में किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, राजीव आवास योजना कोटा शहर की कच्ची बस्तियों में रहने वाले गरीबों को आवास उपलब्ध करवाने की एक योजना है। इस योजना के तहत कच्ची बस्ती में रहने वाले गरीबों को आवास उपलब्ध करवाने के लिए जो सर्वे किया गया, उसी आधार पर खाद्य सुरक्षा योजना को लागू कर दिया गया है। जबकि राजीव आवास, खाद्य सुरक्षा अधिनियम से बिलकुल भिन्न है। दोनों योजनाओं के उद्देश्य अलग-अलग हैं। राजीव आवास योजना के सर्वे में कई गरीब लोगों का सर्वे नहीं हो पाया। इस सर्वे में केवल मकान मालिक एवं उसके परिवार का ही नाम शामिल है लेकिन मकान में रहने वाले किरायेदारों, उसके पुत्र आदि के परिवार का नाम इस सर्वे सूची में शामिल नहीं हो पाया। एक मकान में ही तीन-चार राशन कार्ड धारियों के राशन कार्ड बने हुए हैं। आर.ए.वाई. योजना के अन्तर्गत मात्र एक ही व्यक्ति का चयन किया गया, जिससे कई ऐसे परिवार जो किराये के मकानों में रह रहे हैं, वे इस योजना में लाभान्वित होने से वंचित हो गये।

उपाध्यक्ष महोदय, अकेले कोटा शहर में हजारों की संख्या में ऐसे जरूरतमंद लोग/परिवार हैं, जिन्हें अभी तक खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। इसलिये जब ये लोग राशन सामग्री लेने के लिये राशन की दुकानों पर जाते हैं तो सर्वे सूची में उनका नाम शामिल नहीं होने से उन्हें राशन नहीं मिलता। इसके साथ ही कई पेंशनधारी ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से सम्पन्न हैं, लेकिन उन्हें भी खाद्य सुरक्षा का लाभ दिया जा रहा है।

राज्य सरकार ने अभी जो नये राशन कार्ड जारी किये हैं, उनमें खाद्य सुरक्षा की मोहर नहीं लगाई जा रही है, जिससे नये लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं जुड़ पाये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार के समय में इस योजना का राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से कई लोगों के राशन कार्ड पर बिना जांचे खाद्य सुरक्षा की मोहर लगा दी गई जिससे हजारों ऐसे लोग एवं परिवार जो इस योजना में अपात्र थे, इस योजना में शामिल हो गये।

अतः मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध है कि खाद्य सुरक्षा योजना का अतिशीघ्र सर्वे करवाया जावे और जरूरतमंद लोगों को इस योजना में चयनित कर खाद्य सुरक्षा का लाभ प्रदान किया जावे। धन्यवाद।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो तो एक मिनट, इस पर मैं महत्वपूर्ण बात निवेदन कर दूं। आपकी आज्ञा से।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट विराजिये। एक मिनट विराज जाएं।

श्री राजेन्द्रसिंह यादव।

(अनुपस्थित)

आप फरमाएं।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 295 से जिस विषय पर माननीय सदस्य आये हैं, मैंने पिछली बार सदन में रखा था। डिजिटल राशन कार्ड बनें, यह बहुत इम्पोर्टेण्ट इश्यू है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: यह विषय अपन किस नियम के तहत चर्चा पर ला रहे हैं?

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): आपकी आज्ञा से।

श्री उपाध्यक्ष: 295 में यह आ गया। इसका उत्तर आ जाने दीजिये। 295 का उत्तर आयेगा। मेरे ख्याल से उत्तर आ जाए, उसके बाद में अगर आपके पास में ऐसी कोई और विशेष जानकारी हो, जो उत्तर के अन्दर नहीं दी गई हो, या उसमें समावेश नहीं की गई हो, तो आप नियम से आ जाइये। मैं चर्चा करवा दूंगा।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): जांच का विषय है।

श्री उपाध्यक्ष: और अगर ऐसी कोई बात है कि जो आप विशेष रूप से रखना चाहते हैं, एक नियम है आप उस नियम से आ जाइये। आसन आपको अलाउ कर देगा।

पर्ची के माध्यम से, श्री भागीरथ चौधरी।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

अराई में नवीन रीको औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ की तहसील...

श्री उपाध्यक्ष: मैं पर्ची के माध्यम से पांच मिनट का समय दूंगा। क्योंकि आज कार्य सूची में विधायिकी कार्य बहुत ज्यादा है। इसलिये पांच-पांच मिनट का समय है।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): जी, उपाध्यक्ष महोदय।

मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के तहसील क्षेत्र अराई में नवीन रीको औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के सम्बन्ध में आपके माध्यम से मैं उद्योग मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के तहसील क्षेत्र अराई में प्रचुर मात्रा में खनिज उपलब्ध है। लगभग 70-80 किलोमीटर के दायरे में विभिन्न खनिजों का अथाह भण्डार है, जिसमें अराई, कटसूरा, चोसला, अरारी, दादिया, गोठियाना, जिरोता, खासी, मनोहरपुरा, अकोडिया, बोराड़ा, डबरेला, सरवड़, गुजरवाड़ा, देवरिया, बंथली, रामपुरा, आदि स्थानों पर फेल्सपार, क्वार्टज खनिज के अकूत भण्डार हैं और गत 10-15 वर्षों से यहां खजिन कार्य भी हो रहा है। वहीं डसू, डांग, गेलपुर में ग्रेनाइट का खनन हो रहा है। खनन क्षेत्र के पास ही मार्बल कटर और छोटी गैंगसा लगाकर विपणन का कार्य किया जा रहा है। किंतु सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित विकास के अभाव में यहां के उद्यमियों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है और न ही राज्य को मिलने वाले करों और राजस्व की पूरी प्राप्ति हो पाती है। कई क्षेत्रों में औने-पौने दामों में दोहित खनिज का बेचान किया जा रहा है। इसी क्षेत्र के आसपास के उद्यमियों द्वारा गांव की निजी खातेदारी जमीन को औद्योगिक कार्य हेतु परिवर्तित कराकर अव्यवस्थित ढंग से मार्बल गैंगसा एवं पाउडर प्लाण्ट के छोटे-छोटे कटर लगाये जा रहे हैं, जिससे गांवों के सुव्यवस्थित विकास में भी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके मार्फत उद्योग मंत्रीजी से निवेदन है कि अराई कस्बे के पास, कटसूरा ग्राम के आसपास वहां राजपुरा है, वहां सरकारी जमीन खूब पड़ी है। वहां यदि औद्योगिक क्षेत्र रीको की नई स्थापना हो जाये तो वहां जो छोटे उद्यमी हैं उनको उद्यम भी मिल जायेगा और जो सैकड़ों बेरोजगार हैं, उनको रोजगार भी मिल जायेगा। तो यह एक बहुत बड़ी पूरे उस 70-80 किलोमीटर के क्षेत्र में, उस क्षेत्र को एक बहुत बड़ी, उस विकास की दृष्टि से और उन सबको रोजगार की दृष्टि से एक बहुत बड़ा अच्छा कार्य हो जाएगा।

जब सुराज संकल्प यात्रा में आदरणीया मुख्य मंत्रीजी पधारे थे तो

(श्री भागीरथ चौधरी)

उन्होंने भी उस इंडस्ट्रियल एरिये के लिए उस टाइम 'हां' भरी थी। इसलिए मेरा उद्योग मंत्रीजी से निवेदन है कि आप जरूर अभी 2016-17 की इस वार्षिक विभागीय कार्ययोजना में, विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान कर अराई, अजमेर में नवीन औद्योगिक क्षेत्र स्थापना की सक्षम स्वीकृति जारी कराएं ताकि इस क्षेत्र में उद्यमियों, श्रमिकों एवं बेरोजगारों को राहत प्रदान हो सके। धन्यवाद।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो अराई में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के बारे में चर्चा की, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि वर्तमान में माननीय सदस्य के विधान सभा क्षेत्र में 8 रीको इंडस्ट्रियल एरियाज कार्यरत हैं और 2 प्रस्तावित हैं जिनकी अभी लैंड एक्विजीशन का कार्य चल रहा है, जो मई तक कम्प्लीट हो जाएगा।

माननीय सदस्य ने पहले अराई के बारे में प्रश्न भी भेजा था, उसका हमने जवाब भी दिया। हमारे रीको के अधिकारियों ने वहां के अराई के सरपंच के साथ उस क्षेत्र की जमीन का ब्योरा भी लिया। एक हमारा जो इम्पोर्टेंट नियम रहता है, कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया के अन्दर रीको का, वह यह है कि जमीन कंसोलिडेटेड होनी चाहिए। वहां पर सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है और हमें जमीन जो मिल भी रही है काश्तकारों से, वह फ्रेग्मेंटेड मिल रही है हमें, टुकड़ों में मिल रही है।

हम चाहते हैं कि राजस्थान के अन्दर जितने से जितने, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल एरियाज बनें, उनके अन्दर वायेबिलिटी होनी चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट की डिमांड होनी चाहिए, टेक्नो-इकोनोमिकल फीजिबिलिटी होनी चाहिए, रॉ-मैटेरियल वहां पर होना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए।

मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करूंगा कि जमीन, आपके जो काश्तकार आपके विधान सभा क्षेत्र में हैं, वे अपनी जमीन एक्विजीशन के बिलकुल विरोध में हैं। तो अगर हमें जमीन मिल जाती है उस क्षेत्र के अन्दर, चाहे वह सरकारी जमीन हो, चाहे वह काश्तकार की, उनको मुआवजा देकर हम लें। जमीन कंसोलिडेटेड होनी चाहिए। हम हमारा पूरा प्रयास करेंगे।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मेरा निवेदन है कि अधिकारियों ने माननीय मंत्रीजी को सही रिपोर्ट

(श्री भागीरथ चौधरी)

नहीं दी है। वहां पर सरकारी जमीन सैकड़ों बीघा पड़ी है। वहां पर आस-पास में, आप कह रहे हों कि रीको मेरा किशनगढ़ में है, वहां पर है परन्तु अराई के आस-पास में कहीं नहीं है। वहां पर 70-80 किलोमीटर में यह खनिज हैं और वहां पर सरकारी जमीन पड़ी है। किसानों से लेने की जरूरत ही नहीं है। सरकार को एक पैसा नहीं लगेगा जमीन का।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): आप मेरे को, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य से मैं निवेदन करूंगा कि आप मेरे को डिटेल लाकर बता दें कि कहां पर जमीन है। मैं पर्सनली इसके अन्दर इन्वॉल्व होकर कोशिश करूंगा कि आपके वहां पर औद्योगिक क्षेत्र आ जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती द्रोपती।

पीलीबंगा नगरपालिका क्षेत्र में गंदे पानी की निकासी

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से मुझे बोलने का मौका मिला, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

पीलीबंगा शहर के पानी निकासी के सम्बन्ध में मैं बोलना चाहूंगी कि पीलीबंगा क्षेत्र में 25 वार्ड हैं और 25 ही वार्डों की इतनी बुरी हालत हो चुकी है क्योंकि वहां पर नालियां टूटी पड़ी हैं, गलियों का भी बहुत बुरा हाल है। तो ऐसी स्थिति में जब मैं वहां वार्डों में जाती हूं तो वहां पर मेरे को बहुत ही भला-बुरा सुनने को मिलता है कि आप वार्ड के अन्दर आए हो, आपकी सरकार है और आप हमारा काम करवाओ। मैंने कई बार मीटिंग भी ली है कर्मचारियों के साथ नगरपालिका में और वहां पर मैंने बोला भी है। तो वे मेरे को आश्वासन देते हैं कि मैडम, एक महीने के बाद कर देंगे। जबकि वे दो-तीन साल से वहां काम चल रहे हैं और अभी तक वहां पर पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। बारिश के दिनों में बहुत बुरी हालत हो जाती है कि घरों में से निकलना भी महाभारत हो जाता है लोगों का। इतनी यहां पर गलियां गहरी और खड्डे हो जाते हैं और इसमें पानी भर जाता है

माननीय मंत्रीजी बैठे हैं तो मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहूंगी कि आप उन कर्मचारियों और ठेकेदार के प्रति अगर कोई कार्यवाही करना चाहते हों, जो इतनी मतलब बड़ी बुरी हालत हो चुकी है वहां पर लेकिन फिर भी वे लोग काम नहीं कर रहे हैं। नगरपालिका के पास पैसा भी है। ऐसी

(श्रीमती द्रोपती)

बात नहीं है कि वहां पर पैसा नहीं है। पैसा होने के बावजूद भी वहां पर काम नहीं हो रहे हैं। तो हम लोग क्या समझें? अभी कोई पूरा काम नहीं हो रहा है। उस नाले को भी दो-तीन बार तोड़कर दुबारा बना दिया। एक बार तो मैंने खुद ने मौका देखा तो वहां पर पानी सीम रहा था। तो मैंने कहा कि अगर इसमें निकासी का पानी अगर वार्डों का आएगा, बारिश का पानी, तो वह नाला टूट जाएगा। तो उसी वक्त सी.ई.ओ. ने और मेरे साथ एस.डी.एम. थे, तो हम लोगों ने इसका आर्डर दे दिया कि यह तोड़ा जाए। तो वह तोड़ कर दुबारा बना दिया। फिर भी वह वैसी ही हालत पड़ी है उसकी भी। पता नहीं, घटिया माल लगा है, क्या है।

तो मैं मंत्रीजी से कहूंगी कि वे जांच कराएं और वार्ड नम्बर 3, 4, 1, 2, 11, 16, 23, 24 और 25, इन वार्डों में तो पानी निकासी की इतनी बुरी हालत हो रही है। कुछ एरिया मेरा रीको एरिया में भी आता है, वहां पर दो-तीन वार्ड हैं। तो वहां पर भी ऐसी ही हालत बनी हुई है। जब बारिश का पानी आ जाता है तो वहां पर खड़ा हो जाता है और पांच-पांच, छह-छह दिनों तक वह पानी है, वहां पर पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ ऐसे वार्डस हैं जो वहां पर अपने प्लाट ले रखे हैं लोगों ने, तो वे प्लाट इतने गहरे हैं कि वहां पर पानी, साथ में तो यह वार्ड का पानी चला जाता है, सीवरेज का पानी चला जाता है और कुछ बारिश का पानी भी वहां पर इकट्ठा हो जाता है। तो वहां पर मच्छर बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो वार्ड-वासियों को इतना नुकसान हो रहा है कि वहां पर महामारी फैलने की आशंका बनी रहती है। तो मैं यही कहना चाहूंगी मंत्रीजी से।

एक और बात कहना चाहूंगी, पिछले दिनों थोड़ा विवाद हो गया था। हमारे नेशनल हाई-वे जाता है पीलीबंगा से, हनुमानगढ़ से सूरतगढ़। उसके ऊपर रातों-रात, रात के 10 बजे बाद में काम शुरू किया और वह डिवाइडर बंद कर दिया। तो क्या ऐसे कर्मचारियों पर, नगरपालिका का अधिकार है कि वह डिवाइडर बंद कर दे नेशनल हाई-वे का? अगर नहीं है, तो उन अधिकारियों के प्रति कोई कार्यवाही करने की अगर मंशा रखते हैं तो मंत्रीजी बतायें।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पीलीबंगा में पांच-छह बड़े-बड़े नाले बने हुए हैं वहां पर और नालों के माध्यम से गंदा पानी और स्टोर्म वाटर, दोनों इकट्ठे होते हैं धान मंडी के पीछे बने हुए एक तालाब में और उस तालाब में जो पानी

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

इकट्ठा हो जाता है, काश्तकार उसको सिंचाई के रूप में अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस स्टोर्म वाटर जो कि शहर में भर जाता है, उसकी निकासी सही ढंग से नहीं हो पाती। इसके लिए यू.आई.डी.-एस.एस.एम.टी. के तहत 2012-13 में उस गंदे पानी की निकासी के लिए पाइपलाइन से व्यवस्था करना और साथ में उसको लिफ्ट करके पानी को उस धान मंडी के पीछे से लक्खूवाली ले जाने के लिए पम्प हाउस बनाना, इसके लिए 1 करोड़ 35 लाख रुपये सैक्शन हुए थे। पाइपलाइन बिछाने का काम तो हो गया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन पम्प हाउस की ड्राइंग नहीं बनाई। उसकी कोई डी.पी.आर. नहीं बनी, उसकी ड्राइंग नहीं बनी, उसकी डी.पी.आर. नहीं बनी, पर निविदाएं कर दी गई। उसके आधार पर अभी तक काम नहीं हो पाया है। अब इसकी डी.पी.आर. बन गयी है और डी.पी.आर. बनने के बाद उस पम्प हाउस के लिए जगह भी है उस पम्प हाउस की आने वाले पांच-छह महीने में निविदाओं को निकालकर पम्प हाउस बना दिया जाएगा और उसके बाद में मैं समझता हूं कि यह पानी जो अभी धान मंडी के पीछे तालाब में भरता है, यह पानी आने वाले समय में लक्खूवाली गांव के अन्दर डिग्गी बनाकर इस पानी की निकासी की व्यवस्था भी कर दी जाएगी।

माननीय सदस्या ने कहा है कि जो नाला बना है, जो पाइपलाइन बनी है, वह सब-स्टैंडर्ड है। इन्होंने नाले को एक बार तुड़वाया और तुड़वाने के बाद दुबारा बनवाया और दुबारा बना हुआ नाला भी ठीक नहीं है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो यह नाला बना है, जो नाले का काम हुआ है, पाइपलाइन का काम हुआ है, उसकी हम क्वालिटी चैक करवा लेते हैं। क्वालिटी चैक करवाने के बाद देख लेंगे कि यदि क्वालिटी प्रोपर एप्रोप्रिएट है तो जो एप्रोप्रिएट एक्शन होना चाहिए, वह एक्शन हम लेंगे।

साथ ही पम्प हाउस को बनाने के बाद में मैं समझता हूं कि जो पानी अभी धान मंडी के पीछे भरता है, उसको हम लक्खूवाली तक की डिग्गी में ले जाएंगे और अगर जरूरत हुई, उस पानी को ट्रीट करने की जरूरत महसूस की गयी, तो न केवल पम्प हाउस बनाएंगे, बल्कि वह आगे का एस.टी.पी. भी बना लेंगे।

श्री उपाध्यक्षः श्री समाराम गरासिया।

सहायक निदेशक, कृषि कार्यालय, पिण्डवाड़ा का बाड़मेर में स्थानान्तरण

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत आभार।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदयजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा में जो सहायक निदेशक, कृषि कार्यालय कई वर्षों से चल रहा था, तो उसको बिना कारण हटाकर बाड़मेर स्थानांतरण किया गया वहां सारा स्टाफ लगाया गया। हमारा जनजाति बहुल एरिया है, किसानों का एरिया है। पिण्डवाड़ा बहुत बड़ा क्षेत्र है जनजाति का। इसलिए मंत्री महोदयजी से मेरा यह निवेदन है कि वह कार्यालय वापस खोला जाए ताकि हमारे जनजाति बहुल क्षेत्र में किसानों के लिए सारी सुविधा मिले। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा निवेदन था आपके माध्यम से।

(13.00 बजे)

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि 2003 में पंचायत राज विभाग में जब कृषि विभाग के कुछ पदों का स्थानान्तरण हुआ था, उस वक्त में सिरोही में दो सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय स्थापित थे। उस वक्त में चूंकि एक नीतिगत फैसला था कि प्रत्येक जिले में एक से कम एक सहायक कृषि एक्सटेंशन का कार्यालय होना चाहिये, और चूंकि सिरोही में दो थे, तो 2003 के वक्त में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिण्डवाड़ा का जो सहायक कृषि अधिकारी विस्तार का कार्यालय था, उसको मय कार्मिकों सहित ही, चूंकि बाड़मेर में कोई भी कार्यालय स्थापित नहीं था, तो उसको ट्रांसफर कर दिया था। इस वजह से पूरे राजस्थान के सभी जिलों पर एक-एक सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय मय कार्मिकों का स्थापित हुआ ताकि विभाग की योजनाओं का संचालन सभी तरह से पूरा हो सके।

जब कभी ऐसा विषय आयेगा तो इस पर विचार किया जाएगा। अभी विचार किया जाना कोई सम्भव नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सुखराम विश्नोई।

अलवर में गेहूं खरीद का कथित घोटाला

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अलवर में आढ़तिये, डी.एस.ओ., एफ.सी.आई. के अधिकारी और राशन डीलर, इन चारों ने

(श्री सुखराम विश्नोई)

मिलकर केवल मात्र कागजों में गेहूं खरीदा, मौके पर गेहूं खरीदा ही नहीं और कम से कम 50 करोड़ रुपये का साढ़े तीन लाख क्विंटल गेहूं बताया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पर चार बार जांच हुई; चौथी जांच अभी चल रही है। भरतपुर सहित वैर-भुसावर की मंडियों से पिछले अप्रैल, 2015 में गेहूं खरीदा और गेहूं खरीदकर अलवर कैम्प के लिये रवाना किया गया। वहां केवल मात्र गेट पर एण्ट्री की गयी। ट्रकों की जो एण्ट्री की गयी, उन पर साइन सभी एक जैसे हैं, यह जांच अधिकारी ने प्रूव कर दिया। एक जैसे साइन हैं, कोई साइन भिन्न नहीं है। ड्राइवर के साइन रसीद के पीछे की तरफ होते हैं, जबकि उस गेट मैन ने उसी के साइन कर दिये। इसके साथ-साथ वही गेहूं उसी वक्त अलवर डी एस ओ को भेज दिया गया। ट्रक सीधे ही भेज दिये। अलवर डी एस ओ के प्रतिनिधि ने रिसीट दे दी और अलवर डी एस ओ ने गांव के जी.एस.एस. के जो डीलर हैं, उनको भेज दिया। डीलर ने फर्जी एण्ट्री कर दी, गेहूं वितरण बता दिया। पूरा का पूरा मामला इस तरह से रफा-दफा कर दिया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि आढ़तियों में जिन किसानों की खरीद बतायी, यह प्रोसीजर है कि किसी किसान का गेहूं खरीदते हैं, बाकायदा उसकी आई डी लेते हैं, फिर बैंक में खाता खोलते हैं, फिर उस खाते में पैसे ट्रांसफर करते हैं। जबकि हकीकत यह है कि उन आढ़तियों ने वहां के डी एस ओ से, वहां के जो डीलर हैं, उनसे मिलकर न तो उनकी आई.डी. ली और आई.डी. लेने की जुर्रत नहीं थी, उनके बने हुए बनावटी किसान थे, उन खातों में पैसे डाल दिये और पूरे के पूरे पैसे उठा लिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि यह जो आढ़तियों ने इस तरह का खेल किया है, इस खेल को 12 महीने हो गये। अलवर और भरतपुर का डी एस ओ शामिल है। वहां के जो छोटे एन्फोर्समेंट इंसपेक्टर हैं, वे इसमें शामिल हैं और जिन डीलर को गेहूं बांटना बताया गया है, वे शामिल हैं। एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी भले आदमी हैं, क्या पता, जिला भी इनका ही है, इनकी आंखों के नीचे किस तरह से कार्य हुआ है, कह नहीं सकता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, पहली जांच इसमें जो की गयी, जब शिकायत पहुंची, पहली जांच की, वह दिल्ली के जी.एम. के स्तर पर की गयी। एफ सी आई के अधिकारियों ने कह दिया कि खाली कागजों में काम

(श्री सुखराम विश्नोई)

हुआ है, मौके पर कोई गेहूं खरीदा नहीं। उनकी रिपोर्ट आ गयी है। दूसरी जो रिपोर्ट की गयी, वह नोएडा का जोनल कार्यालय है, वहां से की गयी, उनकी सतर्कता (विजिलेंस) विभाग ने की और उन्होंने कहा कि ये ट्रक यहां आये भी नहीं हैं और यह मामला पूरा का पूरा गड़बड़ है। उन्होंने यह भी माना है। उसके बाद तीसरी जांच रीजनल कार्यालय जयपुर से की गयी। वहां से बताया गया कि पूरा का पूरा रिकार्ड फर्जी है, रिकार्ड में काट-छांट है, ट्रकों की एण्ट्री सही नहीं है। पूरे रिकार्ड में आधे से ज्यादा काट-छांट है। अब चौथी जांच आडिट वाले कर रहे हैं, उसकी अभी रिपोर्ट नहीं आयी है।

मेरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत निवेदन है, इस तरह का यह जो घोटाला हुआ है, यह जब अख़बार में छपा और मामला खुला, तो कल की तारीख में एक दर्जन भर कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले किये हैं। मेरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत निवेदन है कि इस तरह से गेहूं का जो घोटाला हुआ है, एक तरफ तो गेहूं मिल नहीं रहे हैं, एक तरफ उत्पादन कम हो रहा है, राशन के लिये लोग लड़ रहे हैं कि हमें राशन दिया जाए; दूसरी तरफ इस तरह से 50-50 करोड़ का घोटाला। यह बात एक साल से चल रही है, इस बात को साल भर हो गया, मतलब वापस नये गेहूं निकलने वाले हैं, एक साल हो गया। जब पहली जांच आई थी तो सुओ मोटो काग्नीजेंस लेकर माननीय मंत्रीजी को जो डी एस ओ अलवर के हैं, डी एस ओ भरतपुर के हैं, वहां के एन्फोर्समेंट इंसपेक्टर हैं, वहां के जो राशन डीलर हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये थी। क्यों नहीं कार्यवाही की? इस बात का जवाब मंत्री महोदय बताएं।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत जोर-शोर से इस प्रकरण को रखा, जो कल समाचार पत्रों में पढ़ने को मिला। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि प्रकरण के सम्बन्ध में भारतीय खाद्य निगम से जानकारी प्राप्त की गयी। पहले तो एफ सी आई केन्द्र सरकार की एक स्वतन्त्र एजेन्सी है। इन्होंने बार-बार कहा, डी एस ओ; वहां भी आऊंगा मैं। इन्होंने पूरा पढ़ा नहीं।

खाद्य निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार, निगम के द्वारा भरतपुर में वर्ष 2015-16 के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की कुल खरीद

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

1,69,800 मीट्रिक टन की गयी, जबकि भरतपुर जिले में एफ सी आई के गोदामों की भंडारण क्षमता 12,300 मीट्रिक टन तथा एफ सी आई के द्वारा किराये पर लिये गये भंडारों की कुल क्षमता 19 हजार मीट्रिक टन है। अतः इस अवधि में अप्रैल से जून, 2015 में गेहूं का क्रय भंडारण क्षमता से अधिक होने के कारण आधिक्य गेहूं को कैम्प अलवर डिपो में भंडारण एवं सार्वजनिक वितरण के लिए भेजा गया।

भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय के सतर्कता दस्ते के 4 से 6 दिसम्बर, 2015 के कैम्प अलवर में निरीक्षण के दौरान इस मामले में प्रक्रियात्मक उल्लंघन होने की बात सामने आयी। तद्नुसार मामले की भारतीय खाद्य निगम आंचलिक कार्यालय नोएडा एवं क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर ने माह दिसम्बर, 2015 में एवं जनवरी, 2016 में विस्तृत जांच की, जिसमें इस प्रकरण में बिना तुलाई के लगभग 4,46,942 गेहूं के कट्टे (50 किलोग्राम का एक कट्टा) बिना तुलाई के मिले; जारी करने की बात उजागर हुई।

प्रकरण में विभिन्न निरीक्षण के दौरान पायी गयी कमियों के आधार पर पांच डिपो कैडर श्री अवतार मीणा, मैनेजर डिपो, श्रीराम सिंह मीणा, श्री मिथलेश कुमार, श्री मुकेश कुमार मीणा, श्री रमेश चन्द्र तथा पांच क्वालिटी कंट्रोल आफिसर श्री महेश कुमार, श्रीमती सुमन यादव, श्री अमरचन्द, अमरचन्द मीणा, राकेश कुमार और रवि कुमार के विरुद्ध एफ सी आई के द्वारा मेजर पैनल्टी रैगुलेशन नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है तथा साथ ही भारतीय खाद्य निगम द्वारा एरिया मैनेजर एफ सी आई, अलवर, श्री रामबाबू मीणा तथा ए जी एम क्वालिटी कंट्रोल श्री बी.एस. सोलंकी के विरुद्ध भी 'कारण बताओ' नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय खाद्य निगम द्वारा मंडी से डिपो के मध्य किये गये परिवहन सम्बन्धी खर्चों की विस्तृत जांच पांच सदस्यीय राज्य स्तरीय सतर्कता द्वारा अलग से की जा रही है।

आपसे निवेदन करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य विभाग द्वारा इस प्रकरण में आवश्यकतानुसार निष्पक्ष जांच करायी जाएगी। यदि जांच में खाद्य विभाग के कोई भी अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाये जाएंगे तो उनके विरुद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपने, मंत्रीजी, आज तक इतनी घोषणा कर दीं, एक का भी रिजल्ट तो बताओ।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं इनकी शंका दूर करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एफ सी आई क्रय करता है। यह कह रहे हैं न, डी एस ओ भरतपुर करता है।

श्री उपाध्यक्ष: किन की शंका दूर कर रहे हैं?

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): हां, मैं कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, किसकी कर रहे हैं?

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय सदस्य की, जिन्होंने शंका जाहिर की है कि साहब, इसमें घोटाला हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष: जिनको आसन ने अनुमति दी, उन सदस्य की, या जो बगैर आसन की अनुमति के बोले उन सदस्य की?

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): जिनको आसन ने अनुमति दी उनकी। मैं आपकी बात बता रहा हूं, आप विराजो।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यह खुद मानते हैं कि घोटाला हुआ है, यह खुद मानते हैं कि बिना तोले हुए, मापे हुए कट्टे मिले। जब इतनी बात खुद स्वीकार करते हैं तो खाली डी.एस.ओ. को नोटिस पकड़ाया गया। खाली डी.एस.ओ. को नोटिस पकड़ाया गया है। जिन डीलरों ने कागजों में एण्ट्री की है, जिनको गेहूं एक्चुअल पहुंचना चाहिए था उनके पास गेहूं नहीं पहुंचा है। आपने साल भर किया क्या है? उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही की? डी.एस.ओ. के खिलाफ नोटिस किया, उनको तो सस्पैंड करना चाहिए था। हिम्मत करो थोड़ी।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको ट्रेन से जयपुर से अलवर के लिए जाना होगा और ये टिकट झुन्झुनूं की ले लेंगे। उसका मेरे पास जवाब नहीं। मैं जब कह रहा हूं, आप दिमाग में बैठाओ, फूड कारपोरेशन आफ इंडिया खरीद करता है और पी.डी.एस. के पास, जब वहां से क्रय-विक्रय द्वारा सप्लाई होकर पी.डी.एस. माल पहुंचता है तब हमारा माल होता है। एफ.सी.आई. तो इन्डिपेंडेंट एजेंसी है। डी.एस.ओ. को नोटिस किस आधार पर दें? डी.एस.ओ. का कहीं इसमें पाया ही नहीं, और फिर भी कोई अधिकारी की लिप्तता पायी जायेगी, मैं जांच कराऊंगा। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): तीनों जांच कह रही हैं, डी.एस.ओ. ...

श्री उपाध्यक्ष: इस विषय पर चर्चा समाप्त।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): धमकाओ तो मत। मंत्रीजी, धमका रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री बाबू सिंह।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) जोधपुर की विशिष्ट जीन मण्डी से सटी 11 बीघा जमीन का अनाज मण्डी को पुनः हस्तान्तरण

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज), जोधपुर की विशिष्ट जीन मण्डी से सटी 11 बीघा जमीन को पुनःहस्तान्तरण करने के सम्बन्ध में कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, इस संदर्भ में मेरा निवेदन है कि माननीय विधायक महोदय द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज), जोधपुर की 11 बीघा भूमि, जो कि कृषि उपज मण्डी समिति, फल एवं सब्जी, जोधपुर को स्थानान्तरित की गई है, को पुनः जोधपुर अनाज मण्डी में हस्तान्तरण किये जाने की वांछना की गई है।

कृषि उपज मण्डी समिति, फल एवं सब्जी, जोधपुर के गौण मण्डी प्रांगण पावटा की भूमि रोडवेज बस स्टैंड के विस्तार हेतु राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को उपलब्ध कराया जाना निर्णित है। गौण मण्डी प्रांगण, पावटा के आवंटी व्यवसाइयों का व्यवसाय भदवासिया स्थित मण्डी प्रांगण में स्थानान्तरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

कृषि उपज मण्डी समिति, फल एवं सब्जी, जोधपुर को मण्डी समिति (अनाज) जोधपुर से प्राप्त उक्त 11 बीघा भूमि पर भी परियोजना के तहत भू-खण्डों का चिह्नांकन किया जाकर चिह्नित भू-खण्डों का आबंटन पावटा गौण मण्डी से स्थानान्तरित किये जा रहे व्यापारियों को किया जाना अपेक्षित है।

राज्य सरकार की स्वीकृति दिनांक 27.06.2012 के अनुसरण में

(श्री प्रभू लाल सैनी)

दिनांक 09.11.2012 को कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज), जोधपुर के मुख्य मण्डी प्रांगण मण्डोर रोड, भदवासिया स्थित विशिष्ट जीरा मण्डी के पास वाली रिक्त 11 बीघा भूमि कृषि उपज मण्डी समिति, फल एवं सब्जी, जोधपुर को स्थानान्तरित की गयी है।

विगत सरकार के द्वारा अंतिम छह माह में किये गये निर्णयों की समीक्षा हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 07.05.2015 में कृषि उपज मण्डी समिति, फल एवं सब्जी, जोधपुर को हस्तान्तरण की गयी जीरा मण्डी प्रांगण से सटी 11 बीघा भूमि को जीरा मण्डी के विस्तार हेतु राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज), जोधपुर को पुनः हस्तान्तरित किये जाने का निर्णय किया गया है।

मंत्रिमण्डलीय उप समिति द्वारा लिया गया निर्णय वस्तुतः विगत सरकार द्वारा अंतिम छह माह में लिये गये निर्णयों की श्रेणी में नहीं आने के कारण, साथ-साथ इस प्रकरण में भूमि का हस्तान्तरण एक मण्डी से दूसरी मण्डी में किया गया है जो पूर्णतः विभाग का आन्तरिक विषय है। इसलिए कृषि उपज मण्डी समिति, फल एवं सब्जी, जोधपुर के गौण मण्डी प्रांगण पावटा में व्यवसाय स्थानान्तरण हेतु आवश्यक होने से उक्त भूमि मण्डी समिति, जोधपुर को पुनः हस्तानान्तरित नहीं किये जाने का निर्णय सक्षम स्तर पर लिया गया है।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, क्या यह सही है कि माननीया मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे जी ने बजट सत्र में 25.03.2005 को जहां-उत्पादन-वहां-विपणन के उद्देश्य से जोधपुर में जीरा मण्डी स्थापना की घोषणा की क्रियान्विति में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज), जोधपुर के मुख्य मण्डी प्रांगण में 95 भू-खण्ड आबंटित किये व इसी खसरे में 11 बीघा भूमि में, यही 11 बीघा भूमि है, 54 प्लाट व सड़कों के विस्तार व इसके संसाधन, मूल सुविधाओं की योजना बनायी, मण्डी समिति ने प्रस्ताव लिया और निविदा भी आमंत्रित की?

क्या यह सही है कि अनाज मण्डी समिति के मुख्य मण्डी प्रांगण में खुली बोली से कृषि जिंसों का विक्रय नहीं हो रहा है तथा जिंस-विशिष्ट जीरा मण्डी प्रांगण में खुली बोली से कृषि जिंसों का विक्रय होने से खुली बोली में जीरा व ईसबग़ोल की आवक व मण्डी शुल्क की आवक 2012-13 में 43 हजार

(श्री बाबू सिंह)

114 क्विंटल व जीरा पर 25 लाख का शुल्क आया? वर्तमान में पांच हजार जीरा बोरी प्रतिदिन आ रही है। फरवरी, 2016 तक साढ़े तीन लाख बोरी और 2 लाख 50 हजार क्विंटल की आवक व ढाई करोड़ का मण्डी शुल्क प्राप्त हुआ है?

क्या यह भी सही है कि जिंस-विशिष्ट जीरा मण्डी के जीरे की आवक में वृद्धि होने से जीरे के उत्पादकों को अपने राज्य में ही स्थापित जिंस-विशिष्ट जीरा मण्डी, जोधपुर में ही उचित मूल्य के जीरे के विक्रय की सुविधा से तथा जीरा प्रसंस्करणकर्ता, मूल्य संवर्धक, निर्यातकों, ट्रांसपोर्ट आपरेटरों, मजदूर, हमाल वर्ग को प्रोत्साहन मिला है तथा उपरोक्त सभी वर्ग प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रहे हैं?

क्या यह सही है कि मण्डी समिति के अनुज्ञाधारी जीरा व्यवसाइयों को पूर्व में लाटरी पद्धति से भू-खण्ड आबंटित किये जाने के कारण जीरे के लगभग 50 अनुज्ञाधारी बड़े व्यवसायी जीरा मण्डी में भू-खण्ड आबंटन से वंचित रहे, जो जीरा मण्डी के बाहर मुख्य मण्डी प्रांगण एवं मण्डी प्रांगण, भगत की कोठी में जीरे का व्यवसाय कर रहे हैं तथा 30 निर्यातक मूल्य संवर्धक औद्योगिक इकाइयां, प्रसंस्करणकर्ता आदि भी जीरे का व्यवसाय बढ़ाने एवं भू-खण्ड आबंटन की अपेक्षा कर रहे हैं?

क्या यह भी सही है कि ईसबग़ोल के निर्यातक, मूल्य संवर्धक, औद्योगिक इकाइयां, प्रसंस्करणकर्ता, आदि पांच-सात इकाइयों के द्वारा भी जीरा मण्डी प्रांगण में भू-खण्ड आबंटन की मांग की जा रही है, जिनकी मांग पर सकारात्मक निर्णय लिया जाना उचित होगा?

जिंस-विशिष्ट जीरा मण्डी, जोधपुर के लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर भारत सरकार के द्वारा स्पाइस पार्क की स्थापना की गयी है जिसमें मसालों के व्यवसाइयों, निर्यातकों, प्रसंस्करणकर्ताओं, मूल्य संवर्धन औद्योगिक इकाइयां तथा मूल्य संवर्धित उत्पादों के विक्रेताओं आदि को भू-खण्ड आबंटित किये गये हैं। इन आबंटियों के द्वारा व्यवसाय, उत्पादन प्रारम्भ करने पर इनको कच्चा माल क्रय करने के लिए निकटस्थ स्थान जीरा मण्डी प्रांगण रहेगा। ऐसी स्थिति में स्पाइस पार्क में आबंटियों के द्वारा भी जीरा मण्डी प्रांगण में नियमित रूप से कच्चा माल क्रय करने के लिए भू-खण्डों के आबंटन की मांग की जायेगी। ऐसी स्थिति में जीरा मण्डी के विस्तार हेतु निकटतम भूमि यही है।

(श्री बाबू सिंह)

क्या राज्य सरकार के द्वारा जीरे पर वैट हटाने का निर्णय राज्य के जीरा उत्पादकों को, प्रसंस्करणकर्ता, मूल्य सवर्धित उत्पादों के विक्रेताओं, निर्यातकों, ट्रांसपोर्ट आपरेटरों, मजदूर, हमाल, आदि के प्रोत्साहन तथा गुजरात राज्य की ऊंझा मण्डी में जाने वाले राजस्व को राज्य में मण्डी शुल्क की आय में वृद्धि एवं जोधपुर में स्थापित जिंस-विशिष्ट जीरा मण्डी को अन्तरराष्ट्रीय स्तर के व्यावसायिक पटल पर उदयमान सितारे की भांति प्रोत्साहित करना चाहते हैं?

क्या यह सही है कि सरकार के द्वारा वर्ष 2013 ...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, इतने पूरक प्रश्न इनको पूछ लेंगे तो ये वैसे तो ...

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): नहीं, यह सब है कि नहीं, यह पूछ रहा हूं इनसे। ये बस दो ही प्रश्न हैं। (व्यवधान)

सरकार के द्वारा 2013-14 में जीरा मण्डी से वैट हटाने के कारण जीरा की आवक में तीव्र गति से वृद्धि हुई तथा गुजरात की ऊंझा मण्डी में विक्रय हेतु जाने वाले जीरे में काफी जीरा उत्पादक के द्वारा जीरा जिंस-विशिष्ट जीरा मण्डी में लाये जाने के कारण जीरा मण्डी में जीरे की ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): क्वेश्चन करो।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): क्वेश्चन ही कर रहा हूं। क्वेश्चन ही हैं।

...ढेरी लगाकर खुली बोली से बिक्री द्वारा जीरा के उत्पादक कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिये जाने के कारण जीरा मण्डी का परिसर छोटा पड़ने लगा है तथा यहां तक कि मण्डी प्रांगण में आने वाले दुपहिया वाहनों को मण्डी प्रांगण से बाहर खड़ा करना पड़ता है तथा कई बार स्थान के अभाव के कारण कृषकों को माल की बोली दूसरे दिन लगानी पड़ती है? बरसात के कारण खुले में जो जीरा पड़ा है वह भी बरसात में बह रहा है।

तो वर्तमान स्थिति में जीरा मण्डी प्रांगण छोटा पड़ने लगा है तथा आगामी वर्ष में जीरा की आवक में और वृद्धि होने पर जीरा मण्डी प्रांगण में बाहर यातायात आवागमन, मुख्य सड़क पर जीरे की ढेरियां लगने व बोली लगने की शत-प्रतिशत स्थिति की संभावना है। भविष्य में जीरा मण्डी के विस्तार हेतु 11 बीघा भूमि के अतिरिक्त निकट कोई भूमि उपलब्ध नहीं है।

यह सब ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल की जो उप समिति है, उसमें

(श्री बाबू सिंह)

आदरणीय गुलाब चन्द जी कटारिया, राजेन्द्र जी राठौड़, कालीचरण जी सराफ और माननीय अरुण चतुर्वेदी जी, यह जो उप समिति बनी, इन्होंने पैरा नम्बर 2 और एजेंडे नम्बर 2 में जोधपुर में फल सब्जी मंडी को हस्तांतरित की गई जीरा मंडी प्रांगण से सटी 11 बीघा भूमि को जीरा मंडी के विस्तार हेतु राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि उपज मंडी समिति (अनाज) को पुनः हस्तांतरित किये जाने का निर्णय लिया। यह निर्णय मंत्रिमंडलीय उप समिति ने लिया।

समिति के निर्णय में आप यह कह रहे हैं कि जो समिति ने निर्णय लिया है, यह उस श्रेणी में आता ही नहीं है। अब मंत्रिमंडल की उप समिति की श्रेणी में आता नहीं है तो पहली बात इन्होंने एजेंडे में लिया क्यों? एजेंडे में लिया तो निर्णय क्यों किया? अगर निर्णय कर लिया तो आपके विभाग ने माना नहीं। यह सारी स्थिति सामने है और विभाग ने खुद इस निर्णय की पूरी पालना की है।

आपके उप शासन सचिव ने भी इसके अन्दर यह लिखा है कि इस निर्णय की पालना की जाये। उसके बाद 5.1.2015 को निदेशक, कृषि विपणन, इन्होंने भी, स्थानान्तरण नीति 2013 का पुनर्निरीक्षण कृषि विपणन विभाग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। पुनर्निरीक्षण पश्चात् उक्त नीति को मंत्रिमंडलीय उप समिति को प्रस्तुत किया जायेगा। स्थानान्तरण नीति 2013 के सम्बन्ध में निर्णय उपरांत ही प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सकेगी। इन्होंने मंत्रिमंडल में भेजा और उसके बाद में 15.06.2015 को निदेशक महोदय ने भी मुझे यह जवाब दिया कि गौण मंडी प्रांगण पावटा को भदवासिया स्थित स्थानान्तरित किये जाने सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थानान्तरण, नीति 2013 के प्रावधानों के अनुसार की जानी है। स्थानान्तरण नीति 2013 गत सरकार के पिछले 6 महीने के नीतिगत निर्णयों की परिधि में आने से मंत्रिमंडलीय समिति के समक्ष विचाराधीन है, जिस पर मंत्रिमंडलीय उप समिति का निर्णय अपेक्षित है। निर्णय के पश्चात् ही प्रकरण पर अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

यह आपके निदेशक बोल रहे हैं, जबकि आप कह रहे हैं कि यह तो इस श्रेणी में आता ही नहीं है। उसके बाद जब मंत्रिमंडलीय समिति ने निर्णय किया तो अतिरिक्त निदेशक ने भी निर्णय की पालना के लिए विभाग को पत्र

(श्री बाबू सिंह)

लिखा। यह 13.07.2015 का पत्र है और उसमें उन्होंने लिखा है कि 'विगत सरकार द्वारा अंतिम 6 माह में लिये गये निर्णय की समीक्षा हेतु गठित मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक दिनांक 7.5.2015 में जोधपुर फल सब्जी मंडी को हस्तांतरित की गयी जीरा मंडी प्रांगण... बस एक ही, लास्ट।

श्री उपाध्यक्ष: Sir, I can't allow. मैंने बहुत लिबर्टी दे दी That doesn't fall within the 131... यह 131 के परव्यू में नहीं आता। जिस प्रकार से हम यहां इस ...

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): मंत्री महोदय फरमा रहे हैं कि यह मंत्रिमंडलीय समिति की श्रेणी में नहीं आता।

श्री उपाध्यक्ष: आप उनसे क्वेश्चन पूछ लीजिये। I can't allow an exhaustive deliberation on that, nor a debate.

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): वह कह रहे हैं कि श्रेणी में नहीं आता, इसलिए कह रहा हूं। पूरा कर लेता हूं, बस यही है। दो ही हैं।

निदेशक ने भी इसकी पालना में कहा। आपके संयुक्त निदेशक ने तो फिर वापस कह दिया कि वह जो पत्र हमने लिखा है, उसकी आप पालना नहीं करें। यह सारा लिखा है।

मैं, मंत्री महोदय, आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे हिन्दुस्तान में जोधपुर की मंडी सबसे बड़ी मंडी के रूप में हो। इसके अलावा कोई और जमीन इसके पास में है नहीं। इसी खसरे की जमीन है, सटती हुई जमीन है। जो कांग्रेस शासन में निर्णय हुआ है, यह सरासर अन्याय है और बिलकुल गलत है। मैं आपसे चाहूंगा कि आप यह सैटेलाइट का नक्शा देख लें, यह 11 बीघा इसी खसरे की है, इसी के पास है। सब्जी मंडी जा रही है वह भदवासिया और यह मंडी है मंडोर, उसमें बीच में सड़क है और बहुत दूरी है।

मैं तो यह चाहूंगा कि न्यायपूर्ण है और यह 11 बीघा जमीन है, इसमें भी पूर्व सरकार ने अपने चहेतों को लाभ देने के लिए यह निर्णय किया था। सब्जी मंडी के व्यापारियों द्वारा इसमें भ्रष्टाचार की भी शंका है।

मैं तो आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ऊंझा मंडी की तरह यह जोधपुर की मंडी भी विश्वविख्यात हो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और हिन्दुस्तान के स्तर पर विख्यात हो। इसलिए यह 11 बीघा जमीन का जो मंत्रिमंडलीय समिति ने निर्णय किया है, उसकी आप पालना सुनिश्चित करायें।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): सेम ही है।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): आपका भी बोल दो, साथ ही।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): साथ जवाब हो जाये। एक साथ जवाब हो जायेगा। एक लाइन का क्वेश्चन है, सर।

श्री उपाध्यक्ष: रूल इसकी परमिशन तो नहीं देता but still I give you. अब आप कर लो। आप भी बोल लो। जो आपका प्रश्न पूछना है, पूछ लो।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मैं, मंत्रीजी, इसके साथ एक प्रश्न आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जोधपुर की जीरा मंडी पहले की स्थिति में ऊंझा के सेकण्ड नम्बर पर थी और अब आपके प्रयासों से वह इंडिया में फर्स्ट नम्बर मंडी है। अनेक व्यापारी दुकानों के लिए लाइन में लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा रेवेन्यू यह मंडी आपको दे रही है। ऊंझा से सारा माल बिकने के लिए वापस जोधपुर आने लग गया है। उसके बावजूद भी इस मंडी को ऊंझा मंडी की तरह डवलप करने के लिए और जमीन की आवश्यकता है। इसमें से ही जमीन काटकर के आप फल, सब्जी वालों को या अन्य मंडी को क्यों दे रहे हैं?

एक माननीय सदस्य: सामूहिक कर लें।

श्री उपाध्यक्ष: How can you speak like that?

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने सरकार का और विभाग का जीरा मंडी के समीप पड़ने वाली 11 बीघा जो जमीन है, उसके संदर्भ में ध्यानाकर्षित किया है। उसका सारा जवाब मैंने अपने वक्तव्य में दिया है। फिर भी कुछ प्रश्न आपने किये हैं। माननीय जोगाराम जी ने भी उठाया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा कि मंडी समिति है, समिति का अपना काम करने का एक अलग नजरिया है। उसका एक बोर्ड है। उसको फैसला लेना है कि क्या करना है और कैसे करना है। मैं समझता हूं कि स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए किसी भी मंडी समिति के अधिकारों में दखल नहीं किया जाना चाहिए। पूर्ण रुप से अगर कहा जाये तो यह मंडी समिति का आंतरिक मामला है। मंडी समिति के अलावा किसी दूसरे को यह जमीन ट्रांसफर नहीं की गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि यह मूल जो जमीन थी, यह हमारी अनाज मंडी की जमीन है। उस जमीन में 17 बीघा जमीन जीरा मंडी को दी गयी। 17 बीघा जमीन में से वहां पर लगभग 52 ऐसे व्यवसायी हैं जिनको आवंटन

(श्री प्रभू लाल सैनी)

किया गया। 19 लोगों को महिला कृषकों को भी भूमि आवंटित की गयी। निर्यातकों और कृषि प्रसंस्करण के 14 लोगों को भी वहां भूमि आबंटित हुई। अभी रिक्त 10 भूखंड वहां पर हैं। कुल मिलाकर 95 भूखंड वहां पर जीरा मंडी में हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल सही है कि जहां उत्पादन होगा वहां विपणन होगा। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट मंडी जीरा की घोषणा जोधपुर में की गई थी। यह भी सही है कि इस व्यवसाय को बढ़ाने के लिए 50 प्रतिशत मंडी शुल्क में भी छूट दी गई थी।

उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यह मंडी का काम रैगुलेटिंग है, चाहे वह जीरा हो, चाहे अनाज हो, चाहे फल सब्जी हो। किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य मिले, नम्बर वन। उपभोक्ताओं को सही रेट मिले।

इस सारे प्रकरण में जहां तक मैं समझा हूं कि मंडी समिति के जो प्रस्ताव थे और पूर्व सरकार के द्वारा 2012 में इसका फैसला हुआ। उसकी एक मीटिंग हुई। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में 19.06.2012 को एक मीटिंग हुई। मीटिंग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एग्रीकल्चर थे; प्रिंसिपल सैक्रेटरी, यू डी एच थे; सी एम डी, आर एस आर टी सी थे; कलेक्टर, जोधपुर थे; सैक्रेटरी जे डी ए थे; और डायरेक्टर, मार्केटिंग भी उसमें थे। इनके द्वारा जो फैसला हुआ उसमें फल सब्जी को 12 बीघा 5 बिस्वा जो जमीन थी, जो अभी पावटा में स्थित है, जहां पर सड़कों पर सब्जी आदि बेचने के लिए उत्पादक लोग रहते हैं, उसको ट्रांसफर करके आर एस आर टी सी की जो 15 बीघा जमीन थी, जो भदवासिया के पास है, जहां पर डिपो बना हुआ है, उसको देने की बात हुई। जो 20 बीघा जमीन अनाज मंडी की थी, उसमें से 11 बीघा जमीन जीरा मंडी को दी गई। 9 बीघा जमीन आज भी वहां पर ऐसी मौजूद है जहां पर अतिक्रमण किया हुआ है। अभी भी वह ट्रांसफर नहीं हुई। मात्र 11 बीघा का हस्तांतरण हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, जब इसका ट्रांसफर हुआ, तो मेरा आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को जानकारी देना है कि यह किसी अलग चीज को नहीं दे रहे हैं। वहां के लोगों को, फल सब्जी वाले लोगों को दे रहे हैं। हम इस बात के लिए कमिटेड हैं कि जीरा व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यकता होगी तो और व्यवस्थाएं करेंगे।

(श्री प्रभू लाल सैनी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो फैसला हो चुका, उस फैसले में आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गयी। मेरे ख्याल से 6 या 7-8 के लगभग इसकी याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में भी चल रही हैं। मामला कोर्ट में विचाराधीन है।

ऐसी परिस्थिति में मेरा तो आपके माध्यम से यही निवेदन है कि जो भी 11 बीघा भूमि का आबंटन हुआ है, वह फल सब्जी के विस्तार के लिए किया गया है। उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, यह मंत्रिमंडलीय उप समिति का निर्णय है, उसकी भी आप अवहेलना करें। 11 बीघा फल, सब्जी के लिए उच्च न्यायालय का स्टे है ही नहीं और न ही वहां विचाराधीन है। अनाज मंडी को, जीरा मंडी को दे रहे हैं। इसलिए यह उच्च न्यायालय का हवाला दे रहे हैं।

इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि लाखों का जीरा उसके अभाव में बह रहा है, बरसात में बह रहा है और यही जमीन है, उसमें और सब्जी मंडी में बहुत दूरियां हैं। कोई औचित्यपूर्ण नहीं है। माननीय, आप इसकी दुबारा समीक्षा करें, यह 11 बीघा जमीन है, इसे जीरा मंडी को दें ताकि जीरा मंडी का विस्तार सम्भव हो सके।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल।

मंडी प्रांगण स्थानांतरण नीति, 2013 के बिन्दु संख्या 3(6) में किए गए संशोधन की वापसी

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 131 के तहत मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान मंडी प्रांगण स्थानांतरण नीति 2013 में दिनांक 16.7.2015 को बिन्दु संख्या 3(6) में किए गए संशोधन को काश्तकारों के हितार्थ तुरन्त वापस लिए जाने बाबत आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने नियम 131 के तहत ध्यान आकर्षित किया है। इसके संदर्भ में मेरा निवेदन है कि माननीय विधायक महोदय द्वारा मंडी प्रांगण स्थानांतरण नीति, 2013 के प्रावधान संख्या 3(6) जो कि मंत्रिमंडल की आज्ञा संख्या 134/2015 के पश्चात् राज्य सरकार के आदेश दिनांक 16.7.15 द्वारा

(श्री प्रभू लाल सैनी)

विलोपित किया गया है, को पुन: प्रभावी किए जाने की आवश्यकता बताते हुए विलोपित प्रावधान को पुन: लागू किए जाने की वांछना की गई है।

मंडी प्रांगण स्थानांतरण नीति 2013 जो कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 18.9.2013 से प्रभावी की गई है, में प्रावधान संख्या 3(6) विलोपन से पूर्व था कि स्थानांतरण के कारण आबंटित किए जाने वाले भूखंडों का नम्बरिंग, चिह्नांकन, नवीन मंडी प्रांगण में सृजित भूखंडों और दुकानों में ब्लाकवार लाटरी के माध्यम से आबंटन से पूर्व किया जाएगा।

उक्त नीति के निर्धारण के वक्त मंडी समिति, बूंदी के मुख्य मंडी प्रांगण में स्थानांतरण किए जाने के साथ-साथ मंडी समिति, फल सब्जी जोधपुर के गौण मंडी प्रांगण पावटा का व्यवसाय स्थानांतरित किया जाना निर्धारित था। व्यवसाय स्थानांतरण हेतु मूल उद्देश्य यह है कि स्थानांतरित किए जाने जाने वाले व्यवसायियों की सहमति से आबंटन हो सके एवं कोई विवाद न हो। किन्तु इस बिन्दु के प्रावधान के तहत लाटरी करने की पुरानी मंडी में अवस्थित व्यापारियों को स्थानांतरित करने से कहीं कठिनाई महसूस की गई।

उक्त प्रावधान के विलोपन के सम्बन्ध में राज्य सरकार के स्तर पर आयोजित बैठक एवं हितग्राहियों से विचार-विमर्श के उपरांत निर्णय किया गया है कि व्यापारियों द्वारा उनकी सहमति के अनुरूप एक साथ ब्लाकवार जिंस विशेष की प्रवृत्ति के अनुसार व्यापारियों को उपलब्ध भूखंडों की अवस्थिति के अनुसार विचार करने पर उनकी सहमति से हो, तो व्यापार सुगम रूप से स्थानांतरित हो सकेगा।

अत: बैठक में सभी पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए, अधिकारियों से प्राप्त सुझावों पर भी विचार-विमर्श उपरांत स्थानांतरण नीति के बिन्दु संख्या 3(6) स्थानांतरण के कारण आवंटित किए जाने वाले भूखंडों का नम्बरिंग व चिह्नांकन नवीन मंडी प्रांगण में सृजित भूखंड दुकानों के ब्लाकवार लाटरी के माध्यम से आबंटन से पूर्व किया जाएगा, को विलोपित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त प्रावधान मंत्रिमंडल की आज्ञा संख्या 134/2015 से अनुमोदन प्राप्त कर विलोपित किया गया है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो पार्ट में क्वेश्चन पूछूंगा। मैंने प्रश्नावली मंत्रीजी को दे दी है। पहला प्रश्न, मंत्रीजी, यह

(श्री जोगाराम पटेल)

है कि क्या यह सही है कि कृषि उपज मंडी समिति, फल सब्जी, पावटा, जोधपुर व अन्य मंडियों की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य किसानों के हितों की सुरक्षा करना था व है? यदि ऐसा था तो मंडी समिति फल सब्जी, पावटा, जोधपुर से मंडी प्रांगण स्थानांतरण नीति, 2013 के अनुसार किस-किस श्रेणी के कितने-कितने व्यापारियों, फल और सब्जी के विक्रेता नवीन मंडी प्रांगण भदवासिया, जोधपुर में स्थानांतरित किये जा रहे हैं? कितने व्यापारियों को आप शिफ्ट कर रहे हैं? एक।

क्या यह सही है कि आपके विभाग के अधिकारियों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के विशेष एतराज के बावजूद भी, जब मैंने यह काल अटेंशन मोशन लगाया उसके जवाब में आपने जो छिपाया है वह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं; अधिकारियों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के विशेष एतराज के बावजूद भी जवाब में पावटा मंडी, जोधपुर स्थित दुकानों की साइज, नवीन मंडी भदवासिया, जोधपुर में बनने वाली दुकानों की साइज और किस श्रेणी के कितने व्यापारी शिफ्ट हो रहे हैं उनकी संख्या, बनने वाली दुकानों की संख्या व जमीन के क्षेत्रफल को जानबूझकर छिपाया?

इससे रिलेटेड तीसरा। क्या यह सही है कि सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, फल सब्जी, पावटा, जोधपुर ने भदवासिया स्थानांतरण से पहले बड़ा खेल खेलते हुए उन 6 फुटकर व्यापारियों के नाम भी स्थानांतरित होने वाले व्यापारियों में शामिल कर दिए जो नवीन मंडी में दुकानों के आबंटन के पात्र नहीं हैं तथा जिला कलेक्टर ने भ्रष्टाचार के इस खेल को पकड़ा? जिसकी सभी समाचार पत्रों में जोधपुर में खबरें प्रकाशित हुईं। क्या, मंत्रीजी, इस सम्बन्ध में कार्यवाही करेंगे? इसके बाद सेकंड पार्ट।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, 3(6) बिन्दु की ओर था इनका, उसको विलोपित किया, क्यों किया, उसके बारे में था। फिर भी माननीय सदस्य जानना चाहते हैं। चूंकि वहां पर जिला कलेक्टर की कमेटी हम लोगों ने बनाई ताकि निष्पक्ष रूप से उन व्यापारियों को जो मंडी में काम कर रहे हैं, अचल सम्पत्ति आबंटन नीति 2005 और स्थानांतरण नीति 2013 में अंतर हमको समझना पड़ेगा। दोनों चीजें अलग-अलग हैं। एक तो अचल सम्पत्ति आबंटन नीति है जो कि पूरी मंडियों की आबंटन प्रक्रिया को निर्धारित करती है, और इसका जो उद्देश्य था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह ट्रांसफर था। एक्जिस्टिंग

(श्री प्रभू लाल सैनी)

व्यापारी जो काम कर रहे हैं, उन्हीं व्यापारियों को उनकी सहमति से वहां ट्रांसफर करना था। नए लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, जो लाइसेंसी हैं, जो वहां पर काम कर रहे हैं, उन लोगों को ही इसमें ट्रांसफर किया जाना था। उसकी प्रक्रिया की मंडी स्तर पर हम लोगों ने कार्यवाही की। वहां पर जिस प्रकार से अलग-अलग, मैं समझता हूं कि 164 के लगभग ऐसे दुकानदार या ऐसे लाइसेंसधारी हमारे व्यवसायी हैं जिनको ट्रांसफर करने का विषय सामने था।

एक्चुअली वह पूरा फिगर मेरे ध्यान में नहीं है लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि आपने कहा कि वहां भ्रष्टाचार था। यह विषय 2012 से चल रहा है। सरकार की एक ही मंशा यह है कि फल सब्जी के जितने भी लाइसेंसी हैं या फिर विक्रेता हैं उनको सुविधा मिले। आजकल आधुनिक दृष्टि से सारे व्यापार ट्रांसफर और स्थापित होने चाहिए और उसी बात को ध्यान में रखते हुए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके ट्रांसफर की प्रक्रिया वहां अपनाई जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष: हो गया?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मैंने पूर्व में निवेदन किया था, दो पार्ट में इसे पूछूंगा। पहला तो मेरा निवेदन है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्नावली लिखकर दी है फिर भी उसका जवाब नहीं दिया। आपकी, सरकार की मंशा पर हमारा कोई शक नहीं है। आप मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिए। आपने कहा कि इन्होंने

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आप तो सरकार में हो। कहो, हमारी सरकार। कह रहे हो, आपकी सरकार। उल्टा कैसे बोल गये आप? (व्यवधान) इन्होंने कहा है, आपकी सरकार।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आपको न तो सुनाई देता है और न समझ में आता है। इसीलिए विराजें आप, तो ठीक रहेगा।

आपने कहा कि यह स्थानांतरण नीति और 2005 की नीति में फर्क है। इस नीति का बिन्दु ही यही था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्थानांतरण के कारण आबंटित किए जाने वाले भूखंडों की नम्बरिंग नवीन मंडी प्रांगण में सृजित दुकानों/भूखंडों में ब्लाकवार लाटरी से आबंटित किए जाने, तो जो व्यापारी स्थानांतरित किए जाने हैं, वही बिन्दु था; दूसरा बिन्दु नहीं है। आप इस प्रश्न के जवाब को टालने का प्रयास नहीं करें, पहला।

(श्री जोगाराम पटेल)

जब मैंने अपने इसमें बिन्दुवार लिखा है कि इस साइज की दुकानें हैं, वहां इस साइज की दी जा रही हैं, दस-बाई-दस की दुकान के अगेंस्ट में आप अठारह-बाई-पचास की दुकान दे रहे हैं, अठारह-बाई-साठ तक की दुकानें आप दे रहे हैं। बिन्दुवार इसमें लिखा है और आप कह रहे हैं कि हमने पूछा नहीं। मेरा सारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आपके पास है, यह मेरे इसमें बिन्दुवार हैं। इसके जवाब में जानबूझकर एक भी जवाब नहीं दिया गया है मेरे बिन्दुओं का।

तीसरा प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं, मेरा निवेदन है, नवीन मंडी प्रांगण, भदवासिया, जोधपुर में जहां पावटा जोधपुर के फल सब्जी के व्यापारियों को शिफ्ट किया जा रहा है वहां कुल कितनी जमीन है? बनने वाली दुकानों व अन्य परिसरों का ले-आउट प्लान किसने व कब एप्रूव किया? क्या इस नक्शे में किसानों के माल को रखने, नीलामी का चबूतरा व अन्य स्थान निर्धारित किये गये हैं या नहीं? यदि हां, तो किस साइज के, कहां पर? मंत्रीजी यह भी बताएं कि किस साइज की दुकानें बन रही हैं?

क्या यह सही है कि कलेक्टर, जोधपुर ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय/आदेश के अनुसार वास्तविक अध्ययन करने के उपरांत यह पाया कि गौण मण्डी, फल-सब्जी, पावटा, जोधपुर के स्थानान्तरित होने वाले फल-सब्जी विक्रताओं के पास 10x10 फीट एवं 10x12 फीट की दुकानें हैं जबकि उसके बदले नवीन मण्डी, भदवासिया, जोधपुर में उन्हें 18x50 फीट की दुकानें देना उचित है क्या? क्योंकि उससे अन्य व्यापारियों व महिला कृषकों के लिए कोई स्थान शेष ही नहीं बचेगा। इसमें नीलामी का चबूतरा व काश्तकारों को माल रखने का स्थान ही निर्धारित नहीं है। इससे विधिवत ले-आउट प्लान बनाकर एप्रूव कराने हेतु आपके पास भेजा है।

उपाध्यक्ष महोदय, अंतिम, क्या यह सही है कि कृषि मण्डी समिति, फल-सब्जी, पावटा, जोधपुर को स्थानान्तरित करने की कार्यवाही पिछले तीन-चार सालों से भी अधिक समय से चल रही थी? तथा जब उन्हें यह भान हो गया, जो व्यापारी एक ही जाति के हैं, कि मण्डी को सरकार स्थानान्तरित कर रही है तो उन्होंने आप पर दबाव बनाकर मण्डी ...(व्यवधान) आप सुनो जवाब लिखित में।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): सीधे बोलो। जवाब नहीं आएगा।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): सीधे मैं बोल जाऊं, तो मैंने लिखकर दिया, आप जवाब दे दो। आपने एक जवाब नहीं दिया। आप जवाब दे दो।

(श्री जोगाराम पटेल)

बिन्दु संख्या 3 को न केवल हटाया बल्कि नवीन मण्डी, भदवासिया, जोधपुर की साइज बदलकर 18x50 फीट करवा दी, ताकि उनके सिवाय वहां पर दूसरे व्यापारी या किसानों को स्थान ही नहीं मिले। क्या मैं यह प्रश्न पूछूं कि जब पता लग गया व्यापारियों को कि यह मण्डी स्थानान्तरित हो गयी है तो उन्होंने प्लाटों की साइज बदल दी, दुकानों की साइज बदल दी? यह नीतिसंगत था कि हर ब्लाक में काश्तकार को सेम प्लाट आबंटित किया जाएगा, उनके पीछे 20 प्रतिशत रिजर्व कोटा उनको आबंटित किया जाएगा। आपने इस नीति को, इस बिन्दु को हटा दिया, जो चर्चा वहां चल रही है।

मंत्रीजी, मेरे इन तीन प्रश्नों का जवाब दे दें कि यह क्यों किया गया? जब आपको पता लग गया कि मण्डी स्थानान्तरित हो रही है तो फिर किसको फायदा देने के लिए इस नीति को हटाया गया? यह नीति ट्रांसफर होने वालों के लिए ही थी।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): सीधा आरोप है।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्ष: क्या हुआ? इन तीन का तो जवाब आने दो।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विद्वान, लायक दोस्त, आप वकालत भी करते हैं, मण्डी के सदस्य भी हैं। मैं इतना निवेदन आपसे करना चाहूंगा, मैं इनसे अनुरोध करूंगा, ...

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मैं इस मण्डी का सदस्य नहीं हूं। कृपया माफ करें।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): मैं आपके माध्यम से इनसे निवेदन करना चाहूंगा कि स्थानान्तरण नीति, 2013, क्लाज 2 (7) का अध्ययन कर लें। बिन्दु संख्या 4...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप इनको मण्डी का सदस्य ही बना दो। यह समस्या ही खत्म हो जाए।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): मेरे जानकारी में रह गया। दूसरी में होंगे शायद। दूसरी मैं हैं माननीय सदस्य। (व्यवधान) मैंने यह तो नहीं कहा कि जिले में हैं या उसमें हैं। अनाज मण्डी में हैं? (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहला आपका सवाल यह है कि प्लाटों की साइज छोटी क्यों हुई। इसके संदर्भ में आपको जानकारी देना चाहूंगा, पावटा की

(श्री प्रभू लाल सैनी)

जो मण्डी है, 323 व्यापारी, आबंटी अनुज्ञापत्रधारी हैं। इनको शिफ्ट करना है। वहां पर दो कैटेगरी के व्यापारी व्यवसाय करते हैं। सब्जी मण्डी के 'क' वर्ग दलाल हैं जो 164 हैं, जैसा मैंने अभी आपको कहा। सब्जी मण्डी के अतिरिक्त वहां जो व्यवसाय करते हैं, केला वगैरह के व दूसरे लोग हैं, 159 वे लोग हैं। वहां पर कुल मिलाकर 323 लाइसेंसी, हमारे व्यापारी हैं। वहां पर हमारे पास दो ब्लाक उपलब्ध हैं। दो ब्लाकों में से एक में तो 225 भूखण्ड उपलब्ध हैं, एक ब्लाक में 172 भूखण्ड उपलब्ध हैं।

फिर आपने कहा, साइज कम क्यों कर दी। साइज कम करने, बढ़ाने का काम राज्य सरकार नहीं करती है। यह मण्डी का अपना आंतरिक मामला होता है। मण्डी स्तर पर डिसाइड करके वहां से प्रपोजल आता है। प्रपोजल आने के बाद उसका यहां पर चिह्नीकरण किया जाता है उसके नक्शे में। उसके बाद होता है। जो दुकानों की साइज की आपने बात कही है, वहां पर 18x50 व 12x30, यानी 172 भूखण्ड वाले लोग हैं वे दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जो छोटा व्यापार करते हैं। बड़े वाले जो 225 भूखण्ड हैं उनमें 18x50 की दुकानों के प्रपोजल प्राप्त हुए थे। फिर भी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छोटे-बड़े प्लाट करने का काम मण्डी समिति के अपने प्रस्ताव हैं।

मैं समझता हूं, इससे ज्यादा जवाब, आपने जो ध्यानाकर्षण किया है, मैंने पूरा ध्यान आकर्षित कर लिया है, मैंने देख लिया है और नियमों में जो प्रावधान थे उसी के अनुसार कार्यवाही की है और अभी भरोसा आपको दिलाता हूं, इसमें कोई लीगली प्राब्लम नहीं होगी तो उसको मैं दिखवा लूंगा, लेकिन शत-प्रतिशत इसमें 2012 से अब तक चली आ रही प्रक्रिया को किसी भी सूरत में नहीं रोका जाएगा। आबंटन की प्रक्रिया कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर हम लोग कर रहे हैं, उसको शीघ्र करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। श्री गोपाल कृष्ण।

समिति का प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति ''ख'' 2015-16 (क्र.सं. 3)

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्राक्कलन समिति ''ख'', 2015-16 के तृतीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री चन्द्रभान सिंह जी।

याचिका

लुहारिया फीडर का निर्माण

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार लुहासिया तालाब को भरने के लिए लुहारिया फीडर के निर्माण बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री भागीरथ चौधरी।

अराई पर उपखण्ड कार्यालय की स्थापना

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय अराई पर उपखण्ड कार्यालय की स्थापना बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री विजय बंसल।

भरतपुर से वाया चिकसाना उत्तर प्रदेश सीमा तक सड़क का नवीनीकरण

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार भरतपुर विधान सभा क्षेत्र में भरतपुर से चिकसाना होते हुए उत्तर प्रदेश सीमा तक सड़क का नवीनीकरण करने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: विधायी कार्य। विचारार्थ लिया जाने वाला विधेयक। राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबंध उत्तरदायित्व विधेयक, 2016 ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी।

परिनियत संकल्प

राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबंध उत्तरदायित्व अध्यादेश, 2016

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान में और राज्यों के राज्यपालों के अधिकार में जब विधान सभा नहीं हो, उस समय अध्यादेश जारी करने की शक्तियां प्राप्त हैं। आर्टिकल 213 में विधान मण्डल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

शक्ति, उसमें लिखा है ''यदि किसी समय राज्यपाल का यह समाधान हो जाय कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उसके लिए आवश्यक हो गया है तो ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जो उसे उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हो।''

राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबंध उत्तरदायित्व विधेयक, 2016, इसमें भी माननीय मंत्री महोदय ने यह लिखा है कि "वित्तीय पुनर्संरचना, दीर्घ-अवधि योजना के क्षेत्रों में पोषणीय आधार पर समर्थन, कार्पोरेट गवर्नेंस, विनियामक अनुपालनों के माध्यम से उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत प्रदाय हेतु समर्थ बनाने के लिये, राज्य के स्वामित्वाधीन वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वित्तीय और प्रचालन प्रतिवर्तन तथा दीर्घ-अवधि पोषणीयता को सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकार तथा राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के उत्तरदायित्वों के लिये और दिशा-निर्देशों तथा विभिन्न अन्य अध्युपायों को अधिकथित करने के लिये उपबन्ध किया जाना समुचित समझा गया है।'' चूंकि राजस्थान की विधान सभा सैशन में नहीं है इसलिए 7 जनवरी, 2016 को राजस्थान राज्य विद्युत, यह अध्यादेश राज्यपाल महोदय ने जारी किया, जो 11 तारीख को असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ।

मैंने दिया परिनियत संकल्प, उपाध्यक्ष महोदय। परिनियत संकल्प संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत है। इसलिए मुझे एक तो संविधान का संरक्षण प्राप्त है और संविधान के अन्तर्गत आसन का संरक्षण प्राप्त है। इसलिए मैं समझता हूं कि आज मुझे बोलने का अवसर मिलेगा, क्योंकि मैं संरक्षित हूं, किसी पर आश्रित नहीं हूं। इसलिए मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मैंने इस विद्युत वाले में जो और भी संशोधन दिये हैं उन सब पर मैं नहीं बोलूंगा। इसी में मैं अपनी बात करने का प्रयत्न करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत देर तक, रात को मैं इसको पढ़ता रहा और पढ़ने के बाद मेरे ध्यान में आया कि ये जो विधेयक लाये गये हैं, पहले तो मेरे यह समझ में नहीं आया कि विधान सभा का जब 2 फरवरी को नोटिफिकेशन हो गया तो 7 जनवरी को ऐसी कौनसी आफत आ गयी थी जिसके कारण अध्यादेश जारी करना पड़ा। 7 जनवरी से लेकर 2 फरवरी के बीच में सरकार ने वे काम सारे कर दिये जो इस अध्यादेश को जारी करने के लिए आवश्यक थे, वे कारण मैं जानना चाहूंगा। क्योंकि कारण वे होने चाहिए जिनमें ऐसी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

परिस्थितियां विद्यमान हों। वरना तो विधान सभा की विधेयक की शक्तियां ही समाप्त हो जाएंगी; जब चाहे सरकार अध्यादेश जारी कर देगी। तो पहले तो माननीय मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि 7 जनवरी से लेकर 2 तारीख तक ऐसे कौनसे काम कर दिये जिसके कारण से यह अध्यादेश लाने की आवश्यकता थी और यह भी बतायेंगे कि वे कौनसी परिस्थितियां विद्यमान हो गई थीं जिनके कारण से सरकार को यह लाना पड़ा? जहां तक मेरी जानकारी में है, यह मंत्री जी ठीक कर देंगे, यह जो बिल है, वह बाई नोटिफिकेशन पारित कराया गया है और सीधा राज्यपाल के पास भेज दिया। तो मंत्रिमण्डल के किसी सदस्य की राय भी शायद इस पर नहीं आई। और आई हो, तो बहुत बढ़िया बात है। मुझे कोई इसमें समस्या नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत खतरनाक विधेयक है। इस विधेयक के पारित होने के बाद में वे सारी चीजें सरकार के हाथ में जाएंगी, बेचने के लिए। मैं आपको इसकी तीन-चार धाराएं पढ़कर सुनाता हूं। कुछ बातें अंग्रेजी में पढ़ देता हूं ताकि हिन्दी जानने वालों को समझ में आ जाएं, कुछ बात हिन्दी में पढ़ूंगा ताकि वे अंग्रेजी जानने वालों के समझ में आ जाएं। उपाध्यक्ष महोदय, पेज 31, "(h) the formation of subsidiaries..." ये क्या करेंगे; "the formation of subsidiaries, joint venture companies or other schemes of division, amalgamation, merger or reconstruction or arrangements in relation to the State Distribution Licensees which shall promote the profitability and viability of the resulting entity, ensure economic efficiency, public-private partnership, encourage competition and protect consumer interests; and..." यह बिल पास होने के बाद में चाहे छबड़ा की इकाई बेचो, चाहे और कोई इकाई बेचो, चाहे कोल माइंस किसी को दो, चाहे आप सारे जी एस एस बने हैं वे बेचो, उसके लिए हम अधिकृत कर देंगे। क्या-क्या काम करने के लिए? कि प्राइवेट कम्पनी से जोइंट वेंचर कर लें, पी पी पी मोड पर कर लें और हम जोइंट वेंचर कर लें और प्रोफिटेबिलिटी के करें। और किस चीज का अधिकार देना चाहते हैं हम? हम उस चीज का अधिकार देना चाहते हैं कि जिसके लिए 80 हजार करोड़ रुपये अभी हमने 'उदय' अभियान के अन्तर्गत चुकाकर राज्य सरकार पर बोझ डाला। कर्ज मुक्त होने के बाद में अब जो हमारे ये संस्थान बचे हैं, ये संस्थान हम किसी को पी पी पी पर कर लें, किसी को जोइंट वेंचर पर कर लें और किसी को किसी स्टेज पर कर लें। इसकी इतनी जल्दी 7 जनवरी को क्या आवश्यकता पड़ गई थी, जबकि विधान सभा का सत्र होने वाला था? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा कि जब बिल हम लाते हैं तो किसी पार्टी का बिल नहीं है। हम पार्टी-लाइन से ऊपर उठकर इस पर विचार करें और इस पर विचार कर लें कि इसकी हमको आवश्यकता क्या है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस पर जाने से पहले मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि यह कहानी कहां से शुरू होती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका समय लूंगा, यह इतिहास अगर माननीय सदस्य जानेंगे तो पता लगेगा कि हम किस प्रकार से टाई लगाये हुए, अंग्रेजी बोलने वाले जो प्रोफेशनल्स आते हैं, जो दिखाते हैं, उन्होंने हमारे राज्य को कैसे डुबोया है। इसमें हमारा भी योगदान है और कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। वर्ष 1949 में जब राजस्थान बना था तो हमारे पास कुल 42 कस्बों में बिजली थी और 13.27 मेगावाट बिजली हम पैदा करते थे। अर्थात्, 3 लाख यूनिट बिजली हमारे पास थी जिससे वर्ष भर में 500 स्प्लिट ए.सी. चलाये जा सकते थे। यह हमारी स्थिति थी। आज हमारी उत्पादन क्षमता 15,916 मेगावाट है। आर वी पी एन के माध्यम से, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम की जो वेबसाइट है, उसमें लिखा है कि 15,916 मेगावाट बिजली हम पैदा करते हैं, 13.27 के बजाय। इसमें से 3,014 एम डब्ल्यू विंड सम्मिलित है, हवा से आने वाला, और 605 मेगावाट सोलर से हमारे पास है। 28.3.2016 को हमने 1660 यूनिट बिजली खर्च की। यह हमारा उसका इतिहास है। मार्च माह में 2,041 लाख यूनिट प्रतिदिन का वेरियेशन रहा। अतिरिक्त बिजली की आवश्यकता होती है उसी दिन बिजली हम खरीदते हैं। जब 3 लाख यूनिट थी तो 3 लाख यूनिट से 1,000 लाख यूनिट तक बिजली बढ़ाने में बिजली बोर्ड की स्थिति खराब नहीं हुई। माननीय सदस्य इस पर ध्यान करेंगे। जब बोर्ड था, आर.सी. दवे साहब चेयरमैन थे, पृथ्वीसिंह जी चेयरमैन थे, उपाध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने अथक प्रयत्न किया और मैं आज उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, दवे साहब और पृथ्वी सिंह जी जैसे लोगों को, इंजीनियर्स को, जिन्होंने 3 लाख यूनिट से 1,000 लाख यूनिट तक बढ़ाई और उसमें बहुत कम में उन्होंने यहां तक पहुंचाई।

उपाध्यक्ष महोदय, अब खेल शुरू होता है। 1,000 लाख यूनिट से 15 लाख यूनिट करने में कम्पनियों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। यहां से लूटने का काम शुरू हुआ। लूट शुरू हो गई यहां से। 500 लाख यूनिट बढ़ाने में कई नियम बदल दिये गये। छीजत रोकने के लिए फीडर रिनोवेशन का

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कार्यक्रम किया गया; बिजली की जमकर ट्रेडिंग की गई; सरकार को राजस्व की हानि होने दी; सरकार को जो सब्सिडी देनी थी वो बोर्डों को सब्सिडी नहीं दी; बैंकों से कर्ज लिया; कर्ज को चुकाने के लिए कर्ज लिया; कर्ज के बॉण्ड जारी किये और बिजली की बद से बदतर स्थिति हो गई। आखिर अपना पावर फाइनेंस कार्पोरेशन बना और, अन्त में, प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए कि 'उदय' योजना आई, जिसके अन्तर्गत हम बच गये, वरना हम समाप्त हो जाते। पर ये जो बीच में काम हुए, इन कामों ने 80 हजार करोड़ तक पहुंचाया।

मैं आज पूछना चाहता हूं कि ये कम्पनियां क्यों बनीं? मैं आज पूछना चाहता हूं कि फीडर सुधार का जो 10 हजार करोड़ का कार्यक्रम था, जिससे छीजत कम करनी थी, वह 10 हजार करोड़ भी खा गये हम और छीजत भी खा गये। छीजत 31 परसेंट, 15 परसेंट करने के लिए हमने 10 हजार करोड़ रुपये खर्च किये। कौन जिम्मेदार है? किसी पर आज तक जिम्मेदारी तय नहीं हुई। 80 हजार-80 हजार करोड़, हम सारे राजस्थान को लूट रहे हैं। कौन 10 हजार करोड़ रुपया खा गया, यह पूछिये आप तो। किस अफसर ने, किन्होंने योजना बनाकर दी थी? उपाध्यक्ष महोदय, योजना देने वाले राज्य के बाहर से आते हैं। आज भी स्थिति है, आज भी मंत्रिमण्डल के कई मंत्रियों को पता नहीं है और बहुत सलाहकार बने हुए हैं, रिटायर्ड आई ए एस हैं, या कोई कहां-कहां के हैं, मुझे ध्यान नहीं है, वे मीटिंग कर लेते हैं, फैसला कर लेते हैं और फिर बाद में मंत्री लोग उस पर दस्तखत कर देते हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आर. जी. गुप्ता।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं किसी का नाम नहीं लेता। मैं राज्य के हित की बात कर रहा हूं, मुझे करने दें। पोलिटिकल बात मैं इसमें नहीं कर रहा हूं।

तो यह जो फीडर रिनोवेशन कार्यक्रम हुआ और 10 हजार करोड़ रुपये लगे और इसमें कोई लाभ नहीं हुआ, उलटा घाटा हुआ।

मैं पहली मांग करता हूं कि इस फीडर रिनोवेशन कार्यक्रम में जो खर्चा हुआ, उसकी जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाए और जिन्होंने लूटकर खाया है राजस्थान को, उनको दण्डित किया जाना चाहिए। किस बात का खा गये? 10 हजार करोड़, किनसे ट्रांसफार्मर खरीदे गये, कितने ट्रांसफार्मर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

लगाये गये, कोई आज कहने वाला ही नहीं है। उसकी स्पेशल आडिट सी ए जी के माध्यम से होनी चाहिए और उन लोगों को, जनता के पैसे खाने वालों को छोड़ देना उचित नहीं है। इस फीडर रिनोवेशन के बारे में मांग करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर कहता हूं कि यह 2000 से कहानी शुरू हुई। यह मैंने आपको स्टोरी बता दी। यह कहानी शुरू हुई 10/2000 से, जब अशोक गहलोत साहब की सरकार थी और उन्होंने कम्पनियां बनाने का तय किया। ये कम्पनियां कहां से आ गईं? उपाध्यक्ष महोदय, वर्ल्ड बैंक ने, और ये जो नीति लाते हैं न, गहलोत साहब की सरकार ने वर्ल्ड बैंक के माध्यम से यहां बोर्ड को तोड़कर तीन कम्पनियां बनाईं; तीन की पांच हो गईं। पहली कम्पनी बनी विद्युत उत्पादन, दूसरी प्रसारण और तीसरी वितरण की तीन कम्पनियां बनीं और पांच कम्पनियां हो गईं। उतना ही एस्टेब्लिशमेंट का कास्ट बढ़ गया। ये तीन अलग-अलग क्या हैं, ये मेरे समझ में नहीं आया। एक पैदा करती है; दूसरी फिर ये जो बड़ी लाइन है न, 11 के.वी. से ऊपर हाई टेंशन की, उसमें बिजली का प्रसारण करती है; और फिर वह जब नीचे आ जाती है 132 जी एस

(14.00 बजे)

एस में, 33 में, 11 में, उसके बाद में ये छोटे-छोटे तार होते हैं, उन तार से हमारे पास पहुंचती है। मोटे तार वाली एक कम्पनी, छोटे तार वाली एक कम्पनी और पैदा करने वाली एक कम्पनी, ये कम्पनियां बन गईं। इन कम्पनियों ने बनने के बाद में लूट की शुरुआत की और वह शुरुआत इतनी हद तक हुई कि उस पर कोई कल्पना नहीं कर सकते।

जो विश्व बैंक है, उन्होंने जब उसमें भेजा था, तो मेरे पास एक नक्शा भेजा था- यह यहां पर हम बिजली पैदा कर रहे हैं; यह मोटे तार लगे हुए हैं, ये मोटे तार प्रसारण करते हैं; फिर ये छोटे तार लगे हुए हैं, वे वितरण हमारे तक पहुंचाते हैं। ये पांच कम्पनियां ये काम करने लगीं। इन कम्पनियों ने 19 जुलाई, 2000 को आर एस ई बी, राजस्थान के बिजली मण्डल को भंग कर दिया गया और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम बना, प्रसारण की कम्पनी राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण कम्पनी बनी, और जयपुर, अजमेर और जोधपुर, ये वितरण कम्पनियां बनीं। हमने उसका उस समय विरोध किया था विधान सभा में। शेखावत साहब भी थे। हम सबने इसका बहुत जबरदस्त विरोध किया था कि ये नहीं की जाये लेकिन ये विश्व बैंक के माध्यम से किया गया और विश्व बैंक ने विकासशील देशों की बात विकासमान देशों के

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

लिए थोप दी। आज यह मॉडल सारी दुनिया भर में फेल हो गया है और इसी मॉडल का परिणाम हमको भोगना पड़ रहा है। अब इस मॉडल का जब परिणाम भोग रहे हैं, तो फिर एक यह नया मॉडल इसी आधार पर लाने की क्या जरूरत पड़ गई? इस मॉडल का ही दूसरा रूप ये कानून है। इसी मॉडल का दूसरा रूप ये कानून है। ये पांच ही लूटने के लिए पर्याप्त थे; और राजस्थान को लूटने की क्या आवश्यकता है?

उपाध्यक्ष महोदय, यह काम किया गया दो प्रकार का। पहला किया, टेलीकाम और विद्युत में फर्क है; टेलीकाम का किया गया, इसका प्रचार किया गया। दूरसंचार का तो जो किया गया, उसका फायदा हुआ। सरकार स्पेक्ट्रम बेचती है, स्पेक्ट्रम को 10-15 कम्पनियां खरीद लेती हैं, एयरटेल खरीदता है, वोडाफोन खरीदता है, और सरकार बी एस एन एल के माध्यम से मौजूद रहती है। उनमें कम्पीटिशन होता है और कम्पीटिशन से अगर वह काम पूरा हो गया, लेकिन यहां क्या है? यहां तो ग्रिड सब-स्टेशन हैं। यहां प्रसारण सरकार का ही काम है, उनका नहीं है। यहां कम्पीटिशन नहीं है। इसलिए यह जो प्रतिस्पर्द्धा जब होती, तब उत्पादन की सारी कम्पनियां होतीं, प्रसारण की सारी कम्पनियां होतीं और वितरण की भी बहुत सारी कम्पनियां होतीं और उपभोक्ता को यह स्वतंत्रता रहती कि वह किस उत्पादक, प्रसारक और वितरक से बिजली लेना चाहता है। इसलिए वर्ल्ड बैंक का यह मॉडल पूरी तरह से हमारे यहां फेल हुआ। आज हम चाहें तो एयरटेल ले सकते हैं, चाहे वोडाफोन ले सकते हैं, चाहे दूसरा ले सकते हैं; प्रतिस्पर्द्धा है। अब बिजली में क्या है? हम मजबूर हैं इन कम्पनियों से बिजली लेने के लिए। कोई प्रतिस्पर्द्धा नहीं, कोई स्वतंत्रता नहीं है। यह चाहे जिस प्रकार से लूटे, उसका काम, उनको छूट है। बिजली कम्पनियों में बड़ा घोटाला हुआ और उस घोटाले के कारण से हम आज बड़ी बात कर रहे हैं।

इन बिजली कम्पनियों के घोटाले के काम की सबसे पहले शुरुआत हुई, उपाध्यक्ष महोदय, आपको ध्यान होगा, एनरॉन नाम की कम्पनी थी; डाभोल, महाराष्ट्र में उसको सबसे पहले यह उत्पादन का काम दिया गया था। शरद पवार जी वहां थे उस समय मुख्य मंत्री। वह काम हुआ था। उसका देश भर में बहुत विरोध हुआ था और उसको सब कुछ दे दिया था, लेकिन भगवान की इच्छा थी, देश का भाग्य ठीक था कि केलिफोर्निया में उस कम्पनी ने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का और गलत काम किया। वहां वह कम्पनी डूब गई, तो महाराष्ट्र भी बच गया, हम भी बच गये। वरना तो हम सब फंसते।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जमीन हमारी, कोयला हमारा, पैसा बैंकों का, फायदा कम्पनी का और घाटा जनता का। यह प्राइवेटाइजेशन है इसमें। कोयला हम सप्लाई करते हैं, जैसे जब इनको कोयला नहीं मिल रहा था तो भारत सरकार ने कोयले की खान आबंटित की; दो खानें हमको भी आबंटित हो गईं; सबको हो गईं। कालीसिंध-छबड़ा के लिए हमको दो खानें आबंटित हो गईं। दो खान हमको आबंटित हुईं तो हमने वे खानें उसी आदमी को दे दीं, जैसे पहले सरकार ने बिना पैसे के उनको खान दी थी। वे खान उनको मिल गईं। अब उस खान में अब अगर हम कालीसिंध को बेचेंगे और छबड़ा को बेचेंगे, तो उनके नाम से वह दोनों कम्पनियां, जिनको दी हुई हैं, वही खरीदेगा और हमारा सारा बना-बनाया काम उसके हाथ में चला जायेगा। यह इस बिल में है। जिस दिन यह पारित हो जायेगा, कोलोब्रेशन भी हो जायेगा अमलगमेशन भी हो जायेगा, जोइंट वेंचर भी हो जायेगा, पीपीपी भी हो जायेगा। यह इसकी समस्या है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि लाभ कारपोरेट सैक्टर का और जो घाटा है, वह उसका।

अब जब आपने यहां तक स्थिति पैदा कर दी, तो एक प्रश्न पैदा होता है। प्रश्न यह पैदा होता है कि स्वाधीनता का आंदोलन करने वाले लोग या इतने बरस तक राजनीति करने वाले लोग, क्या इसलिए पैदा हुए या इसलिए काम किया कि मल्टीनेशनल्स लूटकर ले जायें और उपभोक्ता दबा रहे? कहां जा रही है यह पॉलिसी?

यह प्रश्न इसलिए मेरे सामने आया है, मैं आंकड़ा रखना चाहता हूं इन कोरपोरेट बिजली वालों का, सब लोगों का। भारत की कुल सम्पदा का आज के दिन मालिकाना अधिकार 10 परसेंट लोगों के हाथ में है। उन 10 परसेंट के एक परसेंट, यानी 100 परसेंट के 0.1 परसेंट लोग देश की 50 परसेंट सम्पदा पर मालिकाना हक रखते हैं! देश के 0.1 परसेंट लोग देश की 50 परसेंट सम्पदा पर मालिकाना अधिकार रखते हैं, जो कि केवल कुछ परिवारों के पास में है और देश की आबादी, यानी देश के 50 परसेंट लोग देश की केवल 2.5 परसेंट सम्पदा पर जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए यह पूछना आवश्यक है कि आजादी किसके लिए? और यह सारा काम कोरपोरेट घरानों के लिए क्यों है?

इसलिए आज हम विजन की बात करते हैं, तो सरकार का काम, उपाध्यक्ष महोदय, लाभ कमाना नहीं है। केवल लाभ कमाना सरकार का काम

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

नहीं है और जिस चीज में लाभ नहीं हो, वह प्राइवेट को बेच दो, यह भी काम सरकार का नहीं है। इसमें विजन की बात होती है। मैं विजन की बात करना चाहता हूं। अगर रोडवेज में घाटा है तो रोडवेज को दे दो; अगर बिजली में घाटा है तो बिजली को दे दो; सड़क में घाटा है तो सड़क को दे दो; आवासन मण्डल में घाटा है तो आवासन मण्डल को दे दो। आप दे रहे हो, पर दे रहे किस चीज के हो? जब आपने बिजली में ग्रिड बनाई, गांव की जमीन आपने ली; जब आपने सड़क बनाई, गांव की जमीन ली, चरागाह की जमीन ली, पशुओं का हक मारा, और आज उन सबको बेचने के लिए तैयार हो गये। यह कैसे होगा?

इसलिए पी पी पी माडल कोई रामबाण औषधि नहीं है। काश, यह इतना एकांगी और सरल होता कि पैसे कमाने के भाव से सारी बात तय हो जाती और पैसों में ही सारी बातें तय होने लग जातीं। इतना आसान होता तो मनुष्य का जीवन और राजस्थान की राजनीति इसका उदाहरण है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो पैसे से नहीं लागू होतीं। अगर हमको, लोक कल्याणकारी सरकार को कल्याण करना है, तो सरकार को घाटा उठाना पड़ेगा। सरकार का उद्देश्य व्यापार नहीं है। सरकार कोई संस्थान नहीं है जो पैसा कर ले।

इसलिए सरकार का कोई विजन होना चाहिए। यह विजन भी आज का नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय। यह 40 साल पुराना है। रोनाल्ड रीगन अमेरिका में और मार्ग्रेट थैचर ब्रिटेन में और उस समय चीन के जो प्रधान मंत्री थे वे, ये मिलकर यह योजना लाये कि लिबरलाइजेशन करो, आर्थिक उदारवाद और यहां 1984 में आर्थिक उदारवाद स्वर्गीय राजीव गांधीजी ने प्रारम्भ करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका विरोध हुआ तो डूब गया। लेकिन बाद में 1991 में जब प्रधान मंत्री नरसिम्हा रावजी थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उनके वित्त मंत्री थे, तब भारत में यह आर्थिक उदारवाद प्रारम्भ हुआ, जो अब चलते-चलते कोरपोरेट उदारवाद तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो चिंतन है, यह कोई नया नहीं है, आर्थिक उदारवाद का और अब आर्थिक नव उदारवाद आ गया है। इसका लक्ष्य यही है कि मानव जीवन से जुड़ी सभी चीजों को व्यापारियों के हाथों में दे दो। सरकार सब चीज छोड़कर अलग हो जाये और सरकारी संस्थानों का निजीकरण करो और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था का लिबरलाइजेशन कर दो; यानी, अर्थव्यवस्था के जितने सेक्टर हो सकें, उनमें वैश्विक मुक्ति, ग्लोबल फ्री मार्केट के लिए

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

खोल दो। यह आर्थिक नव उदारवाद है और यह कानून उस आर्थिक नव उदारवाद का ही एक नमूना है। यह आर्थिक नव उदारवाद, यह चिंतन पूंजीवाद का ही एक प्रकार है जो समाजवाद का विरोधी चिंतन है। संविधान में तो लिखा है, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, और चिंतन किया नव पूंजीवाद का। ये दोनों चिंतन कोई नये नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको जानकारी होगी कि सन् 1776 में एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी थी, ''वैल्थ ऑफ नेशन्स''। उस पुस्तक के बाद में 200 साल तक इस सारे विश्व में यही चल रहा है, उदारवाद, पूंजीवाद, समाजवाद। ये दोनों वाद देखने लायक नहीं हैं क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि यह पूंजीवाद सारी आर्थिक शक्तियों को अपने हाथ में केन्द्रित करके सब लोगों को कमजोर बना देता है और समाजवाद सरकार का आधार मानकर सारा काम करते हैं। इसलिए एकात्मक आर्थिक चिंतन दिया। मैं मंत्रीजी से और मुख्य मंत्रीजी से आग्रह करना चाहूंगा कि 200 साल से चली इस बात को छोड़ दो और जो चिंतन था, वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने लिखा है अपनी पुस्तक में, सरकारी समाजवाद का मॉडल, जिसमें सारी मालिकीयत सरकार के पास होती है, और कॉरपोरेट पूंजीवाद का मॉडल, जिसमें सारी मालिकीयत केवल चंद औद्योगिक घरानों के पास सिमट कर रह जाती है, दोनों ही भारत के लिए अच्छे नहीं हैं। इसलिए मैं मांग करूंगा कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के विचार के आधार पर सरकार ये काम करे और उस काम को सुनिश्चित करे।

इस कानून के बदले में अगर कोई कानून लाना था सरकार को तो एक नया कानून लाना था। सारी दुनिया में बदलाव आ रहा है, अभी हमने बताया कि 3246 विंड की एनर्जी है और 609 हमारे पास सोलर एनर्जी है। जर्मनी ने एक काम किया, उपाध्यक्ष महोदय, सारे जितने घर हैं उन घरों को सोलर एनर्जी से कर दिया और आज सोलर एनर्जी के आधार वहां बिजली की स्वतंत्रता, विद्युत स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है। मैंने किसानों की उस पर मांग करते समय कहा था कि ये बिजली का घाटा रोकने का काम करना चाहिए, बढ़ाने का नहीं। अभी भी इन्होंने पैसा देने के बाद में भी 10 हजार करोड़ का घाटा लग रहा है। ये कह रहे मंत्रीजी कि 9 हजार करोड़ का घाटा हमने कम किया है 15 हजार से, लेकिन ये घाटा तो फिर लगेगा अब। इसलिए इसमें परिवर्तन करने का कानून यह नहीं है। अगर यह कानून होता कि 15-16 लाख

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जितने पम्प हैं किसानों के, उन सबको ये 80 हजार करोड़ रुपए चुकाये। आपने तो सब्सिडी कम कर दी। सरकार जो सोलर पम्प के लिए जो सब्सिडी देती थी, वह सब्सिडी कर दी।

मैं मांग करता हूं कि इस कानून के बदले में एक दूसरा कानून लाया जाए और मैंने उसका नाम लिया है विद्युत द राइट टू एनर्जी इंडिपेंडेंस, विद्युत स्वतंत्रता का अधिकार। आज भारत में आवश्यकता विद्युत स्वतंत्रता के अधिकार की है। जब प्रधान मंत्रीजी ने यह कहा है कि हम सूर्य पुत्र राष्ट्र हैं, हम सूर्य के बेटे हैं, हमारे सूर्य नगरी भी है। हम 365 में से मतलब 300 हण्ड्रेड क्लीयर सन-डेज रखते हैं। जब जर्मनी और यूरोप, जहां सूरज कम निकलता है, वे विद्युत में स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं, तो कंपनी बनाने में जो जर्मनी ने उनका मॉडल का प्रयोग किया, आज हम क्यों नहीं कर रहे हैं? दो ताकत, केवल सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी आज सारे इस बिजली के काम से हमको मुक्त कर सकती हैं, पर मुक्त कैसे करेंगी? उसमें तो किसान को विद्युत स्वतंत्रता मिल जाएगी। उसको वी सी आर नहीं भरनी पड़ेगी, उसके पास फिर जाना नहीं पड़ेगा, उसका सारा काम नहीं होगा। एक बार सोलर एनर्जी का पम्प लगाओ, वह चलेगा। इसी प्रकार मकानों में अगर लगेंगे ऊपर, सरकार स्वयं खर्च करके, तो सोलर एनर्जी से मकानों में बिजली चमकाएगी। इसलिए आवश्यकता इस बात की है। बिजली मुफ्त भी दी जाएगी सबको, आपका घाटा कम होगा। न केवल बिजली मुफ्त दी जाएगी, बल्कि प्रत्येक खेत और मकान को बिजली उत्पादन का केन्द्र बनाकर, अपनी खुद की आवश्यकता के अतिरिक्त, बिजली की कमाई का साधन भी बना सकते हैं। अगर सरकार वर्तमान बिल के सिवाय कुछ नहीं करेगी तो केवल उसी कहानी को दोहराएंगे। कॉरपोरेशन के साथ बैठकर निजीकरण, बिल बनाना, राज्य की सम्पत्तियों को बेचना, फायदे में कॉरपोरेशन का काम जारी रखना, नुकसान की भरपाई राज्य सरकार पर आना, राज्य की जनता को कॉरपोरेशन का गुलाम बनाना।

इसलिए मैं मांग करता हूं कि आज समय की आवश्यकता है कि नया चिंतन होना चाहिए। यह कॉरपोरेट चिंतन बंद कर, इसमें लिखा है कॉरपोरेट गवर्ननिंग, कोई कॉरपोरेट गवर्ननिंग की आवश्यकता नहीं है। आज विद्युत स्वतंत्रता के अधिकार की आवश्यकता है और उस अधिकार के लिए हमको एक कानून बनाना पड़ेगा और कानून नहीं बनाएंगे, इस कानून के लिए बड़े आंदोलन चलेंगे और निश्चित रूप से यह कानून बनेगा कि व्यक्ति को यह

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

स्वतंत्रता होगी, गुलामी नहीं होगी; वह बिजली के लिए स्वतंत्र होगा। इसलिए विद्युत स्वतंत्रता के कानून की आज आवश्यकता है, ये कॉरपोरेट सेक्टरों के लिए कानून की आवश्यकता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कह रहा था कि यह 'उदय' योजना प्रधान मंत्रीजी ने जो की है उसके साथ भी बड़ा भेदभाव है। पहली बार का बजट मैंने ऐसा देखा है जिस बजट में दो रेवेन्यू रिसीट्स दी गईं, दो कैपिटल रिसीट्स दी गईं; दो दिया गया। कारण क्या है? हमारी ब्यूरोक्रेसी है, मुख्य मंत्रीजी से कहते हैं, आप तो बहुत अच्छा कर रही हैं; यह तो दिल्ली की सरकार की नीति है जिससे हमको रेवेन्यू डेफिसिट होगा। अरे, आपने स्वीकार किया, 80 हजार करोड़ हो गया। कितना फायदा आपको मिल गया और आप बजट में यह दिखा रहे हैं कि हमको जो घाटा हो गया, प्रधान मंत्रीजी के कारण से हो गया। बिना धन्यवाद देने के, उनके लिए प्रस्ताव पास करने के, आभार प्रकट करने के लिए, हर प्रविष्टि को दो बार दिखाया गया, 'उदय रहित', 'उदय सहित'। पहली बार 'उदय रहित', मैंने देखा, 'उदय' कहां से आ गया तो 'उदय रहित', 'उदय सहित'। प्रधान मंत्रीजी की योजना का मजाक बनाया गया है, यह शर्म की बात है। अफ़सरों ने बनाया, हमने स्वीकार क्यों किया? ब्यूरोक्रेसी ने तो अपना काम किया। हकीकत में राजस्व प्राप्तियां कम हुई हैं, इसको मान लेना चाहिए था। क्यों प्रधान मंत्रीजी पर आरोप लगाया? उन्होंने तो बिजली कंपनियों व भारत सरकार के कैबिनेट से जारी प्रति सदन की पटल पर रखता हूं। प्रधान मंत्री द्वारा उज्ज्वल डिस्कॉम एशोरेंस योजना अर्थात् उदय योजना बिजली कंपनियों की वित्तीय स्थिति को टर्न-अराउंड कर देगी, कंपनियों का फाइनल समाधान हो जाएगा।

देश भर में, उपाध्यक्ष महोदय, बिजली कंपनियों पर संकलित घाटा 3 लाख 80 हजार करोड़ है; बकाया ऋण है 4 लाख 30 हजार करोड़। हर गांव को 24x7 बिजली मिले, यह इसलिए महत्वपूर्ण योजना लागू की। दो से तीन वर्षों में बिजली कंपनियां ब्रेक-इवन पर आ जाएंगी। वर्तमान में ऋण पर 14 से 15 परसेंट ब्याज है और अब सरकार को 8 से 9 परसेंट ब्याज देना पड़ेगा और राज्य सरकार इस ऋण को दो वर्ष में टेकओवर कर लेगी और ये सारा काम हो जाएगा। पचास परसेंट गाइडेड मैनर में जब काम होगा और इतनी बड़ी योजना आपने स्वीकार कर ली, माननीय मंत्री महोदय, तो फिर इस बिल को लाने की क्या आवश्यकता थी? जब आपने 'उदय' योजना को स्वीकार कर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

लिया, उसके अन्तर्गत कार्यवाही चालू कर दी, सारा काम हो गया, इसके बाद में इस बिल की कोई आवश्यकता नहीं थी।

इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि डिस्कॉम के ऋणों को जब बैंक परिवर्तित करेंगी तो केवल 0.1 प्रतिशत अधिक ब्याज लेंगी। इतना बड़ा काम किया है प्रधान मंत्रीजी ने। 11 राज्यों ने इसको स्वीकार कर लिया है और सारे राज्यों की बिजली कंपनियां इस घाटे से निकलकर बाहर आ रही हैं। उस समय इसको लाना ठीक नहीं था। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपको टोकना तो नहीं चाहता, आप प्रधान मंत्रीजी की बहुत बड़ाई कर रहे हैं। ये बिल भी वहीं से आया है, मॉडल बिल आया है। वहां से जो सारी स्टेट्स में लागू हुआ है, उसी को अपन ने लिया है। यह मॉडल बिल है। अपना नहीं है, भारत सरकार का भेजा हुआ बिल है यह।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपके तो भारत सरकार से डायरेक्ट सम्बन्ध हैं, पर जहां तक...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इतनी तो जानकारी है ना। सम्बन्ध तो नहीं, सम्बन्ध तो आपके होंगे, मेरे सम्बन्ध नहीं हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जानकारी तो आपकी पर्याप्त है। गहरी है आपकी जानकारी और पर्याप्त है, मुझे इसमें कोई संशय नहीं है लेकिन यह बिल उससे कोई सम्बन्ध नहीं रखता है और इस बिल की कोई आवश्यकता नहीं थी।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में जो बिजली की स्थिति है, हम अधिकतत सोलर एनर्जी से बिजली पैदा कर सकते हैं, अधिकतम विंड एनर्जी से एनर्जी पैदा कर सकते हैं और हम बिजली का स्वतंत्रता का अधिकार दे सकते हैं।

मैं मांग करता हूं पुन: कि जितना-जितना काम हुआ है भिन्न-भिन्न स्थानों पर फीडर रिनोवेशन सहित, उन सारे कानूनों को, उन सारे खर्चों का एक एनर्जी आडिट यहां पर लागू होना चाहिए; एनर्जी आडिट लागू होना चाहिए और वह जो फीडर सुधार है, उसके अन्दर जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसका कोई लाभ नहीं हुआ है। उसके बारे में निश्चित रूप से सरकार को जांच करानी चाहिए

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

और जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनको इस पर लाना चाहिए। लेकिन जांच कम से कम लोकायुक्त के नहीं करायें। सी ए जी से करा लें, और किसी से करा लें। लोकायुक्त के लिए जब मैंने विधान सभा में बोला, उसके बाद में उन्होंने एक रिपोर्ट देकर कह दिया कि हम दंतविहीन तो हैं पर रिपोर्ट देते हैं। आज तक 43 साल में, मध्य प्रदेश का लोकायुक्त है, गुजरात का लोकायुक्त है, उनके पास उनकी पुलिस है, उनका काम है, वे गिरफ्तार करते हैं, चालान करते हैं, रुपये पकड़ते हैं, जमा करते हैं। अगर उससे भी कराना चाहते हैं, तो राजस्थान की विधान सभा में लोकायुक्त के कानून का तुरन्त संशोधन किया जाए और जो अधिकार लोकायुक्त को कर्नाटक में प्राप्त हैं, जो अधिकार लोकायुक्त को मध्य प्रदेश में प्राप्त हैं, जो अधिकार लोकायुक्त को गुजरात में प्राप्त हैं, वे सारे अधिकार इस लोकायुक्त को दिये जाने चाहिए ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे और जांच हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपनी बात तो कह दी लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार यदि इन बातों के बावजूद भी बिल को लाना चाहे, तो मुझे जब अवसर मिलेगा इसको विथड्रा करने का तो आपके सामने खड़ा होकर इजाजत मांगूंगा। मैंने जो मेरे समझ में आई थी वो सारी बात कह दी।

आपने पूर्ण समय दिया, इसके लिए, और आपने संरक्षण प्रदान किया, उसके लिए, और आज राजेन्द्र जी ने कम हस्तक्षेप किया इसके लिए उनको बहुत-बहुत मैं धन्यवाद देता हूं। क्योंकि ये हस्तक्षेप तो करते हैं दूसरे काम के लिए, नंबर बढ़ाने के लिए, और नंबर कम हो जाते हैं। पहले दिन तो नंबर बढ़ते हैं और जब अख़बार में छपता है तो नंबर कम हो जाते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मेरे नंबरों का आकलन करने का आपका मापदंड कौनसा है? कहां है वह? वह जासूस कौन है जो मेरे नंबर के बारे में बताता है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मंसाराम भान्जा और मन की मन में जान जा। आपको भी पता है और मुझे भी पता है।

बहुत-बहुत धन्यवाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): थे खेंची और म्हे ताणी।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबंध उत्तरदायित्व विधेयक, 2016 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर आपकी अनुमति हो तो, चूंकि यह बिल और आज विद्युत पर वैसे भी चर्चा है, तो दोनों को, सम्मिलित रूप से अगर कोई माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहे तो इस बिल पर भी कर ले और उस पर भी कर ले। क्योंकि इसका अगर आप मुलाहजा फरमायें तो उसी से सम्बन्धित यह बिल है पूरा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, उसमें ऐसा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो परिनियत संकल्प का माननीय मंत्रीजी जवाब दें, फिर मैं बोलूं। फिर मैं अधिकार प्राप्त हूं। और नहीं देना चाहें, तो कोई बात नहीं। यह मैंने कह ही दिया। बाद में दे देना एक साथ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): साथ में ही दे देंगे एक साथ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार बिल को रखना ही चाहती है और मैं भारतीय जनता पार्टी का एम एल ए हूं, इसलिए मैं अनुमति चाहता हूं कि मैं अपने इसको वापस लूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जो परिनियत संकल्प श्री घनश्याम तिवाड़ी, माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान करें?

(स्वीकृत)

संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करें।

विधेयक पर विचार

राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व विधेयक, 2016

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबंध उत्तरदायित्व विधेयक, 2016 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: संसदीय कार्य मंत्री, आप कुछ फरमा रहे थे। इसमें क्या सम्मिलित करना है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज विद्युत की समस्या पर चर्चा भी है, लोग अपने विचार भी रखेंगे सामान्य रूप से भी। यह जो बिल है राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबंध उत्तरदायित्व विधेयक, 2016, इसका पूरा सम्बन्ध उन्हीं बातों से है जिनकी बात माननीय सदस्य रखना चाहेंगे। इसलिए इस बिल पर भी अपनी बात रखें और सामान्य रूप से जो बात रखना चाहें, दोनों एक साथ हो जाएंगे, तो माननीय मंत्री महोदय एक साथ उत्तर दे देंगे। अगर आपकी अनुमति होगी तो।

श्री उपाध्यक्ष: विद्युत पर सामान्य चर्चा का विषय, और था विधायी कार्य में, वह इसके साथ ही सम्मिलित कर लिया जाए?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जी। अगर आपकी अनुमति होगी तो। आसन की अनुमति होगी तो।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: वह फिर जब हम थर्ड स्टेज पर आएंगे न, तब उनको जो और भी हैं, क्योंकि यह सूची तो जिन्होंने संशोधन मूव किये हैं उसी के आधार पर आएगी। फिर थर्ड स्टेज पर सारे...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये ही लोग बोलना चाहते हैं, जो सूची है वह कॉमन सूची है। ये वे ही लोग हैं जिन्होंने संशोधन मूव किये हैं। वे भी अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे। तो वे अपने विचार व्यक्त करते हुए दोनों चीजों पर विचार व्यक्त कर देंगे, आपकी कृपा हो तो।

श्री उपाध्यक्ष: यानी ये अपने इस बिल के परव्यु के अलावा भी जो बात बोलना चाहें, जो विद्युत से सम्बन्धित हो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जी।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सुखराम विश्नोई।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विद्युत वितरण एवं प्रबंधन विधेयक, 2016 से सम्बन्धित काफी बातें हमारे विद्वान साथी सांगानेर से आने वालों ने बातें रखीं। माननीय उपाध्यक्ष

(श्री सुखराम विश्नोई)

महोदय, मैं आपकी मार्फत जानना चाहूंगा मंत्रीजी से कि यह जो विधेयक बनाया गया है, हिन्दी में है इंग्लिश में है, दोनों में है; हिन्दी इतनी क्लिष्ट है

(14.25 बजे)

(श्री ज्ञान चन्द पारख, सभापति, पदासीन)

कि न तो आम आदमी समझ सकता है, न इस तरह के शब्द कहीं डिक्शनरी में साधारण आदमी को मिल सकते हैं। एकदम इंग्लिश से भी क्लिष्ट भाषा इसमें पेश की गयी है। कहीं-कहीं एक ही शब्द के दो-दो अर्थ बताये गये हैं। मैं इसका सेक्शन-11 है मॉनिटरी व्यवस्था उसके भाग-(छ) का बताना चाहूंगा। उसमें एक नया शब्द डाला है, पहले तो स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर लाइसेंसी का शब्द लिखा है राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी और उसी में लिख दिया, उस शब्द को दूसरे तरीके से लिखा है, ''राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के नोडल बैंक और तीन मुख्य उधारदाताओं के प्रतिनिधि।'' माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस एक्ट में एकदम नया शब्द डाल दिया गया, उधारदाता; उद्धार किसका उद्धार कर रहे हैं? उद्धार का मतलब एक तो उधार और एक उद्धार करना।

मतलब, मेरा आपसे निवेदन है कि जब भी कोई, यह आम जनता से जुड़ा हुआ एक्ट है, जब भी कोई एक्ट बनाया जाए तो मैं इसको सरल भाषा में कर सकता हूं, आराम से कर सकता हूं और आम आदमी भी पढ़ सकता है। या तो मंशा यह है कि आम आदमी पढ़े ही नहीं इस विधेयक को।

यह जो एक्ट बना है इस एक्ट के लागू होने के बाद कोई भी कर्मचारी विद्युत वितरण विभाग में, डिस्कोम में नौकरी नहीं करना चाहेगा। क्यों करना चाहेगा? इसके जो मैं आपको पढ़ कर सुनाऊंगा, इसमें ये जो इंडेक्स दिये हुए हैं कि परफोर्मेंस इंडिकेटर, इस परफोर्मेंस इंडिकेटर में स्पष्ट लिखा हुआ है, (क) के अन्दर कि जहां तीस परसेंट लोसेज होते हैं वहां वह कर्मचारी बिजली बोर्ड का प्रति वर्ष तीन प्रतिशत उसको वापस कवर करेगा। अब, माननीय सभापति महोदय, कई जिले ऐसे हैं, उसमें मुख्य मंत्रीजी का जिला भी शामिल है, 50-52 परसेंट लोसेज हैं। 52 परसेंट लोसेज हैं! तीस परसेंट तो डिस्कोम के अधिकारी मान रहे हैं कि तीस परसेंट हो तब तक कोई एतराज नहीं है। हमें अगर टेक्निकल लोसेज जो होते हैं वे ज्यादा से ज्यादा दस-पन्द्रह परसेंट हों। इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तीस परसेंट ये मान रहे हैं, मतलब, ये खुद चोरी की छूट दे रहे हैं।

(श्री सुखराम विश्नोई)

मानननीय सभापति महोदय, यह जो लिखा हुआ है कि जब तीस परसेंट लोसेज होंगे तो प्रति वर्ष तीन परसेंट को कवर करना पड़ेगा। फिर (बी) में लिखा है जहां बीस से तीस परसेंट लोसेज होंगे वहां डेढ़ प्रतिशत वापस रिकवर करना पड़ेगा और जहां पन्द्रह से बीस होगा वहां एक परसेंट प्रति वर्ष रिकवर करना पड़ेगा। एक तरफ इस एक्ट में लिखा है कि जितने भी फीडर हैं, चाहे 33 के हैं चाहे 11 के हैं, उन तमाम फीडरों पर मीटर लगेंगे। एक तरफ तो मीटर लगायेंगे और दूसरी तरफ आज यह स्थिति बनी हुई है कि विजिलेंस आती है तो जो बड़ी चोरी करता है उसको नहीं पकड़ते हैं, छोटी चोरी वालों को पकड़ते हैं, अधिकारी से हम भी जब बात करते हैं तो स्पष्ट कहते हैं कि हमारे तो बिजली तौल कर आती है और हमारे को चार्जशीट मिल जाएगी, हमें नोटिस मिल जाएगा, इसलिए रिकवरी करते हैं। इसलिए उन मोटरों को वे सीज करते हैं और मनमर्जी से, न तो कोई टैस्टिंग मशीन लेते हैं, सीधा लिख दिया कि तीस की मोटर चल रही है, यहां चालीस चल रही है। जबकि एक्चुअल में उस कुएं में पन्द्रह-बीस की मोटर लगी हुई है। एकदम डबल उस पर लोड दिखा करके वे चार्जशीट काट देते हैं और चार्जशीट काटने के बाद में किसान बेचारा दर-दर भटकता फिरता है। एस.ई. के पास वह दरख्वास्त लेकर जाता है तो कहते हैं कि मेरे पॉवर सीज्ड हैं, एक्स ईएन कहते हैं कि मेरे पॉवर सीज्ड हैं। पॉवर किसको दे रखे हैं, एम डी को पॉवर दे रखे हैं। पूरे जोधपुर डिस्कोम में, चाहे अजमेर हो, चाहे जयपुर हो, एक एम डी को पॉवर दे रखे हैं। जो शीट काटी जाती है, उस किसान की जो शिकायत होती है, तो वह किसान जोधपुर कैसे आ सकता है? जालौर आने में तकलीफ होती है, डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर आने में तकलीफ होती है। जबकि वह किसान एम.डी. के पास कैसे जाएगा? अजमेर, जयपुर कैसे आएगा?

माननीय सभापति महोदय, छीजत बताकर जब फीडर पर मीटर लगेंगे और फीडर पर मीटर लगने के बाद यह निश्चित किया गया है कि 6 महीने बाद 33 केवी जी एस एस का रोडमैप तैयार करेंगे। उस फीडर पर मीटर लगेगा, उसके मीटर में कितनी बिजली गई और उस फीडर पर कितना लोड है, कितनी बिजली जली, ज्यादा क्यों जली, फिर उसको नोटिस दिया जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है यह जो एक्ट बना है इसमें काफी बातें माननीय विद्वान साथी ने कही है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो पहले से एक्ट बने हुए हैं, आलरैडी व्यवस्थाएं चल रही हैं, जब

(श्री सुखराम विश्नोई)

व्यवस्था चल रही है तो यह एक्ट किसलिये बनाया गया? इसके पीछे नीयत क्या है? बातें तो बहुत सारी बढ़िया लिखी हैं परन्तु इस बिल के आने के बाद उपभोक्ता के कोई अधिकार इसमें नहीं दिये गये। मान लो, किसी की जानबूझकर बिजली चोरी पकड़ी गई। तो भी इसमें कोई अधिकार नहीं दिये गये कि वह कहां जायेगा, उसकी अपील कहां होगी, उसकी सुनवाई कहां होगी। ये सब बातें इस एक्ट में डालनी चाहिये थीं ताकि आम आदमी को रिलीफ मिलती।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, इसमें एक बात और लिखी हुई है कि जिस पर मीटर नहीं लगा हुआ है तो यह माना जायेगा कि यह बिना मीटर का बिल है। इसलिए इसमें दो बिल आने के बाद में तीसरे बिल में मीटर लगाया जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, बहुत सारी कमियां इस एक्ट में दी हुई हैं। जब आज व्यवस्था चल रही है तो इस नये बिल को लाने का कोई तात्पर्य नहीं है।

इस बिल की मानिटरिंग के लिये व्यवस्था की गई है, एक कमेटी बनाई जायेगी जो मानिटरिंग करेगी। उस मानिटरिंग कमेटी में राज्य के प्रमुख सचिव हैं, वित्त विभाग का प्रभारी शासन सचिव है, ऊर्जा विभाग का प्रभारी शासन सचिव है, प्रत्येक राज्य वितरण कंपनी का प्रबन्ध निदेशक है, प्रबन्ध निदेशक राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड सदस्य है, प्रबन्ध निदेशक राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड सदस्य है, राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी के नोडल बैंक, उसके सदस्य हैं और प्राधिकरण के प्रतिनिधि, इतने मिलकर एक मानिटरिंग कमेटी बनेगी। माननीय सभापति महोदय, ऊर्जा मंत्रीजी से मेरा निवेदन है, ये जो 10-12 पदाधिकारी हैं इनकी कब मानिटरिंग की मीटिंग होगी, कब ये निर्णय लेंगे?

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके मार्फत निवेदन है कि यह जो एक्ट है अपने आप में ही विरोधाभासी है। इस विरोधाभासी विधेयक को पेश करने से पहले 3-6 महीने के लिये जन मत जानने के लिये भेजा जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आज सबसे महत्वपूर्ण विषय पर और यह जो बिल

(श्री जोगाराम पटेल)

आया है, उस पर मुझे अपनी बात रखने का आपने अवसर दिया। वर्तमान युग में बिजली का महत्व है और अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक रोल बिजली का है। उस विषय पर मैं लम्बे तौर पर नहीं जाऊंगा। मैं थोड़ी देर में एक्ट पर सीधा ही आऊंगा कि हिन्दुस्तान में और राजस्थान में बिजली की उत्पादन क्षमता में, खपत में, रिकवरी में कब-कब, क्या-क्या नुकसान हुए और उसके लिये कौन जिम्मेदार हैं।

यह बात सही है, माननीय सभापति महोदय, हमारे देश में बिजली सर्वप्रथम 1920 में आई। उससे पहले हमारे देश में बिजली नहीं थी। 1920 में तत्कालीन राजा-महाराजा बिजली लाये। तो उन्होंने अपने साम्राज्यों में, या जो भी उनके छोटे-छोटे साम्राज्य थे, उन साम्राज्यों में अपने स्तर पर छोटे-छोटे संयंत्र लगाकर बिजली उत्पादन करने का प्रयास किया और उसमें काफी सफलता भी मिली। आजादी आई। आजादी के बाद अनेक क्षेत्रों में बिजली देने के प्रयास हुए और एन टी पी सी द्वारा कोयला आधारित संयंत्र चम्बल व माही परियोजना पर, न्यूक्लीयर बिजली घर, गैस आधारित सर्वप्रथम शुरू हुआ। फिर यह स्थिति चलती रही। 1980 तक विशेष समस्या नहीं थी और 1980 के बाद धीरे-धीरे इसमें जो भी समस्याएं आपको अभी गिनायी जा रही हैं, जिसके लिये हम आज यहां प्रयास भी कर रहे हैं, बिल भी ला रहे हैं, वे सब आईं।

बिजली का अपना महत्व है। राजस्थान में कितनी परसेंट लोगों को बिजली मिल रही है, कितने लोसेज हो रहे हैं, कितनी बिजली कंपनियों को घाटा हो रहा है, यह सारे विषय आयेंगे जब अन्य माननीय सदस्य बतायेंगे, लेकिन मैं आपको इतना अवश्य निवेदन करूंगा कि बिजली की खपत जो 1991 के आस-पास ग्रामीण क्षेत्रों में जहां 27 परसेंट थी और शहरी क्षेत्रों में जहां 64-65 परसेंट थी, वह धीरे-धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक संख्या में बढ़ी है। 27 से आज की तारीख में हम करीब 72-75 परसेंट तक आ गये हैं और शहरों में जहां हम 80 और 65 परसेंट थे वहां करीब-करीब 100 परसेंट के आसपास आ गये हैं। जहां 1950 में प्रति व्यक्ति 18 के आसपास खपत थी, जो यूनिट यूज करते थे, वह 2013 में करीब 1,000 के आसपास हो गयी है।

ऐसी स्थिति में इन आंकडों से यह बखूबी स्पष्ट है कि बिजली हमारे लिये बहुत महत्वपूर्ण है; महत्वपूर्ण ही नहीं है, यह लग्जरी भी नहीं है, यह आज की जीने की आवश्यकता भी है। आप और हम रोज महसूस करते हैं,

(श्री जोगाराम पटेल)

कुछ क्षण के लिये किसी कारण से अगर बिजली चली जाती है तो सौ फोन आते हैं, बिजली चली गई। आजकल तो छोटे-छोटे बच्चे भी फोन करते हैं, अंकल, मेरी कल परीक्षा है और लाइट चली गई है। अवेयरनेस भी आई है, खपत भी बढ़ी है और इसके साथ-साथ लोसेज जो होने लगे हैं उससे बैलेंस बिगड़ गया है। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ हमारे देश में ही या हमारे प्रदेश में ही है। आप दूसरे देशों के आंकड़े अगर उठाकर देखेंगे, चाहे वह अमेरिका हो, आस्ट्रेलिया हो, जापान, फ्रांस, जर्मनी, चीन हो, उन देशों में भी यही समस्या कहीं-कहीं है।

ऐसी स्थिति में हम इस समस्या की ओर न जाकर, इसमें सुधार की ओर जायें और सुधार की ओर जायें, तो हमें पता लगेगा कि हम इसमें किस तरह से कैसे सुधार कर सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, उसमें बिजली का महत्व नहीं था लेकिन आज की तारीख में चाहे छोटा कुटीर उद्योग हो, चाहे बड़ा उद्योग हो और चाहे कैसा भी हो, तो बिजली के बिना वह उद्योग नहीं लगेगा। घर का कार्य नहीं चलेगा, स्कूल और अस्पताल नहीं चलेंगे और जहां हम बैठे हैं, अगर बिजली नहीं हो तो हम यहां भी एक मिनट नहीं बैठ सकते हैं। ऐसी स्थिति में बिजली का जो महत्व है वह अपने आप में बहुत अधिक है और इस महत्व के आधार पर, कितनी हमको रेवेन्यू मिल रही है, कितना लोसेज हो रहा है, ये सब बातें मैं आज निवेदन नहीं करूंगा क्योंकि जो अन्य माननीय सदस्य बोलेंगे वे सब निवेदन करेंगे।

मैं आज सबसे पहले धन्यवाद दूंगा राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री जी को और हमारे आदरणीय मंत्रीजी को कि विषम परिस्थितियों के बावजूद भी हमारे इस सबसे अधिक आवश्यकता वाले विषय को आप लेकर बैठे हैं। जो बिजली के लोसेज हैं, जो बिजली का घाटा है, उसके सम्बन्ध में रोज हमारे सामने तथ्य आते हैं। उन तथ्यों को मैं दोहराऊंगा नहीं, किसके राज में कितना अधिक घाटा हुआ, उस सम्बन्ध में भी आप सब बतायेंगे लेकिन यह बात सही है कि जहां एक समय में 15 हजार के आसपास का घाटा था वह आज बढ़कर 80 हजार करोड़ के आसपास आ गया है। वह अधिक संख्या में जो बढ़ा है वह मेरे प्रतिपक्ष के भाइयों के काल में बढ़ा है और उसके बढ़ने की स्पीड भी उस जमाने में ज्यादा अधिक रही है। उसका रीजन यह था, मैं सीधे आज के इस बिन्दु पर आता हूं, भारत सरकार ने 5 अक्टूबर, 2012 को

(श्री जोगाराम पटेल)

हिन्दुस्तान के सभी प्रदेशों को यह निर्देश दिया कि आप अपने financial restructuring को कीजिए, क्योंकि सभी बिजली कंपनियां घाटे में जा रही हैं। 5 अक्टूबर, 2012 को उन्होंने एक सब्जेक्ट दिया, "Scheme for Financial Restructuring of State Distribution Companies (Discoms)" और सबको यह निर्देशित किया, "A scheme for financial restructuring of State-owned Discoms has been formulated and approved by the government to enable the turnaround of the State Discoms and ensure their long term viability. The scheme contains measures to be taken by the State Discoms and State Government for achieving financial turnaround by restructuring their debt with support through a Transitional Finance Mechanism by Central Government."

गर्वनमेंट आफ इंडिया का यह लैटर आने के बाद भी तत्कालीन राजस्थान सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया और अक्टूबर, 2012 में भारत सरकार द्वारा सभी स्वामित्व वाले राज्यों को यह पत्र लिखने के बावजूद इन्होंने एफ.आर. भी अधिसूचित नहीं की, टैरिफ में वृद्धि करनी थी वह टैरिफ में वृद्धि नहीं की, जो अनिवार्य योजना लागू करनी थी उन शर्तों को लागू नहीं किया। इसीलिए 2012-13 के बाद स्थिति और अधिक बिगड़ती गई और 2013-14 में आते-आते तो स्थिति खतरनाक ही हो गई। इसीलिए राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने इस पर विशेष ध्यान दिया और इस पर विशेष ध्यान देकर, जो केन्द्र सरकार की योजना थी, वित्तीय पुनर्संरचना की और जब उनको यह पता लग गया कि कम्पनियां ऐसी स्थिति में जीवित नहीं रह सकतीं, फिर भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया।

अभी जो 'उदय' योजना आई है, उस 'उदय' योजना के बारे में विशेष नहीं कहूंगा। जैसा कि बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने बताया, किस तरह से जो कम्पनियों का लोन था, उनको अपने ऊपर लेकर इन कम्पनियों को जीवित रखने का प्रयास किया।

भारत सरकार भी चिंतित थी और आज भी चिंतित है। भारत सरकार ने ही 6 सितम्बर, 2013 को सभी प्रदेशों को यह लैटर लिखा और एक मॉडल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट रेस्पोंसिबिलिटी बिल के लिए था और इस लैटर के साथ सेक्रेटरी महोदय ने यह स्पष्ट रूप से लिखा है, "I am directed to enclose herewith the Model State Electricity Distribution Management Responsibility Bill, 2013 for your kind consideration and necessary action. The Model State Electricity Distribution Management Responsibility Bill, 2013 is a Bill to provide for responsibilities of the State Government to ensure financial and operational turnaround and long term sustainability of the state-

(श्री जोगाराम पटेल)

owned distribution licensee to enable adequate electricity supply to consumers through Financial Restructuring, support on sustainable basis in the area of long term planning, Corporate Governance, Regulatory Compliances and long term policy, directives and various other measures connected therewith or incidental thereto. The Bill also provides that the State Government within 6 months from the date of coming into force of this Act by notification, make rules for carrying out the provisions of this Act."

जब यह लैटर सभी सरकारों को लिखा और साथ ही साथ एक मॉडल एक्ट भी भेजा कि इस तरह का एक्ट आप अपने-अपने प्रदेशों में बनाओ। हमारा दूसरा प्रदेश है, यह राजस्थान दूसरा प्रदेश है, जो आज इस मॉडल एक्ट को लेकर आया है। हिन्दुस्तान में पहला प्रदेश हिमाचल प्रदेश है, और किसी प्रदेश ने नहीं बनाया है। हिमाचल प्रदेश ने तो 2014 में ही हिमाचल प्रदेश विद्युत वितरण प्रबंध उत्तरदायित्व विधेयक, 2014 को पारित कर दिया और उसमें भी कमोबेश वही प्रोविजन रखे हैं जो मॉडल फॉर्म में हैं। अपने भी कमोबेश वही प्रोविजन हैं, परन्तु एक प्रोविजन जो एक्स्ट्रा किया गया और उसके पीछे उद्देश्य आज मंत्रीजी बताएंगे। यह जो धारा 6 है, वह मॉडल फॉर्म में नहीं है, आपने एक्स्ट्रा बनाई है और वह जो है, "Constitution and functions of the financing vehicle and Government support. As soon as may be after commencement of this Act, the State Government shall establish the Rajasthan Rajya Vidyut Vitaran Vitt Nigam Ltd...." यह बनाने के लिए जो प्रोविजन बनाया है, हो सकता है कि इसमें आपका बहुत सद्भाविक उद्देश्य हो और इसके पीछे जरूरी भी है, लेकिन इसके सिवाय बाकी जो भी प्रोविजन कमोवेश सेम ही हैं। इस एक्ट के पीछे सद्भाविक मंशा है और जरूरी है। मैं, मंत्रीजी, आपको धन्यवाद भी दूंगा कि कि यह बिल जब आ जाएगा तो उसके बाद जो ऑब्जेक्ट इस बिल में हैं, जो इस बिल के मार्फत मिलने वाला है, अगर उसमें एक्ट ओपन हो गया तो आने वाले दो या तीन साल बाद राजस्थान वह राज्य हो जाएगा, जिसमें बिजली के लॉसेज जो आज की तारीख में हैं, उससे बहुत अधिक कम हो जाएंगे। हमारी फाइनेंशियल री-स्ट्रक्चरिंग की जो स्कीम है, अगर वह पूरी की पूरी लागू हो गई तो हम ऊर्जा उत्पादन में इंडिपेंडेंट ही नहीं हो जाएंगे, हम अपना खुद का उत्पादन ही नहीं कर पाएंगे, हमारे जो लॉसेज हैं या हमारी जो फाइनेंशियल प्रोब्लम है वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।

इसके पीछे जो मेन उद्देश्य है वह उद्देश्य भी, जैसा कि इस बिल की जो आत्मा है, बिल का जो दिल है, "THE RAJASTHAN STATE ELECTRIC-

(श्री जोगाराम पटेल)

ITY DISTRIBUTION MANAGEMENT RESPONSIBILITY BILL, 2016 – A Bill to provide for responsibilities of the State Government... to ensure financial and operational turnaround and long-term sustainability..." पहला, कि आपको लोन्ग-टर्म सस्टेनेबिलिटी कैसे रखनी है "... of the State-owned Distribution Licensee to enable adequate electricity supply to consumers through financial restructuring, support on sustainable basis in the areas of long term planning, corporate governance, regulatory compliances, and laying down of policy directives and various other measures." यह बेसिक आत्मा है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): कौनसा सेक्शन पढ़ रहे हो ? यह तो बताओ, सेक्शन कौनसा है?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): सेक्शन पर अभी आया ही नहीं हूं। अभी थोड़ी देर में सेक्शन पर आऊंगा। मैं तब आपको बता दूंगा।

माननीय मंत्री महोदय, इसका जो मेन बेसिस है, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, जैसा माननीय सदस्य कर रहे हैं, धारा 3 है आपकी, "... statement to be laid before the State Legislature." ज्योंही एक्ट आएगा, उसमें एक पर्टिक्यूलर टाइम आपने सिक्स मंथ का दिया है, उस सिक्स मंथ के टाइम के अन्दर आपको पेश करना है। आपका सेक्शन 4 है, "Long term Planning for sustainability of State Distribution Licensee." सेक्शन-4 में आपने सारी डिटेल स्कीम दी। "Financial Restructuring Plan for State Distribution Licensee", वह सेक्शन-5 में दिए हैं। एकाउंटिंग मैजर्स कैसे रखने हैं, वह आपने सेक्शन-7 में दिए हैं। कॉरपोरेट गवर्नेंस को किस तरह से इसमें इन्वॉल्व करके उसका उपयोग करना है, वह सेक्शन-8 में दिए हैं। "Regulatory compliance and tariff filings" कैसे दिया है, वो सेक्शन-9 में दिया और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो एम.ओ.यू. साइन करना है, वह सेक्शन-10 में दिया है और मॉनिटरिंग मेकेनिज्म सेक्शन-11 में है। "Measures to enforce compliance," यह सेक्शन-12 में है। यह कुल मिलाकर आपका एक्ट है। इस एक्ट के मार्फत जो आप काम करना चाहते हैं, उसके लिए न केवल हम आभारी रहेंगे, राजस्थान की जनता भी आभारी रहेगी।

मैं पुन: एक बार राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि इतना प्रोग्रेसिव बिल है, भले ही वह केन्द्र सरकार ने मॉडल एक्ट के रूप में भेजा हो। हिन्दुस्तान में हिमाचल प्रदेश के अलावा किसी भी प्रदेश ने अपने यहां एप्लाई नहीं किया है, न ही कोई 'उदय' योजना एप्लाई की है,

(श्री जोगाराम पटेल)

लेकिन हमने एप्लाई किया है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जनता को बिजली मिले।

मैं आपके सामने अब इस बिल के बारे में जानने से पहले, माननीय मंत्री महोदय, यह विषय आपसे सम्बन्धित इतना नहीं है, लॉ डिपार्टमेंट से सम्बन्धित है और मैं निवेदन अवश्य करूंगा कि बिल हाउस में प्रोड्यूस होने से पहले कम-से-कम एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए और बिना पढ़े अगर बिल पेश कर देते हैं तो वह जरूर तकलीफदेह होता है।

मैं निवेदन करूंगा, सेक्शन-3 । अब आप लेना शुरू कर दें, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य। सेक्शन 3 के क्लाज (1) का सब-क्लॉज (बी) और सब-क्लॉज बी का फर्स्ट प्रोविजो, "Provided that Action plan..." रनिंग लैंग्वेज में कभी भी कैपिटल 'ए' नहीं आता।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि कभी भी सदन में गैलेरी में बैठे अफसरों से सीधे मुखातिब नहीं हुआ जाता । यह सदन की परम्परा है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): धन्यवाद। मैं तो सभापति महोदय को इंडिकेट कर रहा हूं। आपको वहम उठ गया है। प्लीज।

यह जो 'ए' कैपिटल यूज हुआ, यह लैंग्वेज की पूरी गलती है।

मैं हिन्दी में आपको बताऊं तो आपके जो शब्द प्रयोग हुए हैं, वे हिन्दुस्तान की किसी भी डिक्शनरी में नहीं हैं । फिर मैं थोड़े समय बाद निवेदन करूंगा। हिन्दी में अपना जो मूल अधिनियम है उसकी धारा 5 और इसके नेक्स्ट पेज नंबर 10 पर 'प्रक्षेपपथ'। आप इस शब्द को पढ़ ही नहीं पाएंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। आप उठा लें। कोई भी नहीं पढ़ पाएगा। वर्ड है 'प्रक्षेपपथ'। आज यह पास होने वाला है तो अब इसी रूप में आएगा। इसमें कुछ चेंज होने वाला नहीं है। यह शब्द डिक्शनरी में कहीं है ही नहीं। यह वर्ड है प्रक्षेप-पथ, मतलब, हमको जो दिशा-निर्देश देने वाला पथ होता है, उस पर चलने वाला है, उसको बोलते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आसन की ओर देखकर अपनी बात कहें।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): 'प्रक्षेपपथ' वर्ड (-) करके प्रक्षेप-पथ होना था। इसमें आपका गलत हो गया।

(श्री जोगाराम पटेल)

ऐसे में आपकी जो गलतियां हैं, उस ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इनको आप ठीक करें। माननीय मंत्रीजी, अगर एक बार यह पास हो गया, पास हो गया, तो ये वर्ड हमेशा ऐसे ही जाएंगे और जब कभी भी कोई पढ़ेगा तो कहेंगे कि कम से कम इसमें किसी ने पढ़ा ही नहीं क्या। एक तो आपका यह शब्द था अंग्रेजी। ऐसे 5-7 हिन्दी के वर्ड हैं जो गलत हैं। इसलिए आप उसमें सुधार करें।

माननीय सभापति महोदय, आपकी मार्फत माननीय मंत्रीजी से तीसरा निवेदन यह करना चाहता हूं कि धारा-3, धारा-4, धारा-9 और अनुसूची में एक शब्द प्रयोग जहां है, जहां हम मैजर्स लिखते हैं कि क्या उपाय करेंगे, उसका मैजर्स करेंगे; ''अध्युपायों,'' ऐसा क्लिष्ट शब्द प्रयोग किया गया है। जबकि यह सेम एक्ट है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश के एक्ट में सीधा वर्ड लिखा है, 'उपाय', उपायों। हर व्यक्ति को समझ में आता है। इसी शब्द को, हो सकता है, आपके अनुसार ग्लोसरी में यही लिखा हो, डिक्शनरी में यही लिखा हो, लेकिन हम इसको इतना क्लिष्ट कर देते हैं कि साधारण आदमी को समझ ही नहीं आता। यह 'अध्युपाय', मैजर्स है अंग्रेजी में, उसके स्थान पर जैसा हिमाचल प्रदेश ने 'उपाय' लिखा है, 'उपायों' लिखा है, हम लिख सकते हैं सीधा शब्द। हम सीधा शब्द लिखें तो साधारण आदमी को समझ में आएगा।

इसी तरह से धारा-10 में 'प्रज्ञायुक्त विनिधान', कोई शब्द ही नहीं है। इसकी जगह हिमाचल प्रदेश ने शब्द यूज किया है, 'प्रज्ञायुक्त विनिधान' होता है निवेश; अंग्रेजी में है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का हिन्दी 'विनिधान' नहीं हो सकता, विनिधान है भी नहीं; इसलिए हिमाचल प्रदेश ने लिखा है 'विवेकपूर्ण निवेश।' विवेकपूर्ण विनियोग तो अलग हो जाता है। निवेश, निवेश ऐसा करो जो विवेकपूर्ण हो। हरेक को समझ में आता है। प्रज्ञायुक्त विनिधान, जब भी कोई पढे, चाहे कितना भी पढ़ा-लिखा हो, वह तीन बार तो पहले पढ़ने में दिमाग लगाएगा कि यह है क्या। 'प्रज्ञायुक्त विनिधान' नहीं है। इसकी जगह 'विवेकपूर्ण निवेश', विवेकपूर्ण जो भी शब्द हो सकता है वह यूज करें।

'अध्युपाय' आपने यूज किया है उसको ठीक करें। 'प्रक्षेपपथ', उसकी जगह ठीक लिखें। 'अध्युपाय' की जगह 'उपाय' लिखें, 'प्रक्षेपपथ' की जगह 'प्रक्षेप-पथ' लिखें, यह मेरा आपसे निवेदन था।

तीसरा निवेदन मेरा यह था कि लॉ बनाते हैं तब कहीं पर यह बॉर

(श्री जोगाराम पटेल)

नहीं है कि हम कोई प्रचलित शब्द का उपयोग नहीं कर सकते; आम प्रचलित शब्द है उसका उपयोग नहीं कर सकते। हम आम प्रचलित शब्द का उपयोग कर सकते हैं। इसमें आपने कई शब्दों को हिन्दी में, 'इनपुट', कई शब्दों को आपने इसमें जैसे 'इनपुट' है, 'डू अप पिटीशन' है, 'कारपोरेट' है, 'रोड मैप', 'लोड डिस्पेच सेंटर' है, इसमें यह सारे शब्द अंग्रेजी के शब्द यूज किये हैं। हम अंग्रेजी के शब्द यूज कर सकते हैं। कहां समस्या है? बजट भाषण में आप देखें कि कितने अंग्रेजी के शब्द हैं। दूसरे अन्य विधानों में आते हैं। कितने अंग्रेजी के शब्द हैं। हमको समझने की आवश्यकता है। जैसे इसी वेरी बिल में आपने 'ऊर्जा इनपुट' शब्द यूज किया है, 'ऊर्जा इनपुट' हिन्दी का शब्द नहीं है; आपने 'डू अप पिटीशन' शब्द यूज किया है, यह हिन्दी का नहीं है; आपने 'कारपोरेट जगत' वर्ड का यूज किया है, कारपोरेट जगत नहीं है; 'रोडमैप' यूज किया है, रोडमैप नहीं है; समयबद्ध रोड़मैप यूज किया है वह यूज का नहीं है; 'लोड डिस्पेच सेंटर' यूज किया है वह इसमें नहीं है। तो हम कर सकते हैं। मेरा पहला निवेदन यह था। माननीय मंत्रीजी, विधि विभाग के द्वारा इसको ठीक किया जाना चाहिए, मेरा ऐसा निवेदन था।

अब मैं दूसरा निवेदन करूं, वह यह है, जैसा सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, सही था कि भाषा इतनी सरल होनी चाहिए कि सबको समझ में आए। इसमें खाली शब्दों का ही प्रयोग नहीं किया, भाषा भी ऐसी क्लिष्ट की गई है कि अंग्रेजी का पढ़ना पड़ता है और अंग्रेजी पढ़ने से बिलकुल क्लीयर है। जो मॉडल एक्ट भेजा वह भी बिलकुल क्लीयर है; सरकार की मंशा है वह बिलकुल क्लीयर है; सरकार इसमें बहुत अच्छा करना चाहती है यह भी क्लीयर है; इस बिल के मार्फत राजस्थान में बहुत सुधार करना चाहती है इसके लिए आश्वस्त है। जैसा मैंने पूर्व में कहा, मैं आदरणीया मुख्य मंत्री जी का, आपका आभारी हूं कि राजस्थान में बिजली के सुधार में एक मील का पत्थर साबित हो, यह भी जरूरी है, लेकिन इन सब में हम शब्दों की वजह से या जो सेन्टेंस लिखते हैं उसकी वजह से रोड़ा नहीं बने।

मॉडल एक्ट और इस एक्ट को एक साथ रखकर देखें तो आपको यह लगेगा कि इसमें और कुछ बातें भी हैं जो देखने की गलती है। इसमें एक टाउम बाउण्ड प्रोगाम को आपने धारा-3 (1) (बी) में यूज किया है, टाइम बाउण्ड एक्शन शब्द का प्रयोग किया है, धारा-3 में टाइम बाउण्ड एक्शन शब्द का प्रयोग किया है, इससे एक कन्फ्यूज होने वाला है। धारा-3 में टाइम बाउण्ड

(श्री जोगाराम पटेल)

एक्शन प्लान, जबकि यह जो डेफिनेशन दी है इसमें सिर्फ एक्शन प्लान ही है, टाइम बाउण्ड एक्शन प्लान नहीं है। मेरा निवेदन है, यह एक्शन प्लान धारा-2 (a) में दिया गया है। एक्शन प्लान अगर डिफाइन कर दिया है तो इस शब्द का प्रयोग ही हम कर सकते हैं। इससे भिन्न शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। भिन्न शब्द का प्रयोग होते ही कहीं यह होगा, टाइम बाउण्ड एक्शन प्लान फिर क्या होता है? और एक्शन प्लान फिर क्या होता है? इसलिए यहां आपने जो शब्द प्रयोग किया है टाइम बाउण्ड एक्शन प्लान, यह टाइम बाउण्ड एक्शन प्लान नहीं होकर एक्शन प्लान ही है। मॉडल एक्ट में भी एक्शन प्लान ही है।

एक आपने सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का बार-बार प्रयोग किया। इसमें डेफिनेशन भी यह दी है। डेफिनेशन में आपने यह कहा कि ''Authority' means the Central Electricity Authority referred to in sub–section (1) of section 70 of the Electricity Act.'' यहां आपको 'दा' शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट अपने आप में without 'the' इलेक्ट्रिसिटी एक्ट नहीं है। एक्ट पास हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट में, वहां 'दा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट' है। इसलिए जब आप डेफिनेशन लिखने जाएं तो उसमें अपनी तरफ से कोई शब्द की कमी हम नहीं कर सकते। वह जैसा पास हुआ है वैसा ही हमको लिखना पड़ता है। आपने बार-बार जहां भी इसका प्रयोग किया है उसमें इस शब्द को मिस कर दिया। इसलिए यह भी एक लीगली टेक्निकल मिस्टेक है।

इस बिल में मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया बात है और जो सरकार करना चाहती है, माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी करना चाहते हैं कि इसको तुरन्त एक्शन प्लान में लाया जाए; जल्दी से जल्दी व इसमें जो उपाय बताये गये, उपाय की पालना की जाए; जल्दी से जल्दी इसमें जो काम करना है वह किया जाए, लेकिन ऐसा करते समय हर काम इस एक्ट के पारित होने से विथिन सिक्स मंथ हो गया। जो भी काम करना है वह विथिन सिक्स मंथ है। इसको आप एक बार और विचार करें। अगर रूल मेकिंग पावर, विथिन सिक्स मंथ बनाना है आपको सेक्शन 13 में, आपको स्टेटमेंट जो हाउस में पेश करना है वह विथिन सिक्स मंथ करना है, आपको रोडमैप बनाना है वह विथिन सिक्स मंथ बनाना है, आपको एम्पावर्ड कमेटी बनानी है वह विथिन सिक्स मंथ बनानी है, एम ओ यू साइन करना है वह भी विथिन सिक्स मंथ करना है, आपको रूल्स बनाने हैं वह भी विथिन सिक्स मंथ, तो सब काम एक साथ शुरू

(श्री जोगाराम पटेल)

नहीं हो सकते। पहले रूल्स आएंगे, रूल के अनुसार, रूल में प्रोवाइड होगा कि स्टेटमेंट आपका कैसा आएगा, तभी तो आप स्टेटमेंट दे पाओगे। अगर रूल में आठ महीने लगे तो विथिन सिक्स मंथ आपका रूल कैसे होगा? रोडमैप बनाना है वह भी रूल्स में बताना होगा; रूल्स में ऐसे प्रोवाइड होगा फिर रोडमैप बनेगा। एम्पावर्ड कमेटी आपको बनानी है वह एम्पावर्ड कमेटी तब बनेगी जब इसके रूल्स बनेंगे। तो सब काम विथिन सिक्स मंथ लिख दिया है। इसलिए थोड़ा फर्क करें कि पहले रूल बन जाए, फिर आप नाइन मंथ कर दें, फोर मंथ कर दें, टू मंथ कर दें, लेकिन सारे के सारे...। या तो भूल से ही सिक्स मंथ टाइप हो गया और वह सब जगह सिक्स मंथ ही चलता रहा, सब काम विथिन सिक्स मंथ। जल्दी कर रहे हैं इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं; जल्दी होना भी चाहिए; माननीया मुख्य मंत्रीजी मंशा है वह भी ठीक है, तुरन्त उसका फुलफिल करना भी जरूरी है, लेकिन सिक्स मंथ ही सब हो यह प्रैक्टिकली सम्भव नहीं है, लीगली सम्भव नहीं है। रूल एक महीने में बन जाएंगे तो एक महीना ही लिखो, सिक्स मंथ है तो सिक्स मंथ लिखो।

तीसरा मेरा निवेदन यह था, इस एक्ट में महत्वूर्ण है, आपने बहुत अच्छे प्रोविजंस बनाये। माननीय सभापति महोदय, एक शब्द मैंने पहले भी निवेदन किया था, एक 'व्यतिक्रमी' शब्द यूज किया गया है, 'डिफाल्टर' है उसकी जगह, कि अधिकारी हैं वे व्यतिक्रमी माने जाएंगे। अनुसूची का 6 आप देखें, आप शब्द पढ़ेंगे तो थोड़ा आश्चर्य भी होगा, 'पिछले प्राप्यों की वसूली'।

(15.00 बजे)

'पिछले प्राप्यों की वसूली' कोई नहीं समझ पायेगा हिन्दुस्तान में, 'पिछले प्राप्यों की वसूली' क्या होती है। तो पिछले प्राप्यों की वसूली की जगह, जैसा इन्होंने, हिमाचल प्रदेश ने यूज किया है, पूर्व की जो ड्यू है उसकी रिकवरी। फिर भी आप 'पिछले प्राप्यों की वसूली करें', लेकिन इसमें जो मैं निवेदन कर रहा था, वह यह कि अगर ये आफिसर्स डिफाल्टर हो गये, आपकी किसी आथोरिटी ने टाइम पर काम नहीं किया तो आपने लिखा है कि वे व्यतिक्रमी माने जाएंगे, वे डिफाल्टर माने जाएंगे, लेकिन इस एक्ट में कहीं भी, अगर वह डिफाल्टर हो गया तो उसका एक्शन क्या होगा, वह नहीं है। तो इस एक्ट की जो आत्मा है, वह आत्मा थी, सभापति महोदय, उसके खिलाफ कोई न कोई एक्शन लेना चाहिये, एक्शन होना चाहिये।

जैसा कि अभी भारत सरकार भी, अपना जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है,

(श्री जोगाराम पटेल)

उसमें उन्होंने संशोधन किया है, वह पहले प्रवर समिति को गया और प्रवर समिति ने उस पर डिस्कस किया और डिस्कस करने के बाद में The Electricity Amendment Bill, 2014 was introduced in Lok Sabha on December 19, 2014. उस एक्ट में भी आमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं। इसमें यह सजेस्ट किया गया है और पैनल्टी प्रोवाइडेड की गई है। The Bill increases the penalty for non-compliance of the directions of the CERC or SERC. Under the Act, penalties for all companies are up to Rs. 1 lakh for each contravention and up to Rs. 6,000 for every day that such contravention continues. The Bill increases these to Rs 1 crore and Rs. 1 lakh, respectively. For companies generating renewable energy, the penalty will be up to Rs. 10 lakh for each contravention and up to Rs. 10,000 per day for continuing failure. और लास्ट में लिखा है, If the supply licensee fails to supply electricity within 15 days of application, he shall be liable to a penalty which may extend to Rs. 1,000 for each day of default.

पर हमारे इसमें इस पैनल्टी का कोई प्रोविजन नहीं रखा है। हो सकता है, मंत्रीजी, आपके दिमाग में कोई बात हो कि इस वजह से नहीं रखा है। मेरे हिसाब से पैनल्टी प्रोविजंस नहीं होंगे तो कम्पलायंस नहीं होने का, उसका आधार ही खत्म हो जायेगा। माननीय सभापति महोदय, जिस कानून में सज़ा का कोई प्रावधान ही नहीं हो, मैं गलती करूं और मुझे कोई सज़ा मिलने वाली ही नहीं है तो मैं उसकी पालना करूं या नहीं करूं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसीलिये इस बारे में मैं विशेष निवेदन, माननीय मंत्री महोदय, आपसे करूंगा कि पैनल्टी के प्रोविजंस तो होने बहुत जरूरी हैं। जब पैनल्टी के प्रोविजन नहीं हैं तो जो जितने आधार आपने बताये हैं, जितने, 6 महीने में जो सारे करने हैं, जिनकी रेस्पांसिबिलिटीज आपने तय की है, और आपने यहां तक कि किस तरह से इस शिड्यूल में यह कहा कि हमको लीकेजेज कम करना है, शोर्टेज कम करनी है, और जो आपने स्कीम्स दी हैं, वे स्कीम तब तक सफल नहीं हो सकतीं, जब तक हम इसमें यह तय नहीं कर लें। जैसे 30 प्रतिशत से अधिक हानियां हैं तो प्रति वर्ष तीन प्रतिशत कम करना है, 20 से 30 प्रतिशत हानियां हैं तो 1.5 प्रतिशत कम करना है। एक साल में 33 के.वी., 11 के.वी. के फीडरों में एनर्जिंग अकाउंटिंग करनी है, एनर्जी आडिटिंग करनी है। एक साल में यह सारे जो बताये, 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, यह जो शिड्यूल में आपने दिये, सब करने हैं। साथ ही साथ आपने पूर्व की रिकवरी के बारे में लिखा है, साथ ही आपने यह भी लिखा है कि लॉसेज इतने कम करने हैं, यह जो आपकी मंशा है, यह बहुत अच्छी है लेकिन गलती से रह गया या जान-बूझ कर रखा गया, आपने पेनल्टी का कोई

(श्री जोगाराम पटेल)

प्रोविजन नहीं रखा है। मेरा निवेदन है कि इसमें पेनल्टी के प्रोविजन के अभाव में इस एक्ट की आत्मा कहीं निकल नहीं जाये; जो हम चाहते हैं कि राजस्थान में बिजली सुधार हो, बिजली का जो ड्यू है वह सब रिकवर हो, भविष्य में रिकवरी नहीं बढ़े, टाइम पर रिकवरी हो, बिजली के प्रसारण में सुविधा हो, चाहे वह कॉमर्शियल लॉसेज हों, चाहे ट्रांसमिशन लॉसेज हों या और कोई लॉसेज हों, वे कम से कम हों और जितना फीडर पर जा रहा है उतनी उसकी बिलिंग हो, बिलिंग होकर, जितनी बिलिंग हो रही है, उतनी उसकी रिकवरी हो; तो यह तभी हो सकता है, जब इसमें पेनल्टी के प्रोविजन रखे हों। मेरा निवेदन है कि इसमें पेनल्टी के प्रोविजन नहीं रखे, उसकी वजह से भी इसमें कहीं न कहीं भविष्य में प्राब्लम आ सकती है।

अंत में, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस बिल के माध्यम से जो आपने एक ऐतिहासिक काम किया है और ऐतिहासिक काम करने जा रहे हैं, जो राजस्थान में बिजली की एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई थी, उसमें जो आप सुधार के कार्य कर रहे हैं, उसके लिये तो हम आपके आभारी भी रहेंगे, आपको धन्यवाद भी देंगे, लेकिन इस स्कीम के फोर्मेट में जितनी भी जो प्राब्लम्स हैं, कम्पनी एक और गठित होगी, पहले 3-4 कम्पनियां और हैं, इनका सबका साथ, कैसे समूह बनकर एकरूपता के काम करें, एक-दूसरे पर रेस्पांसिबिलिटी नहीं डालें, और जो सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन लॉसेज या कॉमर्शियल लॉसेज जो हो गये, एग्रीगेट कॉमर्शियल लॉसेज जो हो रहे हैं, वे कैसे कम हों, हमारे जो लीकेजेज डिपार्टमेंट के हैं वे कैसे कम हों, इन सब बारे में अगर हम कार्यवाही करेंगे तो अवश्य इसमें सफलता मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं पुनः राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद करते हुए, आदरणीय मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि आप प्रोग्रेसिव बिल लाये हैं। यह समय की आवश्यकता है, जरूरी भी है। हम सब अपेक्षा करते हैं कि बिल के अनुसार कार्यवाही होगी और राजस्थान में बिजली तंत्र में सुधार होगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबंध उत्तरदायित्व विधेयक, 2016 और बिजली की स्थिति, दोनों पर आज सदन में विचार हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, इस बिल को लाये जाने के उद्देश्य और कारणों में जो भावना मंत्रीजी ने व्यक्त की है, उस भावना को राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी अपने बजट भाषण में भी

(श्री प्रहलाद गुंजल)

व्यक्त कर चुकी हैं। बिजली कम्पनियों पर घाटा बढ़ रहा है। घाटा नहीं बढ़ रहा, बिजली कम्पनियों की साख बढ़ते हुए कर्जे के कारण इस कदर खराब हो गई कि देश की बैंकों ने लोन देने से मना कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, प्रधान मंत्रीजी ने उज्ज्वल डिस्कॉम योजना, पूरे देश में जो बिजली कम्पनियां घाटे में जा रही थीं, प्रारम्भ की। स्टेट गवर्नमेंट यह बर्डन अपने माथे पर ले, यह प्रधान मंत्रीजी की चिंता थी। बिजली प्रदेश के नागरिकों को सुचारु रूप से मिले, स्टेट का विषय है लेकिन देश भर में बिजली कम्पनियों की हालत राज्यों में यह हो जाये कि बिजली की व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिये धन का अभाव हो जाये और धन का अभाव किस कीमत तक हो जाये; आपने पिछले राज में देखा होगा, भारी-भरकम कर्जे को चुकाने के लिये, कर्जे के ब्याज को चुकाने के लिये कर्जा लिया, और जिस महंगी ब्याज दरों पर ब्याज को चुकाने के लिये कर्जा लिया, पूरे देश में अंतरराष्ट्रीय बाजार में हमारी बिजली कम्पनियों की साख खराब हो गई।

चिंता स्वाभाविक है। चिंता इस विषय में कि समाधान के रास्ते कैसे निकालेंगे। राजस्थान का बिजली बोर्ड था, मामूली-सा घाटा हो गया। सरकार ने चिंता की कि इस घाटे पर नियंत्रण करके जो बिजली, आवश्यकता है, विकास की जरूरत है, आम आदमी के जीवन की, इसको राजस्थान में सुनिश्चित किये जाने के लिये बिजली कम्पनियों का गठन कर दिया। माननीय सभापति महोदय, अभी सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य जब अपनी बात कर रहे थे, मैं समझता हूं कि राजस्थान की सरकार ने जब बिजली कम्पनियों का गठन किया होगा, तब इस सदन में राजस्थान की जनता के सामने एक बहुत पवित्र उद्देश्य के रूप में उसके कारणों को रखा होगा। लेकिन आज 15-16 साल बाद जब सदन उस फैसले पर विचार करता है तो ऐसा लगता है कि वह 2000 का बिजली कम्पनियों के गठन का फैसला लोक कल्याणकारी नहीं, इस राजस्थान के लिए अभिशाप बन गया। आज जब हम नया कानून ला रहे हैं, हमारे पास सेंट्रल का इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, हम मान सकते हैं कि हमारे स्टेट का कोई इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट नहीं है। सेंट्रल के एक्ट में रूल-रेगुलेशंस बनाकर हम हमारी विद्युत व्यवस्था को सुचारु चला रहे हैं। नया एक्ट सेंट्रल के निर्देश पर मॉडल एक्ट के रूप में लाये, चाहे हमारे स्टेट के इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के रूप में लाये लेकिन, माननीय मंत्री महोदय, हमें पूर्व के

(श्री प्रहलाद गुंजल)

अनुभवों को भी सामने रखकर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा। उनके कारणों को जांचे बगैर कि आखिर राजस्थान में ये विकट और भयावह हालात विद्युत कम्पनियों के कर्जे के किन कारणों से खड़े हुए, उनमें जाकर उन पर कोई फैसला, तर्कसंगत किये बगैर हम कोई कानून लाये, मैं समझता हूं कि आपकी भावना पवित्र है, आपका उद्देश्य पवित्र है लेकिन हम परिणाम पवित्र ला पाएंगे, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती।

मैं अभी चर्चा करूंगा, आगे जब बात आएगी, आपने इस एक्ट में व्यवस्थाएं दीं अलग-अलग प्रकार की। मैं सबसे पहले जिसकी चर्चा आज भी लूणी से आने वाले माननीय सदस्य कर रहे थे- 'लेखा अध्युपाय', आपने तो कहा कि यह शब्द ही नहीं है- 'अध्युपाय', मैं उसके साथ के सब-सैक्शन-3 की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं- '(3) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए एक सशक्त समिति गठित करेगी।' और सशक्त समिति कौन होगी? माननीय सभापति महोदय, एनर्जी सेक्रेटरी, डिस्काम का सेक्रेटरी और निदेशक, वित्त। अब मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि अभी जो बोर्ड ऑफ मेम्बर्स आपके काम कर रहे हैं, क्या उसमें सेक्रेटरी एनर्जी नहीं है? क्या उसमें डिस्काम का चेयरमैन नहीं है? क्या निदेशक, फाइनेंस नहीं है? इतनी सशक्त बॉडी मौजूदा व्यवस्था में जब कायम है तो फिर आप इस एक्ट में उसको नए सिरे से परिभाषित करके किस तरीके से सशक्त बॉडी बना रहे हो? आज वही लोग जो आपके बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स, तीनों कम्पनियों के संचालन की व्यवस्था में बैठे हुए हैं, कल आप उनको नया नाम देकर, एक नया फ्रेमिंग करके, मेम्बर्स वही होंगे, किस तरीके से तय कर पाएंगे आप? आज वे बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स रहते हुए इस राजस्थान की जनता और बिजली व्यवस्था के बारे में अपनी क्या सशक्त शक्तियों का विस्तार करेंगे? आज उनके पास सशक्त शक्तियों का कोई अभाव है? और शक्तियों का अभाव नहीं है तो फिर इस एक्ट में आप उनको, क्या लिखा है, माननीय, 'सशक्त समिति'; कौनसी 'सशक्त समिति'? क्या उनको कोई कानून में अमेंडमेंट लाकर कोई एक्स्ट्रा पावर्स देंगे? उसका उल्लेख करते आप।

(15.13 बजे)

(श्री श्रीचन्द कृपलानी, सभापति, पदासीन)

इसीलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं आज कहना चाहता हूं कि कोई भी सरकार एक्ट लाती है, लोक कल्याण की भावना से लाती है लेकिन उस

(श्री प्रहलाद गुंजल)

एक्ट के दूरगामी परिणाम क्या होंगे? उस एक्ट को लाने के प्रारम्भिक अनुभवों को इसमें समाहित करना चाहिए और सारी चीज को जोड़कर अगर राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी इसका ड्राफ्ट करती है तो मैं समझता हूं कि आज इस पर विचार करते समय सदन इस बात की भूरि-भूरि प्रशंसा करता कि यह बिल लोक कल्याणकारी होगा। मैं आपकी भावना पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। ड्राफ्ट कर दिया ब्यूरोक्रेसी ने, फिर आपके बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स क्या कर रहे हैं? मौज कर रहे हैं? मस्ती कर रहे हैं?

आज, माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अगर राजस्थान की बिजली की व्यवस्था खराब हुई है तो इसके पीछे पावर-गेम है और इस पावर-गेम को हमने जब तक नहीं रोका, मैंने पिछली बार सदन में यह बात कही थी कि पिछली सरकार ने किस प्रकार का कृत्य किया; हम बिजली बाजार में बेच रहे हैं 3 रुपये, 4 रुपये यूनिट और इंडस्ट्रीज से हम बिजली खरीद रहे हैं 12 रुपये, 14 रुपये यूनिट। चुनाव आ गया, बिजली खरीद लो, कोयला खरीद लो। यह जो गेम पावर में चला, इस पावर गेम ने इस राजस्थान के विद्युत तंत्र का सत्यानाश करके रख दिया।

फीडर सुधार कार्यक्रम, क्या हुआ फीडर सुधार कार्यक्रम का? आप अभी इसमें कह रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, 'अनुसूची' में, हम इतना-इतना कम कर देंगे, 30 परसेंट पर 3 प्रतिशत हर साल और उससे कम वाले पर इतना हर साल। यह जो एक्ट में आप सपना दिखा रहे हो, चश्मा लगा रहे हो, यह 10 हजार करोड़ का फीडर रिनोवेशन कार्यक्रम काहे के लिए था? वह भी राजस्थान की जनता के लिए एक चश्मा लगाया था। हम जिस प्रकार की सब-स्टेशनों की स्ट्रेंथनिंग करके और इस प्रकार का एक जनरेशन सिस्टम खड़ा कर देंगे कि राजस्थान के बिजली के लोसेज कम होंगे, उपभोक्ता को सुचारु रूप से बिजली मिलेगी; जब आपका सिस्टम 10 हजार करोड़ रुपये के जो जनता को, लोक कल्याणकारी चश्मा लगाकर उसको पलीता लगा सकता है, तो इसके इम्प्लीमेंटेशन पर वह ईमानदारी से काम कर लेगा, आप दावे के साथ कह सकते हैं इस सदन में?

आपने दोनों कमेटियां बनाई हैं। आप उसके चेयरमैन नहीं हैं। नहीं हैं आप चेयरमैन। मॉनिटरिंग कमेटी के भी नहीं हैं, चीफ सेक्रेटरी है। चीफ सेक्रेटरी वैसे भी सारी ब्यूरोक्रेसी को मानिटर करते हैं। अगर प्रशासनिक तंत्र की कार्य पद्धति और प्रणाली में कहीं दोष है, उस दोष को राजस्थान की जनता भुगत

(श्री प्रहलाद गुंजल)

रही है। जिनके दोषों को राजस्थान की जनता भुगते, उन्हीं को दोष निवारण समिति का अध्यक्ष बना दें! पालिटिकल इंटरफियरेंस नहीं, पब्लिक का रिप्रजेंटेशन नहीं। काहे के लिए? ब्यूरोक्रेसी को साउंड करने के लिए! इस राजस्थान में लायबिलिटी सरकार ले रही है, भारत सरकार की योजना के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट ले रही है, सारा उत्तरदायित्व राजस्थान की जनता के लिए हमारा है और कानूनी शक्तियां किसके पास? वह बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर पुराना, उसमें मेम्बर इन तीन से भी ज्यादा होते होंगे मेरे ख्याल से। मंत्री महोदय, बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स में अभी तो तीन की सशक्त समिति है, सशक्त। अभी जो बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स हैं, उनकी संख्या ज्यादा होगी, मिलकर भी तय नहीं कर पाते?

इसलिए, माननीय सभापति महोदय, यह जो अनुसूची में प्रोग्राम बनाया है, आप प्रोविजन करिए एक्ट में। आपने खाली सिम्पल एक्ट बनाकर रख दिया। मैं एक-एक विषय पर बात करूंगा। आप सशक्त प्रोविजन करिए। विद्युत तंत्र को दूषित करने के लिए जो अधिकारी दोषी पाया जाएगा, आपने लिख दिया कि हर साल, छह महीने में सदन के सामने सरकार वह जो रिपोर्ट पेश करेंगे, उसको रखेगी। एक सब-क्लाज जोड़ देते कि रिपोर्ट पेश करते समय कहीं न कहीं, कमी-खामियां पाईं तो सरकार और सदन उनके खिलाफ काम करेगा। क्या करेगा सदन? कई समितियों के माननीय सभापति समितियों के प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखते हैं, चर्चा होती है, फैसले होते हैं, फैसले बदले जाते हैं। सदन उनको डिक्टेट करता है। आखिर जब हम लोक कल्याणकारी कानून, यह कानून इस राजस्थान की धरती पर तब तक चलेगा, जब तक कभी पुनर्विचार के लिए इस सदन के बीच में नहीं लाया जाएगा। आज पारित होने के बाद तो इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके लाने की चिंता की जानी चाहिए।

ड्राफ्ट आ गया, एक माडल ड्राफ्ट। बना दिया होगा तीन-चार आई.ए.एस. ने, दिल्ली में बैठकर माडल के रूप में। क्या दिल्ली के एक आई.ए.एस. ने जो बाजरा-मक्का का अंतर नहीं जानता हो, पॉलिटिक्स में हम कई बार कहते हैं राजनेताओं के लिए, हिन्दुस्तान की बिजली व्यवस्था गरीब आदमी के लिए कैसे सुचारु होगी? वह हमारा माडल एक्ट हो गया। माडल एक्ट वह होगा जो इस हिन्दुस्तान के, इस राजस्थान के एक-एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाये।

आज मैं इस विषय पर चर्चा करने से पहले आपसे एक बात कहना

(श्री प्रहलाद गुंजल)

चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय, ला रहे हैं आप, एक्ट ला रहे हैं, इस एक्ट को लाने से पहले एक आदेश को विद्-ड्रा करो। 6 दिसम्बर, 2012 को सिविल लायबिलिटी लेने के लिये जयपुर डिस्कॉम द्वारा आर ई आर सी., राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से...., माननीय सभापति महोदय, बहुत गम्भीर विषय है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं; मैं आपकी पीड़ा सुनता हूं और उस पर चर्चा करना चाहता हूं; आवश्यक दिशा-निर्देश मांगे। सिविल लायबिलिटी, क्या हों दिशा-निर्देश। क्या इन पर लायबिलिटी तय नहीं होनी चाहिये? पॉवर खरीद में गेम हो रहा है; फीडर रिनोवेशन में गेम हो रहा है; कोयला खरीद में गेम हो रहा है। चारों तरफ भ्रष्टाचार का हाहाकार; मीटर खरीद में घोटाले; इलेक्ट्रिसिटी का बर्डन पड़ा हुआ है करोड़ों रुपये का, ट्रांसफार्मर से लेकर मीटर का उत्तरदायित्व फिक्स नहीं; और सिविल लायबिलिटी बिल, रेगुलेटरी कमीशन ने 6 दिसम्बर, 2012 को कम्पाउंडिंग सिविल लायबिलिटी के आदेश जयपुर डिस्कॉम को प्रदत्त कर दिये और गणना, वर्तमान में उपभोक्ताओं से सिविल लायबिलिटी की गणना निगम द्वारा देय आदेश जे.पी.आर.एस. 346 दिनांक 2 अगस्त, 2010 के तहत की जाएगी। माननीय सभापति महोदय, गणना कैसे हो रही है सिविल लायबिलिटी की? मैं आज सवाल करना चाहता हूं इस सदन में, आप पूछो अपने अधिकारियों से। राजस्थान में आपका कोई मीटर रीडर जाता है, एक बार ले ली और अनुमानित आधार पर आप महीने तक बिल देते रहते हो। आपकी नेग्लीजेंसी को, आपकी कार्य उदासीनता को राजस्थान भुगते और फिर आप जब रिकवरी का डण्डा चले ऊपर से, लोसेज कम करो, तो फिर सिविल लायबिलिटी बना दो।

सिविल लायबिलिटी क्या? माननीय सभापति महोदय, आपने तय कर दिया कि आपका प्रति माह 200 यूनिट उपभोग हो रहा है और जांच के समय कोई लोड डिस्टर्बेन्स पाया गया तो जांच की तिथि के पूर्व 12 माह की अवधि तक प्रति माह उपभोग गुणा 12 माह, उपभोक्ता का किया हुआ उपभोग माना जाएगा। तत्कालीन श्रेणीवार टैरिफ चार्ज विद्युत दर यूनिट का दुगना जोड़ा जाएगा। क्यों जोड़ा जाएगा? क्या राजस्थान की विधान सभा ने इनको अधिकार दे दिया? यह सदन सुप्रीम है। हमारा इंडिपेंडेंट एक्ट नहीं है। अधिकारी एक आदेश नियामक बोर्ड के नाम पर निकाल दे और राजस्थान की जनता के गले पर फंदा डाल दे, यह अधिकार ब्यूरोक्रेसी के किसी अफसर को यह सदन नहीं दे सकता। और सिविल लायबिलिटी दुगनी, दोगुना दर से पैनल्टी और फिर

(श्री प्रहलाद गुंजल)

परिणाम क्या हुआ? माननीय सभापति महोदय, 200 यूनिट का उपभोग गुणा 12, यानी 12 गुणा जोड़ेंगे, 2400 यूनिट; अगर 6 रुपये यूनिट दर है, तो दोगुनी 12 रुपये पर-यूनिट; और 2400 को 12 से गुणा करके 28,800 का नोटिस, जरा पकड़िये, सिविल लायबिलिटी आप पर आ गयी है। साल भर हमने मौज मस्ती की, मीटर चैक नहीं किया, हमने कहीं चोरी की फ्लाइंग नहीं भेजी, किसी प्रकार का कोई उपयोग नहीं किया और एक-एक उपभोक्ता पर, आप पूछना आज इस सदन में, इस राजस्थान में सिविल लायबिलिटी के कितने केसेज बनाये हैं बिजली निगम के अधिकारियों ने। छूट दे दें, लूट लें गरीब किसान को! आपने कई बार 'हां' पक्ष लॉबी में कहा कि सिविल लायबिलिटी के नाम पर नोटिस दे-देकर बिल जमा नहीं करा पा रहे किसानों के ट्रांसफार्मर उतारकर ले गये।

एक बार ऐसी चूक गहलोतजी ने की थी 1998 में, तब हमने कहा था जी एस एस पर धरने दे-देकर कि देश की आजादी के बाद हिन्दुस्तान का बिजली से वंचित गांव इस कल्पना के साथ जागा कि कोई लोक कल्याणकारी राज आएगा, बिजली लेकर आएगा और बिजली के रूप में कोई विकास का उजाला आएगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बातचीत नहीं करें।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): कोई लोक कल्याणकारी राज बिजली लेकर आएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, बिजली हिन्दुस्तान के गांवों तक पहुंची है, बिजली के कारण हिन्दुस्तान का विकास हुआ है, लेकिन कभी इस राजस्थान ने यह कल्पना नहीं की होगी कि आजादी के 50 साल बाद इस राजस्थान में एक ऐसा राज आएगा, जो बिजली के ट्रांसफार्मर खोल-खोलकर गांवों को अंधेरे में डुबा देगा। परिणाम क्या हुआ? लोगों को अंधेरे में धकेल दिया।

इसलिए मैं आज चेतावनीपूर्वक कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय, यह बिल पास करने के पहले यह सिविल लायबिलिटी के इस किसान के गले में फांसी के फन्दे की तरह पड़े हुए अधिकारियों के आदेश को विथड्रा करो। यह सदन का एक्ट नहीं है, मंत्रिमण्डल का फैसला नहीं है; ब्यूरोक्रेसी का आदेश है। इसको विथड्रा करो। राजस्थान का किसान वाहवाही करेगा, भूरि-भूरि प्रशंसा करेगा। आप राजस्थान के किसान के नाम पर, राजस्थान की जनता के नाम पर, फीडर रिनोवेशन से लेकर, पॉवर खरीद से लेकर, कोयला खरीद का गेम करके, 80 हजार करोड़ रुपये का कर्जा अपने माथे डालकर, एक सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाने के लिये सरकार और मुख्य मंत्री दृढ़ संकल्पित हो

(श्री प्रहलाद गुंजल)

जाएं, चाहे कुछ भी हो, हम राजस्थान को बिजली सुव्यवस्थित तरीके से देंगे। इतने बड़े जज्बे वाली सरकार है, इतने बड़े हौसले वाली सरकार है। जरा-जरा से अधिकारी किसान का गला घोंटने के आदेश निकाल दें और उसको विथड्रा नहीं कर पावे। राजस्थान के किसानों में त्राहि माम् हो जाए। मैं उम्मीद करूंगा, सारा राजस्थान, इस एक्ट के पास करते समय अनाउंसमेंट करेंगे कि विद्युत नियामक बोर्ड ने जो सिविल लायबिलिटी गणना करके जो डण्डा वसूली का राजस्थान के बेकसूर लोगों पर चलाया है, मैं उसको विथड्रा करता हूं। आज यह सारा सदन नहीं, सारा राजस्थान आपका स्वागत करेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, बिल पर आना चाहता हूं, यह जो आप बिल लाए हैं, राजस्थान राज्य विधान सभा में पुर:स्थापित हो गया। लिखा है आपने, मुख्य उद्देश्य, राज्य के स्वामित्वाधीन वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से लाया गया है। .विद्युत की उपलब्धता को राज्य में सुनिश्चित करने के लिये, मैंने कहा है अभी आपको, यह इस बिल से प्रदर्शित नहीं हो रहा है। 60 हजार करोड़ का बर्डन ले लिया मुख्य मंत्रीजी ने। हम प्रचार करते हैं गांव में, हम कहते हैं, इतना बड़ा क्रान्तिकारी कदम, जो अन्याय पिछली सरकारों ने कर दिया था, उस पाप को अपने माथे पर झेला है। इस संकल्प के साथ हम इस दुविधा में से राजस्थान को निकालेंगे और इसीलिये आप इसके लिये तो धन्यवाद के पात्र हैं।

माननीय सभापति महोदय, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, परिभाषाएं – परिभाषाओं में, कुछ परिभाषाएं आपने नहीं दीं। यह भी उद्देश्य है आपका, परिभाषा – 2, (ज) में वित्त पोषण साधन, आपने मेरे ख्याल से इस एक्ट में लाने का जो बड़ा प्रोविजन है, राजस्थान राज्य विद्युत वितरण वित्त निगम लिमिटेड का गठन करना। करो आप 6 महीने के अन्दर। मैं परिभाषाओं की बात कर रहा हूं। परिभाषाओं में लिखा है कि आप गठन कर रहे हैं और 3 में भी आपने लिखा है, मुख्य कार्य सूचकांक में जो गाइड लाइन दी है उस हिसाब से हम घाटे को पूरा करेंगे, लोसेज को। मैं समझता हूं आज यह सदन इस बिल को पारित कर रहा है, ऐसा काम हो, ऐसा प्रयास हो जाए, भगवान इतनी इच्छाशक्ति, पारदर्शी तरीके से काम करने का जज्बा इस राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी को दे दे। मैं समझता हूं, राजस्थान की बिजली कम्पनियों का, राजस्थान के किसान का कल्याण हो जायेगा।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

मैं सेक्शन 4 पर आना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, 4 के (ज) में सीधा। 4 के (घ) और (ड) में तो आपने कहा है, जो प्रोविजन रखा है कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो किसानों के बिल-विल को आप माफ कर देंगे, उस समय रिकवरी नहीं होगी। आपने (च) में कहा है, 'यह कि इस अधिनियम में प्रवृत्त होने की तारीख को या उससे पूर्व राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और संस्थाओं को प्रदाय की गयी विद्युत के लिए विद्युत प्रभार बकाया न हों और ऐसा करने में असफल रहने की दिशा में यह बजट अनुदान के विरुद्ध समायोजित कर लिया जायेगा।'

पी.एच.ई.डी. के पास बिजली का बिल है, सरकार का कोई महकमा नहीं जिसमें बिजली का बिल नहीं हो। जब आप यह कानून ला रहे हैं तो जब स्टेट में, आपने इसमें क्लाज डाल दिया कि अनुदान के पैसों में से, जो विभागों का बजट है, समायोजित कर लिया जायेगा। तो फिर मैं यह उम्मीद करना चाहता हूं, आप जोड़ दें, आप हर विभाग के लिए विद्युत के अकाउंट्स का अलग फंडिंग कर दीजिए; आप अलग क्लॉज कर दीजिए विद्युत के पेटे। सब के अनुमान हैं। तो एक जिम्मेदारी रहेगी, अहसास रहेगा कि सरकार से हमें यह पैसा विद्युत के निमित्त मिला है, हमें किसी अन्य मद में इसको खर्च नहीं करना। इसीलिए सालाना लायबिलिटी जो उसके ऊपर आती है, उस बजट के कारण, निश्चित रूप से उससे बच जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, 4 पर आना चाहता हूं, 4 में (ज) में आपने लिखा है, 'राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के सम्बन्ध में सहायक कम्पनियों, सहउद्यम कम्पनियों का गठन या विभाजन की अन्य स्कीमें, समामेलन, विलयन या पुनर्निर्माण या व्यवस्थाएं, जो परिणामी कम्पनी की लाभकारिता और व्यावहारिकता को प्रोत्साहित करेगी, आर्थिक दक्षता, लोक निजी भागीदारी सुनिश्चित करेंगी, प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करेंगी और उपभोक्ता हितों का संरक्षण करेंगी।' जहां हमने निजी भागीदारी करके उनके लाभ की चिंता कर ली, हमारी कम्पनियां तो घाटे में जाती रहीं और जब निजी भागीदारी को समाहित करके हमने उसके लाभ की चिंता कर ली, कल सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी उस पी.पी.पी. माडल में धन्ना सेठ, जो हमारे यहां पर इस व्यवस्था में भागीदार बनकर आयेगा, क्या उसके हितों की रक्षा के लिए काम करेगी? अभी तो अपना दायित्व पूरा नहीं किया। इस बात पर भी स्पष्ट रूप से, निश्चित रूप से आपको अपनी बात कहते समय, लाभकारिता और व्यावहारिकता को प्रोत्साहित

(श्री प्रहलाद गुंजल)

करने का जो जोर दिया है, ऐसा लगता है कि अगर हमने कहीं न कहीं राइडर और नहीं रखे; आ गये, वे तो लाभ ही कमाने के लिए आ रहे हैं; हमने एक्ट में सुनिश्चित कर दिया, हमारी मशीनरी भी उनकी हाज़िरी में काम करेगी, उनको लाभ दिलाने के लिए; कहीं इस राजस्थान की विद्युत वितरण की व्यवस्था पर निश्चित रूप से उनका कब्जा न हो जाए, और अगर उनका कब्जा हो गया...; कई क्षेत्रों में माफिया पनप गये थे, शराब माफिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी को, पूरे देश में नाम थे, कोई यू.पी. का शराब माफिया, कोई हरियाणा का शराब माफिया, उस शराब माफिया की कमर तोड़ी पिछले शासन में राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने, बेरोजगारों तक, एक-एक व्यक्ति तक अलग-अलग दुकान करके। क्या हम बिजली माफिया इस एक्ट में डवलप नहीं कर देंगे? यह गम्भीरतापूर्वक विचार करने का प्रश्न है, माननीय सभापति महोदय।

5 में आपने कहा है वित्तीय पुनर्संरचना के बारे में, वित्तपोषण साधन, अच्छा प्रयास है। 'प्रक्षेपपथ', लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, इस पर आप विचार कर लें, लेकिन मैं कहूंगा कि यह प्रयास आपका सराहनीय प्रयास है, वित्त के बिना काम नहीं चल सकता।

मैं धारा 6 पर आना चाहता हूं। धारा 6 की उप-धारा (1), राजस्थान राज्य विद्युत वितरण वित्त निगम लिमिटेड की स्थापना बाबत मंशा जाहिर की है, उसकी निगम की संरचना, उसके अधिकार और दायित्व और अधिकार गौण हैं। खाली ये ही, पैसा देंगे डिस्काम्स को, कोई राइट नहीं। राजस्थान का जो आप वित्त निगम बनाने जा रहे हैं, अधिकार क्या होंगे, संरचना कैसी होगी, गौण है एक्ट में। आप उल्लेखित करें उसकी संरचना के बारे में, उसके अधिकारों के बारे में, उसके राइट्स के बारे में, और पैसा देने के बाद अगर पैसे का सदुपयोग डिस्काम्स और अन्य कम्पनियां नहीं कर पा रही हैं तो उन पर काग्निजेंस लेने के बारे में कहीं तो डिफाइन करना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, हमने चार विधायकों की एक कमेटी बना दी; बोला, आपको आधा पैसा हम देंगे, आधा जरा विधान सभा में इस-इस मद से आपको प्राप्त हो जायेगा और इसको जरा आप लेखा शाखा में बांट देना, सदन शाखा में बांट देना। बांट देंगे कैसे? एक समिति बना रहा हूं, समिति कौन होगी, कैसे बांटेगी, बांटने की मानिटरिंग क्या होगी, इम्प्लीमेन्टेशन क्या होगा?

पवित्र उद्देश्य के बाद भी, माननीय सभापति महोदय, मैं जानता हूं, मैं

(श्री प्रहलाद गुंजल)

अभी अपना जन मत जानने का प्रस्ताव वापस लूंगा, लेकिन ये मत जब आज सदन में हमारा रखा जा रहा है, इस बिल के अच्छे प्रभाव आयेंगे हमारे सुझावों को सम्मिलित करके। तो अब यह हाउस के रिकार्ड पर रहेगा। इसके दुष्परिणाम आयेंगे, तो हम सलाह के रूप में और सच्चाई के रूप में जो बात रख रहे हैं, वे भी इस सदन के रिकार्ड पर रखे जायेंगे। विरोध करना लक्ष्य नहीं है। आखिर उदासीन वातावरण जो बन गया और मकसद ही जो भ्रष्टाचार बन गया बिजली कम्पनियों में, हमें उस पर कंट्रोल का कोई मेकेनाइजिंग सिस्टम खड़ा करना पड़ेगा। हाथ तो उन्हीं के रहना है। एक और कानून एप्लाई करने के लिए उनको पावर्स दे दीजिए। एक कानून और आ गया। जरा इसमें से और किस तरीके से आप व्यवस्थाएं कायम कर सकते हो; क्या नई व्यवस्था रिफोर्म कर रहे हैं; बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स और वित्त समिति में क्या अन्तर है; बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में ज्यादा मैम्बर हैं।

इसीलिए खण्ड 6 की उप-धारा (2) आपने लिखा है, हम यह वित्तीय साधन जो हैं 2015-16 से प्रारम्भ होकर वित्तीय वर्ष 2021-22 तक की कालावधि तक सीमित रखेंगे। क्या है इसका उद्देश्य? 2015-16 से 2021-22 तक सीमित रखेंगे। या तो आप अनाउंसमेंट करिये कि 2021-22 में हम डिस्काम का, बिजली कम्पनियों का सारा का सारा कर्जा, राजकोषीय, वित्तीय, प्रबन्ध उत्तरदायित्व विधेयक के तहत पूरा का पूरा समाप्त कर देंगे और अगर समाप्त नहीं हुआ तो उस समय की जिम्मेदार व्यवस्था को उसके खिलाफ काग्निजेंस लेकर पीनेलाइज करेंगे। अगर उस समय नहीं हुआ, उस समय भी वित्तीय हालात यह बने रहे, तो क्या एक्सटेंशन करेंगे? अमेंडमेंट लायेंगे? क्या नया बिल लायेंगे? यह बहुत गम्भीर इश्यू है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

धारा 6 की उप-धारा (3) – 'वित्तपोषण साधन, राज्य सरकार के अनुमोदन से, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए बाजार से निधियां जुटा सकेंगे।' निधियां कैसे जुटायी जायेंगी, खुलासा नहीं। 80 हजार करोड़ रुपये का कर्जा जिन कम्पनियों पर है, जिन कम्पनियों की 90 परसेंट सम्पत्तियां आज भी मोरगेज हैं, वे कर्जा लें, बाजार से कर्जा लें और जमानत कौन देगी, सरकार देगी। मैं पूछना चाहता हूं कि जिम्मेदारी तो आपने ले ली और आपने लोन लेने का अधिकार वित्त पोषण का दे दिया, उस वित्त की मानिटरिंग का मेकेनिज्म क्या है? अच्छा होता कि यह एक्ट बनते समय हमारे ऊर्जा मंत्री

(श्री प्रहलाद गुंजल)

और 4 जन प्रतिनिधि उस एक्ट की मानिटरिंग कमेटी के हिस्सा होते; ऊर्जा मंत्री उस समिति के चेयरमैन होते, मानिटरिंग कमेटी के। एक विश्वास बनता कि जो ब्यूरोक्रेसी के आधार पर चलने वाली संस्थाओं में अनवरत घाटे का एक अभियान, कारण कुछ भी रहे हों, जिसके कारण चल रहा है, राजनीतिक इच्छाशक्ति इस शासन ने जाग्रत की है। पिछली सरकारें अनदेखी करती आ रही थीं। उस इच्छाशक्ति के चलते हुए अब सोशल लाइबिलिटी लेकर सरकार इस दिशा में कानूनी कदम के साथ आगे बढ़ना चाहती है।

आप अमेंडमेंट कराइये। अध्यक्ष, ऊर्जा मंत्रीजी, मैं समझता हूं आप खुद रहें।

लेखा पर मैंने चर्चा कर दी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं पूरी बात रखूंगा, माननीय सभापति महोदय। सभापति महोदय, यह मेरा प्रिविलेज है। अनुदान और बजट पर आप समय निर्धारित कर सकते हैं। मैं एक्ट के एक-एक इश्यू पर चर्चा करूंगा। यह मेरा प्रिविलेज है।

श्री सभापति: संक्षिप्त में करिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): नहीं, यह मेरा प्रिविलेज है। माननीय सभापति महोदय, या तो व्यवस्था दे दीजिए कि बिल पर बोलते समय माननीय सदस्यों को आसन 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं देगा। मैं व्यवस्था का पालन करूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य का प्रिविलेज जरूर है पर परमपराएं भी इस प्रकार की रही हैं कि जब कभी इस प्रकार के बिल्स पर डिबेट होती है तो समय सीमा में बांधा जा सकता है। अनेक अध्यक्षीय व्यवस्थाएं देख लीजिए आप।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): कोई परम्पराएं नहीं हैं। आप बता दीजिए परम्परा। एक नई व्यवस्था दिला दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): कई व्यवस्थाएं हैं पूर्व में। इस प्रकार अगर फ्लोर एक के पजेशन में आ गया तो वही बोलते रहेंगे।

श्री सभापति: यह बात सही है, माननीय सदस्य, आपका प्रिविलेज है लेकिन बोलने वाले माननीय सदस्य कई हैं।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): मैं कुछ क्लॉज पर अपनी बात करूंगा। माननीय सभापति महोदय, आप यूं प्रिविलेज को मिस मत करिये। आप व्यवस्था दे दीजिए, मैं मान लूंगा। फ्लोर मैनेजमेंट के आधार पर किसी सदस्य के प्रिविलेज को मत मारिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): राठौड़ साहब, पार्टी के क्या हो गया? पार्टी के क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया?

श्री सभापति: आप विराजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कोई गड़बड़ तो नहीं है?

श्री सभापति: चिंता कर लेंगे राठौड़ साहब, पार्टी में।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इसको दुरुस्त करो। आप सक्षम हो, संसदीय कार्य मंत्री हो। पार्टी में जो खटपट चल रही है।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): डोटासरा जी, आप तो आपकी पार्टी का देखो। दूसरों की पार्टी का क्या देखते हो। आपकी पार्टी का क्या हो रहा है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हमारी पार्टी का तो इससे बुरा क्या होगा? जो हो गया, सो हो गया। अब तो ठीक ही होगा, जब भी होगा।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): डोटासरा जी, हम आपस में बात कर लेंगे।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आपका वह रुतबा नहीं रहा अब। खतम हो गया रुतबा।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): हमारे यहां आंतरिक लोकतंत्र है। आपकी तरह नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं मानता हूं।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): कारपोरेट गवर्नेस, इसमें सरकार ने कुछ डायरेक्टर्स की नियुक्ति का अधिकार अपने हाथ में रखा है। कदम ठीक है। मैं इसका समर्थन करता हूं।

मैं सेक्शन 9 के सब-सेक्शन (3) पर आना चाहता हूं, माननीय

(श्री प्रहलाद गुंजल)

सभापति महोदय, 'नियामक आस्तियों के परिसमापन के लिये आवश्यक कदम उठायेंगे,' इस परिसमापन की परिभाषा दे दें। यह परिसमापन कहीं सम्पत्तियां बेचने का अधिकार, इस एक्ट के तहत परिसमापन। आप तो कुछ नहीं करेंगे। नई सरकार 5, 10, 15 साल बाद अगर आ गई तो राम मंदिर पर डिस्काम का इतना बड़ा भूखंड है कि यह हजारों करोड़ रुपयों में बेचेंगे। हम इस एक्ट से कहीं न कहीं ऐसी संरचना न कर दें कि आने वाली किसी सरकार को उसका दुरुपयोग करने का अधिकार मिल जाये। इस पर एक बार गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

मैं सेक्शन 11 पर आ रहा हूं, मानिटरिंग की व्यवस्था। इस मानिटरिंग की व्यवस्था में जो आपने उपबंध किया है, मैंने बार-बार कहा है कि इसमें कोई न कोई जन प्रतिनिधि होना चाहिए। मुख्य सचिव से लेकर के सारे अधिकारी आपने रख दिये। ऊर्जा मंत्री इसके चेयरमैन होते तो अच्छा होता।

सेक्शन 12 में जो आपने कहा है, जो कमेटी सेक्शन 11 में मानिटरिंग की बनाई गई है, अनुपालना का प्रवर्तन कराने के उपाय का उपबंध किया है, 12 में, जिसके अनुसार धारा 11 के अधीन स्थापित समिति मात्र सिफारिशी कमेटी बनकर रह जाती है। बहुत पावरफुल कमेटी है यह, चीफ सैक्रेटरी की। क्या अधिकार दिये? सिफारिश करेगी। सिफारिशी, जिसको कोई अधिकार ही नहीं है। एक्शन लेने के, निर्णय लेने के, उसे अधिकार दिये जाने चाहिए।

धारा 12 की उप-धारा (2) के खण्ड (iii) में उपचारी उपाय जिन्हें राज्य सरकार धारा 11 के अधीन स्थापित समिति द्वारा की गई सिफारिशों को ग्रहण करने के लिए प्रस्ताव को विधान मंडल के समक्ष कथन करेगी। कथन तो कर देगी, उसके बाद विधान मंडल क्या करेगा? उसमें कहीं न कहीं कमियां, खामियां हैं, तो विधान मंडल में प्रस्तुत करने के बाद सरकार उस पर क्या डिसीजन लेगी? किसको उसके लिए जिम्मेदार ठहरायेगी? मैं समझता हूं कि इन सारी चीजों पर बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार होना चाहिए।

सरकार की मंशा ठीक है लेकिन, माननीय सभापति महोदय, एक व्यवस्था है; यह ड्राफ्ट जो ब्यूरोक्रेसी ने किया है, इस सदन में आने से पहले, अच्छा होता, पालिटिकल लोगों के साथ डिस्कस होता। कानून हम आम आदमी के लिए बनाते हैं, आम आदमी की राय इसमें समाहित होती। इस कानून की पालना सदन में नहीं होगी। यह कानून जो एप्लाई होगा वह इस

(श्री प्रहलाद गुंजल)

राजस्थान के 7 करोड़ लोगों पर होगा। इनके क्लाज पर अगर हम राजस्थान की जनता की राय लेते तो मैं कहता हूं कि एक लोक कल्याणकारी कानून बनता।

भावनाएं इस एक्ट को लाने के पीछे लोक कल्याण की हैं; राजस्थान की बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ और सुचारु रूप से कायम करने की हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी मुख्य मंत्रीजी ने ली है। पुराने पाप को अपने सिर पर लेकर राजस्थान की जनता को कहीं किसी प्रकार की तकलीफ न भुगतनी पड़े। इस कारण राजकोषीय घाटा साढ़े 9 परसेंट चला गया। इस जिम्मेदारी को ओढ़कर जो काम किया है, वह ऐतिहासिक कदम है और इसके ऐतिहासिक परिणाम आयेंगे। उसके लिए जरूरी है कि रूल-रेगुलेशंस बनें, तब इसमें कुछ न कुछ जन-प्रतिनिधियों और आम आदमी की भागीदारी सुनिश्चित करें।

माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, धन्यवाद। मैंने जो जन मत जानने का प्रस्ताव दिया है, मैं उसको वापस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, मैं एक सूचना देना चाह रहा था।

श्री सभापति: मैं आपके लिए ही बोल रहा था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जी। जी।

श्री सभापति: माननीय संसदीय कार्य मंत्री, जन हित की कोई घोषणा करना चाहते हैं।

शासकीय वक्तव्य

खरीफ 2015 का फसली ऋण जमा कराने की अवधि में वृद्धि

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, राजस्थान की लोक कल्याणकारी सरकार ने इस वर्ष जो फसली ऋण था, वह 24 लाख 22 हजार किसानों को दिया, 9 हजार 983 करोड़ का। यह खरीफ का फसली ऋण था। इसके जमा कराने की आज अंतिम तिथि है। कई माननीय सदस्यों ने इस बारे में कहा कि इस बार कहीं ओलावृष्टि हो गई, कहीं अकाल की स्थिति पैदा हो गयी, कहीं व्यवस्थापकों ने पूरा सहयोग नहीं किया।

सभापति महोदय, राज्य सरकार ने निर्णय लिया; क्योंकि सदन चल

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रहा है, इस प्रकार की घोषणा सीधे बाहर हम कर नहीं सकते; राज्य सरकार की जो घोषणा है उसके अनुसार राज्य सरकार ने किसानों के हित में निर्णय कर खरीफ, 2015 के फसली ऋण, जिसे वापस जमा कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2016 है, इस अंतिम दिनांक को ऋण लेने से 12 महीने की अवधि तक अथवा 30 जून, 2016, जो भी पहले हो, तक बढ़ाने का फैसला किया है।

यह है, लोक कल्याणकारी सरकार के द्वारा सदन में जो बातें कही जाती हैं। प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य कहते हैं कि हम बोल रहे हैं, कुछ बात ही नहीं है। यह सदन के अन्दर बात उठी। सदन में माननीय सदस्यों ने यह मांग की कि यह जो ऋण है, जो इतनी बड़ी संख्या में दिया, इस ऋण की अवधि बढ़ानी चाहिए। माननीया मुख्य मंत्रीजी ने आप सबकी भावना के अनुसार, राजस्थान के किसानों की समस्या को देखते हुए ऋण की तिथि बढ़ाने की घोषणा की है, जो मैं सदन में घोषित कर रहा हूं।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय सभापति महोदय, इसके लिए तो हम सरकार का धन्यवाद करेंगे ही, साथ ही एक और निवेदन करेंगे कि कल जो मुख्य मंत्री महोदया ने घोषणा की थी कि विधायक कोष में 25 लाख की बढ़ोतरी, उसको पुन: माननीय संसदीय मंत्रीजी दिखवायें।

श्री सभापति: विराजें। डा. फूलचन्द भिण्डा।

विधेयक पर विचार

राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व विधेयक, 2016

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय सभापति महोदय, आज जिस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हो रही है, उसका नाम है विद्युत वितरण प्रबंध उत्तरदायित्व। ये तीन शब्द हैं इसमें, वितरण है, प्रबंध है और उत्तरदायित्व है।

मैं कई बार ऐसा कहा भी करता हूं कि जब तक पब्लिक सेक्टर में अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, तब तक उसके परिणाम अच्छे नहीं आयेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2000 में जब इस सदन में बहस हो रही थी, तब तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा था कि मैं बिजली बोर्ड का 300 करोड़ का घाटा सहन करने की स्थिति में नहीं हूं। वर्तमान में जो सत्ता में

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

पार्टी है, उसने जमकर विरोध किया था लेकिन वे मानने के लिए तैयार नहीं थे। कहा, कंपनी बनाकर के रहूंगा, वह बनाकर के रहे और राजस्थान को 80 हजार करोड़ का घाटा चिपका गये।

इस एक्ट में भी उत्तरदायित्व और प्रबंध दोनों बातें कही गई हैं। क्या वर्तमान में प्रबंध नहीं है? इसमें अकाउंटेबिलिटी, रेस्पोंसिबिलिटी के साथ अकाउंटेबिलिटी का भी तय करना चाहिए। इसमें यह भी तय नहीं किया गया कि अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी और रेस्पोंसिबिलिटी किसकी होगी, कितनी मात्रा तक होगी। पिछली बार जब हम उधर बैठते थे तो तत्कालीन सरकार ने एक सेवा गारंटी अधिनियम, बहुत अच्छा एक्ट था, उस समय हमें भी बहुत खुशी हुई थी। क्या परिणाम है उसका? जनता वैसे ही ठोकरें खा रही है। जब पांच कम्पनियां बनाई गई थीं, उस समय आशा की गई थी, इनका 300 करोड़ रुपए का घाटा भी दूर हो जाएगा और राजस्थान मालामाल हो जाएगा। उन कम्पनियों के माध्यम से जो भी सुझाव देते हैं, आपके सामने निवेदन कर रहा हूं कि पूरे राजस्थान के प्रत्येक गांव में बिजली नहीं पहुंची, लेकिन दो-दो फीडर बनाये गये। किसी ने सुझाव दिया फैक्टरी वाले ने कि सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर लगा लो और उनका सिंगल फेज का अलग दे दो, थ्री फेज का अलग दे दो। उसी से पहले 50 साल तक थ्री फेज में लाइन जाती रही। सिंगल फेज के दिए। कितने ट्रांसफार्मर चोरी हुए, कितने जले? उसके कारण से 80 हजार करोड़ का घाटा हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि उसकी आज तक जांच नहीं हुई है। मैंने पिछली बार भी सदन में कहा था कि कम्पनी एक्ट की धारा में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी सरकारी या गैर-सरकारी कम्पनी होगी उसकी आडिट जरूरी है। क्या पन्द्रह साल की सरकारी आडिट हो गई सरकारी कम्पनियों की? आज तक आडिट नहीं हुई? माननीय सभापति महोदय, मुझे अफसोस है कि पिछली बार के ध्यानाकर्षण में उसका जवाब लिखा है अधिकारियों ने कि विधान के अनुसार आवश्यक नहीं है। फिर उसको इस सदन ने पास किया। उसकी क्या जरूरत है? और यह व्यावहारिक भी नहीं है।

भौतिक सत्यापन, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, मैंने एक गाड़ी की लॉगबुक देखी। वे दोनों स्थान मेरे इलाके में हैं, तीन किलोमीटर है, वहां से

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

वहां गए, दुबारा जाना पड़ा। इतना लिखकर छिहत्तर किलोमीटर का बिल बनाया। यह ठेकेदारी प्रथा ही तो है।

अभी आप तो बारह रुपये की बात कर रहे हो, मैं रिकार्ड पर साबित कर दूंगा कि बीस रुपये में बिजली खरीदी और नौ रुपये में बेच दी गई शाम को। घाटा तो उसके कारण था। कौन करता था यह? जिस दिन भी महंगी बिजली खरीदी गई उस दिन तो प्राइवेट कम्पनी से खरीदी गई, क्योंकि सौदा तो वहीं हो सकता था और जिस दिन कम बिजली की आवश्यकता पड़ी उस दिन सरकारी कम्पनियों और जो दूसरे प्रांत थे उनसे खरीदी गई। यह क्या खेल है? क्या यही करते रहेंगे, यही कहते रहेंगे, एक्टों के माध्यम से और पावर देते रहेंगे?

क्या इसमें चीफ सेक्रेटरी की अकाउंटेबिलिटी होगी? मोनिटरिंग वह कर रहे हैं न, 'अनुज्ञप्तिधारी' लिखा है इसमें; निदेशक कौन होंगे, 'अनुज्ञप्तिधारी'। इसमें प्राइवेट सेक्टर की बात की है, पी पी पी मोड की बात की है; यानी जिसको हम लाइसेंस देंगे लूटने के लिए। तो अब भी तो लूट रहे हैं न। ठेकेदारी से ही हुआ है इतना लोस। इतना लोस वैसे नहीं हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, मीटर बदले गये; किसी ने कह दिया कि इलेक्ट्रिक मीटर लगा दो, मान लिया सरकार ने। एक डिस्काम में 32 लाख मीटर खरीदे गये, उसमें 2 साल की गारंटी थी, 5 महीने में ही मीटर खराब हुए 8 लाख। उसमें भी मेरा जवाब आया है कि उसमें हमने 8 करोड़ की जो सिक्योरिटी थी उसको जब्त कर लिया। तो सौ रुपये का ही मीटर था क्या? वह तो 5 महीने में ही खराब हो गया, दो साल में कितने मीटर खराब हुए होंगे? और वे मीटर फिर चेंज कर दिए कि दूसरे मीटर आ गए। यह खेल चल रहा है, लगातार चल रहा है।

अकाउंटेबिलिटी तय करना बहुत जरूरी है, यह आवश्यक भी है लेकिन इस बिल के बाद में क्या इम्प्लीमेंटेशन होंगे? जैसे मैंने अभी कहा, सेवा गारंटी का उसमें बता दें, राजस्थान में हजार लोगों पर भी अकाउंटेबिलिटी तय हुई हो तो, सेवा गारंटी, और रोज उल्लंघन होता है। हमारे पास आते हैं लोग रोज कि साहब, एक महीना हो गया मेरे को दिए हुए आर टी आई में। वह तो बी डी ओ ने मना कर दिया, एस डी ओ ने मना कर दिया, तहसीलदार ने मना कर दिया कि इन्तजार करो। दो दिन बाद, दो दिन बाद कलेक्टर के पास जा सकते हो। यही कहने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं होता।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

तो इसमें अकाउंटेबिलिटी स्पष्ट है ही नहीं, पैनल्टी स्पष्ट है ही नहीं। कौन रेस्पोंसिबल होगा, कौन उसकी जांच करेगा, यह भी तय नहीं है। मोनिटरिंग में सिफारिश की बात कही गई है, चीफ सेक्रेटरी की।

तो बिजली महत्वपूर्ण है, अनिवार्य है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए जरूरी है।

मनमानी सिविल लाइबिलिटी की बात अभी कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कही। पिछली बार भी मैंने मामला उठाया था कि यह तो ठीक है कि आपने मशीन लगाकर किसान का चैक कर लिया, वह चैक कर लिया, बोरिंग चैक किया, मीटर चैक किया लेकिन उसके वोल्टेज को भी चैक किया कि 400 वोल्टेज होने चाहिए, 250 वोल्टेज आ रहे हैं? तो मशीन पर दबाव तो पड़ा हुआ ही है। फिर भी उसमें मोटर तो बनती है 7.5 की और 8.33 का दे दिया, 16.12 का। मशीन ही नहीं बनती। 5 की बनती है, 7.5 की बनती है, 10 की बनती है, 12.5 की बनती है, 15 की बनती है, 17.5 की बनती है। मैं धन्यवाद दूंगा वर्तमान माननीया मुख्य मंत्रीजी को जिन्होंने इस बात को स्वीकार करके 17 करोड़ रुपये वापस दिलाये किसानों को, जो इस प्रकार की वी सी आर भरी गई थी। चाहे जो मनमाना करेंगे। 400 वोल्टेज देंगे नहीं और भरेंगे वी सी आर। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 80 परसेंट किसानों की मोटरें वही हैं जो 'एल' फार्म में लिखी गई हैं। पानी नीचे चला गया। अब मशीन आ गई उसको चैक करने। उस समय 'एल' फार्म था, 'एल' फार्म की अनिवार्यता थी। 'एल' फार्म भी इनके लाइसेंस्ड व्यक्तियों द्वारा ही दिया जाता है। मोटर अभी भी निकालकर देखो तो वही 7.5 की निकलेगी, लेकिन 12.5 की भर देते हैं, 10 की भर देते हैं, 15 की भर देते हैं। कोई सीमा तो हो उसकी। अकाउंटेबिलिटी किसकी तय होनी चाहिए?

अभी-अभी चार दिन पहले की बात है, एक मीटर रीडर गया, जिसको पूरे इलाके को ठेके पर दिया गया है। उसने कहा कि सौ-सौ रुपये दे दो, कम कर दूंगा, मार्च का महीना है, वरना पूरा भरूंगा। पांच लोगों ने दे दिया, बीस लोगों ने दिया नहीं; बीस का भर आया। मेरे पास फोन आया तो मैंने ए ईएन को कहा कि अभी इमीजिएटली जे ईएन को भेजिए, उन बीस घरों में भेजिए, नहीं तो सारी व्यवस्था बिगड़ेगी। सबके गलत भरे हुए थे, मीटर रीडिंग गलत थी। छह हजार मीटर रीडर बैठे रहे सरकारी नौकरी वाले और हमने ठेके पर

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

पूरे पांच साल तक आतंकित किया किसानों को और गांव वालों को और उसके कारण से लूट मची। इस कारण से हो गयी यह गड़बड़। कोई भौतिक सत्यापन ही नहीं हुआ कि कितने खम्भे गाड़े, कितने तार लगे। मीटर तो उनकी बाड़े में रखे रहते, छोटे ठेकेदार के। बड़े ठेकेदार तो जाते ही नहीं। वे तो बांट देते हैं। ठेकेदार, ठेकेदार को, ठेकेदार को। चार-चार, पांच-पांच बार नीचे चला जाता है मामला। सारे खा रहे हैं न वे। वे मार्जिन तो ले ही रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति बनी है।

बिजली आवश्यक है, बिजली में सुधार आवश्यक है, हम सबका जुड़ा हुआ मामला है। आप बताइए, जो व्यक्ति, मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूं, मैंने 1995 में मेरे घर में कनेक्शन मांगा। तो मैंने पहले ही दो यूनिट भर दिया। उसमें वहां काटा उन्होंने कि आधे से ज्यादा कनेक्शन देते ही नहीं हैं। मैं तो उस समय प्राध्यापक था, आधा कर दिया उन्होंने काट कर। अभी भी मेरा फार्म देखा जा सकता है, आधा काटा हुआ है। अब फ्रिज भी आ गया, कूलर भी आ गया, सब आ गया और ईमानदारी से मेरी रीडिंग आ रही है। तब भी कह देंगे कि आपका लोड ज्यादा है। इसकी वी सी आर भरी जा रही है। वह भी 11 हजार हार्स पावर के हिसाब से पैनल्टी है। कितना त्रस्त है गांव का व्यक्ति! पिछली बार सदन में मामला उठाया था विधवा का, उसकी पूरी छत ही नहीं पड़ी; कम पैसे थे पहले, अब तो ज्यादा हो गये इन्दिरा आवास के; एक बल्ब किसी से मांग कर लगा लिया। उसकी वी सी आर भरी 57 हजार की। बाद में जब मैंने क्वेश्चन लगाया तो कनेक्शन ही काट आये उसका। जब यह बात आगे बढ़ी और लगा कि गड़बड़ हो गई तो वे बचाव में भागते फिरे।

यह धंधा चल रहा है, माननीय सभापति महोदय। इसमें सुधार आवश्यक है। आप तो खुद ही गांव की कांस्टीट्यूएंसी के हैं, आपको मालूम है कि वी सी आर के कितने केस हमारे पास आते हैं, कितने लोग रोते-रोते आते हैं। इस प्रकार का नाटक चल रहा है। (व्यवधान) उनके ज्यादा हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह मैंने पहले भी कहा था कि सिविल लाइबिलिटी को आप खतम कीजिए। पैनल्टी पर पैनल्टी है। जो हॉर्स पावर के हिसाब से चोरी का मुकदमा बनता है, उस पर सिविल लाइबिलिटी एक्स्ट्रा है। सिविल लाइबिलिटी के लिए वही जिम्मेदार है। जितना तंत्र है, मैं कहना नहीं चाहता, मैं किसान को एक उपभोक्ता नहीं मानता, वह प्रोड्यूसर है, लेकिन

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

उसके साथ अत्याचार हो रहा है। जिस देश में उपभोक्ता के साथ अत्याचार होगा, वह देश उन्नति नहीं कर सकता। इस बात की गारंटी है मेरी। उसको केवल आप उपभोक्ता मानकर ट्रीट कर रहे हैं, वह उत्पादक भी है।

माननीय सभापति महोदय, अभी एक नया खेल चालू हो गया। माननीया मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि मैं 22 घंटे, 7 घंटे किसानों को, घरों में बिजली दूंगी। अब छीजत के नाम पर कौनसा अघोषित प्रोग्राम है, माननीय मंत्रीजी जानते होंगे; हमें रोज शिकायतें आ रही हैं कि आप तो कह रहे थे कि बिजली ठीक हो गई, ये तो मनमर्जी से रात को काट देते हैं, परीक्षा में।

(16.00 बजे)

माननीय सदस्य कह रहे हैं, वह सही बात है, बच्चे फोन करते हैं। यह अघोषित कटौती किस बात की? हम बार-बार कह रहे हैं, जब आदमी, जिसके पास कनेक्शन नहीं है वह चोरी करके तंत्र पर डालता है तब तो तंत्र गड़बड़ नहीं होगा। अगर सबको कनेक्शन दे दिया तो तंत्र गड़बड़ हो जाएगा। ऐसी सिफारिशें आती हैं! साहब, कैसे दे सकते हैं कनेक्शन, इस लाइन पर तो लोड है। जब 5 के ऊपर 10 लोग होंगे, 5 फर्जी चला रहे हैं, तब तो वह लोड उठा रहा है। क्यों नहीं सबको हम कनेक्शन दें? हरियाणा में चल रहा है कि जो भी चोरी करते पकड़ा जाएगा, वहीं की वहीं उसकी वी सी आर की पेनल्टी और कनेक्शन। वह चोरी भी करेगा तो जो फिक्स अमाउंट है, जिसको हमने कहा है स्थायी सेवा शुल्क। सेवा तो हम जानते ही नहीं बिजली के बारे में। हमारा कोई फ्यूज बाँध देगा या ट्रांसफार्मर संभाल लेगा? लेकिन फिर भी ले रहे हैं। सैद्धांतिक रूप से यह गलत है। स्थायी सेवा शुल्क कौनसी सेवा का ले रहे हैं हम? स्थायी रूप से कौनसी सेवा दे रहे हैं? रोज मीटर संभालने जा रहे हैं, या रोज उनकी यूनिट संभालने जा रहे हैं? ट्रांसफार्मर के फ्यूज उड़ जाते हैं तब भी लाइनमैन नहीं मिलता है। लाइनमैन तो वहां मिलता है जहां वी सी आर भरने के बाद उसको भेजते हैं कि जा, सौदा कर आ। बंधी रहती है।

इस एक्ट के बारे में जो मैंने जन मत जानने का प्रस्ताव दिया था उसको तो मैं वापस लेता हूं और इसके प्रयास के लिए भी धन्यवाद देता हूं, लेकिन इसकी जो आशंकाएं हैं निश्चित तौर पर इसको नौकरशाहों पर पूरी तरह से नहीं छोड़ना चाहिए। मैं इस सदन के बीच में घोषणा कर रहा हूं, हमने एक बार तकनीकी व्यक्ति को चेयरमैन बनाया था, पृथ्वी सिंहजी को। शायद

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

पृथ्वी सिंहजी ही नाम था उनका, भैरोंसिंह जी जब मुख्य मंत्री थे। बिजली बोर्ड फायदे में आ गया था। तकनीकी आदमी को हम बनाते ही नहीं हैं।

इसमें मोनिटरिंग कमेटी में यह भी जोड़ा जाय कि जो भी इसके सम्बन्धित व्यक्ति हैं, चाहे चीफ इंजीनियर हैं या कमेटी मेम्बर हैं उनके रिश्तेदारों के पास मीटर बनाने या ट्रांसफार्मर बनाने का नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसे अयोग्य घोषित किया जाय। इसमें मेंशन किया जाना चाहिए।

मैंने खुद ने ही कहा था पिछली बार, 80 हजार करोड़ रुपये के लिए श्वेत-पत्र जारी होना चाहिए। ऑडिट क्यों नहीं? पिछली बार माननीया मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी, ऑडिट कराएंगे। अब कंपनियां तो अपनी खुद की ऑडिट क्यों कराएंगी? यह अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। सदन में बनाये गये एक्ट के माध्यम से कंपनियां बनी हैं और उस कंपनी की एक धारा में यह लिखा हुआ है कि ऑडिट अनिवार्य रूप से होगी। इस सदन की यह अवहेलना है, अगर ऑडिट नहीं हो तो। आपके माध्यम से मंत्रीजी को कह रहा हूं कि अगली बार जब इसके बारे में रिपोर्टिंग करें तो उसके पहले 15 साल की ऑडिट; 15 साल की ऑडिट कराओगे तो आपको क्या-क्या मिलेगा, देखना। (व्यवधान) ये रामहेत जी, किशनगढ़बास से आने वाले माननीय सदस्य, दो साल पहले इन्होंने कहा, मेरे यहां एक लाख ट्रांसफार्मर चोरी हो गये 5 साल में। क्या कीमत नहीं थी? अभी तो उसमें कॉपर की जगह दूसरा माल आ गया, वे ट्रांसफार्मर चल रहे हैं। चोरी अपने आप कम हो गयी। जो कंपनियां चला रहे हैं, मीटर और ट्रांसफार्मर बना रहे हैं, वे सलाह देते हैं; उनकी सलाह चलती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, कुछ समय निश्चित करें। 19 माननीय सदस्यों के जनमत जानने के प्रस्ताव हैं।

श्री सभापति: आपने ले लिया ना वापस।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सचेतक महोदय ने 7 अलग नाम भेज रखे हैं, उधर से भी नाम हैं। आज फिर वही एक बजे का रिकॉर्ड बनेगा। इसलिए थोड़ा सा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से एक निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि उसमें दो बातें हैं। अब चर्चा पर आया हूं मैं।

श्री सभापति: आपने तो वापस ले लिया। अभी बोले हैं आप।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): चर्चा के लिए कह रहा हूं। दूसरा पार्ट, उसका दूसरा पार्ट। (व्यवधान) मेरे विधान सभा क्षेत्र में 11, 33 के स्वीकृत हैं, उनमें से 4 ऐसे हैं जिनकी बाउण्ड्री बन चुकी, कुछ काम हो चुका। उनको बना दिया जाय। 132 के जो नये ग्रिड पिछले 5 साल में बने थे उन पर ट्रांसफार्मर कम हैं; कमजोर हैं या कम क्षमता के हैं; उनको बढ़ाएं। एक जो डिमाण्ड नोट जमा हो गया पिछले वर्ष का, पिछले वर्ष जमा करा दिया था, लेकिन उनका कनेक्शन नहीं हुआ, उनके कनेक्शन हो जायं।

दूसरे पार्ट में इतना-सा निवेदन करके, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): गागर में सागर।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, गागर में सागर भी भरूंगा, आपका जी खुश भी करूंगा और अपनी बात भी रखूंगा। जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन उसमें आपको थोड़ी तकलीफ ज्यादा हो जाएगी। इसलिए जैसा चल रहा है वैसा चलने दो।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): सीकर में मेडिकल कॉलेज खोल दिया, उसके लिए धन्यवाद दो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उसके लिए आपकी सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद, मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद; हमारे कांग्रेस के प्रयासों को आपने आगे बढ़ाया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, आज हम राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व विधेयक, 2016 पर और विद्युत पर, दोनों पर हम चर्चा करना चाहेंगे। काफी माननीय सदस्यों के विचार मैंने करीब-करीब तसल्ली से सुने, अच्छे सुझाव आये; बिल के ऊपर भी आये, बिजली पर भी आये और यह भी खुशी की बात है कि माननीय ऊर्जा मंत्रीजी सुबह से जब से चर्चा हो रही है यहां सदन में बैठे हैं, सबको नोट भी कर रहे हैं, सुन रहे हैं, अच्छी बात है।

निश्चित रूप से बिजली कंपनियां घाटे में हैं। कर्ज चुकाने की गारंटी भी सरकार की है। कंपनियां हमने बनायीं; दुबारा एक कंपनी बनने जा रही है। कुल मिलाकर सबका एक ही मानस है कि इन बिजली कंपनियों को किस प्रकार से चुस्त-दुरुस्त करें; किसानों को जो बिजली उपलब्ध हो रही है,

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

व्यापारियों को जो बिजली उपलब्ध हो रही है उसमें किस प्रकार से हम सुधार करें और राजस्थान किस प्रकार से प्रोग्रेसिव स्टेट हो इस बात की सब चर्चा कर रहे हैं।

आज बिजली की दरें भी, चाहे हमने कम बढ़ायीं, कृषि की आपने थोड़ी-बहुत बढ़ायी, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं है। बिजली की दरें बढ़ाने के अलावा भी बहुत कुछ है जो हमें करना पड़ेगा। इस एक्ट के माध्यम से सरकार की मंशा यह है, जो मैं समझ पाया कि हम किस प्रकार से इस पर नियंत्रण करें, किस प्रकार से घाटे की पूर्ति करने के लिए एक कंपनी बनाकर धन की व्यवस्था करनी पड़े, चाहे सम्पत्तियों को बेचना पड़े, तो वह सब करें। अगर हम मनाही भी करें तो सरकार करेगी। लेकिन किसान को, आम उपभोक्ता को बिजली की सुविधाएं ज्यादा किस प्रकार से दें, इस बात की हम सदन में चर्चा करें और सार्थक चर्चा के माध्यम से कुछ ऐसा निकलकर आए जिससे हम बिजली में आत्मनिर्भर भी बनें; अच्छी बिजली भी दें; हमारी छीजत भी रुके; हमारी कंपनियों के प्राइवेट ठेकेदार जो मैटेरियल देते हैं, जो हल्का मैटेरियल देते हैं, वह मैटेरियल अच्छा हो; उद्योग भी आएं, उद्योगों को बिजली पूरी मिले; किसान को सुविधाएं मिलें, इन सबकी चर्चा हम करें। किसी ने अधिकारियों पर दोष मढ़ दिया, किसी ने किसी पर मढ़ दिया। न तो सब अधिकारी बुरे होते हैं, न सब जन-प्रतिनिधि अच्छे होते हैं। अधिकारी की मजबूरी है कि उसको उस डिपार्टमेंट को चलाना है जिसकी बागडोर उसके पास है। जन-प्रतिनिधि की मजबूरी है कि वह वह बात करे जो जनता चाहती है और जनता जिससे वोट दे। एक भी माननीय सदस्य यह नहीं बोलेगा कि कोई बिजली चोरी करता है, उसको पकड़कर थाने में डाल दो, यह डाल दो। इसलिए नहीं करेंगे कि हम उस जनता के नुमाइंदे हैं, हम जनता से चुनाव जीतकर आते हैं। इसलिए जनता के खिलाफ हम एक भी बात नहीं करेंगे। लेकिन समय आ गया कि इन सब व्यवस्थाओं में हम किस प्रकार से सुधार कर सकें। जो कमियां हैं निश्चित रूप से हम सबको सुधारनी पड़ेंगी।

माननीय मंत्री महोदय को थोड़ा ढीला छोड़ दो, माननीय संसदीय सचिव जी। हो सकता है, मेरी एकाध बात, वैसे मंत्रीजी हर बात को सुनते भी हैं, उसमें जितना प्रयास इनसे होता है प्रयास भी करते हैं, परिणाम देने की भी चेष्टा करते हैं। इसलिए निश्चित रूप से मैं चाहता हूं कि मेरी दो-चार बातें, राठौड़ साहब के जितना मन में है, 10-15 मिनट में जितनी बात कह सकूं...

श्री सभापतिः मंत्रीजी पूरे मजबूत हैं, आप चिन्ता मत करो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बिलकुल मजबूत हैं। मैं खुद प्रशंसा कर रहा हूं, मैं बहुत कम लोगों की करता हूं।

सभापति महोदय, एच डी एफ सी की एक शोध रिपोर्ट है, वह यह कहती है कि 40 परसेंट घाटा तो वाणिज्यिक चोरी और क्षय के कारण से ही हो जाता है। 40 परसेंट के लगभग एग्रीकल्चर में बिजली खपत होती है और उससे इन्कम हमें केवल 32 परसेंट के लगभग ही मिल पाती है। जिस प्रकार से यह बिजली कम्पनियों का घाटा बढ़ा, उसके बाद केन्द्र सरकार की 'उदय' योजना में राज्य सरकार को अपने आप शामिल करना पड़ा।

यह एक्ट 7 जनवरी को आया। मैं भी आदरणीय घनश्याम जी तिवाड़ी साहब की इस बात से सहमत हूं कि जब हाउस आ रहा था तो आनन-फानन में इस तरह का आर्डिनेंस लाकर के, फिर बिल यहां नहीं लाना चाहिए था। इनको एक महीने, डेढ़ महीने का इंतजार करना चाहिए था। एम ओ यू भी करेंगे; जो सरकार की मर्जी आयेगी, करेंगे, और अब तो राठौड़ साहब का 159 का बहुमत है, अगर हम यह कहेंगे कि बहुत बेकार चीज है और फिर भी करेंगे तो करेंगे। इसलिए मैं इसमें नहीं जाना चाहता....(व्यवधान) 159 ही तो बताया है मैंने। मुख्य मंत्रीजी को क्या गिनना। वे तो सबकी हैं ना। आप तो 159 ही हो।

निश्चित रूप से कर्जे वाली भी समस्या, और भी समस्या है लेकिन, सभापति महोदय, हम उपाय क्या करें? आज एक मेगावाट से अधिक अगर बिजली खरीदनी हो तो हमारे विद्युत अधिनियम के मुताबिक हम वह बाहर से खरीदने के लिए सक्षम हैं, स्वतंत्र हैं और जिसको एक मेगावाट की आवश्यकता नहीं है वो व्यक्ति भी बढ़ा-चढ़ाकर आंकड़े पेश कर देता है और उसके कारण में हमें उसको देना पड़ता है। करीब 1300-1400 करोड़ के बीच में हमारी बिजली कम्पनियों को यह घाटा उन लोगों से मिल जाता है जो असत्य बात करके बिजली बोर्ड के फटका लगा जाते हैं, चूना लगा जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, उसको रोकना पड़ेगा।

आज मीटरों की बात कर रहे हैं। इस एक्ट में भी लिखा है कि मीटर लगाना अनिवार्य है, टाइम बाउण्ड प्रोग्राम है। सभापति महोदय, आज पूरे प्रदेश में, राठौड़ साहब, मेरी बात पर गौर फरमायें, 10-12-13 लाख कितने हैं, मैं एग्जेक्ट फिगर तो नहीं दे सकता लेकिन 10 लाख से ज्यादा मीटर किसानों के, चाहे घर के हों, चाहे कृषि के हों, नहीं लगे हुए हैं। हम प्रयास भी नहीं कर

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

रहे हैं। सवा दो साल में कोई प्रयास हुए भी नहीं हैं। यह जो पिछले दिनों अखबारों में आया कि इतने पैसे का था इतने में खरीद लिया, मैं उस बात पर ज्यादा नहीं जाना चाहता कि क्या इनकी मजबूरी थी, क्या था, क्या नहीं था और न मैं किसी पर आरोप लगाता लेकिन इसके पीछे स्पष्ट रूप से जो मन्शा थी वह यह थी कि सरकार के पास पैसा नहीं है; हम आर्डर देंगे, फिर खरीद लेंगे। पैसा कहां से देंगे? इसलिए येन-केन-प्रकारेण सरकार के निर्देश के ऊपर अधिकारी इसको लटकाते रहे। यह सही नहीं आया इसको निरस्त कर दो, यह ठीक नहीं आया इसको निरस्त कर दो। यह कइयों में हुआ है, इन मीटरों में ही नहीं हुआ। गौरव पथ में भी यही हुआ था, मिसिंग लिंक्स में भी यही हुआ था। सरकार के पास में पैसा नहीं था। इसलिए यह इस तरीके के अड़ंगे लगा-लगाकर अधिकारियों को तो दोष-दोष भले ही हम दे दो, बाकी जब पैसा दोगे तभी तो वे खर्चा करेंगे; अंटी में दाम होगा तभी तो वह खर्चा करेगा। लेकिन इसका सीधा नुकसान, कानून का वॉयलेशन हुआ। नियामक आयोग ने कहा कि आपने उपभोक्ताओं की जेब के ऊपर डाका डाला है, आप नियमानुसार जब दो माह में मीटर नहीं बदलते हो तो आपको 5 परसेंट छूट देनी पड़ेगी। किसान का तो कोई रखवाला है ही नहीं न और अधिकारी यह कह देंगे कि साहब, हम तो वैसे ही घाटे में हैं तो हम कहां से दें?

इसलिए ये जो स्थितियां पैदा हो गईं, माननीय सभापति महोदय, अगर हम सारे मीटर बदलें तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा बजट चाहिए और नहीं बदलेंगे, तो उपभोक्ताओं को अगर नियमानुसार पैसे देते हो तो 100-125 करोड़ की आपको प्रति वर्ष आवश्यकता पड़ेगी। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। 1400 करोड़ रुपये वो हो गये, 125-150 करोड़ रुपये ये हो गये। आर ई आर सी ने 9 अक्टूबर, 2015 का कहा था कि दो महीने में मीटर बदलो लेकिन आज मार्च आ गया, पर खराब मीटर बदले नहीं जा रहे हैं।

इसमें एक और हो रहा है। मीटर नहीं बदले जा रहे हैं, उसके साथ-साथ में मीटर का अगर पैसा जमा करा देता है, माननीय मंत्री महोदय, तो उसके वी सी आर भर देते हैं कि आपने सीधा जोड़ रखा था। जब मीटर खराब है, आपके विभाग को पैसा दे दिया तो उसके मीटर बदलने की आपकी जिम्मेदारी है। वह किसान कहां से लायेगा? वह गरीब आदमी कहां से लायेगा? तो उसके वी सी आर, वी सी आर में लाइबिलिटी, सिविल लाइबिलिटी हमने कर दी और वह सिविल लाइबिलिटी ऐसी हो गई, वह सिविल लाइबिलिटी तो

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

नाम-नाम हो गया, बाकी किसान के टीबी हो गई; बिना टीबी के टीबी होने वाला काम हो गया। दस हजार का नोटिस, डेढ़ लाख की सिविल लाइबिलिटी। अब इसका न तो गुणा है, न भाग है, न नाप है, न तौल है। पता नहीं, कौन अधिकारी, जिसके मन में आ जाए रहम कर दे, वह उसकी उतनी सिविल लाइबिलिटी बना दे। आज निश्चित रूप से हमें सुधार की आवश्यकता है लेकिन किसान की कोस्ट पर नहीं। जो दिन-रात मेहनत करता है, रात को दस बजे बिजली दो तो ठीक, बारह बजे दो तो ठीक, चार बजे दो तो उठना पड़ेगा। अगर खुद बीमार है तो उसकी पत्नी को उठना पड़ेगा, पत्नी नहीं है तो बच्चे को उठना पड़ेगा। इसलिए उसकी कोस्ट पर नहीं।

अब सरकार एक और तैयारी कर रही है। माननीय मंत्री महोदय, आपके ध्यान में होगा, आप भी किसान परिवार से आते हैं, किसान के हितैषी हैं। मैं कहना चाहूंगा कि प्रदेश में कृषि श्रेणी के 12 लाख के लगभग कनेक्शन हैं। दो लाख के लगभग ऐसे लोग हैं जो एक लाख रुपये से ज्यादा की सब्सिडी ले रहे हैं। सब्सिडी मिलनी चाहिए, कई स्टेट में किसान के लिए बिजली पूरी तरह फ्री है, लेकिन हम जो सब्सिडी है उसका भी दायरा घटाकर एक लाख में लाना चाह रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह किसान के साथ में अन्याय होगा।

सभापति महोदय, एक और चीज है। एक आदेश आपके विभाग का निकला है और मैं इससे हण्ड्रेड परसेंट असहमत हूं और मैं समझता हूं कि शायद पूरा सदन इससे असहमत होगा कि 40 परसेंट, 30 परसेंट से ऊपर अगर कहीं छीजत है तो उस गांव को 16 घंटे बिजली मत दो। सभापति महोदय, यह तो अन्याय हो गया। आप और कोई तरीका निकालिये। आप छीजत रोकिये, आप चोरी रोकिये। अगर कोई जन-प्रतिनिधि गलत सिफारिश करता है तो उसके खिलाफ आप कोई बात कीजिये, मैं इससे तो सहमत हूं लेकिन इस प्रकार से तो गांवों को अंधेरे में मत रखो। किसी का बेटा भी आई ए एस बनना चाहता है, आर ए एस बनना चाहता है, वह भी पढ़ना चाहता है। अब 16 घंटे बिजली नहीं। आज बच्चे आर ए एस का एग्जाम दे रहे हैं, दूसरा एग्जाम दे रहे हैं, कल को बोर्ड के एग्जाम आ गये तो यह इस प्रकार का मनमाना, आर्बिट्रेरी आदेश है, जो, मैं समझता हूं, छीजत रोकने का यह उपाय नहीं है। इसलिए इसको वापस लिया जाए। यह मेरी आपसे मांग होगी।

जो बिजली की चोरी है वह भयंकर है। खुली पड़ी है बिजली। सबका

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

मन चलता है। पर इलाज क्या है? आप बड़े साहूकार के घर में छापा डाल लो, कुछ न कुछ चोरी मिलेगी। आप किसी नेता के घर में डाल लो, चोरी मिलेगी, लेकिन नेता तो नेता है उसके घर तो कोई जाता नहीं और वह किसान मिलता है, वह गरीब मिलता है जिसके बिजली है नहीं। 5 की डी पी के पास में मकान है नहीं। उसको कनेक्शन मिल नहीं रहा है। माननीय मंत्री महोदय, हमने प्रयास किया था मुख्य मंत्री-सबके-लिए-विद्युत योजना में, अच्छा प्रयास हुआ, काफी संख्या में 5-5 के समूह में हमने मई में फार्म लेकर के दिये, लेकिन जब से हमारी सरकार गई, आपकी सरकार आई, आपने केन्द्र की ओर टकटकी लगाकर देखना चालू कर दिया। राज्य सरकार से एक पैसा दिया नहीं और दीनदयाल उपाध्याय योजना हो, चाहे राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना हो, केन्द्र के आस लगाकर बैठ गये, उन ढाणियों में बैठे लोगों को, किसानों को आज तक एक भी बल्ब जलाने के लिए विद्युत का कनेक्शन नहीं मिला। हमारे सीकर जिले में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, आपके जोधपुर में भी हैं, बीकानेर में भी हैं, ढाणियों में रहते हैं, उनकी क्या हालत होती होगी? जब उनका बच्चा चिमनी में, लालटेन में पढ़ता है, दूसरे के घर जाकर के, तो निश्चित रूप से हम सबको तकलीफ होती है और हम सबको इस बात पर सोचना चाहिए।

हम किसान के लिए, जब वह बिजली का कृषि कनेक्शन लेने की बात करता है तो हम कहते हैं घाटे का सौदा और जब उद्योग की बात आती है तो हम फटाफट दे देते हैं। किसान की जब सिक्योरिटी की बात आती है तो उससे फाइनल सिक्योरिटी पहले ही ले लो, प्रोविजनल के साथ में ही। अगर वह नाम चेंज कराने आये, उसके पिताजी खतम हो जाये, या, मान लीजिये, कोई री-कनेक्ट कराना चाहे जिसका डिस्कनेक्ट हो गया, तो उससे अपन ले लेते हैं और उद्योगपतियों से वह चीज लेते नहीं हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा सदन के माध्यम से, मैंने एक क्वेश्चन लगाया, आपने तत्काल आदेश जारी किये और आगे उस आदेश का इम्प्लीमेंटेशन हो और शीघ्र उन किसानों का समायोजन हो, इस बात की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

यह घाटे का सौदा, हर चीज में घाटे का सौदा देखने की आवश्यकता नहीं है, सभापति महोदय। मेट्रो में भी घाटे का सौदा, रोडवेज में भी घाटे का सौदा, बिजली में भी घाटे का सौदा, पानी में भी घाटे का सौदा, तो, भाई, जो सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, ये तो 60 साल बाद में जनता को मिलनी

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

ही चाहिए; चाहे सरकार हमारी रहो, चाहे आपकी रहो, यह व्यवस्था तो होनी चाहिए। व्यापारी से जो भी टैक्स अपन लेना चाह रहे हैं, वह ले ही रहे हैं। तो किसान से हम उम्मीद करते हैं कि वह अपनी खेती करे, मेहनत करे; 24 घंटे में से 18 घंटे काम करे; अन्न पैदा करे, दूध दे, सब्जी दे। वह सब चीज तो वह दे रहा है ना। इसलिए हम सबको इस बात के लिए सोचना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, स्कूलों में अपन कम्प्यूटर भी दे रहे हैं। स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है, क्या वह गरीब का बच्चा पंखे में नहीं पढ़ना चाहता? हमारे अधिकारियों के और हमारे नेताओं के, सबके घरों में 10-10 एसी लगे हुए हैं। आदमी दो, एसी पांच; आदमी चार, एसी 10 । पता नहीं, कब आ जाये। पता नहीं, ऊपर वाले कमरे में सोने का मन कर जाये साहब का, नीचे वाले कमरे में सोने का मन कर जाये। लेकिन उस बच्चे को पंखा भी नहीं मिलता है। पिछले दिनों सरकार ने एक प्रयास करने की बात कही थी, डिमांड नोटिस निकले लेकिन उन स्कूलों के जो डिमांड नोटिस थे, वह जमा नहीं हुए। प्रदेश में 2,819 करोड़ रुपये लगने पर 8,400 स्कूलों को बिजली मिलने की बात है। इसको आगे हमें बढ़ाना चाहिए, उस सुविधा को देना चाहिए।

निश्चित रूप से एम एल ए कोटे से हमने प्रयास किया था कि एम एल ए कोटे से भी पांच के समूह में दिया जाये, लेकिन अब मैं समझता हूं, जन प्रतिनिधि भी उकता गये, क्योंकि, सभापति महोदय, 16 ऐसे मंत्री हैं, जिन्होंने चिट्ठियां भेज दीं। आप शौचालय बनाओ, एम एल ए कोटे से; एम्बुलेंस, एम एल ए कोटे से; आंगनबाड़ी केन्द्र, एम एल ए कोटे से; विद्यालय का भवन, एम एल ए कोटे से; पांच के समूह में बिजली का कनेक्शन, एम एल ए कोटे से। कोई कुछ भी करो, एम एल ए कोटे से। पंचायत भवन बनाओ, एम एल ए कोटे से; पशु चिकित्सालय बनाओ, एम एल ए कोटे से। भाई, एम एल ए कोटा था, उसको 25 लाख रुपये और बढ़ाया है, दो करोड़ रुपये से सवा दो करोड़ रुपये ही हुआ है। एक ये खाद्य मंत्रीजी हैं ना, ये तो नहीं कहते कि गेहूं एम एल ए कोटे से खरीदो, बाकी सबकी चिट्ठियां आ गईं। अब आपने 'पोस' मशीनें हमारे एम एल ए कोटे से क्यों नहीं खरीदवाईं, यह तो आप जानो, आपकी मेहरबानी हो सकती है।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक इस बिल के पीछे जो मुझे सबसे बड़ी आपत्ति है, माननीय सभापति महोदय, वह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। फिर पांच मिनट में किसान की बात करूंगा। यह प्रोपर्टीज बेचने की...

श्री सभापति: खाद्य मंत्रीजी की चिट्ठी नहीं आई? एक्साइज मंत्रीजी की तो चिट्ठी नहीं आई?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): खाद्य मंत्रीजी की यह चिट्ठी नहीं आई कि 'पोस' मशीनें एम एल ए कोटे से खरीद लो।

जो प्रोपर्टीज, जो प्रोजेक्ट प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई से बनाये गये हैं, उनको मेहरबानी करके इस एक्ट की आड़ में बेचने का एम ओ यू करने का काम ये सरकार नहीं करे, यह मेरा विनम्र निवेदन है। सबसे बड़ी बात जो सबके मन में है, लेकिन मुख्य मंत्रीजी का डर है, सरकार का डर है, टिकट का डर, काम नहीं कराने का डर, इसलिए बोल कोई नहीं रहा है। बाकी सबके मन में यह है कि ये प्रोपर्टीज तो बिकेंगी...

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): बाहर तो बात होती ही है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बाहर सब बातें हो रही हैं। किससे बात हो गई, कालीसिंध का कौन ले रहा है, वहां का कौन ले रहा है, उसके पास में कौनसे बड़े औद्योगिक घराने का प्रोजेक्ट है, ये सब चीजें होने लग गई हैं। इसलिए, मेहरबानी करके, इसमें आपकी भी साख बचेगी, अगर आप प्रोपर्टीज नहीं बेचेंगे। जो अफवाहें हैं, अफवाहें रह जायें तो आपको इसका चुनावों में लाभ मिलेगा। और नहीं तो जो हम कह रहे हैं, वे बातें सही हो गईं तो चुनावों में, राठौड़ साहब, स्थान परिवर्तन ही करना पड़ेगा। जहां से पहले हम लोग लड़कर आये हैं ना, वहां तो कोई वोट देने को तैयार होगा नहीं। नई जगह तो, क्या होता है, नये लोग होते हैं; नई बात, नये भाषण। नेता को भाषण देना तो आता ही है। इसलिए वह भाषण दे-दाकर, मैं यह कर दूंगा, यह कर दूंगा, 15 लाख का रोजगार; ढींकड़ा-पूंछड़ा कर-कराके काम को जंचा देंगे। तो निश्चित रूप से भी इस बात को भी करना पड़ेगा, हम प्रोपर्टीज नहीं बेचें।

मैं किसान की चार बात करके मेरी बात समाप्त करूंगा। ज्यादा इसमें लम्बा-चौड़ा मैं नहीं कहूंगा। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से एक बात करना चाहता हूं। जो सामान्य श्रेणी का

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

किसान होता है, कृषि कनेक्शन अगर 7.5 एच पी का वह लेता है तथा पांच पोल से अगर कम लगता है तो प्रति पोल उसको 2,500/- रुपये वापस भुगतान किये जाने का, वापस देने का प्रावधान है। इसकी पालना नहीं होती है। आप किसान के बेटे हैं, इसलिए इस बात को समझिये। आज तक ये बातें हुईं, प्रश्न भी लगे, जवाब भी आये, नियम भी बताये गये लेकिन उस किसान को, जिसके 7.5 एच पी का कनेक्शन है और पांच पोल से कम पोल लगे हैं, उसको प्रति पोल के हिसाब से, 2,500/- रुपये के हिसाब से पैसा आज तक नहीं मिला है।

दूसरा, स्टार-रेटेड मोटर पम्पसेट लगाने पर भी अनुदान देने का आपका नियम है, सर्कूलर है, आदेश है। किसानों को, बहुत कम लोगों को लाभ मिल पा रहा है।

ट्रांसफार्मर जलने पर 72 घंटे में बदलेंगे; बदलने की व्यवस्था होनी चाहिए लेकिन इसके साथ में, सभापति महोदय, एक सर्कूलर है इनका, विद्युत विभाग का कि अगर किसान को उसके खेत से या जगह से, स्थान से ट्रांसफार्मर लाकर वापस ले जाना है तो उसको बिजली बोर्ड ही, विद्युत विभाग ही उपलब्ध करायेगा। लेकिन आफिस में, एक भी कम्पनी के पास में कोई संसाधन नहीं है। अधिकतर, 99.99 परसेंट किसान लाते हैं और किसान वापस ले जाते हैं, लेकिन उसका कोई इन्द्राज नहीं करते हैं। उसको 300/- रुपये का ट्रांसपोर्टेशन का अनुदान या खर्चा दिये जाने का आपके कानून में प्रावधान है लेकिन उस कानून के प्रावधान की पालना नहीं होती है और जब हम कहते हैं कि नहीं, हमें तो बिजली बोर्ड ही देता है। भाई, आपके एक बोर्ड में एक गाड़ी और पूरे 170-180 गांवों में ट्रांसफार्मर चेंज कर दोगे, यह कतई सम्भव नहीं है। यह बिलकुल अगर कोई कहता है तो धरातल की बात नहीं कहता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि उन किसानों को आपके इन्टरफियरेंस से वह लाभ मिलना चाहिए।

तीसरा, एक जो बात है, माननीय सभापति महोदय, यह जो एल टी लाइन से कनेक्शन हम करते हैं, उसमें सर्विस लाइन देने का प्रावधान है। 50 परसेंट की तो मेरी गारंटी है, 50 परसेंट जगह किसान से मंगवाते हैं और जब हम क्वेश्चन लगाते हैं तो जवाब आता है कि नहीं, साहब, इतने किलोमीटर दे दी। आपने इतने किलोमीटर का तो लिख दिया लेकिन कनेक्शन में कितने

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

किलोमीटर लगी और आपने कितने किलोमीटर दी, इस बात का जवाब आएगा, तो निश्चित रूप से पता लग जायेगा कि 50 परसेंट किसान...। एक ही बात कहनी पड़ती है, आई हुई नहीं है; आप ले आइये, जल्दी कनेक्शन कराना हो। जिसको कनेक्शन करवाना होगा, उसके जल्दी होगी। चाहे घर का होगा, चाहे कुएं का होगा। उसके बिजली बोर्ड वाले बड़ी बदमाशी करते हैं। इसको आपको रोकना पड़ेगा। यह किसान हित की बात है।

तीसरा, मैं निवेदन करूं, बी पी एल के कनेक्शन के लिए बहुत इंतजार कर लिया, सवा दो साल हो गये। आपने प्रयास भी अब शुरू कर दिया है। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इस बात के लिए भी हो जाये।

एक और चीज, जो आपकी भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा चहेता मुद्दा है। हम भी धार्मिक लोग हैं, धर्म को मानते हैं लेकिन अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की बात करता हूं, मेरे एरिये की बात करता हूं कि जो धार्मिक स्थल हैं, वह अगर पांच किलोवाट तक का कनेक्शन है तो उसको घरेलू में मानना चाहिए। बहुत जगह, लगभग 400 केसेज ऐसे हैं अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के यहां, वे अघरेलू में मानकर उनसे पैसा वसूल कर रहे हैं। क्वेश्चन भी लगे, जवाब भी आया लेकिन उन लोगों को फायदा नहीं मिला है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

हमारे सीकर जिले में एक समस्या है बिजली बोर्ड की, बहुत बड़ी समस्या है। मैंने पहले भी, स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से भी, मंत्रीजी, उठाया है; आज भी उठाना चाहता हूं। मेरे सीकर जिले में, बाकी भी होंगे, ऐसे किसान हैं। यह क्या एक आदेश आ गया 2011 में कि साहब, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप ट्यूबवेल नहीं खोद सकते। बिजली बोर्ड में जाओ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है; कलक्टर के जाओ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है; जलदाय विभाग में जाओ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है; थाने में जाओ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश? कभी पढ़ा है क्या? किसी से गलती हो गई, डार्क जोन। जलदाय मंत्रीजी खड़े होते हैं, 20-30 रहे हैं, बाकी सब डार्क जोन हो गये। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मंत्रीजी को कि इन्होंने एडमिट किया कि सीकर जिले में केवल दो ही सेंटर गजट नोटिफिकेशन के हिसाब से डार्क जोन हैं, बाकी डार्क जोन नहीं हैं, लेकिन जो डार्क नहीं हैं उनको भी बाहर कर दिया।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

मैं मानता हूं कि यह आदेश हमारे समय में निकला है लेकिन उसको रिव्यू करने की आवश्यकता है।

आज हमारे किसानों के जो 2009 तक आप कनेक्शन दे रहे हो, मंत्री महोदय, उनके डिमाण्ड नोटिस निकल गये, वे डिमाण्ड नहीं जमा ले रहे हैं। सर्वे सूची, किसने बनाई सूची? किसके आदेश से बनी सर्वे सूची? और जो सर्वे सूची सीकर में बनी उसको हमने वापस इग्नोर करवा दिया कलेक्टर से। उसके बावजूद भी आपके अधिकारी, आपका विभाग, मेरी कोई पर्सनल किसी से न तो खुनस है, न मैं किसी के खिलाफ हूं, लेकिन यह बात, मंत्री महोदय, सोचनी पड़ेगी कि बिजली बोर्ड को कनेक्शन देने में कहां आपत्ति हो सकती है? राजस्व विभाग कह सकता है, नया ट्यूबवेल नहीं खोदें; जलदाय विभाग कह सकता है कि पानी गहरा जा रहा है, आपको तकलीफ है, लेकिन बिजली बोर्ड को तो जब ट्यूबवेल खुद गया तो किसान उस ट्यूबवेल का तो उपयोग करेगा। यह मैं आपको खुल्ला बता देता हूं। क्योंकि उसके सामने पानी है, थाली में छत्तीस प्रकार के भोजन और आप उसके मुंह पर पट्टी बांध दो, हाथ दोनों बांध दो कि तू खाएगा नहीं। वह या तो मर जाएगा या अगले को मारकर के जब भूख लगेगी तो खाना खाएगा। जब वह पानी का कनेक्शन लेगा, वह इल्लीगल लेगा।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिजली बोर्ड पर लागू ही नहीं होता। जब आपके विभाग ने 4 अक्टूबर, 2012 को आपकी बोर्ड की बैठक में फैसला करके कह दिया कि राजस्व विभाग कोई प्रमाण पत्र नहीं देगा और केवल बिजली विभाग को दस रुपये का किसान से शपथ पत्र लेकर के उसको कनेक्शन देना है; जब आपकी फोरम की बैठक में फैसला हो गया, आपने आदेश निकाल दिया, उस आदेश की पालना करने में विद्युत विभाग के अधिकारियों को तकलीफ क्या हो रही है? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को कम से कम इतना कीजिए, जब तक वह आदेश नहीं आये, सभापति महोदय, 14.7.2011 है शायद वह कट-आफ-डेट; तो उससे लेकर के पहले जितने ट्यूबवेल लोगों ने आवेदन दे रखे थे, चाहे वे प्रस्तावित पर दे रखे थे, चाहे खोद रखे थे, उन सबको कनेक्शन आपका विद्युत विभाग को एफिडेविट किसान का लेकर के कि मैंने इस कट-आफ-डेट से पहले ट्यूबवेल खोद दिया था; मेरी जिम्मेदारी है, अगर मैं गलत पाया जाऊं तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं। अपन शपथ पत्र के आधार पर एम एल ए का चुनाव लड़ सकते हैं,

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

एम पी का चुनाव लड़ सकते हैं कि मैं अपराधी नहीं हूं, मेरे खिलाफ कोई केस नहीं है और उसको सब जगह माना जाता है और वह एम पी बन जाता है और एम पी बनकर वह प्रधान मंत्री बन जाता है; एम एल ए बनता है वह मुख्य मंत्री बन जाता है, लेकिन एक किसान का शपथ पत्र और करोड़ों रुपये के आबकारी के ठेके, जिसके पास एक पैसे की प्रोपर्टी नहीं, वह शपथ पत्र देकर, अंगूठा हाथ का नहीं पैर का लगाकर, बड़े-बड़े लोग फर्जी लगाकर बड़े-बड़े डोडा-पोस्त ठेके ले गये। दारू के ठेके ले गये, बजरी के ठेके ले गये; उनकी तो चल जाती है और किसान सामने खड़ा होकर यह कहता है कि मेरा अंगूठा चाहे जहां लगा ले, मैंने कुआं 2011 से पहले खोदा था। बिजली बोर्ड के अधिकारियों, मेरे को कनेक्शन दे दो तो उसको कनेक्शन नहीं मिलेगा। यह क्या मजाक है, सभापति महोदय?

मंत्री महोदय, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे निवेदन करूंगा, आपके यहां हमारे जिला कलेक्टर ने भेजा भी है 26.6.2015 को, आपके प्रमुख शासन सचिव को भी भेजा है, पी एच ई डी के प्रमुख शासन सचिव को भी भेजा है और यू ओ नोट भी भेजा है साथ में कि साहब, ये प्राब्लम आ रही है हमारे सीकर जिले में किसानों की, इसका फैसला कीजिए, और मुख्य मंत्रीजी के सचिव को भी भेजा है लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है; मैं कोई आलोचना करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं, क्योंकि आज मेरा मन यह था कि तेरी-मेरी को छोड़, प्रदेश के हित की बात कर, किसान के हित की बात कर। जिस किसान ने मेरे को यहां पर भेजा है, उसको क्या फायदा मिल सकता है, इस बात की बात करने के लिए मैं यहां खड़ा हुआ हूं। विद्युत विभाग के अधिकारी अच्छे, आप मंत्री अच्छे, हम सब जन-प्रतिनिधियों की भावना अच्छी, तो फिर रोक कौन रहा है? जो किसान को लाभ देना चाहिए, वह किसान को लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? आप किसान, सभापति महोदय। दस-दस लाख की वी सी आर, दो-दो लाख की वी सी आर, तीन-तीन लाख की वी सी आर। किसी ने कहा, मेरे जागरण था, मेरे यहां बिजली नहीं थी, मैंने एक बल्ब जला लिया। रात को भगवान के सत्संग करने थे। पचास हजार वी सी आर! ऐसा तो मत कीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): एक ही चीज को घुमा-घुमा कर क्यों कह रहे हो? सीधी सी बात करो ना। सीधी बात हो गई।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सीधी तो आप मनवा दो, मंत्रीजी से खड़े होकर कहलवा दो, सब बातें मान लेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सब लिख रहे हैं। यह क्या बात हुई? विराजो। विराजो अब आप। जब मसाला नहीं हो, जिस दिन तैयारी नहीं हो ना, उस दिन बोलना नहीं चाहिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, अब क्या होता है कि जब दिल पर लगने वाली बात है न, तो आदमी को कुतर्क करके उस बात को खतम कराना चाहिए। इसलिए राठौड़ साहब कुतर्क देकर के...। मेरी तैयारी हर विषय पर है और आप ही से हमने कुछ सीखने का प्रयास किया है। इसलिए मेहरबानी करके, इसलिए नहीं जचे कि हमने आज मंत्रीजी को खींचा नहीं। जब हमारे कहने से ही काम कर देते हैं, इनकी मंशा ठीक है, तो मैं क्यूं खींचू? बताओ आप। आप तो सबको खिंचवाना चाहते हो कि बस खींच दो, खींच दो आप। खींचने के लिए नहीं खड़ा हुआ नहीं हूं, न हमारा कोई ऐसा इरादा है। मैं जो बात सही और सटीक होती है, जो किसान के हित की होती है, वह बात निश्चित रूप से करूंगा। मैं राठौड़ साहब की कद्र करता हूं। इनसे ही हमने उछल कूद सीखी है पिछले पांच साल में। इसलिए इनकी बात की कद्र करना भी मेरे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ पड़ोसी भी हैं, कल मेडिकल कालेज भी इन्होंने दिया है।

तो निश्चित रूप से केवल एक बात करके मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, यह जो एक्ट लाया जा रहा है, इसके पीछे मंशा ठीक नहीं है सरकार की। प्रोपर्टियां बेचने की जो मंशा है, वह मंशा कतई प्रदेश के हित में नहीं है, प्रदेश की जनता के हित में नहीं है। इसलिए यह जो एक्ट है, वह बाला-बाला विधान सभा सत्र आने के समय में इस प्रकार से एक्ट लाकर के, पूरी कंपनी बनाकर के और इसकी प्रोपर्टियों को, प्रोजेक्टों को, जो हमने गाढ़ी कमाई से, हमने अच्छे प्रयासों से कांग्रेस के शासन में पैदा किये, जो प्रोजेक्ट हम लायें, जो स्थापित नहीं, उनको बेचने की चेष्टा नहीं करें।

एक विशेष रूप, से जिन लोगों से गलत पैसा, माननीय मंत्री महोदय, लिया गया है, चाहे वह हमारा समय हो, चाहे आपका समय हो, वह सारा का सारा पैसा, जो आपके सर्कूलर हैं; मैं नये सर्कूलर की बात नहीं कर रहा हूं; जिन-जिन चीजों के आपके सर्कूलर हैं उनको एक पूरे तरीके से स्ट्रिकली

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

निर्देशित कीजिए, अधिकारियों को, और किसान के हित में, गरीब के हित में जितनी बातें हैं उनके ऊपर एक्शन कीजिए; उनके पैसे का समायोजन कीजिए; ज्यादा पैसा है तो उसको वापस रिटर्न करने का भी काम करें।

यह जो इस एक्ट के अन्दर क्या लाये हो, क्या करोगे उस पर मैं ज्यादा नहीं जाता, लेकिन आज की तारीख में महीने-दो महीने से, पता नहीं, क्या निर्देश दे रखे हैं, आपके उच्च अधिकारी जाते हैं, अगर इतनी वी सी आर नहीं भरी तो आपको बाड़मेर; इतना कलेक्शन नहीं किया, दस करोड़ का कलेक्शन जिले से नहीं किया दो महीने में 31 मार्च तक, तो आपको बाड़मेर। मेहरबानी करके पुलिस वाला रवैया विद्युत विभाग में मत कीजिए। पुलिस में दारू पीने वाले पचास आने चाहिए, एम वी एक्ट के पचास शाम को आने चाहिए, जुआ खेलने वाले पचास आने चाहिए, संख्या पूरी करके और आंकड़ा पूरा करते हैं कि देखो, हमने यह कानून-व्यवस्था बनाने के लिए इतने-इतने लोगों को पकड़ा, इतने चालान किए। इस तरह का रवैया कम से कम विद्युत विभाग में मत कीजिए। आप इस पर रोक लगाइए।

इसलिए मैं इतना ही निवेदन करके अपनी वाणी को विराम देता हूं कि जो किसान के हित में हो वह बात करें। इस एक्ट से न तो छीजत आपकी रुकने वाली है, न आपका घाटा पूरा होने वाला है, न इस एक्ट के बनने से कोई किसान को बड़ा लाभ मिलने वाला है।

एक बात जो मेरे समझ में आई कि मीटर आप शायद लगा दोगे इस एक्ट के हिसाब से, तो मीटर अगर जल्दी मिल गए तो किसान को बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, जो दो ढाई साल में आप नहीं कर सके।

इसलिए आप सबको इस विषय के ऊपर जो मेरी बात थी वह मैंने की। इस एक्ट का मैं विरोध करता हूं। इसको जन मत जानने के लिए परिचालित करना चाहिए। सीकर जिले की जो बहुत बड़ी समस्या है, माननीय मंत्री महोदय, डिमाण्ड नोट नहीं लिये गये; निकालने के बाद में जमा नहीं लिये गये। उन डिमाण्ड नोट को जमा कराइए। जिन लोगों ने डिमाण्ड नोट जमा करा दिए, लाइन खड़ी हो गई, उनको कनेक्शन दीजिए और जिन किसानों से आपने प्रोविजनल सिक्योरिटी के नाम से 600 रुपये के हिसाब से लिया है उनका वापस उनमें समायोजन कीजिए। जिनके पोल के हिसाब से, कानून के हिसाब से जो पोल के पैसे बनते हैं, सर्विस लाइन के जो पैसे बनते हैं, वह उस किसान का वापिस समायोजन होना चाहिए।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री धीरज गुर्जर।

(अनुपस्थित),

श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि सुराज संकल्प यात्रा के दौरान और देश के जो आम चुनाव हुए थे, उस समय बिजली के मामले में कहा गया कि इस देश की प्रत्येक ढाणी में हम बिजली लाएंगे। सुराज संकल्प यात्रा में तो एक बात और कही गयी थी कि पूर्ववर्ती सरकार जो सिविल लायबिलिटी का बिल लेकर आयी थी और उस सिविल लायबिलिटी के बिल की वजह से हजारों-लाखों किसानों का...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: सदन का समय दो घंटे बढ़ाने का प्रस्ताव आया है। क्या सदन की अनुमति है?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाता है।

विधेयक पर विचार

राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व विधेयक, 2016

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सिविल लायबिलिटी बिल जो पूर्ववर्ती सरकार लायी थी और सुराज संकल्प यात्रा के दौरान सत्ता में बैठे सत्ता पक्ष के नेताओं ने और सब लोगों ने यह बात गांवों में जोर-शोर से प्रचारित की कि हमारी सरकार अगर इस बार बन जाएगी तो हम सिविल लायबिलिटी एक्ट को वापस ले लेंगे और सिविल लायबिलिटी का एक्ट अगर ये वापस ले लेते, तो निश्चित रूप से राजस्थान के किसान का जो शोषण आज सवा-दो साल में हुआ है उस शोषण से किसान को मुक्ति मिलती। सभापति महोदय, आज सिविल लायबिलिटी की आड़ में मनचाहे तरीके से वी सी आर भरी जाती है।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

दस एच पी की अगर कोई किसान चोरी कर रहा है तो उसको कम से कम दो-ढाई लाख रुपये सिविल लायबिलिटी के नाम से देने पड़ेंगे। सभापति महोदय, मंत्री जी यहां विराजे हुए हैं, सिविल लायबिलिटी का एक्ट, आपने अपने घोषणा पत्र के अन्दर रखा था और सुराज संकल्प यात्रा के दौरान आपने यह बात कही थी कि हमारी अगर सरकार बनी तो निश्चित रूप से राजस्थान के किसान के हर घर में हम उजाला करेंगे, सिविल लायबिलिटी के एक्ट को हम वापस लेंगे और किसान को हम खुशहाल करेंगे राजस्थान में।

सभापति महोदय, यहां हर बार बजट पेश होता है, घोषणाएं होती हैं, मुख्य मंत्री करते हैं, मंत्री करते हैं और एक बात कहते हैं कि एक लाख कनेक्शन कृषि के नये दे देंगे। वे कहां दे दोगे, आप यह तो बताओ। सबसे ज्यादा सिंचित जो इलाका है, हमारे नहर और नदियां नहीं हैं। मेरी कांस्टीटूएंसी नागौर का इलाका, खींवसर का इलाका, वहां डार्क जोन की आड़ में आज हजारों कनेक्शन पेंडिंग पड़े हैं। किसान कनेक्शन लेने के लिए जाता है तो जैसा लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया था कि सीकर में हमारे इलाकों में डार्क जोन नहीं है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आड़ में डार्क जोन के नाम पर पूरे जिले का शोषण हो रहा है। हमारे नागौर में भी यह स्थिति है, सभापति महोदय, और पूरे राजस्थान में यही स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट का डार्क जोन का जो आदेश है, उसके अन्दर कहीं यह नहीं कहा है। किसान को अगर आवश्यकता है, आपने जब 'रिसर्जेंट राजस्थान' कराया तो यहां भी तो डार्क जोन था और सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, यहां हाथों-हाथ आनन-फानन में ट्यूबवेल्स खोद दिये आपने और 'रिसर्जेंट राजस्थान' में पानी पहुंचाया था।

सभापति महोदय, राजस्थान में सब लोगों के लिए कानून एक जैसा है; समान रूप से चलना चाहिए। आपको डार्क जोन का रिसर्वे राजस्थान में कराना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको ढंग से आप कानूनी राय लेकर, यहां आपके सारे लोगबाग बैठे उनसे राय लेकर, उसमें क्या कहा गया है। सबसे ज्यादा जब आज किसान मजबूत नहीं होगा, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी, तो कैसे राजस्थान में सुराज आएगा? कैसे राजस्थान आगे बढ़ेगा? इसलिए डार्क जोन के मामले में, पी एच ई डी मंत्री भी परसों यहां कह रहे थे कि जल स्तर बढ़ रहा है कुछ इलाकों का, तो यह अच्छी खुशी की बात है। आप निश्चित रूप से डार्क जोन का रिसर्वे राजस्थान में करायें।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

2004 में, इनके तो 2011 का मामला है, हमारे तो 2004 से हजारों किसानों ने ट्यूबवेल खुदा रखे हैं। अगर 2004 का आज वह तहसीलदार से सर्टिफिकेट लेने के लिए जाता है, सभापति महोदय, तो दुकान खोल रखी है पटवारी, आर आई और तहसीलदार ने। 2004 में जो पटवारी किसी गांव में था, वह दो लाख रुपये ले लेता है कि मैं लिखकर दे दूंगा कि 2004 से पहले का आपका कुआं खुदा हुआ है। अब ये इतना भारी भ्रष्टाचार राजस्थान में हो रहा है। इसको रोकने का एक ही उपाय है, आप किसान का हलफनामा लो। अगर उसका डार्क जोन में आता है, पहले तो यह तय करो कि उसका इलाका डार्क जोन में आता है कि नहीं आता है। अगर आता है तो उससे आपके बिजली के अधिकारी जाकर, और उस ए ईएन को भी इतना ही मालूम होता है, जितना तहसीलदार को होता है। तो आपके ए ईएन और सरपंच और वह किसान हलफनामा दें कि मेरा कुआं या ट्यूबवेल 2004 से पहले का खुदा हुआ है। उन कनेक्शनों को आज आपके बिजली के अधिकारियों ने मेरे इलाके में ऐसा भारी भ्रष्टाचार किया 2005, 2006, 2007, 2008 में कि बिजली के अधिकारियों ने किसानों से पैसे ले लिये कि डार्क जोन की चिन्ता मत करो हम बैठे हैं। तीन-तीन महीने के बिल आ गये कम्प्यूटर से और किसानों ने तीन-तीन महीने के बिल जमा करा दिये बीच के दलालों को और वे इस आस में बैठे थे कि मुझे तो कनेक्शन मिल गया। ऐसी जगह-जगह। सभापति महोदय, शीट्स भरी गईं। हमने इसको लेकर बहुत-बड़ा आंदोलन भी किया था और सरकार ने आश्वस्त किया था कि आपके कनेक्शन जो 2004 से पहले के कुएं, ट्यूबवेल नागौर, खींवसर और भोपालगढ़, ओसियां, लोहावट, जहां अभी नये तरीके से वापस आपके डिमाण्ड लौटाये जा रहे हैं, इन सब इलाकों में, जोधपुर डिस्कॉम हो या चाहे अजमेर डिस्कॉम हो, हम कनेक्शन करेंगे, 2004 से पहले का होना चाहिए। तो यह 2004 से पहले का कौन तय करेगा?

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी को निवेदन है कि आप अपने बिजली के अधिकारियों की कमेटी बनायें, आप किसान का हलफनामा लें और उन कनेक्शनों को रेगुलराइज करें। जो बिजली कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की आड़ में किसान मारा गया, वह तो पैसा देकर उसने तो सोचा कि कनेक्शन ले लिया। पकड़े भी गये और लोग जेल में गये। सभापति महोदय, कितने दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारा जो कानून लोकतंत्र में बना हुआ है आई पी सी, सी आर पी सी; इसमें आदमी कोई अपराध करता है तो

(श्री हनुमान बेनीवाल)

उसको एक सज़ा मिलती है, किसान को आप दोहरी सज़ा दे रहे हो। एक तरफ तो सिविल लायबिलिटी लगाकर, उसकी शीट भर कर, उस अन्नदाता को जेल में भी डाल रहे हो और उससे पैसा भी वसूल कर रहे हो।

आपको ये विद्युत थानों की आवश्यकता कहां है, साहब? मैं तो यह कहता हूं कि विद्युत थाने बंद करो राजस्थान में। आप बिजली चोरी के नाम पर किसानों को अपमानित करते हो, चोर के नाम से उसको पुकारा जाता है और वह फिर कागजों में रह जाता है। एक बार अगर कोई हिस्ट्रीशीटर बन जाता है, चाहे मुकदमा 302 का, लूट का या 323, 41 का हो, तीन-चार महीने में लगातार मुक़दमे दर्ज हो जाए, आपके थाने में उसकी एच एस खुल जाती है और बाद में वह कितना ही ऊपर चला जाए, वे कागज उसके बोलते रहते हैं। तो, सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि विद्युत थानों की आवश्यकता नहीं है राजस्थान में। कल भी कई विधायक लज्जित हो रहे थे। अब वे कोई अपराधी थोड़े हैं, लेकिन उनको इस तरह एच एस के नाम से यह कर दिया कि साहब, आपके तो पहले ये केस थे और ये थे, वे थे। अब एच एस बनाना, करना, सरकार का काम है। चाहे जिसकी बना दे, चाहे जिसको निकाल दे, चाहे जिस पर 'पासा' बना दे।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि आप हकीकत में राजस्थान में सुराज लाना चाहते हैं और आप इस किसान की आर्थिक व्यवस्था ठीक करना चाहते हैं तो हमारे इलाकों में नहर, सिंचाई के लिए नहर..., नदियां कब आपकी जुड़ेंगी; हम तो हजार फीट, चार सौ, आठ सौ, बारह सौ फीट से पानी निकाल कर अपने परिवार का पेट पालते हैं। रोजगार के साधन सरकार देती नहीं है। हां, कल यहां जरूर कह रहे थे कि 6 लाख नौकरियां लगा दीं। हो सकता है कि 'नरेगा' में लगा दी हों, क्योंकि 6 लाख हमने तो नहीं देखा राजस्थान में। सारे लोग तो टी-पाइंट पर खड़े रहते हैं। यहां तो धरने, प्रदर्शन के अलावा कुछ हो ही नहीं रहा है।

खैर, मैं यह नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि आप कहोगे कि ये बिजली बिल पर क्या कह रहे हैं, लेकिन, सभापति महोदय, आपको किसान की व्यवस्था अगर ठीक करनी है तो उसके हकीकत हालात को पहचानना होगा। आज आपने कहा कि दीनदयाल योजना लेकर आ रहे हैं; दीनदयाल योजना तो आप लेकर आ गये लेकिन हम एम एल ए लैड से जो पैसा देते थे पहले, उस एम एल ए लैड के पैसे में हमसे खाली ट्रांसफार्मर की कीमत वसूली जाती थी

(श्री हनुमान बेनीवाल)

कि ट्रांसफार्मर का पैसा आप दे दो और उससे पांच सौ मीटर की...; राठौड़ साहब, सुनो आप; पांच सौ मीटर की दूरी में, जहां ट्रांसफार्मर लगे, वह कीमत तो हम देंगे और उससे पांच सौ मीटर की दूरी में आप उसको गैर-आबादी में और उनसे आपका जो डिमाण्ड नोटिस निकलता है तीन हजार-पैंतीस सौ का, वह ही वसूल करोगे। यह लगातार आपकी परम्परा थी। लेकिन इस बार हमारे जो एम एल एज ने डेढ़ साल-दो साल पहले पैसा दिया था, उनकी वित्तीय स्वीकृतियां जारी हो गयीं; आधे जगहों पर काम हो गये और आधी जगह, जहां विभाग की लापरवाही से काम नहीं हुआ, वहां आप यह कह रहे हो कि आपको तो 120 रुपये पर-मीटर और देना पड़ेगा। यह कौनसा न्याय है? सभापति महोदय, यह तो बताओ आप। सेम पैसा, सेम विधायक का, सेम गांव। बगल की ढाणी में तो आप तीन हजार-पैंतीस सौ रुपये ले रहे हो और दूसरी ढाणी में पन्द्रह हजार-बीस हजार या चालीस हजार का डिमाण्ड निकाल रहे हो! सभापति महोदय, इन बातों पर भी सरकार को गम्भीरता से सोचना चाहिए।

यह मेरा सुझाव है कि डार्क जोन का रिसर्वे राजस्थान में करायें। अगर आपको हकीकत में लगता है कि यहां डार्क जोन की आवश्यकता है और पीने के पानी के अलावा सिंचाई का पानी बचा नहीं, वाटर लेवल नीचे चला गया, वहां तो आप डार्क जोन रखें, लेकिन जहां मिट्टी उपजाऊ है और कोई रोजगार के साधन नहीं; जमीन अच्छी है और पानी ऊपर है, उन इलाकों को डार्क जोन से, सभापति महोदय, मंत्रीजी यहां विराजे हुए हैं, आज इस मामले में आप जब बिजली बिल पर और इस बिजली की चर्चा पर जवाब दें तो निश्चित रूप से डार्क जोन के लिए कोई नयी गाइडलाइंस राजस्थान में दें। हजारों-लाखों किसान आज देख रहे हैं। जब भी बजट सत्र आता है, विधान सभा आती है, वे सोचते हैं कि भाजपा सरकार हमारे लिए कुछ तोहफा लेकर आएगी, लेकिन आप कनेक्शन की घोषणा करते हो वे कनेक्शन कागजों में ही रह जाते हैं आपके। नये कनेक्शन कहां से होंगे? डार्क जोन में कनेक्शन कहां से दोगे? आप बताओ। बूंद-बूंद के कनेक्शन आपने दिये और बीच में यह बात भी कही थी कि 2-3-5 साल में अगर बूंद-बूंद सिंचाई का कोई कनेक्शन है तो उसको हम सामान्य श्रेणी में ले लेंगे, लेकिन आपने राजस्थान में कितने किये? आज भी बूंद-बूंद सिंचाई के नाम से किसान को पांच गुणा, सात गुणा, दस गुणा बिल भरना पड़ता है। सभापति महोदय, जब किसान की आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं होगी, तब तक यह राजस्थान आगे नहीं बढ़ सकता, देश आगे नहीं बढ़ सकता।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

बहुत बड़ी उम्मीद के साथ राजस्थान के जवान और किसान ने आपको 163 सीट पर बैठाया था और जब आप ठीक नहीं चले, तो 6 महीने बाद ही चार में से तीन सीट कम कर दीं। 2018 में जब आप राजस्थान में किसानों के बीच जाओ तो कम से कम कुछ ऐसा करके जाओ; आप जब विपक्ष में थे, मैं भी आपके साथ था, आप जोर-जोर से वैल में नारे लगाते थे कि बिजली माफ कर दो, यह आप कहते थे; अब कर दो माफ। कौन मना कर रहा है आपको? बताओ। अब तो आप यहां भी हो, ऊपर भी आप हो, लो विशेष राज्य का दर्जा। जिस तरह बिजली कंपनियों का घाटा, 2000 से बिजली कंपनियां बनी थीं, 2000 से लेकर 2015 तक हर साल बिजली कंपनियों का घाटा बढ़ता जा रहा है। आपको 15 वर्ष की सी ए जी आडिट करानी चाहिये। खाली 3 साल, 5 साल से कुछ नहीं होगा।

सभापति महोदय, यह राजस्थान की जनता की खून-पसीने की कमाई है। आज कर्ज ले लोगे, इस एक्ट को लाये हो और इस एक्ट के लिए आपने दिल्ली में यह कहा; उन्होंने कहा, हम आपके 60 हजार करोड के घाटे की भरपाई कर देंगे, आपकी 'उदय' योजना, या जो भी हो, उसमें पैसा दे देंगे, लेकिन आप पैसा किस तरह वसूलोगे? तो आपने कहा कि हम एक्ट लेकर आयेंगे और हम वापस अपना नियंत्रण इस बिजली विभाग पर और अधिकारियों पर करेंगे कि किसानों को तंग-परेशान न करें। यह हलफनामा आपने दिल्ली में दिया है, तब आपको दिल्ली सरकार ने 60 हजार करोड रुपये, जो बिजली कंपनियों का घाटा है, उसको देने की बात की है।

सभापति महोदय, यह अच्छी बात है, आप लाये, सारी बात ठीक है लेकिन किसान का शोषण कर, करके कहां तक ले जाओगे आप? आज भी राजस्थान में सबसे ज्यादा देश में, अगर उड़ीसा, बंगाल और बिहार के बाद आत्महत्याएं होती हैं, वे राजस्थान में होती हैं। आज 42 किसानों ने सवा दो साल में इस राजस्थान में आत्महत्या कर ली।

सभापति महोदय, रोजगार के साधन नहीं; भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। थाने, तहसील, कचहरी में, जहां भी आप जाओगे, कोई आम आदमी को सुनने वाला नहीं। जिसकी सिफारिश है उसका तो काम हो जाता है और जिसकी सिफारिश नहीं है, उसका तो आप कुछ करो राजस्थान में।

अब ज्यादा मैं इस बिजली के मामले में कहूंगा तो बुरा लगेगा। आज

(श्री हनुमान बेनीवाल)

जो हालात राजस्थान में बने हैं, वे मन में आप भी जानते हो और यही हालात अगर राजस्थान में एक-डेढ़ साल और रह गये तो हमें यहां भाषण देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। फिर दूसरे ही यहां भाषण देंगे और दूसरे ही सुनने वाले होंगे।

सभापति महोदय, यह जो एक लाख करोड़ का घाटा है, हर बार दो साल में एक कार्यक्रम आप लाते हो, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम। कर्ज की पुनर्संरचना कर हर वर्ष दरें बढ़ाईं। अब इस 'उदय' योजना के तहत इस तरह का उत्तरदायित्व विधेयक लाकर विभाग के अभियंताओं व कर्मचारियों पर दबाव बनाया जा रहा है ताकि ये किसानों का शोषण कर सकें। सभापति महोदय, महंगी दरों पर बिजली खरीद व भ्रष्टाचार से खस्ता हाल हुई बिजली कंपनियों को इस तरह से वसूली व उत्तरदायित्व विधेयक द्वारा जनता व किसानों के शोषण के रूप में इस्तेमाल करने की तैयारी की जा रही है। सरकार बिजली कंपनियों की पिछले 15 साल की विशेष सी ए जी आडिट कराये। सभापति महोदय, निश्चित रूप से इससे बहुत बड़ा फायदा होगा।

(16.53 बजे)

(श्री ज्ञानचन्द पारख, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, आज का जो विधेयक है राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबंध उत्तरदायित्व विधेयक, 2016, इसमें जो सरकार एक्ट लेकर आई है इसको हमने जन मत जानने के लिए परिचालित करने की बात कही थी। सभापति महोदय, सेक्शन 9 में ''राज्य सरकार, राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट आदेशों या विनियमों के अनुसार, ट्रु-अप पिटीशनों, संकलित राजस्व आवश्यकताओं और टैरिफ पिटीशनों, और राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा क्रय की गयी विद्युत की लागत तथा ईंधन के कारण समायोजन के लिए पिटीशनों का नियमित और समय पर फाइल किया जाना सुनिश्चित करेगी।'' सभापति महोदय, बिजली के क्षेत्र में बिजली कंपनियां गलत आंकड़े प्रस्तुत कर नियामक आयोग से दरें बढ़वा रही हैं, जबकि खुद बिजली कंपनियों ने अब केन्द्रीय नियामक आयोग में दरें नहीं बढ़ाने के स्टे को हटवाने के लिये माना है कि उसके आंकड़े पूर्ण सही नहीं हैं तथा वह इसे ठीक कर...। इस स्थिति में कैसे सरकार बजट का सही विश्लेषण एवं प्रस्तुतीकरण कर रही है? जबकि 60 प्रतिशत राशि केवल विद्युत दरों, विद्युत क्षेत्र के लिए आबंटित है। बिजली

(श्री हनुमान बेनीवाल)

कंपनियों की सी ए जी आडिट सरकार पुन: नये सिरे से क्यों नहीं करवाना चाहती? जबकि खुद मुख्य मंत्री जी आडिट की बात कह चुकी हैं।

सभापति महोदय, दूसरा, इस एक्ट में अनुसूची में ''संकलित तकनीकी और वाणिज्यिक हानियां कम से कम 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से कम की जायें, यदि हानियां 30 प्रतिशत से अधिक हों; संकलित तकनीकी और वाणिज्यिक हानियां कम से कम 1.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से कम की जायें, यदि हानियां 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के बीच में हों;'' सभापति महोदय, संकलित तकनीकी और वाणिज्यिक हानियां कम से कम प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत कम की जायें, यदि हानियां 30 प्रतिशत से अधिक हो; तो किस प्रकार झालावाड़ व धौलपुर तथा भिवाड़ी व अलवर से विद्युत चोरी कम की जायेगी? जहां राजनीतिक प्रभाव की वजह से अधिकारियों की तरफ कोई देखने की हिम्मत नहीं करता। सभापति महोदय, बदनाम तो हमारा इलाका है, कि सबसे ज्यादा चोरी कहां होती है कि खींवसर में होती है। (व्यवधान) यह कहते हैं। पहले बात तो सुनो आप। ऐसे कहने से थोड़े ही होता है। मैं जीत गया, उसकी तकलीफ हो आपको, इसका कोई इलाज मेरे पास नहीं है। मैं तो 2018 में फिर जीतूंगा।

सभापति महोदय, आंकड़े यह बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा चोरी राजस्थान में होती है, वह धौलपुर; नागौर तो बहुत पीछे नंबर पर है; झालावाड़, भिवाड़ी और अलवर। विद्युत चोरी कम कैसे की जाये? (व्यवधान) सभापति महोदय, ''फीडर मीटर और उपभोक्ता सारणीकरण का प्रतिशत-प्रत्येक तिमाही के अंत में यथा मापित 100 प्रतिशत स्तर पर संधारित किया जाना।'' (व्यवधान) कालूलाल जी, मेरे को माफ करो।

श्री रामचन्द्र (डग): माननीय सभापति महोदय, कार्यवाही में से झालावाड़ और धौलपुर का निकलवायें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): क्यों?

श्री रामचन्द्र (डग): वहां चोरी होती ही नहीं। वह नागौर में होती है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप एक काम करो, फिर झालावाड़ और धौलपुर को राजस्थान से निकालकर और कहीं ले जाओ। आप कह रहे हैं, निकलवाओ। कोई मजाक है क्या?

सभापति महोदय, फीडर मीटर और उपभोक्ता सारणीकरण, 100 प्रतिशत ...(व्यवधान) मैं ज्ञान की बात बता रहा हूं, दो मिनट सुन लो।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): यह लिखकर किसने दिया है? उसने गलती कर दी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप से लिया था। आप इतने बड़े दल से आते हो और इनका भी अलग दल है। हम इस छोटे से थर्ड फ्रंट का संघर्ष कर रहे हैं राजस्थान में। आप लोग हमारी बात सुन नहीं सकते? हर बात में पांच-पांच आदमी खड़े हो जाते हो। बैठ जाऊं क्या? बताओ। दो मिनट बोलने दो।

मीटर की स्थिति किस प्रकार स्पष्ट की जायेगी, जब फीडर रिनोवेशन प्रोग्राम के घोटाले की जांच नहीं हुई? 2006-07 में एफ आर पी का हुआ था, तब आर.जी. गुप्ता का नाम उछला था। खूब लोगों ने यहां बात की और 10 हजार करोड़ रुपये की आपके कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने बात कही, और भी कई सदस्यों के विचार थे। 10 हजार रुपये एफ आर पी कार्यक्रम में आपने रखे कि हम नई लाइनें बिछायेंगे, सुपर ट्रांसफार्मर आप लाये लेकिन राजस्थान में किसानों ने बहुत बड़ा विरोध किया। मेरे इलाके में भी विरोध हुआ। सुपर ट्रांसफार्मर की टांय-टांय फिस्स हो गई। बहुत बड़ा पैसा उसमें आपका खर्च हो गया। आपका एफ आर पी कार्यक्रम पूरी तरह से फेल हो गया और ऐसा भुगतान उठा लिया गया, जहां लाइनों को चेंज नहीं किया। आज भी राजस्थान में झूलते हुए तार हर जगह नजर आयेंगे। सभापति महोदय, यह जो एफ आर पी का बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, इसकी भी सरकार को जांच करानी चाहिये।

सभापति महोदय, सरकारी कार्यालयों में लगाये गये प्रीपेड मीटरों की खरीद अन्य राज्यों की तुलना में महंगी दरों से की गई। प्रीपेड बिजली मीटरों की खरीद में भारी भ्रष्टाचार हुआ है।

सभापति महोदय, बिजली विभाग में फील्ड में काम कर रहे कर्मचारियों के काम की कोई सीमा तय नहीं है और न ही आवश्यक सेवाओं का भत्ता उनको दिया जाता है। इसमें आपको बढ़ाना चाहिये।

आज सरकार सोलर प्रोजेक्टों की बात कर रही है, मेरे नागौर में एक रिलायंस का चल रहा है, 8-10 साल हो गये उसको। रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा

(17.00 बजे)

लगाए गए पांच मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट पर 22.49 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ सरकार ने उसको दिया है, जबकि वह इस दायरे में भी नहीं आता। संसद के अन्दर जो सी.ए.जी. की रिपोर्ट पेश की, उसके अन्दर इस बात का खुलासा हुआ कि साढ़े 22 करोड़ का अनुचित लाभ खींवसर नागौर के अन्दर रिलायंस को हुआ।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

सभापति महोदय, दिसम्बर 2015 तक प्रदेश में दस लाख सिंगल फेस व थ्री फेस खराब थे और विभाग ने उनको बदलने की बजाय कई जगह शीटें भर दीं। वह अर्जी दे देता है कि मेरा मीटर खराब है, बदलो। मीटर तो नहीं बदलते, लेकिन जब उधर निकले, या तो राजनीतिक भेदभाव से या दूसरे काम से, पैसा दिया, नहीं दिया, भर दी रसीद। यह काम किया। सभापति महोदय, सरकार समय पर मीटर नहीं बदलती है तो उपभोक्ताओं को दो माह पश्चात् पांच फीसदी दर अलग से बढ़ी हुई देनी पड़ती है। प्रत्येक साल करीब 118 करोड़ रुपये की छूट देनी पड़ती है। तो राजस्थान सरकार के अन्दर यह घाटा बढ़ रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित समय में जले हुए ट्रांसफॉर्मर नहीं बदले जाते। मान लो, गांव में दस आदमी बिजली का बिल भरते हैं और बीस आदमी चोरी करते हैं। तो जो दस आदमी भर रहे हैं, उन बेचारों का क्या दोष है? आप कहते हो कि आपके यहां बीस जने चोरी करते हैं, इसलिए आपको ट्रांसफार्मर नहीं देंगे। लोग अंधेरे के अन्दर बैठे हैं। आज बच्चों के एग्जाम सिर पर हैं।

सभापति महोदय, आपने 24 घंटे सिंगल फेस बिजली की बात की थी। हो सकता है कि आपके पास बिजली की उपलब्धता नहीं हो, लेकिन आज राजस्थान इस देश के अन्दर पांचवें नंबर पर है। बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर हो रहा है और राजस्थान का आज पांचवां नंबर है। आप हमेशा महंगी दरों पर बिजली खरीदते हो, लेकिन बिजली को लेकर राजस्थान में आंदोलन चलते ही रहते हैं। कभी खतम ही नहीं हुए। यह तो ठीक रहा कि आप मंत्रीजी को बदलकर नए मंत्री ले आए, इससे थोड़ा-सा मामला.., मैं कोई इनकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ मामला ठीक है। अभी तक वे रहते ना, तो रावला-घड़साना वाली स्थिति वापस हो जाती। लेकिन कुछ मामला ठीक रहा। आप आगे बढ़ाएंगे।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आप ही...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): कालू लाल जी, मैं वहां से कौनसा चुनाव लड़ूंगा? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ये तो मेरे पीछे ही पड़ गये। उनके तो पड़ते नहीं, मेरा पीछा करते हो आप।

सभापति महोदय, प्रदेश में विभिन्न गांवों में जो सोलर लाइटें खरीदीं,

(श्री हनुमान बेनीवाल)

उनकी खरीद में, गुणवत्ता में और मेंटीनेंस में सरकार की कोई भी नीति प्रभावी नहीं है। आज बिजली की बचत के उद्देश्य से एल.ई.डी. बल्बों का वितरण किया जा रहा है, उसमें भी विसंगति है। 82 रुपये एम.आर.पी. अंकित बल्बों को 150 रुपये में बेचा जा रहा है। आप इनको चैक कराओ।

सभापति महोदय, प्रदेश भर में छीजत वाले फीडरों में अधिकारियों ने तुगलकी फरमान जारी कर दिये। बिजली कटौती करके जनता को परेशान किया जा रहा है। बिजली बिलों में उपभोग से अधिक बिलिंग करने के मामले में तकनीकी गड़बड़ी का सहारा लेकर राजस्व वसूली का टारगेट पूरा कर रहे हैं और यह जान-बूझकर बिजली बिलों की गड़बड़ी का खुलासा ऑडिट में हुआ है।

सभापति महोदय, विद्युत निगमों की आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से, इसके अन्दर कौन जिम्मेदार है, कौन नहीं, मैं इसमें नहीं जाना चाहता । यह तो सरकारें हैं, दो बार आपकी रहीं, दो बार आपकी रहीं। यह सारी ऑडिट पंद्रह साल की हो, तब जाकर इसका खुलासा होगा।

सभापति महोदय, आज निश्चित रूप से हम सब को मिलकर राजस्थान कैसे आत्मनिर्भर बने, राजस्थान के अन्दर किस तरह किसान की अर्थव्यवस्था ठीक हो और उसको आज सबसे ज्यादा अगर आवश्यकता है तो बिजली की आवश्यकता है। आज भी लाखों घर ऐसे हैं जो रोशनी की उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि काश! मेरे घर में बिजली जले, तो मेरा बेटा भी पढ़े और मैं पंखा चला लूं। अभी माननीय सदस्य बता रहे थे कि लोगों के तो चार-चार, छह-छह ए.सी. लगाए हुए हैं और लोग आज भी हमें आजादी के 70 साल बाद पूछते हैं कि साहब, हमारी बिजली कब लगेगी। तो मैं मंत्रीजी से एक घोषणा तो करवाना चाहूंगा कि कम-से-कम एम.एल.ए. लैड का जो पैसा है, वह सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है। अब पांच-साल के अन्दर इसमें ज्यादा पैसा देने लगे हैं। मंत्रीजी, आप हमारे एम.एल.ए. लैड का पैसा जो हम गैर-आबादी के अन्दर देते हैं, आप दीनदयाल उपाध्याय योजना की बात कर रहे हो, चाहे आप कोई दूसरी योजना लेकर आओ; आपका उद्देश्य भी यही है कि आम जन को, आम ढाणी के अन्दर उजाला हो, आम आदमी को सरकार से फायदा मिले और हम वह ही आपका काम कर रहे हैं। तो आप कम-से-कम इसके अन्दर जो 120 मीटर गैर-आबादी के अन्दर आपकी कम्पनियों ने आदेश जारी किया, इसको आप वापस लेकर इसके लिए एक आदेश करें। हमारे जो दो-दो साल

(श्री हनुमान बेनीवाल)

पहले के पैसे दिए हुए हैं, इसमें कौन सी दुश्मनी आप हमसे निकाल रहे हो? कोई तीस-चालीस एम.एल.ए. परेशान होंगे। यह तो आपके हाथ की ही बात है, क्योंकि लंबा-चौड़ा मामला भी नहीं है। एक गांव की आधी ढाणियां साढ़े तीन हजार रुपये में लाइट ले रही हैं और उसी में आपने तीस-चालीस हजार का डिमांड भेज दिया। तो जिनकी फाइनेंशियल सैंक्शन निकल गई, वित्तीय स्वीकृतियां निकल गईं, उसमें हमारा क्या दोष है? हमने तो आपको दो साल पहले पैसा दे दिया और आप उस पैसे के अन्दर हमारा काम नहीं कर रहे हो।

अजमेर में एम.डी. कौन है? हमें तो पता ही नहीं है कि अजमेर में एम.डी. कौन लगा हुआ है। आप कम-से-कम एम.डी...(व्यवधान) सुनो। मैंने नहीं देखा कि एम.डी. कौन है। जो भी होगा। खैर, यह आप जानो। आपकी सरकार है, चाहे जिसको लगाओ, चाहे जिसको बैठाओ, लेकिन कम-से-कम जन-प्रतिनिधि आपस में उसको जाने तो सही कि एम.डी. कौन है। कभी उन्होंने बात की क्या? या फिर आपने यह कह रखा होगा कि खींवसर विधायक को छोड़कर, क्योंकि वहां बाकी तो आपकी ही सीटें हैं; मैं ही वहां से गलती से आया हूं; तो इनको छोड़कर बाकी से बात किया करो। कई बार मैसेज किए, कभी आपके एम.डी. ने बात ही नहीं की।

जोधपुर के अन्दर आपने एक टारगेट तय कर दिया कि भोपालगढ़ को ठीक करेंगे। भोपालगढ़ को कैसे ठीक करोगे? भोपालगढ़ ऐसे ठीक थोड़े ही हो सकता है। अगर आप इस तरह जबरदस्ती करोगे तो लोग सरकार को ठीक कर देंगे। आप कह रहे हो कि भोपालगढ़ को हमने टारगेट बनाया। यहां आपको इतनी शीट भरनी हैं। चाहे चोरी हो या नहीं हो, आपको तो इस गांव में शीट भरनी हैं और वहां अधिकारी बैठे-बैठे पीठ थपथपा रहे हैं कि हम उस गांव के अन्दर गए जहां कोई नहीं जा सकता, हम शीट भरकर आ गए। आप इसमें लगे हो क्या? यह कम्पीटीशन है क्या आपका? अगर आपको ताकत दी है और आपके हाथ में कलम, तो उसको सही दिशा में ले जाओ ना। क्यों गड्ढे खोद रहे हो? कल 2018 में लोग वोट मांगने जाएंगे, उन गड्ढों में पड़ जाएंगे। तो यह सोचना चाहिए।

मंत्रीजी, आप अधिकारियों को इतना बेलगाम नहीं करें क्योंकि आपके एम.डी. और सी.एम.डी. कोई आपसे ऊपर नहीं हो गए। आप उनको निर्देशित करें कि उनकी वजह से सरकार संकट के अन्दर नहीं आए। आप इसमें कर लोगे, मुझे लग रहा है कि धीरे-धीरे कुछ मामला ठीक हो रहा है। आज हर

(श्री हनुमान बेनीवाल)

विधायक यह चाहता है कि मैं मेरे इलाके के अन्दर जाऊं तो बिजली और पानी, ये दो मामले हैं जिनमें हर आदमी पूछता है कि साहब, क्या हुआ? मेरी बिजली नहीं लगी; मेरा कृषि कनेक्शन नहीं हुआ। साहब, डार्क जोन का क्या हुआ? अभी आप कहकर गए थे। इन सब बातों को आप अगर कराएंगे तो निश्चित रूप से आपको भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा और राजस्थान एक नई दिशा की ओर जाएगा।

सभापति महोदय, मेरे इलाके के कुछ मामले हैं और कुछ सुझाव मैं माननीय मंत्रीजी को बता देता हूं। सरकार तत्काल तकनीकी कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करते हुए ग्रेड बढ़ाए। वाजिब मांगों के लिए आपने उनको आश्वासन भी दिया था। हड़ताल के दौरान जो मुकदमे कर्मचारियों पर दर्ज हुए, उन्हें आप वापस लेकर उनको न्याय दिलाएं। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था को सही करें। सिंगल फेस बिजली बढ़ाएं। आज आठ-दस-बारह घंटे से ज्यादा सिंगल फेस बिजली राजस्थान के गांव और ढाणियों में नहीं मिलती। मंत्रीजी, आप चैक करा लें। अगर हम गलत कह रहे हों तो आप बता देना। कहीं भी अगर बीस-बाईस-चौबीस घंटे मिलती है तो बता देना। शहरों की नहीं, मैं गांवों की बात कर रहा हूं।

आप यह सारा दंड, मान लो, चार आदमी चोरी करें और सौ साहूकार हों तो उन साहूकारों को इस बात का दंड क्यों दे रहे हो? आप तो बिजली चलाइए और साहब, कौनसा बिजली से आगे-पीछे हो जाएगा। इस देश में इतने बड़े-बड़े घोटाले हो गए, क्या कोई जांच हुई आज तक? किसान अगर एक बल्ब जला लेगा और छोटी-मोटी कोई चोरी कर लेगा तो राजस्थान घाटे में थोड़े ही चला जाएगा। हम तो कह रहे हैं कि अब राजस्थान में बिजली माफ करो। बंद करो यह सब। सारा कंटा ही काटो ना। कैसी बिजली की दरें और सारा। और कोई दूसरा काम करके कर लो आप। चला लोगे। राठौड़ साहब सारी बातें जानते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इसको कनक्लूड करो तो आपका प्रभाव बना रहेगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सही कह रहे हो क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हां, सही कह रहा हूं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): तो मैं सुझाव तो दे दूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हां, सुझाव दे दो आप तो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप हर किसी को झाँसे में ले लेते हो।

सभापति महोदय, विद्युत उत्पादन इकाइयों व जी.एस.एस. का निजीकरण नहीं करें। ग्रामीण कनिष्ठ अभियंताओं को लिपिक संवर्ग के कार्मिक उपलब्ध कराएं। 2011 के बाद अजमेर डिस्कॉम के कई कनिष्ठ अभियंताओं को आपने सेवा का लाभ नहीं दिया, उनको लाभ दें।

सभापति महोदय, मेरे इलाके में, मंत्री महोदय, आप थोड़ा नोट कर लें, ग्राम पंचायत कुड़ची के अन्दर बेनिवालों की ढाणी के अन्दर एक जी.एस.एस. पैंडिंग है। इसको चालू कराएं। एक पिपलिया मादाडियों की ढाणी के अन्दर पांच साल से स्वीकृत है। इसका काम चालू कराएं। ग्राम शंखवास में जी.एस.एस. की आप बिलकुल घोषणा कराएं। कनेक्शनों को रैगुलराइज करें। मेरे इलाके में विशेष, जहां सबसे बड़ी समस्या है, बदनाम हम ज्यादा हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा भी सरकार को हम देते हैं। आपने बदनामी हमारे ऊपर डाल दी कि चोरी खींवसर में ही होती है। बाकी तो जैसे कोई चोरी करना जानता ही नहीं राजस्थान में।

दीनदयाल उपाध्याय में 2003 में ढाणियों का सर्वे, बिजली विभाग के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि आप जिन ढाणियों को जोड़ने की बात कर रहे हो, आप कह रहे हो, 50 की आबादी, 100 की आबादी, 200 की आबादी तक आप कर लेंगे। लेकिन ढाणियों का सर्वे किया है, वह सर्वे आपने थोड़े ही करवाया है। वह तो 2003 के अन्दर पी एच ई डी का सर्वे था। पी एच ई डी के अधिकारियों ने अपने आफिस में बैठकर सर्वे कर दिया। कहीं टयूबवेल खुदा हुआ है, कहीं उनकी जलप्रदाय योजना चल रही है, कहीं पी एच ई डी का आफिस है, उसी को आपने ढाणी मानकर कर लिया। जब तक इनका पुनः रि-सर्वे आप नहीं करवाओगे कि वास्तविक आबादी कहां बसती है, वास्तविक ढाणियां कहां हैं, तब जाकर लोगों को लाभ मिलेगा, नहीं तो लोग अपने घर पर रह जाएंगे। ढाणी तो एक लिख दी उसने, फलां ढ़ाणी, उसके अन्दर कर लिये आपने चार घर। और पचास ढाणियां दूर हैं। इनका रि-सर्वे करवाकर आप इन योजनाओं का लाभ देंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान को एक नई दिशा मिलेगी।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

सभापति महोदय, गैर-आबादी क्षेत्र में ढाणियों का अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाए।

मेरे कुछ और हैं। भुंडेल ग्राम छीला, रूण के अन्दर जो जी एस एस हमारे स्वीकृत हैं, माडपुरा, इन जी एस एस को भी आप इस वित्तीय वर्ष के अन्दर लेकर इसमें कराएं।

सभापति महोदय, आपने मुझे आज बोलने का समय दिया और बीच में टोका नहीं, इसके लिए आपको धन्यवाद।

मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि कम से कम बिजली के मामले में राजस्थान आत्मनिर्भर कैसे बने, इस दिशा में आपको प्रयास करने चाहिए। आप जो घोषणाएं करते हो, वे सिर्फ बजट में और कागजों में ही नहीं रह जाएं। आप बजट में तो घोषणाएं कर देते हो कि एक लाख कृषि कनेक्शन दे दिए। हम पांच साल से देख रहे हैं। हर साल पहले, चाहे सरकार कोई-सी भी रही, मार्च के महीने के अन्दर छूट आती थी कि अगर कोई एक साथ पैसा जमा कराए तो उसको छूट मिलती थी। आपने तो ब्याज में छूट बंद कर दी। किसी के 50 हजार रुपये हो गये, 80 हजार हो गये, 1 लाख हो गये। उसमें आपको जिसको फायदा पहुंचाना था उसका नाम तो डिलीट करवा देते हो कि इसको तो रहने दो, चाहे चार लाख हो गये, और इसका इलाज करना है, उनके ट्रांसफार्मर को जबरदस्ती उतार कर ले जाते हो।

सभापति महोदय, एक सबसे बड़ी दिक्कत है, आए दिन झगड़े होते हैं। विजिलेंस वाले जाते हैं। कई गांवों में इनकी पिटाई हो जाती है। कई गांवों में इनको पुलिस को बुलाना पड़ता है। आमने-सामने झगड़े होते हैं। आप रात को क्यों जाते हो, साहब? आपके पास पूरा दिन पड़ा है ना। यह तो नहीं है कि कोई आदमी रात को चोरी करे। रात को नौ बजे बाद जो सिंगल ढाणियां हैं वहां, 50 की, वह लेकर चले जाते हो। कोई अभी बता रहे थे, जागरण हो रहा है, जागरण में चले जाते हो; किसी की शादी में चले जाते हो। साहब, लोगों के मान-सम्मान का खयाल भी तो रखो। चोरी कहां नहीं हो रही, साहब, यह तो बताओ। चोरी कोई राजस्थान में या यहीं थोड़े हो रही है। यह तो पूरे देश के अन्दर हो रही है। इस चोरी को रोकने का एक ही उपाय है कि आप दूसरे संसाधन, या तो आप रोजगार, हर घर के अन्दर नौकरी दे दो। हर घर में एक नौकर लगा दो सरकारी, मैं कह रहा हूं, कोई लोग टयूबवेल नहीं चलाएंगे।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

रोजगार का साधन नहीं है तो बेचारे हजार फीट धरती का सीना चीरेंगे, फिर सामान लाएंगे, पांच लाख उधार लेंगे, कनेक्शन लेंगे। उसके बाद दो, चार, पांच लाख साल के पैदा होते हैं।

फिर इल्लीगल माइनिंग। खुद के खेत के अन्दर आप पत्थर नहीं निकाल सकते। तो फिर क्या दूसरे के यहां जाकर गहने चुराएं? वह खाएगा क्या? परिवार को पालेगा कैसे? इन चीजों को आप क्यों कर रहे हो? एक तो आप खनिज नीति के अन्दर यह बात लाओ।

मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह कर रहा हूं। राठौड़ साहब, इधर देखो। एक मिनट में बैठ रहा हूं। मैं समझ गया। बिजली के मामले में, आप अपनी बात पर आओ। हो सकता है, कल वापस विपक्ष में आना पड़े आपको। आप नारे लगाते थे ना कि राजस्थान की बिजली माफ करो, माफ करो; किसान की बिजली माफ करो। विजिलेंस रात में क्यों जाती है? (व्यवधान) बिजली माफ करो। ये विद्युत थाने खतम करो। यह चोरी का कंटा काटो आप राजस्थान में। क्या, साहब, लोगों को रोज तंग करते हो। लोगों के पास है क्या, बेचारों के पास। लोग तो आत्महत्याएं कर रहे हैं। लोगों के पास रोजगार के साधन नहीं हैं। रोजगार के साधन के अभाव में, यह सरकारी तंत्र फिर किसानों के पीछे पड़ा है, किसान उससे तंग आकर आत्महत्या कर रहा है।

सभापति महोदय, आज बिजली मंत्री जब इस एक्ट के अन्दर, मैं तो इस एक्ट के लिए भी कह रहा हूं कि इसको पारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तो आपने वैसे ही हलफनामा दे दिया। दिल्ली में सरकार आपकी है। यह एक्ट लाने की जरूरत कहां है? वैसे ही पैसे ले आओ, जितना लाना चाहो; विशेष राज्य का दर्जा भी लो। हम तो हमेशा ही कहते हैं।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, आपने मुझे धन्यवाद दे दिया था बोलने के लिए। अब तो बैठो आप। जब आपने धन्यवाद देकर बैठने की बात कर ली थी, फिर आप वापस खड़े हो गए, चालू हो गए। आपने खुद ने ही धन्यवाद दिया कि मुझे बहुत वक्त दे दिया। अब तो बैठो आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप खुद देखें कि मेरे चार-पांच साल के पिछले सत्र निकले और यह निकला, इसमें मैंने कितना संयमित तरीके से यहां किया है। आप इस बात का मुझे भी धन्यवाद दो कि आपकी बात मैंने हमेशा मानी और मानकर ही काम कर रहा हूं।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

मैं बिजली मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि आज राजस्थान के किसानों को कुछ ऐसी सौगात दें कि राजस्थान का किसान जब कल अख़बार पढ़े तो पढ़कर यह हो जाए कि वास्तव में कोई बिजली मंत्री आया था, कोई सरकार आई थी, जिन्होंने बिजली पर चर्चा भी रखी। चर्चा करने से क्या फायदा? यहां कानून-व्यवस्था पर चर्चा हो जाती है, बिजली, पानी पर हो जाती है। चर्चा से मिलता क्या है? यह तो घर में बैठकर ही कर लेंगे। फिर यहां आने की क्या आवश्यकता है? आप लोग कुछ ऐसा करें, किसानों को कुछ ऐसा तोहफा दें और कुछ अधिकारियों पर नकेल कसे। अधिकारियों की दादागीरी कम से कम नहीं चले, इस दिशा में आप ठोस प्रयास करें।

जो विधेयक आप लाये हो, इसका मैं विरोध करता हूं। तीन महीने के लिए इसको ...

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, बेनीवाल जी के....

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): चन्द्रभान जी, एक मिनट।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): बेनीवाल जी के जीतने में लाइट का बहुत महत्व रहा। इसलिए इनको थोड़ी देर और बोलने दें। कोई दिक्कत नहीं है। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): तीन महीने के लिए जन मत जानने के लिए इस विधेयक को परिचालित किया जाए।

बिजली के मामले में आप एम्नेस्टी योजना...

श्री सभापति: अब आपने जन मत जानने का प्रस्ताव रख दिया, आपकी बात अब समाप्त हुई। आपने जन मत जानने के लिए कह दिया। आप विराजो अब।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): क्या हो जाएगा एक मिनट में? कौनसा तूफान आ जाएगा एक मिनट में? मैं तो बैठ जाऊंगा, सभापति महोदय।

आप एम्नेस्टी योजना बिजली के मामले में लाए। जिन किसानों के पांच लाख बिजली का बिल चढ़ गया, सिविल लाइबिलिटी की वजह से शीट भरकर दस लाख हो गये, आप उनसे ऐसा करो कि आप एक लाख रूपये जमा कराओ, और हो गया सारा। इससे आपको राजस्व भी मिलेगा और किसान का

(श्री हनुमान बेनीवाल)

भला भी होगा। आप सैटलमेंट के अन्दर, शीट भर देते हो, सैटलमेंट में नहीं जा सकते । आपका एस.ई. कहता है, मेरे पास पावर नहीं है। चीफ इंजीनियर के पास जाओ तो वह कहता है, एम.डी. के पास जाओ। एम. डी. कौन है, लोगों को इसका ही पता नहीं है; एम एल एज को पता नहीं। कहां-कहां से लाकर आपने आई.ए.एस. बिठा दिये सब जगह । कहां जरूरत है? विभाग के लोगों को बिठाओ।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप एक ही बात को बार-बार रिपीट कर रहे हो। आप एक ही बात को बार-बार क्यों? आपकी बात आ गई।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मंत्री महोदय, राजस्थान के किसान के लिए कोई घोषणा करो। गैर-आबादी के अन्दर आपके नरेन्द्र जी मोदी का और आपका सपना है कि हम देश को आगे लाएंगे, जगमगाएंगे, हर घर के अन्दर उजाला, वह कब आएगा? ढाई साल तो निकल गए और डेढ़ साल बाद आपसे कोई मांग भी नहीं करेगा। आप इस दिशा में ठोस कदम उठाएं।

आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: डा. मंजू बाघमार ।

(अनुपस्थित)

श्रीमती अलका सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): माननीय सभापति महोदय, आजादी से पहले देश में बिजली की क्या हालत थी, मैं समझता हूं, सदन के सभी सदस्य जानते हैं। राजस्थान गठन से पूर्व, मैं जिस जिले से आता हूं, वहां सिर्फ दो जगह बिजली थी; एक पिलानी में बिरला जी का छोटा-सा पावर हाउस था और एक नवलगढ़ में पोद्दार साहब का छोटा-सा पावर हाउस था। उसके बाद प्रदेश का गठन हुआ। सरकार चाहे हमारी रही, चाहे आपकी रही, बिजली तंत्र का काफी फैलाव हुआ। उत्पादन इकाइयां लगीं, ट्रांसमिशन लाइनें हुईं, पावर हाउस लगे, किसान को बिजली दी गई, उद्योगों को बिजली दी गई। 1985 तक लगभग, या यूं कहूं कि 83-84 तक, बिजली 24 घंटे दी जाती थी, चाहे वह घरेलू बिजली हो, चाहे किसान को हो, चाहे उद्योग को हो। उसके बाद धीरे-धीरे उपभोक्ता बढ़े, बिजली की मांग बढ़ी और आज जो स्थिति है वह उत्पन्न हो गई।

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

पहले सारे राजस्थान को एक बिजली बोर्ड चलाता था। तत्कालीन भारत सरकार ने एक स्कीम दी कि हर राज्य को, बोर्ड को, रिप्लेस करके कम्पनी बनानी पड़ेगी। उसी के तहत अपने यहां पांच कम्पनियां बनीं। कम्पनियां बनीं, उस समय बिजली बोर्ड का घाटा 300 करोड़ रुपये था; आज घाटा लगभग एक लाख करोड़ रुपये का है। हमारे यहां पांच कम्पनियां पहले से हैं। घाटा बढ़ता गया, चाहे उसके लिए फीडर सुधार कार्यक्रम जिम्मेदार हो, चाहे कम्पनियों का भारी भरकम प्रशासनिक अमला है वह जिम्मेदार हो। कम्पनियां इस उद्देश्य से बनाई गई थीं कि इनको हम आटोनोमी देंगे तो अच्छा काम होगा, बिजली का अच्छा उत्पादन होगा, बिजली की अच्छी व्यवस्था होगी, बिजली पर कम लागत आएगी और ये कामर्शियल तरीके से उनको रन करेंगी। सभापति महोदय, पर हुआ उसके विपरीत। कभी 15 हजार था, 60 हजार हो गया, फिर 72 हजार हो गया। आज एक लाख के लगभग यह घाटा पहुंच गया।

भारत सरकार ने 'उदय' योजना प्रारम्भ की, उसके तहत सरकार यह बिल लेकर आई है। पांच कम्पनियां पहले से हैं। एक यह छठी कम्पनी और बन जायेगी। इसमें जो सबसे ज्यादा जोर डाला गया है, वह कारपोरेट तरीके से उसको रन करने पर डाला गया है। आप इन कम्पनियों को भी पहले इसी भावना के साथ लाये थे।

सभापति महोदय, दुनिया में कहीं भी बिजली कम्पनियां हैं, वे लाभ में नहीं हैं; बराबर बैलेंस शीट हो जाती होगी। अमेरिका में क्रोनिक कैपिटलिज्म है। वहां भी पावर कम्पनियां हैं, उनके शेयर सबसे नीचे की श्रेणी में माने जाते हैं। अगर कोई शेयरों में इन्वैस्ट करना चाहता है तो वह उसकी लास्ट चॉइस होती है। यह सारी दुनिया का एक सिनेरियो है।

हम कल्याणकारी राज्य हैं, कुछ चीजें हम सिर्फ लाभ के लिये नहीं चला सकते। टी.ए. पाई देश के रेलवे मंत्री थे इन्दिराजी की गवर्नमेंट में, उनसे कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि आपका रेलवे घाटे में क्यों चल रहा है? आप इसको, जो घाटे की बात है, आप उसको बंद क्यों नहीं कर देते? तो उन्होंने कहा कि सरकार हर चीज मुनाफे के लिये नहीं चलाती। कल्याणकारी राज्य के कुछ उत्तरदायित्व भी होते हैं। बिजली उसमें से एक है, आधारभूत ढांचे में। बिजली अमीर को भी चाहिये, बिजली गरीब को भी चाहिये; बिजली किसान

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

को भी चाहिये, बिजली उद्योगपति को भी चाहिये। सब तबकों को बिजली चाहिये। इसी तरह से पानी है। आप कुछ दिन भोजन के बिना रह सकते हैं, पर पानी के बिना नहीं रह सकते। तो कल्याणकारी राज्य के कुछ उत्तरदायित्व हैं, बिजली उनमें से एक है। आप घाटे का नाम लेकर यह नहीं कह सकते कि हम बिजली पर कम इन्वैस्ट करेंगे या हम यह करेंगे।

बिजली आपने किसान को दे दी और उसके बाद उसने मोटर लगा ली। मोटर वह आई.एस.आई. मार्का की लाता है। उसके पास बिल है उस मोटर का। आपकी कम्पनी वाले जाते हैं, दस की मोटर है, उसको साढे बारह की दिखा देते हैं। आप क्यों नहीं उस कम्पनी के खिलाफ कार्यवाही करें जिसने दस की मोटर आई.एस.आई. मार्का की दी है, बिल दिया है? किसान का उसमें क्या दोष है?

इसी तरह से कोई ढाणी में बसा हुआ व्यक्ति है, वह आपसे बिजली मांगता है। उसके कुएं पर बिजली है। आप उसको कनेक्शन देते नहीं हैं। आजकल लालटेन भी मिलती नहीं है। क्या उसके बच्चों को यह अधिकार नहीं है कि वे भी बिजली में पढ़ें? वह भी बिजली का एक लट्टू चास ले, बिजली का पंखा चला ले?

तो सबसे पहले तो, जो आपके लॉसेज हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण यह है कि जो उपभोक्ता आपसे बिजली मांगता है, आप उसको बिजली का कनेक्शन मांगते ही दें जिससे यह आपका जो वी.सी.आर. वाला मामला है और जो घाटे का है, वह कम आयेगा उसमें। किसान 40 प्रतिशत बिजली का उपभोग करता है, बाकी के सारे और लोग हैं। हमने कभी यह नहीं सुना कि अभियान चलाकर उद्योगों में वी.सी.आर. भरी जाती हो, पर किसानों को टार्गेट बेस करके वी.सी.आर. भरी जाती है। यह टार्गेट कैसे होगा कि यहां 60 आदमी चोरी करेंगे ही करेंगे? चोरी तो 70 भी करेंगे और चोरी 2 भी कर सकते हैं। इसीलिये बिजली में यह जो टार्गेट बेस चोरी वाला मामला कर रखा है, और विशेष करके मार्च के महीने में, इस पर सोचना पड़ेगा। आपको संवेदनशीलता इसमें रखनी पड़ेगी।

आप अब यह जो विधेयक लाये हैं, अभी मेरे सामने वाले माननीय सदस्य, जो लूणी से आ रहे हैं, वे कह रहे थे कि हिमाचल के बाद हम दूसरी स्टेट हैं। हिमाचल और हमारा बिजली का सिनेरियो है, बहुत डिफरेंस है,

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

सभापति महोदय। हिमाचल बिजली प्रोड्यूसिंग राज्य है, और हम उन राज्यों में हैं जो दूसरे राज्यों से भी बिजली लेते हैं। हिमाचल के बजट में जो बहुत बड़ा अमाउण्ट इनकम का है वह बिजली बिक्री से है। तो उनको तो इस एक्ट से फायदा है। पर क्या कारण है कि राजस्थान हिमाचल के बाद दूसरे नम्बर पर ही यह बिल लाने वाला राज्य हो गया?

बिल ले आये आप, ठीक है। उसमें आपने कई प्रोविजन किये हैं। आपने उसमें एक्जीक्यूटिव कमेटी बनाई है, उसमें भी उन्हीं लोगों को रख दिया, जो इन पांच कम्पनियों में हैं। फिर आपने नौकरशाहों के भरोसे इम्प्लीमेंटिंग कम्पनी भी बना दी। आप उसमें टैक्नोक्रेट्स को रखते, आप उसमें उपभोक्ताओं का कोई प्रतिनिधि भी रखते, आप उसमें किसान को भी रखते, आप उसमें इस सदन के भी एक-दो माननीय सदस्यों को रखते, पर वह सारा का सारा सिस्टम आपने ब्यूरोक्रेसी के हवाले कर दिया, इन कम्पनियों के हवाले कर दिया। यह ठीक है कि जो बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स बनाया है उसमें गवर्नमेंट के पास जरूर कुछ पावर्स हैं कि इन्डिपेंडेंट डाइरेक्टर्स भी बनाएंगे और फंक्शनल डाइरेक्टर्स भी बनाएंगे, पर आपको, जैसे इन पांच कम्पनियों का आपके पास एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को आपको काम में लेते हुए इस बिल में उस तरह की व्यवस्था करनी चाहिये थी। यह ठीक है कि सेण्ट्रल गवर्नमेंट का मॉडल बिल आपको है, पर उसमें आप कुछ इधर-उधर भी राज्य के हित में कुछ कर सकते थे।

सभापति महोदय, यही नहीं, सदन की माननीय नेता ने यहां बजट भाषण में भी कहा और कल डिमाण्ड्स पर भी कहा कि जो हमारी सोलर पावर की रेट थी, पहले हमारे ऊंची रेट्स पर एग्रीमेंट हुए, अब वह डाउन आ गई। तो, सभापति महोदय, मेरा यह आग्रह है कि उन सोलर कम्पनियों से अभी तक प्रोडक्शन तो शुरू हुआ ही नहीं। तो एक कम्पनी को तो आप देंगे साढ़े छह रुपये, दूसरी को आप देंगे चार रुपये। यह बाजार की थ्योरी है कि जो हमको सबसे कम में दे, उससे हम लें। तो जिससे सबसे ज्यादा रेट पर आपका काण्ट्रेक्ट हो रखा है, उसको भी आप उसके एट-पार लाएं। आपने बहुत बड़ी-बड़ी जमीनें उन कम्पनियों को दे दीं, आपने एग्रीमेंट उनसे किया कि आप दो साल में करेंगे; आप तीन साल में करेंगे; कोई भी सोलर पावर कम्पनी, मैं समझता हूं कि उस एग्रीमेंट के अनुसार अभी तक कमीशन हुई नहीं है। तो जो ऊंची रेट पर समझौते हुए हैं, उनको आप नीची रेट पर लाओ।

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

हमारा जो लॉसेज इन कम्पनियों का बढ़ा है, उसमें सबसे पहले शुरुआत तो हुई है फीडर रिनोवेशन प्रोग्राम से। उसके बाद बिजली ऐसी चीज है कि आप उसको स्टोर नहीं कर सकते। कई बार आपको ओपन बोली लगाकर भी लेनी पड़ती है। अगर किसी से आपका पहले काण्ट्रेक्ट नहीं हुआ है कि हम इस महीने में इतनी बिजली खरीदेंगे, इस दिन इतनी खरीदेंगे, तो ऐन टाइम पर आपको बहुत ऊंची कीमत में वह बिजली लेनी पड़ती है। इसके लिये आपको पहले से योजना बनानी चाहिये कि इस महीने में हमको इतनी बिजली चाहिएगी, इस महीने में इतनी बिजली चाहिएगी। तो आप बहुत बड़ा लॉस उसमें बचा सकते थे।

यही नहीं, सभापति महोदय, आरोप किसान पर लगाया जाता है कि सबसे ज्यादा चोरी किसान करता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो स्टेट, जिनकी कम्पनियों की आर्थिक स्थिति सबसे ठीक है, कम्पेरेटिवली, एक तमिलनाडू और दूसरा पंजाब, वहां किसानों को फ्री बिजली दी जाती है। फिर भी उन कम्पनियों की, दोनों राज्यों की कम्पनियों की आर्थिक स्थिति और सारे देश की जो कम्पनियां हैं, उनसे अच्छी है। इसलिये यह कहना कि किसान सबसे ज्यादा लॉसेज का कारण है, वह उचित नहीं है।

आपके ट्रांसमिशन लॉसेज बहुत ज्यादा हैं; आपके कॉमर्शियल लॉसेज बहुत ज्यादा हैं; आपके दूसरे तरीके के जो लॉसेज हैं, वे बहुत ज्यादा हैं। आप अब इस एक्ट के मार्फत यह व्यवस्था करने जा रहे हैं कि चाहे 11 हजार का फीडर है, चाहे 33 के.वी. का फीडर है, चाहे और दूसरा फीडर है, सब पर आप एक निश्चित अवधि में मीटर लगाएंगे और उस मीटर से यह जानकारी लेंगे कि वहां कितनी बिजली आई और आगे उपभोक्ता को गई। तो बीच का जो आपका लॉसेज है, वह आप किस पर डालेंगे? उपभोक्ता, मान लीजिये, दस हैं और उनमें से दो उपभोक्ता चोरी करते हैं तो आप उन आठ उपभोक्ताओं पर वह नहीं डाल सकते। अब आपने कर क्या रखा है कि एक ट्रांसफार्मर दे रखा है, उसमें 5 उपभोक्ता हैं, 3 बिल जमा करवाते हैं और 2 बिल जमा नहीं करवाते हैं। वह ट्रांसफार्मर अगर जल जाता है तो चाहे कितनी ही बिजली कम्पनी के चक्कर काट लें, वे लोग कहते हैं कि इन दो के भी बिल जमा करवाओ। या तो आप उनके अलग-अलग ट्रांसफार्मर लगा दें, या फिर जो जिन तीन लोगों ने बिल दे दिया, उन्होंने क्या अपराध कर दिया?

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

उसके अलावा, किसानों के लिए आपने कहा है कि हम हर साल 40 हजार किसानों को बिजली कनेक्शन देंगे। आपके पिछली साल तक तीन लाख किसानों के आवेदन बिजली कनेक्शन के लिए पैंडिंग थे। आपके इस साल और बढ़ गये होंगे। तो जो किसान कुआं खोद लेता है, उसके आगे से बिजली जा रही है, तो वह निश्चित रूप से, मान लीजिए, उसके इधर वाला तो पानी देकर फसल उगा रहा है, पैदा कर रहा है और वह नहीं कर रहा है, तो वह निश्चित रूप से कोशिश यह करेगा कि मैं भी मेरी खेती पैदा करूं। तो आप कम से कम जिस किसान के बिलकुल कुएं के ऊपर से जा रहा है, आपको केवल सर्विस लाइन ही खींचनी है, तो उसको तो आप इमिडिएट बिजली दे दें जिससे आपकी चोरी नहीं हो वहां पर। नहीं तो वह चोरी तो आपकी करेगा। आप किसी के सामने खाना रख दो और फिर यह कहो कि आपको खाना नहीं है, तो फिर वह रुकेगा क्या? तो ऐसे आप आइडेंटिफाई करें कि जहां पर यह पॉसिबिलिटी है कि चोरी हो सकती है, उनको तो आप कनेक्शन दे दें जिससे आपकी चोरी की संभावनाएं खतम हो जाएं।

इसी तरह से ढाणियों को आप बिजली नहीं दे रहे हैं। ढाणी में रहने वाले को भी उतना ही अधिकार है बिजली लेने का, जितना मुझे है, आपको है, या जयपुर में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को है। उनको आप यह कहकर नहीं रोक सकते कि हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास वह नहीं है। आप जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना से पूरे गांव जुड़ गये, थोड़े बहुत कुछ रह गये, उस तरह से आप एक योजना लाकर, और जितनी भी ढाणियां हैं, उनको आप कनेक्शन दें जिससे आपकी चोरी का जो रास्ता है बिजली का, वह बंद हो जाएगा।

इसी तरह से आप कहते हैं, किसान को उपभोक्ता मानते हैं। किसान उपभोक्ता नहीं है, वह प्रोड्यूसर है। एक तरफ तो आप उद्योग में जो उत्पादन करता है, उसको इतनी सुविधाएं देते हैं और दूसरी तरफ किसान भी प्रोड्यूसर है, जो उद्योग के लिए कच्चा माल पैदा करता है। उद्योग उसके कच्चे माल के बिना चलते नहीं हैं। अनाज किसी प्रयोगशाला में तैयार नहीं हो सकता। माननीय सभापति महोदय, आपको जानकारी है कि नहीं है, पहले P L-480 के तहत देश में अमरीका से खाद्यान्न दिये जाते थे और उसमें ज्वार और गेहूं ऐसी हल्की क्वालिटी के हुआ करते थे कि लोगों के जो खुजली होती है, वह हो जाती थी। इस देश के किसान ने, इस प्रदेश के किसान ने, उस समय अब से

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

1/3 जनसंख्या थी, तब हमको इम्पोर्ट करना पड़ता था; यह किसान ही है जिसको सरकारों ने बिजली दी, अच्छे उर्वरक दिये, अच्छे बीज दिये, विश्वविद्यालयों ने अनुसंधान किये और आज हम 120 करोड़ की जनसंख्या को भी हमारा देश का किसान फीड करता है, हमको इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं है और उस किसान को आप एक मात्र बिजली की जो सुविधा है, वह नहीं दे सकते !

सदन की माननीय नेता ने फरमाया था बजट भाषण में कि हम बिजली में लगभग आत्मनिर्भर हो गये हैं और उससे पहले सरकार का यह वादा था कि हम 24 X 7 तो घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली देंगे और आठ घंटे किसानों को बिजली देंगे। जब हम विद्युत उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर हो गये हैं तो क्या हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं उपभोक्ताओं को? हम नहीं दे पा रहे हैं। हम किसान को भी आठ घंटे बिजली नहीं दे पा रहे हैं। किसान की तो हालत यह है कि जब पाला पड़ता है खेत में, पानी जम जाता है, उस समय रात को उसको बिजली दी जाती है। उसके ब्लॉक के अनुसार, कभी वह दिन में आती है और कभी उसके यहां पर रात में आती है। तो जब हम आत्मनिर्भर ही हो गये हैं तो हम क्यों नहीं उस किसान को दिन में ही आठ घंटे बिजली दें? क्यों नहीं हम 24 X 7 उसमें घरेलू उपभोक्ताओं को दें?

अभी पिछले दिनों चर्चा में आया, पब्लिक एक्सचैकर से बिजली घर बने हुए हैं कुछ, कालीसिंध का नाम आया, एक-दो और का भी आया, जैसे कि इनका आप निजीकरण करने जाएंगे। आपका निजीकरण का एक्सपीरिएंस ठीक नहीं है। आपने धौलपुर में प्लांट लगाने का दिया, क्या वह अच्छा एक्सपीरिएंस रहा? आपने बाड़मेर में लिग्नाइट आधारित जिंदल को दिया, उसका क्या एक्सपीरिएंस आपको रहा? ये जो प्राइवेट प्लेयर हैं, बिजली तो कम बनाते हैं और सांठ-गांठ करके आपके खाते में ज्यादा दिखा देते हैं। तो एक किसान तो मुश्किल से एक साल में कोई पांच हजार रुपये की, मान लीजिए, गलती करता होगा, वहां तो अरबों-करोड़ों में गलतियां होती हैं। तो इस तरह की व्यवस्था में हमको सुधार लाने की जरूरत है।

बिल, अगर भावना उसकी देखें तो वह तो ठीक है पर उसकी जो आगे की बातें हैं, वे निश्चित रूप से जन विरोधी हैं। और फिर हमको क्या जल्दी है? अमरीका की सीनेट में छह-छह महीने एक बिल पर बहस होती है;

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

इंग्लैंड की पार्लियामैंट, जो सारी संसदीय संस्थाओं की जन्मदात्री मानी जाती है, उसमें छह-छह महीने एक-एक बिल पर बहस होती है। हमको क्या जल्दी लगी हुई है कि हम आज ही इस बिल को पास कराएं? जिन लोगों के लिए यह बिल बन रहा है, चाहे वह किसान है, चाहे उद्योगपति है, चाहे अन्य उपभोक्ता हैं, अगर हम उनकी भी राय इसमें ले लें तो कौनसी गलती हो जाएगी? कौनसा पहाड़ टूट जाएगा? एक्सपर्ट की राय आ जाएगी, अगर आप इसको जन मत जानने के लिए भेजेंगे तो। इस तरह से कई चीजों में जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, बिल निश्चित रूप से पास होगा। आपका बहुमत है। आपको अधिकारियों ने बिल बनाकर दे दिया, विधि विभाग ने उसका वेटेज कर दिया और आज सदन में पास भी हो जाएगा, बहुमत के बल पर हो जाएगा, पर उसके पीछे आप जन-भावना को मत भूलें। कोई भी सरकार है, उसका प्रथम उद्देश्य यह है कि वह जिन लोगों के द्वारा चुनकर आई है, जिन पर शासन कर रहे हैं, उनका अधिकार सबसे पहले सुरक्षित रखें, उनका हित सबसे पहले देखें।

माननीय सभापति महोदय, बिजली एक ऐसी चीज है जो प्रगति में सहायक है, प्रदेश की प्रगति में। इसलिए आप उसको कमाई का साधन नहीं बनाकर, ठीक है, लोसेज तो नहीं होने चाहिए, पर बराबर पर लाने की चेष्टा करें। आप उसको एक फायदा का सौदा बनाने की कोशिश नहीं करें। इस बिल में आपने सब कुछ दे दिया अधिकारियों को और दूसरी तरफ अधिकारियों पर भी यह डाल दिया कि लोसेज को अगर कम नहीं करेंगे तो वे जिम्मेदार होंगे। जिम्मेदारी तो आपने दे दी पर उसके लिए पैनल्टी आपने कोई निर्धारित नहीं की। भय बिना प्रीत नहीं होती है। ठीक है, आप उनको कर देंगे, आप उनको नोटिस दे देंगे, आप उनको चार्जशीट दे देंगे, पर उसमें कुछ पैनल्टी का भी प्रोविजन रखें।

इसी तरह से जो उत्तरदायित्व इसमें होना चाहिए, उसकी भी आप व्यवस्था करें। आप सब कुछ अधिकारियों पर ही नहीं दें, बहुत सारे आपके बोर्ड और निगम हैं जिनमें मंत्री चेयरमैन हैं। पी.डब्ल्यू.डी. में आर.एस.आर.डी.सी. है, उसके मंत्री चेयरमैन हैं। दूसरा, पी.एच.ई.डी. में भी पालिसी प्लानिंग कमेटी है, उसके चेयरमैन मंत्रीजी हैं तो क्यों नहीं इस एक्ट में भी यह कुछ ऐसा प्रोविजन डाला जाए, मंत्रीजी भी इसमें कहीं न कहीं से रखें, चेयरमैन बनें? ठीक है, आपने इसमें यह व्यवस्था कर दी कि विधान मंडल में इसकी रिपोर्ट

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

आएगी। विधान मंडल में तो हमारे पास विश्वविद्यालयों की भी रिपोर्ट आती है, दूसरी भी रिपोर्टस आती हैं, क्या हम कभी पर्टिकुलर एक विश्वविद्यालय को लेकर यहां पर बहस करते हैं?

फिर आपने जिस तरह से इन पांच कम्पनियों को आडिट से मुक्त किया, बिजली बोर्ड की आडिट होती थी, आप इसमें भी यह प्रोविजन डालें कि इसकी सी.ए.जी. द्वारा आडिट हो। आप यह कह सकते हैं कि कॉरपोरेट, उसके अनुसार ही यह है, पर यह सारा फंडिंग तो, गवर्नमेंट के ही होंगे इसमें शेयर तो। गवर्नमेंट-ओन्ड कम्पनी है यह। तो इसमें आप यह प्रोविजन जरूर डालें कि इसकी सी.ए.जी. द्वारा आडिट हो।

इस एक्ट को अगर आप तीन महीने के लिए जन मत जानने के लिए भेज देंगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। इसलिए मैं यह प्रस्ताव करता हूं, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व विधेयक, 2016 को जन मत जानने के लिए परिचालित किया जाए।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री शुभकरण चौधरी।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं हमारी सरकार के विद्युत मंत्री महोदय को इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूं कि कई वर्षों बाद अब की बार पहली बार राजस्थान का किसान बिजली की सप्लाई के लिये बहुत खुश है। सप्लाई बिना बाधा के निरन्तर बहुत अच्छी है और जितना सरकार ने वादा किया था, उतने समय में मिली है। फसल की बुवाई के समय किसान से जितना वादा सरकार ने किया था, उतने समय बिजली बिलकुल निर्बाध तरीके से मिली है। रबी की फसल बहुत अच्छी हुई। इस बात के लिये तो मैं विद्युत मंत्री महोदय का बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं; पर, सभापति महोदय, विषय ऐसा है और विशेषकर किसान से बंधा हुआ है, किसान से जुड़ा हुआ है और हमेशा ऐसी समस्याएं सामने आती हैं कि मैं चाहकर भी पूरे समय मंत्री महोदय की प्रशंसा कर नहीं सकता। विषय वाकई ऐसा है जो मुझे बोलने पर मजबूर करता है और कमी-खामियां भी ऐसी हैं, जिनकी वजह से मुझे इन बातों के लिये मंत्री महोदय को और सरकार को भी सावचेत करना चाहिये, उनके बारे में विचार-विमर्श भी करना चाहिये, मंथन भी करना चाहिये। मंत्री महोदय, आज आपकी

(श्री शुभकरण चौधरी)

जिम्मेदारी मात्र इसलिए है कि सरकार आपकी है, सरकार हमारी है, पर जिन लोगों ने इससे पहले इस विभाग के साथ अन्याय कर दिया, जिन सरकारों ने एक ऐसा काला कानून बना दिया, जिसका नाम सिविल लायबिलिटी है, मैं उसको इस सदन के सामने प्रस्तुत किये बिना कैसे रह सकता हूं? मैं राजस्थान के किसान की आवाज को उठाये बिना कैसे रह सकता हूं?

सभापति महोदय, अंग्रेजों के जमाने में एक काले पानी की सज़ा हुआ करती थी; जो व्यक्ति अंग्रेजों की बात नहीं मानता था, अंग्रेजों के शासन के खिलाफ बोलता था, जो प्रजातंत्र की बात करता था, जो देश की आजादी की बात करता था, उसे काले पानी की सज़ा दी जाती थी। विडम्बना देखिये, सन् 2012 में इस राजस्थान के किसान के साथ कैसा अन्याय हुआ। आज बातें तो कर रहे हैं, बिजली में सुधार होना चाहिये, यह होना चाहिये, वह होना चाहिये, पर ये उस दिन सत्ता में बैठे थे और सत्ता के नशे में चूर 2012 में इन्होंने ऐसा काला कानून प्रस्तुत किया, उस कानून में राजस्थान के किसान का बंटाढ़ार कर दिया। सभापति महोदय, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये बिजली की यूनिट का पैसा, कौनसा कानून है, कौनसी मैथेमेटिक्स है, मुझे समझ में नहीं आती। मैं मंत्री महोदय से मात्र इसलिए कहना चाहता हूं, यह गणना करने वाले अधिकारी हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि इस पैन की कीमत 20 रुपये है तो 20 रुपये ही तो लोगे। सभापति महोदय, अगर मैंने पैन दुकान से उठाकर अपनी जेब में रख लिया तो भी क्या फांसी करोगे? 40 रुपये ले लो। कैसा कानून बनाया! एक यूनिट आपने अगर चोरी कर ली, जिस बिजली को प्राप्त करने का अधिकार मुझे था, सरकार ने तय किया था, मुझे उपभोक्ता बनाया, मैं बिल देता हूं। पता नहीं, कैसे गलती हो गयी; कभी मीटर जल गया, कभी कोई तार कट गया; एक मीटर की चोरी कर ली। सभापति महोदय, एक दिन, मात्र एक सेकण्ड के लिये, उस बिल का दुगना पैसा लिया जाएगा; 12 महीनों की गिनती की जाएगी और उसको दो से गुणा किया जाएगा। इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती।

आप यह कहना चाहें कि बिजली की चोरी कोई भी करेगा, उसके साथ इस सिविल लायबिलिटी का कानून लगेगा। पर, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जब से देश आजाद हुआ, कभी बिजली कम मिली, कभी ज्यादा मिली, कभी 3 लाख यूनिट मिली होगी, आज लाखों-हजारों-करोड़ों यूनिट पैदा हो रही है और सप्लाई भी हो रही है।

(श्री शुभकरण चौधरी)

मानानीय सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कानून लगने से पहले जब राजस्थान में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था, उस वक्त यह कानून नहीं था, उसके बाद भी राजस्थान का विद्युत बोर्ड फायदे में था, घाटे में नहीं था; लाखों-करोड़ों रुपये के घाटे में नहीं था। ये कहते हैं कि किसान की वजह से घाटा हो रहा है। तो यह जानना चाहता हूं कि पंजाब और कर्नाटक जैसे स्टेट, जहां बिजली किसान को बिलकुल फ्री दी जाती है, वे स्टेट घाटे में क्यों नहीं हैं? इसका कारण क्या है, यह जानना चाहता हूं। इसलिए भले ही आप कानून बनाएं, आप विधेयक लाएं, पर इन विधेयकों में, मंत्री महोदय, कुछ ऐसा लिखकर लाएं, कुछ ऐसी योजनाएं बनाएं कि हम भी उस तर्ज पर अगर राजस्थान के किसान को बिजली दें, तो भी हमारी ये कम्पनियां फायदे में रहें। इस काले कानून को समाप्त करें, मंत्री महोदय।

एक माननीय सदस्य: पर उपदेश कुशल बहुतेरे।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): आपने ठेका ले लिया क्या, मैं जब भी बोलूं तो बीच में बोलना? श्रवण जी बोल रहे थे, उस टाइम नहीं बोल रहे थे आप। सारे दिन ही बोलोगे। सारी तो चोरी कराई; पूरे टाइम में सबसे ज्यादा जिम्मेदार ये हैं।

सभापति महोदय, मैं दुबारा मेरी चर्चा से छोड़कर अलग बात पर आना चाहता हूं। मात्र बिजली तंत्र जिम्मेदार नहीं है; अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स लोग जिम्मेदार नहीं हैं; जिम्मेदार ये जन-प्रतिनिधि भी हैं और मैं आपको जीता-जागता उदाहरण देना चाहता हूं। पिछली सरकार में सूरजगढ़ और खेतड़ी, झुन्झुनूं जिले के दो ऐसे विधान सभा क्षेत्र हैं, जिनमें आज भी आपको बिना नियम के, बिना कनेक्शन के ट्रांसफार्मर लगे हुए दिखा सकता हूं, जिनका कोई रिकार्ड इनके पास नहीं है। इसके लिये कौन जिम्मेदार है? एक भी वी.सी.आर. पांच साल में उस सरकार के ऊर्जा मंत्री के क्षेत्र में नहीं भरी गयी। लाखों-करोड़ों रुपये की चोरियां हुईं। ये जिम्मेदार हैं। मैं इन ब्यूरोक्रेट्स से, बिजली के अधिकारियों से, इन तकनीकी कर्मचारियों से यह जानना चाहता हूं कि आप उस दिन क्या सो रहे थे?

मंत्री महोदय, आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप यह कानून बनाकर, यह नियम बनाकर, यह अधिनियम बनाकर क्या इस बात को सुनिश्चित कर लेंगे कि यह जन-प्रतिनिधियों के दबाव में, वैसे तो सब लोगों ने कहा है और प्रजातंत्र की अवहेलना हो रही है, मैं चाहता हूं कि नियम-विनियम

(श्री शुभकरण चौधरी)

में यह अध्यादेश तो आप बना रहे हैं, जिस कम्पनी का गठन आप कर रहे हैं, इसमें सर्वोपरि आपको होना चाहिये था। प्रजातंत्र का यह मखौल नहीं उड़ सकता। ब्यूरोक्रेट्स ही अगर न्याय देते हैं और न्याय की बात करते हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उस खेतड़ी में पिछले पांच साल में कितनी वी.सी.आर. भरी गयीं और कौन जिम्मेदार था? अगर जन प्रतिनिधि जिम्मेदार थे और उनके कहने से ही सब कुछ होता है तो फिर जिनको आज आप यह अधिकार दे रहे हैं, यह कम्पनियों का गठन कर रहे हैं, जिनमें आपने राज्य के ऊर्जा विभाग के प्रभारी शासन सचिव को अध्यक्ष बनाया है और उन्हीं के सारे प्रबन्ध निदेशक बनाये हैं, सदस्य बनाये हैं, क्या उस दिन उस सरकार में ये लोग उन पदों पर नहीं थे? इन पदों पर थे, वे चोरियां क्यों हुईं? और अगर चोरियां नहीं हुईं तो सदन आपके सामने है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, विधान सभा का सत्र समाप्त होने से पहले-पहले वहां उन दोनों जगहों की वी.सी.आर. लाकर दिखा दें कि आज वहां क्या हो रहा है और उस दिन वहां क्या था।

अकेला न किसान जिम्मेदार है, अकेले न अधिकारी जिम्मेदार हैं, न अकेले जन-प्रतिनिधि जिम्मेदार हैं, पर यह सामूहिक जिम्मेदारी अगर लेनी है तो हमें ऐसी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, जो कानून-नियम प्रजातंत्र के खिलाफ बनाये गये हैं, जैसे सिविल लायबिलिटी; एक व्यक्ति एक गुनाह करता है तो, माननीय सभापति महोदय, उसी की सज़ा उसको मिलनी चाहिये। 12 गुना सज़ा, और दुगनी सजा पाने का किसान अधिकारी नहीं है। इस काले कानून को खतम किया जाए।

हम मंशा रखते हैं किसानों को बिजली देने की, हम छीजत को रोकने की मंशा भी रखते हैं, चोरी को रोकने की मंशा भी रखते हैं। तो जब ऐसी मंशा हमारी है, ट्रांसफार्मर 5 केवीए का हमारा लगा हुआ है और उपभोक्ता वहां 10 हैं, तो क्यों नहीं इस कानून को खतम किया जाता है? अगर 10 उपभोक्ता हैं, मात्र केबल से कनेक्शन दिया जा सकता है। एक ट्रांसफार्मर, जिसकी कीमत 70-72 हजार रुपया है, उससे 10 केवीए का आप लगायेंगे, सवा लाख रुपया है। 50 हजार रुपये वह सैल्फ फाइनेंस स्कीम में किसान देने को तैयार है; जिसको अपने बेटे को पढ़ाना है, उजाला करना है, खेत में रोशनी करनी है, मंत्री महोदय, वह व्यक्ति उस पैसे को देने के लिये तैयार है। क्यों नहीं हम लोग उसके ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ा देते हैं?

(श्री शुभकरण चौधरी)

सभापति महोदय, अभी चर्चा कर रहे थे, हमारी सरकार ने ग्रुप कनेक्शन की स्कीम बनाई; हां, इनकी सरकार ने ग्रुप कनेक्शन की स्कीम बनाई; कनेक्शन नहीं दिये। कनेक्शनों का भार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाया है, कनेक्शन तो हमने किये हैं। जब इनके सारे दिये गये कानून की अपन ने पालना कर ली, इनकी बनायी योजना की हमने पालना कर ली; ग्रुप फर्स्ट की और ग्रुप सेकण्ड की, और बहुत झेल लो। क्या फर्क पड़ता है? यह जन कल्याणकारी सरकार है। राजस्थान की जनता ने हमको जनता की भावनाओं के साथ न्याय करने के लिये भेजा है। एक अन्याय इन्होंने किया, कुछ भी किया, वह जाते-जाते भार हम पर डाला; एक ग्रुप की स्कीम को जब हमने क्रियान्वित कर दिया, किसान को लाभान्वित कर दिया तो, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, इनकी ग्रुप स्कीम सेकण्ड और थी, उसको और अमल में लाया जाए। कोई बहुत लम्बा-चौड़ा काम हमें नहीं करना है। मैं तो मेरे क्षेत्र की कह सकता हूं, मात्र ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ाने से हम उन ग्रुप में से आधे से अधिक लोगों को लाभान्वित कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर हमको खड़ा नहीं करना।

सभापति महोदय, एक बात वाकई बहुत गम्भीर है। चर्चा में कई माननीय सदस्यों से बात आयी थी और आती भी क्यों नहीं, क्योंकि यहां 90-95 प्रतिशत, शत-प्रतिशत लोग किसानों के बेटे हैं, वे जानते हैं। हम लोग दस एच.पी. की मोटर आई.एस.आई. मार्का कम्पनियों के माध्यम से खरीदते हैं, किसान उस मोटर को खरीद कर कुएं में डालता है। एक तार चेंज किया नहीं, उसका हैड ब्लॉक चेंज किया नहीं, उसके कनेक्शन में किसी प्रकार की कोई कमी हमने की नहीं। उसके बाद मैं यह जानना चाहता हूं कि यह तकनीकी अधिकारियों के पास ऐसी कौनसी मशीन है जो उस मोटर को साढ़े 12, 13, 14 हॉर्स पावर की कर देती है? आयी है चर्चा कि भू-जल का स्तर गिर गया, पानी को बहुत गहराई से खींचना पड़ता है। मैं यह कहना चाहता हूं जब मोटर की खींचने की अगर कैपेसिटी है, वह अगर पानी पम्प करती है, तो फिर वह दस एच.पी. की होनी चाहिए। इसमें मंत्री महोदय को बिलकुल गम्भीरतापूर्वक विचार करके इस कानून को भी बदलना चाहिए।

यह जो सिविल लाइबिलिटी थी, उसकी गणना ज्यादा से ज्यादा, सभापति महोदय, मैं तो यह कह रहा हूं कि किसान ने जिस दिन चोरी की उस

(श्री शुभकरण चौधरी)

दिन की गणना होनी चाहिए। फिर भी अगर कोई यह चाहता है, यह तकनीकी अधिकारी कह रहे हैं कि साहब, हमने तो सोच लिया, दो दिन कर ली, चार दिन कर ली, तो राजस्थान में चार ही महीने की फसल होती है। सभापति महोदय, राजस्थान की एक भी ऐसी फसल नहीं जिसको किसान बारह महीने पानी देता हो। वह फसल चार महीने पानी पिलाता है। तब तक की गणना कर लें। श्रीमान्, यह एक दिन की चोरी को बारह महीने से गणना करना, इन्होंने अन्याय करा; मैं मानता हूं, मंत्री महोदय, और अन्याय करा, इसीलिए बीस बैठे हैं। राजस्थान का किसान हमें भी कहीं कुपित नजरों से न देखने लगे, उसकी बुरी नजर हम पर न पड़ जाए, इसलिए समय रहते हमें इस काले कानून को बदलना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, वी.सी.आर. भर ली, कोई बात नहीं; चोर को चोर कह दिया, कोई बात नहीं, वह चाहे पूंजीपति हो, चाहे अरबपति हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे किसान हो। पर, मंत्री महोदय, एक बात बड़ी दिल को सालती है। फोटो नहीं, तार कटा हुआ नहीं। जे.ईएन. से मेरा झगड़ा हो गया, किसी किसान ने रास्ते चलते कोई बात कह दी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के तीन दिन पहले कनिष्ठ अभियंता ने मात्र, और मात्र, किसी के वैमनस्य की भावना से और उस आदमी से गर्मा-गर्मी की बात होनें से, डेढ़ लाख रुपये की किसान के खेत की वी.सी.आर. भरी गयी। और, माननीय सभापति महोदय, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। जे.ईएन. जिससे खुश नहीं है, ए.ईएन. जिससे खुश नहीं है, यह कानून तो बन ही गया। वैसे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बिजली विभाग लोक कल्याण की चीज है; जनता का अधिकार है; उसको देना हमारी ड्यूटी भी है। उसके उपरान्त भी हम लोग, जैसे डी.टी.ओ. ऑफिस में टारगेट करते हैं कि अब की बार परिवहन विभाग में इतना रेवेन्यू आना ही चाहिए, अब की बार आबकारी में इतना रेवेन्यू आना ही चाहिए; माननीय सभापति महोदय, बिजली विभाग के माध्यम से अगर यह चीज तय कर देंगे कि इतनी वी.सी.आर. भरनी चाहिए, यह उचित नहीं है।

वर्षों से चला आ रहा है, हमने कोई नया कानून बनाया नहीं, पर हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो लोग चोर हैं, जिन्होंने चोरी की है, मात्र उनको दंड मिलना चाहिए। अब तो तय कर दिया है, इस व्यक्ति से मेरी अनबन है, वी.सी.आर. भर दी तो भर दी। मंत्री महोदय, एक कंट्रोल होना ही चाहिए। या तो उस किसान की चोरी करते हुए की फोटो होनी चाहिए, या दो लोगों की

(श्री शुभकरण चौधरी)

गवाही होनी चाहिए। अब तक की गवाहियों पर तो विश्वास इसलिए नहीं कर सकता कि जिन लोगों के नाम ये भर कर लाते हैं, वे वहां मिलते ही नहीं। या फिर ए.ईएन., जे.ईएन. की गाड़ी में जो लोग जाते हैं, उनके दस्तखत कराते हैं।

माफ करना, मैं यह बात इसलिए नहीं कह रहा हूं, ये कहीं खुश हो रहे हों। यह कानून जिस दिन से यह सिविल लाइबिलिटी बनी, तब से चलता आ रहा है। मैं तो, मंत्री महोदय, आपसे यह कहना चाहता हूं कि उनको अपन बदलें, इनमें सुधार करें। इन्होंने तो इन कानूनों के माध्यम से किसान की तबाही मचायी, त्राहि माम् त्राहि माम् कराया, इसलिए बीस में ही सिमट गये। हम पर राजस्थान की जनता ने बहुत भरोसा किया है, हम 160 की गिनती में बैठे हैं, हमारा जिम्मा है। इसलिए अगर वी.सी.आर. भी भरते हैं तो पूरा एविडेंस होना चाहिए। मात्र केबल कट गयी, या कोई और कारण हो गया, यह वी.सी.आर. का माध्यम नहीं हो सकता। इसके लिए हमें बहुत ही विधिवत तरीके से, किसी किसान की वी.सी.आर. भरी जाती है तो उस पर पूरा एविडेंस होना चाहिए, पूरे सबूत मिलने चाहिए और मिलने के बाद भी, सबूतों के अभाव में अगर कोई वी.सी.आर. भरी गयी है तो, मंत्री महोदय, सुनवाई होनी चाहिए।

आजकल ये चर्चाएं होने लगीं, हमें यह अधिकार नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम दस हजार से नीचे की वी.सी.आर. की सुनवाई नहीं कर सकते। मंत्री महोदय, किसान से दस हजार से ऊपर की वी.सी.आर. भर के सुनवाई हम करेंगे तो उससे लेंगे क्या? दस बीघा की खेती करता है, 50 क्विंटल अनाज पैदा होता है। उसमें बच्चों को पालना है, पढ़ाना भी है, फीस भी भरनी है, कपड़े भी पहनने हैं, बेटी की शादी भी करनी है। उसकी अगर लाख-लाख की वी.सी.आर. भर के हम उसकी सुनवाई करेंगे, यह न्यायपूर्ण बात नहीं है। किसान की एग्रीकल्चर की वी.सी.आर. चाहे दो हजार की हो, चाहे चार हजार की हो, चाहे पांच हजार की हो, जो भी कोई कॉम्पीटेंट अथोरिटी है उसके माध्यम से सुनवाई होनी चाहिए और जैसे न्याय है, अगर उसने चोरी की है तो आप उसको पीनेलाइज करो, और अगर वह चोरी नहीं करता है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। सभापति महोदय, यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मीटर की एक बार किसान ने सूचना दे दी कि मेरा मीटर जल गया और मीटर जलने के बाद एक महीने, दो महीने रसीद भी काट ली, मीटर का 300 रुपया भी जमा करा दिया। माननीय सभापति महोदय, कैसी विडम्बना है, अगर मीटर की सूचना देने के बाद

(श्री शुभकरण चौधरी)

विभाग के पास मीटर नहीं है, मीटर कम्पनी के पास नहीं है; किसान की ड्यूटी थी, उसने आपको कह दिया। तो आप क्या कहना चाहते हैं? मीटर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो क्या किसान अपनी फसल को जला दे? क्या होना चाहिए, आप बताइये। किसान का अगर मीटर जल गया और कम्पनी के पास मीटर नहीं है तो क्या वह किसान अपनी फसल को जलायेगा? क्या वह अंधेरे में रहेगा? सभापति महोदय, उसने अगर सीधी लाइन कर ली तो वह चोर हो गया! किस बिनाह पर हम उसको चोर कह सकते हैं? कैसे उसकी वी.सी.आर. भरी जा सकती है? मंत्री महोदय, मैं सिर्फ, और सिर्फ, ऐसी ही बातें करता हूं। जो इन लोगों ने पुरानी परिपाटी चलायी है, इनको हमें खतम करना ही चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मात्र वे बातें कर रहा हूं जिनको हमें रोजाना जनता से रूबरू होना पड़ता है। एक बार रसीद कटने के बाद और मीटर की सूचना कम्पनी में पहुंचने के बाद, निगम में पहुंचने के बाद, उस व्यक्ति की वी.सी.आर. नहीं भरी जानी चाहिए। उसके महीने का बिल हम एवरेज से लेते आये हैं, वह ले सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, बूंद-बूंद सिंचाई योजना में हम लोगों ने किसानों से वादा किया था कि हम दो साल में आपके कनेक्शन को सामान्य कर देंगे। मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसान की उस आशा को पूरा करें और उनसे जो वादा किया था दो साल में बूंद-बूंद सिंचाई योजना को सामान्य करने का, उस पर भी आप गौर फरमाएं और आज आप यह घोषणा भी करें। किसान आपको बहुत धन्यवाद देगा।

ग्रुप स्कीम की चर्चा मैंने कर दी; डी.पी. के पावर बढ़ाने की चर्चा भी मैंने कर दी।

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। हम लोग कह रहे हैं कि साहब, घाटा हो रहा है। जब राजस्थान में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था, बिजली भले ही कम सप्लाई होती थी; उस टाइम तो जनरेशन का पैसा कुछ ज्यादा लगता होगा, आजकल आधुनिक युग में तो जनरेशन का पैसा कम लगता होगा; उसके बाद भी वह बोर्ड घाटे में नहीं था। हम लोग वी.सी.आर. और इनके काला कानून बनने के बाद एक रुपये की चीज का दस गुणा, पचास गुणा पैसा वसूल कर रहे हैं और उसके बाद भी कम्पनियां घाटे में हैं। ऐसा कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं, मंत्री महोदय, कोई और जोंक लगी हो इस तंत्र पर? इन कम्पनियों में कोई और ही प्रकार का घोटाला चल रहा है? मैं नहीं समझता, आप जैसे ईमानदार

(श्री शुभकरण चौधरी)

व्यक्ति के मंत्री होने के बाद..., बारह-बारह रुपये में यूनिट में बिजली खरीदने वाले लोग 70 हजार करोड़ घाटे में लेकर चले गये। आपसे मेरी कई बार बात होती है, जैसे अभी झुन्झुनूं से आने वाले सदस्य कह रहे थे कि साहब, अब जब चाहें, डिमांड के साथ मांगेंगे तो महंगी मिलेगी, पर आप तो एडवांस में व्यवस्था करते हैं। आप तो रोजाना इन बातों की चर्चा करते रहते हैं, अगले महीने में कितनी बिजली चाहिए। पहले से व्यवस्था कर लो। इतना सब कुछ होने के बाद, जब इतनी व्यवस्था से हम देख रहे हैं, खरीदने में भी ध्यान रख रहे हैं, तो इतना लाख करोड़ रुपये का घाटा हो कैसे गया? हमारा घाटा बढ़ कैसे रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप यह जो अध्यादेश ला रहे हैं उसके बाद भी यह घाटा हमारे कंट्रोल में नहीं आये।

चीजें और देखो, गड़बड़ कहीं और है और वह गड़बड़ मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं। इन्होंने जब फीडर रिनोवेशन का, एफ.आर.पी. का काम किया, माननीय सभापति महोदय, पिछली बार बजट पर इसी विषय पर मैं बोला था कि हजारों-हजारों, लाखों-लाखों रुपये का पुराना सामान, लाइनों से उतारा हुआ, एफ.आर.पी. के माध्यम से जिन ठेकेदारों को आपने ठेका दिया, उनके गोदामों में पड़ा है। आप इसकी ऑडिट करवाइये। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि मैं उन गोदामों को रोजाना देखता हूं, आज तक तो न वहां एक कंडक्टर कम हुआ है, न वहां से एक केबल कम हुई है, कुछ सामान बढ़ जरूर गया है। बहुत जरूरी है इनकी ऑडिट करना।

सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि हम लोग अच्छा काम करने के लिए बड़ी-बड़ी कम्पनियों को तो बुलाते हैं; सभापति महोदय, हम कहते तो हैं कि यह आदमी क्वालिफाई नहीं हो सकता, इनको टैक्निकली क्वालिफाई होना चाहिए; मंत्री महोदय, मैं आपको बड़ा स्पष्ट रूप से सभापति महोदय के माध्यम से बताना चाहता हूं, इस राजस्थान में आपने ठेका चाहे कितनी ही बड़ी कम्पनियों को दिया होगा, काम वे ही कर रहे हैं जो आज तक करते आये

(18.00 बजे)

हैं। जब उन गरीब ठेकेदारों से ही काम करवाना है, जब उन्हीं की जिम्मेदारी पर काम लेना है, क्वालिटी उनसे ही मेनटेन करनी है तो फिर बड़े-बड़े धन्ना सेठों को बुलाने की जरूरत कहां है? उन्हीं को दीजिये न ताकि कम से कम कंट्रोल तो रहेगा। हम उनसे पूछते हैं कि आपका तार खराब है; कंपनी का मामला है जी, गोयनका जी से बात करो, आर.पी. गोयल से बात करो, हम तो

(श्री शुभकरण चौधरी)

यहां सिर्फ इनका काम करने आये हैं। तार वे लाते हैं, कंडक्टर वे लाते हैं, पोल वे लाते हैं, जितना सामान मिलता है वे अपने गोदाम में रखते हैं। बड़ी कंपनी के मालिक को किसी बात का पता नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन वजहों से ही हम घाटे में जा रहे हैं?

सभापति महोदय, एक बात वाकई में सब लोगों ने उठाई थी, उसकी चर्चा मैं भी करना चाहता हूं। पिछली बार जब मेट्रो की चर्चा चली, तो इस सदन में हमने चर्चा की कि मेट्रो घाटे का सौदा है। मेट्रो घाटे का सौदा है, वह तो कोई बात नहीं, पर मेट्रो की स्थापना करने के लिए राजस्थान राज्य की राजधानी में जितनी भी परिसम्पत्तियां सरकार की थीं, उनमें से 99 प्रतिशत बेच दी गयीं, मात्र मेट्रो चलाने के लिए और मेट्रो बनाने के लिए। आप इन नियमों को बनाकर के, इस अध्यादेश को लागू करके, कहीं ऐसी मंशा तो नहीं रखते? मंत्री महोदय, आप पर हमको बहुत बड़ा भरोसा है, पर इन कंपनियों का मालिकाना हक, इनका स्वतंत्र प्रभार, इनकी जिम्मेदारियां, इनको चलाने वाले संचालक मंडल में आपका नाम कहीं हमें नजर नहीं आता। इसलिए संदेह है इस बात का।

कोई यह कहे कि ब्यूरोक्रेट बहुत ईमानदारी के साथ काम करते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि जो बोर्ड राजस्थान का कभी घाटे में नहीं था, वह लगातार यह कंपनियां और कंपनियों के बाद पुन: कंपनियां बनाकर घाटे की तरफ जा रहे हैं। कोई न कोई जिम्मेदारी तो है उनकी।

(18.02 बजे)

(श्री श्रीचन्द कृपलानी, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, कौन जिम्मेदार है जो राजस्थान के किसान को चोर कहकर, राजस्थान के किसान को लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से दी जाने वाली बिजली को लूटकर खाये जा रहा है और कंपनियों को घाटे में बताते जा रहा है? यह हो नहीं सकता। मंत्री महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस बात पर भी कहीं न कहीं ध्यान जरूर दें।

हम लोग अगर फायदे के लिए इन कंपनियों का गठन कर रहे हैं तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी संवेदनशील मुख्य मंत्रीजी ने बजट में पुरजोर तरीके से पूरे सदन में रखा है कि राजस्थान की राजस्व प्राप्तियां 300 करोड़ की हैं और लोगों को दिया जाने वाला अनुदान 325

(श्री शुभकरण चौधरी)

करोड़ रुपये का है। वह सरकार जो 300 करोड़ की रिसीट्स लेकर के खर्चा 325 करोड़ करती है, वह राजस्थान के किसान के साथ अन्याय कैसे कर सकती है? वह राजस्थान की सरकार महंगी बिजली कैसे दे सकती है? वह राजस्थान के किसान को दी जाने वाली बिजली का पैसा तो, खैर, बढ़ाने का मतलब ही नहीं पर उसके बेटे को अंधकार में नहीं रख सकती, उसको पढ़ने से वंचित नहीं रख सकती। उस किसान को, उसके बेटे को पढ़ने के लिए और उसको 24 घंटे बिजली देने के लिए चाहे हमें कितना ही खर्चा वहन करना पड़े, पर अगर यह कंपनी इस बात के लिए बनाई जा रही है कि इन कंपनियों को फायदा में पहुंचाया जाये, तो सही नहीं है। मंत्री महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि सही कहा है लोगों ने कि बहुत सारे काम फायदे के लिए नहीं होते। लोकतंत्र में बहुत से काम इस बात के लिए भी होते हैं कि जनता को सहूलियत कैसे दी जाये।

चर्चा अभी हिमाचल की आ रही थी, जिसकी माननीय सदस्य झुंझुनूं से आने वाले चर्चा कर रहे थे। सभापति महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हिमाचल और राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां एक जैसी नहीं हैं। हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि वहां वे सारी चीजें उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से पावर जनरेट किया जा सकता है। राजस्थान में वे स्थितियां नहीं हैं। हमें पावर जनरेट करने के लिए जितने इक्विपमेंट्स चाहिए, जितने साधन चाहिए, जितनी और व्यवस्थाएं चाहिए, चाहे वह पानी हो, चाहे कोयला हो, चाहे और हो, हमें कहीं और से व्यवस्था करनी पड़ती है। इसलिए उनके बराबर तो हम नहीं जा सकते, लेकिन यह जीता-जागता उदाहरण है हमारे सामने कर्नाटक और पंजाब, जहां के किसान को फ्री बिजली है, उसके बाद भी वहां नुकसान नहीं है।

सभापति महोदय, इतना सब कुछ करने के बाद भी जहां नुकसान हो रहा है और वहां लोकतंत्र के लिए जिम्मेदार लोग जो हमारे जन-प्रतिनिधि चुनकर आये हैं, उनके बिना यह कंपनियों का गठन करना और उन कंपनियों को पूरे अधिकार देना, मैं मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि वैसे तो आपने बहुत सोच-समझकर इस काम को किया होगा, पर थोड़ा-सा विचार जरूर इस बात का करना कि आपका अंकुश जब तक इस पर नहीं रहेगा, वह सही नहीं रहेगा।

(श्री शुभकरण चौधरी)

लोकतंत्र में हम लोग जनता के प्रति जवाबदेह हैं और जिम्मेदार हैं। इसलिए इन कंपनियों के गठन के बाद इनके संचालन में क्या औचित्य था, वह तो मैं नहीं समझ सकता, पर इतना जरूर जानता हूं कि यह चीज हम मुनाफे मात्र के लिए अगर कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा-सा इस बात का विचार भी हमें रखना चाहिए कि हम लोग जितना कंपनियों के फायदे के लिए या सरकार को रेवेन्यू-सरप्लस करने के लिए जिम्मेदार हैं; उतने ही हम लोग किसान के लिए, राजस्थान की जनता के लिए भी जिम्मेदार हैं; उनके लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए भी जिम्मेदार हैं। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से राजस्थान की जनता हमारे ऊपर शक करे।

सभापति महोदय, एक निवेदन और करना चाहता हूं; मेरी मंत्री महोदय से पहले चर्चा भी हुई और पुनः आज एक बात कहना चाहता हूं कि किसान ने चोरी करके कर लिया, बेईमानी करके कर लिया, किसी अधिकारी से सांठ-गांठ करके कर लिया, लेकिन अगर अपना एक कुआं खोद ही लिया, तो हमें क्या तकलीफ है उसको कनेक्शन देने में? हमारे अधिकारी क्यों इस बात को पूछते हैं कि आप फलाना प्रमाण-पत्र लाओ? बड़े स्पष्ट डायरेक्शन हमारे कृषि विद्युत कनेक्शनों में लिखा हुआ है कि आप आइये, अपनी प्रोपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स दीजिये, अपना मालिकाना हक जताइये और कनेक्शन ले लीजिये। उसके बावजूद भी बिजली की कंपनियां आज यह पूछती हैं कि आपका कुआं 2008 से पहले का था कि नहीं? आपका डार्क जोन से पहले का था कि नहीं? आप पटवारी के पास जाइये, आप फलाने के पास जाइये। सभापति महोदय, भ्रष्टाचार के सिवाय इसमें कुछ नहीं है। पटवारी के पास जायेंगे, एक लाल निशान उस कागज पर लगायेंगे और वह एन ओ सी मिल जायेगी। मैं मंत्री महोदय को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस कानून को बंद किया जाये।

सभापति महोदय, मंदिर माफी की जमीनों को हम जोत सकते हैं, किसान उस पर रह सकता है, गाय बाँध सकता है, बैल बाँध सकता है, ऊंट बाँध सकता है, खेती कर सकता है, बच्चों को पाल सकता है। फिर उस मंदिर माफी की जमीन पर कनेक्शन क्यों नहीं ले सकता? मैं मेरी संवेदनशील सरकार के संवेदनशील मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, मैं तो चाहता हूं कि आप आज ही इस बात की घोषणा करें या सरकार में बैठकर आप लोग इस बात को जरूर तय करें। बहुत से लोग वर्षों से वहां खेती कर रहे हैं। पहले

(श्री शुभकरण चौधरी)

ऐसा हुआ है। यह अभी हाल ही में इन लोगों ने जाते-जाते इस काम को बंद किया है। इनके बनाये गये काले कानून जो हमारी जनता को परेशान कर रहे हैं, मंत्री महोदय, इसमें भी आप सुधार करेंगे तो ठीक रहेगा। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि जो लोग अलग-अलग प्रकार के कानून बनाते आये हैं, कई लोग अपनी-अपनी इंडस्ट्रियां लगाकर वहां बैठे हैं और फिर भी वे चलाते हैं, तो किसान उस खेत में कनेक्शन क्यों नहीं कर सकता है?

काका हाथरसी ने दो लाइनें लिखी हैं। मंत्री महोदय, आप सुन रहे हैं तो आपको बताना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हां, हो गया।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): फिर मेरा क्षेत्र तो रह गया न। तीन-चार चीज मांगूंगा। अब तक बोल दिया, अब झोली है।

काका हाथरसी ने दो लाइनें लिखी हैं,

'कोई उजियारे को तरसता है,
कोई सूरज बांधे सोता है।
दुनिया में ऐसा भी होता है।'

सभापति महोदय, इसलिए वह गरीब किसान जो उजाले, प्रकाश के लिए तरस रहा है, चाहता है कि एक दीपक उसके घर में भी जल जाये, एक बल्ब उसके यहां भी जले, उस पर मेहरबानी करें कि आप खुदे हुए कुओं पर कनेक्शन दे दें। मंदिर माफी की जमीनों पर कनेक्शन कर दें।

मंत्री महोदय, एक निवेदन मैं पिछले साल भर से करता आ रहा हूं कि मेरे क्षेत्र में एक ए.ईएन. ऑफिस खुला था। कांग्रेस की सरकार के लोग, जो उस वक्त मंत्री भी हुआ करते थे, उन्होंने जान-बूझकर पौंख में एक ए.ईएन. ऑफिस स्थापित किया, जहां पर 2 हजार कनेक्शन नहीं थे, लेना-देना नहीं था। पिछले साल भर से मैं निवेदन करता आया हूं, मैं चाहता हूं कि वह ए.ईएन. ऑफिस स्थापित होकर चंवरा मोरींडा में आ जाये। चंवरा मोरींडा में भी आप नहीं करना चाहते, तो 35 हजार कनेक्शन अकेले गुढा में हैं, उस ए.ईन. ऑफिस को वहां स्थानांतरित कर दिया जाये। एक ऑफिस से तो वहां काम नहीं चल सकता। 35 हजार कनेक्शन बहुत होते हैं। हम लोगों का क्राइटेरिया ही 10, 12, 15 हजार कनेक्शंस का है, लेकिन उस ए.ईएन. ऑफिस में इतने कनेक्शंस हैं। उस ऑफिस को यहां शिफ्ट किया जाये।

(श्री शुभकरण चौधरी)

दूसरा, वे 35 हजार कनेक्शन जिस क्षेत्र में हैं, उसका केन्द्र बिन्दु है छाओसरी। छाओसरी और बालाजी स्टैंड के इर्द-गिर्द में एक बड़ा गांव था, वहां ए.ईएन. ऑफिस बना दिया। उसमें कुछ झुंझुनूं के कंज्यूमर्स को जोड़ दिया। वे 15 हजार अलग कंज्यूमर हैं। ये 35 हजार कंज्यूमर अकेले उस बालाजी स्टैंड के आसपास हैं। मंत्री महोदय, पहले टेक्निकल रिपोर्ट भी बनी थी, फीजिबिलिटी भी हुई थी, लेकिन बाद में, पता नहीं, क्या दिक्कत हो गयी। मेरा आपसे निवेदन है कि आप छावसरी में 132 केवी जी एस एस खोलने की घोषणा करें।

मंत्री महोदय, वैसे तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। इन लोगों ने 6-7 घोषणाएं जी एस एस की मेरे उदयपुरवाटी में की थीं। मैं आपका बहुत ही आभारी हूं और आपकी वजह से ही आज उस उदयपुरवाटी का किसान सप्लाई से बहुत खुश है, आपने 4-5 जी एस एस चालू कर दिये, विधिवत ट्रांसफार्मर्स दे दिये। लेकिन एक शीथल का जी एस एस पिछले 5 साल से लगातार मुंह बायें खड़ा है। चालू तो ये लोग कर गये, हम भी उसमें कुछ ज्यादा कर नहीं पाये। लगातार भाव बढ़ रहे हैं, कीमतें बढ़ रही हैं, किसान दुःखी हैं। वहां की सप्लाई वाकई में अच्छी नहीं है। उस जी एस एस को आप पूरा करने की घोषणा भी थोड़ा जल्दी कर देंगे, महीने, 2 महीने में कर दें तो, मंत्री महोदय, अगली आने वाली फसल जो खरीफ की है, उसमें किसान को फायदा मिल जायेगा।

एक और निवेदन करना चाहता हूं; एक बात आई हुई है, मंत्री महोदय, मैं आपके सामने भी आया था और पुनः यहां उस बात को करना चाहता हूं। रातों में जाकर किसी किसान के घर पर वी सी आर भरना, मैं समझता हूं, किसान की इससे बड़ी कोई तौहीन हो नहीं सकती। किसान की पत्नी सोती है, उसकी बेटी भी सोती है, उसका बेटा भी सोता है, पूरा परिवार आराम से रात को सोता है और धमाधम बिजली विभाग के लोग जाएं, जिनमें कोई शराब पिया हुआ भी हो सकता है, और किसी प्रकार की मंशा वाला आदमी भी हो सकता है और वे जाकर छतों पर चढ़ें और वी सी आर भरें! माननीय मंत्रीजी, आज इस बात की घोषणा होनी चाहिए। अगर कोई चोरी कर रहा है तो उसको दिन में पकड़ें। रात को जाने से कुछ नहीं होने वाला। इस प्रकार की चीजों से मात्र द्वेषता बढ़ सकती है, समाज का सामंजस्य खराब हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार के कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए और रात को वी सी आर भरनी बंद होनी चाहिए।

(श्री शुभकरण चौधरी)

माननीय सभापति महोदय, एक निवेदन और करना चाहता हूं। अगर किसान ने बिजली की चोरी की, मीटर का पैसा जमा नहीं कराया तो कनेक्शन काटे, पर मैं पहले ही आपसे निवेदन कर चुका हूं कि वी सी आर कई बार गलत भी हो सकती है, वी सी आर का कोई एविडेंस नहीं होता, लोग दुर्भावनावश भी वी सी आर भर लेते हैं। वी सी आर का पैसा जमा कराने तक अगर वह किसान बिजली का बिल हमारा पूरा भर रहा है और पिछले महीनों से भरता आ रहा है, तो ऐसे किसानों के कनेक्शन नहीं काटे जाने चाहिए। बिल किसान बारह महीने लगातार देता है; वी सी आर में भी हम उसके पैसे को माइनस करते हैं। तो फिर मात्र एक वी सी आर की वजह से, जो इतनी ज्यादा है, जो इनके काले कानून की वजह से हजारों-लाखों रुपयों में होती है, किसान का माद्दा नहीं उसको जमा कराने का। इसलिए, माननीय मंत्रीजी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय के माध्यम से कि वी सी आर की वजह से कनेक्शन न काटें। उसको भी एक बार विधिवत सुन लें। चाहे रकम कितनी भी हो, सुनने के बाद अगर वह दोषी पाया गया है, फिर पैसा जमा नहीं कराता है, तो फिर आप उसका कनेक्शन काटें।

अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, ठीक है, आप अच्छी मंशा से इस अध्यादेश को लाए होंगे और इसको पारित भी हमको करना है, मैंने जन मत जानने के लिए परिचालित करने के लिए प्रस्ताव किया था उसको वापस भी लेता हूं, पर इतना जरूर कहता हूं, क्योंकि मुझे रात-दिन लगातार वह बिजली बोर्ड याद आता है जिसमें आराम से निर्बाध बिजली मिलती थी 24 घंटे और नुकसान नहीं होता था। मारवाड़ी में कहावत है, राठौड़ साहब, सुन लो। आप समझोगे, और तो, पता नहीं, समझे या नहीं समझे। राठौड साहब, सुन लो। (व्यवधान)

अमरां न तो मरता देख्या, अमरां न तो मरता देख्या
और शूरा देख्या भागंता।
आगां सूं तो पाछा भला,
नाम भला ले ले तू।

आगे से तो पीछे वाला ही भला है; मेरे हिसाब से तो बोर्ड वाला ही काम ठीक है और आगे आपकी जो मर्जी हो सो वह करो।

आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। राम राम सा।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय सभापति महोदय, ऑन ए पाइंट ऑफ ऑर्डर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों की संख्या, अभी दस बोलेंगे।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): पाइंट ऑफ ऑर्डर, सर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, तेरह और हैं। इसलिए मेरी इतनी सी प्रार्थना है कि थोड़ा समय निश्चित कर दें तो बड़ी कृपा हो जाएगी। रात को नौ बजे तक सभी माननीय सदस्य बोल लें।

श्री सभापति: सभी सदस्य सहमत हों तो समय निश्चित कर दें क्या? (व्यवधान) दस मिनट।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): ऑन ए पाइंट ऑफ ऑर्डर।

श्री सभापति: हां, बोलें। (व्यवधान) सबका दस मिनट।

व्यवस्था का प्रश्न

वित्त व धन विधेयकों पर राज्यपाल की सिफारिश के अभाव में विचार नहीं किया जा सकता

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। संविधान के प्रावधान 207 के तहत जिस बिल पर चर्चा हो रही है, माननीय सभापति महोदय, वह बिल 207 की परिभाषा और आर्टिकल 199 की परिभाषा में आता है और मनी बिल की परिभाषा में आता है। 207 यह है, माननीय सभापति महोदय, ''वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध- (1) अनुच्छेद 199 के खंड (1) के उप खंड (क) से उप खंड (च) में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिफारिश से ही पुर:स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं और ऐसा उपलबंध करने वाला विधेयक विधान सभा में पुर:स्थापित नहीं किया जाएगा।''

मेरा निवेदन है, माननीय सभापति महोदय, यह सारा बिल, इस बिल के क्लॉज 6 पर आप गौर फरमाएं, बिल के क्लॉज 6 में ''वित्त पोषण साधन का गठन और कृत्य और सरकारी सहायता:- (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए वितपोषण साधन के रूप में कार्य करने के लिए और राज्य वितरण

(श्री मानिक चन्द सुराना)

अनुज्ञप्तिधारियों के लिए पूंजी जुटाने और/या कम लागत पर उधार लेने के लिए, कम्पनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अधीन राजस्थान राज्य विद्युत वितरण वित्त निगम लिमिटेड स्थापित करेगी।''

आगे पढ़िए,

'(2) राज्य सरकार, 2015-16 से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष से वित्तीय वर्ष 2021-22 तक की कालावधि हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वित्तपोषण साधन को निम्नलिखित वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायेगी, अर्थात्:-

(क) राज्य द्वारा संगृहीत विद्युत शुल्क के बराबर रकम,

(ख) विद्युत अधिनियम के अधीन संगृहीत प्रश्मनीय प्रभारों के बराबर रकम, और

(ग) ऐसी अन्य रकमें जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा मंजूर की जायें।

''(3) वित्तपोषण साधन, राज्य सरकार के अनुमोदन से, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए बाजार से निधियां जुटा सकेंगे।''

माननीय सभापति महोदय, ये सारी निधियां जुटाने का काम और वित्त निगम बनाने का काम आर्टिकल 199 कहता है। इसका क्लॉज (ख) है, ''राज्य सरकार द्वारा धन उधार लेने का या कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन अथवा राज्य द्वारा अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से सम्बन्धित विधि का संशोधन,'' यह धन विधेयक की परिभाषा में आएगा। आर्टिकल 199 में, ''इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों से सम्बन्धित उपबंध हैं...''

माननीय सभापति महोदय, मैंने (ख) पढ़ा है। मेरा निवेदन है कि फिर गवर्नर साहब की रिकमंडेशन है कहां? और हमको यह कहां बताया गया है इसमें कि वित्तीय भार प्रति वर्ष कितना पड़ेगा? और 2015-16 से लगाकर 2021-22 तक कितना वित्तीय भार राज्य सरकार पर पड़ेगा?

माननीय सभापति महोदय, आर्टिकल 199 है और आर्टिकल 207 है। आर्टिकल 207 जो है वह विधान सभाओं के लिए है, Special provisions as to financial Bills relating to Assembly.

(श्री मानिक चन्द सुराना)

(18.17 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि यदि इसमें राज्यपालजी की कोई रिकमंडेशन नहीं है इस मनी बिल में और न हमें यह बताया गया है कि कितना प्रभार राज्य सरकार पर पड़ेगा, यह 200 करोड़ का वज़न है या 500 करोड़ का वज़न है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सारा विधेयक, पहले इस विधेयक की वर्डिंग्स यदि मैं पढ़ूं, राज्य सरकार ही सारा उत्तरदायित्व ले रही है। पहले सेक्शन से लगाकर और सेक्शन 4, 5, 6, 7, 9, सारा दायित्व, उत्तरदायित्व राज्य सरकार का बन रहा है।

अब आप गौर फरमाएं, 'वित्तीय पुनर्सरचना, दीर्घ अवधि योजना के क्षेत्रों में पोषणीय आधार पर समर्थन, कॉरपोरेट गवर्नेंस, विनियामक अनुपालनों के माध्यम से उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत प्रदाय हेतु समर्थ बनाने के लिए, राज्य के स्वामित्वाधीन वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वित्तीय और प्रचालन प्रतिवर्तन तथा दीर्घ-अवधि पोषणीयता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार तथा राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के उत्तरदायित्वों के लिए और नीति निर्देशों तथा उनसे संसक्त या उनसे आनुषंगिक विभिन्न अन्य अध्युपायों को अधिकथित करने के लिए उपबंध करने हेतु विधेयक।' माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये सारी जिम्मेदारियां राज्य सरकार अपने ऊपर ले रही है और वित्तीय उत्तरदायित्व ले रही है और सेक्शन 4, 5, 6, 7, 9 में सेक्शन 6 तो बहुत स्पष्ट है, 'राज्य द्वारा संगृहीत विद्युत शुल्क के बराबर रकम', हर साल वित्त...

श्री उपाध्यक्ष: इसमें, माननीय सदस्य, what are you trying to imply in this? What is the specific implication on your point of order?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): आर्टिकल 199.

श्री उपाध्यक्ष: Absolute Article 199 or one of the sub-section of 199?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): 199 read with 207, Sir, जिसमें गवर्नर की सैंक्शन के बिना बिल विधान सभा में नहीं आ सकता है। मैं जो दो आर्टिकल कोट कर रहा हूं, उनके साथ संविधान के अन्य प्रावधान भी हैं, लेकिन ये दो आर्टिकल ही काफी हैं, 199 ही काफी है इस बात के लिए कि यह बिना राज्यपाल की अनुमति के और हमको फाइनेंशियल लाइबिलिटी बताये बिना यह बिल विधान सभा में विचारार्थ नहीं आ सकता। यह

(श्री मानिक चन्द सुराना)
संवैधानिक आपत्ति है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस विधान सभा में इस बिल के जरिये आज तक, सन् 2000 में जो किया गया, कंपनियों, विद्युत बोर्ड को वाइंड अप करके कंपनियां बनायी गयीं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिल के पूरे ऑर्बिट पर ही बहस चालू कर दी, सन् 2000 में क्या हुआ था। इन्होंने कह दिया, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मेरा पाइंट बहुत पाइंटेड है। यह विधेयक है, इसमें वित्तीय उत्तरदायित्व आ रहा है विभिन्न धाराओं में और खास तौर से धारा 6 में। राज्यपाल की इसमें अनुमति नहीं है पूरे बिल में कि इसको पेश किया जाय। फाइनेंशियल लाइबिलिटी राज्य सरकार ने हमको बतायी नहीं है कि हर साल कितनी आएगी, 2015-16 से लगाकर 2021-22 तक कितनी आएगी। इसलिए मेरी यह पाइंटेड आपत्ति है कि इस आधार पर इस बिल का विचारण बंद किया जाय और इस बिल को संशोधित रूप में, वित्तीय उत्तरदायित्व बताते हुए और राज्यपाल जी की अनुमति के साथ पुन: पेश किया जाय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने संविधान के आर्टिकल 199 और 207 का उल्लेख करते हुए कहा कि अभी राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व विधेयक, 2016 है, चूंकि यह वित्त विधेयक की श्रेणी में आता है, फाइनेंस बिल की श्रेणी में आता है, इसलिए महामहिम राज्यपाल की पूर्वानुमति नहीं ली। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह बिल रिप्लेसिंग बिल है। इस बिल से पहले जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ था, उस ऑर्डिनेंस में उद्देश्य व कारणों के कथन में आखिरी पैरा में लिखा है- ''चूंकि राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया था, इसलिए पुन: 7 जनवरी, 2016 को राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व अध्यादेश, 2016 (2016 का अध्यादेश संख्या 1) प्रख्यापित किया जो राजस्थान राजपत्र, भाग संख्या 4-(ख) असाधारण में दिनांक 11 जनवरी, 2016 को प्रकाशित हुआ।'' यानी, महामहिम राज्यपाल महोदय ने खुद के नाम से, खुद के हस्ताक्षर से जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ था, उसका रिप्लेसिंग बिल हम लेकर आये हैं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इसलिए मैं समझता हूं कि व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से जो संवैधानिक बात उठायी है उनका कोई औचित्य नहीं बनता और इसके बाद आसन व्यवस्था दे दे।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा नम्र निवेदन है, 207 का (3) पढ़ रहा हूं- "A Bill which, if enacted and brought into operation, would involve expenditure from the Consolidated Fund of a State shall not be passed by a House of the Legislature of the State unless the Governor has recommended to that House the consideration of the Bill." गवर्नर महोदय की कोई रिकमण्डेशन इसको कंसिडरेशन में लेने के लिए नहीं है। आर्टिकल 207(3), मुझे यह कहना नहीं पड़ेगा, उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि आप आसन पर विराज रहे हैं कि यह मेंडेटरी है और इसके प्रावधान आज्ञात्मक हैं। इन आज्ञात्मक प्रावधानों की अवहेलना करने के लिए राज्य सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है और राज्य सरकार के लिए यह विवेकसंगत भी नहीं है कि बिना फाइनेंशियल लाइबिलिटी बताये आप विधान सभा से इतना बड़ा बिल, जो 60 हजार व 20 हजार करोड़, 60 हजार करोड़ की लाइबिलिटी तो स्टेट पर आ चुकी है और इसके द्वारा कितनी लाइबिलिटी आएगी, इसका कुछ पता नहीं है। It will be a conjecture in the dark कि कितनी लाइबिलिटी आएगी। Once we pass this Bill, चाहे 20 हजार करोड़ हो, चाहे 40 हजार करोड़ हो, वह लाइबिलिटी राज्य पर आनी है।

इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि आर्टिकल 207 के प्रावधानों को, 207(3) के प्रावधानों को, read with Article 199, इस बिल का विचारण जब तक दुबारा राज्यपाल जी की अनुमति न आए और इसकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी न बतायी जाय, तब तक के लिए इस पर विचारण बंद किया जाय। मैं इस पर आपकी रूलिंग चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अब सवाल यह खड़ा हो गया कि यह बिल आर्टिकल 207(3) के तहत फाइनेंस बिल है या नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व विधेयक, 2016, इसका मूल अगर आप देखो, शिड्यूल जो लगा है 'Key Performance Indicators,' इस बिल के पीछे जो हेतु सरकार का था, हम इन इंडिकेटर्स के माध्यम से राज्य की विद्युत कंपनियों का सुधार करना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के अन्दर जिस सेक्शन का आप उल्लेख कर रहे हैं वह तो उस वक्त होगा। मैं समझता हूं...

श्री उपाध्यक्षः मैं व्यवस्था देता हूं। According to the Chair.....

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय, आपकी इजाजत से।

श्री उपाध्यक्षः Are you also on a point of order?

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): No, I am supporting.....

व्यवस्था

वर्तमान विधेयक धन विधेयक की श्रेणी में नहीं आता

श्री उपाध्यक्षः No. I will not give permission for a counter support.

This is more or less very simple. According to the Chair, this doesn't qualify as a Money Bill. That's over.

डेलिब्रेशन किसका था? शुभकरण जी बोल लिये। केसाराम जी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व विधेयक, 2016

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व विधेयक, 2016 और राज्य में विद्युत की स्थिति पर विचार हो रहा है।

(18.20 बजे)

(श्री श्रीचन्द कृपलानी, सभापति पदासीन)

आज परिस्थिति ऐसी बनी है जिसके कारण से आज इस सदन को राज्य में विद्युत की स्थिति पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। माननीय सभापति महोदय, जब 2000 में विद्युत वितरण निगम सहित 5 कंपनियां बनीं तब भी हमने इसका विरोध किया था और बताया था कि ये कंपनियां बना रहे हो वह बिलकुल ठीक नहीं है। जो बोर्ड चल रहा था वह बोर्ड करीब 5 हजार करोड़ के घाटे में था। ये कंपनियां बनने के बाद मात्र तीन साल के अन्दर जो स्थिति बनी और उसके बाद 2003 से 2008 तक भारतीय जनता पार्टी का राज रहा और कंपनियों ने इस विद्युत विभाग को 15 हजार करोड़ के कर्जे तक पहुंचा दिया। माननीय सभापति महोदय, इसके बाद 2008 में राज परिवर्तन हुआ। इन कंपनियों को 5 साल के अन्दर 77 हजार करोड़ के कर्जे में पहुंचा दिया। विकास भी हुआ है, हम मानते हैं, मगर इस तरह से जितना घाटा 5 साल में हुआ, उस घाटे के कारण से आज हमें दूसरा बिल लाने की आवश्यकता पड़ी है।

(श्री केसाराम चौधरी)

मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमारी सरकार की मंशा है कि इस घाटे को कम कैसे किया जाय। उसके लिए जो प्रयास किये हैं उनकी भी मैं प्रशंसा करता हूं। आपने इस घाटे को कम करने के लिए जिस तरह की इच्छाशक्ति जतायी है वह निश्चित रूप से सराहनीय है। माननीय सभापति महोदय, इस घाटे को कम करने के लिए, हमारी सरकार ने विद्युत चोरी रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाये हैं। अभी लोग कह रहे हैं कि जो वी सी आर भरी जा रही हैं उसमें हमारी गलत वी सी आर भरी जा रही हैं। ऐसा कौन होगा जो चोरी करता हुआ पाय जाय और उसको छोड़ दिया जाय? चोरी को रोकना है। हम सब मिलकर, चाहे पक्ष है या विपक्ष है, इस बिजली बोर्ड को प्रोफिट में किस तरह से लाया जाय उसके प्रयासों के लिए यह बिल लाने का प्रयास किया गया है।

निश्चित रूप से विद्युत वितरण कंपनियां घाटे में आयी हैं। उनको ठीक करने के लिए कितनी भी सख्ती अपनायी जाय, वह अपनाकर इन कंपनियों में जो घाटा हो रहा है, केवल वी सी आर भरने से ही घाटा पूरा नहीं होगा। घाटा पूरा करने के लिए जो विभाग का लवाजमा बना हुआ है, उन विभागों में जितने अधिकारी बैठे हैं, उन अधिकारियों की भी गणना की जाय। ऑडिट रिपोर्ट किस तरह से आती है, ऑडिट में वसूली किस तरह से आती है, उस ऑडिट की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इस कारण से किसी तरह का कोई घोटाला है, केवल फाइलों में दबकर रह जाता है और जो ऑडिट पैरा बनता है उसकी पालना नहीं होती। इसलिए घाटा दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, इस घाटे के लिए हमारी सरकार ने 24,772.11 लाख रुपये का राजस्व निर्धारण किया था विजिलेंस के मार्फत्, मगर वसूली कर पाये 9,605.05 लाख की। अपन वसूली नहीं कर पाये। इसका मतलब वी सी आर कहीं न कहीं गलत थी; लोगों को परेशान करने के लिए बनाई होगी, इसलिए अपन वसूली नहीं कर पाये। उन्होंने बताया है कि 15,924 मुकदमे दर्ज कराये हैं पूरे राजस्थान प्रदेश में। क्या ऐसे विजिलेंस करके, पुलिस में देकर के हम इस चोरी को रोक पायेंगे? यह तो डे-बाई-डे बढ़ रही है और उसके लिए हम इतना प्रयास कर रहे हैं, फिर भी नहीं रुक पा रही है। तो हमारा प्रयास रहना चाहिए कि इसमें दोषी कौन हैं और जिम्मेदार कौन हैं। इसके लिए जिम्मेदारी किसी की तय करनी चाहिए। अगर ये वी सी आर भरी जाती हैं तो उद्योगपतियों की कितनी वी सी आर भरी गईं? किसानों की वी सी आर तो भर लेते हैं मगर उद्योगपतियों की भरने में कोई हिम्मत भी नहीं

(श्री केसाराम चौधरी)

करता। बड़ी-बड़ी इण्डस्ट्रीज में जाने के लिए कोई देखता भी नहीं कि बिजली चोरी कितनी हो रही है। अगर हुई हैं तो उद्योगपतियों की वी सी आर का विवरण भी इस प्रगति प्रतिवेदन में देना चाहिए, ताकि उद्योगों में कितनी चोरी हो रही है उसका पता अलग से लगे। एग्रीकल्चर में कितना हो रहा है, डोमेस्टिक में कितनी चोरी हो रही है, उसको जो भी प्रतिवेदन दिया जाए उसमें अलग-अलग बताकर दिखाना चाहिए ताकि जनता को भी मालूम पड़े और अपन भी समझ सकें कि कौन चोरी ज्यादा कर रहे हैं।

इसी तरह से आपने प्रयास किया, उसकी मैं सराहना करता हूं कि जो जले हुए मीटर थे, उनकी संख्या 15.1.2016 तक 5 लाख 55 हजार 990 और उसमें आपने 1 लाख 33 हजार 182 मीटर बदल दिये। ये थ्री-फेज के मीटर आपने बदले हैं, उसमें 4 लाख 22 हजार 808 मीटर आज भी खराब पड़े हैं। उन खराब मीटरों के कारण से आप किसान से मिनिमम चार्ज का बिल जारी करते हैं जिससे किसान की लूट होती है। जितने भी मीटर खराब हैं, आप उस किसान से कीमत लेनी है तो एक बार ले लें मगर उस किसान का मीटर लगना चाहिए। आज जला है तो सातवें दिन किसी भी सूरत में मीटर उसके लग जाए ताकि किसान को फ्लैट रेट से बिल नहीं मिले। आपने वैसे ही फ्लैट रेट बन्द की है तो फिर फ्लैट रेट से बिल क्यों देते हैं? उसकी मीटर में रीडिंग आई है तो पिछले तीन महीनों के हिसाब से उसको बिल दे दो। इस तरह से जो किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है उसको रोका जाना चाहिए।

डोमेस्टिक के 11 लाख 89 हजार 566 मीटर खराब हैं जिनमें से आपने 6 लाख 31 हजार 540 मीटर बदले हैं। आपने प्रयास किया है, मीटर कम हैं पर उनमें बदले जाएं, मगर अभी भी 5 लाख 58 हजार 26 मीटर आज डोमेस्टिक के खराब पड़े हैं, माननीय मंत्री महोदय।

सभापति महोदय, आपके मार्फत मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि अपन यह चाह रहे हैं कि ये वितरण निगम, कम्पनियां प्रोफिट में आएं तो जब इतने मीटर खराब हैं तो फिर प्रोफिट में आएंगी कैसे? इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपने जो प्रयास किये हैं, उसके साथ-साथ आप सख्ती भी बरतें ताकि उस सख्ती के कारण से अपना विभाग प्रोफिट में आ जाए।

प्रोफिट में लाने के लिए आपने जो कार्य किये हैं, उनकी तो मैं प्रशंसा करता हूं कि आज 33/11 के.वी. के 1,521 जयपुर विद्युत वितरण

(श्री केसाराम चौधरी)

निगम में जी एस एस हैं। इसी तरह से 33/11 एम वी ए के जी एस एस अजमेर में 7,317 और जोधपुर में 1,943 आज की तारीख में आपके पास बने हुए हैं। उसी तरह से 33/11 केवी की जयपुर विद्युत वितरण निगम में 13,687 किलोमीटर लाइनें हैं, अजमेर में 14,432 हैं और इसी तरह से जोधपुर में 21,861 हैं। 11 के वी की लाइनें, केबल सहित, आपके पास में 1 लाख 15 हजार 753 किलोमीटर और एल.टी. की लाइनें 1 लाख 35 हजार 374 किलोमीटर जयपुर विद्युत वितरण निगम में हैं। आपके पास ट्रांसफार्मर जयपुर विद्युत वितरण निगम में 5 लाख 75 हजार 387 हैं जिनमें 14031 एम वी ए की क्षमता है।

इसी तरह से आपने विद्युत वितरण निगम में इतना कार्य किया है। उसमें इतना काम करने के बाद में भी जो कर्मचारी होने चाहिए थे उस आधार पर आपने कर्मचारी नहीं लिये। आपने कर्मचारी लिये, और ज्यादा फौज बढ़ायी है तो मंत्रालयिक कर्मचारियों की बढ़ायी है। मैं कहना चाहता हूं कि गांवों में किसानों के लिए लाइनमैन नहीं हैं। आज कोई भी ट्रांसफार्मर या मोटर जल जाती है या फ्यूज, लिंक उड़ जाता है तो 7 दिन तक किसान उसके पीछे-पीछे घूमता है, तब कहीं जाकर के लाइनमैन आता है। उस लाइनमैन के पास 8-8, 10-10 गांव हैं। तो वह किस तरह से उस व्यवस्था को करे? आप किसान से सर्विस चार्ज लेते हो तो किसान को सर्विस भी तत्काल मिलनी चाहिए। उसकी लिंक उड़ गई या उसका ट्रांसफार्मर जल गया है या किसी तरह की कोई गड़बड़ हुई है तो उसको तत्काल सेवा देनी चाहिए, क्योंकि आप उससे सर्विस चार्ज वसूल कर रहे हैं।

ऐसी हालत में आपके जो स्वीकृत पद जयपुर वितरण निगम में हैं, 24,944 हैं, जिनमें 17,840 कार्यरत हैं और 7,104 पद रिक्त हैं। तो अब उस विद्युत वितरण निगम का काम कैसे चलता होगा, वह आप ही बता सकते हैं। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि अजमेर में भी इसी तरह से कर्मचारियों की बहुत जबरदस्त कमी है। वहां पर 23,759 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 16,182 कार्यरत हैं और 7,577 कर्मचारियों के पद रिक्त चल रहे हैं। इसी तरह से जोधपुर वितरण निगम में 20,657 पद स्वीकृत हैं जिनमें 13,735 कर्मचारी कार्यरत हैं और 6,922 पद रिक्त चल रहे हैं।

इस तरह से विद्युत विभाग की दशा सुधारने के लिए जो मंत्रालयिक

(श्री केसाराम चौधरी)

कर्मचारी हैं उनकी फौज को कम किया जाए। जयपुर विद्युत वितरण निगम और इन सब वितरण निगमों में जितने भी बड़े-बड़े कर्मचारी बैठे हैं उनकी लाइबिलिटी तय करो कि आप इस बोर्ड को या इन कम्पनियों को प्रोफिट में किस तरह से लायेंगे। केवल ए.सी. लगाकर के जितनी बिजली खपत होती है, उससे तो कई गांवों को बिजली मिल सकती है। इसलिए इतना बड़ा लवाजमा लेकर आप बैठे हैं इसको कम किया जाए और जो छोटे कर्मचारी हैं उनकी फौज तैयार की जाए, ताकि गांवों में एक गांव में कम से कम एक लाइनमैन हो, एक पंचायत में कम से कम एक लाइनमैन तो हो, क्योंकि एक लाइनमैन के पास में 5-5, 6-6 गांव हैं। आपने अभी जो जे.ईएन. लिये हैं तो इन तकनीकी कर्मचारियों की फौज बढ़ाओ, न कि गैर-तकनीकी कर्मचारियों की। ये गैर-तकनीकी कर्मचारी केवल बैठे-बैठे तनख्वाह खाते हैं, मौज करते हैं और दूसरा कोई काम नहीं। केवल कागजों में उटर-पटर, गटर-पटर चलती रहती है। तो इसको ठीक किया जाए।

इसलिए निवेदन करता हूं कि गैर-तकनीकी कर्मचारियों के अलावा, यह बिजली बोर्ड तकनीक के आधार पर चलता है तो उस तकनीक के लिए तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता है। जितने भी तकनीकी कर्मचारियों के पद रिक्त हैं उन पर तकनीकी कर्मचारी लगाये जाएं ताकि आज जो हम बिल लाये हैं और विद्युत की स्थिति पर विचार कर रहे हैं तो विद्युत की स्थिति तभी ठीक होगी जब हम इसको सशक्त बनाकर, जो पद रिक्त हैं, उन रिक्त पदों पर तकनीकी कर्मचारी लगायें। बिजली की चोरी या किसी तरह की जो भी तकलीफ है, उसको ठीक किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि जिन कुओं पर थ्री-फेज कनेक्शन हैं, वहां पर उन किसानों को सिंगल फेज के कनेक्शन दिये जायें, जिनके मकान वहीं पर हैं, मकान में रह रहे हैं। हमारे पाली जिले में या जोधपुर डिविजन में लोग कुओं पर भी निवास करते हैं और वहीं रहते हैं, उनका परिवार भी वहीं रहता है। इसलिए ऐसे कुओं पर उनको कनेक्शन दिया जाये; नहीं तो आपकी थ्री-फेज की बिजली में से कनेक्शन लेकर अपना लाइट का काम तो करता ही है। डोमेस्टिक की बिजली महंगी है और एग्रीकल्चर की बिजली सस्ती है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, 10 मिनट से ज्यादा हो गये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): एक मिनट। एग्रीकल्चर की बिजली सस्ती है, तो सस्ती बिजली का उपयोग करके अपना काम तो चलायेगा। आप भी अगर हो तो अपने घर के पास में बिजली हो और अपने घर के अन्दर ही बिजली हो और अपन पास में बैठे-बैठे बिजली नहीं लेंगे, तो ऐसे तो वह चल नहीं सकता। इसलिए जो कुओं पर निवास करते हैं, उन लोगों को सिंगल फेज की बिजली पर रोक लगाई है, उसको हटाने की मांग करता हूं।

स्पेशल श्रेणी में आप जो कनेक्शन देते हैं, उसमें बूंद-बूंद का राइडर लगाया हुआ है। वास्तव में बूंद-बूंद का कोई कनेक्शन चलाता ही नहीं है। अपने क्षेत्र में तो बूंद-बूंद का कनेक्शन चल भी नहीं सकता क्योंकि चिकनी मिट्टी है और मिट्टी के कारण से ऐसी व्यवस्था हो नहीं सकती। केवल झूठा-मूटा सर्टिफिकेट देकर, या कहीं से झूठा-मूटा बिल लाकर के आपके पास पेश करना पड़ता है। तब जाकर आप उसको स्पेशल श्रेणी में कनेक्शन देते हैं। इसलिए बूंद-बूंद पर जो राइडर लगाया है, उस राइडर को हटाना चाहिए।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): इसके साथ ही घरेलू प्लाट के अन्दर, एरिया के अनुसार आप 200... (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) सर, दो बातें ही कह रहा हूं। दो बातें सिर्फ। घरेलू कनेक्शन के लिए अगर कोई गैर-एग्रीकल्चर जमीन में या किसी के द्वारा कालोनी काटी गई है, उसमें 50 परसेंट तक आबादी में कनेक्शन नहीं होते हैं, तब तक आप 200 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से उस क्षेत्र में कनेक्शन देते हैं। तो वे लेते हैं। उस प्लाट के अनुसार, उसकी कीमत बढ़ती है। वह करीबन 20,000 और 30,000 रुपये की डिमांड निकलती है। उसमें भी सुधार किया जाये ताकि गांवों में रहने वाले लोगों को इसका फायदा हो सके।

श्री सभापति: धन्यवाद। मंत्रीजी आपके जिले के ही हैं, अलग से बता देना फिर इनको।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): मंत्रीजी आपके क्षेत्र के ही हैं। आप इनको बता देना ना सारी बात।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): सिर्फ एक ही बात है। मेरे क्षेत्र में एक जी एस एस 132 केवीए का वोपारी में निर्माण करने की मांग करता हूं। उसके साथ ही एक 33 केवीए का जी एस एस, आप और मेरे दोनों के क्षेत्र के बीच में माडपुर और डायलाना के बीच में या डायलाना या टांटिया

(श्री केसाराम चौधरी)

के बीच में एक 33 किलोवाट का जी एस एस बनायें ताकि वहां की बिजली की समस्या है, वह ठीक हो सके।

माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

मेरा संशोधन प्रस्ताव है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह जो आप बिल लाये हो, इस बिल में ठीक है, मगर यह प्राइवेट कम्पनियां और जिस तरह से पी पी पी मोड पर इन कम्पनियों को देंगे तो इनका अपन सुधार करेंगे, मगर इनमें किस तरह से यह व्यवस्था होगी?

यह जो बिल लाये हैं, वह बहुत ही क्लिष्ट भाषा में है। हर व्यक्ति तो इस भाषा को समझ भी नहीं सकता। कोई भी कानून बनाते हैं तो उसकी भाषा तो कम से कम सरल हो ताकि हर व्यक्ति उसको समझ सके और उसकी व्याख्या कर सके।

इसलिए मैं निवेदन करता हूं, मैंने जो मेरा संशोधन का प्रस्ताव दिया है, उसे मैं विथड्रा करने की आपसे आज्ञा चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री मान सिंह।

श्री मान सिंह (गंगापुर): सभापतिजी, राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व विधेयक, 2016 पर चर्चा हो रही है। मैं समय का ध्यान रखते हुए जो चर्चा...

श्री सभापति: दस मिनट का समय है आपके पास।

श्री मान सिंह (गंगापुर): ...नहीं, उससे पहले ही, मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा। पांच मिनट में ही मैं पूरा कर दूंगा।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के पिछले पांच साल के राज में बिजली कम्पनियों के प्रति जनता के अन्दर जिस प्रकार का अविश्वास पैदा हुआ और जिस प्रकार से बिजली मिलनी चाहिए थी और जो बिजली की मारामारी रही और जिस प्रकार से जनता पर वी सी आर का भार पड़ा, उसके बाद में राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री माननीया वसुन्धराजी ने जनता को विश्वास दिया और उस विश्वास पर सरकार खरी उतरी। उसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। आज पूरी जनता को सुराज संकल्प यात्रा में माननीया वसुन्धराजी ने जो आश्वासन दिया

(श्री मान सिंह)

कि हम 24×7 की बिजली देंगे, वह निश्चित रूप से मिल रही है और उसके कारण जनता में यह विश्वास पैदा हुआ मुख्य मंत्रीजी के प्रति कि सरकार जन हित में कोई निर्णय लेगी।

यह जो विधेयक यहां पर आ रहा है, मैं उसके बारे में दो ही बातें कहूंगा कि जिस उद्देश्य के लिए हम इसमें सुधार और इम्प्रूवमेंट के लिए करना चाह रहे हैं, देश और दुनिया में इस बात का कि हमारा प्राइवेट सेक्टर है, उस प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से किस प्रकार सरकार को को-आपरेट करके और जिस प्रकार से कारपोरेट का यहां बहुत बड़ा हौआ खड़ा किया जा रहा है कि कारपोरेट वर्ग अगर आ जायेगा, कि किस प्रकार से इन कम्पनियों को बचाना चाहेंगे, मैं यह कहना चाहूंगा कि कारपोरेट सेक्टर से हमको कोई हानि नहीं है। कारपोरेट सेक्टर सरकार के काम में भागीदार बनें; कारपोरेट सेक्टर सरकार की कम्पनियों में शामिल होकर, जन सेवा का यह क्षेत्र है, इसमें सेवा बनी रहे, इस पर हमको ध्यान देना है। विधेयक में इस प्रकार की व्यवस्था है कि बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स में सरकार को यह अधिकार होगा कि वह फंक्शनिंग बोडी और इसके तकनीकी आफिसर्स को अपने हिसाब से नोमिनेट कर सकेगी। मेरा मानना है कि इसके अन्दर इसका चेयरमैन भी सरकार का व्यक्ति, जो जन-प्रतिनिधि है, वही होना चाहिए। यह मेरा सुझाव है इस मामले में, क्योंकि यह सेवा का क्षेत्र है।

आज जिस प्रकार से एजुकेशन का क्षेत्र हमारे हाथ से निकला है और जिस प्रकार से यूनिवर्सिटीज अपने आप से आटोनोमस बोडी से काम कर रही हैं, कल को इस सेवा के क्षेत्र में अगर कोई संशय होता है तो यह हमारा संशय नहीं होना चाहिए। जनता को यह विश्वास हमारा होना चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज के दिन जिस प्रकार की कोयले की रेटें 30 प्रतिशत घटी हैं और बिजली एक्सचेंज की रेट आज ढाई रुपये है, कभी-कभी इन कम्पनियों को ऐसा भी करना चाहिए कि हमने सरकार को इतने रुपये का फायदा किया है। यह जनता के बीच में जाना चाहिए। कभी ऐसा भी होता है कि कम्पनियां महंगी बिजली खरीदती हैं और सस्ते में देती हैं। आज सस्ते में खरीदकर जनता को यह भी विश्वास दिलायें कि हमने इतना सरकार का फायदा किया, तो कम्पनियों के प्रति विश्वास बहाली होगी।

सभापति महोदय, मैं यह चाहूंगा कि ट्रांसपेरेंसी हमारे इस प्राइवेट

(श्री मान सिंह)

सेक्टर की हो। इन विद्युत कम्पनियों को मजबूत करना चाहते हैं, इसमें उत्तरदायित्व को निश्चित रूप से तय करना चाहिए।

जिस प्रकार से वी सी आर की चर्चा हमारे किशनपोल से आने वाले माननीय विधायक मोहन लाल जी करते हैं कि उस भट्टा बस्ती और रामगंज के अन्दर कोई वी सी आर भरने नहीं जाता है, मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि यह पूरे क्षेत्र में बिजली कम्पनी के जितने भी एस ई यहां बैठे होंगे, वे तय करें कि ऐसा क्यों होता है?

जब सेटलमेंट में हम केस को भिजवाते हैं तो 50 परसेंट तो उस गरीब से ले लेते हैं और हम भी कहते हैं कि भैया, वी सी आर भर गई, कुछ नहीं होगा। उस 50 परसेंट के बाद में जब उससे दुबारा लेते हैं तो उसके साथ अन्याय होता है। और सेटलमेंट कमेटी में भी जन-प्रतिनिधि होने चाहिए। इसकी पारदर्शिता को मजबूत बनाया जाये। यह मेरा अनुरोध है।

इसी के साथ-साथ, माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे क्षेत्र में बिजली की सप्लाई ठीक है। मेरे क्षेत्र में एक कुनकटा गांव के अन्दर 132 केवी के जी एस एस की मैं आपसे डिमांड करता हूं।

आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री रामहेत यादव।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे के लिए और बढ़ाया जाये।

श्री सभापतिः प्रश्न यह है कि सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घंटे बढ़ाया गया।

श्री रामहेतजी यादव

(अनुपस्थित)

श्री रमेश।

विधेयक पर विचार

राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व विधेयक, 2016

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व विधेयक, 2016 और बिजली पर चर्चा के लिए आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

जिस प्रकार यह बिल लाया गया है, भारत सरकार की 'उदय' योजना, उसकी मॉनिटरिंग के लिए विधेयक लाया गया है, उसमें जिस प्रकार की कंडिशंस एवं शर्तें हैं तो लगता है कि 100 परसेंट श्योरिटी होगी, पर सवाल उठता है कि यह कैसे ला पायेंगे? जैसी टर्म्स एण्ड कंडिशंस हैं, विद्युत क्षति को कम कैसे करेंगे? प्रत्येक 33 केवी और 11 केवी के फीडर्स की एनर्जी, काउंटिंग, आडिटिंग और 100 परसेंट का स्वरूप; मीटरों का स्थापन; उपभोक्ताओं की मैपिंग; वास्तविक मीटर के पठन के आधार पर बिलों को जारी करना; बिलों का संग्रहण 100 परसेंट; पूर्व बकाया 10 परसेंट राशि है उसका संग्रहण करेंगे; समय पर वार्षिक लेखों को भी तैयार करेंगे; कंपनी को जब बिजली की आवश्यकता होगी क्रय करने की तो उस पर भी पूर्व गणना कर विद्युत विनियोग आयोग से नियमित रूप से बताकर स्वीकृति प्राप्त करेंगे; और कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करेंगे।

इस विधेयक में दो समितियों के गठन का भी जिक्र किया गया है। विद्युत वितरण लाइसेंसी का न कोई वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, न कोई जन-प्रतिनिधि है। इसमें तो मेरी एक मांग है कि जब भी इस कमेटी का गठन करें तो विधायक को निश्चित रूप से इसमें रखें।

इस बिल में आपने एक प्रावधान किया है कि कोई भी सब्सिडी देंगे या छूट देंगे तो उसकी घोषणा आपको एडवांस में करनी होगी। तो सरकार को कभी कोई आकस्मिक सब्सिडी देनी होगी तो वह उसकी मुंह की तरफ देखेगी और वह सब्सिडी दे नहीं पाएगी।

यह भी आपने प्रावधान किया है इस अधिनियम को प्रवृत्त होने की तारीख या उससे पूर्व राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और संस्थाओं की बकाया राशि वसूल की जानी होगी, अन्यथा उसके अनुदान, जो बजट मिलेगा, उससे सीधी काट लेंगे। ऐसा भी है।

(श्री रमेश)

राज्य सरकार के बिन्दु संख्या 6 के अनुसार फाइनेंशल सपोर्ट के लिए पूंजी जुटाने, कम लागत पर उधार लेने हेतु राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड स्थापित करने; यानी, एक नया खर्चा और आएगा। इसके बाद में राज्य सरकार 2021-22 तक राज्य द्वारा संग्रहित विद्युत शुल्क के बराबर राशि, विद्युत अधिनियम के अधीन संग्रहित प्रभारों के बराबर राशि, और अन्य कई प्रकार से राशि देगी। क्या राज्य सरकार इतना व्यय प्रति वर्ष वहन कर पाएगी? हां, तो कैसे? जिस प्रकार राज्य सरकार ने 'उदय' योजना पर पांचों कंपनियों का कर्जा जनता के सिर पर डाल लिया है, उसी प्रकार एक नया खर्च भी जनता के सिर पर डालने की तैयारी क्यों की जा रही है? यह भी मंत्रीजी जब जवाब दें तो बतायें।

राज्य सरकार का बजट घाटा, मान लो, 100 परसेंट तय है कि बढ़ेगा? फिर किस आधार पर आप इस फाइनेंस बिल में ऋण की सीमा एक से घटाकर आधा प्रतिशत प्रति वर्ष की बात आप कर रहे हैं? इसके साथ ही इस अधिनियम के माध्यम से जो भी बाजार से निधियां जुटाई जाएंगी, उसकी गारंटी भी सरकार देगी। यानी, ये डूबे तो पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी ले डूबेंगे। इस तरह यह जो सिस्टम चल रहा है तो आपका जो 'उदय' योजना का सेकण्ड पार्ट है उसको आप लाने लायक नहीं रहेंगे।

सबसे पहले तो मैं इस विधेयक को जो ला रहे हैं और जिस प्रकार की मॉनिटरिंग की जो व्यवस्था है और इस प्रदेश में जो हमारी कंपनियां हैं और जो काम कर रही हैं, उससे तो मुझे किसी भी प्रकार यह नहीं लग सकता कि इसमें प्योरिटी आएगी, पारदर्शिता आएगी और हम इन नियमों का पालन करेंगे। चाहे आप विधेयक ले आओ, बड़े से बड़ा सख्त कानून ले आओ लेकिन इस राजस्थान में तो असंभव-सी बात दिख रही है कि इस तरह की मॉनिटरिंग कर पाएंगे। और यदि करते हैं तो बहुत खुशी की बात है, मैं सरकार को बहुत-बहुत बधाई दूंगा, बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा। लेकिन मुझे 100 परसेंट ही इस पर शक और शंका है कि इसको आप किसी भी कीमत पर फोलो नहीं कर पाएंगे और आप इसमें फेल होंगे। इसलिए मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

इसके बाद में आपने आज बिजली पर चर्चा के लिए बात रखी है, उस संदर्भ में भी मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। 2003-04 में जो बार-बार घाटे की बात है, ऋण की बात आती है, तो 2003-04 में कांग्रेस के समय में

(श्री रमेश)

3,908.18 करोड़ का घाटा था और उसके बाद में 2007-08 में यह 15643.42 करोड़ रुपये आपके भारतीय जनता पार्टी के टाइम में हो गया। उसके बाद में 15600 के बाद में जब हमने सरकार छोड़ी थी उस समय 32238 करोड़ का कर्जा था। तो हमने इन पांच साल के पीरियड में परिसम्पत्तियां भी बनाईं और बिजली की योजनाओं को, बिजली के जनरेशन को भी हमने बढ़ाया। यह काम हमने किया। सरकार कहती है भारतीय जनता पार्टी की, आप लोग कहते हैं कि हम 15 हजार करोड़ का कर्जा छोड़कर के गये थे, आपने 72 हजार पर पहुंचा दिया। तो अब आपने सवा दो सालों में ऐसा कौनसा काम कर दिया कि उस घाटे को या क्षति को, या ऐसा कोई एक भी काम बतायें कि हम यह नई परियोजना लाये या नया जनरेशन किया या नया तंत्र विकसित किया। आपने तंत्र भी विकसित नहीं किया और घाटे को भी बढ़ाया और लॉसेज को भी बढ़ाया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारे समय में नवम्बर, 2013 तक 72,238.16 करोड़ पांच वर्षों में हुआ और उसके बाद आज इन सवा दो सालों में 72,238 करोड़ से बढ़कर 1 लाख करोड़ से ऊपर घाटा चला गया है। यानी, 28 हजार करोड़ का घाटा बढ़ाया दिया है इन सवा दो वर्षों में।

मैं कहना चाहूंगा कि इसको आपका अच्छा प्रबंधन कह सकते हो। आपके मिस-मैनेजमेंट के वजह से, आपके कुप्रबंधन की वजह से, आप कह सकते हो, ये आपकी हानियां हैं, उनको आप रोक नहीं पाये; आपकी खरीद पर जो व्यवस्था है उसको आप रोक नहीं पाये; बिजली के बिलों का जो संधारण है, या, जो भी कहें, मिस-मैनेजमेंट जो आता है, उसमें आपका बाहरी रूप से कुप्रबंधन रहा और इसको आज आपने उस स्थिति में पहुंचा दिया है कि आने वाले समय में यदि सरकार सतर्क नहीं रही, जो कानून लाई है इसको पूरी तरह से लागू नहीं कर पाई, तो इस प्रदेश की बिजली की जो व्यवस्था थी, अच्छी चल रही थी, कर्जा बढ़ा लेकिन परिसम्पत्तियां भी हमने बनाईं, और कर्जे को आप रोक नहीं पा रहे हो। क्योंकि लोंग टर्म लिया, शॉर्ट टर्म लोन लिया और शॉर्ट टर्म लोन के लिए, फिर ब्याज के लिए फिर लोन लिया। तो वह भी मैं थोड़ा शोर्ट में बताना चाहूंगा। हमारे पांच वर्ष के घाटे का एवरेज जो निकालें, तो 11,319 करोड़ और आपके सवा दो साल का एवरेज निकालें, तो 12,444 करोड़ रुपये आता है।

आपकी 'उदय' योजना की बात करते हैं तो उसकी जो शर्तें हैं उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि 'उदय' योजना में टी एण्ड डी लॉसेज

(श्री रमेश)

आपको पन्द्रह परसेंट लाकर देना है। तो सरकार बताये कि जहां पर आज की स्थिति में 60 परसेंट लॉसेज हैं इसको आप 15 परसेंट पर कैसे लाएंगे? यह भी सरकार के लिए एक प्रश्नचिह्न है। क्योंकि मैंने एक प्रश्न पूछा था, मंत्रीजी को भी पता है, 2014-15 में छीजत का पूछा था, धौलपुर में 2014-15 में 58.73 परसेंट, करौली में 55.31 परसेंट, भरतपुर में 51.61 परसेंट, नागौर में 33.83 परसेंट, झालावाड़ में 50.78 परसेंट, बारां में 36.27 परसेंट और दौसा में 35 परसेंट, सवाई माधोपुर में 34.56 परसेंट, जोधपुर में 37.33 परसेंट, और आप बात कर रहे हैं कि हम घाटे को कम करेंगे।

इसी तरह विद्युत कंपनियों ने, वर्ष 2013-14 में ड्यू-टू-लॉसेज थैफ्ट के बारे में हानि पूछी मैंने, तो आपने बताई है, 2,315.13 करोड़ रुपये थी और इस छीजत को आपने बढ़ाकर 5,172.97 करोड़ तक पहुंचा दिया; यानी, आपने सवा दो साल में सवा दोगुनी छीजत को बढ़ाया है।

अब मेरा दूसरा सवाल है...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ये घंटी-वंटी मत बजाना, साहब। यह मेरा प्रिविलेज है और मैं बोलूंगा। घंटी-वंटी नहीं बजाओगे। नहीं, गलत बात है।

श्री सभापति: नहीं, नहीं। रमेश जी, ऐसा है, यह आसन को अधिकार है। मेरी बात सुनिए। यह आसन को अधिकार है। समय की लिमिट है। सबसे बातचीत की है।

श्री रमेश (सपोटरा): नहीं, नहीं, अधिकार-वधिकार नहीं। मैं बोलूंगा। सरकार डर रही है, सरकार का माद्दा है नहीं सुनने का। ये नहीं करोगे आप।

श्री सभापति: हां, बोलो न, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप आसन को इस तरह चैलेंज मत करो, घंटी मत बजानी है। यह आपका प्रिविलेज है लेकिन आसन समय तय कर सकता है।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): आसन को डायरेक्शन नहीं दे सकते कि घंटी मत बजाइए। यह जो आपका बोलने का तरीका है, वह गलत है। नहीं, आप आसन को डायरेक्शन नहीं दे सकते।

श्री रमेश (सपोटरा): आप बैठ जाइए। आप बार-बार खड़े मत हो। आप दुबारा सीढ़ियां नहीं चढ़ेंगे इस सदन की। (व्यवधान)

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): ठीक है, वह सारी बातें

(श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल)
ठीक हैं, आपकी भी वही स्थिति रहने वाली है, लेकिन आसन को डायरेक्शन नहीं दे सकते आप।

श्री रमेश (सपोटरा): बैठ जाओ। बैठ जाओ।

मैं आपको बताना चाहूंगा, यह सवाल पैदा होता है कि लोन अभी आपने 60 हजार करोड़ में से 40 हजार करोड़ का इस वित्तीय वर्ष में शामिल किया है उस लोन का ब्याज सरकार भरेगी और विद्युत कंपनियों यदि सरकार का लोन या ब्याज अदा करती हैं तो भी शुरुआत से 3,200 करोड़ और जब

(19.00 बजे)

पूरा ले लेंगे तो 5,100 करोड़ के आस-पास होगा। तो उसको भी आपको अभी इस बजट में शामिल करना था, शायद नहीं किया है। फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि शार्ट टर्म लोन एंड लोंग टर्म लोन जो आपने लिया है नवंबर, 2015 तक 80,996.58 करोड़ और अब वह बढ़ गया है पहले से; जहां करीब 66-67 हजार, 56 और 62 के करीब था, तो यह अस्सी हजार हो गया है।

इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बिजली कंपनियों ने जो बिजली खरीदी ऑल ओवर, सबसे, अपनी कंपनियों से, अदर सेक्टर से, अदर स्टेट से, वह बिजली खरीदी अभी तक 21,949 करोड़ की वर्ष 2013-14 में। फिर आपने 2014-15 में, यह 2 नवम्बर, 2015 तक का मैं बता रहा हूं, आपने जो बिजली खरीदी है, इस राजस्थान के इतिहास में सबसे ज्यादा, सबसे अधिक बिजली खरीदी गयी 29,670 करोड़ की। तो इससे साफ जाहिर होता है कि बिजली कंपनियों को किस प्रकार घाटे में धकेला जा रहा है।

इसमें विभिन्न प्रकार के खर्चे हो रहे हैं। एक इसमें कंसल्टेंट भी नियुक्त करते हैं समय-समय पर। तो यह भी घाटे का एक कारण है।

जिस प्रकार वर्ष 2004-05 में एफ आर पी के माध्यम से जो हमारे माननीय सदस्यों ने किसी ने पांच हजार का, किसी ने दस हजार का कि इस पैसे से जो एफ आर पी सुदृढ़ीकरण ट्रांसफार्मरों का और लाइनों का किया गया, उसका पूरा का पूरा बिलकुल दुरुपयोग हुआ और उससे किसी प्रकार के कोई लॉसेज कम नहीं हुए।

ट्रांसफार्मर में जो छोटे अपने दस केवीए का या पन्द्रह केवीए का या पच्चीस केवीए का उसके ऊपर ट्रांसफार्मर मीटर के साथ लगा होता है, तो उस खंभे पर कौन चढ़े। मीटर रीडिंग इजी गोइंगली एवरेज के हिसाब से, या किसी को बोलकर चढ़ा ली जाती है।

(श्री रमेश)

जो हमारा मैटेरियल आ रहा है अभी मार्केट में, चाहे आपके दीनदयाल उपाध्याय योजना हो, चाहे हमारी राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना हो, तो जो भी मैटेरियल, चाहे पोल हों, आपकी केबल हों, चाहे आपके आइसोलेटर हों, जो भी सामग्री आ रही है, इतनी घटिया किस्म की है कि आपका ट्रांसफार्मर लगता है, एट-पार मान लो, लोड पड़ते ही जल जाता है। जलने के कारण भी हैं, हमारे अधिकारी भी जानते हैं, लेकिन अब बड़े अधिकारियों को यह पता नहीं है कि इसमें एक एम सी बी लगती है और उसकी दो प्रकार की एम सी बी आती है, एक माइक्रो प्रोसेसिंग की आती है और एक थर्मल प्रोसेसिंग की आती है। तो ये लगभग घटिया किस्म की थर्मल प्रोसेस की लगाते हैं, जिसकी कीमत चार-पांच हजार के वीच में होती है और माइक्रो प्रोसेस की जो एम सी बी आती है वह दस हजार की होती है। तो एक एम सी बी का इस भ्रष्टाचार का तंत्र इस बिजली तंत्र में, ट्रांसफार्मर्स में घटिया किस्म की लगाने के बाद में, इससे क्या है कि ट्रांसफार्मर जल जाता है। फिर चाहे कोई भी उपभोक्ता हो, चाहे किसान हो, चाहे अदर्स हों, वह डाइरेक्ट लाइन से जोड़ता है, तो उससे भी हमारी क्षति, जिसको कह सकते हैं, हानि बढ़ती रहती है।

सभापति महोदय, मैं तीसरी बात यह कहना चाहूंगा कि कालीसिंध और छबड़ा को सरकार बिलकुल तैयार हो गयी है, कैबिनेट में, जिस प्रकार का सुना है, मैमोरेंडम आ गया है कि इन कंपनियों को बेचना है या घाटे में चल रही हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि कालीसिंध और छबड़ा की जो हमारी परियोजना है उनको ज्यादा समय नहीं हुआ है और आने वाले समय में वे लाभ में होंगी। फिर भी सरकार की ऐसी क्या मंशा है, ऐसी क्या जरूरत है, जो एक तरफ तो आपने भारत सरकार से कर्ज ले लिया और दूसरी तरफ इन कंपनियों को बेचना चाहते हैं? तो मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि इसका जवाब दें कि सरकार बेचना चाह रही है, या नहीं चाह रही है? और बेचना क्यों चाहती है? जब हमारी कंपनियां आने वाले समय में प्रोफिट में रहेंगी तो फिर क्यों इन आठों कंपनियों को सरकार बेचना चाहती है? सरकार की मंशा पर सवाल पैदा होता है, क्योंकि बारां में...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी नहीं। प्लीज, सभापति जी, पांच-सात मिनट लगेंगे मुझे।

श्री सभापतिः आप पन्द्रह मिनट बोल चुके हो।

श्री रमेश (सपोटरा): पहले सुन लें मेरी बात। पन्द्रह मिनट क्या, एक-एक घंटे आदमी बोले हैं यहां पर, चालीस-चालीस मिनट, फिजूल के और मैं जो बात कह रहा हूं और जो...

श्री सभापतिः आसन ने व्यवस्था दी है कि दस मिनट सब...।

श्री रमेश (सपोटरा): आसन की व्यवस्था ठीक है। मेरा आसन से निवेदन है कि मैं पूरा बोलूंगा।

श्री सभापतिः दो मिनट में बात समाप्त करें।

श्री रमेश (सपोटरा): नहीं, दो मिनट में नहीं होगी, साहब।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): पांच-सात मिनट और दें।

श्री सभापतिः पांच मिनट आपने कहा था, ये पांच मिनट बोल लिये न।

श्री रमेश (सपोटरा): नहीं, ऐसे नहीं। मैं बता देता हूं आपको। आप वीच में डिस्टर्ब नहीं करें, प्लीज।

तो ये परियोजना लाभ की हैं उनको सरकार बेचना चाहती है। तो सरकार किसी भी कीमत पर इनको नहीं बेचे, मेरा निवेदन है। इसी तरह कोटा थर्मल पावर की बात हुई कि ये भी बहुत पुराना हो गया, पच्चीस साल हो गये। इसको क्यों बेचना चाहते हैं? पच्चीस साल हो गये, किसी को सोलह साल हो गये, इन इकाइयों को। तो सरकार को और हमारे मंत्रीजी को भी पता होना चाहिए कि पच्चीस हजार करोड़ रुपये लग गये, इसमें नये सारे पार्ट बदल दिये गये, अच्छी व्यवस्था में चल रहे हैं। लगता है, सरकार की मंशा है कि इस प्रदेश में अडानी जैसे उद्योगपतियों को लायें और बिजली का तंत्र उसको सौंप दें, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं, सभापति जी, आपके माध्यम से कि यहां सदन में भी हम आपका विरोध करेंगे और सड़कों पर भी जाकर हमारी पार्टी पूरी तरह से विरोध करेगी और इस बिजली तंत्र को किसी भी कीमत पर हम आपको बेचने नहीं देंगे, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े।

सभापति महोदय, जो आपके घोटाले हो रहे हैं उनके बारे में भी बताना चाहूंगा। अभी मीटर खरीद घोटाला, जिसकी कीमत पहले आप लोगों को जो कंपनी 6,765 रुपये में देना चाहती थी, वह ही सौ मीटर डोरी के साथ में आपने मीटर 9,500 में खरीदा और उसको पेमेंट भी आपने एडवांस में कर

(श्री रमेश)

दिया। 72 हजार से ऊपर आपने मीटरों की खरीद कर ली, 156 करोड़ का इसमें घोटाला हो गया। तो आप जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, और इसमें जो ओ एंड एम आपकी शाखा है उसके अभियंता, एक्स ईएन और एम डी तक को 'कारण बताओ नोटिस' दिया। तो सरकार के स्तर पर इसकी मानिटरिंग हुई कि इन मीटरों को खरीदो, तो निश्चित रूप से इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। यदि सरकार की मंशा है तो इसमें निश्चित रूप से इसकी थर्ड पार्टी से जांच करायें।

इसी तरह आपके दीनदयाल विद्युत ग्राम योजना में जो मैटेरियल है वह बहुत ही घटिया किस्म का है।

आपके टी डब्ल्यू में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, मनमानी रेट पर लोगों को काम दिया जा रहा है। जिस रेट की अगर आप चैकिंग करवा लेंगे, इंस्पेक्शन करवा लेंगे, जो इनके इंस्पेक्शन पैनल बना हुआ है यह तो सब फर्जी है। इन्हीं लोगों के माध्यम से इंस्पेंक्शन पैनल बनता है और इसमें भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 33 केवी की इस पर सिटी जो पैंतीस हजार के करीब मार्केट में उपलब्ध होती है ...(व्यवधान) खरीदी जाती है।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, मैं रमेश जी भाईसाहब का सम्मान करता हूं...

श्री रमेश (सपोटरा): हां, बोलो-बोलो।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी): ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से भी कि 733 केवी के दो जी एस एस बने अंता में और फागी में के एम सी और एल एंड टी को काम किया और वी एस आर रेट से चालीस परसेंट अबव में इनके राज में। जांच का विषय है। जब सी एम डी ने लिख दिया, इसकी जांच होनी चाहिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बोलने दें इनको। आप विराजें।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी): तो ये भ्रष्टाचार अभी नहीं; जो ये कह रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके राज में भी ऐसा हुआ है, 733 केवी के दो जी एस एस बने। हमें जानकारी है।

श्री सभापति: आप बोलिये।

श्री रमेश (सपोटरा): इनको बैठाइये आप दो मिनट।

श्री सभापति: कंक्लूड।

श्री रमेश (सपोटरा): जो माननीय सदस्य केकड़ी से आने वालों ने कहा है...

श्री सभापति: अब अपनी बात जारी रखो आप।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी): बिलकुल कहा है।

श्री रमेश (सपोटरा): वास्तव में अगर कोई गड़बड़ हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है तो सरकार जांच करवाये और दोषी चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे अधिकारी हो, उसको जेल भिजवाये। हम तैयार हैं। हम कोई मना कर रहे हैं क्या? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी): उसका विषय भी कहो कि आपके शासन में ...(व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): और जिसकी बात कर रहे हो अभी फागी और अंता 765 केवी की, उसकी भी मैं आपको दो मिनट में बताने वाला हूं। इसको पूरा कर रहा था मैं।

श्री सभापति: हां, दो मिनट में समाप्त कर दो आपकी बात।

श्री रमेश (सपोटरा): हां। सिटी जो 35,000 में आनी है, लाखों में खरीदी जा रही है; आपकी लाइनिंग और स्ट्रक्चर भारी ऊंची दरों पर खरीदी जा रही है, फिल्टर मशीनों की कीमत बहुत अच्छी दरों पर। दूसरा 132 केवी के जी एस एस, जो आपने 18 जी एस एस आउटसोर्सिंग सिस्टम के आधार पर कि बाहर की कंपनी आकर काम करेगी और 132 जीएसएस का किराया ...

श्री सभापति: अब समाप्त करें। सुश्री कीर्ति कुमारी।

श्री रमेश (सपोटरा): 1.63 करोड़, यह भ्रष्टाचार है इसमें बहुत-बड़ा, साहब, मैं आपको बता रहा हूं। इसी तरह अभी भरतपुर और कोटा को आप प्राइवेट कंपनी को देने जा रहे हैं, उसका टेण्डर हो गया। तो प्राइवेट कंपनी आएगी, लट्ठ देगी लोगों के और गुंडागर्दी बढ़ेगी। पुलिस में भी भ्रष्टाचार बढ़ेगा।

सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़): सभापति महोदय, राजस्थान राज्य विद्युत वितरण उत्तरदायित्व विधेयक, 2016 और आज राज्य में विद्युत की स्थिति पर विचार पर मुझे आपने बोलने का मौका दिया। मैं गर्व से सदन में कहूंगी कि आज ...(व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): सभापति महोदय, मैं जो कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को आपने नहीं सुना।

श्री सभापति: मैं आपसे पहले ही निवेदन कर रहा था, समाप्त करो।

श्री रमेश (सपोटरा): मैं आपको निवेदन कर रहा हूं फिर। मैं पूरे इस सदन के हित की बात कर रहा हूं। अभी मैंने आपको सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी के बारे में बताया है कि उसमें भयंकर भ्रष्टाचार है, लेकिन आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हो। मैं सदन के हित की बात कर रहा हूं; न कोई भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, न कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं।

सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़): सभापति महोदय, आज सदन में यह कहूं कि हमारी रोटी, कपड़ा और मकान की जो आवश्यकता थी, उसमें आज के विज्ञान के युग में बिजली को और जोड़ दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

श्री रमेश (सपोटरा): लेकिन जिस प्रकार सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है, मोनोपोली हो रही है, बी ओ बी ए के माध्यम से, एस एल सी के माध्यम से और ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें आप।

सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़): सुराज संकल्प यात्रा में हमारी मुख्य मंत्रीजी ने जो हमारे राजस्थान प्रदेश को...

श्री रमेश (सपोटरा): जिसमें आर आर सी के माध्यम से एक नोडल एजेंसी बनी है कि ...

श्री सभापति: अंकित मत करो इनका।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री सभापति: आपको समय दे दिया, बहुत समय दे दिया, आप विराजें प्लीज।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री सभापति: चलो, एक मिनट बोलो आप खाली। लास्ट एक मिनट। एक मिनट में बात समाप्त करो आपकी।

श्री रमेश (सपोटरा): मैं एक चीज कहना चाह रहा था कि आप सोलर एनर्जी की छोडो, मैं किसानों की बात करता हूं कि दो लाख किसानों को सस्ती बिजली की कटौती की तैयारी सरकार कर रही है। माननीय मंत्रीजी से

(श्री रमेश)

कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा अफैक्टेड आपके पश्चिमी राजस्थान के किसान होंगे। आप जो कृषि पर सब्सिडी काटने जा रहे हो, एक लाख की सीमा रखने जा रहे हो, तो सबसे ज्यादा अफैक्टेड पश्चिमी राजस्थान के किसान होंगे। यह बात भी आप ध्यान रख लेना।

सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार सरकार सोलर एनर्जी में, विंड एनर्जी में जो जमीनों का बंटवारा कर रही है, आपको बता दूं, सोलर एनर्जी में 31,952 बीघा अलाट कर दी है, विंड एनर्जी में 1,05,808 बीघा; कुल डेढ़ लाख बीघा, मैंने पांच वर्ष का पूछा था उसमें, और इनकी जो जनरेशन है वह बता दूं आपको, सोलर एनर्जी में 114 विकासकर्ताओं ने सोलर एनर्जी के प्लांट लगाये और जो बिजली उत्पादन कर रहे हैं, दिसम्बर 2015 तक मात्र 409.60 मेगावाट ...

श्री सभापति: सुश्री कीर्ति कुमारी। अब विराजो आप। अब अंकित मत करना।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़): सभापति महोदय, राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबंधन उत्तरदायित्व विधेयक, 2016 और राज्य में विद्युत की स्थिति पर विचार के अवसर पर आज सदन में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, आज विज्ञान का युग है। ऐसे समय में कहूं कि रोटी, कपड़ा और मकान के साथ में अगर बिजली को भी जोड़ दिया जाये तो आज के विज्ञान के युग में यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

मैं सदन में गर्व से कहना चाहती हूं कि सुराज संकल्प जो हमारी मुख्य मंत्रीजी ने लिया था राजस्थान में सुशासन देने के लिये, ऐसे ही प्रयास हमारी मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान के प्रदेशवासियों के लिये किये हैं। हमारी सरकार किसानों के हित की सरकार है। सभापति महोदय, हमारी मुख्य मंत्री जी ने 2014-15-16 में 40-40 हजार किसानों को बिजली के कनेक्शन दिये। इससे पता चलता है कि हमारी सरकार किसानों के हित की सरकार है।

इसके साथ ही 33 केवी जी एस एस से छोटे उद्योगपतियों को बिना पर्यावरण की एन ओ सी के कनेक्शन दिये। इसके लिये मैं मुख्य मंत्रीजी का और मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करूंगी कि हमारी सरकार ने छोटे उद्योगपतियों के बारे में भी सोचा।

(सुश्री कीर्तिकुमारी)

मुख्य मंत्रीजी को और मंत्रीजी को कुछ निवेदन करना चाहती हूं कि हमारी सरकार बी पी एल के परिवारों को जो कनेक्शन देना चाहती है, उसमें कुछ ही कमी रह रही है। जैसे कहीं-कहीं पर कुछ पोल वगैरह कम हैं। उसकी जल्दी से आपूर्ति हो ताकि गरीब लोगों को बिजली का कनेक्शन शीघ्र उपलब्ध हो जाये।

हमारी सरकार की मैं बहुत सराहना करूंगी कि फीडर सुधार का जो कार्यक्रम है इससे जन-धन हानि में बहुत बचत होगी और हमारी सरकार, हमारी मुख्य मंत्रीजी संवेदनशील हैं, वे राजस्थान के लोगों का हित चाहती हैं, ऐसा इससे प्रतीत होता है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण की जो योजना है, मैं निवेदन करना चाहती हूं, मांग करना चाहती हूं कि यह बहुत जल्दी चालू हो। इससे 24 घंटे कस्बों में थ्री-फेज लाइट आयेगी और थ्री-फेज लाइट से कस्बों में युवाओं को छोटा-मोटा उद्योग लगाने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। जो हमारी मुख्य मंत्रीजी की इच्छा है कि युवाओं को रोजगार दें, उसमें यह एक कदम सिद्ध होगा।

मैं सरकार से चाहती हूं कि धार्मिक स्थल पर बहुत ही कम खर्चे में बिजली हम दे सकते हैं, तो धार्मिक स्थल पर भी हम बिजली पहुंचायें।

मैं चाहती हूं कि जो हमारे 33 केवी के फीडर हैं ये थोड़े जल्दी बनें। इससे ट्रिपिंग कम होगी और बिजली के तार टूटने वगैरह से हमारे लोगों को जो असुविधाएं होती हैं, वे असुविधाएं कम हो जायेंगी।

मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहती हूं कि भगतपुरा आठ और उमा जी का खेडा में 33 केवी के ग्रिड स्वीकृत हैं। तकनीकी कारण से यहां पर काम चालू नहीं हो पा रहा है। मैं चाहती हूं कि यह काम जल्दी चालू हो ताकि हमारे क्षेत्र के लोगों को इससे लाभ मिले।

बिजली विभाग में टैक्निकल कर्मचारियों की और भर्ती की जाये। हमारे जेईएन लोग हैं इनको भी ग्रेड दी जाये, ऐसा मैं चाहती हूं।

हम सभी लोग उत्तरदायी हैं और हम सोचें, ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में जो बिजली की चोरी हो रही है उसमें हम सावधानी से सहयोग करें तो हमारे ऊपर जो पिछली सरकार का बढ़ा घाटा आया है, इससे निपटने में हमें बहुत बड़ी सहायता भी मिलेगी।

(सुश्री कीर्तिकुमारी)

मैं यह भी चाहती हूं कि जो हमारे लोड शेड कुछ टाइम के लिये बढ़ाये जाते हैं, तो किसानों के हित के लिये ये हमेशा बढ़ें तो इससे उनको फायदा भी होगा और जो लोग अवैध कनेक्शन लेते हैं उसमें भी फर्क पड़ेगा।

हाई टेंशन लाइन अगर सरकार अपने स्तर पर हटाये तो यह बहुत जन हित में होगा।

सभापति महोदय, विद्युत कंपनियों के लिये जो आज बिल पेश किया गया, उसमें निवेदन करना चाहती हूं कि लोकतंत्र में इसको ध्यान में रखते हुए जनप्रतिनिधियों की सहभागिता और जिम्मेदारी उनकी ही रखी जाये।

हमारी सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत अच्छे प्रयास किये। पिछले दो सालों में हमने 4,283 मेगावाट उत्पादन में वृद्धि की है। इससे सिद्ध होता है कि हमारी सरकार उत्तरदायी सरकार है।

'उदय' योजना, उज्ज्वल डिस्काम के लिये मैं मुख्य मंत्रीजी का और प्रधान मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी।

सभापति महोदय, जन मत जानने के लिये मैंने जो बिल परिचालित करने का प्रस्ताव किया था, आपसे मैं आदेश चाहती हूं कि मुझे उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हीरालाल नागर।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबंधन उत्तरदायित्व विधेयक, 2016 पर चर्चा के लिये आपने मुझे मौका दिया, उसके लिये आपका आभार।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की विद्युत कंपनियां लगातार बढ़ रहे घाटे से जूझ रही हैं। यह घाटा बढ़ कर अभी तक लगभग 90 हजार करोड़ तक पहुंच चुका है और इसका प्रमुख कारण विगत वर्षों में पूर्ववर्ती सरकार का कुप्रबंधन रहा है। बार-बार शार्ट टर्म लोन लेना, उसकी अदायगी के लिये फिर लोन ले लेना, अधिक दर पर बिजली क्रय करना, बिजली चोरी व क्षति को लगातार बढ़ाना, ट्रांसफार्मर के कारण मीटरों के बार-बार जलने से न ही अच्छी क्वालिटी की बिजली मिली और बिलों की राशि पूरी प्राप्त नहीं हुई, ये प्रमुख कारण इनके कुप्रबंधन के रहे हैं। उसका नतीजा यह रहा है कि घाटा बढ़ता ही गया और यह लघु अवधि के ऋण बढ़ते गये। इसका आलम यह है कि इसके लिये आज कोई भी उत्तरदायी नहीं है।

(श्री हीरालाल नागर)

आज हम राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबंधन उत्तरदायित्व विधेयक, 2016 लेकर आये हैं। माननीय सभापति महोदय, राज्य वितरण कंपनियों के इस बढ़ते घाटे को और इस बढ़ रहे कर्ज से उबारने के लिये इस दिशा में किये गये प्रयास और अब किये जा रहे प्रयास ठोस कदम हैं। भारत सरकार की 'उदय' योजना के अनुकूल इस विधेयक में विद्युत कंपनियों के लिये मुख्य कार्य सूचक निर्धारित किये गये हैं जिनमें विद्युत हानि और क्षमता कम करना, प्रत्येक 33 केवी और 11 केवी फीडरों की एनर्जी अकाउंटिग को आडिट करना, 100 प्रतिशत स्वस्थ मीटरों का स्थापन और उपभोक्ताओं का मैपिंग, वास्तविक मीटर पठन के आधार पर बिलों को जारी करना, बिलों की राशि 100 प्रतिशत संग्रहित कर पूर्व की बकाया राशि का भी 10 प्रतिशत राशि संग्रहण करना और समय पर वार्षिक लेखों का तैयार करना आदि शामिल हैं।

सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त विधेयक में यह भी सुनिश्चित करने का प्रावधान है कि बिजली कंपनियां आवश्यकतानुसार क्रय की जाने वाली बिजली का पूर्व अनुमान लगायेंगी। राज्य सरकार व विद्युत नियामक आयोग को नियमित रूप से बता कर उसकी स्वीकृति प्राप्त करेंगी। बिलों में कोताही बरतने वाले अधिकारियों को कानूनी रूप से उत्तरदायी बनाया गया है, जिसके प्रति कठोर दंडात्मक कार्यवाही हो सकेगी। निश्चित ही इस विधेयक का लाना राज्य सरकार के लिये एक स्वागतयोग्य कदम है और बेहतर प्रबंधन के साथ-साथ विद्युत कंपनियों को न केवल से घाटे से उबारा जा सकेगा, अपितु बार बार विद्युत दरों के बढ़ने पर अंकुश भी लगेगा।

माननीय सभापति महोदय, जो हमारा विद्युत तंत्र है, उसमें नीचे से लगाकर ऊपर तक, केवल हम ऊपर के अधिकारियों को ही जिम्मेदार बना दें, यह इससे सम्भव नहीं होगा। जो नीचे तक इस संस्था से जुड़े हुए हैं, चाहे वे कर्मचारी हों, चाहे बिलिंग करने वाली कम्पनियां हों, जिन्हें हमने यह बिलिंग का काम दे रखा है, रीडिंग का काम दे रखा है, उनसे लेकर हर स्तर पर उत्तरदायी बनाना होगा। अगर हम उनको बिना उत्तरदायी बनाए यह आशा करते हैं कि केवल कुछ अधिकारियों को या एक कमेटी बनाकर यह सोचें कि यह सारा जो बिगड़ा हुआ तंत्र है इसको हम सुधार सकेंगे, तो यह सम्भव नहीं है। आज आवश्यकता इस बात की है कि जिस तरह से प्राइवेट कम्पनियों को बिलिंग का काम दिया गया और विद्युत वितरण निगम में पहले जो बिलिंग का काम होता था, आज उससे बदतर काम हो गया । आज उन कम्पनियों के कर्मचारी

(श्री हीरालाल नागर)

आये दिन बदलते हैं, आये दिन नये कर्मचारी लगा देते हैं। न गांव वालों को पता कि कौन मीटर रीडिंग लेने आ रहा है, न ही उन्हें उपभोक्ताओं का पता है कि कहां पर मीटर रीडिंग लेने जाना है। इससे यह होता है कि वे छह-छह महीने तक बिलों की रीडिंग लेने के लिए उपभोक्ताओं के यहां नहीं जाते हैं और फिर एकदम अनाप-शनाप एवरेज से बिल देते हैं और उसके बाद कई गुना रीडिंग बिलों में डालकर उसको पहुंचा देते हैं। नतीजा यह होता है कि किसान जब उन बिलों को लेकर ऑफिसों में चक्कर काटता है तो उन ऑफिसों में भी कई तरह के ऐसे लोग सक्रिय हैं, जिनका शिकार उन उपभोक्ताओं और किसानों को होना पड़ता है। इसके लिए रीडिंग करने वाली उस बिजली की कम्पनी के प्रति कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। उन्होंने जो गलत बिल दिया, समय पर रीडिंग नहीं ली और उस कारण से किसान परेशान हो रहा है। उसके बिल के लिए कई जगह अगर हम अधिकारियों को कहते हैं, तो उसकी वास्तविक मीटर की रीडिंग को लेकर कम भी करवाते हैं, जो वास्तव में मीटर में रीडिंग आ रही है; लेकिन कई उपभोक्ता जो हम तक नहीं पहुंच पाते और सीधे वहां जाते हैं वो भ्रष्टाचार का शिकार होते हैं। उसमें वहां के जो कर्मचारी हैं, चाहे वे टैक्निकल हेल्पर हों, चाहे कम्प्यूटर पर काम करने वाले लेखाधिकारी हों या वहां के ए.ई.एन. जे.ई.एन. हों, इस तरह का सिस्टम बना हुआ है कि वे रीडिंग कम करके और निश्चित रूप से अपना स्वयं का हित भी उसमें साधते हैं। आज इस बात पर लगाम लगाना बहुत आवश्यक है कि मीटर की रीडिंग की जगह, किसानों को जो हम कनेक्शन देते हैं, क्यों नहीं हम मध्य प्रदेश की तर्ज पर किसान को, एवरेज मानते हुए छह महीने का, छह-छह महीने में जब फसल आती है और हम उम्मीद करते हैं कि किसान हर दो महीने में जमा कराए। यह भी सम्भव नहीं होता है। हम छह-छह महीने के बिल जारी करें और प्रति हार्स पावर दर है, उसके एवरेज के हिसाब से लें।

इसी के साथ मेरा सुझाव है कि जब पांच हॉर्स पावर के बिल का कनेक्शन किसी को दिया हुआ है, अगर वह वहां के सहायक अभियंता से मिलता है तो उसको 15-16 हार्स पावर का ट्रांसफॉर्मर भी मिल जाता है; लेकिन वह अगर नहीं मिलता है तो उसको पांच हार्स पावर का ही कनेक्शन लोड के अनुसार मिलता है। इस बात की जांच कराने की आवश्यकता है कि कितने उपभोक्ताओं को अधिक क्षमता के ट्रांसफॉर्मर दिये हुए हैं और उसके क्या कारण हैं।

(श्री हीरालाल नागर)

मेरा तो इसमें एक और सुझाव है कि इस ट्रांसफॉर्मर देने के व्यवसाय को बंद करके आनलाइन किया जाए। उपभोक्ता का नाम क्यों नहीं आनलाइन हो? उसका लोड कितना है, वह नैट से जुड़ा हुआ आनलाइन होना चाहिए और उस लोड पर उसकी क्षमता के अनुसार कितने का ट्रांसफॉर्मर दिया हुआ है, यह भी आनलाइन डला हुआ होना चाहिए ताकि कोई भी नीचे से लेकर ऊपर का अधिकारी यह देख सके कि किसको अधिक लोड का ट्रांसफॉर्मर दिया हुआ है। आप ग्रुप में ट्रांसफॉर्मर दें ही नहीं। जब इंडीविजुअल 5 से लगाकर 10 के, 16 के, 25 के, ट्रांसफॉर्मर हमारे पास उपलब्ध हैं तो लोड के अनुसार ट्रांसफॉर्मर इंडीविजुअल देंगे तो इससे निश्चित रूप से चोरी पर लगाम लगेगी और भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी। आप ज्यादा लोड का ट्रांसफॉर्मर नहीं देंगे तो फिर उस पर उतने ही लोड पर किसान जब अपनी मोटर चलाएगा तो वी.सी.आर. भरने का कोई मतलब नहीं। फिर किस बात की वी.सी.आर भरेंगे? एवरेज बिल दे रहा है । इसलिए इसका सुधार हम इस तरह से करते हैं तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा किसान के प्रति सही काम होगा। इस पर मेरा सुझाव है।

इसी के साथ-साथ, हम कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मर को वेल्डिंग कर दिया गया। अगर उसकी वेल्डिंग में किसी कारण से उसमें लूज हो गया, एम.सी.बी. में खराबी आ गई, मीटर में अगर उसका कोई तार जल गया; किसान ने खेत में पानी दिया हुआ है, सम्भव नहीं है कि वहां पर वाहन जाए और उसको उतारकर सहायक अभियंता के कार्यालय में ले जाया जाए। वह वहीं उसके तकनीकी आदमी से मिलकर उसको ठीक करवाता है। नतीजा यह होता है कि उस ट्रांसफॉर्मर की जो वेल्डिंग टूटती है उसके आधार पर उसको कभी-भी बिजली कम्पनी के जो मीटर की रीडिंग लेने वाले हैं वे उसकी वी.सी.आर. भर देते हैं और वी.सी.आर. भरकर पूरे साल से गुणा करके वी.सी.आर. भरकर लोड डाल देते हैं। मेरा निवेदन है कि जब वे उतार नहीं सकते, तो बिजली कम्पनी की जिम्मेदारी है, उसको उतारकर लाएं, ठीक करें और ठीक करके वापस भी ले जाएं, लेकिन सारा काम किसान करता है। हम क्यों नहीं वेल्डिंग की व्यवस्था करें? वह भी किसान करने को तैयार है। आप वेल्डिंग वहीं करने के लिए अपने आदमियों को या अपने तकनीकी लोगों को क्यों नहीं अलाउ करते? क्यों नहीं प्रावधान डालते कि किसान अगर वेल्डिंग सैट वहां लेकर जाता है तो उसकी पुनः वेल्डिंग कर दी जाए? बहुत छोटा-सा काम है लेकिन हम उसको

(श्री हीरालाल नागर)

नहीं करते हैं और उसका खामियाजा हमारे किसान को भुगतना पड़ता है। आज स्थिति यह है कि इस वी.सी.आर. से हमारा किसान इतना त्रस्त है और आए दिन लोग परेशानी में हैं।

मेरा इसके साथ-साथ बिजली चोरी रोकने के लिए एक और सुझाव है कि हम...

श्री सभापति: माननीय सदस्य कनक्लूड करें ।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): हां, कनक्लूड कर रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे पास जब बिजली उपलब्ध है, सरप्लस बिजली है; सर्दी का समय जो किसानों के लिए पीक सीजन होता है उस समय हमारी इकाइयां बंद रही हैं; फिर हम क्यों इतने कनेक्शनों की वेटिंग का इंतजार करते हैं? हम चोरी करने के लिए बढ़ा रहे हैं। जहां पर हमारा तंत्र पहुंच रहा है, जहां पर हमें कोई संसाधन नहीं लगाने, कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप नहीं करना है, वहां अतिरिक्त ट्रांसफार्मर देकर तत्काल कनेक्शन की कोई इस तरह की एक योजना लेकर आयें जिसमें किसान सेल्फ-फाइनेंस के तहत, निगम को भी नहीं लगाना पड़े। उसके तहत उसका कनेक्शन कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से बिजली की चोरी भी रुकेगी, उसके साथ -साथ निगम पर भार नहीं पड़ेगा और एक बहुत बड़ा काम किसान का होगा उत्पादन भी बढ़ाने का हम काम करेंगे।

इन सुझावों को हम काम में नहीं लेंगे तो आप कितनी भी मानिटरिंग करा लें, केवल मानिटरिंग से कुछ होने वाला नहीं है। सदन में प्रैक्टिकल सुझाव आ रहे हैं, निश्चित रूप से उन पर भी अमल किया जाएगा। केवल हम अधिकारियों के भरोसे इस बिजली तंत्र को छोड़ दें, तो यह कतई सम्भव नहीं है। प्रैक्टिकल समस्याओं को देखते हुए उनका समाधान किया जाता है तो निश्चित रूप से उस पर रोक लगेगी।

इसी के साथ-साथ, हम कई वर्षों से यह प्रयास कर रहे हैं कि हमारे झूले हुए तार, टेढ़े खंबे हैं, स्पार्किंग होती है, बिजली हमें नहीं मिलती और उसके कारण गर्मी के समय में स्पार्किंग से खड़ी फसल जल जाती है। फसल जल गई, जो तैयार थी। निगम में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि किसान की फसल का मुआवजा दिया जाए। कई किसान इस बात से परेशान हैं। कोटा और हाड़ौती में तो हम बिजली दिन में बंद करवाते हैं, केवल इसीलिए कि किसान

(श्री हीरालाल नागर)

की गेहूँ की फसल जल नहीं जाए। तो क्यों नहीं हम कोई इंश्योरेंस कराएं? उस स्पार्किंग से अगर कोई फसल जली है, उसका मुआवजा किसान को देने का प्रबंध किया जाना चाहिए। यह बात भी, अधिकारी यहां पर मौजूद हैं, निश्चित रूप से इस हेतु कोई-न-कोई प्रयास किया जाए। तो किसानों के लिए, जिसने पूरे साल मेहनत की, और जलने के बाद कोई उसकी सुनने वाला नहीं है। कई ऐसे प्रकरण दर्ज हुए हैं, आज तक उनका कोई निस्तारण नहीं हो रहा है। उस पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है।

इसके साथ-साथ आज जो सिविल लायबिलिटी के सुझाव आये हैं, मैं कनक्लूड कर रहा हूं, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: एक मिनट में बात समाप्त करें।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): सिविल लायबिलिटी का जो बहुत बड़ा भार आज किसानों पर डाला जाता है, वास्तव में, इसको भी प्रैक्टिकल करते हुए हम सही करें तो निश्चित रूप से किसानों के हित में होगा।

मैं इतनी बात कहकर, बहुत-बहुत धन्यवाद और मैंने जो जन मत जानने के लिए प्रस्ताव दिया था उसको भी मैं वापस लेता हूं।

श्री सभापति: श्री ज्ञानचन्द जी पारख।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): सभापति महोदय, जिस उद्देश्य से यह बिल लाया गया, यह आज की जरूरत बन गई थी, वरना जो स्थिति बन रही थी उसको संभालना बहुत भारी पड़ जाता; पर उद्देश्य को हम प्राप्त कर लें इसके लिए प्रोपर मानिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। विद्युत निगम से विद्युत कम्पनी में बदलने का इसी सदन में बिल आया था, मैं भी उस समय सदस्य था, बातें हमने बहुत बड़ी-बड़ी की थीं कि यह करने से यह सुधार हो जाएगा, हमारा घाटा है वह कम हो जाएगा, हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी बातें उस समय हुई थीं। आप सब और मैं गवाह हूं इस बात के कि सोचा क्या था और आज परिणाम क्या है; तीन सौ करोड़ का घाटा एक लाख करोड़ तक पहुंच गया। कहीं न कहीं हमारे सिस्टम में कमी रही है। बस, वह कमी अब नहीं हो, इस बात का प्रयास करना बहुत जरूरी है।

पूर्ववर्ती सरकार ने बिजली की क्या हालत कर दी थी। गांव में 12 घंटे लाइट नहीं, 16 घंटे लाइट नहीं, और बड़े-बड़े शहर भी विद्युत कटौती की चपेट में। कभी विद्युत की कमी हुई तो गांव में तो बंद किया ही, शहर में घरेलू

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

बिजली काटी, उद्योग धन्धों को भी उसने बहुत प्रभावित किया। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि पाली मेरी औद्योगिक नगरी है, 4-6 घंटे विद्युत कटौती उद्योगों में की जाती थी, कितना नुकसान हुआ था उस समय इण्डस्ट्री का, कितना लेबर का नुकसान हुआ था। जैसी स्थिति इन्होंने बिजली की की उससे बद्तर स्थिति इन्होंने बिजली कम्पनियों की कर दी। कैसी दुर्गति हो गई। 15 हजार करोड़ का घाटा 5 साल में 80 हजार करोड़ तक पहुंचा दिया। कैसा प्रबंधन था।

मैं हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को, हमारे ऊर्जावान ऊर्जा मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि सरकार आते ही परिवर्तन आ गया। ढाई साल में पहले के कुछ दिन छोड़ देना, तो एक बार भी विद्युत कटौती का सामना शहरी क्षेत्र में नहीं करना पड़ा और गांव में भी 22 घंटे सिंगल फेज की मिल रही है। इण्डस्ट्री को भी एक घंटे की विद्युत कटौती का कष्ट नहीं झेलना पड़ा ।

मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने बिजली की व्यवस्था को सुधार दिया, आपने बहुत सिस्टम सुधार दिया; अब जो बिजली कम्पनियों की स्थिति है उसको सुधारने की आवश्यकता है। जिस प्रकार आप सफल रहे हो बिजली की व्यवस्था को सुधारने में, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम बिजली कम्पनियों की व्यवस्था को भी सुधार देंगे। क्योंकि बिजली आज हमारी आवश्यकता बन गई; दस मिनट भी बिजली जाती है तो फोन की घंटी एक के बाद एक लगातार चलती रहती है कि मेरे यहां लाइट नहीं आ रही। बच्चा भी नहीं चूकता कि लाइट चली गई। यह व्यवस्था बराबर रहे, इसके लिए जरूरी है कि बिजली कम्पनियों की स्थिति भी बहुत ज्यादा सुधर जाए, कि हम अपने सिस्टम में और इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे एक बात समझ में नहीं आती कि बिजली उत्पादन में जो लागत आती है या जिस दर पर हम बिजली खरीदते हैं, उसके बाद भी यह घाटा बढ़ क्यों रहा है? ऐसा नहीं है कि हम घाटे में बिजली बेच रहे हैं। एक एग्रीक्लचर कनेक्शन छोड़ दो, चाहे कार्मिशयल है, चाहे डोमेस्टिक है, चाहे इंडस्ट्रियल है, हम उनसे पूरी राशि ले रहे हैं। उसके बाद भी हमारा घाटा है। उसको हम रोक नहीं पा रहे हैं। कहीं न कहीं हमारे सिस्टम में और मरम्मत की जरूरत है, रिपेयर की जरूरत है, ताकि इस घाटे को हम दूर कर सकें। घाटे को रोकने के लिए हमने जो प्रयास किये, उनका परिणाम भी ज्यादा अच्छा नहीं आया। फीडर रिनोवेशन के नाम पर हमने 10 हजार करोड़

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

का खर्चा कर दिया, पर हम छीजत कम नहीं कर पाये, हम लीकेज कम नहीं कर पाये। जब इतना बड़ा खर्चा किया, उसका परिणाम नहीं आया तो इसको भी इनको ढूंढना होगा कि परिणाम क्यों नहीं आया।

हमने पुराने मीटर हर घर से हटवाए कि ये स्लो चलते हैं, जितनी बिजली जाती है उतनी रीडिंग नहीं आती। बाद में हमने इलेक्ट्रोनिक मीटर घर-घर में लगवाए, जो पहले की तुलना में ज्यादा तेज स्पीड से चलते थे। इस बात के तो सब गवाह हैं। ज्यों ही इलेक्ट्रोनिक मीटर लगे, हर घर का बिजली का बिल कुछ न कुछ बढ़ा है। वह भी हमने कर दिया । पहले मीटर घर के अन्दर लगे हुए थे, कि शायद गड़बड़ करते होंगे, वह हमने घर के बाहर लगवा दिया। हमने ट्रांसफार्मर पर मीटर लगवाए कि किस ट्रांसफार्मर पर कितने कनेक्शन हैं, वहां कितनी बिजली दे रहे हैं और वहां पर बिल कितना आ रहा है। तो भी जितनी चोरी पकड़नी थी, वह हम पकड़ नहीं पाए। जब तक यह ठीक नहीं होगा ना, हम कितने भी प्रयास कर लें; हमने पहले भी प्रयास किये हैं, ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं किये हैं, हमने पहले भी प्रयास किये हैं लेकिन प्रयास के बावजूद भी हमारा लगातार बढ़ा है। कहीं न कहीं प्रबंधन में बहुत बड़ी खामी है, कोई त्रुटि है।

चोरी पहले भी होती थी, चोरी अब भी होती है, घाटा फिर भी बढ़ रहा है। पहले चोरी पकड़ने के प्रयास करते थे, अब भी करते हैं, पर घाटा रुका नहीं। बार-बार माननीय सदस्य कह रहे हैं कि शीट भरी जाती है, हम टारगेट भी देते हैं कि आपको इतनी वी सी आर भरनी है, बड़ी मात्रा में उससे पैसा भी आता है; कोई फर्क नहीं पड़ता काटे का, उसका।

आडिट के नाम पर हम पुरानी वसूली करने में भी नहीं चूकते। पांच साल पहले का, दस साल पहले का आडिट का बिल पकड़ा दिया कि आडिट ने निकाला है, उसको पता नहीं, उस बापड़े को पता ही नहीं कि क्या है यह। उसकी मजबूरी है, अगर नहीं भरेगा तो कनेक्शन कटता है। पुरानी आडिट किस बात की? जब आप हर महीने मीटर का बिल दे रहे हो, हर महीने वह बिजली का बिल भर रहा है, तो फिर यह पुरानी रिकवरी का मैटर है इसको ठीक करना होगा। इससे जनता बहुत ज्यादा त्रस्त है। हमारे कहावत है, छुरी चाहे खरबूजे पर चले या खरबूजा छुरी पर, कटना बेचारे खरबूजे को ही है। चाहे गलती अधिकारी की रही, कर्मचारी की रही, गलती कम्पनी की रही, भुगतता

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

कौन है? भुगतता वह आम उपभोक्ता है, जिसको पता ही नहीं है कि मैंने क्या गड़बड़ की है। जो गड़बड़ करता है उसको तो पता है कि मैंने क्या गड़बड़ की है, मैंने क्या बदमाशी की है, वह तो इस बात के लिए तैयार रहता है, पर ऐसे हजारों-लाखों उपभोक्ता होंगे जिन्होंने जीवन में कभी चोरी नहीं की, बदमाशी नहीं की, उसके भी लंबे-लंबे बिल आडिट के नाम पर हम भेज देते हैं। तो उसको ठीक करने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय की जानकारी में कुछ, चूंकि फील्ड में जाते हैं तो कई सारी बातें ऐसी देखने को मिलती हैं, लगता है कि हमारे हाथों वाकई में कुछ गलत हो रहा है। विद्युत कनेक्शन की दरों में जो भिन्नता है, यह कइयों को बहुत दर्द पहुंचाता है। शहर में कच्ची बस्ती, कच्ची बस्ती, मतलब जिन्होंने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके मकान बनाया, वह अगर कनेक्शन लेगा तो उसकी तो रेट कम लगेगी; जिस बापड़े ने पट्टा शुदा प्लाट लिया उसकी रेट ज्यादा। यह बात थोड़ी कम समझ में आती है। जब उसके पास मालिकाना हक नहीं है उससे ज्यादा मत लो, पर उतना तो लो जिसके पास पट्टा है, जिससे आप वह दर ले रहे हो। शहर में किसी कोलोनाइजर ने कोई कालोनी बसा दी, वह भी पट्टा शुदा। तो पहले तो यह नियम था कि प्रोरेटा रेट पर कि इसके विद्युतीकरण में इतना खर्चा आएगा और उसके बाद भूखण्ड के माप से हम उसके बराबर बांट देते थे। अब हमने क्या कर दिया, हमने एकदम इतना ज्यादा, 200 रुपये प्रति स्क्वायर गज; अगर किसी के पास 200 वर्ग गज का भूखण्ड है, उसको अगर बिजली का कनेक्शन लेना है तो कम से 45 हजार का उसके कनेक्शन पड़ता है, जो पहले उसके 12-13 हजार का पड़ता था। सीधे, 45 हजार का। 40 हजार तो वह लग गये उसके और 4,100 उसके कोई रेट है आपकी; सब मिलाकर 45 हजार। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा, हमारी जन कल्याणकारी सरकार है, हमने बहुत छूटें दी हैं, हमने बहुत अच्छी व्यवस्था की है; इसके साथ अगर किसी खातेदार ने अपनी खातेदारी भूमि पर भूखण्ड काट दिये और उसका नियमन नहीं करवाया; कृषि भूमि है, कृषि भूमि में प्लाट वह लेता है जिसकी आर्थिक स्थिति ज्यादा ठीक नहीं होती, जो गरीब होता है; उसमें भी यही रेट, 200 रुपये प्रति वर्ग गज, और वही 45 हजार का उसका डिमाण्ड नोट। मैं आग्रह करूंगा सरकार से, आग्रह करूंगा मंत्री महोदय से कि इसको आप थोड़ा सा एक बार दिखवाएं; आपको लगता हो कि वाकई में यह दर अनुचित है तो

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

उसको रीजनेबल करें, ताकि वह भी विद्युत से वंचित नहीं रहे। यह मेरा दोनों से आग्रह है।

मानननीय सभापति महोदय, यह जो छोटी-मोटी बातें कई बार देखने को मिलती हैं ना, अब किसी के दो सौ वर्ग गज का मकान है और उसमें उसने 10x10 की एक दुकान लगा दी, छोटी-मोटी किराने की, मामूली-सी, मतलब जिसमें मुश्किल से एक ट्यूबलाइट और एक पंखा चलता होगा। होता क्या है, हमारा अधिकारी जायेगा; दुकान एक होगी 10x10, 10x12, 10x15 की, पूरे के पूरे बिजली के बिल को वह कॉमर्शियल में कन्वर्ट करके पैनल्टी लगाएगा, पूरी की पूरी बिजली पर। कम से कम यह कर दो आप कि जितना उसने कामर्शियल उपयोग किया है, उस तक सीमित रख दो ना आप। तो यह प्रक्रिया, यह बात न्यायपूर्ण होगी। पूरे मकान का लेना ठीक नहीं। कई मकानों में घरेलू उद्योग चलते हैं, मेरे पाली में घर-घर में चूड़ी बनाने का उद्योग चलता है, एक छोटी-सी मशीन लगती है, उस बापड़े को पता ही नहीं है कि मुझे इस मशीन के लिये इण्डस्ट्रियल या कामर्शियल कोई कनेक्शन लेना है। चूंकि मकान है इसलिये इण्डस्ट्रियल कनेक्शन उसको मिलता नहीं, और कोई बहुत लम्बी-चौड़ी कमाई भी उसकी नहीं होती पर जब पकड़ में आता है ना, तो उस घरेलू उद्योग से उसने जो पैसा कमाया है, वह सारा का सारा पैसा उसकी पैनल्टी में चला जाता है। इसलिये माननीय मंत्री महोदय से यह भी आग्रह रहेगा कि कोई छोटा-मोटा काम घर में करता है, जितने हार्स-पावर में काम करता है, उस तक आप सीमित कर दो, मेहरबानी करके। आप उससे पैसा लो, मना नहीं है, पर जितना उपयोग लिया उसका पैसा ले लो।

माननीय सभापति महोदय, एक, पता नहीं, क्या सिस्टम हो गया आजकल। हम विद्युत कनेक्शन का, चाहे वह खुद के पैसे से लें या एम.एल.ए. कोटे से, उसमें सारा का सारा पैसा बिजली घर में जमा हो जाता है। चूंकि काम हम ठेकेदार को काण्ट्रेक्ट पर देते हैं, होता क्या है, पता है आपको, वह पोल ले जाने का खर्चा भी, कि तू ट्रेक्टर लेकर आ जा, तेरे पोल ले जा, तेरे कनेक्शन कर दूंगा; तू पोल खड़ा करवा दे तो तेरी लाइन खिंच जाएगी। यह रोज की उनकी आदत बन गई। बहुत बड़ा पैसा इसमें ठेकेदार खा रहे हैं। आप जब भी वर्क-आर्डर दो ना, एक समय-सीमा निश्चित करो कि इतने दिन में तेरे को यह लाइन खड़ी करनी है, तेरे को कनेक्शन पहुंचाना है। वरना हर व्यक्ति अपना खुद का ट्रैक्टर लेकर आता है, अपने मजदूर लगाकर पोल को खड़ा करता है। उसका फायदा ठेकेदार उठाता है और हमारी बदनामी होती है।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

माननीय सभापति महोदय, यह जो ग्रामीण क्षेत्र में आबादी भूमि है, मैं बहुत जल्दी बात खतम करूंगा। मुझे पता है कि समय बहुत कम है। मैं ज्यादा नहीं, मेरे दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं। एक लास्ट सुझाव। माननीय सभापति महोदय, जो ग्रामीण क्षेत्र में आबादी भूमि के बहुत ही समीप गैर-आबादी भूमि पर यदि कोई मकान बन गये हैं और वह यदि जितना डिमाण्ड नोट आता है, उसको भरकर कनेक्शन लेना चाहे, तो हम मना कर देते हैं और विधायक कोष से करवाना चाहे तो कर देते हैं। यह क्या मतलब? समझ में नहीं आया। पैसा चाहे विधायक कोष का हो, चाहे उसका खुद का हो, अगर वह 3-4 पोल का पैसा भरकर अपना कनेक्शन लेना चाहता है तो हम बच जाएंगे विधायक। उसको नहीं दे सकते, विधायक कोष से विद्युतीकरण कर सकते हैं। यह बहुत मामूली काम है, इसको आप ठीक करें, माननीय मंत्री महोदय।

माननीय मंत्री महोदय को मैं विशेष तौर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र को इन्होंने जैसा रोशन किया, वरना बहुत बड़ा भार था हमारे विधायक कोष के ऊपर कि ये-ये ढाणियां विद्युतीकरण कराने पर पांच लाख दो, ये-ये ढाणियां विद्युतीकरण करानी हैं उसमें सात लाख दो, इसमें आठ लाख दो, दस लाख दो। मैं विद्युत मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा और मेरे क्षेत्र की जनता के लिये आभार प्रकट करूंगा कि इन्होंने दीनदयाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में मेरे क्षेत्र में हजारों ढाणियों का विद्युतीकरण करके मेरे क्षेत्र को रोशन कर दिया। मुझे 132 के.वी. जी.एस.एस. भी दिया।

अंतिम बात मेरी यह है, बात बहुत चली बिजली चोरी की, वी.सी.आर. भरने की। शहर में ऐसे इलाके हैं जहां आपके अधिकारी घुसने की हिम्मत नहीं करते और ऐसे इलाके वे हैं जो हमको वोट भी नहीं देते। यह हकीकत कह रहा हूं मैं आपको। तो कोई पुलिस व्यवस्था करो। एक बार आपकी कोई ताकत लगेगी। अधिकांश चोरी वे ही करेंगे, मैं कह देता हूं आपको, वे ही करते हैं। थोड़ा उनके ऊपर सख्ती करो आप। जितना विद्युत वे उपयोग लेते हैं, उतना पैसा ही, बर्बाद जाता है, यह बात मैं नहीं करता, पर दादागीरी से विद्युत चोरी करते हैं और वे अधिकारी को घुसने ही नहीं दें, तो फिर सरकार कहां है? फिर तंत्र कहां है? फिर तो हर व्यक्ति दादागीरी कर देगा। शहर में ऐसे 25 मोहल्ले हैं, जहां आपके अधिकारियों को भगना पड़ा। हमारे पास सरकार है, हमारे पास शासन है, प्रशासन है, इतनी बड़ी ताकत है। ऐसे विद्युत चोरों को पकड़कर उनको दण्डित करो और राहत दो।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

मैंने जो अपना जन मत जानने का प्रस्ताव दिया था, मैं उसको विथड्रा करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री नन्दकिशोर महरिया।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): धन्यवाद, सभापतिजी।

सबसे पहले आपके माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मंत्रीजी को कि पिछले एक-डेढ़ साल से जो कम्पनियों का कण्ट्रोल रूम है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है; लगभग हर 10-15 दिन से हमसे स्थिति पूछता है कि विधान सभा क्षेत्र में बिजली की क्या स्थिति है। ऐसा मेरे हिसाब से शायद पहली बार हो रहा है। जब भी लम्बी कटौती होती है, उससे पहले एक एस.एम.एस. आता है कि इस वजह से यह कटौती होने वाली है और इस समय से इस समय तक रहेगी।

इसके अलावा जो बिजली आ रही है, जितनी भी आ रही है, उसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी आ रही है। इसके लिये मैं इनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी): बिल पास तो करना ही है। फिर क्यों रात करते हो? कर दो पास।

श्री सभापति: हैं?

श्री सुन्दरलाल (पिलानी): यह बिल पास तो करना ही है। फिर क्यों रात करते हैं? सुझाव तो आ ही गये।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह आपके समझ में नहीं आई। ये कह रहे हैं ...(व्यवधान) इनकी तरफ से बोल रहा हूं। मारवाड़ी इनके समझ में नहीं आई।

श्री सभापति: बोलिये। बोलिये। क्या बोल रहे हैं, मंत्री महोदय? (व्यवधान)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ये कह रहे हैं, बिल तो पास करना ही है, कितनी ही बहस कर लो। तो पास क्यों नहीं कर रहे हो? कर दो।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी): फिर रात भी क्यों करो?

श्री सभापति: प्रजातांत्रिक ढंग से पास करेंगे।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सभापतिजी, इनका मतलब है, यह काम तो चार घण्टे पहले ही कर देना चाहिये था। सारी बहस की जरूरत ही क्या है?

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): अब जब भी बिजली की बात आती है तो किसान की बात उसके साथ जुड़ी होती है। अभी काफी माननीय सदस्यों ने बोला है।

श्री सभापति: बिल पास करने में और सड़क बनाने में बहुत फर्क है, मंत्रीजी।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैंने तो इनकी बात कही है।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): क्योंकि कृषि कनेक्शन के बारे में, अभी 2009 के कृषि कनेक्शन प्रदेश भर में दिये जा रहे हैं। 2009 में जब उन लोगों ने फाइलें भरी थीं तो भी काफी समय के बाद भरी थीं, काफी वेट के बाद भरी थीं, इंतजार के बाद भरी थीं। मुझे यह नहीं समझ आ रहा कि 2016 में हम उनसे यह पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास 2009 में ट्यूबवैल था या नहीं था, 2011 में टयूबवैल था या नहीं था। सभापतिजी, मैं पूछना चाहूंगा कि जिसको कनेक्शन 2016 में दे रहे हैं, वह 2007 में या 2008 में या 2009 में ट्यूबवैल क्यों खोदता? क्या किसान के पास इतना पैसा होता है कि वह लाख, दो लाख रुपये आज से आठ साल पहले लगा देता? अगर उसका हमने फार्म जमा किया है, उसको रसीद दी है, उसके पैसे जमा किये हैं कि आपको कनेक्शन देंगे और साथ में एक एफिडेविट भी लिया कि जब आप कनेक्शन लेंगे उस समय एक कुआं खोद कर ले लेंगे और आज हम कह रहे हैं कि आपके पास उस दिन कुआं नहीं था, इसलिए कनेक्शन नहीं देंगे। पहले इसमें डार्क जोन का बहाना आया जो सर्वथा गलत है। मेरे क्षेत्र फतेहपुर में पिछले दस साल में पानी का लेवल बढ़ा है, ऊपर आया है, वहां पर बिलकुल डार्क जोन की स्थिति नहीं है, वहां भी यही नियम लागू है।

इसके अलावा, जो 2011 का सर्वे हुआ, टोटल फर्जी सर्वे हुआ। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मेरा खुद का सीकर के रेवासा ग्राम में 443 नम्बर का खसरा है, उसमें सन् 1996 से ट्यूबवैल है और बिजली विभाग का कनेक्शन है, वह चल रहा है और आज भी जमाबंदी में वहां पर ट्यूबवैल नहीं दिखाया हुआ है। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि किस तरह का वह

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

सर्वे हुआ था। उस सर्वे के आधार पर आज किसान को परेशान किया जा रहा है, बिलकुल गलत है। माननीय न्यायालय ने जो डिसिजन दिया था उसमें कहीं पर ऐसा नहीं लिखा कि ट्यूबवैल न खोदें। उन्होंने यह कहा था कि सरकार जहां पर ठीक समझे, वहां पर खोदें। कोई मनाही नहीं थी उसमें और सरकार ने कलेक्टर्स को अधिकृत किया कि आप लोग देखकर खुदवाएं। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को और सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने 2009 में फार्म भरे थे और आज जिनके डिमांड नोट निकले हुए हैं उन लोगों को कतई परेशान नहीं किया जाए और उनको सीधे-सीधे कनेक्शन दे दिये जाएं, ऐसी घोषणा माननीय मंत्रीजी करें तो पूरे प्रदेश के किसानों के लिए बहुत बढ़िया होगा।

40 हजार कनेक्शन देने हैं तो 40 हजार लोग ही लेंगे। अब यह बात कोई कहे, किसी उद्योगपति ने आज तक ऐसा किया है क्या कि आज से 10 साल पहले फैक्ट्री लगा ली और उत्पादन आज शुरू करे? मतलब, आज से आठ साल पहले आपके पास ट्यूबवैल होना चाहिए, कहीं तर्कसंगत बात नहीं है। इस पर विचार करना चाहिए और बिलकुल स्पष्ट निर्देश देने चाहिए, अन्यथा आज के दिन किसान पटवारी से, तहसीलदार से, बिजली विभाग से, हर जगह इस बात को लेकर लूटा जा रहा है। आठ-नौ साल के इंतजार के बाद उसको कनेक्शन मिल रहा है, उस समय उसको जब मनाही होती है तो उसके साथ क्या-क्या होता है, वह हम सब समझ सकते हैं।

इसके अलावा जो मीटर्स की बात है, मीटर खराब भी होते हैं, जलते भी हैं और उनमें समय भी लगता है बदलने में लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मीटर खराब की अगर आप एप्लिकेशन दे दो और उसको बदला नहीं जाए, तो उस दरमियान कम से कम वी.सी.आर. उसकी नहीं भरी जाए। आज जो आदमी आफिस में एप्लिकेशन देने आता है कि यह मेरा मीटर खराब है, उसी के दूसरे दिन डिपार्टमेंट के लोग चले जाते हैं और वी.सी.आर. भरते हैं। यह बड़ा गलत है। इससे पूरे प्रदेश में बड़ा गलत मैसेज जा रहा है।

मुख्यमंत्री सबके लिए विद्युत योजना, 2013 में जो डिमांड नोट निकले थे, उनको चाहे दीनदयाल उपाध्याय योजना के थ्रू दें या चाहे किसी भी तरीके से दें, बहुत लंबा इंतजार उन लोगों ने कर लिया है, उनको तुरन्त, जितना हो सके, कनेक्शन अपन लोगों को देना चाहिए।

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

सोलर एक मात्र विकल्प है और ईश्वर की कृपा है कि राजस्थान में इसकी बहुतायत है, सोलर एनर्जी की और यही आने वाले समय में सिर्फ अपने इस तंत्र को बचा सकता है। सोलर का जो बड़ा फार्म है, वह तो चुनिंदा लोग ही लगाएंगे लेकिन अगर ड्युअल मीटरिंग जिसको, पिछली साल उसका टैरिफ भी अपने यहां पर तय हो गया था, उसके थ्रू अगर घर-घर में सोलर लगाया जाए और उसकी ड्युअल मीटरिंग की जाएगी, जितना उत्पादन हो, वह डिपार्टमेंट को चला जाए और जितना वह लें उसका वह पैसा दे दें और डिफरेंस बिल आता रहे, जैसा हमारे मुख्य मंत्रीजी ने भी अपने घर पर लगा रखा है, बड़ी अच्छी उन्होंने शुरुआत की है, यह अगर प्रदेश भर में हो जाए तो निश्चित रूप से अपना उत्पादन भी बढ़ेगा और इसके प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। यह मैं कहना चाहूंगा।

हमारे क्षेत्र में 127 गांव हैं फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र में और दो बड़े नगर हैं। वहां पर एक एक्स.ईएन. आफिस होना बड़ा आवश्यक है। फतेहपुर नगर में 20 हजार से ऊपर कनेक्शन हैं, वहां पर एक 33 के.वी.ए. ग्रिड की और आवश्यकता है, जिससे बढ़िया क्वालिटी की बिजली मिल सके और छीजत भी कम हो। मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे भाकरवासी में पिछले दो साल से ग्रिड बना पड़ा है लेकिन अब तक शुरू नहीं हो पाया है, छोटी-मोटी वजह से। उसको स्टार्ट किया जाए। हुडेरा में अब तक ग्रिड सैंक्शन होने के बाद भी जमीन डिपार्टमेंट नहीं ले पाया है। उसके लिए कोई कार्यवाही करें।

ज्यादातर विषय आ चुके हैं, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलकर, अभी पाली से आने वाले माननीय सदस्य जैसा बता रहे थे कि कालोनीज में चालीस-चालीस, पचास-पचास हजार रुपये एक प्लाट के कनेक्शन लेने के लिए लगते हैं, तो उस बात पर थोड़ा ध्यान देकर उसको वापस से ठीक किया जाए।

जन मत जानने हेतु मैंने तीन महीने के लिए परिचालित करने का जो संशोधन दिया था, उसको मैं वापस लेने की अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे; श्री मनोज कुमार।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व विधेयक, 2016 और विद्युत

(श्री मनोज कुमार)

पर चर्चा पर बोलने का आपने मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, हमारे राजस्थान में बिजली के बारे में आज जो चर्चा चल रही है, बड़ा गम्भीर विषय है राजस्थान का और राजस्थान के किसान का। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बारे में हम चर्चा करते आए हैं कि यह घाटा कांग्रेस 72 हजार करोड़ पर ले गयी, वी.जे.पी. ने इसको बढ़ाकर और ज्यादा कर दिया और आज घाटा बढ़ता ही जा रहा है। घटने की कहीं स्थिति नहीं है।

लेकिन, माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाह रहा हूं कि यह भारतीय जनता पार्टी हो या चाहे कांग्रेस की सरकार हो, हमारी सरकारें, जब भी किसी प्रकार के कानून हम ला रहे हैं, सर्कूलर हम जारी कर रहे हैं, नियम हम बना रहे हैं और उसको बनाने के बाद हमारी मानिटरिंग के नाम से इन कानूनों की पालना हो रही है या नहीं हो रही, हमने नियम बनाए उनकी पालना हो रही है या नहीं हो रही, हमारे सर्कूलर सरकार के द्वारा जो जारी किये गये हैं उनकी पालना हो रही है या नहीं हो रही, इस प्रकार की हमारी मानिटरिंग किसी भी सरकार की नहीं रही है। यह बिजली विभाग के कर्मचारी हों, चाहे किसी अन्य विभाग के कर्मचारी हों, सरकार जो नियम, कानून और सर्कूलर जारी करती है, उसकी पालना वे अपने अनुसार करते हैं। क्या किस कानून को हमें कब उपयोग करना है, किस सर्कूलर का हमें कब उपयोग करना है और किस नियम को कब लागू करना है, जहां पर हमारे जन-प्रतिनिधि किसी बात के लिए इनसे बात करते हैं तो इनकी मंशा यह रहती है कि हम किसी न किसी कानून का, नियम का और सर्कूलर का अड़ंगा लगाकर उसका काम तो हमें नहीं करना है, लेकिन नीचे बैठे हुए अधिकारी जब इनको कुछ प्राप्त हो जाता है तो ये लोग उस सर्कूलर को भी दबा देते हैं, उस नियम को भी दबा देते हैं और उस कानून को भी दबाने का काम करते हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि कानून तो आप लेकर आए हो, लेकिन इसकी मानिटरिंग हमारे कानूनों की, नियमों की और सर्कूलरों की बराबर, आप तीन महीने में, चार महीने में या छह महीने का एक समय निर्धारित करें कि जिस विभाग द्वारा समय पर जो-जो कनेक्शन किये गये हैं, जो-जो जनता के वीच में आपके सर्कूलर, नियम हैं, उनकी पालना हुई है या नहीं हुई। अगर पालना नियम और सर्कूलर, कानून के

(श्री मनोज कुमार)

अनुसार नहीं हुई तो आप उन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मंशा रखेंगे तब जाकर हमारे इन कानूनों को पास करने का, हमारे नियमों को लागू कराने का, हम कहीं सफलता प्राप्त कर पाएंगे; नहीं तो ये कर्मचारी जैसी मर्जी है, जैसी इनकी इच्छा है, वैसी, उसी तरीके से उनकी पालना करवाने का काम करते हैं। मैं तो कहना चाहूंगा कि हम घाटे की जो लंवी बात कर रहे हैं, इसमें सरकार चाहे तो भारतीय जनता पार्टी की है, चाहे कांग्रेस की है, इस घाटे को आप तब तक कम नहीं कर पाएंगे जब तक ये नीचे बैठे अधिकारी और कर्मचारी अपने नियमों को तोड़कर, कानून को हटाकर, जो लाभ अपने लाभ के साथ ही साथ जनता को नियम-विरुद्ध लाभ दे रहे हैं, उसमें इस सरकार का जो मैटेरियल है, उस मैटेरियल का दुरुपयोग होता है, उसके नाम से जो पैसा खर्च होता है, उसको बचाने की मानिटरिंग करें। तब जाकर हमारे इस घाटे पर हम नियंत्रण कर सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, किसानों का अब 31 मार्च तक जो मामला चल रहा था कि किसानों के बिल की संख्या बहुत बड़ी बढ़ गयी और इस समय किसान की फसल जो अंतिम स्टेज पर, पकने की स्थिति में है, उस समय किसानों के दो लाख, तीन लाख जिनके बिल बाकी हैं, उनके आप इस समय ट्रांसफार्मर उतारने का एक ऐसा आदेश देते हैं, जो किसान को मारने का काम कर रहे हैं। क्योंकि किसान, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे हम जन-प्रतिनिधि हों, चाहे कोई भी सरकार हो, उसका अगर पालन करने का काम करता है तो वह किसान करता है। इस समय किसान को मारने का जो काम किया जाता है, उस पर नियंत्रण करने की जरूरत है। माननीय मंत्री महोदय से मैं कहना चाहता हूं कि किसान का बिल निर्धारित कर दें कि जब 20 हजार, 30 हजार और उससे अधिक अगर बिल हो जाता है, उसके बाद किसान को आप सूचित करें और किसान का बिल मासिक नहीं होकर छह महीने में, अप्रैल

(20.00 बजे)

माह में और अक्टूबर माह का महीना तय करें, क्योंकि अप्रैल माह में भी किसान का उत्पादन होता है और अक्टूबर माह में भी किसान का उत्पादन होता है। उस समय छह महीने में एक बार किसान से बिल लिया जाए। अगर उस समय किसान बिल नहीं देता है तो आप उस फसल के बाद किसान का ट्रांसफार्मर उतारने का काम करें। जिससे किसान उसका बिल भर सके। किसानों के साथ हो रहे इस अन्याय को आप किस तरीके से देख रहे हैं, मुझे

(श्री मनोज कुमार)

तो समझ में नहीं आया। हम जन-प्रतिनिधि होते हुए ऐसा आदेश निकालते हैं मार्च के समय में कि किसान का ट्रांसफार्मर उतार लिया जाए, अगर वह बिल का भुगतान नहीं करता है और उस समय किसान की फसल सूख जाती है। पैसे भरने में दो-तीन लाख रुपये किसान सक्षम नहीं है। इसलिए, मंत्री महोदय, इसका कहीं न कहीं आप सुधार करने का प्रयास करें।

किसान जो खेत में रहते हैं, उनको घरेलू कनेक्शन दिये गये हैं। जो मात्र सात घंटे की बिजली जिस तरीके से किसान को मिलती है, उसी तरीके से घरेलू कनेक्शन वालों को मिलती है। अगर, माननीय मंत्री महोदय, सरकार की यह मंशा है कि घरेलू कनेक्शन वालों को हम 24 घंटे बिजली देंगे तो क्या उस किसान के बच्चे, जो घरेलू कनेक्शन लीगल तरीके से ले रखा है, क्या उस परिवार को हम 24 घंटे बिजली देने की मानसिकता नहीं रखते? अगर रखते हैं तो सभी उन कृषकों का, जहां उन्होंने घरेलू कनेक्शन ले रखा है, उनको आप सिंगल फेस का ट्रांसफार्मर देकर 24 घंटे विद्युत से जोड़ने का काम करें। माननीय मंत्री महोदय, आपकी सरकार ने आने के बाद इसको रोकने का काम किया है। इससे पहले सरकार की यह मानसिकता थी कि उनको सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर देकर घरेलू कनेक्शन वालों को 24 घंटे बिजली दें। इसलिये, माननीय मंत्री महोदय, कहना चाहता हूं, इसमें सुधार करें।

एक माननीय मंत्री महोदय, विशेषकर के शहरी क्षेत्र में बड़ी समस्या आ गयी। आपका एक सर्कूलर जारी किया हुआ है, जिसमें जहां कृषि भूमि पर जो लोग कॉलोनी में बस गये, उसके लिये एक राइडर लगा दिया कि 50 प्रतिशत से कम आबादी वाले क्षेत्र में, जो लोग वहां रह रहे हैं, वह कॉलोनी विद्युतीकृत हो चुकी है, लेकिन उसमें लगाया कि आप 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर का भुगतान करेंगे तो आपको घरेलू कनेक्शन दिया जाएगा। मैं, माननीय मंत्री महोदय, कहना चाहता हूं, एक घर बनाने वाले व्यक्ति को अगर 50-50 हजार या एक-एक लाख रुपये का डिमांड नोटिस अगर आप देना चाहते हैं तो क्या वह उपभोक्ता कनेक्शन ले पाएगा? माननीय मंत्री महोदय, मैं कहना चाहता हूं, जो कालोनी पहले से विद्युतीकृत हो चुकी है, वहां कम से कम इस 50 प्रतिशत के राइडर को हटाने का काम करें और वहां आप फ्री करें।

जहां लाइन जुड़ गयी है, वहां आप उनको विद्युत कनेक्शन देने का काम करें, क्योंकि कहीं भी नगरपालिका क्षेत्र में सिवाय कृषि भूमि के दूसरी भूमि नहीं है। इसलिए यहां बिजली विभाग किसको कनेक्शन देगा? आप

(श्री मनोज कुमार)

ग्रामीण क्षेत्र में गोचर भूमि पर नहीं देते, आप शहरी में कृषि भूमि में नहीं देते, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि पर नहीं देते, तो आपकी अब वर्तमान की स्थिति यह आ गयी कि किसी भी गांव में और शहर में गोचर भूमि और कृषि भूमि के अलावा दूसरी कोई भूमि नहीं बची हुई है। तो आप कनेक्शन किसको देंगे? इसलिये सरकार इस पर गहनता से विचार करे।

मैं कहना चाहता हूं, गोचर भूमि पर जो लोग बस गये, सरकार उनका अगर अतिक्रमण नहीं हटा रही तो फिर विद्युतीकरण करने में कहां दिक्कत आ गयी? अगर सरकार उनका अतिक्रमण हटाने जाए कि यह गोचर भूमि में लोग बस गये, इनका अतिक्रमण हटायें, तो बिजली का कनेक्शन भी हट जाएगा। उसको चाहे आप अस्थायी रूप से, या आप उनका शपथ पत्र लेकर कि जब भी आपका अतिक्रमण मानकर सरकार हटाना चाहेगी, उस दिन आपका विद्युत कनेक्शन भी साथ हटा दिया जाएगा। ऐसा शपथ पत्र लेकर उस लोगों को जोड़ने का काम करें।

एक बात और कहना चाहूंगा कि आपने पहले कृषि कनेक्शन जहां सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता था, वहां से 500 मीटर के दायरे में आप सिंगल फेज का कनेक्शन देते थे और आज आपकी सरकार ने उसको रोकने का काम किया है। माननीय मंत्री महोदय, इसकी भी आप वापस छूट दें कि जो 500 मीटर के दायरे में सिंगल फेज के कृषि में आ रहे हैं, उनको आप शामिल करें और उनका लाभ इस राजस्थान की जनता को देने का काम करें और यह विस्तार करें।

इसके साथ ही मैं एक विशेषकर तकनीकी कर्मचारी, जो सबसे ज्यादा क्षेत्र में काम करता है, उस तकनीकी कर्मचारी के अगर किसी प्रकार की, लाइनमैन के अगर ट्रेजडी हो जाती है, विद्युत करंट से वह अस्थायी रूप से विकलांग हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो आपके इन उच्चाधिकारियों के चक्कर लगाते-लगाते उस लाइनमैन का परिवार तंग हो जाता है, लेकिन जो लाभ उसको मिलने चाहिये, ये अधिकारी उसको समय पर लाभ नहीं देते। इसलिये कहना चाहता हूं, जो फील्ड में जनता का काम करता है, उसको आप सबसे ज्यादा फायदा देने का काम करें और उसके लिये आप समय निर्धारित करें कि उसके साथ जो भी ट्रेजडी हो गयी, उसका हम 7 दिन, 10 दिन या 15 दिन में लाभ देने का काम करेंगे। उस पर सरकार के अधिकारी तुरन्त प्रभाव से विचार करें और जो तकनीकी सहायक धरातल पर

(श्री मनोज कुमार)

काम करते हैं, उनको विद्युतरोधी ड्रेस, दस्ताने, जूते आदि की पूरी व्यवस्था सरकार हर विद्युत विभाग के उपखण्ड कार्यालय में करे, जिससे इनको सारे तंत्र विद्युतरोधी के मिल सकें, जिससे कि इनका भविष्य सुरक्षित हो सके।

विद्युत विभाग द्वारा टेण्डर की जो प्रक्रिया है, उसकी भी मानिटरिंग बहुत कम हो रही है। ठेकेदार को ठेका दिया जाता है, उसका कोई निर्धारित समय नहीं है कि वह कब तक काम करे। जैसा अभी ज्ञानचन्दजी पारख बता रहे थे कि वे अपनी मर्जी से काम करते हैं, उपभोक्ताओं से सारा काम करवाते हैं और पैसा ठेकेदार लेता है। इसलिये इसकी भी मॉनिटरिंग की जाए और मॉनिटरिंग में भी समय निर्धारित किया जाए कि कितने दिन में हम जो ठेका हो गया, उसमें काम करेंगे।

मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि प्रदेश में सरकार लम्बे समय से कभी भारतीय जनता पार्टी की आयी, कभी कांग्रेस की आयी, लेकिन ये लोग कहते हैं कि आप लोग किसानों की बात करते हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जैसे अदर स्टेट में किसानों को मुफ्त बिजली दे रहे हैं, आपकी सरकार इस पर भी विचार करे कि इस राजस्थान के किसान को कैसे हम मुफ्त बिजली दे सकते हैं। इस पर गौर करें। राजस्थान के किसान को, जो हमारे जीवन-यापन का आधार है, उसको आप मुफ्त में बिजली देने का काम करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा की दो बात और कहकर अपने शब्दों को विराम दूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में लम्बे समय से दो जी एस एस स्वीकृत हैं, लेकिन दोनों जी एस एस में से अभी तक एक का तो काम भी शुरू नहीं हुआ है, एक का काम शुरू हो चुका है। उसमें अगर कोई भी छोटी-मोटी बाधा आ जाती है, तो यह प्रशासन के लोग सिर्फ इतना ही कहते हैं कि वहां यह बाधा आ गयी। मैं कहता हूं, जितनी आपको कानूनी प्रक्रिया अपनानी है वह कानूनी प्रक्रिया अपनाइये, आप सरकार का जहां सहयोग लेना हो लीजिए, लेकिन जो जी एस एस निर्माणाधीन हैं, उनका आप निर्माण कराने का काम करें। माननीय मंत्री महोदय, मैं इसे पहले भी कह चुका हूं, मेरे दोनों जी एस एस का आप तुरन्त निर्माण कराने का काम करें।

एक बड़ी समस्या है, हमारे विधायक कोष से, सांसद कोष से, पूर्व में जो 5 एच पी के या 10 एच पी के जहां भी ट्रांसफार्मर लग गये, कनेक्शन पांच

(श्री मनोज कुमार)

या दस घरों को दे दिये गये और वहां अब घरों की संख्या बढ़कर 15 हो गयी। वहां आपके विभाग द्वारा उसको और ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ाकर उन लोगों को कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं, इसमें फ्री करें, इनको छूट दें कि जहां 5 एच पी का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और वहां अगर तीन घर और बढ़ गये तो आप वहां 10 एच पी का ट्रांसफार्मर लगावें; जहां 10 एच पी का लगा हुआ है, वहां और चार-पांच घर बढ़ गये तो वहां 16 एच पी का ट्रांसफार्मर लगाया जाए जिससे वहां घर बनाने वाले व्यक्तियों को, बिजली का सारा तंत्र खड़ा हो, तो फिर उनको लाभ दिया जाए। इसमें आप छूट प्रदान करें, जिससे राजस्थान की जनता को इसका लाभ मिल सके।

इसके साथ ही मेरे शहरी क्षेत्र में पिछले डेढ़ साल से, माननीय मंत्री महोदय, डी आर पी एक कम्पनी के माध्यम से फीडर सुधार का या शहरी सुधार का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन डेढ़ साल में 20 परसेंट भी काम वह कम्पनी नहीं कर पायी; जिसका निर्धारित समय छह महीने का था, लेकिन डेढ़ साल से वह काम नहीं कर पाये। माननीय प्रभारी मंत्रीजी की मीटिंग में भी मैंने रखा था और माननीय प्रभारी मंत्रीजी ने उसको ब्लैकलिस्ट करने का पूरी मीटिंग में आपके प्रभारी सचिव के सामने रखा था, लेकिन न तो वह ब्लैक लिस्टेड हुई और न आज तक उसका काम पूरा किया गया। इसलिये, माननीय मंत्री महोदय, इसकी मोनिटरिंग करके आप इसका सुधार करें या पूरा काम करायें या उस कम्पनी को ब्लैक लिस्टेड करने का काम करें।

इसके साथ ही राजीव गांधी विद्युतीकरण और दीनदयाल उपाध्याय योजना का कार्य, पिछली गवर्नमेंट ने राजीव गांधीजी के नाम से लोगों को बिजली देने को कहा कि हम ढाणियों को जोड़ देंगे लेकिन उनका पांच साल का समय बीत गया और उस राजीव गांधी विद्युतीकरण का मामला वहीं की वहीं रुक गया, लोगों का विद्युतीकरण नहीं हुआ। आज आपकी दीनदयाल उपाध्याय योजना चल रही है। ढाई साल का समय तो आपका बीत गया और मुझे लगता है कि इसका सर्वे करते-करते आपका ढाई साल का समय और बीत जाएगा। फिर कोई और सरकार आ जाएगी, वह और कोई नामकरण कर देगी। मैं कहना चाहता हूं कि नामकरण तो न किया जाए लेकिन काम जनता का किया जाए जिससे जनता को इसका लाभ मिल सके। इसलिए, माननीय मंत्री महोदय, आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि इस

(श्री मनोज कुमार)

दीनदयाल उपाध्याय योजना का आप इन ढाई सालों में इस राजस्थान की जनता को लाभ दे पाएंगे।

जिस तरीके से महरिया जी ने कहा, उस बात के लिये मैं भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि वास्तव में आपके कंट्रोल रूम में जिस तरीके से आपने शुरू किया है, उस कंट्रोल रूम से जनता को और हमारे जन-प्रतिनिधियों को समय-समय पर पूछा जाता है कि आपकी विद्युत क्षेत्र में क्या-क्या समस्याएं हैं। उन पर विचार भी किया जाता है और कार्य भी किया जाता है। इसी तरीके से सरकार के अन्य मंत्रियों को भी कहना चाहता हूं कि आपके भी अपने-अपने विभाग का इस तरीके से कंट्रोल रूम बनाया जाए और जनता की और जनप्रतिनिधियों की बात सुनी जाए और उनसे रिपोर्ट ली जाए।

माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया और इस पर विचार रखने का आपने मौका दिया, आपका बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

(अनुपस्थित)

श्री मानिक चन्द जी सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सभापति महोदय, जिस बिल पर चर्चा हो रही है, मैंने प्रस्ताव किया है कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाए। प्रवर समिति के सुपुर्द इसलिए भी किया जाए क्योंकि अनेक माननीय सदस्यों ने इस बिल के कई प्रावधानों पर, इसमें जोगाराम जी ने भी सात संशोधन प्रस्तावित किये; ठीक है, यह जोगाराम जी साहब ने प्रस्तावित किये हैं, लेकिन यह बिल जितनी क्लिष्ट भाषा में है और इस बिल का जो उद्देश्य है, मैं समझता हूं कि अभी भी सदन में यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह बिल क्या है।

सभापति महोदय, 2002 में जो कम्पनियां बनायी गयीं, इसी सदन में पूर्व मुख्य मंत्री अशोक गहलोत की सरकार में जो बोर्ड को भंग करके पांच कम्पनियां बनायी गयीं और फिर जब अशोक गहलोत की सरकार आयी 2008 में तो एक फाइनेंशल री स्ट्रेक्चरिंग प्लान बनाया गया। फाइनेंशल रीस्ट्रेक्चरिंग प्लान जब बनाया गया उस वक्त तक कम्पनियों का घाटा मात्र 15 हजार 600 करोड़ था। इस फाइनेंशियल रीस्ट्रेक्चरिंग प्लान को राज्य सरकार की मन्जूरी; माननीय सदन पूरा ध्यान दे, भारत सरकार की मन्जूरी; रैग्युलेटरी कमीशन जो राजस्थान का है उसकी भी सहमति। मेरा नम्र निवेदन अनेक बार

(श्री मानिक चन्द सुराना)

इस सदन में और खास तौर से पिछले वर्ष 31 मार्च को ही इस सदन में बिजली पर चर्चा हुई और 31 मार्च को मैंने माननीय विद्युत मंत्रीजी से यह निवेदन किया कि इस फाइनेंशियल रीस्ट्रेक्चरिंग प्लान में आप इसको एग्जामिन करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी तीन आदमियों की, पांच आदमियों की बनाएं। यह फाइनेंशल रीस्ट्रक्चरिंग प्लान क्यों फेल हुआ? और 15 हजार 600 से 2013-14 तक ये 77 हजार कुछ करोड़ का घाटा क्यों हुआ? ये फीगर्स वे हैं जो माननीया मुख्य मंत्रीजी ने अपने भाषणों में कहे हैं कि 2013-14 तक 77 हजार 453 करोड़ का घाटा हुआ और 2008-09 में घाटा 15 हजार 600 था। 62 हजार करोड़ का घाटा कांग्रेस के राज में कैसे बढ़ गया? माननीय विद्युत मंत्रीजी, आपके अपने इस दो साल के कार्यकाल में 28 हजार करोड़ का घाटा कैसे बढ़ गया? और क्या फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग प्लान है? कोई कन्जेक्चर है? कोई खाली अंदाजा है या कोई प्लान है?

यह तय हुआ था कि तीन साल तक बैंकों का ऋण नहीं देंगे; यह तय हुआ था कि हर साल बिजली की रेट बढ़ायी जायेगी और बिजली की रेटों में, सभापति महोदय, हर साल, 2012-13 में 19 परसेंट बढ़ा दी, 2013-14 में 14 परसेंट बढ़ा दी, 2014-15 में अपने राज में 15 परसेंट बढ़ा दी और 2015-16 में आपने जो बढ़ायी, वह आपको ज्यादा मालूम है कि कितनी बढ़ा दी। मैंने पिछली साल आपसे पूछा भी था इस सदन में, चाहे कांग्रेस का राज हो, चाहे बी.जे.पी. का राज हो और चाहे अपना राज हो, ये टैरिफ बढ़ती रहेगी क्या? या इस टैरिफ का कोई अंत भी होगा कि इसके बाद टैरिफ नहीं बढ़ेगी? सभापति महोदय, मुझे दु:ख है कि इस बिल में आपकी यह कहने की हिम्मत नहीं हुई कि इसको लागू करने के बाद किसान की टैरिफ में, उपभोक्ता की टैरिफ में, स्मॉल इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री, माइक्रो इंडस्ट्री और बड़ी इंडस्ट्री, उनकी टैरिफ में बढ़ोतरी नहीं होगी।

सभापति जी, इसके ऑब्जेक्ट्स में, आज कम्पनियों के लिए तो मैं समझता हूं कि स्वर्णिम दिन है कि उनकी सारी जिम्मेदारियां आज राज्य सरकार अपने ऊपर ले रही है। माननीय युनुस खान जी, मेरी बात को सुनें। सारी कम्पनियों की जिम्मेदारी, आज मैं कह रहा हूं, गोल्डन डे है कम्पनियों के लिए, खास तौर से विद्युत वितरण कम्पनियों के लिए कि अब व्यवस्था, अल्पावधि ऋण, मध्यम कालीन ऋण और लम्बी अवधि का ऋण, सब कुछ व्यवस्थाएं राज को ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः सुराना साहब, आप आसन को सम्बोधित करो।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): जी?

श्री सभापतिः आसन को सम्बोधित करो, मंत्रीजी को मत करो।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): आप आसन की तरफ देखें, यूं कह रहे हैं वे। आप उधर मत देखो, आप आसन की तरफ देखें, यह।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मेरी दृष्टि में दोष नहीं है, माननीय उप सचेतक महोदय, आप अपनी दृष्टि का दोष ठीक कीजिए। आप अपनी दृष्टि का दोष ठीक करिये। आपको पिछली बार सभापति जी के यहां से यह निर्देश भी हुआ था कि दृष्टि को सही कर लीजिए।

एक माननीय सदस्यः अपनी आदत को सुधारो आप।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): नहीं, आप कोई डिस्टर्ब करना चाहते हो तो ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः सुराना साहब सीनियर माननीय सदस्य हैं, शांति से।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): मैंने तो दोहराया है। मैंने नहीं कहा, आसन ने कहा था कि आप मेरी तरफ देखें। आपने सुना नहीं, इसलिए मैंने वापस कहा था।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): कोई बात नहीं। यदि भाषण के फ्लो में नहीं भी सुना, तो न तो मैं कोई इनको उलाहना दे रहा था, न मैं कोई विद्युत मंत्रीजी को उलाहना दे रहा हूं। मैं बात कुछ सैद्धांतिक ही कह रहा हूं।

मैं कह रहा हूं, कम्पनियों के लिए गोल्डन डे है आज। उनके तो स्वर्णिम सूरज उगा है। आज से कोई जिम्मेदारी अब उनकी नहीं रहेगी। अल्प अवधि ऋण लाना है तो राज लायेगा। आप सैक्शन 3 को पढ़ें।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे। आपका जन्म दिन है आज, इसलिए वैसे भी गोल्डन डे है।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): जन्म दिन है, साहब। गोल्डन डे तो है। (व्यवधान)

श्री सभापतिः पूरे सदन की तरफ से सुराना साहब को जन्म दिन की बधाई।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): यह ताज्जुब है कि आपको इसका ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आज जन्म दिन के अवसर पर, सुराना साहब, मेरा यह निवेदन है, सबसे लम्बा भाषण होना चाहिए आज आपका।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सभापति जी, आप बात को सुनें। मैं सैक्शन 3 को पढ़ रहा हूं। सैक्शन 3 में आप गौर करें कि राज्य सरकार की ड्यूटी है कि बजट पेश होने से पहले, "(1) राज्य सरकार, दीर्घ-अवधि योजना के क्षेत्रों में, उपभोक्ता संरक्षण, विनियामक अनुपालना, कॉरपोरेट गवर्नेंस, राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वित्तीय पुनर्संरचना को सम्मिलित करते हुए, बजट सत्र के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्य विधान-मण्डल के समक्ष राज्य सरकार द्वारा राज्य में विद्युत वितरण के सम्बन्ध में किये गये अध्युपायों पर राज्य विद्युत वितरण प्रबंध विवरण रखेगी, ताकि राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए पोषणीय आधार पर प्रचालन और वित्तीय व्यावहारिकता को पूरा किया जा सके और विशिष्टतया यह निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,..." जो 'निम्नलिखित से मिल कर बनेगा', उसमें धारा 4 का जिक्र है, धारा 5 का जिक्र है, धारा 6 का जिक्र है, धारा 7 का जिक्र है और धारा 9 का जिक्र है।

इन पांचों धाराओं में, सभापति महोदय, धारा 6 को जरा देखिये, "(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए वित्तपोषण साधन के रूप में कार्य करने के लिए और राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के लिए पूंजी जुटाने और/या कम लागत पर उधार लेने के लिए, कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 18) के उपबंधों के अधीन राजस्थान राज्य विद्युत वितरण वित्त निगम लिमिटेड स्थापित करेगी।" यानी, पूंजी जुटाने के लिए राज्य विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के लिए पूंजी जुटाने के लिए, आपके कम्पनियों के लिए पूंजी जुटाने के लिए राज्य सरकार बजट से पहले पूरा प्रारूप प्रस्तुत करेगी। जैसे बजट और बजट का डिटेल देना होता है, वैसे आपका यह अलग से आयेगा, बजट से पहले।

अब आगे सुनें, सभापति जी, "राज्य सरकार, 2015-16 से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष से,..." माननीय, 2015-16 का वर्ष तो आज खतम हो रहा है। इसको 2016-17 तो करो और 2021-22 की जगह 2022-23 करो, क्योंकि 7 साल का पीरियड आपको चाहिए। मेरा प्रवर समिति में भेजने के अनेक कारण हैं, जिनमें यह सबसे बड़ा कारण है। एक साल आपने गंवा दिया। आप 2015-16 कह रहे हो, 2015-16 तो अभी रात को 12 बजे खत्म हो जायेगा।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

क्या करेंगे आप 2015-16 में, ''...से प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष से वित्तीय वर्ष 2021-22 तक की कालावधि हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वित्तपोषण साधन को निम्नलिखित वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायेगी, अर्थात्- राज्य द्वारा संग्रहीत विद्युत शुल्क के बराबर रकम...''। हमारी जितनी इलेक्ट्रिसिटी डयूटी कंसोलिडेटेड फंड में आती है, हम उस वित्त निगम को देंगे; जितने कम्पाउंडिंग चार्जेज आते हैं, वे हम उनको देंगे।

यह भी मामूली बात है, उसके नीचे सुनिये, ''वित्त पोषण साधन राज्य सरकार के अनुमोदन से, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए बाजार से निधियां जुटा सकेंगे।'' आप उधार लेंगे बाजार से और माथे किसके पड़ना है? ''राज्य सरकार उपधारा (3) के अधीन जुटाई गई निधियों के प्रतिसंदाय की प्रत्याभूति भी दे सकेगी।'' काउंटर गारंटी आप देंगे। रुपया उनके लिए आयेगा।

मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि आज से कंपनियों की सारी जिम्मेदारियां राज्य सरकार ने अपने ऊपर ले ली हैं। अब जो कंपनियों के बड़े-बड़े मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनको कुछ नहीं करना है। आपने उनके लिए एक प्रबंधन समिति बना दी है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में उनके सारे मैंनेजिंग डायरेक्टर वगैरह आ जायेंगे।

सभापति जी, मैं यह सदन के ध्यान में लाता हूं कि पूंजी जुटाने का काम राज्य सरकार करेगी, तो आज तक करती आई ही है। 60 हजार करोड़ का कर्जा अभी लिया है, इसी बजट में 20 हजार और 2015-16 में 40 हजार। जो हमारी इंटरेस्ट की लायबिलिटी 11 हजार करोड़ थी, वह इस वर्ष से 17 हजार करोड़ हो गई। 60 हजार का ब्याज 6 हजार करोड़ राज्य के माथे पड़ेगा। इस बिल में चूंकि कोई एस्टिमेट नहीं दिया गया है कि कितना रुपया हम लेंगे और राज्य कितना रुपया वित्त कंपनियों के लिए लेंगे।

सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान अनुसूची की तरफ आकर्षित करता हूं कि आपने जो इंडीकेटर्स रखे हैं, आपने जो प्रमुख कार्य सूचक रखे हैं, वे क्या-क्या रखे हैं। जरा ध्यान करें, आपने रखा है कि यदि 30 प्रतिशत से अधिक लोस है तो प्रत्येक वर्ष 3 प्रतिशत हम कम करेंगे। यानी, 30 परसेंट लोस है तो 10 साल का पीरियड तो, माननीय विद्युत मंत्रीजी, आपको चाहिए। यह लोस यदि धौलपुर में 58 परसेंट है तो आप देखिये 3 से कितने साल चाहिंए, 19 साल चाहिए आपको; 19 तीये सत्तावन, बल्कि 20 साल चाहिये।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

करौली में 55.3 परसेंट का लोस है; यह 2014-15 का लोस मैं पढ़ रहा हूं; भरतपुर में 51.68 का है और झालावाड़ में 50.78 का है। अब यह जो लास है जिसको एडमिट आपने विधान सभा प्रश्नों में किया है, मैं कहता हूं कि इस लास को, आप द्वारा घोषित लॉस को, आप द्वारा माने हुए लॉस को कम करने के लिए आपका पहला इंडिकेटर यह है कि हमें 19 साल चाहिये।

दूसरा इंडिकेटर आपका यह है कि यदि 20 से 30 परसेंट लॉस है तो डेढ़ परसेंट के हिसाब से प्रति वर्ष हम कम करेंगे। माननीय, डेढ़ परसेंट के हिसाब से भी 13 साल आपको चाहिए; 13 डेढ़ा साढ़े 20 होते हैं।13 साल, 12 साल, साढ़े 12 साल आपको चाहिये। फिर जहां 15 से 20 परसेंट लोस है, आप कहते हैं कि एक परसेंट के हिसाब से कम करेंगे। तो 15-20 साल चाहिये। यह 20 साल का पैकेज आपने दे दिया इनको कि यह लॉस को कम करें। तो 15 साल, 20 साल, जो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स आपने अनुसूची में घोषित किये हैं, उसके अनुसार 15-20 साल आराम से यह काम करते रहेंगे; प्रति वर्ष 3 परसेंट, डेढ़ परसेंट, एक परसेंट लॉस को कम करेंगे।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या बिजली बोर्ड के अधिकारियों से छिपा हुआ है कि चोरी कहां हो रही है? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके जितने ए.ईएन. हैं जो फील्ड में लगे हुए हैं, हर ए.ईएन. को मालूम है कि चोरी कहां हो रही है। आपकी मजबूत राजनीतिक शक्ति और राजनीतिक इरादा होता तो आप इस सारे लॉसेस को 2 साल, 3 साल में कवर करने की बात करते।

माननीय विद्युत मंत्रीजी, आपने इस बिल के जरिये 10 साल, 15 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल का पीरियड जो लॉसेस को घटाने के लिए इन बड़े-बड़े हमारे विद्युत अधिकारियों को, जो कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है, कोई डायरेक्टर है, कोई चीफ इंजीनियर है, इनको जो दिया है, आप इस पर विचार करें कि क्या लॉस को घटाने के लिए इतना समय दिया जाना जरूरी है। आपके प्रत्येक एक्स.ईएन., ए.ईएन. तथा जे.ईएन. को मालूम है कि चोरी कहां हो रही है। फिर भी 19 साल का जो समय देना चाहते हैं, यह आपके विवेक पर है कि आप कितना लंबा समय दें।

सभापति जी, आपने कहा है कि 98 प्रतिशत मीटर रीडिंग हम करेंगे, 2 साल के भीतर 98 परसेंट। कितने मीटर चाहिए, विद्युत मंत्रीजी? ''वास्तविक

(श्री मानिक चन्द सुराना)

मीटर पठन पर जारी किये गये बिलों वाले उपभोक्ताओं का प्रतिशत-2 वर्ष के भीतर-भीतर 98 प्रतिशत के स्तर पर पूरा करना।" यानी, ये आपके फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, मुख्य कार्य सूचक हैं जिनके आधार पर आपको बजट पेश करना है, जिसके आधार पर आपको राजस्थान विधान सभा को प्रत्येक वर्ष बजट में बताना है कि क्या करना है।

सभापति जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को इस सदन की गरिमा को बनाये रखने के लिए, इस सरकार की गरिमा को बनाये रखने के लिए और इसमें 2015-16 जो आपने लिखा है, जो बीत चुका है, उस सबको दुरुस्त करने के लिए प्रवर समिति में भेजे जाने का निवेदन मैंने किया है। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप उसे स्वीकार करने की कृपा करें।

सभापति जी, माननीय वरिष्ठ मंत्री, गृह मंत्री विराज रहे हैं, माननीय कटारिया साहब और हमारे पार्लियामेन्ट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं, मैं निवेदन करता हूं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री को कि कांग्रेस सरकार ने जो फाइनेंशियल री-स्ट्रक्चरिंग प्लान लागू किया, जिसके तहत 62 हजार करोड़ का घाटा हुआ, जिसके तहत हमारी सरकार के 2 साल में भी 28 हजार करोड़ का घाटा हुआ। तो 62 और 28, 90 और उसके पहले का 15 हजार करोड़ का घाटा, 1 लाख 5 हजार करोड़ का जो विद्युत कंपनियों में 2008-09 से लगाकर के घाटा है, मेरा निवेदन है कि इस पर एक कमीशन क्यों नहीं बने? एक व्हाइट पेपर क्यों नहीं इश्यू हो? चाहे 3 महीने लगें, चाहे 6 महीने लगें, चाहे सी ए जी से इसका ऑडिट कराइये। सी ए जी की आडिट भी साथ चले और कमीशन का काम भी साथ चले। आखिर 1 लाख 5 हजार का घाटा विद्युत वितरण कंपनियों ने किया तो व्हाइट पेपर क्यों नहीं प्रकाशित करे यह सरकार और उसकी जांच क्यों नहीं करे? क्यों फेल हुआ री-स्ट्रक्चरिंग प्लान? मैं 2 बार सदन में कह चुका हूं कि री-स्ट्रक्चरिंग प्लान पर कमेटी बनाइये, कमीशन बनाइये।

सभापति जी, मुख्य मंत्रीजी ने जो 14 जुलाई, 2014 को बोला था बजट स्पीच में, मैं उसका आपको पोर्शन सुना रहा हूं। अपने बजट भाषण में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने कहा था 14 जुलाई, 2014 को, "राज्यों की विद्युत वितरण कंपनियों के प्रबंधन में व्यापक रूप से सुधार बहुत आवश्यक है। हम भारत सरकार के सहयोग से विद्युत वितरण कंपनियों के ऋण का भी व्यापक पुनर्गठन करेंगे और विद्युत वितरण कंपनियों को अपने अगले 3 वर्षों में लघु

(श्री मानिक चन्द सुराना)

अवधि ऋण की सीमा से पूरी तरह से मुक्त करने का प्रयास करेंगे"। विद्युत कंपनियों के आडिट की बात उन्होंने अपने भाषण में कही कि सब विद्युत कंपनियों का आडिट कराया जायेगा। यह 2014 का भाषण है।

माननीय सभापति जी, मैं कहता हूं कि माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जो कहा, वह अक्षरशः सत्य हो गया। उन्होंने तो 3 साल का कहा और 2014 के बाद यह 2 साल में ही सारी कंपनियों के अल्पावधि के ऋण से उनको मुक्त कर दिया गया, उनके लंबी अवधि के ऋणों से मुक्त कर दिया गया, उनकी जिम्मेदारियां राज्य सरकार ने अपने कंधों पर ले ली। उनके लिए वित्त निगम बन रहा है, उनके लिए गारंटी राज्य देगा, पूंजी जुटाने का काम राज्य करेगा, राज्य उनको विद्युत शुल्क भी देगा। कंसोलिडेटेड फंड से आप देंगे। कंसोलिडेटेड फंड से आप उनको जो चार्जेज हैं, वह जो पेनल्टी अपन लेते हैं विद्युत बिलों में वह भी देंगे और इसके साथ में सारी पूंजी जुटाने का काम करेंगे। फिर आज उनको मुक्त कर दिया गया। माननीया मुख्य मंत्रीजी ने अक्षरश: अपने वायदे को पूरा कर दिया कि अब उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, चाहे उनको अपने वायदे से अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, पूंजी जुटाने के लिए; आप कम से कम इस सरकार के मुखिया लोग बैठे हैं, अनेक कैबिनेट मंत्री बैठे हैं, मैं कहता हूं कि इसकी जांच कराने में क्या दिक्कत है? क्यों फेल हो गया जो फाइनेंशल रीस्ट्रक्चरिंग प्लान था? और क्यों हम पर 1 लाख 5 हजार करोड़ का कर्जा इस फाइनेंशल रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के चलते-चलते हो गया?

माननीय सभापति महोदय, मैं नम्र निवेदन ही करता हूं, विचार आपको करना है; राज आपका है, आप जांच कराएं, न कराएं, आपकी मर्जी की बात है, पर विवेकसंगत बात मैंने कहने की कोशिश की है कि आप इसकी जांच कराएं ताकि पता तो चले कि कितनी किस लघु दृष्टि से यह फाइनेंशल रीस्ट्रक्चरिंग प्लान बनाया गया जो पूर्णतया फेल था।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि 40 हजार कनेक्शन जो अपन दे रहे हैं, मैंने माननीया मुख्य मंत्रीजी को पत्र लिखा था कि 40 हजार कनेक्शन में 30 हजार कनेक्शन तो आप नोर्मल रूटीन में दें पर 10 हजार कनेक्शन जो 30-40 हार्स पावर के हैं, यानी 30 हार्स पावर से

(श्री मानिक चन्द सुराना)

10 हजार कनेक्शन का 3 लाख हार्स पावर बनता है। मैंने निवेदन किया कि यह आप छोटे लोगों को, जिनकी आवश्यकता 3 हार्स पावर, 4 हार्स पावर, 5 हार्स पावर और जिन क्षेत्रों में पानी बहुत ऊपर है, नहरी क्षेत्र में एक तरफ नहर चल रही है, दूसरी तरफ पानी ऊपर आ गया है। अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां 3 हार्स पावर और 5 हार्स पावर से बारानी जमीन सिंचित हो सकती है। मैं निवेदन करता हूं कि आप इस पर विचार क्यों नहीं करते? माननीया मुख्य मंत्रीजी ने निर्देश दिया प्रमुख शासन सचिव को, विराज रहे होंगे यहां पर जरूर, संजय मल्होत्राजी को, मैं निवेदन करता हूं कि माननीया मुख्य मंत्रीजी को तो फुर्सत है पत्र लिखने की और कहने की कि मैंने उनको विचारार्थ भेज दिया है; आज तक आपके प्रमुख शासन सचिव और आपका विभाग माननीया मुख्य मंत्रीजी के उस पत्र पर सो रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो लोग 300, 400, 500 मीटर से पानी निकाल रहे हैं, जमीन का वाटर लेवल नीचे जा रहा है और दूसरी तरफ 3 हार्स पावर, 4 हार्स पावर, 5 हार्स पावर में बारानी जमीन सिंचित होती है और जहां 10 हजार यानी 30 हार्स पावर, 40 हार्स पावर चाहिए, वहां पर लोग 5 हार्स पावर से राज़ी हैं, 3 हार्स पावर से राज़ी हैं। तो आप देखें कि 10 हजार कनेक्शन की जगह 40 हजार छोटे लोगों को, कम शक्ति वाले लोगों को और कम जिनकी आवश्यकता है, उनको पानी मिलेगा। आप उसकी लाइन अलग लगाइए ताकि 40 हजार तो वे और 30 हजार नोर्मल, 40 हजार दूसरे लोगों को जो अपन विद्युत शक्ति 40 हजार लोगों को दे रहे हैं उसका सदुपयोग हो और अधिक जमीन राजस्थान की सिंचित हो।

माननीय सभापति महोदय, अंत में मेरे क्षेत्र में दो गांवों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। राजासर और करणीसर, लूणकरणसर का गांव है, दूसरा गांव किशनासर या राजपुरा होडान, यह इनमें 33 केवी की फाइल जोधपुर प्रशासन के पास चार बार जाकर लौट आई है, राजपुरा होडान की। अब, पता नहीं, उनको कितने चक्कर कटवाने जरूरी हैं। आप इंटरवीन करें और राजपुरा होडान में जो 33 केवी का प्रस्ताव है और राज्य सरकार के पास 4 बार जा चुका है, उस प्रस्ताव के अनुसार। उन लोगों को 33 केवी के कनेक्शन उस गांव के लिए स्वीकृत करें ताकि वहां पर जो जी एस एस बनना है वह जी एस एस बने और उस जी एस एस को बनाने का काम शीघ्र करें।

माननीय सभापति महोदय, किसानों के हित में अनेक बातें माननीय

(श्री मानिक चन्द सुराना)

सदस्यों ने कही हैं, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अभी राजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने भी काफी कुछ कहा है, प्रहलाद गुंजलजी ने कहा है, कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने, मैं उन सबका नाम लेकर रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन जो सजेशन आ चुके हैं सदन के रिकार्ड पर, मेरा नम्र निवेदन है कि आप उन सब सजेशंस को स्क्रूटिनाइज करें और किसानों के हित में जितने सजेशंस आये हैं उनको स्वीकार करने की कृपा करें, और इस बिल को प्रवर समिति को सुपुर्द करने की कृपा करें।

श्री सभापतिः प्रश्न यह है कि विधेयक को जन मत जानने हेतु परिचालित किए जाने के लिए जो संशोधन श्री जोगाराम पटेल, श्री प्रहलाद गुंजल, डाक्टर फूलचन्द भिण्डा, श्री शुभकरण चौधरी, श्री केसाराम चौधरी, श्री मान सिंह, सुश्री कीर्ति कुमारी, श्री हीरालाल नागर, श्री ज्ञानचन्द पारख, श्री नन्दकिशोर महरिया ने प्रस्तुत किये हैं उनको वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को जन मत जानने हेतु परिचालित किए जाने के संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबंध उत्तरदायित्व विधेयक, 2016 को जन मत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जन मत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबंध उत्तरदायित्व विधेयक, 2016 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किए जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबंध उत्तरदायित्व विधेयक, 2016 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

प्रश्न यह है कि खंड 2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खंड 2 स्वीकार किया गया।

खंड 3 । श्री जोगाराम पटेल संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

(अनुपस्थित)।

प्रश्न यह है कि खंड 3 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खंड 3 स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खंड 4 से 6 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खंड 4 से 6 स्वीकार किये गये।

श्री जोगाराम पटेल संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय सभापति महोदय, मैंने जन मत जानने व खंडवार जो संशोधन दिये हैं उनको वापस लिए जाने की अनुमति चाहता हूं।

श्री सभापति: वह तो हो गया।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): सभी खंडों के लिए मैं एक साथ ही निवेदन करता हूं कि सभी खंडों में मैंने जो संशोधन दिये, वह लेना चाहता हूं। उस वक्त बता दें।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि खंड 7 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खंड 7 स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खंड 8 व 9 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खंड 8 व 9 स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खंड 10 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

खंड 10 स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खंड 11 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खंड 11 स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खंड 12 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खंड 12 स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खंड 13 से 18 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खंड 13 से 18 स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाए?

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह जी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व विधेयक, 2016 पारित किया जाय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, इसको पारित करने का प्रस्ताव आपने विचारार्थ ले लिया है, इसको पारित करें। उसके बाद सामान्य चर्चा पर जो माननीय सदस्य रह गये, उनको बुलाकर उत्तर एक साथ ही हो जाय तो ज्यादा ठीक रहेगा। अगर आपकी अनुमति हो तो।

श्री सभापति: ठीक है। बिलकुल।

विधेयक का पारण

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व विधेयक, 2016 को पारित किया जाय।

श्री सभापतिः श्री नारायण सिंह देवल।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे ऊर्जा विभाग की चर्चा पर बोलने का समय दिया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

जब से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और राजस्थान की मुख्य मंत्री आदरणीया वसुन्धरा राजे जी ने सत्ता संभाली है, तब से मैं मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो हमारे सुराज संकल्प घोषणा-पत्र में था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम घरों के अन्दर 24 घण्टे बिजली देंगे, मैं आज यहां आपको निवेदन कर रहा हूं कि पूरे राजस्थान के अन्दर 20 से 22 घण्टे घरों में बिजली मिल रही है। किसानों को जो हमने घोषणा-पत्र में डाला था, साढ़े छह से सात घण्टे आज अच्छी गुणवत्ता की बिजली मिल रही है। पूरे राजस्थान के अन्दर जिन गांवों के अन्दर जो कोई भी किसान घरेलू कनेक्शन से वंचित था, आज कैम्प लगाकर उनको दे रहे हैं। इसके लिए भी मैं धन्यवाद दे रहा हूं। मैं मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज हम किसान के जले हुए ट्रांसफार्मर 72 घंटे में बदल रहे हैं। यहां जयपुर से मंत्रीजी के आफिस से मॉनिटरिंग की जा रही है, जन-प्रतिनिधियों से यह बात की जा रही है कि आपके यहां बिजली की क्या स्थिति है, बिजली ठीक आ रही है, या नहीं आ रही है, या और कोई समस्या है। मैं मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले 5 साल की सरकार में पूरे राजस्थान के अन्दर किसान बिजली के लिए धरने, प्रदर्शन करते थे, परन्तु इन दो सालों में हमारी सरकार ने बिजली के लिए काम किया है, आज दो साल में पूरे राजस्थान में ऐसा कोई किसान के द्वारा धरना, प्रदर्शन नहीं हुआ।

आज हम जिस बिल के लिए यहां विधान सभा में विचार-विमर्श कर रहे हैं, उसके लिए उत्तरदायी हमारी पूर्ववर्ती सरकार रही। पूर्ववर्ती सरकार ने इस बिजली कंपनी के ऊपर 60 हजार करोड़ से भी ज्यादा घाटा छोड़ा। उसके पीछे भी कारण है। मैंने पिछले दिनों एक अख़बार में पढ़ा था कि पूर्ववर्ती सरकार के टाइम में, गहलोत साहब के टाइम में, 19 रुपये में बिजली खरीदकर किसानों को 90 पैसे में बिजली दी गयी। उस कारण से इन बिजली कंपनियों के माथे पर इतना बड़ा कर्ज छोड़ा। पूर्ववर्ती सरकार ने वित्तीय पुनर्गठन योजना,

(श्री नारायण सिंह देवल)

2012 को ईमानदारी से लागू नहीं किया और कंपनी के घाटे को उबारने के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं किया। उसके कारण बिजली कंपनियों का ऋण भार 80 हजार करोड़ के करीब था, उसका सालाना ब्याज 8 हजार करोड़ होता है। वह राजस्थान के माथे पर बहुत बड़ा बोझ है।

अभी हमारे प्रतिपक्ष के साथी कह रहे थे कि विद्युत वितरण कंपनियों की कोई जगह बेच रहे हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि किसी भी, चाहे व्यक्ति हो या कोई फर्म हो या चाहे सरकारी तंत्र हो, उसके ऊपर यदि बहुत ज्यादा घाटा होगा तो ब्याज निश्चित रूप से उसको सिर उठाने नहीं देगा। इसके लिए मुख्य मंत्रीजी के विजन को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि 'उदय' योजना लाये और इस 'उदय' योजना में 2015-16 में 40 हजार करोड़ और 2016-17 में 20 हजार करोड़ का टेकओवर करके इस वितरण कंपनी का भार हल्का किया है। मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

इसके अलावा मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि साल 2014-15 में बिजली कंपनियों का घाटा 3,172 करोड़ कम हुआ है और इस वर्ष भी यह 3,500 करोड़ घाटा कम करने का लक्ष्य रखा है।

उत्पादन के क्षेत्र में मैं कहना चाहूंगा कि सरकार के प्रथम 2 साल में उत्पादन में 4,283 मेगावाट की वृद्धि हुई है। पूर्ववर्ती सरकार के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि दो साल के पूर्ववर्ती सरकार के कार्यक्रम में यह उत्पादन 2,293 मेगावाट ही हुआ। आज खुशी की बात है कि राजस्थान उत्पादन में आगे बढ़ने के कारण आत्मनिर्भर हो गया है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि वर्ष 2012-13 में प्रदेश में विद्युत क्षमता 10,308.45 मेगावाट थी और मार्च, 2015 तक विद्युत क्षमता 15,908.81 मेगावाट हुई। 2012-13 के मुकाबले 6,665.37 मेगावाट की वृद्धि हुई। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे विपक्ष के बंधु,... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, मेरा निवेदन है, थोड़ा माननीय सदस्य को बोलने दें। आपस में चर्चा नहीं करें।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): हमारे प्रतिपक्ष के सदस्य हमेशा कुछ न कुछ इसके ऊपर हर बात पर कहते हैं कि यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ। मैं आपको कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार द्वारा राज्य की स्वयं की

(श्री नारायण सिंह देवल)

भागीदारी योजनाओं में भी 2012-13 के मुकाबले 2015-16 में 1,625.79 मेगावाट बिजली उपलब्ध रही। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) केन्द्र स्तर की बात करें तो इसमें भी जो ऊर्जा है वह भी 2,894 मेगावाट बिजली की उपलब्धता रही।

अब मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि देश आजाद हुए 68 साल हो गये। मुझे याद है, पूर्ववर्ती सरकार के समय में चुनावों के समय में इन लोगों ने यह प्रलोभन दे दिया कि आपको ढाणियों में कनेक्शन करना है तो आप हमको वोट दो, हम आपकी फाइल के ऊपर सिग्नेचर करते हैं, लेकिन इनका यह सपना साकार नहीं हुआ। आज आर जी वी वाई के माध्यम से इस सरकार में जो अंतिम छोर पर व्यक्ति बैठा है, उन ढाणियों में भी बल्ब जल रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र और ढाणियों में जो लोग रह रहे हैं उन घरों में भी कनेक्शन होगा, यह अच्छी बात है।

सभापति महोदय, बिजली कंपनियों के इस घाटे में जो छीजत बढ़ रही है, उसमें मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। हमारी तीनों कंपनियों में लगभग 10 लाख मीटर जले हुए हैं और 6-6 महीने से ये मीटर खराब पड़े हैं।

श्री सभापति: कंक्लूड करें, माननीय सदस्य।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): डिस्कॉम के अधिकारियों पर इसकी जवाबदारी तय करें कि मीटर तय समय में बदले जायं।

इसके अलावा, राजस्थान में जो छीजत है वह अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा है। उसके बारे में भी हमको विचार करना चाहिए कि इस छीजत को हम लोग कैसे कम करें। हालांकि मैं मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि एल ई डी लाइट लगाने की शुरुआत की है, इससे काफी कुछ बिजली की बचत होगी।

एक मेरा सुझाव है, जो पूर्व में भी माननीय सदस्य ने कहा था कि जो डोली किस्म की जमीन है वहां पर एग्रीकल्चर कनेक्शन नहीं दिया जाता है। और उस डोली किस्म की जमीन के पीछे उद्देश्य यह था कि जो गांवों के अन्दर मन्दिर बने हुए हैं, उन मन्दिरों का रखरखाव और पूजा हो। तो उसके लिए भी ये एग्रीकल्चर कनेक्शन दिये जाएं।

अंत में मैं मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा

(श्री नारायण सिंह देवल)

क्षेत्र में करीब 8 नये जी एस एस बने हैं। उनके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और एक मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में बड़गांव और साकड़ में एक ए.ईएन. आफिस खोलें ताकि वहां के लोगों को दूर-दराज नहीं जाना पड़े।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि कई माननीय सदस्यों को बोलना है। तो 5-5 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। क्योंकि फिर मंत्रीजी को उत्तर भी देना है।

श्री अर्जुन लाल जीनगर।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय, आज बिजली की चर्चा पर मुझे आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

जब से हमारी सरकार बनी है, हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने जब से पदभार ग्रहण किया है, तब से हमारा ऊर्जा विभाग और बिजली कम्पनियां अंकुश में चल रही हैं और प्रदेश में बिजली के उत्पादन की दृष्टि से हम आत्मनिर्भर हुए हैं और इसमें कोई संशय नहीं है, जब से हम आत्मनिर्भर हुए हैं तब से बिजली भी बराबर मिल रही है। मैं पिछली सरकार के बारे में बताऊं, तो पिछली सरकार के समय जब हम राज में नहीं थे, विपक्ष में थे, उस समय हर जगह कटौती होती थी और जनता बड़ी परेशान थी। घर पर खाना खाने का समय होता तो बिजली बन्द; उद्योग पर जाओ तो बिजली बन्द; खेती के लिए जाओ तो बिजली बन्द; यानी हर जगह कटौती ही कटौती थी, लेकिन आज हम बिजली की तरफ से आत्मनिर्भर हो गये हैं, ऐसा मेरा मानना है।

ये बिजली कम्पनियां घाटे में चल रही हैं। इतना अंकुश होने के बाद भी धीरे-धीरे घाटा बढ़ता जा रहा है। तो इस घाटे को हमको कहीं न कहीं आकर कम करना पड़ेगा, इसके लिए हमें विचार करना पड़ेगा कि हमारे घाटा क्यों है और इसको किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है। यह हमें देखना पड़ेगा कि बिजली कम्पनियां घाटे में नहीं रहें और इस घाटे से बाहर आएं। इसके लिए छीजत कम होनी चाहिए, बिजली की बचत होनी चाहिए, ये कई उपाय हैं।

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

जब से हमारी सरकार आई है और हमारे मंत्रीजी पुष्पेन्द्र सिंह जी ने कार्यभार सम्भाला है, तब से मुझे जानकारी है कि हमारे घरेलू बिजली 22 से 24 घंटे तक लगातार आती है; कभी-कभी कटौती हो सकती है लेकिन 22 से 24 घंटे तक घरेलू बिजली आती है। किसानों को थ्री-फेज बिजली के लिए हमने जो वादा क्या था सुराज संकल्प यात्रा में कि किसान को 6 से 8 घंटे तक बिजली देंगे, तो आज हमको यह बिजली 7 और 8 घंटे तक मिल रही है। किसानों को पहले बिना पैसे दिये हुए ट्रांसफार्मर नहीं मिलता था, पर आज बिना पैसे दिये 72 घंटे के अन्दर-अन्दर जले हुए की जगह ट्रांसफार्मर दिये जाते हैं। इसमें भी एक सुधार की आवश्यकता है। जो जले हुए ट्रांसफार्मर हैं उनकी जगह तो हम तुरन्त दे देते हैं, लेकिन जो ट्रांसफार्मर चोरी हो जाते हैं, इस प्रदेश में ट्रांसफार्मर चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं और जो ट्रांसफार्मर चोरी हो जाता है उसकी जब तक एफ आई आर दर्ज नहीं होगी तब तक वह ट्रांसफार्मर नहीं दिया जाता है। तो मेरा आग्रह है कि चोरी की सूचना मिलते ही विभाग उस ट्रांसफार्मर को बदले तो ठीक हो जाएगा।

एक निवेदन और करना चाहूंगा कि किसान हमारा अन्नदाता है और उस अन्नदाता को हम बिजली कब-कब देते हैं, यह इस सदन से छिपी हुई बात नहीं है। अन्न पैदा करने के लिए किसान क्या नहीं करता। हमारे लिए दिन-रात खेतों के अन्दर खड़ा रहता है, जंगली जानवरों से, सर्दी से, गर्मी से अपने आपको बचाता हुआ काम करता है, परन्तु हमारे किसानों को बिजली रोटेशन से दी जाती है। सात दिन उनको दिन में बिजली मिलेगी, सात दिन रात में मिलेगी। रात में मिलेगी तो कोई बात नहीं, किसान रात में ले लेगा लेकिन रात में भी आपका जो देने का समय है वो समय देखकर मुझे आश्चर्य होता है कि किसान को रात को बिजली 11 बजे से प्रात: 5 बजे तक देते हैं। अब इतनी कड़ाके की सर्दी के अन्दर हमारा किसान जहां पर जीरो डिग्री टेम्परेचर होता है, उस समय किसान खेत में पानी देने के लिए, फसल पैदा करने के लिए खेत पर जाएगा। आप भी बता सकते हैं कि जब हम हमारे कमरों के अन्दर हीटर चलाकर, रज़ाई ओढ़कर घर में दुबके हुए रहते हैं, उस समय हमारा किसान एक कम्बल के सहारे उस खेत के अन्दर जाकर पानी देता है। मैं इतना निवेदन करूं कि इस पीड़ा को कौन समझेगा? सभापति महोदय, इस पीड़ा को आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, मंत्रिमण्डल भी जानता है, सभी विधायक भी जानते हैं, लेकिन उसके लिए कोई कुछ नहीं कर

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

रहा है। इसलिए, सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि एक बार हमारे मंत्रिमण्डल के सदस्य, हम तो जाते ही हैं, हम तो खुद ही खेती करते हैं, लेकिन हमारे आला अफसर, सेक्रेटरी, एम.डी., ये भी हमारे उस किसान के खेत पर जाकर रात को 11 बजे उसके साथ उसके खेत की मेड़ पर बैठकर चाय पीकर आ जाएं, तो मैं मान जाऊंगा कि हम उस किसान की कद्र कर रहे हैं। यह हमको देखना पड़ेगा। हमको किसान कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए किसान के हित में हमको सब कुछ करना पड़ेगा।

मेरे क्षेत्र में तो खेत के अन्दर सांप ज्यादा निकलते हैं। जब रात को किसान पानी देता है तो जहरीले कीटों के काटने के कारण मेरे यहां पर लगभग 50 से 55 किसानों की मौत हो गई और हम खेती के नाम पर उसको कृषक मित्र योजना में मात्र 2 लाख रुपये देकर इतिश्री करते हैं। क्या किसान की कीमत मात्र 2 लाख रुपये है?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, संक्षिप्त करें।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): नहीं, बहुत सुझाव हैं मेरे। इस बात पर अमल होगा और हम वापस लौटकर आयेंगे। हम और सुझाव देना चाहते हैं।

मैं निवेदन करना चाह रहा हूं वी सी आर के बारे में और वी सी आर पर बोलना पड़ेगा। वी सी आर का मामला तो ऐसा हो गया कि आज की तारीख में, आज की तारीख में हमारे वी सी आर भरने वाले, उनके नाम मैं बताऊं, हमारे यहां अधिकारी आये थे, अजमेर एक्स.ईएन. विजिलेंस उमेश कुमार.....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री राजेन्द्र राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज की कार्य सूची पूरी होने और माननीय मंत्री महोदय का उत्तर होने तक सदन का समय बढाया जाए।

श्री सभापति: आज की कार्यसूची पूरी होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

कार्यसूची पूर्ण होने तक सदन का समय बढ़ाया गया।

विधेयक का पारण

राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व विधेयक, 2016

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): अजमेर विजिलेंस एक्स.ईएन. उमेश कुमार हमारे बावरिया खेड़ा में गये, चार-पांच सिपाहियों की फौज और घरों के ऊपर चढ़ गये। घर पर चढ़कर विजिलेंस करने लगे। उसमें उन्होंने विजिलेंस में लिखा कि प्रत्येक घर में आयरन प्रेस, वाशिंग मशीन, वाटर कूलर, वाटर हीटर, छह पंखे, आठ पंखे, आठ बल्ब, आटा चक्की। भले आदमियों, गांव के अन्दर तो मेरे किसान के लाइट फिटिंग करने का तो पैसा ही नहीं है और उसके कहां से आयरन प्रेस आएगी और कहां वाशिंग मशीन होगी गांव में! सबकी वी सी आर में, 25 आदमियों की वी सी आर इसी तरह से भर दी। मैंने एम.डी. साहब को फोन किया कि मेरे किसान के घर से यह सामान चोरी हो गया। यह चोरी कैसे हो गया? कैसे भरकर ले गया? तो मैंने कहा कि ट्रक में भरकर ले गया। आप घर में आकर देख लो, उसका सामान मिल ही नहीं रहा। जब वी सी आर में यह फाइनल हो गया कि घर में सामान है, तो सामान गया कहां? एम.डी. साहब ने एक पिक्चर की स्टोरी सुना दी, वह मैं यहां नहीं बोलना चाहता हूं।

इसी प्रकार से हमारे एक्स.ईएन. विजिलेंस, चित्तौड़ कमल मीणा, उन्होंने भी जोरदार विजिलेंस की है। जे.ईएन. अनिरुद्ध सिंह कपासन....

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): दो मिनट। अनिरुद्ध सिंह कपासन; हमारा जे.ईएन. अंकित कुमार बैरवा, कपासन, आप सब वी सी आर भरने में माहिर आदमी हैं। जो किसान पैसे दे देता है उसकी वी सी आर नहीं भरी जाती और जो किसान पैसे नहीं देता है उसके वी सी आर फाड़ देते हैं। तो ऐसी स्थिति कब तक चलेगी? मैं निवेदन करना चाहूंगा.....

श्री सभापति: दो मिनट में बात समाप्त करें अपनी।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): समापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह मेरे पास वी सी आर है, जिसको मैं टेबल करूंगा, इसमें उस किसान ने चोरी की मात्र 8 हजार रुपये की, कम्पाउंडिंग राशि 7,430 रुपये और उसकी लाइबिलिटी हो गई 35 हजार 283 रुपये। एक वी सी आर में

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

कम्पाउंडिंग राशि 11,270 रुपये, सिविल लाइबिलिटी 67 हजार 576 रुपये। यह सिविल लाइबिलिटी क्या है? जब किसी किसान को आप पकड़ते हो, चोरी करते हुए पकड़ लेते हो, तो उसको एक दिन, दो दिन, चार दिन, एक महीने के उससे पैसे ले लो, पर आप एक महीने की जगह उससे 12 महीने का पैसा.....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब समाप्त करें आप।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): नहीं, नहीं, दो मिनट में।

श्री सभापति: दो मिनट हो गये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): आप 12 महीने का पैसा ले रहे हो। तो इस सिविल लाइबिलिटी को आप खतम करेंगे तो मैं सोचता हूं, सारा काम ठीक हो जाएगा।

(21.00 बजे)

अंत में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बिजली के अन्दर हम जो चाहते हैं, बिजली हर किसान को खेत के लिए, पानी देने के लिए जरूरी है और जब तक हम कनेक्शन नहीं देंगे तो किसान येन-केन-प्रकारेण अपनी फसल पैदा करने के लिए चोरी करेगा। यदि आप कनेक्शन दोगे तो चोरी नहीं होगी। इसके लिए मेरा एक सुझाव है। मध्य प्रदेश जिस प्रकार से बिजली देता है और जिस प्रकार से वसूली करता है, मध्य प्रदेश के पैटर्न पर हमारे यहां से एक कमेटी बनाई जाये, मंत्री महोदय, और हमारे विधायकों को वहां पर भेजकर, वहां का परीक्षण करवायें और उस आधार पर हम मध्य प्रदेश पैटर्न पर बिजली दें, कनेक्शन भी दें और किसान को दिन में बिजली मिले। जब तक आप किसान को दिन में बिजली नहीं दोगे, किसान संतुष्ट नहीं होगा और किसान किस प्रकार से परेशान है, आप सब जानते हैं। इसलिए मेरा यही निवेदन है कि हम सब कनेक्शन भी दें और मध्य प्रदेश पैटर्न पर यह सारा काम करें।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। बिजली पर इन सुझावों को आप लेंगे तो मैं सोचता हूं, हमारा और किसानों का भला होगा। यह लोक कल्याणकारी सरकार है और वसुन्धराजी और आप मिल करके, हम सब इस बिजली विभाग पर अंकुश करें और इस घाटे को कम करने का काम करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री घनश्याम मेहर।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बिजली पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापित महोदय, सबसे पहले तो मैं किसानों की बात करना चाहूंगा। पूरे प्रदेश में किसानों के हालात इस समय बहुत ज्यादा खराब हैं। राजस्थान के 20-25 जिले अकाल की चपेट में हैं और...

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): घनश्यामजी, आप तो खुद ही घनश्याम हैं, आप क्या प्रार्थना करते हैं! आप तो सब...

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय जोगारामजी।

ऐसी स्थिति में मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों के बिजली के बिल माफ किये जायें। ग्रामीण क्षेत्रों में जो बिजली के बिल किसान जमा नहीं करा सकते, उनके खिलाफ आये दिन एफ आई आर बिजली विभाग द्वारा कराई जाती है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में गांव अजीतपुर में जब बिजली के बिल की वसूली करने विभाग के कर्मचारी/अधिकारी गये तो मामूली कहासुनी होने पर, पैसा भी उस किरोड़ीलाल ने जमा कराया और उसके बावजूद भी उसके खिलाफ एफ आई आर दर्ज करा दी गई।

इसी तरह से महावीरजी के पास गावड़ी गांव में ट्रांसफार्मर जब उतारने गये तो एक महिला की हत्या हो गई। वह ट्रांसफार्मर भी उसके ऊपर गिर गया। ऐसे हालात प्रदेश में पैदा नहीं करें।

बिजली किसानों के लिए जीवनदायिनी है। अगर बिजली समय पर नहीं आती है तो फसल चौपट हो जाती है, ऐसे हालात में जब बिजली की वसूली की जाती है, और जब फसल पकने पर होती है, उसी समय बिजली विभाग के अधिकारी इतना तानाशाही रवैया अपनाते हैं और ट्रांसफार्मर्स को वहां से उतार लिया जाता है।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से बिजली के जो झूलते हुए तार हैं, इनको समय पर ठीक कराया जाना चाहिए। कल ही मेरे विधान सभा क्षेत्र में जीत गांव में पूरी बिजली की लाइन गिर गई और उसको आज तक भी ठीक नहीं कराया गया। कल 11 बजे की गिरी है। पीने के पानी की भी घोर समस्या वहां पैदा हो गई है। आफिस में वहां ए ईएन हैं नहीं; छह महीने से नादौती में ए ईएन की पोस्ट खाली पड़ी है। ऐसे हालात पैदा हो गये हैं।

अधिकारी सुनने को तैयार नहीं हैं। ट्रांसफार्मर दो जगह तो जमीन पर रखे हुए हैं, एक तेमावा गांव में और एक पायल में। उनको कई बार

(श्री घनश्याम)

शिकायत करने के बावजूद भी ट्रांसफार्मर खेत की मेड़ पर रखे हुए हैं। वहां पहले भी एक किसान मर चुका है और उसके बावजूद भी उस ट्रांसफार्मर को ऊपर नहीं चढ़ाया गया है। अधिकारियों से कहते हैं कि भाई, चढ़ा दिया क्या? ठेकेदार ने पैसा उठा लिया। कई अधिकारी-कर्मचारियों ने तो वहां ऐसे हालात कर दिये कि खुद की घरवाली के नाम, भाई के नाम रजिस्ट्रेशन करा रखा है और बहुत सारे ऐसे वर्क लेते हैं जो काम नहीं किया जाता और उनका बाकायदा पेमेंट हो जाता है। बहुत सारी उन्होंने क्रेडिंशल्स तैयार कर लीं। भाई, तुम लोग काम नहीं करते, कहां से इस तरह का वो किया जा रहा है? तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जिन अधिकारी-कर्मचारियों ने रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं, उन पर तुरन्त पाबंदी लगाई जाये और उनको बंद करने का काम किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, किसानों के ट्रांसफार्मर के लिए उसको समय पर, 15 दिन पहले नोटिस दिया जाये कि भाई, आपका ट्रांसफार्मर उतारेंगे, या कोई भी कंडिशन होगी। हाथों-हाथ उसी दिन अगर आप करोगे तो वह किसान के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। सरकार अगर इस मामले पर अंकुश लगाती है तो इससे निश्चित रूप से किसानों का फायदा होगा।

एक अभी क्या स्थिति पैदा हो रही है, गांवों में सिंगल फेज के कनेक्शन लगे हुए हैं, जो जनता जल योजना के नाम से हैं। उनमें ज्यादातर को बिजली के बिल जमा नहीं होने के कारण काट दिया जाता है और जब उनका ट्रांसफार्मर उतार लिया जाता है तो पीने के पानी की घोर समस्या वहां क्षेत्र में पैदा हो जाती है।

इसी तरह से तेमावा गांव में और अभी दलपुरा ग्राम पंचायत में एस सी के लोगों के दो ट्रांसफार्मर उतार लिये गये; सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने वोट नहीं दिये। इस तरह की भावना नहीं होनी चाहिए कि वोट किस पार्टी को देते हो, किसको नहीं देते हो। ऐसे हालात पैदा कर दिये। छह महीने से उनका ट्रांसफार्मर वापस नहीं रखाया गया। फिर बिजली का बिल भी जमा करा दिया गया। मैंने हस्तक्षेप किया, ग्राम पंचायत को कहा, तो ग्राम पंचायत ने पैसा नहीं जमा कराया। गांव के लोगों ने पैसा इकट्ठा करके उसका बिजली का बिल जमा करा दिया, पर आज दिन तक उसका ट्रांसफार्मर वापस नहीं रखा गया है। इस तरह की यातना जनता को नहीं दी जाये। पैसे नहीं जमा हुए;

(श्री घनश्याम)

पैसे गांव वाले जमा कराना चाहते हैं। पीने के पानी की अगर स्थिति आप ऐसे पैदा करोगे, तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन है कि जहां सिंगल फेज के कनेक्शन हैं, जो पानी पीने के लिए उपयोग में आ रहे हैं, उन पर रोक लगाई जाये। किसी भी सूरत में उनके कनेक्शनों को नहीं काटा जाये।

माननीय सभापति महोदय, नादौती में ए ईएन आफिस है, वहां ए ईएन की तुरन्त प्रभाव से पोस्टिंग कराई जाये। वहां काम बहुत प्रभावित हो रहा है। पूरा डैजर्ट एरिया है, सूखा एरिया है। वहां पानी के स्रोत पहले ही कम हैं। किसान आंदोलन कर रहे हैं अकाल की वजह से। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हो रही हैं। लोग 900-1,000 रुपये में पानी के टैंकर खरीदकर पानी पी रहे हैं। उस स्थिति में लाइट नहीं आये, वहां के ट्रांसफार्मर उतार लिये जायें, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालात पैदा हो गये हैं।

आपने मुझे मौका दिया, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इन विषयों पर तुरन्त प्रभाव से कार्रवाई करें, ए ईएन की पोस्टिंग करायें और जहां-जहां सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर्स उतारे गये हैं, उनको तुरन्त वापस लगाया जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोतम कुमार।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आज तो वाकई घनश्यामजी बन गये।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): सभापति महोदय, आज बिजली की चर्चा पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

बिजली पर हमारी प्रदेश की जो स्थिति हुई है, इसके सुधार के प्रयास सरकार द्वारा इस वर्ष किये जा रहे हैं। अगर पूर्व में इस तरह के प्रयास किये जाते तो निश्चित रूप से जो आज इतना बड़ा कर्ज अपने को देखने को मिल रहा है, वह इतना बड़ा कर्ज नहीं होता।

मैं इस विषय में अपनी ओर से भी आपके माध्यम से दो-तीन विषय पर मंत्रीजी को आग्रह करना चाहूंगा। जैसे अभी पूर्व में भी बात आई थी, मध्य प्रदेश की तरह से अपने यहां पर भी कनेक्शन दिये जायें। चूंकि मेरी विधान सभा का कुछ पार्ट मध्य प्रदेश की बोर्डर से लगता है, वहां 10-15 वर्षों पहले यह स्थिति थी कि किसान रोता था लेकिन इन 10-15 सालों में जिस तरह से सरकार ने वहां बिजली में काम किया और जिस तरह से वहां किसानों को अस्थायी कनेक्शन देकर, उनको राहत देने का काम किया है। चूंकि मैं जब भी

(श्री गोतम कुमार)

मध्य प्रदेश के उस बोर्डर एरिया में जाता हूं हमारी पंचायतों में, तो हर बार यही मांग आती है कि अपने यहां पर भी टेम्परेरी कनेक्शन चालू हों। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि उसकी रेट में भले ही अपन फर्क रखें, लेकिन टेम्परेरी कनेक्शन अगर अपन देंगे तो निश्चित रूप से यह जो चोरी की, वी सी आर भरने की प्रोब्लम आ रही है, निश्चित रूप से उस पर थोड़ी-सी लगाम लगेगी।

इसी तरह से एक मेरा आपसे आग्रह है, लगातार दो सालों से अपनी सरकार 40-40 हजार कनेक्शन जारी कर रही है और पिछले साल मार्च में आपने डिमांड भी निकाली थीं 40,000 कनेक्शन की, लगभग मई से लोगों ने पैसे जमा कराने चालू कर दिये लेकिन उनको फरवरी महीने तक ट्रांसफार्मर नहीं मिले, पोल नहीं मिले, कभी तार नहीं मिले, कभी कुछ नहीं मिला। ऐसे करके मार्च तक भी जो कनेक्शन पिछले साल जारी किये थे, उनको अपन सामान नहीं दे पाये। तो मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदयजी से आग्रह है कि इस बार आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने 40,000 नये कनेक्शन देने की घोषणा की है, उसमें सामान सही समय पर अगर आप उपलब्ध करायेंगे तो निश्चित रूप से जिस तरह से ठेकेदार वहां बेईमानी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और सामान देने में आगे-पीछे करते हैं, किसानों को चक्कर लगवाते हैं, तो उससे थोड़ी-सी किसानों को राहत मिलेगी।

मैं ज्यादा विस्तार से नहीं जाकर अपनी बात को छोटे-छोटे शब्दों में कहना चाहूंगा।

इसी प्रकार से बूंद-बूंद कनेक्शन के लिए, अपन जिस प्रकार से किसानों को डेढ़ लाख रुपये में बूंद-बूंद कनेक्शन दे रहे हैं; जो कोई छोटा किसान है, दो-तीन बीघे का किसान है, चार बीघे का किसान है, वह डेढ़ लाख रुपये देकर बूंद-बूंद का कनेक्शन नहीं ले पायेगा। ऐसे में अगर आप कोई बीस हजार, तीस हजार, चालीस हजार तक की कोई योजना लायें। मैंने पहले भी मंत्रीजी से आग्रह किया है, अगर चालीस हजार का कोई कनेक्शन होगा और उसमें जो विद्युत दरें हैं, यूनिट्स रेट जो हैं, उसमें थोड़ी-सी आप बढ़ाकर के भी आप लेंगे, तो भी किसान देने को तैयार है।

(21.10 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(श्री गोतम कुमार)

जब क्षेत्र में जाते हैं तो किसानों से बात होती है, किसान इस बात के लिए तैयार है। अगर आप तीस-चालीस हजार रुपये में कनेक्शन दो और कुछ यूनिट रेट्स अगर आप बढ़ाएंगे तो उसके लिए भी देने के लिए तैयार हैं। तो मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि इस पर भी थोड़ा-सा विचार कर किसानों को इस विषय पर भी थोड़ी-सी राहत देने का आप काम करें।

पिछली बार बजट में आदरणीया हमारी मुख्य मंत्रीजी ने जो वी सी आर की बात हो रही थी, उसमें प्रति हॉर्स पावर जो जुर्माना था दो हजार रुपये का, उसको कम करके एक हजार रुपये तक किया। उसके लिए तो मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को और मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा, लेकिन पिछली सरकार ने काला कानून लाकर के जो सिविल लायबिलिटी लगाई थी, उसमें लगभग दस से ग्यारह हजार रुपये खर्चा पर-हॉर्स पावर वी सी आर पड़ता है। लगभग पांच हॉर्स पावर की मोटर जब होती है तो लगभग साठ-सत्तर हजार की वी सी आर उस किसान के भरी जाती है। ऐसे में न तो वह किसान भर पाता है, और ऐसी स्थिति में हजारों वी सी आर अपन ने भर दीं लेकिन जमा नहीं करा पा रहे हैं। अब अपन ट्रांसफार्मर उतार रहे हैं। तो ऐसा नहीं करके अगर अपन उस वी सी आर में इस सिविल लायबिलिटी को दो-तीन हजार रुपये प्रति हॉर्स पावर कर लें तो निश्चित रूप से हम जब क्षेत्र में जाते हैं तो किसान दस, पन्द्रह, बीस हजार तक की तो वी सी आर भरने को तैयार हैं। चूंकि किसान तो, जब अगर बिजली है और वह ले सकता है तो निश्चित रूप से वह लेगा और ऐसा कोई क्षेत्र में जन-प्रतिनिधि ही नहीं होगा जो उसको रोकेगा, न तो पक्ष में और न ही विपक्ष में। तो मेरा आपसे आग्रह है कि उसको किस तरह से बिजली मिल सके, ऐसा अपने को कोई न कोई समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए।

यहां सामान की बात भी आई थी अभी। मैं जब क्षेत्र में जाता हूं और देखता हूं, जगह-जगह अपने बिजली विभाग के पोल पड़े हैं, कहीं कुछ पड़ा है; कहीं दस-दस सालों से पोल पड़े हुए हैं, सामान पड़ा हुआ है। जो यह सामान पड़ा है इसकी भी कभी-कभी ऑडिट भी होनी चाहिए। जिस तरह से गांवों में जाते हैं, कहीं आपका कोई हिसाब-किताब नहीं है और ठेकेदार वगैरह जो हैं, जिनको अपन ठेके देते हैं, वही किसानों को सामान अपना बेचते हैं। जिस तरह से फीडर रिनोवेशन की बात आई थी, एफ आर पी में जिस तरह से ठेके

(श्री गोतम कुमार)

दे-देकर के जो अपन ने पुराना सामान उतारा था; मैं आज भी गारन्टी के साथ कह सकता हूं, ऐसे कई ठेकेदारों के पास आज भी अपने बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर्स पड़े हैं, जो किसानों को सीजन में ट्रांसफार्मर्स बेचते हैं। मैंने पूर्व में भी इस तरह की एक शिकायत की थी आदरणीय सीएमडी साहब को। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से आग्रह है कि निश्चित रूप से उसकी ऑडिट कराकर के, और जो-गया-सो-गया, मैं तो यह कहता हूं कि अब भी जो आपका सामान विद्युत विभाग के आफिस से निकलता है तो अगर उसका कम्प्यूटरीकृत होकर ऑनलाइन हो और लास्ट अपना कहां-कहां क्या-क्या सामान लगा है, इसका भी अगर अपने पास ब्योरा हो जाए तो भी ठीक रहेगा।

एक मैंने देखा है, ट्रांसफार्मर की बात आती है कि तीन-तीन दिन तक ट्रांसफार्मर नहीं मिलते हैं, पन्द्रह-पन्द्रह दिन तक ट्रांसफार्मर नहीं मिलते हैं। मैंने मेरे यहां एक छोटा-सा प्रयोग करके देखा था। हमारे वहां ट्रांसफार्मर्स जल जाते हैं। सीजन में जब ट्रांसफार्मर्स एक दिन में चालीस-चालीस, पचास-पचास ट्रांसफार्मर्स जब जलते हैं, तो अब हम अगर वहां कोई प्राइवेट मिस्त्री लगाकर के, हमने ठीक करवाकर देखे हैं, 200 या 500 रुपये में एक ट्रांसफार्मर ठीक हो जाता है। शायद पचास ट्रांसफार्मर जलते हैं, तो अगर जुगाड़ लगाकर करेंगे तो खाली दस ट्रांसफार्मर ही हमें आगे भेजने पड़ेंगे और चालीस ट्रांसफार्मर तो वहीं छोटे-मोटे ख़र्चे में ही वहां ठीक हो जाते हैं। ऐसा हमने जब प्रयोग किया, तो उसकी शिकायत ए सी डी में भी हुई। हमने तो किया इसलिए कि किसानों को सुविधा मिले। तो मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से आग्रह है कि अगर अपन ये जो करना है, मुझे भी लगता है कि ठीक नहीं है, क्योंकि कोई ज्यादा वसूल कर लें; कम वसूल कर लें; तो अपन वैसा कोई वहां टैक्निकल हैल्पर रखें या कोई टैक्निकल व्यक्ति रखें जो वहां मौके पर ट्रांसफार्मर को ठीक कर सके और जो ज्यादा खराब हैं वे ही वहां आगे जाएं। ऐसा करने का भी मेरा आपसे सुझाव है। अगर ऐसा कर दिया जाए तो निश्चित रूप से जो ट्रांसफार्मर्स का भारी भरकम विभाग का खर्चा लग रहा है उसमें थोड़ी-सी कमी आएगी।

इसी तरह से छोटे-छोटे गांवों में जाते हैं, जगह-जगह ढीले-ढीले तार रहते हैं और उससे आए दिन कहीं न कहीं शॉर्ट सर्किट होकर कहीं किसानों के खेत में आग लग जाती है, कहीं जाने-आने वाले साधनों में आग जाती है। ऐसा

(श्री गोतम कुमार)

कई बार हुआ है, ट्रकों में, बसों में। शायद टोंक में तो पिछली बार कोई 35-40 आदमी भी जल गये थे। तो मेरा आपसे आग्रह है, जहां भी ढीले तार हैं, उनको ठीक करवाया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से एक और निवेदन है कि बहुत सारी जगह 11 केवी को एल टी के तारों में दे दिया गया है। तो दुर्घटनाओं की बहुत सारी वजह यह भी है कि एल टी के तारों में 11 केवी आप सप्लाई कर देते हैं। पिछले साल मेरे क्षेत्र में तेजपुरा की ढाणी का एक व्यक्ति जो है वह इसी तरह से दुर्घटना में मारा गया। सरकार ने उसको पांच लाख का हर्जाना भी दिया, मुआवजा भी दिया, लेकिन उससे वह व्यक्ति वापस नहीं आ सकता। तो मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि अगर ऐसे में जो तार इस तरह से लगे हुए हैं एल टी में 11 केवी के उनको बदलवाकर के ठीक करवाने का प्रयास करें। गर्मी में आए दिन, जैसे मैंने मेरे यहां पर भी देखा है, 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन की मैंने अपने क्षेत्र में भी मांग की। हमारे यहां कम से कम पिछली बार सात-आठ बार 33 केवी के तार भी टूट गये थे, क्योंकि उसी 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन पर लगभग सात 33 केवी के फीडर्स निकल रहे हैं। तो एक साथ उस पर इतना लोड होता है गर्मी में तो वे निश्चित रूप से तार उस लोड को सहन नहीं कर पाते हैं और वे टूट जाते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि जो ऐसे फीडर्स हैं, मेरे यहां पर भी मंत्रीजी ने आश्वासन दिया है कि उसको छोटे-छोटे फीडर में बदलेंगे; इस प्रकार के जहां कहीं पर भी, तो उनको बदलने का आप प्रयास करें।

मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए, मैं मेरे क्षेत्र की बात करता हूं। मेरे क्षेत्र में दो जगह, एक तो प्रतापगढ़ में, बारवरदा में एक नया 132 केवी जी एस एस बन जाए। चूंकि वहां 132 केवी ठेठ निम्बाहेड़ा तक जाती है, प्रतापगढ़ तक, अगर इस बीच में, क्योंकि वह 80-90 किलोमीटर का एरिया है। कई बार वहां, इस साल भी और पिछले साल भी सुन रहे हैं कि वहां पर कोई न कोई तार टूट करके घटनाएं भी होती रहती हैं। अगर वहां पर भी 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन होगा तो निश्चित रूप से, आपकी दूरी का जो मापदण्ड है 30 किलोमीटर का, वह भी पूरा हो पाएगा।

मैंने अपने डूंगला, जो मेरे विधान सभा क्षेत्र में मेरा खुद का भी गांव है, तो वहां के लिए भी मैंने आपसे पूर्व में भी आग्रह किया था कि वहां

(श्री गोतम कुमार)

भी 132 केवी का एक ग्रिड सब स्टेशन होगा तो वहां पर निश्चित रूप से विद्युत सप्लाई और जो आपकी छीजत हो रही है, उसमें काफी कमी आएगी।

एक सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी जो विद्युत विभाग में होती है, वह होता है लाइनमैन और लाइनमैनों की हमारे यहां काफी कमी है। मेरे क्षेत्र में तो है, बाकी मैं नहीं कह सकता। जैसे 72 मेरे डूंगला में फीडर हैं, 88 फीडर बड़ी सादड़ी में हैं और दोनों जगह के कुल लाइनमैन मिलाकर के 28-30 हैं। अगर लाइनमैन नहीं होंगे, आप एक-एक लाइनमैन के जिम्मे दस-दस फीडर कर देंगे, तो वह कैसे मेंटेन करेगा? तो मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि उन लाइनमैनों के जो रिक्त पद हैं उनको भी आप भरने का प्रयास करें।

मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए, आपने मुझे जो बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नवीन पिलानिया।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद अर्पित करता हूं, आपने मुझे समय दिया लेकिन हाथ जोड़कर आपसे एक निवेदन भी करता हूं, बड़ा गम्भीर विषय है बिजली का। सभी पार्टी के लोगों को खूब मौका मिला है, मेरी पार्टी की तरफ से मैं अकेला व्यक्ति हूं और तकरीबन एक लाख करोड़ से ज्यादा का घाटा है। अगर पांच हजार करोड़ पर भी एक मिनट मिले तो बीस मिनट की कृपा मुझ पर जरूर करना। मैं कोई रिपीटीशन नहीं करूंगा, लेकिन मैं कम से कम सुझाव दे दूं कुछ।

श्री उपाध्यक्ष: You can take twenty one minutes.

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): Thank you so much, Sir. I will not take 21.1. Thank you so much, Sir.

यह बिल आज पेश हुआ, उस पर तो वादविवाद बहुत हो गया, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, उस पर पोइंट ऑफ ऑर्डर भी आपके सामने उठा था, मैं कुछ सपोर्ट करना चाह रहा था, बट मैं सिर्फ इस बात पर जाना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले जब आर एस ई बी हुआ करती थी, उसके बाद में यह सब कंपनियां आईं। उनके भी इसी तरीके के बिल आये, बिल पारित हुए। यह सबको पता है। जब बोर्ड था तब क्या स्थिति थी और जब ये कंपनियां आ गईं, वितरण कंपनियां आ गईं, प्रसारण कंपनियां आ गईं, उत्पादन

(श्री नवीन पिलानिया)

कंपनियां आ गईं और और तब से निरन्तर वह घाटा बढ़ता जा रहा है। कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, यह कभी रुकेगा, कि नहीं रुकेगा, इसको लेकर बड़ी चिन्ता है और अब कोई आशा भी नहीं बची है। तो इससे क्या निकलेगा? मैं अब उसमें नहीं जाना चाहता हूं। इसमें भी खामियां हैं, इसमें और समय मिलना चाहिए था, इसका और विश्लेषण होना चाहिए था, लेकिन मुख्य बात यह है क्योंकि बीस मिनट से ज्यादा का समय है नहीं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो इतना जबरदस्त घाटा है, अभी दो साल से यह बड़ी खुशी की बात है और सब लोग हर्ष कर रहे हैं कि राजस्थान पूरे भारतवर्ष में सोलर एनर्जी में पहले नंबर पर है और बहुत आगे है। मुझे नहीं पता, एग्जेक्टली मंत्री महोदय को पता होगा, टोटल अभी जो एम ओ यूज हो गये हैं, total installed capacity of solar energy 800 मेगावाट के तकरीबन होगी, क्योंकि चार सौ का तो एक हुआ था, फिर 200 का हो गया और तकरीबन-तकरीबन साठ-सत्तर हजार करोड़ का निवेश आया है इसमें। इससे पहले हमारे यहां जैसलमेर साइड में पवन ऊर्जा के बहुत यंत्र आये। लेकिन मेरा जो निवेदन है वह यह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये कंपनियां आ गयीं, ये कंपनियां बिजनेस करने के लिए आयी हैं, चालीस हजार करोड़ का निवेश ये कर रही हैं, ये वहां विद्युत उत्पादन करेंगी; सौर ऊर्जा और विंड एनर्जी से उत्पादन होगा। यह उत्पादन जो होगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह वायरलेस से कहीं दूसरी जगह नहीं पहुंच जाएगा। ये उत्पादन करेंगी और हमारा जो तंत्र है, यह हमारा प्रसारण तंत्र है, यह हमारा वितरण तंत्र है; जिन कंपनियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये उस तंत्र से होकर, यह भी नहीं है कि वे जो पैदा करेंगी वह केवल राजस्थान को देंगी। मैं दर पर तो अभी जाता नहीं हूं। वे जो पैदा करेंगी चार सौ, छह सौ, आठ सौ मेगावाट, वह महाराष्ट्र में भी भेजेंगी, वह तमिलनाडु भेजेंगी, जहां उनको बेचना होगा। वे उत्तर प्रदेश बेचेंगी, वे दिल्ली बेचेंगी, उनको जहां जंचेगी वहां वे बेचेंगी, और वह जायेगा किसके द्वारा? वह जायेगा हमारी लाइनों के द्वारा, हमारे तंत्र के द्वारा। जो हमारा तंत्र है, उसमें राजस्थान का पैसा लगा हुआ है, कितने वर्षों का लगा हुआ है। आज वे घाटे में पड़ी हैं।

तो मेरा निवेदन यह है कि इस पर कभी गौर नहीं किया गया। जो चालीस हजार करोड़ में एक प्रोजेक्ट लगा रहा था, अगर उनको यह कहा जाता कि आप हमारे विद्युत तंत्र को यूज करेंगे; आप अलग से तो लाइन खींच नहीं

(श्री नवीन पिलानिया)

रहे; वह बात अलग होती, वह अपनी ट्रांसमिशन लाइन अलग से बिछाये; वे अपनी डिस्ट्रिब्यूशन लाइन अलग से बिछाए, तब बात बिलकुल अलग थी; वे हमारी लाइन का इस्तेमाल करेंगे। उनसे अगर यह तय किया होता कि आप चालीस हजार करोड़ का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, आपको दस हजार करोड़, पांच हजार करोड़ प्रसारण में, पांच हजार करोड़ वितरण कंपनी में देने होंगे। या यह तय किया जाता कि आप एक यूनिट बिजली जब हमारी लाइनें इस्तेमाल करके कहीं पर भी बेचेंगे; वे तो वाणिज्य के लिए बेचेंगे, वे धर्मार्थ के लिए नहीं बेच रहे हैं; तो पर-यूनिट हम एक रुपया लेंगे, हम पचास पैसे लेंगे, हम साठ पैसे लेंगे। अगर यह चीज तय होती तो इन कंपनियों में सालाना हजारों करोड़ रुपया आता। आएगा, अगर हम ये कर सकते हैं तो। इस पर कोई किसी ने चर्चा नहीं की, किसी को चिन्ता नहीं है इस बात की।

और वे जो बड़ी-बड़ी लाइनें हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, वे निकलती कहां से हैं? जरा आप यह अंदाजा करियेगा। वे हवा से जा नहीं सकतीं। वे हमारे किसान के खेत के ऊपर से, उसकी छाती के ऊपर से निकाल दी जाती हैं। उससे पूछा नहीं जाता। उसकी सहमति नहीं है, कुछ भी नहीं है। 765 की लाइंस, 240 की लाइंस। छोटी लाइनों की तो बात ही अलग है। कुछ नहीं होता। हमारे किसानों की धरती से वे जा रही हैं। क्या मुआवजा देते हो आप उसको? आज दिन तक पता ही नहीं है किसी को कि उसको मुआवजा क्या देते हो। जिसके ऊपर से चली गयी, कायदे से आपको...; वह जितनी बड़ी लाइन जाती है वह वेस्ट हो जाती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसकी रीसेल कुछ नहीं है। उसके नीचे वह बना नहीं सकता। वह बेचने जाएगा तो उसको कौन खरीदेगा? इतनी बड़ी लाइन के नीचे जमीन कोई खरीदेगा नहीं।

तो यह सारा तंत्र हमारा है। आपको करना यह चाहिए कि जहां से आप लाइन लेकर जाते हो, उसके नीचे की जमीन आप एक्वायर करिये, उसको मुआवजा दीजिये। वह कहीं जाकर दूसरी जगह लेगा। मेरा कहने का आप तात्पर्य समझ रहे हैं। इस बारे में कोई चिन्ता नहीं करता है, साहब। और उसकी सुनवाई भी नहीं है। उसकी सुनवाई कहीं भी नहीं है। एक्चुअली वह लैंड एक्वायर होनी चाहिए, गवर्नमेंट अपने अण्डर ले; एन टी पी सी को देनी है तो एन टी पी सी को दे; सिवायचक डिक्लेयर करे; उसको उचित डी एल सी के हिसाब से मुआवजा दे। वह कहीं और जाकर रहे। लेकिन जो तंत्र इस्तेमाल कर

(श्री नवीन पिलानिया)

रही हैं ये कंपनियां और जिनसे हमारे को हजारों-करोड़ रुपये आ सकते हैं और यह घाटा जो है यह दिन-प्रतिदिन कम हो सकता है; इसके बारे में कौन निर्णय लेगा, अगर यह सदन निर्णय नहीं लेगा? और हमारा पैसा अभी हमने वो अजय-विजय करके जो भी था, वह साठ हजार करोड़ ओढ़ लिया।

श्री उपाध्यक्ष: उदय।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): 'उदय' था, हुकम। You are always there to correct me.

यह एक बहुत गम्भीर विषय है, बड़ा चिन्ता का विषय है खास तौर से राजस्थान के लिए, क्योंकि इतना बड़ा निवेश हुआ है। सोलर तकरीबन-तकरीबन आठ सौ मेगावाट के करीब हो जाएगा, माननीय मंत्री महोदय, और विंड में भी हुआ है। तो वह सारी विद्युत तो जाएगी न, बेचने के लिए ही जाएगी। इस पर गौर फरमायें, यह जो आप बिल लाये हैं इसमें प्रोविजन करें, यह सदन प्रोविजन करे, ये कंपनियां यह प्रोविजन करें कि उनसे हमारे को रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए। हम अपने आप ओढ़ लें और पब्लिक एक्सचैकर का, टैक्सपेयर का मनी उनको दे रहे हैं, उनके घाटे की पूर्ति करने के लिए, यह सरासर गलत है। इस पर मैं चाहूंगा आपके माध्यम से कि सरकार, माननीय मंत्री महोदय कुछ जरूर इस पर फरमायें, या सरकार निर्णय करे। इस विषय पर गम्भीरता से सोचे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरे विषय पर आता हूं, क्योंकि समय बड़ा लिमिटेड है। एक अवधारणा बनती जा रही है, और यह अवधारणा बनी हुई है, ऐसा लगता है कि जितना भी घाटा है यह किसान को सस्ती बिजली दे देते हो, इस कारण से घाटा ही घाटा होता जा रहा है। हमें दर बढ़ानी चाहिए। किसान चोरी करता है, चोरी करता है इस कारण से घाटा है। थोड़ा-सा उदाहरण बताता हूं, ए.टी. एंड सी. लॉसेज के बारे में बता रहा हूं, 2012-13 से 2013-14 में तकरीबन-तकरीबन सबने कुछ परसेंटेज घटायी है, जो 25.45 थी वह 22.7 आयी है एवरेज। हमारे यहां यह बढ़ी है, घटी नहीं है। और जो बढ़ी है चार percent and above, उसमें केरल आता है, मिजोरम आता है, राजस्थान आता है, पुडुच्चेरी आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है और सिक्किम आता है। बाकी तो कुछ छुटके राज्य हैं जिनकी बढ़ी है। यह एक शोचनीय बिन्दु है। मैंने केवल इतना वह बताया है, जो अधिकारीगण बैठे हैं उस पर सोचेंगे।

(श्री नवीन पिलानिया)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं दूसरे बिन्दु पर आता हूं, जिस पर यह है कि कितने प्रतिशत बिजली पूरी बिजली की एग्रीकल्चर के लिए जाती है और उससे रेवेन्यू कितना आता है। जो पूरे कंट्री का एवरेज है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू जनरेट जो होता है वह केवल आठ परसेंट होता है, पूरी कंट्री का एवरेज, और 22 परसेंट है वह कंट्री का एवरेज है, उतनी बिजली एग्रीकल्चर सैक्टर के लिए जाती है हिन्दुस्तान में। जो इंडस्ट्री का है वो यह है, 29 परसेंट इंडस्ट्री को जाती है और उससे जो रेवेन्यू आती है, यह ध्यान देने की बात है, वह 41 परसेंट पूरी कंट्री का एवरेज है। थोड़ा-सा गौर फरमायेंगे आप, हरियाणा एग्रीकल्चर में 24 परसेंट, टोटल बिजली का 24 परसेंट एग्रीकल्चर में जाता है, उससे रेवेन्यू रियलाइजेशन केवल 2 परसेंट होता है, मंत्री महोदय। इसी तरीके से आन्ध्र प्रदेश 29 परसेंट एग्रीकल्चर में जाता है, रियलाइजेशन होता है 2 परसेंट; महाराष्ट्र 24 परसेंट एग्रीकल्चर सैक्टर में जाता है, रेवेन्यू एग्रीकल्चर से आता है केवल 13 परसेंट; गुजरात 25 परसेंट एग्रीकल्चर में जाता है, रियलाइजेशन होता है 13 परसेंट; राजस्थान में 41 परसेंट एग्रीकल्चर में जाता है और रेवेन्यू रियलाइजेशन होता है 32 परसेंट। पूरी कंट्री का हाइएस्ट रियलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चर से आता है। जहां पूरे हिन्दुस्तान का एवरेज 8 प्रतिशत है। तमिलनाडु में तो आता ही नहीं है, जीरो They don't take any revenue from agriculture. यह पिक्चर मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि इस अवधारणा को बदलिये। उन सारे राज्यों में रेवेन्यू केवल कृषि से आता है, वह हम से आधे से भी कम है। तो किसान को दोष मत दीजिए इस बात के लिये।

इंडस्ट्री का मैं बताता हूं, इंडस्ट्री का जो एवरेज रेवेन्यू आना चाहिये किसी भी स्टेट का पूरे हिन्दुस्तान का, वह 41 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश 25 प्रतिशत इंडस्ट्री को देता है और रेवेन्यू आता है 42 परसेंट; मध्य प्रदेश केवल 19 परसेंट ही इंडस्ट्री को देता है लेकिन रेवेन्यू जनरेट करता है 38 परसेंट; तमिलनाडु 25 परसेंट इंडस्ट्री को देता है और रियलाइज करता है 51 परसेंट। हमारा जो रियलाइजेशन है इंडस्ट्री से, वह 29 परसेंट है। पंजाब इंडस्ट्री से रेवेन्यू लेता है 52 परसेंट।

इस चीज पर गौर कीजिए, यह सोचना कि कृषि की दरें बढ़ाने से यह घाटे पूरे हो सकते हैं, या डिस्काम्स की हालत सुधर सकती है, यह नहीं है। ये पूरे हिन्दुस्तान के फिगर हैं, मैं केवल यहां के फिगर नहीं बता रहा हूं।

(श्री नवीन पिलानिया)

बहुत-से राज्य तो उनसे कृषि पर रेवेन्यू लेते ही नहीं हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सोचने वाला बिन्दु है।

मैं उसका कारण भी बताता हूं। वी सी आर पर बात हो गई, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, वह सरासर गलत है। होना यह चाहिये, मैं सुझाव देता हूं, हर तरीके की चोरी नहीं होनी चाहिये, लेकिन उसके लिये सही माहौल होना चाहिये। आपको वी सी आर भरनी है, आप फर्स्ट डिफाल्टर बनाइए। यहां भी तो चालान होता है। पहली दफा इतने रुपये फाइन। पहला डिफाल्टर है एक महीने का बिल लीजिए उससे। दूसरे डिफाल्ट में आ गया, आप तीन महीने का बिल लीजिए उससे। उसके ऊपर आ गया, और ज्यादा लीजिए। कम से कम यह तो पता लगे कि जो हैबिच्युल डिफाल्टर है, उससे आपको क्या लेना है। सबके साथ आप एक ही चीज कर रहे हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह किसने तय किया, या राम जी ने बताया, यह कौनसा फार्मूला निकलकर आया कि कोई भी थैफ्ट है उसका 12 महीने का ले लेंगे? आप पांच साल का ले लो ना उससे। यह तर्क कहां से निकलकर आया? कोई चीज तर्कसंगत तो होनी चाहिये, या नहीं? फिर आप विजिलेंस करवाइए, आप उसको तर्कसंगत बनाइए। आप टार्गेट फिक्स करते हैं और लाखों में वी सी आर जाती है। माननीय, आपके ट्रैजरी बेंचेज से भी सब लोगों ने यही बात कही है, लेकिन उसको रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है।

मैं यह नहीं कहता, आप चोरी करने दीजिए, और आजकल चोरी कृषि में बहुत कम है। मेरे इलाके में कृषि में वी सी आर ही नहीं भरी जाती। पानी सूख गया, जहां 10 की मोटर थी, वहां 5 की चल रही है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको बताता हूं, मार्च के महीने में तकरीबन-तकरीबन हर गांव में ढाई-ढाई एच पी बढ़कर बिल आये हुए हैं। जबरदस्ती ही बढ़ा दी, विदाउट लोड चैकिंग। जबकि 20 परसेंट तक को बढ़ा हुआ नहीं माना जायेगा। और जो आदमी चले गये, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, उनके काट दिये; बाकियों के लग गये। इतनी सारी विसंगतियां हैं।

क्यों नहीं एक गाइड लाइंस छपती है, यह चीज करोगे तो यह जुर्माना, यह चीज करोगे तो यह जुर्माना? और एक लिमिट भी तो तय होनी चाहिये। 10-10 लाख में कैसे चीज जा सकती है?

मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि आप सोचिएगा, सुधार कीजिए।

(श्री नवीन पिलानिया)

हम जैसों को लेकर कभी बैठें, विभाग वाले बैठ जायें, माननीय मंत्री महोदय बैठ जायें, दो चार जने और बैठ जायें, हम कर सकते हैं।

दूसरी बात, घरेलू में क्या हो रहा है; आजकल सारी वी सी आर घरेलू में भरी जा रही हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, घरेलू में जो कनेक्शन दिया जाता है वह 0.5 किलोवाट का दिया जाता है। उससे ज्यादा का घरेलू ग्रामीण कनेक्शन नहीं दिया जाता है। मैं चाहे 2 का एप्लाई कर दूं, अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे, काट कर ओनली 0.5 किलोवाट। 0.5 किलोवाट में क्या घर में होता है, और जब वी सी आर भरने जायेंगे किसी भी मामले की चोरी में, तो 0.5 किलोवाट से तो ज्यादा के उपकरण तो उसके घर में होंगे ही होंगे। वह लिखकर लाते हैं, यह चक्की थी, यह था, यह था, यह हीटर पडा हुआ था। तब जाकर वह वी सी आर बने। आप उसको अलाउ कीजिए, आप उसको 5 किलोवाट तक का कनेक्शन दीजिए, 2 किलोवाट तक का कनेक्शन दीजिए। कनेक्शन आप 0.5 किलोवाट का दोगे और फिर जाकर उसके घरेलू वी सी आर भर कर आओगे 10 हजार की, 15 हजार की, 20 हजार की। यह तो कैसे चल सकता है? थोड़ा विचार तो कीजिए। आप तो क्योंकि सत्ता में हैं, तो आप तो कुछ भी बिल पास कर देंगे। मैं तो सिर्फ आपको सुझाव दे सकता हूं, जो असलियत है वह आपके सामने बयान कर सकता हूं। यह नहीं है कि आप 0.5 किलोवाट का नहीं कर रहे हो; नहीं छूट कर रखी तो वह कीजिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोड रिडक्शन, जयपुर जिले और जितनी भी जगह डार्क जोन, डार्क जोन की बात आ रही है, सब जगह वाटर लेवल नीचे गिर गया है। जहां स्प्रिंक्लर के 15 नोजल, 20 नोजल चलते थे, आज वहां 4 या 5 नोजल चलते हैं। बिजली विभाग की मौखिक रोक है कि लोड रिडक्शन नहीं किया जायेगा। मेरे से कोई सिफारिश लेकर चले जाये, उसका हो सकता है, कर दिया जायेगा, लेकिन बाकी लोड रिडक्शन नहीं होता। अब 15 की मोटर है, नोजल चलते हैं 5 । वह 5 एच पी लगाना चाहता है, लगी हुई है उसके 5, लेकिन लोड कम नहीं करेंगे, क्योंकि फिक्स रेट लेनी है। 5 एच पी का अगर कर दिया तो उतना ही बिल घट कर आयेगा। बिजली दे रहे हो 6 घंटे, जो ब्लाक ऑवर है उससे ज्यादा तो वह चोरी कर ही नहीं सकता। जो ब्लाक ऑवर्स हैं उसमें तो 6 घंटे ही बिजली आयेगी या साढ़े पांच घंटे आयेगी। चोरी क्या उसके बाद में करेगा? उन तारों में बिजली आती ही नहीं है। लोड रिडक्शन की बात हो, चाहे लोड बढ़ाकर बिल में दे देते हैं।

(श्री नवीन पिलानिया)

एक और चीज। कोई भी चीज की चैकिंग होती है, सरकारी विभाग चैकिंग करता है, हम अंडर-कंट्रोल-पोल्यूशन का सर्टिफिकेट लेने जाते हैं वह भी 6 महीने वैलिड रहता है। तो किसान के खेत में जाकर एक दफा आपके अधिकारियों ने लोड चैक कर लिया तो उसकी कोई मियाद तो होगा। आज की तारीख में तेरा चैक किया, इतना था। अब यह 6 महीने तक वैलिड है, या तीन महीने तक वैलिड है, कोई उसकी वैलिडिटी तो होगी। कुछ चीज तो होनी चाहिये।

ये छोटी-छोटी चीजें हैं जिनसे बड़ा फायदा मिल सकता है किसान को, उसका जीवन थोड़ा सुधर सकता है। मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाह रहा हूं। इससे ज्यादा मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा।

इसी के साथ-साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक चीज की ओर ध्यान मैं माननीय मंत्री महोदय का दिलाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 7 ए ईएन लगते हैं। एक आमेर के ए ईएन को, जो कस्बे में बैठते हैं, उनके पास 30 के करीब गांव हैं। उनको छोड़ दीजिए। बाकी ए ईएन आफिस कालाडेरा लगता है, जो चौमूं में है, 20 गांव उनके तहत डले हुए हैं; एईएन आफिस जैतपुरा लगता है जो चौमूं से 2 किलोमीटर पहले है, 70 गांव डले हुए हैं; ए ईएन आफिस चौमूं सब-डिवीजन लगता है, उसमें 5 गांव चिपका रखे हैं; ए ईएन आफिस चौमूं ओ एण्ड एम में 15 गांव दे रखे हैं; ए ईएन आफिस शाहपुरा में 30 गांव दे रखे हैं; ए ईएन विश्वकर्मा में 16 गांव दे रखे हैं। मैं जानना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय, जो मैं ये 5 ए ईएन आफिस बता रहा हूं, ये 12 किलोमीटर की परिधि में हैं, जैतपुरा चौमूं से लेकर कालाडेरा तक। माननीय मंत्री महोदय मेरे दो पंचायत समितियां हैं, जालसू पंचायत समिति अलग है, आमेर पंचायत समिति अलग है। आप जानते होंगे, कालवाड़ तो कहां है। जयपुर यहां है तो कालवाड़ यहां है। मेरा जो मुंडोता गांव है वह कालवाड़ होकर जाते हैं और मुंडोता का जो गांव लगा हुआ है, वह जैतपुरा में लगा हुआ है, जो चौमूं में है। मैं आपसे कुछ और मांग नहीं करता। यह मेरे को बता दीजिए कि क्या यह प्रशासनिक दृष्टि से सही है? यह टैक्निकल दृष्टि से सही है? यह जनता की दृष्टि से सही है? उपभोक्ता की दृष्टि से सही है? कृपया एक ए ईएन आफिस जहां आप खोलना चाहें जालसू पंचायत समिति में, जालसू में खोलें, रामपुरा में खोलें, जहां आपको अच्छा लगता हो वहां खोलें और एक ए ईएन आफिस आप आमेर पंचायत समिति में खोलें; इससे ज्यादा

(श्री नवीन पिलानिया)

की वहां आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन अलग-अलग व्यक्ति अलग-अलग भागता हो, ऐसा उदाहरण शायद ही आपको कहीं मिलेगा। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, कम-से-कम इस चीज में न तो वित्तीय भार है, न कुछ और है। यह सिर्फ एक प्रशासनिक आर्डर है। इस पर गौर फरमायें।

और बाकी जितने भी बिन्दु मैंने कहे, कृपया उन पर विचार करें। मैं फालतू में वक्त जाया नहीं करना चाहता।

आपकी बेहद मेहरबानी, आपने समय दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री छोटू सिंह जी।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान बिजली वितरण पर काफी चर्चाएं चलीं। अलग-अलग सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव दिए, प्रोब्लम्स भी बतायीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, पहले तो मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को, मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सन् 2015-16 में आपने शिविर लगाकर गांव-गांव, ढाणियों-ढाणियों में चाहे लूज तार हों, चाहे कृषि कनेक्शन हों; उसमें काफी सुधार आया। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसलमेर एक ऐसा जिला है जहां तार और पोल बहुत दूरी-दूरी पर हैं। जब बिजली कनेक्शन होता है, कांट्रेक्टर काम करके चला जाता है, आंधी आती है, तूफान आता है, तो तार भी टूट जाते हैं और खंभे भी टूट जाते हैं और कई महीने लग जाते हैं, उस गांव का कनेक्शन टूट जाता है।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं, हो सकता है, यह प्रोब्लम पूरे प्रदेश में भी हो लेकिन मेरे जैसलमेर में विशेषकर होती है, ट्रांसफॉर्मर जलना, बिजली के वोल्टेज में उतार-चढ़ाव आना। ये अमूमन बाते हैं। ट्रांसफॉर्मर क्यों जलता है? ट्रांसफॉर्मर जो दिया जाता है, वह टैस्टेड होता है, विभाग देता है। फिर भी वोल्टेज के कम-ज्यादा से वह जल जाता है और जलने के बाद यदि किसान या कोई गांव वाला लाता है तो उसको तीन दिन लगते हैं। तीन दिन के बाद फिर ले जाता है। यह प्राब्लम विशेषकर मेरे जिले में तो है ही। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो लूज तार या खंभे का टूटना या सामान समय पर नहीं आना, काम नहीं होना...। पूर्ववर्ती सरकार के समय जो जी.एस.एस. सैंक्शन थे, अभी मैं धन्यवाद देता हूं, माननीय मंत्रीजी के आदेश तीन-चार ग्राम पंचायतों के हो

(श्री छोटू सिंह)

गये। उनको चार-चार साल लग गये। इसका क्या कारण है? क्यों लगे? दूसरा निवेदन करना चाहता हूं, कांट्रेक्टर काम करके चला जाता है, खंभा टूट जाता है, तार टूट जाता है, कोई गारंटी नहीं। उस पर कोई गाड़ी नहीं चलती है। खंभा लगा हुआ, तूफान-आंधी जो भी आये, उसके लिए वो टैस्टेड होता है। तो फिर क्यों टूटता है ? जैसलमेर में विशेष समस्या है। फाउंडेशन से तार टूट जाना, नीचे से पोल हट जाना, ये समस्याएं विशेषकर वहां अमूमन रहती हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार हमारे पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी जी ने जिस प्रकार से हर काम के अन्दर, सड़क के अन्दर जो गारंटी रखी थी कि पांच साल तक वही कांट्रेक्टर काम करेगा जिसने रोड बनाई है, ठीक उसी प्रकार से, चाहे जलदाय विभाग हो, चाहे बिजली विभाग हो, उस कांट्रेक्टर की जिम्मेवारी होनी चाहिए, और जो कम्पनी खंभे इश्यू करती है, जो सप्लाई करती है, उसकी भी जिम्मेवारी होनी चाहिए। उसके बगैर यह काम हमेशा नहीं होता है। कभी सुनाई ही देता है। दुनिया भर का कंज्यूमर सामान पड़ा है, जिसका कोई मालिक ही नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए विशेष ध्यान रखा जाए। वैसे उतार-चढ़ाव जब आता है तो कई आदमियों के बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। वे खामियां विभाग के द्वारा होती हैं, किसान और किसी उपभोक्ता द्वारा नहीं होती हैं। वे क्यों हो रही हैं? मेरा निवेदन है कि इस पर विशेष ध्यान रखा जाए।

दूसरी सबसे जरूरी चीज है कि बिलों का निस्तारण समय पर नहीं होता है। मीटर दे दिया और कनेक्शन हुआ नहीं, उससे पहले बिल पहुंच जाता है कि ये आपका बिल। उपभोक्ता कह रहा है कि अभी आपने मेरा कनेक्शन ही नहीं दिया और आपने बिल दे दिया। इस प्रकार की आम त्रुटियां हैं।

दूसरी त्रुटियां विशेषकर ये हैं कि आप हमेशा एवरेज बिल देते हैं। कितनी बिजली खर्च हुई, पूर्व में जब आपका मीटर लगा हुआ था उसमें ऑलरैडी हर मंथ का रिकार्ड आता है कि इतना-इतना। कहीं कंज्यूमर गांव वाला दो कमरे का मालिक है और उसका बिल पचास-पचास हजार रुपये आ जाता है। वह पे नहीं कर सकता है। ऐसा खूब सारा बिजली का पैसा उपभोक्ताओं के पास बकाया है; वे देना भी चाहते हैं कि इसका निस्तारण करो। मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है कि इस प्रकार का गांव-गांव में एक शिविर लगाया जाए, चाहे वह किसान हो, चाहे वह गांव का बिजली

(श्री छोटू सिंह)

खर्च करने वाला उपभोक्ता हो। हरेक के अन्दर कैम्प लगाया जाए, कैम्प के अन्दर रिकार्ड किया जाए, सर्वे किया जाए कि इनकी बिजली कितनी खर्च हो सकती है। गांव वालों के पास क्या व्यवस्था है? गांव वाला कोई ए.सी. लगाता नहीं है। मैं तो देखता हूं, हमारी अस्सी परसेंट जनता गांवों में रहती है, उसके किसी के भी ए.सी. नहीं लगा हुआ है और इतना खर्चा भी नहीं होता है। उसका एवरेज दिया जाए तो जो बिजली का सोर्सेज मिलना चाहिए वह एक साथ मिल जाए। इस प्रकार का कनेक्शन शिविर पूर्व में लगाया था, ठीक उसी प्रकार से एक शिविर लगाया जाए। आपने यह तो कर दिया कि रविवार को भी बिल जमा होंगे, लेकिन रविवार को कौन लाएगा, जब तक उनका निस्तारण नहीं होता है? पचास-पचास हजार, डेढ़-डेढ़ लाख के बिल पड़े, उनका निस्तारण होता ही नहीं है। कोई भी फैसला नहीं करना चाहता है, ए.ईएन. हो, जे.ईएन. हो, एक्स.ईएन. हो; ठीक है, कर दें, कर देंगे।

दूसरा, स्टाफ इतना कम है । मैं मेरे जिले की बात कर रहा हूं कि पचास किलोमीटर दूर है, एक लाइनमैन है। बिजली टूट जाती है, वह पहुंच नहीं पाता है। न उसके पास कोई साधन है। जैसलमेर से लेकर म्याजला तक 100 किलोमीटर की दूरी है, मुश्किल से आपके दो लाइनमैन लगे हुए हैं। कैसे पहुंच सकता है? उसमें पचास गांव बीच में आते हैं, कई ढाणियां आ जाती हैं। तो मेरा निवेदन है कि चाहे अस्थायी तौर पर लगाओ, चाहे उसको परमानेंट लगाओ, यह व्यवस्था होनी चाहिए।

यह प्रोब्लम दूसरी जगह भी होगी लेकिन जैसलमेर में विशेषकर है कि कृषि कनेक्शन के साथ पेयजल ट्यूबवैल भी आये हुए हैं और पेयजल ट्यूबवैल को भी सात घंटे, पूर्ववर्ती सरकार के समय चार घंटे ही थे, लेकिन अब छह-साढ़े छह घंटे मिल रही हैं। इसमें तो धन्यवाद के पात्र हैं । 24 घंटे गाँवों को भी मिलती है। कनेक्शन यदि बीच में आंधी से टूट जाए तो वह हमारे जैसलमेर निवासियों का कर्म है, लेकिन पेयजल ट्यूबवैल को आपने 6 घंटे और 7 घंटे से जोड़ा है, तो पानी कैसे पहुंचेगा ? सवाल ही नहीं है पहुंचने का। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसलमेर में जितने भी पेयजल ट्यूबवैल हैं, उनको तो 24 घंटे से जोड़ा जाए ताकि पेयजल वाला पानी तो हमें मिले। छह घंटे में तो वह पहुंच पाता है और एक जगह से कोई भी ढाणी की दूरी कम-से-कम पचास किलोमीटर, तीस किलोमीटर, बीस किलोमीटर। एक जी.एल.आर. मुश्किल से भर पाती है। तो मेरा विशेष निवेदन है कि क्षेत्र को देखते हुए, जगहों को

(श्री छोटू सिंह)

देखते हुए...। हुक्म, वह भी जैसलमेर जगह है, जहां पच्चीस सौ से सत्ताइस सौ मेगावाट हम बिजली पैदा करते हैं, हमारे पूर्वजों की जमीन में। हम चाहते हैं कि हमको वरीयता दो, नहीं तो कनेक्शन-बिजली पूरी दो ताकि पेयजल मिल सके।

मेरा निवेदन है कि विशेषकर बिजली हमारे जैसलमेर में पैदा हो रही है। हम स्वागत करते हैं, आपको जमीन देंगे, उसमें आप चाहो तो विंड लगाओ, चाहे सोलर लगाओ। सोलर के लिए कम्पनीज को आपने दुनिया भर की, चाहे वो लेंको हो, चाहे वो टुडे ग्रीन हो, चाहे वो मैसर्स पाली हो, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन कम्पनियों को डी.एल.सी. रेट से बहुत मामूली पैसे में आपने जमीन दे दी। हुक्म, उनका जो उत्पादन होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। तो उस जमीन के लिए, अभी भी आपने पांच कम्पनियों दे रखी हैं। मेरा सुझाव है, प्लीज मैं इसके लिए बात करना चाहता हूं कि जैसलमेर में अमूल्य जमीन, बहुत कीमती जमीन आपने उन कम्पनियों को दे दी और उनका आउटपुट नहीं देखा। उनका एग्रीमेंट क्या था, उन्हें कितने महीने या कितने साल में बिजली पैदा करके देनी थी। मैं लेंको की बात करता हूं, आज मेरे एरिये के अन्दर कम-से-कम सैकड़ों बीघा जमीन दी हुई है लेकिन वहां आज आउटपुट जीरो आ रहा है। उसका क्या कारण है ? ऐसी हमारी कई जगह हैं, जहां ओरण और गोचर थी; चलो, वह भी दे दी। मैं विशेषकर निवेदन करना चाहता हूं कि इतनी सस्ती जमीन, पूर्वजों ने हमारे नाम तो लिखी नहीं; चलो, प्रदेश की बिजली पैदा हो रही है, अच्छा काम हो रहा है, लेकिन उसके लिए भी एक जांच कमेटी होनी चाहिए कि जिस कम्पनी को हमने जमीन दी है उसका आउटपुट क्या आया, उसका एग्रीमेंट क्या था। उसका आना चाहिए।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जैसलमेर पर्यटन पर निर्भर है और पर्यटक जैसलमेर से सम रोड जाते हैं और वहां कोई भी परदेशी या ट्यूरिस्ट आता है तो वह यह सोचता है; वो विंड नहीं देखना चाहता, न सोलर देखना चाहता है, वो डैजर्ट देखना चाहता है कि रेगिस्तान क्या है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने खूब बार कहा है कि किसी भी तरीके से पर्यटन नगरी में जो आ रहा है, हमारा यह जो सम का रूट है, इसे दूरी में रखा जाए। वे विंड नहीं देखना चाहते, वो चाहते हैं कि ओरिजिनलटी क्या है। हमारे पास जमीन है, हम आपको देना चाहते है, दुनिया भर की हमारी मगरा लैंड पड़ी है, उसमें आप बिजली पैदा करो, लेकिन जो सम रोड है, उसको आप

(श्री छोटू सिंह)

विंड से दूर रखो। पर्यटन पर जैसलमेर शहर ही नहीं, कई गांव भी उस पर निर्भर हैं। मैंने कई बार पूर्ववर्ती सरकार के समय में कहा तो पूर्वी सरकार ने तो इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आदरणीय मंत्रीजी को भी इसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं, पूर्व में कहा भी है; माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, जिस पर पूरा जैसलमेर निर्भर है। मैं चाहता हूं कि जो सम रोड पर है उसको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए।

दूसरा निवेदन है, जैसलमेर से कृषि कनेक्शन के लिए तो आप देते रहते हो लेकिन जहां दूरियां हैं, कृषि कनेक्शन वोल्टेज नहीं बढ़ा रहे हो, क्योंकि जी एस एस 33 केवी का आपके लगा हुआ नहीं है। मोलाना में 132 केवी का सैंक्शन हुए एक साल हो गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 132 केवी जो जी एस एस आपने सैंक्शन किया है, मैं चाहता हूं जजिनयाली, मोलाना और मोहनगढ़ में तीव्र गति से चालू किया जाए। जैसलमेर की तो उस पर विशेष वरीयता रहती है क्योंकि जैसलमेर से हम बिजली 2,500 मेगावाट पैदा करते हैं, हमारा 200 मेगावाट का खर्चा है; यदि 300 हो गया, तो भी बाकी तो 2,200 दे रहे हैं ना प्रदेश को। अगर हमें दो तो कुछ वरीयता पर दो, बहुत कम रेट पर दो । जैसलमेर की जनता के लिए तो विशेष वरीयता होनी चाहिए। पूर्वजों ने हमें गिफ्ट में जो धरती दी है, उस धरती के लिए, हम सात करोड़ जनता के लिए यह दे रहे हैं कि यहां से बिजली पैदा हो और वह प्रकाश के अन्दर रहे। हम चाहते हैं कि जैसलमेर की इसमें कुछ वरीयता रखी जाए।

दूसरा निवेदन, ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय योजना के लिए। ढाणी-ढाणी में आप कनेक्शन कर रहे हो और जिस कम्पनी को यह काम दिया गया है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कम्पनी ने सबलेट कर दिया अलग-अलग कांट्रेक्टर्स को। वह जो चाहता है, अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, क्योंकि अधिकारी तो वहां पहुंच नहीं पाते हैं। मर्जी पर, सप्लाई ली, डालता जाता है और करता जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस कम्पनी को 171 करोड़ का काम दिया गया है उसको भी बाध्य किया जाए कि आप हर आदमी को काम सबलेट नहीं करोगे; आपको खुद को करना है। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार का ध्यान रखा जाए।

(श्री छोटू सिंह)

दूसरा निवेदन करना चाहता हूं कि जो काम हो रहा है, वह गुजरात और एम.पी. पैटर्न पर हो जाए तो शायद प्रदेश के पूरे आम जन को, इसका कोई नुकसान नहीं होगा।

जहां कृषि कनेक्शन का मामला है, 40 हजार कृषि कनेक्शन राजस्थान के लिए स्वीकृत हुए हैं। मैं चाहता हूं कि जैसलमेर के लिए, क्योंकि यह तो पहला जिला है जहां कृषि कनेक्शन विदिन पांच साल में ही हुए हैं, और वहां भी डार्क जोन किया है। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से चाहता हूं कि जैसलमेर के लिए कुछ रियायतें दी जाएं, वहां के लोगों को कृषि कनेक्शन में कुछ चढ़ावा दिया जाए ताकि वहां के लोगों को मिले।

मैं चाहता हूं कि हमारी 124 ग्राम पंचायतें हैं, सभी गांव में 33 केवी के जी एस एस लगाए जाएं। यहां दूरियां बहुत ज्यादा हैं, उन दूरियों के कारण वोल्टेज नहीं जाता है। कई बार नुकसान भी होता है। मैं चाहता हूं कि जजनियाली, मोलाना, मोहनगढ़, इनमें आप 132 केवी के जी एस एस सैंक्शन करें। साथ ही, हर ग्राम पंचायत में 33 केवी का करें। दूरियों को देखते हुए, मैं चाहता हूं कि हर ग्राम पंचायत में 6-6, 7-7 गांव हैं, जनसंख्या का अनुपात आपको नहीं दिखेगा। अगर जनसंख्या का अनुपात ज्यादा हो जाता तो प्रदेश की बिजली भी कहां पैदा होती आज? यह हमें धन्यवाद दो कि हम सब कन्ट्रोल में चलते हैं और पूरे राजस्थान को बिजली पैदा करके दे रहे हैं। इस प्रकार की व्यवस्था की जाए।

जैसलमेर हमारा अच्छा और सुंदर शहर है, उसके लिए विशेषकर पैकेज दिया जाए।

धन्यवाद। जय हिन्द। आपने समय दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सुरेश धाकड़।

(अनुपस्थित)।

श्रीमती अंजु धानका।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सभी सदस्यों ने और मेरे सीनियर सम्माननीय लोगो ने, कुलिग्स ने, सभी बातें बिजली विभाग से सम्बन्धित यहां पर रख दी हैं। सभी बातें रिपिट हो रही हैं,

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

मैं भी वही करूंगी। सभी ने बहुत अच्छी, in technical language, in mathematical language, with very heavy words, रखी हैं लेकिन मैं अपने क्षेत्र की सिर्फ समस्याएं आपके माध्यम से यहां रखना चाहती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कई सालों से अधिकारियों की मनमर्जी के कारण घरेलू विद्युत कनेक्शन पैंडिग पड़े हुए हैं जिसके कारण ग्रामवासी अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। कई ऐसी जगह हैं, हम लोग गांव में जाते हैं, देखने के लिए, समस्या सुनने के लिए, अक्सर समस्या लाइन की है। लाइन के बारे में कई काफी बात बोल चुके हैं लेकिन सेकण्ड हैंड, सेकण्ड आदमी जब उसको यूज करता है, उसके लिए फर्स्ट हैंड होती है और नई होती है। तो यह मेरे लिए नई और मेरे क्षेत्र के लिए नई बात है, बेशक सुबह से ही रिपीट हो रही हैं।

जो लाइनें मेरे क्षेत्र में मकानों के ऊपर से जाती हैं वे इतनी नीचे हैं कि कई बार वहां हादसे होते रहते हैं; कई हादसे हो भी चुके हैं। मैं यह चाहूंगी कि आप उनको दिखवाएं। ऐसी कोई व्यवस्था हो जिससे विभाग खुद इस चीज पर नजर रखे कि कहां-कहां पर ढीली लाइनें हैं और कहां-कहां पर मकानों के ऊपर से जा रही हैं। कई स्कूलों के ऊपर से भी ऐसी लाइनें जा रही हैं जिनसे बच्चों को भी हमेशा खतरा बना रहता है। हमारे यहां ऐसे कई गांव हैं, हिंगोटी, महाराजपुरा, रामरतनपुरा, तिलपट्टी, आदि, इन गांवों में आप विशेष तौर से ध्यान देकर उसकी जांच करवाएं।

एक सबसे बड़ी बात वी सी आर पर बार-बार चल रही थी। हमारे क्षेत्र में जो वी सी आर भरी जाती हैं, वी सी आर कभी भी भर सकते हैं। कहते हैं कि बिजली चोरी रात को ही ज्यादा होती है, रात को भी फ्लाइंग वाले जाएंगे ही, लेकिन शाम के बाद रात को नौ बजे जा रहे हैं, दस बजे जा रहे हैं; उस वक्त उन्होंने ड्रिंक की हुई होती है; सामने वाले जिस मकान में जा रहे होते हैं उसमें भी कोई प्रोब्लम हो सकती है। शाम के बाद सभी अपने-अपने घरों में सहज नहीं होते हैं, ईजी वे में रहते हैं, महिलाएं, बच्चे होते हैं। वे फ्लाइंग पर जाते हैं और वी सी आर भरते हैं। मेरे क्षेत्र में 90 परसेंट, मंत्रीजी, अगर आप जांच कराएंगे और प्लीज जांच कराइयेगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन भी लगाया है, जो कि फ्लोर पर नहीं आया है; वह आएगा भी नहीं, यह भी मुझे अच्छी तरह पता है, क्योंकि वह क्वेश्चन इससे सम्बन्धित है। मैंने उसमें पूछा है कि क्या-

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

क्या, किस-किस की अब तक वी सी आर भरी गई है। सामाजिक तौर पर भी उसमें मैंने क्वेश्चन किया है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि 90 परसेंट वहां ब्राह्मणों की वी सी आर भरी गई हैं। आप चाहें तो उसकी जांच करा सकते हैं।

जब वे शाम को जाते हैं तो अक्सर झगड़े हो जाते हैं। मंत्री महोदय जी, यह बहुत ही सीरियस बात है। मैरे यहां दो-तीन एफ आई आर भी हो गई हैं। उनमें आपस में झगड़े होते हैं। उसके बाद कर्मचारी-अधिकारी हैं वे सामने वालों पर एस सी, एस टी का केस लगा देते हैं, राज कार्य में बाधा का लगा देते हैं। तो इनसे लड़ते-लड़ते हमारे यहां इतनी सारी एफ आई आर बिजली विभाग को लेकर हो रही हैं, वी सी आर के मामले में। अगर रात को 9-10 बजे जाएं तो उन्हें निर्देशित होना चाहिए कि इस तरीके से जाएं; कोई गाइडलाइन उसकी होनी चाहिए। कभी भी जा रहे हैं।

मैं आपको ऐसी कई ग्राम पंचायतें बता सकती हूं जहां सबसे ज्यादा बिजली चोरी होती है लेकिन आज तक वहां फ्लाइंग नहीं गई है। लालगढ़, टोडाभाटा, महाराजपुरा, हरडी, कानेटी, खोगाटी, ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां सबसे ज्यादा बिजली चोरी होती है लेकिन आज तक वहां फ्लाइंग नहीं गई है। वे लोग जो चोरी करते ही नहीं हैं, वहां सिर्फ राजस्व की वसूली करने के लिए वहां पर फ्लाइंग वाले जाते हैं। अधिकारी-कर्मचारी वहां पर राजस्व की वसूली, राजस्व का टारगेट पूरा करना होता है, इसलिए जाकर यह काम करते हैं।

मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि प्लीज आप इस चीज को दिखवाइये कि किन-किन लोगों की अब तक कितनी वी सी आर भरी गई हैं। सारी बातें आपके सामने अपने आप आ जाएंगी। कितनी एफ आई आर अब तक बस्सी क्षेत्र में वी सी आर को भरने को लेकर हुई हैं और किस-किस व्यक्ति की हुई हैं, वह भी आपके सामने सारी हकीकत आ जाएगी।

कानोता में जे ईएन की अक्सर शिकायतें आती रहती हैं, सी एम डी को हजारों बार शिकायतें लिखकर दी हैं लेकिन आज तक उसका कुछ भी नहीं हो पाया। विद्युत अधिकारियों की चोरों के साथ मिलीभगत होने के कारण विद्युत अधिकारी ट्रांसफार्मर चोरी होने की दर्ज नहीं कराते और किसानों को ट्रांसफार्मर नहीं देकर बेवजह परेशान करते हैं; ट्रांसफार्मर नहीं होने पर भी किसानों से बिल वसूल किया जाता है।

अभी हमारे यहां खजूरिया ब्राह्म्णान एक जगह है वहां पर ग्रिड बना

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

हुआ है और गांव से उसकी दूरी सिर्फ 400 मीटर पर है लेकिन अधिकारियों ने जबरदस्ती घुमाकर और 600-700 मीटर बनाकर, नाले में से उन्होंने पोल डाले हैं। वह पोल उन्होंने बाँध में भी गाड़ दिये और जब बरसात होगी और जब वह भरेगा तो वे सारे पोल गिरेंगे और उससे दुर्घटना होगी । वह बिजली से है, इसलिए कोई वहां से जाएगा तो दुर्घटना जरूर होगी। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि इस आने वाले टाइम के खतरे को भांपते हुए आप उस पर भी कार्यवाही करें।

वहीं खजूरिया ब्राहम्णान में कुछ दिनों पहले ही, मंत्री महोदय जी, मेरे लिए यह बहुत ही जरूरी बात है, एक आदमी की अभी वहां पर मृत्यु हुई

(22.00 बजे)

है। वह मृत्यु विभाग के कर्मचारियों की अनदेखी और लापरवाही की वजह से हुई है। वह व्यक्ति किसान था और अपने खेत में सिंचाई कर रहा था। डी.पी. में डाइरेक्ट 11 के.वी. का करण्ट आ गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसको, क्योंकि वह यंग था तो सारे गांव वाले शोक संतप्त थे। उधर संस्कार कर रहे थे, उसके अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी; जो वहां जे.ईएन. था, वह चुपचाप जाकर फटाफट डी.बी. बदल कर आ गया कि उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो। फिर भी उन्होंने उसकी एफ.आई.आर. कराई, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

अब इस मामले में मैं यह चाहूंगी कि मेरे क्षेत्र में जनरल के लोग बहुत ज्यादा हैं और जनरल पर इस टाइम इतना बिजली वालों ने आतंक मचा रखा है, मैं चाहती हूं कि आप उन पर रहम करें; आपके विभाग वालों को निर्देशित करें कि उन पर रहम करें। कहते हैं कि पुजारी, पण्डित पहले अन्न मांग कर खाया करते थे; लेकिन 7-8 साल से मेरे पेट में जो भी अन्न गया है, वह उन्हीं की देन है। उन्हीं ब्राह्मणों ने मुझे अन्न खिला-खिला कर आपके पास अपनी समस्या रखने के लिये भेजा है। वे मांगते थे कि नहीं, मैं उनके लिये हाथ जोड़ करके, आप समझ लो, भीख ही मांग रही हूं। उस परिवार के बच्चे अनाथ हो गये हैं, एक महिला विधवा हो गई है, एक मां की कोख उजड़ गई है। कुछ नहीं बचा उनके परिवार में, क्योंकि मेन व्यक्ति चला गया। तो आप उन्हें कम से कम बीस लाख का मुआवजा और उसके परिवार में किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की कृपा जरूर करें। इसके लिये चाहे, अगर आप यह नहीं करेंगे तो हो सकता है कि मुझे खुद इसके लिये अनशन पर बैठना पड़े। तो आप उनको यह राहत जरूर दें। एक पूरे परिवार का मामला है।

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

वैसे भी मौताणे वगैरह पर आप इतना देते हैं, तो उस परिवार को बीस लाख की मदद आप जरूर दें।

मेरे यहां पर सामरिया पंचायत है, वहां एक पशु चिकित्सालय है। वहां पर ट्रांसफार्मर इतना नीचे है कि जब पशुओं को ले जाते हैं तो अकसर पशु मर जाते हैं। जब उसकी शिकायत जे.ईएन. को की, तो वह अपनी कुर्सी पर बैठा पैर-पर-पैर रखकर पान खा रहा था, कान खुजा रहा था और उसने उस ग्रामीण से बोला, चल जा यहां से; मर गये तो क्या हुआ? कोई इन्सान थोड़ी मर गया जो इतना रो रहा है। एक किसान के लिये, एक पशुपालक के लिये पशु क्या कीमत रखते हैं, यह आप और मैं, सब समझते हैं। तो आप उस जे.ईएन. पर कड़ी कार्यवाही करें। उससे कोई इन्सान को भी खतरा हो सकता है। ट्रांसफार्मर को सही जगह पर लगाया जाये।

विधान सभा क्षेत्र में कई बार कृषि भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा कालोनी काटी जाती है। वे जब कालोनी काटते हैं तो रातों-रात उसमें खम्भे गढ़ जाते हैं, विद्युत लाइनें बिछ जाती हैं लेकिन कोई गरीब, किसान, अगर घरेलू कनेक्शन के लिये आवेदन करता है तो उसको सालों-साल लग जाते हैं। उसको सुविधा शुल्क भी जमा कराना पड़ता है। जब तक वह नहीं कराएगा, तब तक वह अपना इंतजार करता रहेगा। अभी हाल ही में कानोता का मामला भी आप लोगों के पास आया होगा कि वहां पर बहुत सारे खम्भे अभी बिना आवेदन के गायब हो गये थे। उसको विभाग ने सिरे से नकार दिया था। उसके बाद उसकी एफ.आई.आर. हुई कि रातों-रात इतनी लम्बी लाइन कैसे खिंच गई, इतने सारे पोल कैसे गड़ गये। तो उसके बाद में, अख़बार में आने के बाद जब उसकी एफ.आई.आर. हुई, उस एफ.आई.आर. पर आज तक कोई भी काम नहीं हुआ है; सिर्फ लीपापोती करके रख दिया है।

आपके पाली का भी एक ऐसा मामला है, जिसमें अभी सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर के खिलाफ कार्यवाही हुई थी। प्लास्टिक फैक्टरी में हजारों यूनिट की चोरी करते हुए, विगत दिनों में फ्लाइंग द्वारा पकड़ी गई थी और उसमें भी आज तक लीपापोती हुई है।

तो आपकी और मेरी समस्या तो एक ही है लेकिन मेरी समस्या पर आप जरूर ध्यान देकर उसे खतम करें।

एक ठेकेदार की मैं आपको बात बताना चाहती हूं कि मेरे एक

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

देवगांव पंचायत है, जिसमें मैं एक दिन ऐसे ही चली गई थी। वहां पर एक लाइनमैन आया था डी.पी. रखने के लिये। उसे मालूम नहीं था।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट, लास्ट। एक लाइनमैन आया था और मैं वहां बैठी हुई थी। उसे मालूम नहीं था कि मैं वहां पर मौजूद हूं। उसने कहा कि मुझे डी.पी. रखनी है। वह शायद इंस्टाल करने आया था मीटर, या फिर डी.पी. उसको रखनी थी। तो उसने दो हजार की मांग मेरी आंखों के सामने की। फिर मैंने उनसे कहा, जो ग्रामीण थे कि उसको बुला लाओ, दो हजार रुपये मैं दूंगी। जब उसको पता चला कि मैं वहां मौजूद हूं, उनसे मैंने यह भी कहा कि उसका नाम भी पूछ लेना, उसका नाम भी उसने नहीं बताया और वह भाग गया।

ऐसे ठेकेदारों के, जब सरकार के पास पर्याप्त धन है तो बीच में ठेकेदारों की क्या आवश्यकता है? विभाग के कर्मचारी ठेकेदारों से मिल करके कनेक्शन करवाने के लिये सुविधा शुल्क लेते हैं। अब एक व्यक्ति अगर वह कनेक्शन लेता है, वह पहले एल-फार्म के लिये पैसा देगा, कुछ न कुछ दक्षिणा उसको चढ़ानी पड़ती है। फिर वे फाइल चार्ज के नाम पर ले लेते हैं। फिर कनेक्शन के नाम पर ए.ईएन., जे.ईएन. ले लेते हैं। फिर वे मीटर इश्यू करने के लिये ले लेते हैं। फिर वे इंस्टालेशन के लिये ले लेते हैं। जब उसके घर में एक बल्ब जलाने के लिये साल भर वह इंतजार करता है, उसकी जेब पूरी खाली हो जाती है और उसके बाद वह डी.जी. फुंक गई या कनेक्शन में कोई प्राब्लम आ गई, तो अगले महीने ही उसके दस लाख का बिल आ जाता है। मैं यही बताना चाहती हूं कि मेरे खुद के गांव में भी अभी एक प्राब्लम यह आई है कि उनके कई दिनों से लाइट है ही नहीं, डी.पी. है ही नहीं और दस लाख का, सॉरी, पांच लाख का उनके पास बिल है। वे मेरे पास आये थे, मैंने उन्हें बुलाया था हालांकि अभी तक मेरे पास पहुंचे नहीं हैं, फोन पर उन्होंने मुझे बताया था। यह एक बहुत बड़ी समस्या मेरे क्षेत्र में है।

मैं यह चाहूंगी कि ये सारी समस्याएं तो अपनी जगह हैं ही, और आपको करनी भी हैं; उपाध्यक्ष महोदय, एक आश्वासन अगर मुझे मंत्रीजी बाद में अपने भाषण में दे दें कि जो मैंने बताया है, जिसकी मृत्यु हुई है और विभाग की गलती की वजह से हुई है, अगर वह टाइम पर उसको बदल देता या चैक कर लेता, तो शायद वह जिंदा होता। उसके लिये अगर आप बीस

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

लाख का आश्वासन दे देंगे और एक सरकारी नौकरी, नहीं भी होगी तो उसको हम प्राइवेट करा देंगे, लेकिन आप अभी उसको, बीस लाख की तसल्ली के साथ मुझे यहां से भेजें। ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखती हूं।

बहुत-बहुत धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राजेन्द्र सिंह भादू।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे सदन के सभी सम्माननीय सदस्यों के बहुत ही अच्छे सुझाव ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य, आप कितने मिनट तक बोलना पसंद करेंगे?

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): एक या दो मिनट। इतने अच्छे सुझाव आ गये, तो मेरी समझ में इससे ज्यादा अब कोई, बहुत ज्यादा यहां आवश्यकता नहीं है कोई कहने की।

एक निवेदन मैं जरूर करूंगा कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, उस क्षेत्र के अन्दर सेम की समस्या है। उस क्षेत्र के अन्दर, जो हमारी बड़ी इन्दिरा गांधी नहर है, उसके दोनों तरफ अगर ट्यूबवैल लगाने के लिये कृषकों को परमिशन दे दी जाये, प्राथमिकता के आधार पर हमें ट्यूबवैल्स के कनेक्शन दे दिये जाएं तो निश्चित रूप से हमारी सेम की समस्या का भी हल होगा और साथ ही साथ किसानों को उससे आर्थिक फायदा होगा। बस यही मैं निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, इस ओर ध्यान दें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हरिसिंहजी रावत। आप भी फरमा देवें, आप कितना समय लेंगे?

श्री हरिसिंह रावत (भीम): दस मिनट।

श्री उपाध्यक्ष: दस मिनट में, आप अपनी घड़ी स्वयं ही देख लें। मुझे कहीं आपको व्यवधान डालने की आवश्यकता न पड़े।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जो बोलने का आपने समय दिया है, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं और कोशिश करूंगा कि दस मिनट में मैं अपना वक्तव्य खतम करूं।

(श्री हरिसिंह रावत)

उपाध्यक्ष महोदय, देश को आजाद हुए करीबन 69 साल हो गये लेकिन आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में केरोसिन से हमारा, रात का कार्यक्रम, दिन का, जो भी होता है, वह केरोसिन द्वारा समय व्यतीत होता है। 60 साल कांग्रेस ने राज किया लेकिन कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से हमारे हर गांव, ढाणी को लाइट पहुंचे। जब-जब भी हमारा राज आया है, चाहे सेन्टर में हो, चाहे स्टेट में हो, हमारी परिकल्पना यही रही है कि जब तक हम गांवों का विकास नहीं करेंगे, तब तक हमारा चहुंमुखी विकास नहीं होगा। आज हमारे जीवन में जिस प्रकार खाना जरूरी है, उसी प्रकार बिजली भी हमारे दैनिक कार्यों के लिये अति आवश्यक एक अंग बन गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार ने लास्ट कार्यकाल में खूब भ्रष्टाचार किया और जाते-जाते तो उन्होंने खूब बंदरबांट की, कम से कम 40 हजार करोड़ की उन्होंने बंदरबांट की, जिसमें सी.एफ.एल. लाइटों का भी एक बहुत बड़ा घपला हुआ, लेकिन हमारी सरकार का विजन एक अलग होता है। उसी विजन के अनुसार हमारी मुख्य मंत्रीजी ने, और हमारे मंत्रीजी का भी मैं धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने गांव में रहने वाली जो हमारी जनता है, उनका उन्होंने काफी चिंतन-मनन करके हर गांव-ढाणी में लाइट पहुंचाने का प्रयत्न किया है, जिसके अन्तर्गत दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का भी इन्होंने आगाज किया, जिसके माध्यम से हर गांव-ढाणी में लाइट पहुंच रही है। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अपना इसमें एक कुछ क्राइटेरिया रखा है कि यहां पचास की आबादी होगी या सौ की आबादी होगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा मगरा क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो बिखरी हुई आबादी है, वहां पर अभी तक भी लाइट नहीं पहुंच पाई है। तो मैं यह चाहता हूं कि अगर बिजली के माध्यम से अगर नहीं हो तो कम से कम सोलर लाइट के माध्यम से, जहां पांच घर हैं, दस घर हैं, वहां पर भी अगर सोलर लाइट के माध्यम से यह योजना लागू की जाएगी तो मैं समझता हूं कि यह हमारे हर गांव-ढाणी, चाहे वह जंगल में बसता हो या चाहे इंटीरियर में बसता हो, वहां पर भी शायद मैं समझता हूं कि लाइट की यह व्यवस्था हो सकेगी। तो इसके ऊपर भी थोड़ा गौर फरमाएं।

साथ-साथ ही, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसानों की बात करूं, किसानों को हम अन्नदाता कहते हैं और वह अन्नदाता हमें अन्न पैदा करके

(श्री हरिसिंह रावत)

देता है और शहरों तक पहुंचाता है। मुझे बड़ा अफसोस होता है, यह सोचकर यह देखकर कि किसान, जो हमें अन्न देता है, उसकी लाइट का अगर कोई बिल, कोई अगर कनेक्शन नहीं होता है, मान लीजिए कि वह कुछ व्यवस्था-अव्यवस्था करता है तो उसके लिए अगर एक के लिए 30 हजार, 40 हजार का बिल होता है, लेकिन कोई बड़ी फैक्टरी वाला या बड़े उद्योग-धंधे वाला जो लाखों का चूना लगाता है, वह शायद मिलीभगत करके उनका इतिश्री कर देता है। उस गरीब किसान की कोई नहीं सुनता है।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जो हमारी सरकार ने इस बार 40 हजार कृषकों के कनेक्शन की जो घोषणा की है अगर उसकी जगह एक लाख कनेक्शन इस बजट में कर देते तो मैं समझता हूं कि काफी गांव-ढाणियों में जो कृषक, जो हमारी छोटी जोत के लोग हैं, उनको कनेक्शन मिल जाएंगे तो मैं समझता हूं कि काफी कृषकों को इसका फायदा मिलेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा, ट्रांसफार्मर अगर जल जाता है तो हमारी सरकार ने 72 घंटे के लिए बोला कि 72 घंटे में ट्रांसफार्मर हम लोग इनको मुहैया करवाएंगे, लेकिन हमारे विभाग की निष्क्रियता की वजह से हमारी सरकार को भी नीचा देखना पड़ता है और 72 घंटे की जगह तीन-तीन, चार-चार दिन तक हमें वह ट्रांसफार्मर नहीं मिलता है और ट्रांसफार्मर मिलता भी है तो हमारे कृषकों को यह बोला जाता है कि आप ट्रैक्टरों की व्यवस्था करो, और ट्रैक्टर आएगा तो आप ट्रांसफार्मर ले जाओ। तो यह हमारे कृषकों के लिए एक बड़ी समस्या है। इसके ऊपर भी, सभी अधिकारीगण भी बैठे हैं, इस पर थोड़ा गौर फरमाएं कि कृषक कहां से वह ट्रैक्टर लाएगा? जो तीन बीघा, चार बीघा जमीन वाला, जिसके पास ट्रैक्टर नहीं होता तो वह किराये से ट्रैक्टर लेता है, पांच-पांच, छह-छह हजार रुपये उसको खर्च करना पड़ता है। तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि इसके ऊपर भी थोड़ा गौर फरमाएं और ट्रांसफार्मर ले जाने की भी सरकार ही व्यवस्था करे, विभाग ही व्यवस्था कराए, ताकि इस समस्या का समाधान हो सकेगा।

दूसरा, गरीब किसानों का वी.सी.आर. जो भरा जाता है, इसके ऊपर भी थोड़ा विशेष ध्यान दें। यह वी.सी.आर. जो भरते हैं, यह एक इतिश्री करते हैं। इसमें विशेषकर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जो निगम के जितने भी एम.डी. बैठे हैं, इन लोगों का भी एक टार्गेट बना रखा है कि हमें तो टार्गेट पूरा करना है। वह टार्गेट के चक्कर में यह गरीब किसान मारा जाता है। तो मैं

(श्री हरिसिंह रावत)

आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम वास्तव में जो वी.सी.आर. बनाते हैं, वह वास्तव में आकलन करें कि इसने वहां 20 हजार का या 30 हजार का चूना वाकई में लगाया है क्या, सरकार के या विभाग के। ऐसा कुछ नहीं है। जिसके घर में दो-चार बल्ब जलते हैं, जो मेरे से पहले पूर्व के काफी वक्ताओं ने बोला, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन उसका भी आप अनुसरण करें। वास्तव में जो गलत काम करता है, उसे सज़ा मिले लेकिन जो एक बल्ब, दो, चार, पांच बल्ब जिसके घर में जलते हैं, अगर उसके ऊपर आप वी.सी.आर. के माध्यम से तीस हजार, बीस हजार का बिल बनाएंगे, तो मैं समझता हूं कि यह न्याय-संगत नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा, एम.एल.ए. लैड से हम पनघट योजना की स्वीकृति देते हैं। हमारा जो एम.एल.ए. लैड से जो पनघट योजना का जो खर्चा आता है, वह करीब एक से सवा लाख का खर्चा आता है, लेकिन विद्युत विभाग उसके ऊपर बोलता है कि थ्री-फेज कनेक्शन का आप एप्लाई करो तो सवा लाख की जगह पर हमें बिजली कनेक्शन के लिए करीब ढाई से तीन लाख रुपये देना पड़ता है। तो मैं समझता हूं कि यह न्यायसंगत नहीं है। वह सिंगल फेज से काम चल सकता है तो वहां पर थ्री-फेज की क्या आवश्यकता है? तो इस पर भी थोड़ा गौर फरमाया जाए। जो एम.एल.ए. लैड से हम देते हैं, कनेक्शन के लिए एप्लाई करते हैं, तो कम से कम जो मिनिमम चार्ज होता है, वह अगर देंगे तो मैं समझता हूं कि उचित रहेगा। वह नहीं देने की वजह से कई जगह अभी तक, हमारे पनघट योजना हमने स्वीकृत कर दी, हमारा बोर हो गया, पाइप लग गये, कनेक्शन नहीं होने की वजह से फिर वह क्या करते हैं, खुद ही हिकड़ी लगाकर वह कनेक्शन ले लेते हैं जिसकी वजह से सरकार को उसका नुकसान होता है और बाद में वी.सी.आर. भरना पड़ता है। तो इसके ऊपर भी थोड़ा गौर फरमाया जाए।

दूसरा, घरेलू कनेक्शन के बारे में थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा कि बी.पी.एल. परिवारों को भी हम कनेक्शन देते हैं और उसके घर में एक या दो बल्ब जलते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रोनिक मीटर आये हैं इस वक्त, वे इतने सेंसिटिव होते हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ी हवा लगने से, मैं समझता हूं, वह मीटर चालू हो जाता है और उस मीटर की रीडिंग आती है। तो एक गरीब जिसके घर में एक बल्ब जलता है, उसका दस-दस हजार, आठ-आठ हजार बिल आता है। जो बी.पी.एल. एक जून की रोटी नहीं खा सकता, वह

(श्री हरिसिंह रावत)

आठ हजार, दस हजार का बिल कैसे भरेगा? तो यह मीटरों का भी वेरिफिकेशन करें कि वास्तव में यह मीटर सही है या नहीं है। यही उदाहरण नहीं है ... (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मेरे क्षेत्र में काफी लोग अप्रवासी राजस्थानी हैं जो बाहर अपने उद्योग-धंधे, बाहर अपना बिजनेस करते हैं। उनके घर में, बड़ी-बड़ी हवेलियां हैं, उनके कनेक्शंस हैं, वे दो-दो साल तक नहीं आते हैं लेकिन उनके घर में भी पांच-पांच, सात-सात हजार रुपये का बिल आता है, जबकि वहां मीटर की एक यूनिट भी नहीं जलती है। तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि इसके ऊपर भी थोड़ा गौर फरमाएं।

दूसरी बात मैं करता हूं, चोरी की बात। चोरी की बात करें तो जो ठेकेदार होते हैं उन ठेकेदारों के कर्मचारी ही दिन भर तो लाइन बिछाते हैं और शाम को वे ही चोरी करके ट्रांसफार्मर और वह लेकर जाते हैं। मेरे क्षेत्र में भीलवाड़ा और राजसमंद जिले में भी ये चोर पकड़े गये हैं, जो लाखों रुपये के वायर और ट्रांसफार्मर का सामान गुजरात में ले जाकर बेचा, सूरत में बिका है, अहमदाबाद में बिका है और इसकी इंक्वायरी भी चल रही है लेकिन इस इंक्वायरी के अन्दर भी मैं समझता हूं कि 'आया राम, गया राम' करके पूरी इतिश्री कर दी है। तो यह भी एक विचारणीय बिंदु है। इस टाइप की जो चोरियां करते हैं तो जो ठेकेदार काम करवाते हैं, उनके ऊपर भी थोड़ा अंकुश लगवाया जाए।

दूसरा जो ठेकेदार के माध्यम से जो काम होता है, वह भी बराबर कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता है, खंभे बराबर सही नहीं लगाते और लाइनें भी इतनी झूलती हैं जिससे आए दिन कई एक्सिडेंट्स होते हैं, कई दुर्घटनाएं होती हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विभाग को इसके लिए भी थोड़ा सचेत करना चाहता हूं।

दूसरा, केबल और ट्रांसफार्मर, यह क्वालिटी कंट्रोल से इनकी जांच कराई जाए। यह जो केबल जितने भी हो रहे हैं, वे केबल इतनी घटिया क्वालिटी की हैं कि वे महीने, दो महीने में आवाज करके पूरे वे वायर टूट जाते हैं। तो जो-जो भी यह केबल्स अपन लगाते हैं कि भाई, केबल्स अगर लगेंगे तो शायद चोरी नहीं होगी लेकिन वह चोर तो, मैं समझता हूं कि क्वालिटी कंट्रोल नहीं होने की वजह से इसमें चोरी हो रही है। ट्रांसफार्मर घटिया क्वालिटी के

(श्री हरिसिंह रावत)

आ रहे हैं, जिसकी वजह से भी, मतलब, हमें नुकसान होता है; महीने, दो महीने में ही ट्रांसफार्मर जल जाता है। इसकी भी हमें समस्या हो जाती है।

दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 11 के.वी. लाइन, एल.टी. लाइन जो चल रही हैं, कई घरों के ऊपर होकर जा रही हैं जिससे आए दिन कई अप्रिय घटनाएं होती हैं। तो मेरा आपके माध्यम से विभाग को यह निवेदन है कि जो भी एल.टी. लाइन हों, जो 11 के.वी. लाइन हैं, वह कोई गरीब इतना पैसा भर नहीं सकता। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि विभाग यह लाइनें चेंज करे जिससे इस समस्या का समाधान हो सकेगा।

दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लास्ट मेरा एक निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में पूरा पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से वहां विंड टरबाइन और सोलर ऊर्जा की काफी संभावना है। तो मैं आपके माध्यम से विभाग को निवेदन करना चाहूंगा, मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर भी सर्वे करवाकर सोलर ऊर्जा का और विंड टरबाइन की भी वहां पर काफी व्यवस्था हो सकती है। यह अगर आप वहां पर करवाएंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे क्षेत्रों में इसका काफी विकास होगा और साथ-साथ ही दूसरा, ...(व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): 12 मिनट हो गये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): 12 मिनट कहां हो गये अभी?

दूसरा, यह वी.सी.आर. के अन्तर्गत जो 10 परसेंट जो आप लगाते हैं, इस पर भी थोड़ा संशोधन किया जाए। गरीब आदमी उसको भर नहीं सकते।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो हम सबको पता है कि मगरा क्षेत्र से हैं आप, इसीलिए वहां के आप चेयरमैन बने और मंत्री बने। यह तो हमको सबको पता ही है कि मगरा क्षेत्र है आपका।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): नहीं, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं इस बारे में?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आगे समझ गये आप। (व्यवधान) आधी रात हो गयी है।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): जोगारामजी कह रहे हैं कि 'ढल गया दिन, हो गयी रात; अब हो जाने दो।'

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्री हरिसिंह रावत)

ठीक है? अब तो खुश हैं?

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला रावत। आप भी फरमा दें कि कितने समय तक आप बोलना पसंद करेंगी?

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): दस से कम ही बोलूंगी, साहब। दस मिनट से कम ही बोलूंगी।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक बता दिया।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सभी आंकड़े और ये सारी चीजें आ गयी हैं, मैं इतना नहीं कह पाऊंगी। बिल के बारे में भी बहुत सारी बड़ाइयां की गयीं, मेरा मानना है कि जो कारपोरेट गवर्नेन्स और गुड गवर्नेन्स, यह सारी चीजें आप जो जारी करेंगे, किसानों पर हो, चाहे उपभोक्ता पर, सभी पर जारी होंगी, लेकिन फीडर पर मीटर लगाने का जो प्रावधान आप रख रहे हैं, अभी तो तार कम ही लोग जोड़ रहे हैं, अगर उस पर लग जाएगा तो जो व्यक्ति एक बल्ब जला रहा है और जो ज्यादा बिजली का उपभोग कर रहा है, उसमें कोई अन्तर नहीं रहेगा, बल्कि और भी ज्यादा दुरुपयोग होगा।

सभी ने जैसा वी.सी.आर. के लिये कहा, एक तो फरवरी और मार्च का जो बिल आया है, उपाध्यक्ष महोदय, वह इतना अधिक आया है, जिसके 500 का उसके 2 हजार का आया और जिसके 2 हजार का आता है, उसके 5 हजार का आया है। यह समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरीके का बिल किसलिये आ रहा है। इससे किसान की कमर टूट रही है। उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल बांटे जाते हैं, उनकी न तो कोई रीडिंग लेने जाता है और बिलों को गांव में इधर-उधर दुकानों पर डाल देते हैं और उसकी फिर जब मोटी पेनल्टी इकट्ठी हो जाती है, उस टाइम पर बिल घर पहुंचता है। ऐसी जो अव्यवस्थाएं हैं, उनको सुधारने के लिये तो इसमें किसी तरह का जिक्र नहीं है।

जो इस बिल में दिया गया है, वह वास्तविक चीजों से दूर है। चाहे पंडित दीनदयाल योजना हो, चाहे राजीव गांधी विद्युत योजना हो, लेकिन ग्राम पंचायतों में जो कैम्प लगे थे, उनमें आज तक भी कनेक्शन नहीं दिये गये हैं। क्या आप उनको चैक करवाएंगे? वे कब तक कनेक्शन देंगे? छह-छह महीने हो गये, जबकि आदेश यह था कि तुरन्त कनेक्शन होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, एक अनुरोध है कि किसान के ट्रांसफार्मर में से

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

अगर एक तार हट गया तो उसको किराये की गाड़ी करके उस तार को जुड़वाने के लिये विद्युत विभाग में जाना पड़ता है। यह सबसे मोटी समस्या है। अगर वह शिकायत करे और मिस्त्री आकर वहीं एक तार को जोड़ जाए तो उसकी बहुत बचत हो सकती है। यह बहुत मोटी समस्या है। डेली आये दिन इस तरह की समस्याएं आती रहती हैं। ऐसा नियम होना चाहिये कि जिससे जो चोरियां हो रही हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो अनुरोध है कि एक-एक डी.पी. सभी को आप, जैसे आप पांच-पांच की देते हैं, तो चोरियां रुक जाएंगी।

सरिस्का वन क्षेत्र से जो जुड़े हुए गांव हैं, उनमें बिजली कनेक्शनों पर छूट देने का मेरा आपसे अनुरोध है। वहां पर आज तक बिजली नहीं मिली है और वे मूलभूत सुविधाओं से दूर हैं। उन पर से भी बिजली की रोक हटानी चाहिये।

जितने भी जी एस एस हमारे यहां बानसूर में सैंक्शंड हैं, मोटूका है, लेकड़ी है, देवसन गुवाड़ा, तो इनका भी काम चालू करवाने का कष्ट करें।

जहां लाइनें बहुत नीची हैं और तार झूल रहे हैं जिनके कारण 11 हजार केवीए की लाइन गांवों में टच हो जाती है और कई गांव ऐसे हैं, जैसे माची में पूरे गांव में करंट आ गया था, भूरियावास में आ गया था, वहां भी एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी। माची में भी हो गयी, हाजीपुर में भी हो गयी, रामपुर में दो लोगों की हो गयी। तो इस तरह से तार लूज हैं। टंकी फट गयी थी। इस तरीके की जो समस्याएं हैं, उनका भी आप सर्वे तो करवा रहे हैं लेकिन दो साल से अभी तक वह सर्वे पूरा नहीं हुआ है। बानसूर कस्बे में पेट्रोल पम्प के ऊपर से लाइन जा रही है और ऐसे एक-एक, दो-दो पोल की जगह हैं, खम्भे लग जाएं तो ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। कोई बड़ा भारी खर्चा नहीं है। कई जगह मैंने खुद ने कह दिया कि मैं आधा खर्चा वहन करने के लिये तैयार हूं लेकिन इन दुर्घटनाओं से बचने के लिये आप इनको चेंज कराने का कोई प्रावधान ऐसा बनावें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक समस्या और है कि वी.सी.आर. का पैसा जमा कर लेते हैं पहले और जांच बाद में करते हैं। इसका होना यह चाहिये कि पहले जांच कर लें, फिर चाहे पैसा जमा करा लें। छह-छह महीने तक उनका पैसा तो नहीं जाता है और अगर कोई बिल जमा नहीं कराये तो उस पर मोटी सारी पेनल्टी लगा देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है किसान के साथ में?

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

मेरा आपसे अनुरोध है, बानसूर में हमारे 40-45 हजार के लगभग कनेक्शन हैं, जबकि प्रावधान है कि 12 हजार पर एक ए.ईएन. होना चाहिये। मेरा अनुरोध है कि वहां पर ए.ईएन. की पोस्टिंग की जाए, या एक्स.ईएन. आफिस वहां पर खोला जाए। मेरा आपसे यही अनुरोध है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसानों को जो बिजली के लिये है, ज्यादातर तो सब्सिडी गवर्नमेंट वहन करती है लेकिन उन्हें फ्री में कृषि कनेक्शन दिया जाए, यह मेरा आपसे अनुरोध है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसे ही मैं बोलने के लिये उठती हूं तो यह कहते हैं लेकिन-

'यह सदा एक जैसा नहीं रहेगा।

जो कल थे वो आज नहीं होंगे।

जो आज हैं, वो कल नहीं होंगे।

न होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा।

हम हैं, हम रहेंगे,

यह भ्रम भी सदा ही पलता रहेगा,

पलता रहेगा।'

श्री उपाध्यक्ष: श्री शत्रुघ्न गौतम। आप भी अपना समय बता दें।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो बहुत कम बोलूंगा। मैं बहुत आवश्यक बातें बताऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष: दस मिनट कर दें आपका समय।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी): 8 मिनट, 10 मिनट, जो भी आपकी इच्छा हो।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिजली हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है और प्रतिपक्ष के जितने भी माननीय सदस्य हैं, सभी सदस्यों ने आज इस चर्चा में भाग लिया; सबने अपने-अपने विचार रखे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल 2000 से पहले हुआ करता था। इनके लोकप्रिय तत्कालीन

(श्री शत्रुघ्न गौतम)

मुख्य मंत्रीजी ने किन्हीं भी परिस्थितियों में तीन कम्पनियां बनायीं – उत्पादन, प्रसारण और वितरण कम्पनियां। अब अपन उत्पादन की बात करें तो उत्पादन के अन्दर निजी कम्पनियां भी बिजली बना रही हैं और सरकार की कम्पनी भी बिजली बना रही है, लेकिन इनका अगर अनुमान देखा जाए तो हमारी बिजली महंगी उत्पन्न हो रही है। इसका कारण क्या है?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारी लागत क्यों बढ़ती है? सबसे पहले आता है कोयला। कोयला हमारा सबसे बड़ा रॉ-मैटेरियल है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटा थर्मल पॉवर के अन्दर करीब-करीब 50 लाख टन कोयला एस ए सी एल, डब्ल्यू सी एल से, कोल इंडिया से आता है और उसमें 'एफ' ग्रेड का कोयला हमें मिलता है। एक वॉशरी लगी हुई है आर्यन ए सी बी इंडिया लिमिटेड की, वह 'एफ' ग्रेड को 'सी' ग्रेड करके, वॉश करके हमको देती है। उसके अन्दर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि जो रिजेक्टेड कोल होता है, उस रिजेक्टेड कोल की केवल 300 रुपये टन से नीलामी एक ही कम्पनी को दी जाती है। यदि उसकी नीलामी हर महीने या ईयीअरवाइज होवे तो राजस्थान सरकार को बहुत बड़ा घाटा, जो बिजली पर हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बहुत बड़ा घाटा हम कम कर सकते हैं।

इसी तरह से जब लिंकेज का कोयला आता है, जो कटनी बिलासपुर से ए सी सी एल, डब्ल्यू सी एल से आता है, उसमें रेलवे की स्कीम है कि 10 प्रतिशत फ्रेट प्री-पेड करने पर 10 प्रतिशत डिस्काउंट होता है। किसी जगह पर हो रहा है, किसी जगह टू-पे होता है, किसी जगह प्री-पेड होता है और केवल कोटा थर्मल पावर का 40 करोड़ रुपये महीने का हम बिल पे कर रहे हैं, केवल और केवल रेलवे का। आधे में प्री-पेड होता है, आधे में टू-पे होता है। अगर इसकी तरफ हमारा ध्यान जाये, तो निश्चित रूप से जहां बिजली पैदा होती है, वहीं अगर हमारी बिजली, जिस तरह से निजी कम्पनियों की तरह अगर बिजली के उत्पादन में दरें कम होंगी तो निश्चित रूप से इस घाटे को पाटा जा सकता है, कम किया जा सकता है।

एक ही कम्पनी को फायदा पहुंचाने के लिये, चाहे वह इम्पोर्टेड कोल इंडोनेशिया का हो, चाहे साउथ अफ्रीका का हो, इसके मापदण्ड तय होने चाहिये।

(श्री शत्रुघ्न गौतम)

लेबोरेटरी के अन्दर जो जांच होती है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह जांच इस तरह से होनी चाहिये, किसी भी बाहर की कम्पनी में या बाहर की लेबोरेटरी में जांच होनी चाहिये। उसमें 30 परसेंट तक, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मोइस्चर आता है। कैलोरिफिक वैल्यू से पैसा दिया जाता है, लेकिन उसके कोई मापदण्ड नहीं हैं। हमें इस पर चिन्तन करना चाहिये।

आज किसान की बिजली की बात करते हैं, वी.सी.आर. भरते हैं, या कुछ भी करते हैं, लेकिन हम अगर इस उत्पादन की लागत को कम करें तो निश्चित रूप से बिजली एक अच्छे मापदण्ड में और अच्छी क्वालिटी की बिजली किसान को, आम ग्राहक को पहुंच सकती है। हमारे किसी माननीय सदस्य ने इस विषय में कोई चर्चा नहीं की है।

माननीय मंत्री महोदय, मैं निवेदन करूं, यदि इसकी जांच करा लें कि कोटा थर्मल पावर में जो कोल आता है, उसकी कैलोरिफिक वैल्यू से पैसे दिये जाते हैं कि इसकी सी.वी. कितनी है, 5500 सी.सी., 5800 सी.वी.। आज श्रीराम फर्टिलाइजर भी बिजली बना रहा है। वह बिजली का उत्पादन करके हमें महंगी रेट में दे रहा है। क्या कारण है? इसके बारे में हमें चिन्तन करना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे का मैंने आपको निवेदन किया और सबसे बड़ी दोनों चीजें मैंने आपको निवेदन कीं कि 30 परसेंट से ज्यादा मोइस्चर कोयले के अन्दर आता है। कोयले पर हमने अगर कंट्रोल कर लिया तो निश्चित रूप से बिजली के घाटे को बहुत हद तक पाटा जा सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय सीमा तय कर दी। मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिये निवेदन करूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 33 के.वी. के 6 जी एस एस बनने हैं, लेकिन अभी भी समयबद्ध सरवाड़ के अन्दर छह में से एक का भी काम चालू नहीं हुआ है। उनके टेण्डर हो गये, समयबद्ध तरीके से टेण्डर होने चाहिये थे, कम्पनी को पेनल्टी लगनी चाहिये, लेकिन वह नहीं हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे केकड़ी कस्बे में 132 के.वी. का एक जी.एस.एस. है जो 220 में परिवर्तित होना चाहिए। मेरे केकड़ी कस्बे में पी.एच.ई.डी. के ऊपर 25 मेगावाट के जो दो ट्रांसफार्मर काम कर रहे हैं, 15 मेगावाट का लोड पी.एच.ई.डी. पर, 6 लाइनें पी.एच.ई.डी. पर हैं; केकड़ी फीडर में 10 के.वी. लाइनें हैं उनमें से 5 फीडर पी.एच.ई.डी. के लिए हैं, 5 फीडर शहर के लिए हैं। तो इसका परिवर्तन होकर 220 के.वी. में बने।

(श्री शत्रुघ्न गौतम)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि विधायक कोष से हम बिजली के लिए पैसा देते हैं तो उसमें 50 परसेंट ओवरहैड चार्ज लगाया जाता है। यह बंद होना चाहिए। एस्टिमेट बन जाए, उस पर 50 परसेंट ओवरहैड चार्ज लगाया जाता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2008 के बाद जब सरकार ने तय किया कि किसान के गांव में बिजली लगनी है, कृषि कनेक्शन जाना है, या गांव में बिजली जानी है, बिजली के पोल खड़े होने हैं, तो उसमें ठेकेदार सिस्टम लागू कर दिया। किसान पोल लेकर जायेगा, किसान तार लेकर जायेगा, लेकिन पेमेंट उसका ठेकेदार लेगा। यह सिस्टम बंद होना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

दूसरा, सबसे बड़ा कि इसके कोई निश्चित मापदण्ड, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे विभाग को तय करने चाहिए। बिजली के पोल लग रहे हैं, जैसे मैं आपको मेरे विधान सभा क्षेत्र का एक उदाहरण निवेदन करूं, पी.एच.ई.डी. की एक सर्विस रोड है, उसमें बिलकुल पास में पोल लगा दिये। अब उसको हटा कर रोड चौड़ी करनी है तो उसका 40 लाख का एस्टिमेट आ गया। तो कम से यह निश्चित मापदण्ड तय होने चाहिए। आज आप पोल को सड़क के किनारे लगा देंगे, फिर चार महीने के बाद पैसा तो सरकार का देना पड़ेगा, चाहे नगरपालिका से देओ, चाहे आप विधायक कोष से देओ, चाहे सांसद कोष से दो। इस-इस जगह पर एक निश्चित मापदण्ड पर कि रोड से इतनी दूरी पर पोल लगने चाहिए। ये सभी चीजें आवश्यक चीजें हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सभी सदस्य आज मैच के उसमें हैं। तो मैं ज्यादा निवेदन नहीं करते हुए, समय की सीमा में; आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री भंवरसिंह जी। आप भी फरमा दिराओ।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): दस मिनट।

श्री उपाध्यक्ष: हां, दस मिनट।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उससे पहले सुराज संकल्प पत्र में, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि हमारे पश्चिमी राजस्थान में जब

(श्री भंवर सिंह)

मुख्य मंत्रीजी पधारे और जो संकल्प पत्र जारी किया गया, उसमें 'बूंद-बूंद सिंचाई योजना' के जो कनेक्शन हैं वे बीकानेर संभाग में सबसे ज्यादा हैं और इसके बारे में सुराज संकल्प पत्र में यह कहा गया कि कांग्रेस सरकार के द्वारा जो ये कनेक्शन दिये गये हैं इसमें किसान के ऊपर भारी बोझ पड़ता है, दो माह में किसान के 24 हजार का बिल आता है; भारतीय जनता पार्टी यह घोषणा करती है कि 'बूंद-बूंद सिंचाई योजना' में वर्ष 2000 तक रिलीज किये गये सभी कनेक्शनों को साधारण कनेक्शन माना जायेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, हालांकि 'बूंद-बूंद सिंचाई योजना' का जो विषय था उसमें पूरी तरह से माननीया मुख्य मंत्रीजी ने और पूरी सरकार ने वादाखिलाफी कर दी है सुराज संकल्प पत्र के खिलाफ। अभी बजट घोषणा में मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा है कि पांच साल पूरे होने के बाद 'बूंद-बूंद सिंचाई योजना' के कनेक्शन को सामान्य श्रेणी में तब्दील किया जायेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां किसान की फसलों के भाव लगातार कम हो रहे हैं; कभी ओलावृष्टि, कभी अतिवृष्टि; किसान बुरी तरह से आर्थिक बोझ में दबा पड़ा है। किसी किसान का लाख रुपये का बिल है, किसी का दो लाख का है, किसी का पांच लाख। दस लाख, पन्द्रह-पन्द्रह लाख रुपये किसानों के बिजली के बिल चढ़ गये और इस बूंद-बूंद सिंचाई योजना में किसान पर भारी मार पड़ी। किसान को बहुत ज्यादा उम्मीद थी, बहुत ज्यादा भरोसा था राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी पर लेकिन 'बूंद-बूंद सिंचाई योजना' में पांच साल बाद सामान्य श्रेणी में तब्दील करने की जो घोषणा की गयी है, उससे राजस्थान के किसान को बहुत ही भारी आघात पहुंचा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में दूसरी बात यह भी कही गयी थी कि कम आबादी वाली और राजस्थान की ढाणियों का हम हमारी सरकार बनते ही त्वरित गति से विद्युतीकरण करेंगे। वर्ष 2008 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, उससे पहले, मंत्री महोदय, आपकी सरकार ने 'मुख्यमंत्री सब के लिए विद्युतीकरण योजना' के तहत छह के समूह में भारी तादाद में आवेदन फार्म भराये समूह के रूप में और उन सारे समूहों का निस्तारण 2008 से 2013 में कांग्रेस की सरकार के द्वारा किया गया, सभी को ढाणियों में कनेक्शन दिये गये। फिर भी जो ढाणियां वंचित रह गयीं, उन ढाणियों में रहने वाले

(श्री भंवर सिंह)

लोगों को कनेक्शन देने के लिए 2013 में पुनः इस योजना के तहत आवेदन भरवाये गये, पूरे राजस्थान में समूह के तहत 'मुख्यमंत्री सब के लिए विद्युतीकरण योजना' के आवेदन भरवाये गये। तत्पश्चात् 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, मंत्री महोदय, पिछले ढाई सालों में एक भी कनेक्शन 'मुख्यमंत्री सब के लिए विद्युतीकरण योजना' के तहत राजस्थान में नहीं दिया गया। जहां ढाणियों में रहने वाले लोगों को बिजली देने का वादा राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इन ढाई सालों से लम्बित पड़े जो 'मुख्यमंत्री सब के लिए विद्युतीकरण योजना' के आवेदन हैं उन आवेदनों को कम से कम अब इस 'दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना' में तो शामिल कर लीजिए, जिससे कि इस योजना में गांव और दूर ढाणी में बैठे हुए किसान को लाइट मिल सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब पहला बजट पेश हुआ तब बड़ी-बड़ी घोषणाएं की गयीं और उसमें एक बात यह भी कही गयी कि हम एफ.एम.पी. कार्यक्रम चलायेंगे, फीडर मेंटिनेंस का कार्यक्रम चलायेंगे। पहले हम राजस्थान के पूरे विद्युत तंत्र को विकसित करेंगे, उसमें जो खामियां हैं उनको ठीक करेंगे और उसके बाद राजस्थान में नया तंत्र विकसित करने की बात करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दो साल से एफ.एम.पी. कार्यक्रम चल रहा है लेकिन धरातल पर इस कार्यक्रम का बहुत ही कम देखने का अवसर मिल रहा है। इसमें मुख्य जो काम लिये गये थे, ढीले तारों को ठीक करने की बात की गयी थी, पुराने पोल बदलने की बात की गयी थी, लोहे के पोल जिससे दुर्घटना का खतरा रहता है उनको बदलने की बात की गयी थी, लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आज भी राजस्थान के गांव और ढाणियों में तार वैसे ही लटक रहे हैं। पशु, ऊंट आदि जो पशु हैं, आये दिन नीचे तार जमीन पर टकराने की वजह से उनसे रोजना दुर्घटनाएं हो रही हैं। लोहे के पोल, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में और बीकानेर जिले में दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां लोहे के पुराने पोल लगे हुए हैं। बार-बार स्थानीय अधिकारियों को कहने के बावजूद उन लोहे के पोलों को बदला नहीं जा रहा है और उसकी वजह से आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट में एक घोषणा की गयी थी कि

(श्री भंवर सिंह)

सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में हम राजस्थान को एक माडल बनायेंगे, राजस्थान में 25 हजार मेगावाट सोलर ऊर्जा के माध्यम से बिजली का उत्पादन करेंगे। मैं कहना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो सालों में बीकानेर में सोलर पार्क बनाने की भी घोषणा की गयी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि बीकानेर जिले में जितने सोलर के प्रोजेक्ट 2013 तक लगे, उसके बाद एक भी प्रोजेक्ट, एक भी सोलर की प्लेट यदि बीकानेर जिले में कहीं लगी हो, तो मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आप जब जवाब दें तो आप बताएं कि बीकानेर जिले में पिछले ढाई सालों में सोलर के क्षेत्र में कितना काम किया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि बिजली विभाग का एक मात्र काम रह गया है, सिर्फ, और सिर्फ, वसूली का। गांवों की इनके विभाग के अधिकारियों की दुनिया भर की टोलियां बना दी गयीं टीमें बना दी गयीं। पुलिस के अधिकारियों की गाड़ियों को लेकर के ये चलते हैं, गांवों में जाते हैं और हर गांव में जाकर के पूरे के पूरे गांव की बिजली काट रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। जो बकाया वसूली है वे ये पूरी वसूली एक साथ करना चाह रहे हैं। लोगों के वर्षों से बकाया बिजली के बिल हैं और उन बिलों को वसूली करने के लिए इन्होंने एक तरह से किसान के ऊपर और आम आदमी के ऊपर जैसे धावा बोल दिया है। दस गाड़ियां बिजली विभाग की जाती हैं, उस गांव में जाते हैं, घर-घर में घुसते हैं और मीटर उतारते हैं। चाहे परीक्षा का समय चल रहा हो अभी मार्च के माह में, चाहे किसानों के फसलें हैं वे पकाव पर आयी हुई हैं, इस समय में यदि ट्रांसफार्मर उतारा जाता है तो किसान की फसलें बरबाद भी हो रही हैं। किसान का बेटा, गांव में रहने वाले आम उपभोक्ता का परिवार, इनके बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं। उसके बावजूद यह कनेक्शन काटने का, ट्रांसफार्मर उतारने का काम कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मेरे विधान सभा क्षेत्र की मैं बात करना चाहूंगा कि छोटे उपभोक्ता हैं जिनके एक लाख, डेढ़ लाख, 2 लाख रुपये तक बकाया हैं, या एक लाख से कम कृषि कनेक्शनों में बकाया हैं, उन किसानों के तो ये धड़ाधड़ जाकर के ट्रांसफार्मर उतार रहे हैं। बीकानेर के मुख्य अभियंता को और यहां तक कि जोधपुर डिस्काम के एम.डी. तक यह बात पहुंचाई है कि बीकानेर जिले में ऐसे बहुत सारे गांव हैं, कोलायत विधान सभा क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे गांव हैं, जिनके बकाया 5 लाख से लेकर के

(श्री भंवर सिंह)

15 लाख रुपयों तक हैं; लेकिन विभाग के अधिकारी उन गांवों में नहीं घुसते हैं; उसमें किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करते। ये पक्षपातपूर्ण तरीके से जो छोटे और गरीब किसान हैं, उसकी फसल को बरबाद करने के लिए ट्रांसफार्मर उतारने का काम कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, 6 घंटे बिजली किसान को देने का प्रावधान पूरे राजस्थान में है लेकिन बीकानेर जिले के और राजस्थान के ऐसे बहुत सारे गांव और ढाणियां हैं जहां घरेलू, जो एल.टी. का फीडर होता है, घरेलू लाइन होती है, उस लाइन में घरेलू कनेक्शन होने के बावजूद 24 घंटे में से मात्र 6 घंटे बिजली दी जा रही है। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा राजस्थान के उपभोक्ताओं के साथ अन्याय नहीं हो सकता। राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी, राजस्थान के ऊर्जा मंत्रीजी रोजाना यह दावे करते हैं कि हम 24 घंटे घरेलू बिजली देंगे, लेकिन 6 घंटे भी ये पूरी तरह से बिजली दे नहीं रहे हैं।

प्रतिभूति राशि के बारे में पूर्व में भी मैंने निवेदन किया है कि यह किसानों के ऊपर बहुत ही भारी है। जो किसान पहले से ही दबा पड़ा है, उसके ऊपर प्रतिभूति राशि का जो भार डाला जा रहा है, वह निश्चित रूप से किसान के साथ घोर अन्याय है।

किसान जो टयूबवैल बनाकर के खेत में रहता है, उन किसानों के लिए जब हमारी मुख्य मंत्रीजी बीकानेर पधारीं तो उस समय इन बिजली कंपनियों के जो सी एम डी थे आर.जी. गुप्ता, शायद अभी उस पद पर कोई और विराज रहे होंगे, वे बीकानेर आये और हर किसान जिसके खेत में 6 घंटे थ्री-फेज के अलावा 18 घंटे घरेलू सिंगल फेज की लाइट दी जाती थी, जिससे कि किसान अपने परिवार को पढ़ा सके और शिक्षा-दीक्षा दे सके, उस समय के जो तत्कालीन सी एम डी थे उन्होंने एक ऐसा आदेश जारी किया कि पूरे राजस्थान के किसान के लिए जो टयूबवैल पर रहता था, उसके अंधेरा कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, चाहे ट्रांसफार्मर समय पर नहीं बदलने की बात हो, चाहे नये जी एस एस बनाने की बात हो, चाहे मीटर रीडिंग की बात हो, चाहे तकनीकी कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने की बात हो, ये मेरे से पूर्व माननीय विधायकों ने सारी बातें कही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा कि जो जी

(श्री भंवर सिंह)

एस एस का रखरखाव होता है, उसके लिए मेंटीनेंस का पैसा पिछले एक साल से, डेढ़ साल से नहीं दिया जा रहा है। हमारे बीकानेर जिले में 40-50 ऐसे जी एस एस हैं जिनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। यहां तक कि मेंटीनेंस के नाम पर छोटे-छोटे जो पार्टस होते हैं, चाहे जी क्लेम हो, चाहे जीओजा हो, इस तरह के मामूली आइटम होते हैं जिनकी वजह से जीएसएस को सुचारु रूप से चलाया जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि अघोषित रूप से इन्होंने किस प्रकार से एक रोक लगा रखी है जिससे बीकानेर संभाग के जो 33 केवी के और उससे बड़े जी एस एस हैं, उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, इसकी वजह से लगातार दुर्घटना की संभावनाएं बनती जा रही हैं। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि जो जी एस एस के मेंटीनेंस का काम है, मेंटीनेंस के जो अन्य छोटे-मोटे काम होते हैं, लगातार इस तरह के कार्यों के लिए अलग से बजट आबंटित किया जाये, या बजट खर्च करने की पावर स्थानीय, जिला लेवल के अधिकारियों को दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा बीकानेर जिला सीमावर्ती जिला है और सीमांत क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, बी ए डी पी के तहत पिछले 3 सालों से काम लम्बित पड़े हैं। उन लम्बित कामों का कारण जब हम विभाग के अधिकारियों से पूछते हैं तो एक मात्र उनकी तरफ से जवाब आता है कि सामान की कमी है। सीमांत क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, बी ए डी पी का जो पैसा होता है वह भारत सरकार के द्वारा आता है। जिला परिषद के द्वारा पिछले 3-4 सालों से लगातार बिजली विभाग में वह पैसा जमा कराया हुआ है, उसके बावजूद विभाग के द्वारा विद्युतीकरण का कार्य नहीं किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सूरतगढ़ से पधारे हुए और माननीय लूणकरणसर से पधारने वाले विधायकों ने जो बात कही है, निश्चित रूप से इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में 10-12 फीट ऊंचाई पर पानी है और सेम की समस्या भी रहती है। मेरा मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन रहेगा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के आसपास जहां पानी का लेवल ऊंचा है, सेम की समस्या है, वहां के किसानों को सिंगल फेज कनेक्शन से, घरेलू कनेक्शन से टयूबवैल चला सकते हैं और अधिकांश जगह चला भी रहे हैं। रोजाना उनकी वी सी आर भरी जा रही है। नहरी क्षेत्र जहां पानी का लेवल ऊंचा है, वहां अलग से कोई एक प्रायोरिटी बनाकर के उन्हें कृषि कनेक्शन दिया जाये।

(श्री भंवर सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं एम एल ए कोटे की बात कहना चाहूंगा। एम एल ए कोटे से जो काम कराये जाते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपने घर की लाइन अगर शिफ्टिंग करना चाहे, कोई भी उपभोक्ता, तो उसे 50 परसेंट राशि जमा कराने पर वह लाइन शिफ्ट कर दी जाती है, विभाग के द्वारा। यदि 5 ढाणियों को विद्युतीकरण करना है, या एक ढाणी का विद्युतीकरण करना है तो उसको सेल्फ-फाइनेंस के अन्दर, एक लाख की यदि डिमांड है तो 50 हजार रुपये उपभोक्ता जमा कराता है, तो वह कनेक्शन दे दिया जाता है, आधी राशि में। जिस प्रकार से सेल्फ-फाइनेंस के अन्तर्गत ये कनेक्शन दिये जाते हैं, उसी प्रकार एम एल ए कोटे में भी 50 प्रतिशत राशि लेकर के, 50 प्रतिशत निगम स्वयं वहन करते हुए, इस प्रकार की योजनाओं में विद्युतीकरण का कार्य करवाने का श्रम करावें।

अंत में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे बीकानेर जिले में अभी डिमांड नोटिस कृषि कनेक्शन के 1,500 भरे हुए 5-6 महीने का समय हो गया है, मार्च का समय बीत गया है, अप्रैल में किसान को दुबारा खेती करनी है, लेकिन ये 1,500 डिमांड नोटिस भरने वाले जो किसान हैं, उनको आज तक कनेक्शन नहीं दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अभी मार्च तक डिमांड नोटिस भर दिये, या 31 दिसम्बर तक जिन्होंने डिमांड नोटिस भर दिये, उन सभी किसानों को अप्रैल माह के अंत तक कृषि के कनेक्शन दे दिये जायें जिससे कि वे अगली फसल पर अपने खेत में सिंचाई कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने बिजली के मुद्दे पर, राजस्थान में बिजली की चर्चा पर मुझे बोलने का मेरी समय सीमा से अधिक समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: श्री पूरणमल सैनी। आप बोलेंगे?

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): जी हां।

श्री उपाध्यक्ष: आप भी अपनी समय सीमा बता दें।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): आसन की जो भी फरमाइश और आदेश होगा, उसके अनुसार।

श्री उपाध्यक्ष: चलिये, आप 10 मिनट में कनक्लूड कर दें।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): उपाध्यक्ष महोदय, करता हूं।

(श्री पूरणमल सैनी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबंध उत्तरदायित्व विधेयक, 2016 पर विचार, जो हो चुका है, और विचार के अंत में माननीय मंत्रीजी को पारण का प्रस्ताव करना था, वह भी कर चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी तरफ से सब तरह की चर्चाएं सदन में हो चुकी हैं तो पारण समझा जाये। अगला मैं जो आज की इस कार्य सूची में दिया गया था, छठा बिन्दु, विद्युत पर चर्चाएं, उसमें थोड़ा-सा बोलूंगा। बहुत ज्यादा समय सदन का खराब नहीं करके, मुख्य-मुख्य बिन्दु हैं मेरे 3-4, उन पर मैं निवेदन करना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वी सी आर के लिए बहुत ज्यादा चर्चा इस सदन में हो चुकी है लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, तीन बिंदु हैं मेरे वी सी आर के लिए और सवाल भी हैं; राजस्थान की सरकार ने अधिकारियों को टार्गेट दिया हुआ है कि कम से कम 100 वी सी आर एक आदमी, एक अधिकारी भरकर लेकर आएगा। इससे क्या प्रभाव पड़ता है, उनको टार्गेट दे दिया तो वे वज़नी होते हैं, तो वे पहले से चिह्नित करके रखते हैं, क्योंकि जो आदमी चोरी करता है वह अपनी सैटिंग रखता है। इसलिए उनके संज्ञान में होती है लगातार। तो इससे उनका काम निकाल देते हैं कि यह निकालने दो, कुछ पैसा उनको पाकेट के लिए उपलब्ध करवा दिया जाता है तब तक उनको रखते हैं, लेकिन जब उच्चाधिकारियों का दबाव बढ़ जाता है तो अचानक वह 100 का टार्गेट पूरा करने के लिए और उनका जितना बनता है, उतना नहीं, उससे बहुत कई गुणा ज्यादा भरते हैं। ज्यादा भरने के बाद जब उनसे निवेदन किया जाता है, हम लोग माननीय जन-प्रतिनिधि, जो भी, उसके लिए निवेदन करते हैं, कहते हैं कि फलां कृषक का या फलां उपभोक्ता का आपने आज वी सी आर भरा है, उसको कम करें, तो हम जन-प्रतिनिधियों को यह कहा जाता है कि साहब, आप कल बताते, यह तो कल भरा था मैंने, तुरन्त हमें भर कर देना पड़ता है, मैं तो भर चुका हूं। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब कृषक उनको कुछ ले-देकर सैटिंग करके आता है तो हमें यह सुनने को और मिलता है कि साब, थारा कहबा स तो कोनी कर पायो लेकिन मैंने यह काम करवा लिया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, यही नहीं, लोक कल्याणकारी राजस्थान की सरकार ने, पी एच ई डी ने ट्यूबवैल खोद कर उन पर कनेक्शन ले रखे हैं और अपरिहार्य

(श्री पूरणमल सैनी)

कारणों से बजट की उपलब्धता के अभाव में उनका बिल नहीं भर पाये और लम्बा अगर चल गया, या फिर उनकी फाइल अपीयर नहीं कर पाए, तो उनकी भी जाकर वी सी आर भर दी जाती है। उस वी सी आर का, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह असर हो रहा है कि अगर बोरवैल विभाग ने, पी एच ई डी ने बनाया, उस पर कनेक्शन की फाइल अपीयर करते हैं तो शर्त यह लगाई जाती है, पूरे गांव में, उस राजस्व ग्राम की सीमा में दूसरा कोई बोर बनाया जाता है, तो शर्त लगाई जाती है कि जब तक वह पहले वाला वी सी आर विभाग नहीं भरेगा तब तक आपको अगला विद्युत सम्बन्ध नहीं दिया जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें जो भी हमने निवेदन किया, सारे सदन के लोगों ने, वी सी आर भरी जानी चाहिए, जो चोरी करता है, लेकिन इन बातों पर थोड़ा अमल फरमाएं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे झुन्झुनूं जिले से आने वाले माननीय सदस्य ने एक निवेदन किया था कि जो मंदिर माफी की जमीनें हैं, मैंने कल ही 295 के माध्यम से निवेदन किया था कि खातेदारी अधिनियम, 1955 के आधार पर खातेदारी जिन लोगों को दे दी और जिनके नाम खातेदारी नहीं है, मंदिर माफी की जमीन खातेदारी करने वालों के हक में नहीं होती है, तो उस पर वे लोग जब कनेक्शन मांगते हैं तो उनको यह कहकर मना कर दिया जाता है कि आपका मालिकाना हक नहीं है, इसलिए कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के द्वारा ही सहकारिता विभाग में जैसे कृषक के खेत पर, जो खातेदारी अधिकार रखता है, उसके खेत पर मजदूर के रूप में या बटाईदार के रूप में जो खेती करता है और आपदा का जो पैसा जाता है वह उस काश्तकार के नाम पर आपदा विभाग द्वारा दिया जा रहा है और दूसरा, सहकारिता विभाग में जो अल्पकालीन ऋण जो दिये जा रहे हैं वे उस कृषक के नाम दिये जा सकते हैं जिसके नाम से जमीन नहीं है। तो फिर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे ही दूसरे विभागों में हम दूसरे प्राइवेट लोगों को भी कनेक्शन दे रहे हैं, तो उसको भी अस्थायी मानते हुए, और एनओसी देवस्थान विभाग से लेने की जो प्रक्रिया है, काफी जटिल और लम्बी है; तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि विभिन्न उप खण्डों पर उप खण्ड अधिकारियों के कार्यालयों में जितनी भी राजस्थान प्रदेश में फाइलें लम्बित हैं, उनको तो रेवेन्यू आना चाहिए और उस

(श्री पूरणमल सैनी)

पर जो खर्चा आ रहा है विभाग का, वह उनको मिलना चाहिए। तो वह खर्चा जो भी वहां बनता है, वह लेते हुए, और मंदिर माफी की जमीनों पर काश्त करने वाले किसानों को भी कनेक्शन दिया जाना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा और अंत में धन्यवाद देना चाहूंगा, इसी सदन को नहीं, हमारी केन्द्र के सरकार के सदन को भी, कि माननीय प्रधान मंत्रीजी ने एक बहुत अच्छी योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से चलाई है और उसका टार्गेट है कि 2018 तक प्रत्येक गांव और ढाणी को विद्युत सम्बन्ध से जोड़ दिया जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अच्छी बात है, धन्यवाद इस बात के लिए, लेकिन मैं इसके साथ निवेदन करना चाहूंगा कि बिजली जब से हमने प्रसारण शुरू किया, जिन गांवों में लाइनें बड़ी जर्जर हो चुकी हैं, अगर राजस्थान की सरकार के पास और इस विभाग के पास, इतना बड़ा कर्जे में यह दबा है और पैसा नहीं है, तो केन्द्र के द्वारा इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना से जो पैसा आ रहा है, उनमें प्रोविजन करते हुए और उन पुरानी लाइन का भी प्रोविजन कराएं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस राजस्थान प्रदेश में बिजली विभाग के जितने भी कंडम-करार अधिकारी और कर्मचारी हैं, मैं पिछले ढाई वर्ष से लगातार निवेदन कर रहा हूं, और यही नहीं, पूर्व सरकार में हमारे ही विधान सभा क्षेत्र के जीते माननीय डाक्टर जितेन्द्र सिंहजी जब मिनिस्टर रहे हैं, तब भी हमारे खेतड़ी क्षेत्र के यही हालात थे। सबसे पिटा हुआ अधिकारी और जो भी, जिसको कंडम का करार हर जगह से दे दिया जाता है, उनको खेतड़ी में लगाया जाता है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि थोड़ा बहुत रिलीफ खेतड़ी की जनता को देने के लिए उन अधिकारियों को वहां से हटाएं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए, मैं समझ सकता हूं कि कल-परसों भी सदन जब आपकी अध्यक्षता में रात को दो बजे तक चल रहा था तो बाहर सारे कर्मचारी कह रहे थे कि काफी समय खराब कर दिया। मैं समझ सकता हूं कि सदन में विराजे लोग और बाहर जो भी लोग सदन के प्रोटोकाल में हैं, उन सबको यह समस्या है।

(श्री पूरणमल सैनी)

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार। जय भीम। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: और कोई सदस्य बोलना चाहता है?

मंत्री महोदय।

विधेयक का पारण

राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्धन उत्तरदायित्व विधेयक, 2016

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबंधन और उत्तरदायित्व विधेयक, 2016, इस पर परिचर्चा में और राजस्थान में बिजली की चर्चा में जितने भी माननीय सदस्यों ने जो अपने सुझाव दिए हैं, मैं उनका तहेदिल से बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा और यह भी विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जो भी आपने सुझाव दिए हैं, जो अच्छे सुझाव दिए हैं, उन पर मैं मंथन करके और परीक्षण करवाकर आने वाले समय में अमल करने की कोशिश करूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जब यह बिल पेश हुआ, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य और कई माननीय सदस्यों का ऐसा भाव लगा कि आज का यह जो बिल आ रहा है, यह बिल मतलब इस तरह से है कि आने वाले समय में आने वाला जो हमारा डिस्ट्रिब्यूशन फ्रेंचाइजी है, या हमारे पास जो उत्पादन की जो भी हमारे निगम में है, आने वाले समय में, मतलब, सरकार धीरे-धीरे करके इसको सब प्राइवेट हाथों में दे सकती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि वर्ष 2011-12 में राजस्थान विद्युत वितरण निगम की क्या स्थिति थी, वह पूरा प्रदेश इस बात को जानता है। जब उनकी आर्थिक स्थिति खराब हुई और सभी बैंकों ने इनको कर्ज देने से मना कर दिया, केन्द्र सरकार के साथ राजस्थान सरकार और डिस्काम्स ने मिलकर एक करार किया और उस करार में 11 पोइंट्स पर शर्तें रखीं जिसमें यह भी एक पाइंट था कि आपको ऐसा कोई मैनेजमेंट और रेस्पोंसिबिलिटी बिल लाना पड़ेगा। इनके कार्यकाल में ये इस तरह का अध्यादेश लाए नहीं। इनको खाली 33 हजार करोड़ रुपये लेने थे लोन के, 2012 में 18 हजार करोड़ रुपये लिये, 2013 में 17 हजार करोड़ रुपए लिये और 33 हजार करोड़ रुपये का कोई इन्होंने, मतलब, बैंकों ने जो शर्तें मंजूर कीं उसके बारे में उन्होंने एक पर भी अमल नहीं किया। हालत यह हुई,

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)
जब 2013 में सरकार भारतीय जनता पार्टी की आयी तो यह कर्ज बढ़ते-बढ़ते 77 हजार करोड़ तक पहुंच गया।

(23.00 बजे)

हमारी मुख्य मंत्रीजी, जो इस विभाग की मंत्री हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि गत बजट पर बजट के माध्यम से उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं मैनेजमेंट और रेस्पोंसिबिलिटी बिल इस हाउस में लाऊंगी। मैं आपको कहना चाहूंगा कि यह बिल हमने इस हाउस में प्रस्तुत किया। इसके पीछे हमारा इंटेंशन खाली यह है कि जो 'उदय' योजना का केन्द्र सरकार, राजस्थान सरकार और डिस्काम्स के साथ करार हुआ है, गवर्नमेंट ने 75 परसेंट लोन, लगभग 60 हजार करोड़ का लोन ग्रांट के रूप में गवर्नमेंट ने अपने ऊपर लिया है और डिस्काम्स को दिया है जिससे हमारे बैंक के जितने भी लोन्स हैं, शार्ट टर्म लोन्स हैं या हाई इंटरेस्ट लोन्स हैं, इनको हम पे-आफ कर सकें।

आज एक माननीय सदस्य ने यह भी बात कही कि जब विधान सभा का नोटिफिकेशन फरवरी में आ गया, तो जनवरी में यह आर्डिनेंस क्यों लाये? मैं आपको बताना चाहूंगा कि मार्च के महीने के अंत तक हमारे पास देनदारियां 8 हजार करोड़ की हो गयी थीं और बैंक से भी हम डिफाल्ट हो रहे थे। अगर हम यह बिल नहीं लाये होते तो हमारे पास जो फाइनेंस व्हिकल की बात कर रहे हैं हम, फाइनेंस व्हिकल राजस्थान राज्य विद्युत वितरण वित्त निगम जो हमने गठित किया है, अगर धारा 6 के तहत इस कानून को हम नहीं लाते, तो हम हमारे निगम को, विद्युत वितरण निगम को आर्थिक सहायता नहीं दे सकते। मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहूंगा कि आज ही हमारे जो सैक्रेटरी हैं, दिल्ली से, वर्ल्ड बैंक जाकर 250 मिलियन डालर इस डिस्काम्स के लिए लेकर आये हैं। अगर यह करार नहीं होता, यह आर्डिनेंस अगर हम नहीं लाते, तो निश्चित रूप से हम ये पैसा नहीं ला सकते थे।

मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जो फाइनेंस व्हिकल की बात कर रहे हैं, वित्त निगम की, इसकी सरकार की मंजूरी के बाद में हमने इनको यह भी अधिकार दिया है कि अगर कोई कम ब्याज पर पैसा देना चाहे विद्युत वितरण निगम को, या अपने बाण्ड्स को बाजार में देकर कम ब्याज में पैसा लाए डिस्काम के लिए, तो सरकार की अनुमति से इसको कर सकते हैं।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

हमने इसमें बाण्ड्स निकाले; उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि बाण्ड्स निकाले। इस दरमियान 'उदय' के बाण्ड और ऐसी दूसरी कई कंपनीज के बाण्ड्स मार्केट में थे, उसके तहत हमको पैसा मिल नहीं सकता था। आज हमें चिन्ता इस बात की थी कि 8 हजार करोड़ रुपये, बैंक से अगर डिफाल्ट हो जाय, और कल हमको राजस्थान की हमारी जिम्मेदारी व जवाबदारी भी है। आज उत्पादन कंपनी जो बिजली हमको दे रही है, रोज का कोयला का पैसा उनको देना पड़ता है, रोज का रेलवे का पैसा उसको देना पड़ता है, रोज का कर्मचारी-अधिकारी का पैसा देना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा आज उत्पादन निगम, हमारे डिस्काम्स से आज की तारीख में नहीं-नहीं करते 5 हजार करोड़ रुपये की देनदारी आज भी होगी।

इन सबको देखते हुए इस आर्डिनेंस को हम लेकर आये। हमारा इसमें कोई माल-इंटेंशन नहीं था।

कई माननीय सदस्यों ने यह बात भी कही कि आप हमारे थर्मल पावर प्लांटस को बेचना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर हमने कभी किसी से चर्चा भी की है तो हमने एन टी पी सी से चर्चा की है। हमने किसी प्राइवेट इन्वेस्टर से चर्चा नहीं की है। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): कोई खरीदना ही नहीं चाहता।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): हमने वहां एन टी पी सी से लगभग चार बार, हमारे अधिकारियों ने आकर उसको एग्जामिन किया है। जब तक हमारी शर्तें पूरी नहीं होंगी, ऐसा नहीं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट हमारा है, इसको हम कौड़ियों के भाव में दे दें। यह हमारा इंटेंशन नहीं है। हम तो यह भी चाहते हैं, अगर वह छबड़ा की यूनिट लेना चाहता है तो हम तो चाहते हैं कि उसको सूरतगढ़ को भी साथ-साथ लेना चाहिए। सूरतगढ़ आज एक ऐसा थर्मल स्टेशन है, सबसे ज्यादा कास्ट बिजली की पड़ती है तो सूरतगढ़ है। आपकी सरकार ने क्या समझकर सूरतगढ़ में सातवीं व आठवीं इकाई प्रारम्भ की, जिसकी वैरिएबल कास्ट है? इसके जो फिक्स चार्जेज हैं, आज सूरतगढ़ की बिजली हमारे साढ़े चार रुपये में उत्पादन हो रही है। आज बिजली की डिमाण्ड कम है। हमने उनकी लगभग 5 यूनिट बंद कर रखी हैं, और आपने बिना सोचे-समझे सूरतगढ़ में सातवीं व आठवीं इकाई लगायीं, जिसमें, मैं समझता हूं, आपने लगभग 12 हजार करोड़ का प्लान रखा होगा,

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

12 से 15 हजार करोड़ का प्लान रखा होगा। यही इकाई अगर कालीसिंध में थर्ड व फोर्थ आ गयी होतीं तो आज यह खर्चा कम होता, बिजली हमको सस्ती दर पर मिलती।

आपने मनचाहे, बिना सोचे-समझे प्रोजेक्ट साइन कर दिये। आपने जो काम किया है, राजस्थान के उत्पादन को ही नहीं डुबोया, आपने इस प्रसारण को भी डुबोया और साथ-साथ आपने डिस्काम्स की भी माली हालत की।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि इस बिल के अन्दर हम एक रोडमैप तैयार करना चाहते हैं। इस रोडमैप के तहत जो एक्टिविटीज हम करना चाह रहे हैं, जो आर्टिकल हमने मेंशन किया है "की परफोर्मेंस इंडिकेटर्स", जो इसमें मेंशन किया है, हम इसके लिए एक रोडमैप तैयार करना चाहते हैं और जिस दिन यह एक्ट पास होगा, उसके छह महीने के अन्दर इस रोडमैप को तैयार करके हम कोशिश करेंगे कि आपने जो काम किया है, 33 हजार करोड़ रुपया लेकर सरकार का पैसा बर्बाद किया है उस काम को हम करना नहीं चाहते। हमारी मुख्य मंत्रीजी की इच्छा है कि यह पैसा 'उदय' योजना के आने के बाद में आने वाले दो साल के अन्दर डिस्काम्स ब्रेक-ईवन पर हो जायं।

यहां जितने भी माननीय सदस्य आप विराजे हैं, जितने भी हमारे अधिकारी व कर्मचारी यहां हैं इस विद्युत विभाग के और जनता से मैं अपील करना चाहूंगा कि यह मौका वह मौका है जिस समय हमें बहुत होशियारी से इसको देखना चाहिए। यह एक ऐसा मौका है अगर हमने इसको सीरियसली ले लिया तो आने वाले दो साल में इस डिस्काम्स पर जो कर्जा है, इसको जीरो परसेंट पर हम कर सकते हैं। इस सीरियसनेस के तहत हम इसको देख रहे हैं।

हमने यह लिखा है कि 30 परसेंट से ज्यादा लोसेज हैं उनको 3 परसेंट कम करें; जिसके 20 से 30 परसेंट हैं उसको हम 2 परसेंट कम करें; जिसकी 15 से 20 है उसको भी कम करें। हमने लिखा है, 11 केवी फीडर और 33 केवी फीडर में फीडर मीटर लगाएं। जो की-परफोर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, मैं सदन के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारी मुख्य मंत्रीजी ने यह प्रोग्राम आज से 6-7 महीने पहले से चालू कर दिया है। आज 11 केवी फीडर्स हैं, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, पूरे राजस्थान में लगभग 95 परसेंट फीडर मीटर्स हमने सभी पर लगा दिये हैं, जितने भी आपके मीटर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के मीटर्स हैं।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

आज बार-बार कई लोगों ने मुझे बताया, आपके कार्यकाल में चार-चार साल के मीटर बदले नहीं थे, डोमेस्टिक के। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, आप 8 लाख खराब डोमेस्टिक मीटर हमारे भरोसे छोड़कर गये थे; मैं आपको बताना चाहूंगा कि शहरी क्षेत्र में 6 महीने से ऊपर ऐसा कोई भी कनेक्शन पेंडिंग नहीं है जिस पर मीटर नहीं लगाया, उसके खराब मीटर को नहीं बदला। ग्रामीण क्षेत्र में मात्र 1 लाख 70 हजार मीटर और बदलने बाकी हैं, तब जाकर हम छह महीने के अन्दर आ जाएंगे। इस कार्यकाल में, दो साल के कार्यकाल में हमने 16 लाख मीटर बदले हैं।

मैं आपको विश्वास देता हूं कि यह जो बिल हम लाये हैं, इसमें हमने गारंटी की है कि हम दो महीने, ढाई महीने के अन्दर सभी मीटर्स को बदलेंगे। मैं आपको विश्वास देता हूं कि इस बिल के तहत आने वाले समय में जो भी खराब मीटर्स हैं, डोमेस्टिक मीटर्स हों या एग्रीकल्चर मीटर्स हैं, उनको दो-ढाई महीने में बदलने का पूरा प्रयास रहेगा।

इस बिल के तहत, मैं यह कहना चाहूंगा, हमने इसमें यह भी सुनिश्चित किया है कि आने वाले टाइम में शार्ट टर्म बिजली खरीदें, या लॉंग टर्म बिजली खरीदें, या मीडियम टर्म बिजली खरीदें, उसका जो भी करार करें तो उसके लिए भी कोई न कोई पहले से ही लक्ष्य हम तय करें। इसके तहत हम एक रोडमैप तैयार करना चाहते हैं, जो भी इंडिकेटर्स हैं, कैसे हम इसको पूरा कर सकते हैं।

लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात की कि जहां 30 परसेंट या 50 परसेंट से ज्यादा छीजत है तो क्या उसको तीन परसेंट ही आप कम करेंगे? मेरा इसमें यह सुझाव है, हम तीन परसेंट नहीं, हम तो चाहते हैं कि 10 परसेंट कम हो जायं, पर हमने कहा कि मिनिमम, कम से कम तीन परसेंट उसमें कम करके हम रहेंगे। 10 परसेंट की हम कोशिश करेंगे कि 10 परसेंट भी हम कम करें। हमने यह थोड़े ही कहा कि खाली पाबंद रहेंगे कि हम तीन परसेंट करेंगे।

मेरा यह कहना है, हम इस रेस्पोंसिबिलिटी बिल के तहत कम से कम कोशिश करेंगे कि जिस फीडर में 30 परसेंट से ज्यादा छीजत है उसमें हम कम से कम तीन परसेंट तो कमी लाएं। इसी प्रकार जो दूसरी प्रकार की छीजत है, उसमें कोशिश तो यही रहेगी कि हम उसमें ज्यादा से ज्यादा छीजत में कमी लाएं।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

मानननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें हमने एक एम्पावर्ड कमेटी बनायी, उसमें हमारे सेक्रेटरी हैं वे उसके चेयरमैन रहेंगे; डिस्काम्स के एम डी हैं वे उसके सेक्रेटरी मैम्बर रहेंगे; डायरेक्टर, फाइनेंस इसके बोर्ड के मेम्बर रहेंगे। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको हम इस नजर से देख रहे हैं कि प्रत्येक महीने हम इसकी किस तरह से मानिटरिंग करें। जो लक्ष्य हमने तय किये हैं, जो फाइनेंशल क्राइसेज को देखते हुए हमने लक्ष्य तय किये हैं, या हमारी कार्य प्रणाली को सुधारने के लिए जो हमने लक्ष्य तय किये हैं, इनको कैसे मानिटर करके काम को करें, यह तय किया है।

इसके बाद में हमने एक चीफ सेक्रेटरी लेवल की हाई पावर कमेटी बनाई है, उसमें हमारे ऊर्जा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वे इसके मेम्बर सेक्रेटरी हैं; वित्त विभाग के हैं; बैंक्स के हैं; आर आर ई सी के हैं। ऐसे कई को उसमें अपने साथ में रखा है ताकि चीफ सेक्रेटरी तक तीन महीने में बिल के तहत हम उसकी मानिटरिंग करें और साल भर के बाद में सरकार के माध्यम से इसको सदन के पटल पर रखेंगे। इसमें जो लक्ष्य प्राप्त नहीं किये, तो बाकायदा हम उन वितरण कम्पनियों को पूछेंगे।

मैं तो यह कहना चाहूंगा कि इस बिल के आने के बाद में इस विधान सभा के प्रति विद्युत वितरण कम्पनियों की ज्यादा जवाबदारी बढ़ जायेगी, जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जायेगी, उनको विधान सभा में जवाब देना पड़ेगा कि क्या कारण रहा और क्या कठिनाई रही कि आपने इसको फालो नहीं किया। इन गाइडलाइंस को आपने फालो नहीं किया, तो इनको जवाब देना पड़ेगा। इससे आने वाले सालों में इस कठिनाई को कैसे दूर करेंगे, उसका भी उनको आगे रास्ता बताना पड़ेगा।

जिस तरह से आप लोगों ने जो बात की है, हमारा इसमें इंटेशन, हमारी मुख्य मंत्रीजी का इंटेंशन है कि आने वाले दो साल में अगर हम चाहें और हम सब मिलकर यह प्रयास करें, तो निश्चित रूप से हमारे डिस्काम्स जिस तरह घाटा झेल रहे हैं, उस घाटे से आने वाले समय में हम बाहर निकल सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं एक बात कहना चाहता हूं, कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि बिजली की दर बढ़े। आज 44 परसेंट हमारी एनर्जी है वह कृषि पर है; 22-23 परसेंट जो हमारा लोड है वह स्मॉल

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

डोमेस्टिक कंजूमर, जिसके 50 यूनिट से कम है, बी पी एल को हम देते हैं। 67 परसेंट आपकी एनर्जी क्राप सब्सिडाइज्ड है गवर्नमेंट से, जिसमें गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती है। उसके बाद खाली पीछे आपके पास 33 परसेंट लोग रहते हैं।

मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर इस क्षेत्र में हम, कई माननीय सदस्यों ने बात की और आज भी मैं इस मौके पर मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि कैसी भी माली स्थिति हो, कैसी भी हमारी वित्तीय स्थिति खराब हो, पर आज भी किसानों की उन्होंने रेट बढ़ायी नहीं; आज भी 90 पैसे प्रति यूनिट में बिजली किसानों को दे रहे हैं, आज भी हम 85 रुपये प्रति हार्सपावर किसानों को दे रहे हैं। हमने किसानों के हित में आज भी बिजली के रेट बढ़ाये नहीं, जिसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस माली हालत को देखते हुए भी आज, कई माननीय सदस्यों ने कहा होगा कि लाइट आती नहीं, पर मैं आपको विश्वास से कहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी 21 से 22 घंटे लाइट हम उपलब्ध कराते हैं और जो हमने वादा किया था किसानों को साढ़े छह-सात घंटे का ब्लाक देंगे, तो हमने इन पूरी सर्दियों में उसको मेंटेन किया है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगे भी करेंगे। हमने हमेशा कांग्रेस के कार्यकाल में देखा है कि किसान ने हमेशा आंदोलन किया है, जगह-जगह किसान आंदोलन करते थे, जगह-जगह उन्होंने रोड जाम किये हैं क्योंकि आपके टाइम में चार घंटे लाइट आती थी, साढ़े चार घंटे की लाइट आती थी और ट्रिपिंग तो आपके इतनी होती थी कि आम किसान तो उससे परेशान हो गया था। हमने इसको मिनिमाइज किया है।

यह एफ आई पी का प्रोग्राम जो हमारी मुख्य मंत्रीजी ने हाथ में लिया है, या जो एस आई पी का प्रोग्राम हमारी मुख्य मंत्रीजी ने हाथ में लिया, आपने कहा कि हमने 2014 में काम शुरू किया है, 2014 में हमने काम शुरू किया, 2014 में वह काम इतनी तेजी से नहीं कर सके, परन्तु 2015 से हमने इस काम को हाथ में लिया है। पूरे राजस्थान में इतने सारे पोल्स, इतने सारे लूज वायर्स, इतने सारे टिल्टेड पोल्स, इतने सारे गैप्स, पोल्स बिटविन द गैप्स, इसमें हमने प्रयास किया है और मैं आपको विश्वास से कहता हूं कि आने वाले इस बजट के बाद में, क्योंकि अभी खेती का टाइम था, इसलिए इस एफ आई पी का काम हमने आगे बढ़ाया नहीं, पर इसके बाद में जैसे ही खेती का टाइम खतम होगा तो वापस इस एफ आई पी का काम हम हाथ में लेंगे

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

और जो बिजली है, हम अच्छी गुणवत्ता की बिजली, अन-इंटरप्टेड बिजली किसान और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को देंगे। यह तब दे पायेंगे, जब हम एफ आई पी का काम सही तरीके से कर सकें।

एस आई पी में हमारी सरकार ने काम किया है। हमने कई जी एस एस पर रोस्टर स्विचेज लगा दिये, वी सी पीज हमने लगा दीं। हमने कोशिश की, उसके अन्दर ओवरआल मेंटीनेंस किया है, उसके अन्दर आयल चैक-अप किया है ताकि हमारे जी एस एस मेंटेन रहें और अच्छी गुणवत्ता की बिजली हमारे किसानों को मिले।

उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने यह भी बात कही कि आप सी ए जी आडिटिंग क्यों नहीं कराते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप तो इस बात को जानते ही होंगे क्योंकि आप तो स्वयं पी ए सी में विराजे हैं और काफी टाइम आपने उसमें दिया है, हर साल सी ए जी से इसकी आडिटिंग होती है और पी ए सी में, आडिटिंग को हम पेश करते हैं। इसके बावजूद 11 केवी, हम आज जो फीडर मीटर्स लगा रहे हैं, ये फीडर मीटर लगाने का कारण क्या है? हम चाहते हैं कि 11 केवी के ऊपर हम एनर्जी आडिटिंग करें कि जितनी बिजली दी, उसकी कितनी हमारी बिलिंग हुई और कितना रियलाइजेशन हुआ। उससे हमारे ए.टी. एण्ड सी. लासेज का पता लगेगा। इसलिए हमने 11 केवी फीडर्स पर मीटर्स लगाये हैं और 95 परसेंट 11 केवी पर मीटर्स लगाये हैं। मैं आपको सुनिश्चित करता हूं कि आने वाले समय में हम इसकी एनर्जी आडिटिंग करके आपको देंगे कि कितना लोसेज हो रहा है। सब-डिविजन की रेवेन्यू आडिट भी हम आने वाले समय में बहुत जल्दी प्रारम्भ करने जा रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहूंगा कि इस बिल को लाने में हमारा जो इंटेंशन है, हमारा इंटेंशन यही है कि किसी तरह से इस डिस्काम्स के ऊपर जिस तरह से जो कर्जा लगातार बढ़ रहा है, इसको कैसे करके हम ब्रैक-इवन करें। माननीय सदस्यों से मैं यह कहना चाहूंगा कि यह मौका आया है और आप सब सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम इसको ब्रैकइवन पर लाकर छोड़ेंगे।

कई माननीय सदस्य आज कह रहे थे, मानिक चन्द जी सुराना कह रहे थे कि आपके दो-ढाई साल में 28 हजार करोड़ का घाटा हो गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि 2013-14 में जहां

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

वार्षिक घाटा 15,645 करोड़ था उसको हमने 2014-15 में घटाकर 12,473 करोड़ किया। आज मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, पूरे सदन को कि इस घाटे को इस वर्ष भी हमने उससे भी साढ़े तीन हजार घटाया है। अगर हमने दो साल के प्रयास में 6 हजार करोड़ का घाटा घटाया है, तो हमारा जो इंटेंशन है वह इंटेंशन हमारा साफ है कि हम काम करना चाहते हैं। जिस दिन यह आडिटिंग होने लग गई और फीडरवाइज अगर हमने मानिटरिंग स्टार्ट कर ली, तो निश्चित रूप से इसको हम ब्रेक-इवन पर लाकर छोड़ेंगे।

इसमें इंटेंशन हमारा यही है कि इस डिस्काम्स की माली हालत को कैसे हम सुधारें और किसी तरह से हम रेस्पोंसिबिलिटी फिक्स करें, नहीं तो आने वाले समय, आने वाले तीन साल के बाद में यही अगर आप देखोगे, इसी तरह से हम देखेंगे, तो आने वाले समय में वापस डिस्काम्स की यही माली हालत होगी; वापस हम एक एफ आर पी के तहत जाएंगे। अगर आपने 2011-12 में जो पैसा लिया, उसके प्रति अगर आपने चिंता की होती तो यह हालत आपकी नहीं होती; यह ऐसी स्थिति हुई है, वह नहीं होती।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने वित्तीय प्रबन्धन क्या-क्या किया है, उसके बारे में मैंने आपको बताया ही है। 2013-14 के आपके कार्यकाल में आपने जो प्रति यूनिट बिजली क्रय की उसकी प्रति यूनिट औसतन रेट 4 रुपये 20 पैसे आई और 2014-15 में हमने जो क्रय की उसकी औसतन प्रति यूनिट रेट 4 रुपये 5 पैसे आई और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2015-16 में इससे भी कम प्रति यूनिट आयेगी, क्योंकि सही स्थिति 31 तारीख के बाद में मालूम पड़ेगी कि हमारी औसतन पर-यूनिट रेट क्या है।

इसके अलावा मैं आपको यह बताना चाहूंगा, मैं आपको कम्पेरिजन देना चाहूंगा कि आपने डिस्काम्स की स्थिति खराब होने के बावजूद भी खाली एक सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए.....

श्री रमेश (सपोटरा): एक मिनट। यह बता दें कि अभी बिजली की जो ओवरऑल कोस्ट है वह टोटल कितने रुपये यूनिट आ रही है? आप बता दो।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): सब बता रहे हैं, आप बैठ जाओ।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): सब बता दूंगा मैं, आप बैठ जाओ। सब बता दूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जब डिस्काम्स की माली हालत खराब है उसके बावजूद आपने जी पी पी वाई योजना स्टार्ट की;

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

जी पी पी वाई योजना के तहत आपने प्रत्येक तीन पंचायत पर एक जी एस एस पास कर दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक जी एस एस पर लगभग डेढ़ करोड़ से दो करोड़ का खर्चा आता है। बिना इसकी फीजिबिलिटी, बिना इसकी वायेबिलिटी, बिना वित्तीय संसाधन आपने स्वीकृत कर दिये और 1,600 जी एस एस आपके कार्यकाल में आपने बनाये। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि अगर इसमें 2/3 भी सही है, फिर भी मैं समझता हूं कि 1 हजार करोड़ का आप डिस्काम्स पर भार छोड़कर चले गये। कई जगह तो आपने ऐसे जी एस एस स्वीकृत किये कि वह गांव विद्युतीकृत भी नहीं है। गांव विद्युतीकृत भी नहीं है और उस गांव में आपने जी एस एस सैंक्शन कर दिया। कई इस तरह के आपने काम किये हैं। तो आपने तो एक तरह से डिस्काम्स की स्थिति को खराब करने में कोई कमी छोड़ी ही नहीं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके जाते-जाते कार्यकाल में आपने सब चीज फ्री दे दीं, पेंशन दे दो, वह दे दो; आपने सी एफ एल बल्ब्स भी दे दिये। सी एफ एल बल्ब्स के पीछे आपने सोचा कि हमें वोट मिल जायेंगे, वे मिले नहीं, परन्तु मैं आपको यह बताना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, जब ये सी एफ एल बल्ब्स बंट रहे थे, उस समय एल ई डी मार्केट में आ गई थीं। सी एफ एल बल्ब 14 वाट का है और एल ई डी बल्ब 7 वाट का है, तो मैं समझता हूं कि कोई भी आदमी इसमें समझदार होता तो 7 वाट की एल ई डी ही लगाता। मैं समझता हूं कि इसमें और ज्यादा बचत होती। बिजली की बचत होती तो और अच्छी बचत करते। इसके तहत डिस्काम्स पर 128 करोड़ रुपये का भार आप छोड़कर चले गये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय प्रबन्धन की बात आपको बता रहा हूं। हम जब सरकार में आये, मैं आपको वित्तीय प्रबन्धन के बारे में बताना चाहूंगा, इनके पांच साल के कार्यकाल में, इनके कोई भी एम डी या इनके कोई भी नीचे के आफिसर्स ने ध्यान देने की कोशिश नहीं की। इन्होंने तो यह सोचा कि जो खरीदो, वह अपना। हमने हमारे कार्यकाल में, पांच लाख ऐसे मीटर्स थे जिनको गारंटी पीरियड के तहत हमने बाकायदा वापस भेजा और बदलाकर वापस हमने डिस्काम्स में लिया। इसके तहत हमने लगभग 45 करोड़ रुपये की बचत की। 7,000 सर्किट ब्रैकर्स और लगभग 1.60 लाख ट्रांसफार्मर, जो गारंटी पीरियड में थे, उनको हमने वापस भेजकर, बदलाकर लगभग 770 करोड़ रुपये की बचत की।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो एम ओ यू कर लिया, इन्होंने तो 2012 में बैंक से एम ओ यू कर लिया; 2012 में इनको 17,000 करोड़ रुपये चाहिये थे, 2013 में इनको 18,000 करोड़ रुपये चाहिए थे; अगर वे टी एण्ड डी लॉसेज कम नहीं हों तो इनको 18,000 करोड़ रुपये बैंक देती नहीं, क्योंकि बैंक तो आजकल परफोर्मेंस मांगती है। होशियार तो हैं ये कागजों में बहुत होशियार हैं, इन्होंने कागजों में ही टी एण्ड डी लॉसेज 27 परसेंट को कम करते हुए 20 परसेंट कर लिया। हमारे लोगों ने इसकी एक्चुअल एनर्जी आडिटिंग की है; रमेशजी मीणा, एक्चुअल एनर्जी आडिटिंग की है, उसमें यह परसेंटेज 30 परसेंट आया है, 30 परसेंट से भी ज्यादा आया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी मुख्य मंत्रीजी को कि हमने हमारे कार्यकाल में प्रयास करके, एक्चुअल एनर्जी आडिटिंग करके...

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मंत्रीजी, यह तो फिर फ्राड है हमारे साथ; राजस्थान की जनता के साथ फ्राड है। यह तो कम्प्लीटली फ्राड है।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस विधेयक के माध्यम से आने वाले तीन साल में हम 15 परसेंट तक इसको लेकर आयेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 'उदय' योजना के बारे में तो मैंने आपसे पहले ही कह दिया, लगभग 60,000 करोड़ रुपये सरकार ने लोन अपने ऊपर लिया है और ग्रांट दी है। इसके तहत आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो आपने कर्जा लिया और हम कर्जे से जूझ रहे हैं, लगभग 8 से 9,000 करोड़ प्रति वर्ष की देनदारियां और ब्याज का भार डिस्काम्स पर था, वह आने वाले टाइम में खतम हो जायेगा और इसके कारण आने वाले दो साल में हम अच्छी पोजिशन में आयेंगे, अगर हमने छीजत में कमी लाई और हमारे सबके प्रयास रहे तो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): मंत्रीजी, यह और बता दें कि जो पिछली साल इस सदन की कार्यवाही रोकी थी, जब ओलावृष्टि हुई... (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): डिस्टर्ब मत करो आप।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। किसानों के

(श्री गिर्राज सिंह)

चार महीनों के बिजली के बिल की माफी की बात चली थी, वह चार महीने के बिजली के बिल तो माफ किये ही नहीं। मंत्री महोदय, यह भी तो बताओ। (व्यवधान) कब तक करेंगे? पिछले वर्ष में इस सदन में सदन की कार्यवाही रोकी गई और सभी माननीय सदस्यों को अपने-अपने क्षेत्र में भेजा गया था; जो ओले गिरे थे, आप जाओ और अपने-अपने क्षेत्र का सर्वे कराओ। इसी सदन में आपने घोषणा की थी कि चार महीने के बिजली के बिल माफ किये जायेंगे। वह तो बताओ। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप लोगों को क्या हो गया? (व्यवधान) मंत्री महोदय को बुलाने से पहले मैंने सम्पूर्ण सदस्यों को और सदन से आग्रह किया था कि कोई बोलना चाहे तो बोल लें। अब आपको यह कहां से लत पड़ गई कि जब मंत्री बोलेंगे, तब ही आप बोलेंगे? (व्यवधान) सत्ता पक्ष के सचेतक महोदय, आपके भी कुछ लोगों को आजकल आदत पड़ गई है। (व्यवधान)

जब आप वित्तीय प्रबन्धन पर बता ही रहे हैं तो यह भी बताइये कि इनके समय कितने वर्षों तक आडिट की रिपोर्टस ही पेश नहीं हुई। (व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहूंगा कि हमारी मुख्य मंत्रीजी ने एक-एक चीज पर, बिजली की क्रय कैसे हम कम दर में कर सकते हैं, कैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन को कम दर पर दें, कैसे कर्जा कम कर सकते हैं, हमने इसके तहत ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड भी बनाया है। इसके तहत हमारे जो सेक्रेटरी हैं, वे इसके चेयरमैन रहेंगे; हमारे पावर ट्रेडिंग के डाइरेक्टर हैं, वे उसके मैम्बर सेक्रेटरी रहेंगे; और इसमें डिस्काम्स के जितने भी हमारे चेयरमैन और एमडी. हैं, वे भी इसके मैम्बर रहेंगे। इसमें हम यह देखेंगे कि इसकी अवेलेबिलिटी और डिमांड क्या है, उसके तहत ही हम बिजली खरीदेंगे।

मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, जो मैंने निकलवाया है; 2008 में हमारी सरकार चली गई थी; 2009-2010 में इनकी सरकार के आने के बाद में 5,742 मिलियन यूनिट्स इन्होंने खरीदीं, जिसका उन्होंने 3,705 करोड़ रुपये का भुगतान किया। यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, हमारे कार्यकाल में, अभी लेटेस्ट फिगर आपको बताना चाहूंगा, हमने बिजली खरीदी है 1,432 मिलियन यूनिट्स, जिसका हमने खर्चा किया 474 करोड़ रुपये। मैं इसके प्राइस भी आपको बता दूं रमेशजी। हमने आज तक

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

बिजली खरीदी है 3.31 रुपये में। (व्यवधान) आपने यह भी सुनिश्चित नहीं किया कि जब आप 5,000-5,000 करोड़ रुपये की बिजली खरीद रहे हो...

श्री रमेश (सपोटरा): उसमें कौन अध्यक्ष हैं और आप सी एम डी का नाम बता दें।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): ...और इसमें स्वयं विचार आता है कि आप क्या कर रहे हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पीछे अभी चर्चा की थी फाइनेंशल व्हिकल, राजस्थान राज्य विद्युत वितरण वित्त निगम के बारे में, यह एक तरह से विद्युत वितरण निगम और सरकार के बीच में एक सेतु का काम करेगा। जितनी भी हमारी इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी को हम वापस कैसे लेकर आ सकते हैं, वापस वितरण निगम को इसके माध्यम से मिले; कम्पाउंडिंग इंटरेस्ट है, कम्पाउंडिंग के तहत जो पैसा सरकार में जमा होता है, उसको हम लेकर आये; वेरिएस ग्रांट्स, जो बी पी एल के हैं, किसानों के हैं, और भी कई ग्रांट्स हैं, इनके माध्यम से हम लेकर आये हैं। हमने यह तक इसमें कह दिया है, अगर हम इसमें सीरियस नहीं होते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर डिपार्टमेंट्स में हमारा कोई पैसा बाकी रहा तो उसको भी हम ग्रांट के तहत इसको ले लेंगे। यह भी हमने इसके तहत कहा है। इससे आपको मालूम पड़ जायेगा कि इसमें हम कितने सीरियस हैं।

यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, आपके ही माननीय सदस्य ने बात की कि मार्च के महीने में फसल का टाइम है और फसल के टाइम में आपने ट्रांसफार्मर उतार दिये। हमने जिस किसी किसान का छह महीने का बिजली का बिल बकाया है, उसका हमने ट्रांसफार्मर नहीं उतारा है, पर जिसके दो-दो साल के पेमेंट्स नहीं आये, जिसके तीन-तीन साल के पेमेंट्स नहीं आये, जिसके चार-चार साल के पेमेंट्स नहीं आये, और कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य, आपके क्षेत्र की तो ऐसी हालत है कि लोगों ने कृषि कनेक्शन और डोमेस्टिक कनेक्शन के छह-छह साल तक पैसे नहीं दिये। अगर इस तरह से डिस्काम्स को हम चलायें तो मैं समझता हूं... यह हमने कह रखा है कि छह महीने से अगर किसी किसान का पैसा ड्यू है तो एक फसल तक तो हम उसको, यानी उसकी एक फसल आएगी तब तक तो उसका कनेक्शन हम नहीं काटेंगे। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): ये पेंडिंग वर्षों से हुए हैं। तो एकदम से थोड़े ही होगा। किश्तों से लीजिये ये। वर्षों के हैं ये, कोई एक साल के तो हैं नहीं। लम्बे समय से हुए हैं। (व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय सदस्य, हम आपको इस मेन फ्लो में लाना चाहते हैं। अभी क्या है कि आप कांग्रेस के कार्यकाल में मेन फ्लो से बाहर निकल गये थे, आपने सोचा कि लाइट का पैसा देने की जरूरत ही नहीं है, तो हमने बताया कि लाइट का पैसा भी देना पड़ता है। हम आपको मेन फ्लो में लाना चाहते हैं। आप यह सोचते हो कि बिजली ऐसे ही आती है। तो कम पैसों में, सब्सिडाइज्ड रेट पर हम बिजली दे रहे हैं, उसका तो पैसा आपको देना ही पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह (कोलायत): वर्षों से बिगड़ी हुई स्थिति है, साहब, धीरे-धीरे सुधरेगी।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एल ई डी बल्ब्स...

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, अगर दुबारा आपने उठकर के काग़ज़ों की तरफ देखा, तो मंत्रीजी से यह कहा जाएगा कि अभी एक घंटे तक आप और इस पर चर्चा करवायें।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के आने के बाद में मुख्य मंत्रीजी ने एस्क्रो के माध्यम से एल ई डी पूरे प्रदेश में हमने इण्ट्रोड्यूज की। हमारी मंशा थी कि हम लगभग ढाई लाख एल ई डी बल्ब देंगे और डेढ़ साल के अन्दर हमने लगभग एक करोड़ एल ई डी बल्ब बांटे हैं। इसके तहत मैं आपको बता रहा हूं कि 73 हजार करोड़ यूनिट बिजली की हमने बचत की है। हमारी मुख्य मंत्रीजी ने यह भी घोषणा की है इस बजट में कि 2016-17 में हम ऐसे डिविजंस को चिह्नित करेंगे और जो पम्प सैट पुराने हैं उनमें एनर्जी एफिशिएंट पम्प सैट लगाकर के चरणबद्ध तरीके से हम किसानों को देंगे ताकि उसमें भी बिजली की खपत कम हो और किसान को भी उससे बड़ा फायदा मिले।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एफ आर पी के काम के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, पर मैं आपको विश्वास देता हूं कि जो मीटर हैं, आने वाले समय में जो भी खराब मीटर्स हैं; विशेष तौर पर जो डोमेस्टिक मीटर्स हैं, हम बहुत जल्दी चरणबद्ध तरीके से इनको बदलेंगे।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

डिस्काम्स के जो काल सेंटर हैं, हमने तीनों डिस्काम्स पर सेंट्रलाइज्ड काल सेंटर शुरू किए और बाकायदा बिलों के बीच में तीनों डिस्काम्स के नम्बर हम छापते हैं ताकि कोई भी उपभोक्ता यह नहीं कह सके कि हमारे पास नम्बर नहीं हैं। इस काल सेंटर में उपभोक्ता को कोई भी परेशानी हो, अगर बिजली नहीं है, या विद्युत की चोरी हो रही है, या ट्रांसफार्मर जल गया है या हमारे कर्मचारी की कोई नेग्लीजेंस है, इन किसी भी बात पर अगर वह बात करता है तो उसकी मॉनिटरिंग एम डी लेवल तक होती है और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि जे ईएन से लेकर के हमारे सबसे ऊपर का अधिकारी भी इसकी मानिटरिंग करता है। वह इन्क्वायरी जे ईएन के पास थी, जे ईएन से ए ईएन तक क्यों पहुंची, ए ईएन से एक्स ईएन तक क्यों पहुंची, एक्स ईएन से एस ई तक क्यों पहुंची और एस ई से एडिशनल चीफ तक क्यों पहुंची और एडिशनल चीफ से चीफ इंजीनियर तक क्यों पहुंची, इतनी मानिटरिंग होती है और उसका क्या कारण है, अभी तक जो शिकायत है वह विथड्रा क्यों नहीं हो रही है? इस तरह की मानिटरिंग होने के पश्चात् इन काल सेंटर्स के माध्यम से आज उपभोक्ताओं को हम अच्छी सर्विस दे रहे हैं।

'घर-घर बिजली' 'डिस्काम आपके द्वार', हमने चार कैम्पस लगाये और जो भी विद्युतीकृत एरिया था, उसमें जो भी सर्विस लाइन कनेक्शंस हैं, या आबादी क्षेत्र में अगर पोल पर कनेक्शन देने थे, या दो-तीन पोल लगाकर कनेक्शन देने थे, हमने इन कैम्पों के माध्यम से पूरे राजस्थान में 2 लाख 84 हजार कनेक्शन दो महीने में दिये हैं। अभी बानसूर से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा, इस कैम्प के माध्यम से अभी तक हमारे कनेक्शन नहीं हुए हैं। इस बात का मैं निश्चित रूप से पता करूंगा कि इन कैम्पस के माध्यम से आपके कितने कनेक्शन ड्यू हैं। इसकी पूरी जानकारी मैं लेकर के निश्चित रूप से आपको बताऊंगा। आने वाले इस साल में मैं घोषणा करूंगा कि ये कैम्प वापस दो महीने का लगाएंगे जिससे जो भी विद्युत में देरियां हैं, जो भी सर्विस लाइन कनेक्शन हैं; हम कोशिश करेंगे, हमारे जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं, कि ऐसे जो क्षेत्र हैं जो अविद्युतीकृत हैं और जहां इल्लीगल कंज्यूमर लाइट ले रहा है, उनको हम मुख्य धारा में जोड़ेंगे और उनको कनेक्शन दें ताकि इसके लॉसेज को हम कम कर सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले हमने लगभग पचास हजार कनेक्शन दिये हैं और बूंद-बूंद सिंचाई और फव्वारा

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

सिस्टम के तहत इस साल हमने आठ हजार कनेक्शन दिये हैं। इस बजट में हमारी मुख्य मंत्रीजी ने लगभग चालीस हजार कनेक्शन की घोषणा की और हमने यह कोशिश की कि जनरल कैटेगरी के कनेक्शन, जिसके डिमाण्ड निकल गये हैं, 30 नवम्बर से पहले-पहले उनके कनेक्शन हो जाएं। हमारा पूरा प्रयास रहा और हमने लगभग सभी कैटेगरी में, एस सी की कैटेगरी हो, या एस टी की कैटगरी हो, या सहरिया वर्ग हो, या आपके ड्रिप की हो, हमने मार्च-एंड तक राजस्थान में पचास हजार कनेक्शन किये हैं और ज्यादातर कनेक्शन हमने 30 नवम्बर से पहले करने की कोशिश की, और हमने सामान का भी पूरा अरेंजमेंट रखा; लोगों का सामान के लिए कनेक्शन नहीं हो, इस तरह की कोई बात नहीं थी। मैं आज घोषणा करता हूं कि हमारे कई माननीय सदस्यों ने जो बात बताई है, जितने भी हमारे डिमाण्ड नोटिस भरे हुए हैं, ऐसे डिमाण्ड नोटिस किसानों के भरे हुए हैं जिन किसानों के कनेक्शन हमने रोक दिये हैं, इनको आने वाले समय में जल्दी से हम इसको प्रारम्भ करके सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में उन किसानों को कनेक्शन दे दिया जाएगा।

मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने भी बूंद-बूंद सिंचाई और फव्वारा पद्धति से जो कनेक्शन लिये हैं, उनको उनके कनेक्शन को पांच साल में जनरल कैटेगरी में लिया जाएगा। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही बड़ा काम हमारे किसानों के लिए हुआ है।

खास तौर से मैं उन जनजाति और सहरिया क्षेत्र में हमारी मुख्य मंत्रीजी ने जो जनरल कैटेगरी के कनेक्शन हैं; ट्राइबल सब-प्लान एरिया में एस टी को आन-डिमाण्ड कनेक्शन मिलता है, दूसरे लोगों के लिए भी ऑन-डिमाण्ड कनेक्शन उन्होंने प्रारम्भ किया है और फर्स्ट अप्रैल, 2018 तक आन-डिमाण्ड उनको कनेक्शन मिलेंगे। तो मैं समझता हूं कि 31 मार्च, 2018 तक जितनी भी इनकी पेंडेंसी है, 2009 से लेकर 2017 तक, दो साल में हम उनके पूरे कनेक्शन उन जनरल कैटेगरी के लोग और ओ बी सी कैटेगरी के लोग, जो इस ट्राइबल सब-प्लान एरिया में और सहरिया एरिया में आ रहे हैं, उनको हम आन-डिमाण्ड कनेक्शन आने वाले दो साल में दे देंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक बिजली की हम बात कर रहे हैं, इस समय राजस्थान में लगभग 93 लाख आवास हैं और 93 लाख आवासों में लगभग 65 लाख आवास विद्युतीकृत हैं।

मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत अभी 28 जिलों में जो काम चल

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

रहा है, जिसके तहत 2,453 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं; 100 से ऊपर आबादी वाले जो भी गांव और ढाणियां हैं उसमें मात्र 6 जिले बाकी रह गये थे। उनका इलेवन्य फेज का काम पूरा नहीं हुआ था। उसमें बाड़मेर है, धौलपुर है, हनुमानगढ़ है, जयपुर ग्रामीण है, जोधपुर चल रहा है, इस तरह के छह जिले हैं जिनमें इलेवन्थ फेज का काम टाइम पर पूरा नहीं होने के कारण वे वंचित रह गये। इसके तहत आने वाले साल में लगभग 8 लाख लोगों को हम कनेक्शन देने वाले हैं। इसके तहत कुल कनेक्शन, मैं समझता हूं, 13 लाख 35 हजार कनेक्शन होने वाले हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का जो सेकण्ड फेज है, जिसके तहत केन्द्र सरकार से हमको 2,819 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं, उसके तहत लगभग 7 लाख 20 हजार कनेक्शन आने वाले ढाई साल में हम इस काम को पूरा करेंगे। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

जो हमारी मुख्य मंत्रीजी का पहला बजट भाषण था कि हम हमारे पांच साल के कार्यकाल में राजस्थान में हम लगभग 30 लाख डोमेस्टिक कनेक्शन देंगे, इन दोनों योजना के तहत मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि दो ढाई साल के अन्दर लगभग 30 लाख कनेक्शन हम ग्रामीण जनता को देंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज कई माननीय सदस्यों ने बात कही कि विद्युत मंत्री-सबके-लिए-विद्युत योजना के तहत पांच के ग्रुप में जो फाइलें भरी हैं, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि सेकण्ड फेस में जो 2,819 करोड़ रुपये पास हुए हैं उसके तहत जितने भी हमारे पांच के ग्रुप में जिन्होंने डिमाण्ड भरे हैं, जिनकी एप्लिकेशंस लगी हुई हैं, उन सबको हमने इसमें सम्मिलित किया है और आने वाले समय में बहुत जल्दी, इसके टेण्डर का प्रोसेस चल रहा है, दिल्ली में इसका टेण्डर होते ही हम इसका टेण्डर करेंगे और इसकी बहुत जल्दी मानिटरिंग करेंगे और आने वाले दो साल में हम इस काम को पूरा करेंगे। आपके इसमें जो ढाई लाख कनेक्शंस पेंडिंग हैं उनको भी हमने इस दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत सम्मिलित किया है।

हमने इसके साथ ही तीन हजार से लेकर के पांच हजार तक की आबादी वाले जितने भी गांव हैं, जिनको हम थ्री-फेज से जोड़ने वाले हैं। इस दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत तीन हजार से लेकर पांच हजार तक की आबादी के जितने भी गांव हैं, जो थ्री-फेज टाइप से वंचित हैं,

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

उनको हम इस योजना के तहत जोड़ेंगे। पांच हजार से ऊपर की आबादी वाले जितने भी गांव हैं उनको थ्री-फेज कनेक्शन से हमने आलरैडी जोड़ रखा है। नये इसमें जी एस एस भी बनेंगे और इसमें सेग्रेगेशन आफ फीडर भी होगा। इसके तहत आने वाले समय में ग्रामीण जनता को काफी लाभ मिलेगा। थ्री फेज कनेक्शन हर व्यक्ति चाहता है और छोटा-मोटा बिजनेस या छोटा-मोटा कारखाना छोटे गांवों में भी लगाना चाहता है, पर उसके पास थ्री फेज लाइट नहीं होने के कारण वह काम बाधित होता है। इसके तहत हम उनको देंगे।

इसी के तहत 2,127 करोड़ रुपये का एक और प्रस्ताव हमने केन्द्र सरकार को भेजा है, जिसके तहत 1 हजार से लेकर 3 हजार तक की आबादी के जितने भी गांव हैं उनको भी हम थ्री-फेज लाइट से जोड़ेंगे, ताकि पूरे राजस्थान में 1 हजार आबादी से लेकर के जितने भी बड़े गांव हैं उनको हम थ्री-फेज की लाइट से जोड़ सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रशासन तंत्र की हम बात करें तो राजस्थान वह पहला राज्य है जिसने 765 मेगावाट के दो सब स्टेशन यहां स्थापित किये हैं, एक तो अंता और फागी और मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इस वर्ष में जो हमको टारगेट मिला था, 400 केवी का 1, 220 केवी के हमको 6 मिले थे, 132 केवी के 16 मिले थे; माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस टारगेट को हम देखें, तो हमने 220 केवी के 22 सब-स्टेशन इन दो साल में तैयार करके कमीशनिंग कर दी, 132 के लगभग 42 जी एस एस हमने कमिशंड कर दिये और इन दो सालों में 33 केवी के लगभग हमले 654 नये सब-स्टेशन बना दिये। आने वाले समय में मुख्य मंत्रीजी ने बजट का प्रोविजन रखते हुए 220 केवी के 6 सब-स्टेशन हमको दिये हैं और 132 केवी के 16 दिये हैं और 33 केवी के लगभग 200 सब-स्टेशन दिये हैं। मैं समझता हूं कि 220 केवी, 132 केवी जी एस एस का जो आपके टाइम में इतनी धीमी गति से काम चल रहा था, हमने हमारे कार्यकाल में इसको स्पीड-अप करके और जो मैं आपको बता रहा हूं कि 42-42 जी एस एस 132 केवी के हमने इन दो सालों में कमिशंड किये हैं; 220 केवी के 22 जी एस एस हमने स्टार्ट किये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इतना सोलर आ रहा है, इतना विंड आ रहा है वैस्टर्न राजस्थान में, इस बिजली को इवेक्युएट करने के लिए आपने क्या किया। मैं आपको बताना

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

चाहूंगा कि रिसर्जेंट राजस्थान के तहत हमने पी जी सी एल, जो गवर्नमेंट आफ इंडिया के ऊर्जा विभाग की कंपनी है, जो प्रसारण तंत्र में पूरे देश में काम करती है, उसके तहत हमने पश्चिमी राजस्थान में दस हजार करोड़ के एम ओ यू किये हैं और जमीन भी हमने आइडेंटिफाई कर दी है और जमीन कई जगह हमने अलाट कर दी है, ताकि बहुत जल्दी हम उस जगह 765 केवी के तीन सब-स्टेशन इस पश्चिमी राजस्थान में ला सकते हैं और उस उत्पादित बिजली को हम प्रदेश के दूसरे भाग में और दूसरे राज्यों में भी ले जा सकते हैं।

इसके अलावा उन्होंने एक चिन्ता जाहिर की कि आपने सस्ते दर पर जमीन दे दी और सोलर वाले 40-40 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाएंगे; आपके प्रसारण तंत्र से वे बिजली दूसरे प्रदेशों में ले जाएंगे। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको कहना चाहूंगा कि सोलर पालिसी के तहत हम बाकायदा 52 पैसे प्रति यूनिट बिलिंग चार्जेज के तहत चार्ज करते हैं, जिसके तहत जो भी बिजली उसमें प्रवाह करेगी उसके 52 पैसे यूनिट उस बिजली की कोस्ट हम उनसे लेंगे, जिससे हमारे अक्षय ऊर्जा निगम की भी स्थिति, और अक्षय ऊर्जा निगम ने खुद ने भड़ला में खुद का सोलर पार्क डवलप किया है।

एन टी पी सी ने अभी जो बिडिंग की, उसके तहत राजस्थान में 420 मेगावाट सोलर की निविदा अभी हमारे स्वीकृत हुई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह सोलर बिजली हमको 4.34 रुपये में उपलब्ध होगी। पूरे देश में इससे कम भाव में कोई भी बिडिंग नहीं हुई है।

अभी हमारे किसी माननीय सदस्य ने कहा कि आपने 26 हजार मेगावाट का एम ओ यू किया; हां, हमने किया। परन्तु, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब हमारे डिस्काम्स ही 80-90 हजार के घाटे में है, और फाइनली बिजली तो डिस्काम्स को खरीदनी है, इस 7-8 रुपये भाव की बिजली को हम खरीदकर डिस्काम्स को और घाटा दें। हम तो वेट कर रहे हैं, हमने एम ओ यू तो कर लिया, आज नहीं तो कल लगा देंगे, पर यह तो नहीं हो कि हम इसको लगाकर हमारे ऊपर एक हाथी पालें, एक सफेद हाथी हम पालें। जो आज 4.34 रुपये आया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में चार रुपये के अन्दर आयेगा। उस टाइम हम इसको लगायेंगे, उस टाइम हम इस पालिसी के तहत सोलर लगायेंगे ताकि सस्ती बिजली, और हम चाहते हैं कि रिन्युएबल एनर्जी आये। हमारे प्रधान मंत्रीजी की इच्छा है कि रिन्युएबल एनर्जी के तहत

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

हमको काम करना चाहिए, उनका इरादा एक लाख मेगावाट का सोलर का है। हमारी मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके एक लाख मेगावाट की घोषणा जो 2022 तक थी, मुख्य मंत्रीजी ने लगभग 32 हजार मेगावाट के एम ओ यू या तो सोलर पार्क या सोलर प्लांट लगाने का एम ओ यू विभिन्न कंपनियों के साथ किया है। आने वाले समय में सोलर लाइट राजस्थान में दिखेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज उत्पादन में जो हमारी कैपेसिटी है वह 17,283 मेगावाट है। कांग्रेस के कार्यकाल में आपने 2,388 मेगावाट बिजली दो वर्ष में उत्पादन की। हमने हमारे दो साल के इस कार्यकाल में 4,400 मेगावाट उत्पादन किया। मैं अभी कुछ देर पहले जो बात बता रहा था कि सूरतगढ़ 7वीं, 8वीं इकाई, छबड़ा की 5वीं और 6ठी इकाई को 2018 से पहले-पहले हम इसको टाइम बाउंड प्रोग्राम पर लेकर आएंगे। इसके साथ राजस्थान की जो इंस्टाल्ड कैपेसिटी हो जाएगी, वो 8,600 मेगावाट हमारी इंस्टाल्ड कैपेसिटी हो जाएगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो यह माननीय सदस्य बात कर रहे थे कि कालीसिंध को आप बेचना चाह रहे हो, आप छबड़ा को बेचना चाह रहे हो; माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये जितनी भी हमारी थर्मल है कालीसिंध एक और दो, या छबड़ा एक और दो, ये सब हमारी मुख्य मंत्रीजी की पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में उसका माइलस्टोन रखा गया था, उनके कार्यकाल में ये प्रोजेक्ट हमने शुरू करके दिये हैं। इनके कार्यकाल में इस प्रोग्राम में तीन-तीन साल का डिले किया जिससे मैं आपको कहना चाहूंगा कि कालीसिंध पर लगभग पांच हजार करोड़ की एडिशनल ब्याज रेट हमको झेलना पड़ रही है। जो आज फिक्स चार्ज है, जो आज आप देखें, कोटा में फिक्स चार्ज है 0.53 पैसे, सूरतगढ़ में अगर हम देखें तो 0.73 पैसे और कालीसिंध के अगर फिक्स चार्ज देखें हम तो 2.50 रुपये। फिक्स चार्ज वह है, रमेश जी, जिस पर आपको तनख्वाह के साथ लोन का इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ता है।

श्री रमेश (सपोटरा): सब जानते हैं। (व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): तो अगर आपने इसको सही टाइम पर चालू की होती तो यह स्थिति राजस्थान के सामने पैदा नहीं होती।

जहां तक उसके वेरिएबल चार्ज है, मैं यह कहना चाहता हूं कि वेरिएबल चार्ज की कोस्ट है वह इस कालीसिंध की कम है, वह इस छबड़ा की कम है, पर आपने टाइम पर चालू नहीं करके, आपने लोन के पैसे को दूसरे

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

जगह पर खर्च करके, इस थर्मल को जो आपने डिले किया, उसके कारण आज राजस्थान के आम उपभोक्ता को इतनी बड़ी रेट पर बिजली खरीदनी पड़ रही है। यह मैं आपको बताना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा विद्युत उत्पादन में, जैसे हमारे कई माननीय सदस्यों ने यह बात की, हकीकत में हमारे साल दो साल में हमने इस पर बहुत गहरा मंथन किया है, हमने चिन्ता भी जाहिर की है कि किस तरह इस बिजली की कोस्ट को हम कम कर सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने कोल की शापिंग जैसे सूरतगढ़ हमारा यूनिट बंद पड़ा है, उसके कोल को हम कोटा में लाये, तो रेलवे डिस्टेंसेज कम हुए। उसको यहां लेकर आए, इससे हमको लगभग पचपन करोड़ रुपये की वार्षिक बचत हुई।

इसके अलावा जो पहले कोल इंडिया से हमारा कोल जो कोरिया रिवर से आ रहा था, उसकी हकीकत में अभी केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात की है, इसकी जी सी वी वैल्यू कम थी और ये बिलिंग हमको ज्यादा करते थे, तो हमने इसको 11.5 मीट्रिक टन स्थानांतरण कर लिया कोरबा कोल फील्ड्स में। इसके तहत इसको शिफ्ट करने से अच्छे जी सी वी वैल्यू का कोल कम दाम में मिलने से लगभग वार्षिक 214 करोड़ को सरकार को इसका फायदा मिला। यह मैं माननीय सदस्य आपको बताना चाहूंगा और इसके तहत लगभग हमने 271 करोड़ की वार्षिक बचत की है। इसके तहत जो कोल ग्रेड स्लीपेज है, जो जी सी वी वैल्यू वहां से जो आ रही है और हमारे थर्मल पर जो आ रहा है, हमने थर्ड पार्टी इसका असेसमेंट करवाया। इसके तहत हमने 240 करोड़ रुपये का क्लेम कोल इंडिया से किया है, जो हमारा क्लेम आज भी मौजूद है कि आपकी जी सी वी वैल्यू कम है, बिलिंग आपने ज्यादा ली है। इसके तहत हमने उनके ऊपर यह किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे प्रधान मंत्रीजी की जो भावना है कि 'स्वच्छ भारत अभियान' के तहत पूरे भारत में हम शौचालय बना रहे हैं, हमारी मुख्य मंत्रीजी ने भी उनकी भावना को आगे जाहिर किया है। उन्होंने वेस्ट-टू-एनर्जी, कोई भी, जो भी आपके वेस्ट प्रोडक्ट से अगर बिजली पैदा होगी, उसको भी उन्होंने एक माध्यम रखा कि डिस्काम्स इसकी बिजली खरीदेगी; विनियामक आयोग से जो भी रेट तय होगी, उसके तहत उस बिजली को हम खरीदेंगे। इसके लिए हमने एक प्रोविजन रखा है जो आने वाले समय में, मैं समझता हूं, रिन्युएबल एनर्जी के लिए बहुत ही बड़ी फायदेमंद बात रहेगी।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

मानननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने आज जो बात की, सिविल लायबिलिटी के प्रति काफी दु:ख जाहिर किया। यह बात बिलकुल सही है कि सिविल लायबिलिटी जिस तरह से है, मैं इस मौके पर मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो पहले कम्पाउंडिंग दो हजार रुपये प्रति हार्स पावर थी, उस कम्पाउंडिंग को उन्होंने घटा कर एक हजार रुपये किया और 10 हार्स पावर के ऊपर जो भी कंपाउंडिंग थी 2,000, उसको उन्होंने घटाकर 500 रुपये किया है। सिविल लायबिलिटी आज भी मैं समझता हूं कि वास्तव में एक गरीब आदमी के साथ बड़ा अन्याय है। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं, हमारी मुख्य मंत्रीजी ने भी इस सदन के माध्यम से गत बजट में कहा था कि सिविल लायबिलिटी के बारे में हम सोचेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसको हम वापस स्टडी करके, रिव्यू करके, हकीकत में किसी को परेशान नहीं करें, इसलिए हम इसको रिव्यू करके आने वाले समय में...।

हमारे एक माननीय सदस्य ने बात कही कि हर साल मार्च के महीने में पेंडेंसी आफ बिल्स माफ करते हैं, पहले इंटरेस्ट माफ करते हैं। आने वाले महीने में हम इसको भी शुरू करेंगे। जो भी हमारे पेंडिंग बिल्स हैं, जो एम्नेस्टी के तहत आना चाहते हैं, तो उसके लिये भी हम रखेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबंध उत्तरदायित्व विधेयक, 2016 को पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबंध उत्तरदायित्व विधेयक, 2016 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबंध उत्तरदायित्व विधेयक, 2016 पारित किया गया।

सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 1 अप्रैल 2016 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 23.52 बजे शुक्रवार, दिनांक 1 अप्रैल 2016 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

बसेड़ी के गांवों में माडा योजनान्तर्गत विकास कार्य

431. श्रीमती रानी सिलौटिया (बसेड़ी): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में कितने गांव माडा योजना में एवं कितने गांव बिखरी जनजाति योजना में आते हैं? अब तक माडा एवं बिखरी योजना में कौन-कौन से कार्यों की कितनी राशि की स्वीकृति जारी की गई व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त गांवों में विकास कार्य कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में माडा क्षेत्र अन्तर्गत आने वाले गांवों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

माडा क्षेत्र में आने वाले गांवों के अतिरिक्त ऐसे समस्त गांव जिनमें जनजाति आबादी निवासरत है वे बिखरी क्षेत्र में आते हैं।

अब तक विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में माडा एवं बिखरी योजना में स्वीकृत कार्यों की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता, संविधान के अनुच्छेद 275(1) एवं जनजाति कल्याण निधि मद अन्तर्गत संचालित योजनाओं में राशि की उपलब्धता एवं योजनाओं की गाइडलाइंस अनुसार अनुमत होने पर स्वीकृत किये जाते हैं।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

चूरू जिले में आपणी योजना के तहत पेयजल आपूर्ति

432. श्री खेमाराम (सुजानगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) चूरू जिले में सुजानगढ़ व रतनगढ़ वृहत् पेयजल परियोजना (आपणी योजना) की प्रशासनिक स्वीकृति कब जारी की गई व इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री खेमाराम)

(2) उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत विभिन्न चरणों का कार्यादेश किस-किस फर्म को दिया गया व सम्बन्धित फर्मों द्वारा अब तक कितना कार्य कर दिया गया है तथा विभाग द्वारा कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त परियोजनान्तर्गत वर्तमान में जारी कार्य निविदा में उल्लिखित शर्तों व समयावधि के अनुरूप ही सम्पादित किया जा रहा है? यदि हां, तो निविदा एवं कार्यादेश की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त परियोजनान्तर्गत किन-किन कम्पनियों/फर्मों के विरुद्ध कब-कब शास्ति आरोपित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त परियोजनान्तर्गत निर्मित किये जा रहे उच्च जलाशयों की सीमेन्ट, कंक्रीट आदि की टैस्टिंग किस एजेन्सी द्वारा की जा रही है? क्या टैस्टिंग रिपोर्ट सुरक्षा मानकों के अनुसार सही पाई गई है? यदि नहीं, तो दोषी फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त योजना कब तक पूर्ण की जाकर पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आपणी योजना के द्वितीय चरण में रतनगढ़-सुजानगढ़ भाग की वृहद् पेयजल परियोजना की प्रथम प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विभागीय नीति निर्धारण समिति की 187वीं बैठक दिनांक 27.09.2011 द्वारा राशि रुपये 362.22 करोड़ एवं संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति उक्त समिति की 190वीं बैठक दिनांक 30.05.2013 द्वारा राशि रुपये 971.21 करोड़ की जारी की गई।

परियोजना के कार्यों के सुगम निष्पादन हेतु इसे दो पैकेजों में विभक्त किया गया तथा इन दोनों पैकेजों के अन्तर्गत अब तक क्रमश: 98 प्रतिशत एवं 56.28 प्रतिशत कार्य भौतिक रूप से पूर्ण किया जा चुका है। परियोजना के दोनों पैकेजों की प्रगति का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त परियोजना के प्रथम पैकेज (मुख्य ट्रंक मेन एवं अन्य आधारभूत संरचना, इत्यादि) के कार्यों के निष्पादन हेतु कार्यादेश मैसर्स एन.सी.सी. लिमिटेड, हैदराबाद को दिनांक 06.07.2012 को राशि रुपये 249.75 करोड़ (मय संचालन व संधारण) एवं द्वितीय पैकेज (शहरी एवं

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

ग्रामीण क्षेत्र में कलस्टर वितरण प्रणाली) के कार्यों के निष्पादन हेतु कार्यादेश मैसर्स एल एण्ड टी कन्स्ट्रक्शन, चेन्नई को दिनांक 07.08.2013 को राशि रुपये 591.40 करोड़ (मय संचालन व संधारण) का जारी किया गया। प्रथम एवं द्वितीय पैकेज के अनुबंधक फर्मों द्वारा क्रमशः 98 प्रतिशत एवं 56.28 प्रतिशत कार्य भौतिक रूप से पूर्ण कर दिया गया है।

प्रथम एवं द्वितीय पैकेज हेतु उक्तानुसार जारी कार्यादेश राशि के विरुद्ध क्रमशः रुपये 242.23 करोड़ एवं 302.14 करोड़ का भुगतान माह फरवरी, 2016 तक किया गया है। परियोजना के दोनों पैकेजों की प्रगति का विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है।

(3) अनुबंधक फर्मों द्वारा उक्त दोनों पैकेजों का कार्य निविदा में उल्लिखित शर्तों के अनुसार सम्पादित किया जा रहा है। प्रथम एवं द्वितीय पैकेज के कार्यों को कार्यादेश अनुसार दिनांक 15.01.2015 एवं 16.08.2016 तक पूर्ण करना निर्धारित है।

अनुबंधक फर्म द्वारा प्रथम पैकेज का कार्य नियत दिनांक 15.01.2015 तक पूर्ण नहीं किये जाने के कारण इस कार्य को पूर्ण करने हेतु समयावधि अंतरिम रूप से दिनांक 31.03.2016 तक बढ़ाई गई है। परियोजना के प्रथम एवं द्वितीय पैकेज की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति अनुबंधक फर्मों द्वारा निर्धारित स्पान अनुरूप संधारित नहीं की जा रही है। उक्त दोनों पैकेजों हेतु जारी निविदाएं एवं अनुबंधक फर्मों को इन पैकेजों के निष्पादन हेतु जारी कार्यादेशों की प्रतियां क्रमशः परिशिष्ट-ब एवं स पर संलग्न हैं।

(4) उक्त परियोजना के प्रथम एवं द्वितीय पैकेजों के अन्तर्गत अनुबंधक फर्मों द्वारा कार्य धीमी गति से करने के कारण अनुबंध की शर्तों के अनुसार वसूली गई अंतरिम क्षतिपूर्ति राशि सम्बन्धी वांछित विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(5) उक्त परियोजना अन्तर्गत निर्मित किये जा रहे उच्च जलाशयों के निर्माण में प्रयुक्त की जा रही रिइन्फोर्समेंट बार की प्रथम जांच निर्माता फर्म द्वारा एवं तदुपरान्त विभाग में प्राप्त होने पर भुगतान पूर्व बाह्य प्रयोगाशाला से कराई जा रही है। सीमेन्ट कंक्रीट की जांच निर्माण स्थल पर स्थापित प्रयोगशाला में विभागीय अधिकारियों द्वारा की जा रही है। की गई समस्त जांचों में रिइन्फोर्समेंट बार/सीमेन्ट कंक्रीट मानक अनुसार पाये गये हैं।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(6) उक्त परियोजना से चूरू जिले के दो कस्बे सुजानगढ़ एवं छापर, सुजानगढ़ तहसील के 4 ग्राम सूरवास, देवाणी, चाड़वास एवं रामपुर तथा रतनगढ़ तहसील के पड़िहारा एवं पड़िहारी की विद्यमान योजनाओं से जोड़कर माह दिसम्बर, 2015 से आंशिक पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ कर दी गई है।

सम्पूर्ण परियोजना माह अगस्त, 2016 तक पूर्ण की जाकर इससे 6 शहर एवं 256 ग्रामों को स्वच्छ नहरी पेयजल से लाभान्वित करना प्रस्तावित है।

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखे गये)

कोटा शहर में आटो किराये हेतु रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैण्ड पर प्रीपेड बूथ की स्थापना

433. **श्री हीरालाल नागर** (सांगोद): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कोटा शहर में पूरे भारत से अध्ययन करने के लिए आने वाले छात्र-छात्राओं एवं उनके अभिभावकों से आटो चालकों द्वारा मनमाने तरीके से तय किराये से अधिक किराया वसूलने की शिकायतें प्राप्त होती हैं, जिससे कोटा शहर की छवि खराब हो रही है? क्या सरकार कोटा रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैण्ड पर प्रीपेड बूथ लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत दो वर्षों में कोटा शहर में तय किराये से अधिक किराया वसूलने पर कितने आटो चालकों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है व कितनों के चालान किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि कोटा शहर में पूरे भारत से अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं एवं उनके अभिभावकों का आगमन होता है, किन्तु आटो चालकों द्वारा मनमाने तरीके से तय किराये से अधिक किराया वसूलने की लिखित में एक शिकायत आटो रिक्शा संख्या RJ20-PA-5104 के विरुद्ध सुगम पोर्टल पर दिनांक 19.03.2013 को प्राप्त हुई थी, जिस पर आटो रिक्शा को जब्त किया गया व विभाग द्वारा प्रशमन राशि रु. 800 जरिये रसीद संख्या

(परिवहन मंत्री)

746097 दिनांक 10.05.2013 द्वारा जमा कर आटो रिक्शा को रिलीज किया गया।

दिनांक 22.02.2016 को श्रीमान् जिला कलेक्टर, कोटा की अध्यक्षता में आयोजित यातायात प्रबंधन समिति की बैठक में आटो रिक्शा प्रीपेड बूथ व्यवस्था कोटा सिटी में करने पर विचार किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर, कोटा द्वारा कोटा शहर में रेलवे जंक्शन कोटा एवं पुराना बस स्टैण्ड, नयापुरा, कोटा में प्रीपेड बूथ व्यवस्था प्रारम्भ किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उपरोक्त दोनों स्थानों पर प्रीपेड बूथ संचालन का प्रबंधन उप अधीक्षक यातायात पुलिस कोटा द्वारा किया जावेगा। इस प्रकार कोटा शहर में दो स्थानों पर प्रीपेड बूथ व्यवस्था शीघ्र प्रारम्भ करने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

(2) गत दो वर्षों में कोटा शहर में आटो चालकों द्वारा तय किराये से अधिक किराया वसूलने के चालानों की सूचना शून्य है।

गौवंश की रक्षार्थ पंचायत मुख्यालयों पर गौशाला खोलने की योजना

434. श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में कृषि पशु आधारित न होकर कृषि कार्यों का मशीनीकरण हो जाने से गांवों में नंदी खुले घूम रहे हैं व फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं?

(2) क्या सरकार प्रत्येक गांव में आवारा घूम रहे गौवंश के लिये प्रत्येक पंचायत मुख्यालयों पर गौशाला खोलकर तथा उक्त गौवंश को महानरेगा योजना के तहत जोड़कर किसानों को राहत प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान तकनीकी युग में कृषि कार्य एवं परिवहन के यांत्रिक साधनों की उपलब्धता बढ़ने से नर गौ वंश की मांग कुछ क्षेत्रों में कम हुई है।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा गौशालायें नहीं खोली जाती हैं।

स्वयं सेवी संस्थाओं/ट्रस्ट द्वारा संचालित गौशालाओं का राजस्थान

(पशुपालन मंत्री)

गौशाला अधिनियम 1960 के तहत नि:शुल्क पंजीकरण किया जाता है। वृद्ध, अपंग/निराश्रित बछड़ों, बैलों व गौ-तस्करों से मुक्त करवाये गये गौवंश के रखरखाव, भरण-पोषण, उपचार, संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सम्भाग स्तर पर गौ-अभयारण्य स्थापित करने हेतु नीति का प्रारूपण प्रक्रियाधीन है।

पंचायती राज के निर्वाचित सदस्यों के मार्फत विकास कार्य कराने की योजना

435. **श्री फूलसिंह मीणा** (उदयपुर ग्रामीण): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति एवं जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों को सरकार प्रति माह मानदेय (वेतन) प्रदान करती है? यदि हां, तो कितना व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त मानदेय में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या पूर्व में उक्त जन प्रतिनिधियों द्वारा क्षेत्र का विकास कराने के लिये सरकार द्वारा कुछ राशि इनके मार्फत देकर विकास कार्य कराया गया था? यदि हां, तो कब-कब कौन-कौन से वर्ष में और कितनी-कितनी राशि देकर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त जन प्रतिनिधियों के मार्फत राशि देकर विकास कार्य कराने की कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में पंचायती राज के निर्वाचित विभिन्न जन प्रतिनिधियों को वर्तमान विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 951(19)(41)पंरावि/लेखा/नि.आ/बजट घोषणा/2012-13/2494 दिनांक 01.04.2013 द्वारा निम्न विवरणानुसार मानदेय दिया जा रहा है :-

जन प्रतिनिधि का पद नाम	मानदेय दर रु. प्रति माह
जिला प्रमुख, जिला परिषद	9000
प्रधान, पंचायत समिति	6000

(पंचायती राज मंत्री)

जिला परिषद सदस्यों एवं पंचायत समिति सदस्यों को निर्धारित बैठकों में उपस्थित होने पर केवल निर्धारित दरों पर बैठक भत्ता ही देय है।

(2) राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में मानदेय बढ़ोतरी से सम्बन्धित प्रस्ताव प्रक्रियाधीन नहीं है।

(3) जी नहीं। उक्त जन प्रतिनिधियों द्वारा क्षेत्र का विकास कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई राशि नहीं दी गई है।

(4) जन प्रतिनिधियों के मार्फत राशि देकर विकास कराने के लिए वर्तमान में राज्य सरकार के स्तर पर कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों में नवीन उद्योग स्थापित करने की योजना

436. श्री सुशील कटारा (चौरासी): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) डूंगरपुर जिले में वर्तमान में कितने वृहत् एवं लघु उद्योग संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में अभी हाल ही 'रिसर्जेंट राजस्थान' का आयोजन किया गया है? यदि हां, तो उक्त आयोजन में कितने उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार ने एम.ओ.यू. किये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों में उद्योग स्थापित करने के लिए किस-किस के साथ कौन-कौन से उद्योगों हेतु एम.ओ.यू. किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला डूंगरपुर में 03 वृहद् औद्योगिक इकाइयां एवं 1,330 लघु उद्योग कार्यरत हैं।

(2) जी हां। उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा किये गये एम ओ यू की सूची संलग्नक-1 पर संलग्न है।

(3) जिला डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा में उद्योग की स्थापना के लिए किये गये एम ओ यू की सूची संलग्नक-2 पर संलग्न है।

संलग्नक-1

Summary of MoUs Signed During RR-15				
S. No.	**Sector**	**No. of MoUs**	**Proposed Investment (INR Cr.)**	**Expected Employment**
1	Agriculture	19	4,043	8,974
2	Ayurveda	52	4,017	84,395
3	Education	9	1,907	13,310
4	Energy	12	1,93,720	1,900
5	Infrastructure	52	21,089	1,08,975 & 75.15 lac mandays
6	Manufacturing	56	14,272	63,204
7	Medical & Health	12	2,616	9,150
8	Petroleum & Mines	26	76,462	25,347
9	Roads & Highways (PWD)	1	10,000	1,000
10	Skill Development	11		
11	Tourism	220	10,362	40,705
	Total	**470**	**3,38,487**	3,56,960 & 75.15 lac mandays

संलग्नक-2

Details of MoUs signed for Dungarpur Banswara District					
S. No.	**Depart-ment**	**Company Name**	**Project Details**	**Proposed Investment (In Cr. Rs.)**	**Pro-posed Employ-ment**
1	Agricultre	M/s Bar Malting Ltd.	Malt, Wheat, Gluten Plant (Banswara)	780	500
2	Industries	RSWM Limited	Production of Yarn, Bafric and Recycle fiber in Textile, Ban-swara, Bhilwara, Udaipur	550	2000
3	Industries	RSWM Limited	Skill Develop-ment, Banswara	-	-
4	Industries	RSWM Limited	Yarn Spinning, Banswara	1100	1550
5	Tourism	M/s Shree Tiru-malaa Group of Companies	Resort, Dungarpur	110	220
			Total	**2540**	**4250**

अजमेर जिले के राजस्व ग्रामों के जीर्ण-शीर्ण नक्शों को पुनः बनाने की योजना

437. श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अजमेर जिले के कितने राजस्व ग्रामों के नक्शे वर्तमान में कटे-फटे एवं जीर्ण-शीर्ण हैं? क्या सरकार उक्त कटे-फटे एवं जीर्ण-शीर्ण नक्शों को पुन: बनवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) के कई ग्रामों के राजस्व नक्शे या तो पटवारी के पास उपलब्ध ही नहीं हैं या जीर्ण-शीर्ण एवं कटे-फटे हुए हैं? यदि हां, तो किन-किन ग्रामों के? तहसीलवार, ग्राम पंचायतवार ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त सभी गांवों के ग्रामीणों को नक्शों के कटे-फटे एवं जीर्ण-शीर्ण होने के कारण भूमि नाप एवं राजस्व नक्शों सम्बन्धी कार्यों में होने वाली परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त नक्शों को पुन: तैयार करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) अजमेर जिले के कुल 546 राजस्व ग्रामों के नक्शे वर्तमान में कटे-फटे एवं जीर्ण-शीर्ण हैं जिनमें से तहसील किशनगढ़ एवं अराई के कुल 9 ग्रामों में एवं तहसील रूपनगढ़ के 3 ग्रामों में डिनोवा सर्वे की अधिसूचना जारी की जाकर नवीन नक्शे तैयार किये जाने की कार्यवाही भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा की जा रही है। शेष जीर्ण-शीर्ण नक्शों को शीघ्र तैयार किये जाने हेतु पूर्व में ही राज्य स्तर पर निर्देश जारी किये गये हैं। पत्र की प्रति-परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) के 09 ग्रामों के राजस्व नक्शे जीर्ण-शीर्ण, कटे-फटे हैं, जिनका तहसीलवार, पंचायतवार एवं ग्रामवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	नाम तहसील	नाम ग्राम पंचायत	नाम ग्राम
1	किशनगढ़	शहरी क्षेत्र	किशनगढ़
2		शहरी क्षेत्र	सांवतसर
3		बांदरसिंदरी	बांदरसिंदरी

(राजस्व राज्य मंत्री)

क्र.सं.	नाम तहसील	नाम ग्राम पंचायत	नाम ग्राम
4		सरगांव	नयागांव
5		सिलोरा	उदयपुरकलां
6	अराई	लाम्बा	लाम्बा
7		कटसूरा	कटसूरा
8		सिरोंज	सिरोंज
9		दांदिया	दांदिया

(3) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ की तहसील किशनगढ़ एवं अराई के कुल 09 ग्रामों में एवं तहसील रूपनगढ़ के 03 ग्रामों में डिनोवा सर्वे की अधिसूचना जारी की जाकर नवीन नक्शे तैयार किये जाने की कार्यवाही भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा की जा रही है। शेष जीर्ण-शीर्ण नक्शों को शीघ्र तैयार किये जाने हेतु पूर्व में ही राज्य स्तर पर निर्देश जारी किये गये हैं। पत्र की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

परिशिष्ट–अ

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांकः प.12(6)राज./ग्रुप-1/2014 जयपुर, दिनांक 19/09/2014

जिला कलक्टर्स

समस्त राजस्थान।

विषय :- कटे फटे नक्शों की समस्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राज्य स्तर पर राजस्व ग्रामों के कटे-फटे नक्शों के कारण सीमाज्ञान सम्बन्धी समस्याएं बार-आर आ रही हैं। ग्रामों के नक्शों की एक प्रति पटवारी, एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक जिला स्तर पर रखी जाती है। अतः ऐसे ग्राम, जिनके नक्शे फट गये हैं, के नक्शे तहसील/जिला स्तर पर उपलब्ध नक्शों से 31 दिसम्बर, 2014 से पूर्व तैयार कराये जावें, जिससे आम नागरिकों के लम्बित कार्यों पर कार्यवाही हो सके।

भवदीय

(मुकेश शर्मा)

प्रमुख शासन सचिव राजस्व

जनजाति क्षेत्रों के लिये विशेष पैकेज देने की योजना

438. श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) व **डा. किरोडी लाल** (लालसोट): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रों में किस-किस योजना में किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि आबंटित की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जनजाति क्षेत्रों के लिये आबंटित बजट में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार जनजाति क्षेत्रों में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कोई विशेष पैकेज देने की योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रों में जनजाति प्रवाह के रूप में प्रत्येक विभाग के बजट उपशीर्ष 796 मांग संख्या 30 में राशि आबंटित करती है। वर्ष 2015-16 में कुल राज्य प्रावधान 71,40,578.10 लाख रुपये में से 9,88,671.27 लाख रुपये जनजाति प्रवाह के रूप में आबंटित किये गये हैं जो राज्य योजना का 13.85 प्रतिशत है। विवरण परिशिष्ट-अ एवं ब पर सलंग्न है।

(2) वर्ष 2015-16 में जनजाति उपयोजना प्रवाह में राज्य योजना का 13.85 प्रतिशत प्रावधान रखा गया है। जनजाति उपयोजना मद में राज्य की जनजाति जनसंख्या (13.48 प्रतिशत) के अनुपात में प्रावधान किया गया है।

(3) बजट घोषणा वर्ष 2014-15 में ढांचागत अंतराल के लिए अगले 5 वर्षों हेतु 1,000 करोड़ रुपये के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई। इस राशि को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। मामला प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्रीमाधोपुर शहर में पेयजल लाइन हेतु तोड़ी गई सड़क का पुनर्निर्माण

439. श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या श्रीमाधोपुर शहर हेतु लगभग 10 करोड़ की पेयजल योजना के कार्य हेतु ठेकेदार द्वारा नगरपालिका श्रीमाधोपुर की बिना स्वीकृति के करीब 75

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

लाख से 1 करोड़ की सड़क क्षतिग्रस्त करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों की प्रतियों एवं सरकार द्वारा उन पर की गई कार्यवाहियों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) नगरपालिका श्रीमाधोपुर की बिना सक्षम स्वीकृति के तोड़ी गई सड़कों के पुनर्निर्माण हेतु नगरपालिका के मांग पत्र के अनुसार 75 लाख से एक करोड़ के भुगतान हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों?

(3) सरकार द्वारा नगरपालिका के मांग पत्र के आधार पर अब भुगतान कब तक कर दिया जायेगा व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। जिला सीकर के श्रीमाधोपुर कस्बे हेतु स्वीकृत पुनर्गठित शहरी जल योजना के निष्पादन के दौरान पेयजल पाइप लाइनों को बिछाने हेतु आवश्यकतानुसार काटी गई सड़कों की मरम्मत के भुगतान हेतु नगरपालिका, श्रीमाधोपुर के अधिशासी अधिकारी द्वारा दिनांक 24.11.2014 को राशि रुपये 36.00 लाख, दिनांक 01.09.2015 को राशि रुपये 30.00 लाख, दिनांक 05.11.2015 को राशि रुपये 9.00 लाख, इस प्रकार कुल राशि रुपये 75.00 लाख के मांग पत्र प्राप्त हुए। तत्पश्चात् उक्त राशि के भुगतान के लिये अध्यक्ष, नगरपालिका, श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 27.01.2016 को स्मरण पत्र लिखा गया। विभाग को लिखे गये पत्रों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

नगरपालिका, श्रीमाधोपुर द्वारा प्रेषित तखमीनों में काटी गई सड़क की प्रकृति एवं मात्रा (लम्बाई एवं चौड़ाई) सम्बन्धी विसंगतियां हैं। इनके निराकरण हेतु अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका श्रीमाधोपुर द्वारा नगरपालिका एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अभियन्ताओं की संयुक्त टीम गठित की गई है। नगरपालिका के कार्यालय आदेश दिनांक 22.03.2016 की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

विभाग ने उक्त योजना अन्तर्गत पाइप लाइनें बिछाने हेतु सड़क काटने का कार्य नगरपालिका, श्रीमाधोपुर द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त ही सम्पादित कराया है। इस सम्बन्ध में नगरपालिका ने जन हित एवं भुगतान के आश्वासन पर लिखे गये सहमति पत्र दिनांक 02.06.2014, 01.12.2014 एवं 22.06.2015 की प्रतियां परिशिष्ट-स पर संलग्न हैं।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2) उपरोक्तानुसार।

(3) उपरोक्तानुसार संयुक्त जांच के निष्कर्षों के आधार पर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

सवाई माधोपुर के हम्मीर ब्रिज की चौड़ाई बढ़ाने की योजना

440. राजकुमारी दियाकुमारी (सवाई माधोपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सवाई माधोपुर शहर में स्थित हम्मीर ब्रिज की चौड़ाई बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव किस स्तर पर विचाराधीन है तथा अब कब तक इसकी स्वीकृति जारी कर दी जाएगी?

(2) सवाई माधोपुर शहर में चकचेनपुरा से खटूपुरा तक रेलवे ओवरब्रिज बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो किस स्तर पर तथा इसकी स्वीकृति कब तक जारी कर दी जाएगी?

उत्तर

(1) जी हां। सवाई माधोपुर शहर में स्थित हम्मीर ब्रिज की चौड़ाई चार लेन में बढ़ाने हेतु राशि 86.05 करोड़ रुपये का प्रस्ताव मुख्य अभियन्ता (एन.एच.) के पत्र क्रमांक एस.ई.एन.एच./एपी-01/2015-16/डी-1907 दिनांक 05.01.2016 द्वारा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ), भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है। इसकी स्वीकृति भारत सरकार के नीतिगत निर्णय एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगी।

(2) जी नहीं। वर्तमान में सवाई माधोपुर शहर में चकचेनपुरा से खटूपुरा तक रेलवे ओवरब्रिज बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट-1

OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER (NH) P.W.D. RAJASTHAN, JAIPUR

No.SE(NH)/AP-01/2015-16/D-1907   Dated 05 January, 2016

The Director General (RD) & Spl. Secretary,
Ministry of Road Transport and Highway,
Transport Bhawan 1- Parliament Street,
New Delhi – 110001
Fax No. 011-23715047

Sub : - Estimate for the work widening of ROB (Hammeer Bridge) on NH-116 at Km 76/0 Tonk-Sawai Madhopur Road.

Ref :- Hon'ble MLA Sawai Madhopur letter No. MLA/SM//0/PWD/60 dated 28.10.2015. (Copy enclosed).

Sir,

Please refer VIP reference received from Hon'ble MLA, Sawai Madhopur (Rajasthan) constituency vide which it has been desired to widen the ROB (Hammeer Bridge) on NH-116 at Km 76/0 Tonk-Sawi Madhopur Road. This is a two lane ROB catering city traffic of Sawi Madhopur too, wherein congestion of traffic occurs very frequently. Therefore, there is high demand of public to widen this ROB. Accordingly a forecast estimate amounting to Rs. 86.05 Cr is enclosed for inclusion in the Annual Plan 2015-16 and subsequent approval please.

You are therefore, requested to include in the Annual Plan 2015-16 and approval of widening of Hammeer Bridge (ROB) on NH-116 at Km 76/0.

Encl. As above   Yours faithfully
Sd.
(Rajmal Jain)
Chief Engineer (NH)

निर्धारित मानकों से अधिक कीटनाशक के उपयोगकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही

441. श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या खाद्यान्नों, फलों एवं सब्जियों में रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों के प्रयोग के सम्बन्ध में कोई कानून एवं नीति बनाई गई है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा खाद्यान्नों, फलों एवं सब्जियों में प्रयोग किये गये एवं पाये गये कीटनाशकों की जांच हेतु किन-किन स्थानों पर कितनी-कितनी प्रयोगशालाएं हैं? जांच नमूनों के लिये कौन प्राधिकृत हैं? उक्त प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा गत 3 वर्षों के दौरान खाद्यान्नों, फलों एवं सब्जियों के कितने नमूने कहां-कहां से लिये गये? कितने प्रकरणों में निर्धारित मानकों से अधिक कीटनाशक पाये गये तथा उपयोगकर्ताओं के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री धीरज गुर्जर)

(3) प्रदेश की जनता को उचित गुणवत्ता वाले खाद्यान्न, फल एवं सब्जियां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। खाद्यानों, फलों एवं सब्जियों में कीटनाशी रसायनों के प्रयोग हेतु कीटनाशी अधिनियम, 1968, नियम 1971 एवं कीटनाशी (संशोधन) नियम 2015 बने हुए हैं। इसके अन्तर्गत केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड एवं पंजीकरण संस्था द्वारा कीटनाशकों के सुरक्षित एवं न्यायोचित उपयोग तथा प्रयोग हेतु रखी जाने वाली सावधानी आदि के लिये निर्देश जारी किये जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, राज्य में प्रत्येक कृषि जलवायुवीय खण्ड पर गठित क्षैत्रीय अनुसंधान एवं विस्तार सलाहकार समिति की अनुशंषा के आधार पर फसलवार प्रयोग किये जाने वाले रासायनिक खाद व कीटनाशक के प्रकार व मात्रा हेतु अनुशंसा की जाती है, जिसके आधार पर खण्डवार फसलों की उन्नत पैकेज ऑफ प्रैक्टिस जारी होती है, जिसके अनुसार किसानों को सलाह दी जाती है।

(2) जी हां। खाद्यानों, सब्जियों एवं फलों में कीटनाशी रसायनों के अवशेष की जांच हेतु कृषि विभाग द्वारा एक कीटनाशी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला दुर्गापुरा, जयपुर में स्थापित की गई है। प्रयोगशाला द्वारा विगत तीन वर्षों में किये गये परीक्षणों का विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय कीटनाशी अवशेष परीक्षण परियोजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र दुर्गापुरा, जयपुर में एक परीक्षण केन्द्र स्थापित है।

खाद्य पदार्थों के बेचान/निर्माण/संग्रह पर खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 लागू होता है जिसके अन्तर्गत वर्तमान में राज्य में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यरत 77 खाद्य सुरक्षा अधिकारी निरीक्षण व जांच हेतु नमूना लेने के लिये प्राधिकृत है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा गत तीन वर्षो के दौरान सर्विलेंस के अन्तर्गत 12 सब्जियों के नमूने मुहाना मण्डी, लालकोठी मण्डी, बस्सी एवं चौमूं क्षेत्र से लिये जाकर कृषि विभाग की प्रयोगशाला को भिजवाये गये, जो कि जांच में निर्धारित मानक सीमा में पाये गये। इसके अतिरिक्त, फलों के नमूनों को जांच हेतु बैंगलूरू स्थित प्रयोगशाला को भिजवाये गये हैं, जिनकी जांच रिपोर्ट आदिनांक तक अप्राप्त है।

(कृषि मंत्री)

(3) प्रदेश की जनता को उत्तम गुणवत्ता वाले कृषि उत्पाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य में जैविक खेती करने हेतु किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसका विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

इसके अतिरिक्त, कीटनाशकों एवं अन्य कृषि रसायनों के न्यायोचित एवं न्यूनतम प्रयोग हेतु कृषकों को समन्वित कीट व्याधि प्रबन्धन की जानकारी दी जाकर प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसका विवरण परिशिष्ट स पर संलग्न है।

साथ ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा हैवी मेटल एवं पेस्टीसाइड की जांच में प्रयोग आने वाले उपकरण एवं अन्य संसाधनों हेतु 7.00 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं, जिसमें उपकरणों के क्रय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

जहाजपुर पंचायत समिति में मनरेगा के तहत जाबकार्ड जारी करने में अनियमितता

442. **श्री विट्‌ठल शंकर अवस्थी** (भीलवाड़ा) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बेई द्वारा मनरेगा के तहत एक ही व्यक्ति के नाम पर तीन-तीन जॉबकार्ड जारी करने एवं एक ही श्रमिक के नाम मस्टररोल में दो बार फर्जी भुगतान के सम्बन्ध में शिकायत की जांच विभाग द्वारा करवाने पर शिकायत सही पाई गई थी? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि अतिरिक्त आयुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर के पत्रांक 18 मार्च, 2014 द्वारा दोषियों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करवाने के लिये विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया है? यदि हां, तो उक्त पत्र की पालना में विभाग द्वारा दर्ज करवाई गई एफ.आई.आर. की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। शिकायत के सम्बन्ध में की गयी जांच की प्रति परिशिष्ट -अ पर संलग्न है। जांच रिपोर्ट के अनुरूप सम्बन्धित के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी है।

(2) जी हां। दर्ज एफ.आई.आर. की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

ग्रामीण हस्तशिल्पियों को स्वावलम्बी बनाने की योजना

443. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार खादी एवं ग्रामोद्योग के उत्पादों को बढ़ावा देकर ग्रामीण हस्तशिल्पियों को स्वावलम्बी बनाने के लिए कृत संकल्पित है? यदि हां, तो गत दो वर्षों में उक्त उत्पादों की बिक्री में कितना सुधार हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त उत्पादों का चलन जन सामान्य में बढ़ाने के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग मेलों का आयोजन करने का विचार रखती है?

(3) क्या सरकार उक्त मेलों में बिक्री को बढ़ावा देने के लिए अंकित मूल्यों पर विशेष छूट भी प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी?

(4) क्या सरकार खादी को बढ़ावा देने के लिए वर्ष में किसी एक विशिष्ट दिवस को खादी दिवस घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। गत दो वर्षों में खादी एवं ग्रामोद्योग के उत्पादों की बिक्री की स्थिति निम्न प्रकार है :-

वर्ष	खादी की बिक्री (लाखों में)	ग्रामोद्योग की बिक्री (करोड़ में)
2013-14	7,414.94	1,228.71
2014-15	6,652.58	1,350.04

(2) खादी के उत्पादों का चलन जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए राज्य में प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है। गत दो वर्षों में आयोजित प्रदर्शनियों का विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्ष	आयोजित प्रदर्शनियों की सं.	बिक्री लाख रु. में
2013-14	10	748.48
2014-15	07	684.27

(खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री)

(3) खादी की बिक्री को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से गांधी जयन्ती व नेहरू जयन्ती के अवसर पर खादी की बिक्री पर छूट प्रदान की जाती है।

(4) वर्तमान में इस बाबत कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपखण्ड व तहसील कार्यालयों में कार्मिकों के रिक्त पद

444. श्री रामचन्द्र (डग): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के उपखण्ड व तहसील कार्यालय में कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत हैं व उनमें से कितने पद रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में उपखण्ड व तहसील कार्यालयों में स्वीकृत नायब तहसीलदारों व अन्य पदों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत	रिक्त
1	नायब तहसीलदार उपखण्ड कार्यालयों में (सूची परिशिष्ट-1 संलग्न है)	287	266
2	नायब तहसीलदार तहसील में (सूची परिशिष्ट-2 संलग्न है)	488	180
3	तहसील राजस्व लेखाकार तहसील कार्यालयों में (सूची परिशिष्ट-3 संलग्न है)	438	311
4	भू-अभिलेख निरीक्षक (सूची परिशिष्ट -4 संलग्न है)	3963	1403
5	पटवारी (सूची परिशिष्ट-5 संलग्न है)	12223	4580
6	मंत्रालयिक सेवा संवर्ग उपखण्ड कार्यालयों में (सूची परिशिष्ट-6 संलग्न है)	1961	870
7	मंत्रालयिक सेवा संवर्ग तहसील कार्यालयों में (सूची परिशिष्ट-7 संलग्न है)	9443	4376

(राजस्व राज्य मंत्री)

(2) नायब तहसीलदार की वर्ष 2013-14 एवं आगे के वर्षों की डी पी सी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। पश्चात् वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक की डी पी सी के आयोजन किया जावेगा तथा सीधी भर्ती बैच संख्या 27 के प्रशिक्षु नायब तहसीलदारों के प्रशिक्षणोपरान्त नायब तहसीलदार के रिक्त पदों पर पदस्थापन की कार्यवाही की जावेगी।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा तहसील राजस्व लेखाकार के रिक्त पदों हेतु दिनांक 02.08.2015 को भर्ती परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। पात्र कार्मिकों के चयन के पश्चात् रिक्त पदों को भर दिया जावेगा।

राज्य में पटवारियों के 4,400 रिक्त पदों को भरे जाने हेतु राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा प्रथम चरण की सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है। सफल अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने पर पटवारियों के रिक्त पदों पर पदस्थापन किया जावेगा।

पटवारियों की डी पी सी की जाकर भू-अभिलेख निरीक्षक के रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है। शेष रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने हेतु राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को निर्देश दिये गये हैं।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

झुंझुनूं जिले में बालश्रम को रोकने हेतु टास्क फोर्स का गठन

445. श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में श्रमिकों के बच्चों के लिए "शिक्षा सहायता योजना" लागू की गई है? यदि हां, तो कब से और इसके अन्तर्गत कौन से श्रमिक एवं बच्चे आते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत तीन वर्षों में झुंझुनूं जिले में उक्त योजना के अन्तर्गत कितना बजट स्वीकृत किया गया तथा इसमें से किन-किन बच्चों को कितनी-कितनी राशि सहायता के रूप में उपलब्ध करवाई गई? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जिला स्तर पर बाल श्रम को रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है? यदि हां, तो झुंझुनूं जिले में टास्क फोर्स का गठन कब किया गया एवं इसमें कितने सदस्य हैं तथा गत

(श्री शुभकरण चौधरी)

तीन वर्षों में इनके द्वारा कौन-कौन से कार्य कहां-कहां किये गये हैं? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में झुंझुनूं जिले में बाल श्रमिकों की पहचान हेतु सर्वे करवाया गया है? यदि हां, तो कहां-कहां तथा कब-कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भवन एवं संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल राजस्थान द्वारा दिनांक 28.4.2011 को शिक्षा सहायता (छात्रवृत्ति) योजना अधिसूचित की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत मण्डल में हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिक आते हैं, जिनके कक्षा 6 से आगे तक की पढ़ाई करने वाले 2 बच्चों के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। शिक्षा सहायता (छात्रवृत्ति) योजना के अन्तर्गत देय छात्रवृत्ति को 8 गुना तक बढ़ाते हुए 1 जनवरी, 2016 से एकीकृत योजना, निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना लागू की गयी है।

(2) जिला कार्यालयों को मण्डल की विभिन्न योजनाओं के लिए अलग-अलग बजट आबंटित नहीं किया जाता, अपितु मण्डल द्वारा सभी योजनाओं के लिए योजना मद में इकट्ठी राशि आबंटित की जाती है। मण्डल द्वारा झुंझुनूं जिला कार्यालय को गत 3 वर्षों में सभी योजनाओं के लिए कुल 8,20,29,650/- राशि आबंटित की गयी। इसमें से शिक्षा सहायता (छात्रवृत्ति) योजना के अन्तर्गत बच्चों को उपलब्ध कराई गयी छात्रवृत्ति राशि का नाम सहित विवरण परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(3) जी हां। जिला स्तर पर बाल श्रम रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन दिनांक 11.9.2009 को किया गया था जिसमें 11 सदस्य थे (परिशिष्ट-"ख") तथा टास्क फोर्स का पुनर्गठन दिनांक 11.9.2014 को किया गया जिसमें 13 सदस्य हैं (परिशिष्ट-"ग")। टास्क फोर्स द्वारा 2 माह में एक बार बैठक का आयोजन कर बाल श्रम मुक्ति के सम्बन्ध में चर्चा की जाती है। विगत 3 वर्षों में टास्क फोर्स (मानव तस्करी विरोधी यूनिट) द्वारा वर्ष 2015-16 में एक बाल श्रमिक (मनोहर सिंह पुत्र श्री मोडसिंह, गुढागोडजी जिला झुंझुनूं से) को मुक्त कराया गया।

(4) विगत 3 वर्षों में सरकार द्वारा झुंझुनूं जिले में बाल श्रमिकों की पहचान हेतु कोई सर्वे नहीं कराया गया।

संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने अपने अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक एस-27025/9/2015-सीएल दिनांक 2.7.15

(श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री)

द्वारा सर्वे कराये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। सर्वे के सम्बन्ध में विभागीय क्रमांक एफ.16(9)बा.श्र./सर्वे/2015/18752 दिनांक 15.10.15 के माध्यम से भारत सरकार को पत्र लिखकर सर्वे के सम्बन्ध में मार्गदर्शन चाहा गया है जिसके प्राप्त होने पर तद्नुसार सर्वे की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी। (परिशिष्ट-"घ" व "य")

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

खैरवाड़ा में जनजाति विकास हेतु आबंटित बजट

446. श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में किस-किस योजना में कितनी-कितनी राशि स्वीकृत एवं व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त संचालित योजना में स्वीकृत राशि व्यय नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों तथा इसके क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में उक्त योजनान्तर्गत यथा समय कार्य सम्पादित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में सम्पर्क सड़क, पुलिया निर्माण, एनिकट, हैण्डपम्प, सामुदायिक भवन एवं जनजाति आश्रम छात्रावासों मे पेयजल सुविधा, क्षमता वृद्धि हेतु अतिरिक्त डोरमेट्री निर्माण, छात्रावास निर्माण एवं खेल सुविधाओं का विकास आदि कार्य करवाये गये, जिसकी सूची परिशिष्ट -अ पर संलग्न है।

(2) यह सही नहीं है कि उक्त संचालित योजना में स्वीकृत राशि व्यय नहीं की गई है। उक्त संचालित योजना में स्वीकृत राशि में से कार्यों की प्रगति के अनुसार राशि व्यय की गई है। व्यय की गई राशि की सूचना परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) बजट की उपलब्धता, स्थानीय आवश्यकता एवं प्रस्ताव प्राप्त होने पर अनुमत होने की दशा में कार्य स्वीकृत/संपादित कराए जायेंगे।

परिशिष्ट-अ

(राशि लाख रु. में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	वर्ष	मद	नाम स्थान	पंचायत समिति	स्वीकृति राशि	व्यय राशि	पूर्ण/ प्रगतिरत	Agency
1	हाई लेवल ब्रिज निर्माण संशोधित स्वीकृति	2013-14 2014-15	JKN	ऋषभदेव	ऋषभदेव	(135.77) 149.72	35.07	प्रगति पर	PWD
2	छात्रावासों में खेल सुविधा का विकास	201-15	275(i)	खेल छात्रावास खैरवाड़ा	खैरवाड़ा	5.38	2.72	पूर्ण	Swach
3	छात्रावासों में खेल सुविधा का विकास	2014-15	275(i)	आवासीय विद्यालय कागदर	खैरवाड़ा	5.38	5.38	पूर्ण	Swach
4	सड़क निर्माण	2014-15	SCA	बी.टी. रोड ढाणी से लालपुरिया ग्रा.पं.	सराडा	40.00	15.00	प्रगतिरत	PWD
5	छात्रावासों में छात्र क्षमता वृद्धि	2014-15	JKN	कनबई (बालिका)	खैरवाड़ा	50.00	36.41	पूर्ण	PWD
6	पेयजल सुविधा	2014-15	JKN	आवासीय विद्यालय कागदर खैरवाड़ा	खैरवाड़ा	7.70	7.55	पूर्ण	PHED
7	छात्रावासों में छात्र क्षमता वृद्धि	2014-15	JKN	आ.छा. सागवाड़ा की पाल (बालिका)	ऋषभदेव	50.00	38.00	पूर्ण	PWD

क्र. सं.	कार्य का नाम	वर्ष	मद	नाम स्थान	पंचायत समिति	स्वीकृति राशि	व्यय राशि	पूर्ण/ प्रगतिरत	Agency
8	हैण्डपम्पा(स्थापना	2014-15	275(i)	30 हैण्डपम्प स्थापना	खैरवाड़ा	18.00		प्रगतिरत	PHED
9	छात्रावास निर्माण	2014-15	275(i)	बरौठी भिलान गोहावाडा	खैरवाड़ा	260.00	24.88	प्रगतिरत	RSAMB
10	सामुदायिक भवन	2015-16	275(i)	जनजाति खेल छात्रावास खैरवाड़ा	खेरवाड़ा	20.00	7.75	प्रगतिरत	Swach
11	डायनिंग हॉल निर्माण	2015-16	275(i)	आ.छा. ऋषभदेव (बालिका)	ऋषभदेव	20.00		निविदा प्रक्रियाधीन	Swach
12	डायनिंग हॉल निर्माण	2015-16	275(i)	आ.छा. पाटिया (बालक)	खैरवाड़ा	14.00		निविदा प्रक्रियाधीन	Swach
13	आश्रम छात्रावास, पाटीया का मरम्मत कार्य	2015-16	275(i)	आ.छा. पाटिया (बालक)	खैरवाड़ा	27.68	12.07	प्रगतिरत	PWD
					TOTAL	**667.86**	**184.83**		

ह.

अधिशासी अभियंता,

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,

उदयपुर

अतारांकित प्रश्नोत्तर

डूंगरपुर जिले के गांवों में सिंचाई हेतु लिफ्ट सिंचाई परियोजना

576. **श्री देवेन्द्र कटारा** (डूंगरपुर): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) डूंगरपुर जिले की ग्राम पंचायत भटवाड़ा, पीपलादा, रोहनवाड़ा व मेताली सोम नदी के किनारे स्थित होने के उपरान्त भी लिफ्ट सिंचाई परियोजना के अभाव में उक्त पंचायतों के ग्रामीणों को मौसमी खेती पर निर्भर रहना पड़ता है?

(2) क्या सरकार ग्राम पंचायत भटवाड़ा के गांव सटोड़ा, खुमाणपुरा, नया गांव, फराश, ग्राम पंचायत पीपलादा के गांव पीपलादा एवं ग्राम पंचायत मेताली के गांव डचकी, रोहनवाड़ा पंचायत के गांव रोहनवाड़ा एवं कोलरा में लिफ्ट सिंचाई परियोजना का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि जनजाति बहुल क्षेत्रों में कुछ क्षेत्र में गांव नदियों के किनारे स्थित होने के बावजूद भी लिफ्ट सिंचाई की सुविधा नही होने से कृषकों को मौसमी खेती पर निर्भर रहना पड़ता है।

अनुसूचित जनजाति, बी.पी.एल. परिवारों को नदी, नालों एवं कुओं से पानी लिफ्ट कर खेती करने हेतु विभाग द्वारा व्यक्तिगत कृषि वियुत कनेक्शन हेतु अधिकतम राशि 10,000/- रू. एवं इलेक्ट्रिक पंप सेट मय एसेसरीज हेतु अधिकतम राशि 15,000/- रु. की सहायता देय है।

(2) आगामी वर्ष में राशि प्राप्त होने पर राशि की उपलब्धता एवं परियोजना की उपादेयता के आधार पर कार्य स्वीकृत किये जावेंगे।

चौरासी में स्वच्छ परियोजना के तहत कराये गये कार्य

577. **श्री सुशील कटारा** (चौरासी): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र चौरासी में वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 तक स्वच्छ परियोजना में क्या-क्या कार्य स्वीकृत किये गये? किये गये कार्यों की मय राशि सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री सुशील कटारा)

(2) आगामी वर्ष 2016 में विधान सभा क्षेत्र चौरासी में क्या-क्या कार्यों के प्रस्ताव प्रस्तावित हैं? कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में स्वच्छ परियोजना से लिफ्ट योजना के कितने प्रस्ताव प्रस्तावित हैं? कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा स्वच्छ परियोजना के माध्यम से किये जाने वाले स्वीकृत कार्यों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-अ पर है।

(2) आगामी वर्ष में राशि प्राप्त होने पर तद्‌नुसार कार्य स्वीकृत किये जाएंगे।

(3) विधान सभा क्षेत्र चौरासी में 12 लिफ्ट के प्रस्ताव स्वच्छ परियोजना से प्राप्त हुए हैं। सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। उक्त लिफ्टों के कार्य हेतु प्राप्त उपलब्ध बजट अनुसार परीक्षण के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

परिशिष्ट-अ

वर्ष 2013 व वर्ष 2014-15 में विधान सभा क्षेत्र चौरासी में स्वीकृत कार्यों का विवरण

बिन्दु 1	A	वर्ष 2013-14 में स्वीकृत कार्य :-	स्वीकृत राशि (लाखों में)
	(1)	मां-बाड़ी केन्द्रों का निर्माण कुल 16 No.	79.40
	1.	बरबोटफला ग्रा.पं. कुंआ	
	2.	तालाबफला ग्रा.पं. धोधरा	
	3.	नवाघराफला ग्रा.पं. माण्डली	
	4.	गुलाबपुरा ग्रा.पं. रास्ता	
	5.	हड़मतियाफला ग्रा.पं. रास्ता	
	6.	गोहियालाफला ग्रा.पं. झलाप	
	7.	लिमड़ाफला ग्रा.पं. झलाप	
	8.	तलईयाफला ग्रा.पं. चारवाड़ा	
	9.	बिजुडाफला ग्रा.पं. चारवाड़ा	

बिन्दु 1	A	वर्ष 2013-14 में स्वीकृत कार्य :-	स्वीकृत राशि (लाखों में)
	10.	उपलाफला ग्रा.पं. रेंटा	
	11.	कुवेडीफला ग्रा.पं. गन्धवा	
	12.	कानेलाफला ग्रा.पं. बेड़ा	
	13.	भूनालो की घांटी ग्रा.पं. सांसरपुर	
	14.	अधेरीनाल ग्रा.पं. माल	
	15.	अरजी भगत की धूणी गा.प. सुराता	
	16.	बेडीयाफला ग्रा.पं. माल	
	(2)	**जनजाति आश्रम छात्रावासों का मरम्मत कार्य – कुल 10 No.**	**56.15**
	1.	जन.आ.छा. मालचौकी	7.00
	2.	जन.आ.छा. बड़गामा	6.20
	3.	जन.आ.छा. बालक सीमलवाड़ा	6.75
	4.	जन.आ.छा. बालिका सीमलवाड़ा	1.53
	5.	जन.आ.छा. पीठ	6.00
	6.	जन.आ.छा. डूंका	7.20
	7.	जन.आ.छा. झलाप	6.36
	8.	जन.आ.छा. रास्तापाल	6.75
	9.	जन.आ.छा. बालिका चिखली	4.25
	10.	जन. आवासीय छात्रावास सीमलवाड़ा	4.11
	B	**वर्ष 2014-15 में स्वीकृत कार्य :-**	
	(1)	**मां-बाड़ी केन्द्रों का निर्माण–कुल 15 No.**	**71.90**
	1.	आकलियाफला ग्रा.पं. गन्धवा	
	2.	नाकाफला ग्रा.पं. गैंजी	
	3.	हांदाफला ग्रा.पं. बलवनिया	
	4.	मोडीयाफला ग्रा.पं. झौथरी	
	5.	दराफला ग्रा.पं. बैड़ा	
	6.	तालाबफला ग्रा.पं. झौथरी	
	7.	मसाविया ग्रा.पं. पोहरीखातुरात	
	8.	दरलाफला ग्रा.पं. धनगांव	

बिन्दु 1	A	वर्ष 2013-14 में स्वीकृत कार्य :-	स्वीकृत राशि (लाखों में)
	9.	रोतफला ग्रा.पं. झलाप	
	10.	ओड़ा ग्रा.पं. झलाप	
	11.	आमलीयाफला ग्रा.पं. झलाप	
	12.	डूंगर ग्रा.प. डूंगर	
	13.	मह्डीपाड़ा ग्रा.पं. अम्बाड़ा	
	14.	हड़मतफला ग्रा.पं. घुवेड़	
	15.	राणाकला ग्रा.पं. कुंआ	
	(2)	**जनजाति आश्रम छात्रावासों में शौचालय ब्लॉक एवं बाउण्ड्री वॉल की ऊंचाई बढ़ाने-कुल 2 No.**	**16.36**
	1.	कन्या सीमलवाड़ा	10.91
	2.	कन्या बासीया	5.45
	(3)	**बंद सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाएं-कुल 10 No.**	**115.19**
	1.	खाण्डेश्वर साकरसी पं.सं. सीमलवाड़ा	
	2.	रास्ता पं.स. सीमलवाड़ा	
	3.	गोरादा पं.स. दोवड़ा	
	4.	बावड़ी I पं.सं. चिखली	
	5.	बावड़ी II पं.स. चिखली	
	6.	मालीफला बेडूवा पं.स. चिखली	
	7.	धारफलादाद घाटफला पं.स. गलियाकोट	
	8.	गुन्दलपुरा पं.स. चिखली	
	9.	गैंजी (लाडसौर) पं.स. डूंगरपुर	
	10.	अन्नपुरा पं.स. सीमलवाड़ा	

परिशिष्ट-ब

विधान सभा क्षेत्र चौरासी में स्वच्छ परियोजना द्वारा किये गये लिफ्ट का सर्वे

बिन्दु		विधान सभा क्षेत्र चौरासी में स्वच्छ परियोजना से लिफ्ट के कुल 12 प्रस्ताव प्रस्तावित हैं
	1	उबाराणा ग्रा.पं. मालाखालडा
	2	रामसौर बड़ा ग्रा.पं. समसौर जुना
	3	ढूंढरिया ग्रा.पं. पुनावाडा
	4	बांकडा ग्रा.पं. बांकडा
	5	पुनावाडा ग्रा.पं. पुनावाडा
	6	खिरखाईया ग्रा.पं. जोरावरपुरा
	7	मसाणीयाफला ग्रा.पं. पोहरीखातुरात
	8	घोडाखरा ग्रा.पं. पोहरी खातुरात
	9	रास्तापाल नागेश्वरीमाता ग्रा.पं.
	10	चकचडयाला नई बस्ती ग्रा.पं. बडगामा
	11	वादीफला नई बस्ती ग्रा.पं. बडगामा
	12	यादवफला ग्रा.पं. बडगामा

ऊंटों की प्रदेश से बाहर बिक्री पर रोक हटाने की योजना

578. **श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में ऊंट को राज्य पशु घोषित किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार ऊंट पालकों को ऊंटों के संरक्षण के लिये कोई सहायता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या?

(2) क्या ऊंटों को राज्य पशु घोषित करने के बाद इनके राज्य से बाहर बिक्री पर रोक लगाई गई है? यदि हां, तो क्या इससे ऊंटों की बिक्री दर

(श्री केसाराम चौधरी)

घट गई है? यदि हां, तो क्या सरकार राज्य के बाहर ऊंटों की बिक्री पर लगी रोक हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या ऊंटों को राज्य पशु घोषित करने के बाद उनके चरागाह के लिए किसी तरह की भूमि अथवा वन क्षेत्र में उनके चरने के लिए प्रदेश में भूमि को आरक्षित किया गया है? यदि हां, तो कहां-कहां किस किस्म की और कितनी भूमि का आरक्षण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में ऊंटों के संरक्षण के लिए सर्रा (तिबरसा) रोग सर्वेक्षण एवं उपचार कार्यक्रम संचालित है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के प्रस्तावित कार्यक्रम :-

1. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत ऊंटों में प्रजनन को प्रोत्साहन दिये जाने, ऊंट पालकों के प्रशिक्षण एवं रोग नियंत्रण के लिए ऊष्ट्र विकास योजना; एवं
2. नेशनल लाइवस्टॉक मिशन अन्तर्गत रिस्क मैनेजमेंट कार्यक्रम में भामाशाह पशु बीमा योजना के अन्तर्गत ऊंट बीमा योजना।

(2) जी नहीं। वर्तमान में ऊंटों को कृषि कार्य के लिए राज्य से बाहर विक्रय पर कोई रोक नहीं है।

(3) जी नहीं।

पलसाना (सीकर) दूध डेयरी में संकलित दूध

579. श्री गोरधन (धोद): क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सीकर जिले में कितनी दूध डेयरियां संचालित हैं व पलसाना दूध डेयरी में प्रतिदिन कितना दूध किन-किन गांवों से प्राप्त होता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दूध को किस दर पर खरीदा जाता है तथा कहां किस दर पर बेचा जाता है व इसके परिवहन के लिए किसको किस आधार पर नियुक्त किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सीकर जिले में सहकारी क्षेत्र के अधीन सीकर-झुन्झुनूं जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. पलसाना में संचालित है। संघ कार्यक्षेत्रान्तर्गत सीकर एवं झुन्झुनूं जिले सम्मिलित हैं, जिसमें सीकर जिले में 361 एवं झुन्झुनूं जिले में 59 समितियां संचालित हैं। (माह फरवरी, 2016)

पलसाना डेयरी में माह फरवरी, 2016 में 420 गांवों से औसतन लगभग 1.06 लाख किलोग्राम प्रतिदिन दुग्ध संकलित किया गया। गांवों की सूची प्रदर्श-क पर संलग्न है।

(2) सीकर-झुन्झुनूं जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., पलसाना द्वारा वर्तमान में दुग्ध 3.5 प्रतिशत फैट से 6.0 प्रतिशत फैट तक का रुपये 300/ प्रति किग्रा फैट+रुपये 10.50 प्रति किग्रा अतिरिक्त एवं 6.1 प्रतिशत फैट से 10 प्रतिशत फैट तक का रुपये 475/ प्रति किलोग्राम फैट की दर से क्रय किया जा रहा है।

सीकर-झुन्झुनूं जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., पलसाना द्वारा संघ कार्यक्षेत्र अन्तर्गत सम्मिलित दोनों जिलों के विभिन्न कस्बों, तहसील, गांवों आदि में अधिकृत शॉप एजेन्सीज/बूथ के माध्यम से आम उपभोक्ताओं को विभिन्न किस्मों का सरस पोलीपैक दुग्ध निम्न दरों पर उपलब्ध करवाया जा रहा है :-

क्र.सं.	किस्म	अधिकतम खुदरा मूल्य (रुपये प्रति लीटर में)
1	डबल टोण्ड दुग्ध	32.00
2	टोण्ड दुग्ध	36.00
3	स्टेण्डर्ड दुग्ध	42.00
4	गोल्ड दुग्ध	46.00

सीकर-झुन्झुनूं जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., पलसाना द्वारा दुग्ध परिवहन हेतु निर्धारित प्रक्रियानुसार निविदाएं आमंत्रित कर परिवहन अनुबन्धक की नियुक्ति की जाती है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

मुहाना फल सब्जी मण्डी में दुकानों का आबंटन

580. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी (फल सब्जी) द्वारा वर्ष 2008 में कृषि उपज मण्डी में व्यापार करने की स्थायी अनुज्ञप्ति धारकों को मुहाना मण्डी में दुकान आबंटन हेतु आवेदन मांगे गये थे? यदि हां, तो प्राप्त आवेदनों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) आवेदनकर्ताओं में से कितनों को दुकानें आबंटन की गयीं व कितनों को नहीं? शेष आवेदनकर्ताओं को दुकानें आबंटन नहीं करने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार शेष आवेदनकर्ताओं को दुकानें आबंटन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। आवेदनकर्ता की सूची परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) कुल 739 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 690 आवेदनकर्ताओं को भूखण्ड का आबंटन किया गया। 690 आवटियों की सूची परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है। अचल सम्पति आबंटन नीति 2005 में निहित मापदण्डों एवं आबंटन प्रक्रिया की पूर्ति नहीं करने के कारण 49 आवेदक फर्मों को आबंटन नहीं किया गया। उक्त 49 आवेदक फर्मों को भूखण्ड के आबंटन नहीं करने के कारणों सहित फर्मों की सूची परिशिष्ट 'स' पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं। अचल सम्पत्ति आबंटन नीति 2005 में निरस्त किये गये आवेदन पत्रों पर आबंटन हेतु पुन: विचार करने का प्रावधान एवं दिशा-निर्देश नहीं होने के कारण शेष रहे आवेदनकर्ताओं को आबंटन किये जाने का कोई विचार नहीं है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

आमेर में फव्वारा सिंचाई योजनान्तर्गत अनुदान

581. श्री नवीन पिलानिया (आमेर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार वर्तमान में फव्वारा सिंचाई योजना में किसानों को अनुदान दे रही है? यदि हां, तो कितना-कितना प्रतिशत अनुदान वर्तमान में

(श्री नवीन पिलानिया)

दिया जा रहा है और इसके क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? क्या इसमें अनुदान की राशि पूर्णतः राज्य सरकार वहन कर रही है या इसमें केन्द्र सरकार भी सहयोग करती है? यदि हां, तो कितने प्रतिशत करती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना के तहत पहले किसानों को ज्यादा अनुदान राशि दी जाती थी? यदि हां, तो वह किस-किस किसान के लिए कितनी-कितनी और अब इसमें कमी करने के क्या कारण हैं?

(3) वर्ष 2013 से 31 जनवरी, 2016 तक उक्त योजना के तहत विधान सभा क्षेत्र आमेर में ग्रामवार कितने-कितने लोगों को कितनी-कितनी राशि दी गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में कृषि विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन व गेहूं के अन्तर्गत एवं उद्यान विभाग द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत फव्वारा सिंचाई योजना में किसानों को अनुदान दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में फव्वारा संयंत्र की लागत का 50 प्रतिशत अथवा राशि रुपये 10,000/- प्रति है., जो भी कम हो, अनुदान देय है। राष्ट्रीय मिशन आन आयल सीड्स एवं आयल पाम (एन.एम.ओ.ओ.पी) अन्तर्गत तिलहनी फसलों एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत उद्यानिकी फसलों हेतु, डीपीएपी/डीडीपी क्षेत्र के लघु एवं सीमान्त कृषकों को इकाई लागत का 60 प्रतिशत एवं सामान्य कृषकों को 45 प्रतिशत अनुदान देय है। नान डीडीपी एवं नान डीपीएपी क्षेत्र के लघु एवं सीमान्त कृषकों को इकाई लागत का 45 प्रतिशत एवं सामान्य कृषकों को 35 प्रतिशत अनुदान देय है।

योजनान्तर्गत देय अनुदान की राशि का 60 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार द्वारा एवं शेष 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है।

(2) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गेहूं व दलहन में पूर्व के अनुसार ही अनुदान राशि दी जा रही है।

वर्ष 2015-16 में संचालित राष्ट्रीय मिशन आन आयल सीड्स एवं

(कृषि मंत्री)

आयल पाम (एन.एम.ओ.ओ.पी) योजना में फव्वारा सिंचाई संयंत्र के क्रय पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत उद्यान विभाग द्वारा निर्धारित अनुदान के अनुरूप राशि देय है।

जी हां। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 के दौरान डीपीएपी/डीडीपी क्षेत्र के लघु सीमान्त कृषकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित इकाई लागत का 60 प्रतिशत एवं अन्य को 50 प्रतिशत अनुदान राशि दी जाती थी। भारत सरकार द्वारा केन्द्रीयांश एवं राज्यांश का फण्डिंग पैटर्न गत वर्ष 75:25 के स्थान पर इस वर्ष 60:40 कर दिये जाने के कारण अनुदान में कमी आई है।

(3) वर्ष 2013 से लेकर अब तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं एन. एम.ओ.ओ.पी. योजना तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत फव्वारा सिंचाई संयंत्र पर आमेर विधान सभा क्षेत्र में ग्रामवार लाभान्वित कृषकों की कृषि विभाग की सूची मय अनुदान राशि परिशिष्ट-1 पर एवं उद्यान विभाग द्वारा लाभान्वित कृषकों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

मौसम आधारित फसल बीमा योजना के प्रीमियम में संशोधन

582. **श्री ललित कुमार** (किशनगंज): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मौसम आधारित फसल बीमा योजना का प्रीमियम गत पांच वर्षों में क्या था तथा वर्तमान में इसमें क्या संशोधन किया गया है? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें?

(2) क्या उक्त योजना में मौसम के तापमान में भी कोई संशोधन किया गया है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) फसल बीमा योजनाएं भारत सरकार की योजनाएं हैं, जिनका क्रियान्वयन भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार ही किया जाता है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा खरीफ एवं रबी तथा वाणिज्यिक फसलों की क्रमशः 10 प्रतिशत, 8 प्रतिशत व 12 प्रतिशत प्रीमियम दरें निर्धारित की हुई हैं, जिनके अनुरूप ही कृषकों से अधिकतम क्रमशः 5 प्रतिशत, 4.8 प्रतिशत व 6 प्रतिशत प्रीमियम

(कृषि मंत्री)

राशि ली गयी है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा राज्य में चल रही फसल बीमा योजना में आ रही विसंगतियों को दूर कर खरीफ 2016 से नई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें कृषक प्रीमियम को बहुत ही कम करते हुए, खरीफ व रबी मौसम में क्रमश: 2 व 1.5 प्रतिशत तथा वाणिज्यिक व उद्यानिकी फसलों हेतु 5 प्रतिशत रखी गई है, जिससे कृषकों को कम प्रीमियम पर अधिक राशि का बीमा होगा एवं कृषकों को अधिक बीमा क्लेम मिल सकेंगे।

(2) मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2014-15 में कृषक हित में मौसम के तापमान में किए गए संशोधन का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। वर्ष 2015-16 में मौसम के तापमान में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

परिशिष्ट-1

वर्ष 2014-15 में मौसम के तापमान में किए गए संशोधन का विवरण

क्र. सं.	नाम जिला	नाम फसल	अवधि	मौसम के तापमान में किया गया संशोधन
1	उदयपुर	जौ	1 जनवरी से 15 जनवरी	24 डिग्री सैल्सियस को 23.5 डिग्री सैल्सियस किया गया
2	बांसवाड़ा	जौ	1 जनवरी से 15 जनवरी	26 डिग्री सैल्सियस को 25.5 डिग्री सैल्सियस किया गया
3	अलवर	सरसों	16 दिसम्बर से 28 फरवरी	0.7 डिग्री सैल्सियस को 1.0 डिग्री सैल्सियस किया गया
4	भरतपुर	सरसों	16 दिसम्बर से 28 फरवरी	1.1 डिग्री सैल्सियस को 1.5 डिग्री सैल्सियस किया गया
5	भरतपुर	गेहूं	1 फरवरी से 14 फरवरी	24 डिग्री सैल्सियस को 23.5 डिग्री सैल्सियस किया गया
6	बांसवाड़ा	गेहूं	1 जनवरी से 15 जनवरी	26 डिग्री सैल्सियस को 25.5 डिग्री सैल्सियस किया गया

पशु नस्ल सुधार हेतु संचालित योजनाएं

583. **श्री विद्याशंकर नन्दवाना** (पीपल्दा): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

(1) प्रदेश में पशुधन को बढ़ाने एवं संरक्षण हेतु कौन-कौनसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा प्रदेश में पशु नस्ल सुधार हेतु कौन-कौनसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) कोटा जिले में गत तीन वर्षों में पशु नस्ल सुधार हेतु सरकार द्वारा कब-कब शिविर लगाये गये और उक्त शिविरों में कितने पशुओं को लाभान्वित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पशुपालन विभाग द्वारा प्रदेश में पशुधन को बढ़ाने एवं संरक्षण हेतु निम्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं:-

1. पशुधन आरोग्य नि:शुल्क दवा योजना
2. जिला पशुधन आरोग्य चल इकाई
3. हिमकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान योजना
4. गौशालाओं में सघन बांझपन निवारण शिविरों का आयोजन
5. विभिन्न संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतु टीकाकरण
6. बछड़ी/पाड़ी दुग्ध प्रतियोगिता
7. दो दिवसीय व छह दिवसीय पशुपालक प्रशिक्षण शिविर
8. पशुधन सेवा केन्द्र
9. उत्तम नस्ल के नन्दी वितरण योजना
10. काल सेन्टर के माध्यम से पशु चिकित्सा सेवा योजना
11. बकरी पालन योजना
12. कुक्कुट विकास कार्यक्रम-बैकयार्ड कुक्कुट पालन योजना

(2) पशुपालन विभाग द्वारा पशु नस्ल सुधार हेतु कृत्रिम गर्भाधान, उन्नत नस्ल साण्ड वितरण योजना, नकारा पशुओं का बधियाकरण एवं पशुपालकों के उन्नत नस्ल के साण्ड चिह्नीकरण योजना संचालित की जा रही है।

(3) कोटा जिले में गत तीन वर्षों में पशु नस्ल सुधार हेतु लगाये गये बांझ शिविरों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। इन शिविरों के माध्यम से 8,505 पशुओं को लाभान्वित किया गया है।

परिशिष्ट-1

कोटा जिले में गत तीन वर्षों में नस्ल सुधार हेतु लगाये गये शिविरों का विवरण शिविरों की सूची वर्ष 2013-14

RKVY सामान्य : गौशाला शिविर :

क्र.सं.	स्थान	दिनांक	क्र.सं.	स्थान	दिनांक
1	जाखडोन्द	05.12.2013	1	श्री राणारामपुरी गौशाला खीमच	03.10.2013
2	मोरूकला	03.12.2013	2	श्री मथूरेश गौशाला, बन्धाधर्मपुरा	03.10.2013
3	खेडारसुलपुर	03.12.2013	3	श्री गायत्री गौशाला, लटूरी	03.10.2013
4	बन्धा	09.12.2013	4	श्री गोपाल गौशाला, सुल्तानपुर	03.10.2013
5	पोलाईकला	03.12.2013		RKVY अनुसूचित जाति	
6	उदयपुरिया	12.12.2013	1	चेनपुरा	03.01.2014
7	खेरूला	03.12.2013	2	ताथेड़	06.01.2014
8	खड़ीया	05.12.2013	3	खेड़ली कालीया	03.01.2014
9	झालरी	05.12.2013	4	चन्द्रवला	08.01.2014
10	धुलेट	05.12.2013	5	भुनेन	06.01.2014
11	रामपुरिया	05.05.2013	6	देवपुरा	10.01.2014
12	जोरावरपुरा	09.12.2013	7	खेडली	04.01.2014
13	धनवा	05.05.2013	8	झोपड़ीया	04.01.2014
14	अयानी	05.12.2013	9	कोटड़ा	06.01.2014
15	बम्बूलिया	03.12.2013	10	मुईखुर्द	03.01.2014
पशु चिकित्सालय स्तर पर			11	पानाहेड़ा	06.01.2014
1	केथून	01.02.2014	12	गणेशपुरा	03.01.2014
2	ताथेड	02.02.2014	13	मियाणा	01.01.2014
3	सुल्तानपुर	03.02.2014	14	लक्ष्मीपुरा	13.01.2014
4	निमोदा हरिजी	04.02.2014	15	डूगरली	15.01.2014
5	बड़ोद	05.02.2014	16	ठीकरदा	08.01.2014

क्र.सं.	स्थान	दिनांक	क्र.सं.	स्थान	दिनांक
6	दिगोद	06.02.2014	17	दुर्जपुरा	17.01.2014
7	सीमलीया	07.02.2014	18	सुमेरनगर	10.02.2014
8	आवां	08.02.2014	19	बोरदा	10.02.2014
9	मोईकलां	09.02.2014	20	सालेडा कला	06.01.2014
10	सांगोद	10.02.2014			
11	कनवास	11.02.2014			
12	अयाना	12.02.2014			
13	निमोला	13.02.2014			
14	इटावा	14.02.2015			
15	पीपल्दा	15.02.2014			
16	रामपुरिया धाबाई	16.02.2014			
17	चेचट	17.02.2014			
18	सुकेत	18.02.2014			
19	सनवानपुरा	19.02.2014			
20	उड़वा	20.02.2014			

शिविरों की सूची वर्ष 2014-15

RKVY सामान्य : **गौशाला शिविर :**

क्र.सं.	स्थान	दिनांक	क्र.सं.	स्थान	दिनांक
1	जाखोडा	24.11.2014	1	श्री कृष्ण मुरारी गौशाला, कोटा	24.11.2014
2	उमरदा	24.11.2014	2	श्री मथूरेश गौशाला, बन्धाधर्मपुरा	24.11.2014
3	डूगरज्या	26.11.2014	3	श्री गायत्री गौशाला, लटूरी	24.11.2014
4	खेड़ली	24.11.2014	4	श्री गोपाल गौशाला, सुल्तानपुर	24.11.2014
5	डाबरा	26.11.2014		अनुसूचित जाति शिविर	

क्र.सं.	स्थान	दिनांक	क्र.सं.	स्थान	दिनांक
6	बंधावदा	28.11.2014	1	मुडला	02.02.2015
7	मोरपा	28.11.2014	2	कंवरपुरा	02.02.2015
8	बाछीहेडा	24.11.2014	3	हरिपुरा	04.02.2015
9	किशोरपुरा	24.11.2014	4	रेलगांव	02.02.2015
10	काल्याकुई	26.11.2014	5	उम्मेदपुरा	04.02.2015
11	जालिमपुरा	26.11.2014	6	झालरी	02.02.2015
12	राजोपा	24.11.2014	7	खेड़ी	04.02.2015
13	गणेशपुरा	24.11.2014	8	किशनपुरा	02.02.2015
14	जटवाड़ा	26.11.2014	9	मकड़ावदा	04.02.2015
15	केथूदा	28.11.2014	10	हनुमन्त खेड़ा	02.02.2015
			11	लबानियां	04.02.2015
			12	कोटड़ा	06.02.2015
			13	प्रेमपुरा	02.02.2015
			14	गणेशगंज	04.02.2015
			15	ख्यावदा	06.02.2015
			16	झोपड़िया	04.02.2015
			17	बीसनपुर	06.02.2015
			18	न्यामतखेड़ी	02.02.2015
			19	पीपाखेड़ी	04.02.2015
			20	ढाक्या	06.02.2015
			21	रीछा	05.01.2015
			22	भीमपुरा	06.01.2015
			23	उम्मेदपुरा	09.01.2015

शिविरों की सूची वर्ष 2014-16

अनुसूचित जाति शिविर-24　　**गौशाला शिविर-4**

क्र.सं.	स्थान	दिनांक	क्र.सं.	स्थान	दिनांक
1	भीमपुरा	09.10.2015	1	श्री कल्याण गौशाला जालीमपुरा	15.10.2015

क्र.सं.	स्थान	दिनांक	क्र.सं.	स्थान	दिनांक
2	छोटी बोरखण्डी	11.09.2015	2	बद्री विशाल गौशाला आवां	19.10.2016
3	मूडंला	08.10.2015	3	गोपाल गौशाला मेलखेड़ी	15.10.20165
4	गिरधरपुरा	16.09.2015	4	गायत्री देवी गौशाला लटूरी	15.10.2015
5	खेड़ली	09.09.2016		RKVY सामान्य :- 15	
6	ठम्मेदपुरा	26.09.2015	1	चन्द्रेशल	15.10.2015
7	खेड़ली काल्या	10.09.2015	2	जाखोड़ा	15.10.2015
8	ठम्मेदपुरा (बड़ौद)	16.10.2016	3	लखावा	19.10.2015
9	हरिपुरा	17.10.2015	4	सोली	15.10.2015
10	किशनगंज	11.09.2015	5	हनौतिया	19.10.2015
11	दिगोद (सांगोद)	17.10.2015	6	खेरूला	19.10.2015
12	कोटड़ा	16.10.2015	7	जाखरोन्द	15.10.2015
13	हनुवंतखेडा	14.09.2015	8	काटसुआ	16.10.2015
14	थेहरोली	11.09.2015	9	घटाल	16.10.2015
15	आनन्दपुरा	10.09.2015	10	मालीहेड़ा	19.10.2015
16	पीसाहेडा	11.09.2015	11	लवानिया	16.10.2015
17	झालरी	14.09.2015	12	हिंगोनिया	16.10.2015
18	ढोटी	14.09.2015	13	रजोपा	15.10.2015
19	गुमानपुरा	11.09.2015	14	श्रीपुरा	19.10.2015
20	अमरपुरा	09.09.2015	15	निमाणा	19.10.2015
21	किशनपुरा	14.09.2015			
22	मंडा	09.09.2015			
23	फाणदा	11.09.2015			
24	ठण्ड़वा	10.10.2015			

बीकानेर सम्भाग में खेल स्टेडियम निर्माण हेतु आबंटित बजट

584. **श्रीमती कामिनी जिन्दल** (गंगानगर): क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश की प्रत्येक पंचायत समिति में 2 करोड़ की लागत से स्टेडियम का निर्माण करवाये जाने की घोषणा की गई है? यदि हां, तो कब तथा बीकानेर सम्भाग में कितनी पंचायत समितियों में स्टेडियम निर्माण हेतु बजट स्वीकृत किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। भारत सरकार की केन्द्रीय प्रवर्तित योजना राजीव गांधी खेल अभियान के अन्तर्गत आगामी पांच वर्षों में राज्य के समस्त ब्लाक मुख्यालयों पर इंडोर एवं आउटडोर खेल मैदानों का निर्माण कराये जाने की योजना है। ग्राम पंचायतों में खेल मैदान का निर्माण मनरेगा योजना के अन्तर्गत किये जाने का प्रावधान है।

सेड़वा (बाड़मेर) में नमक का उत्पादन

585. **श्री कैलाश चौधरी** (बायतू): क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर के सेड़वा में नमक उत्पादन के लिए जमीन उपयुक्त पायी गई है?

(2) क्या सरकार उक्त जमीन को नमक उत्पादन के लिए विकसित करने हेतु लीज पर देने पर विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। सीमांकन/पत्थरगढ़ी के बाद राजस्थान भू-राजस्व (लवण क्षेत्रों में भूमि आबंटन) नियम 2007 के अनुसार उक्त भूमि का आबंटन नमक उत्पादन के लिए किया जाकर लीज पर दिये जाने का प्रावधान है।

सी.एस.आर. के तहत विभिन्न कार्यों पर उद्योगों द्वारा व्यय राशि

586. **श्री रतन लाल जलधारी** (सीकर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री रतन लाल जलधारी)

(1) क्या सरकार द्वारा सुराज संकल्प पत्र में बेरोजगार युवकों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो, क्या सरकार उक्त योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) प्रदेश में सी.एस.आर. के अन्तर्गत किन-किन उपक्रमों द्वारा किन-किन कार्यों पर कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित जिन सामाजिक सरोकार गतिविधियों के तहत व्यय की गई राशि सी.एस.आर. के अन्तर्गत मान्य है, वे भारत सरकार के संलग्न राजपत्र परिशिष्ट-1 में उल्लिखित हैं।

जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य के विभिन्न उपक्रमों द्वारा संलग्न परिशिष्ट-2 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2013-14 में कुल 26,554.15 लाख रुपये, वर्ष 2014-15 में कुल 31,752.46 लाख रुपये एवं वर्ष 2015-16 में कुल 15,810.24 लाख रुपये सी.एस.आर. गतिविधियों के अन्तर्गत व्यय किये गये हैं।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

रोडवेज के भूतपूर्व कर्मचारी के निधन होने पर आश्रितों को पास सुविधा

587. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के भूतपूर्व कर्मचारी के निधन होने पर उनकी पत्नी/पति को निगम की बसों में यात्रा हेतु निःशुल्क पास प्रदान किये जाते हैं? यदि हां, तो कितने व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार निगम के भूतपूर्व कर्मचारियों के निधन होने पर पति/पत्नी को मानवीय आधारों पर निःशुल्क पास सुविधा प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के भूतपूर्व कर्मचारी के निधन होने पर उनकी पत्नी/ पति को निगम की बसों में यात्रा पास की सुविधा प्रदान नहीं की जाती है।

निगम में कार्यरत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मृत्यु पश्चात यात्रा पास की सुविधा के सम्बन्ध में निगम संचालक मण्डल के निर्णय संख्या 16/2016 दिनांक 26.02.2016 के द्वारा उक्त सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव को निगम मण्डल द्वारा विचार-विमर्श उपरान्त निरस्त करने का निर्णय लिया गया है।

(2) प्रश्न का उत्तर खण्ड "1" में दिया जा चुका है।

निवाई-बौंली सड़क के विस्तार हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा

588. श्री राजेन्द्र गुर्जर (देवली-उनियारा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) निवाई-बौंली की सड़क का विस्तार व चौड़ाई का कार्य कब हुआ? उक्त सड़क के विस्तार हेतु किन-किन काश्तकारों की भूमि एवं कौन-कौनसी खसरा नं. की भूमि अवाप्त की गई? क्या उक्त भूमिधारकों को मुआवजा दिया गया है? यदि हां, तो किन-किन को व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या निवाई शहर के मध्य से बौंली रोड के निर्माण हेतु शहरी क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि एवं अकृषि भूमि को अवाप्त कर भूमि मालिकों को मुआवजा दिया गया है? यदि हां, तो किन-किन को एवं नहीं, तो क्यों व किन नियमों के तहत? अब कब तक मुआवजा दे दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) खसरा नं. 2957 ग्राम पटवार हल्का निवाई-II से किस-किस खातेदार की भूमि अवाप्त की गई और कितनी शेष बची तथा उनको कितना-कितना मुआवजा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों एवं किस नियम के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) निवाई-बौंली निवाई सड़क की 3 मीटर से 5.50 मीटर चौड़ाई बढ़ाने का कार्य किमी. 14/0 से 23/610 तक वर्ष 2013-14 में किया गया, जिसकी स्वीकृति वर्ष 2012-13 में राशि रु. 721.50 लाख की जारी की गई

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

थी। स्वीकृति की प्रति परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है। उक्त सड़क के चौड़ाईकरण कार्य के समय कोई भूमि अवाप्त नहीं की गई थी। अत: कोई मुआवजा नहीं दिया गया।

(2) निवाई शहर के मध्य से बौंली रोड के निर्माण हेतु शहरी क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि एवं अकृषि भूमि को अवाप्त नहीं किया गया था। इस कारण मुआवजा नहीं दिया गया।

(3) खसरा नं. 2957 ग्राम पटवार हल्का निवाई-II की भूमि अवाप्त नहीं की गई है। अत: किसी भी खातेदार को मुआवजा नहीं दिया गया।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

तिजारा की सड़कों के निर्माण हेतु कार्ययोजना

589. मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र तिजारा में वित्तीय वर्ष 2015-16 में किन-किन सड़कों का निर्माण किस-किस योजना के तहत कराया गया है और किन-किन सड़कों के प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र तिजारा में इस वित्तीय वर्ष 2015-16 में 18 कार्य 21.125 किमी. लम्बाई के करवाये जा रहे हैं, जिनकी कुल स्वीकृत लागत राशि रु. 1035.17 लाख है, जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

विधान सभा क्षेत्र तिजारा में प्राप्त सड़क निर्माण प्रस्तावों का विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है। इनकी स्वीकृति सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

जयपुर के मुख्य बस स्टैण्ड को वर्ल्ड क्लास बनाने पर व्यय राशि

590. श्री रमेश (सपोटरा): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2011 से 2013 के मध्य जयपुर स्थित रोडवेज के मुख्य बस स्टैण्ड को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया था एवं जनवरी, 2014 के पश्चात् इस कार्य को अनुपयोगी

(श्री रमेश)

बताकर इसके स्थान पर बहुमंजिला निर्माण की स्वीकृति जारी की गई? यदि हां, तो जनवरी, 2014 तक उक्त निर्माण पर कुल कितनी राशि व्यय की जा चुकी थी?

(2) पूर्व में चल रहे निर्माण को अनुपयोगी बताने का क्या कारण था?

(3) नवीन बहुमंजिला निर्माण की स्वीकृति का निर्णय किस स्तर पर लिया गया व क्यों?

(4) क्या पुराने निर्माण की तकनीकी जांच कराई गई थी? यदि हां, तो किसके द्वारा एवं कब? जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) नवीन बहुमंजिला निर्माण का कार्य किस एजेंसी को कितनी लागत का एवं किन शर्तों के अधीन दिया गया? वर्तमान में नवीन निर्माण का कितना प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है?

(6) उक्त सम्पूर्ण प्रक्रिया में सरकार को कितनी आर्थिक हानि हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या यह सही है कि एजेन्सी द्वारा निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से किया जा रहा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) केन्द्रीय बस स्टैण्ड सिंधी कैम्प जयपुर पर आधुनिक सुविधायुक्त बस स्टैण्ड बनाये जाने हेतु कार्यवाही की गई एवं माह सितम्बर 2013 में कार्य प्रारम्भ करवाया गया। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित बस स्टैण्ड के प्लान में संशोधन सुझाये गये, जिसके कारण संशोधन प्लान तैयार कर दिनांक 24.09.2014 को संशोधित प्लान का प्रजेंटेशन किया गया एवं प्रबन्ध निदेशक, आर एस आर डी सी को वर्तमान में चल रहे कार्य की यथास्थिति रखते हुए अग्रिम निर्णय तक रोकने हेतु निर्देशित किया गया। संशोधित प्लान में पूर्व में अनुमोदित प्लान के अनुसार करवाये गये कार्य को यथावत शामिल किया गया है, उसे अनुपयोगी नहीं रखा गया है। वर्तमान में पूर्व प्लान के अनुसार आबंटित कार्य को यथावत बन्द करवा दिया गया है। पूर्व में करवाये गये कार्य पर लगभग 6.50 करोड रुपये का व्यय हुआ है।

(2) संशोधित प्लान में पूर्व में करवाये गये कार्यों को अनुपयोगी नहीं दर्शाया गया है एवं संशोधित प्लान में करवाये जा चुके कार्यों को यथावत शामिल किया गया है।

(परिवहन मंत्री)

(3) नवीन बहुमंजिला निर्माण की स्वीकृति का निर्णय राज्य सरकार स्तर पर लिया गया एवं भूमि का अधिकतम वाणिज्यिक उपयोग व यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से लिये गये हैं।

(4) निगम द्वारा पूर्व में अनुमोदित प्लान के अनुसार निर्माण कार्य करवाये जाने हेतु राज्य सरकार की संस्था आर एस आर डी सी से यह कार्य सम्पादित करवाया गया है जिसकी गुणवत्ता की जांच आर एस आर डी सी द्वारा ही कर कार्य सम्पादित करवाया गया।

(5) राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार शेष निर्माण कार्य राज्य सरकार द्वारा नवगठित राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण द्वारा सम्पादित करवाया जायेगा। अभी तक संशोधित प्लान के अनुसार कोई निर्माण कार्य केन्द्रीय बस स्टैण्ड सिंधी कैम्प जयपुर पर प्रारम्भ नहीं हुआ है।

(6) वर्तमान स्तर तक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को निर्माण कार्य से सम्बन्धित कोई आर्थिक हानि नहीं हुई है।

(7) वर्तमान में निगम स्तर पर कोई कार्य सम्पादित नहीं करवाया जा रहा है। पूर्व में अनुमोदित प्लान के अनुसार करवाये गये कार्य को राज्य सरकार के निर्देशानुसार यथावत बन्द करवा दिया गया था। शेष कार्य राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण द्वारा सम्पादित करवाया जाना है।

हिण्डौन खण्ड में बनाये गये ग्रामीण गौरव पथों की जांच

591. श्रीमती राजकुमारी (हिण्डौन): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार द्वारा प्रदेश में बनाये जा रहे ग्रामीण गौरव पथ गुणवत्तापूर्ण व मानदण्डानुसार बनाये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार खण्ड हिण्डौन में बनाये जा रहे ग्रामीण गौरव पथों की जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। प्रदेश में ग्रामीण गौरव पथ गुणवत्तापूर्ण व मापदण्डानुसार बनाये जा रहे हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड हिण्डौन सिटी के अन्तर्गत बनाये जा रहे ग्रामीण गौरव पथ के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच साइट

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

के कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अधिशाषी अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता सर्वे एवं गुण नियंत्रण खण्ड करौली एवं अधीक्षण अभियन्ता वृत्त करौली द्वारा नियमित रूप से की जा रही है। वर्तमान में खण्ड हिण्डौन में निर्मित किये जा रहे ग्रामीण गौरव पथों की गुणवत्ता की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

जमवारामगढ़ में शौचालय निर्माण में राशि के दुरुपयोग की शिकायतें

592. **श्री जगदीश नारायण** (जमवारामगढ़): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ में वर्तमान में किस-किस ग्राम पंचायत में कुल कितने-कितने शौचालय निर्मित किए गये हैं? ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में गत दो वर्षों में कुल कितनी राशि शौचालयों हेतु स्वीकृत की गई एवं कितनी राशि को आबंटित कर दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में शौचालयों को बनाने हेतु नियमों की अवहेलना कर उक्त राशि का दुरुपयोग किया गया है? यदि हां, तो किस-किस ग्राम पंचायत में तथा सरकार द्वारा क्या उक्त राशि वसूल कर ली गई है? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में शौचालयों की राशि के गबन/दुरुपयोग करने सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति द्वारा क्या-क्या शिकायतें की गईं एवं उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? शिकायतों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वर्तमान में निर्मित शौचालयों की ग्राम पंचायतवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न हैं।

(2) उक्त विधानसभा क्षेत्र में विगत दो वर्षों में स्वीकृति एवं आबंटित राशि की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(पंचायती राज मंत्री)

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(सूचिया पुस्तकालय में रखी गयीं)

जोधपुर जिले की पंचायत समितियों में रिक्त पद

593. श्री जोगाराम पटेल (लूणी): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

जिला परिषद् जोधपुर व उसके परिक्षेत्र में स्थित 16 पंचायत समितियों में विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों व कर्मचारियों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं व कितने कर्मचारी-अधिकारी नियुक्त हैं? जिला परिषद् व पंचायत समिति की पृथक-पृथक सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला परिषद जोधपुर तथा पंचायत समितियों में स्वीकृत पद और कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची पृथक-पृथक सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-1)

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

मावली की ग्राम पंचायतों द्वारा जारी पट्टे

594. श्री दलीचन्द डांगी (मावली): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायतों द्वारा पट्टा जारी करने हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र मावली में ग्राम पंचायतों द्वारा वर्ष 2014-15 में किन-किन व्यक्तियों को पट्टे जारी किये गये? लाभार्थियों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत नहीं, अपितु राजस्थान पंचायती राज नियम, 1966 के नियम 140 से 168 में वर्णित प्रावधानों के तहत ग्राम पंचायतों द्वारा पट्टा जारी करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। नियम की प्रति परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र मावली में ग्राम पंचायतों द्वारा वर्ष 2014-15 में

(पंचायती राज मंत्री)

जिन-जिन व्यक्तियों को पट्टे जारी किये गये, उनके नाम सहित विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

चाकसू में जल स्वावलम्बन योजना के तहत कराये जाने वाले कार्य

595. **श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा** (चाकसू): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में जल स्वावलम्बन अभियान को एक अति महत्वाकांक्षी योजना के रूप में लिया गया है? यदि हां, तो उक्त योजना में कौन-कौनसे कार्य करवाये जायेंगे; योजना का प्रारूप क्या रहेगा तथा योजना के संचालन हेतु वित्तीय प्रबंधन का आधार क्या होगा? योजना के प्रारूप सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र चाकसू में उक्त योजनान्तर्गत कौन-कौनसे कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र में उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय प्रबंधन किस प्रकार होगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त योजना के क्रियान्वयन से आम जनता को क्या लाभ होगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) आम जनता को लाभ पहुंचाने हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उक्त अभियान में मुख्यत: जल संग्रहण ढांचे, एम पी टी, फील्ड बन्डिंग, फार्म पौण्ड, स्प्रिंक्लर, एनीकट, डाइवर्जन चैनल, इत्यादि कार्य करवाये जायेंगे। अभियान के अन्तर्गत करवाये जाने वाले कार्यों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

योजना का प्रारूप परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

अभियान के संचालन हेतु वित्तीय प्रबंधन का आधार विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजना, निर्बन्ध राशि, सी.एस.आर. एवं जन सहयोग से प्राप्त राशि होगा।

(पंचायती राज मंत्री)

अभियान के संचालन हेतु सरकार द्वारा निर्बन्ध राशि (Untied Fund) से रुपये 356.09 करोड़ उपलब्ध करवाये गये हैं। विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं में उपलब्ध बजट का कन्वरजेंस किया जा रहा है एवं सी.एस.आर. व जन सहयोग से भी राशि प्राप्त की जा रही है। अभियान के संचालन हेतु वित्तीय प्रबन्धन (निधि की उपलब्धता) का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र चाकसू (पंचायत समिति फागी एवं चाकसू) में उक्त योजनान्तर्गत मुख्यत: जल संग्रहण ढांचे, एम पी टी, फील्ड बन्डिंग, फार्म पौण्ड, स्प्रिंक्लर, एनीकट, डाइवर्जन चैनल इत्यादि कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। पंचायत समिति फागी एवं पंचायत समिति चाकसू की प्रस्तावित कार्य योजना की प्रति क्रमश: परिशिष्ट-4 एवं परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(3) उक्त क्षेत्र में उक्त अभियान के कार्य विभागीय मद के साथ-साथ निर्बन्ध राशि एवं जन सहयोग से किये जाने हैं। मदवार प्रस्तावित कार्यों की सूची परिशिष्ट-4 एवं परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(4) उक्त अभियान की क्रियान्वयन से सूखा एवं अकाल से मुक्ति हेतु गांवों को जल आत्मनिर्भर बनाया जायेगा तथा जल की समस्या का स्थायी समाधान होगा। अभियान अन्तर्गत सम्पादित करवाये जाने वाले कार्यों से उक्त लाभ पहुंचाया जायेगा। अभियान से होने वाले लाभ का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-6 पर संलग्न है।

(5) आम जनता को लाभ पहुंचाने हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना के अन्तर्गत पंचायत समिति फागी एवं पंचायत समिति चाकसू में क्रमश: 125 कार्यों हेतु रुपये 2.25 करोड़ एवं 140 कार्यों हेतु रुपये 3.80 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। प्रस्तावित कार्ययोजना का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-4 एवं परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखे गये)

फूलिया खुर्द ग्राम पंचायत (भीलवाड़ा) के सरपंच को चार्ज दिलाने की कार्यवाही

596. श्री हीरालाल (निवाई): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री हीरालाल)

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले की शाहपुरा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत फूलिया खुर्द में पिछले चुनाव में श्रीमती उषा शर्मा सरपंच चुनी गई थी, लेकिन पूर्व सरपंच श्री गणपत लाल खटीक ने ग्राम पंचायत का किसी भी तरह का रिकार्ड सुपुर्द नहीं किया?

(2) क्या यह भी सही है कि वर्तमान सरपंच ने सभी सम्बन्धित उच्च अधिकारियों को बार-बार लिखकर रिकार्ड सुपुर्द कराने की मांग करने के उपरान्त भी अब तक उसे चार्ज नहीं दिया गया है? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब कब तक चार्ज दिलावा दिया जायेगा?

(3) क्या यह भी सही है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् भीलवाड़ा ने इस सम्बन्ध में बी.डी.ओ. शाहपुरा को पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराने के निर्देश दिये थे? यदि हां, तो अब तक एफ.आई.आर. दर्ज नहीं कराने के क्या कारण रहे?

(4) क्या यह भी सही है कि पूर्व सरपंच श्री गणपत लाल खटीक ने अपने कार्यकाल में मनरेगा एवं अन्य विविध स्रोतों से करोड़ों रुपयों के निर्माण/विकास कार्य कराने की स्वीकृतियां करवाकर धन प्राप्त किया था लेकिन फील्ड में कई काम बिलकुल नहीं कराये गये और कई काम अधूरे ही करवाये? इस प्रकार करोडों रुपयों का गबन घोटाला करने के कारण रिकार्ड नहीं सम्भलाया गया है।

(5) क्या सरकार इस प्रकरण में चार्ज लेकर कानूनी कार्यवाही कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। पूर्व सरपंच श्री गणपतलाल खटीक द्वारा तत्कालीन सचिव श्री श्यामलाल जाट को ग्राम पंचायत का समस्त रिकार्ड सौंप दिया गया था।

(2) यह सही है कि वर्तमान सरपंच ने चार्ज दिलाने के लिये राजस्थान सम्पर्क पोर्टल संख्या 0915271551092 दिनांक 18.09.2015 को दर्ज करवाई थी।

विकास अधिकारी, पंचायत समिति शाहपुरा द्वारा पत्र क्रमांक 3104 दिनांक 28.09.15 द्वारा पंचायत प्रसार अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया जाकर परिशिष्ट-अ पर संलग्न सूची अनुसार चार्ज तत्कालीन सचिव श्री श्यामलाल जाट से वर्तमान सचिव श्री जगदीश तिवाड़ी को संभलाया गया। श्री

(पंचायती राज मंत्री)

श्यामलाल जाट, तत्कालीन सचिव द्वारा शेष रिकार्ड नहीं सौंपे जाने पर उसके विरुद्ध पुलिस थाना शाहपुरा में प्राथमिकी संख्या 53/2016 दर्ज करवाई गई है।

रिकार्ड हस्तान्तरण का प्रमाण पत्र परिशिष्ट-अ एवं एफ.आई.आर. की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) श्री गणपतलाल खटीक, पूर्व सरपंच के कार्यकाल में मनरेगा व अन्य योजनाओं में निर्माण/विकास कार्य स्वीकृत किये गये थे। ग्राम पंचायत क्षैत्र में काम नहीं कराने अथवा अधूरे करवाने के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा द्वारा कमेटी का गठन करवाया जाकर कार्यों का भौतिक सत्यापन एवं जांच करवाई जा रही है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-स पर संलग्न है। यदि इसमें कोई गबन/घोटाला पाया जाता है तो पंचायती राज अधिनियम व नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही का प्रावधान है।

(5) जी हां। विकास अधिकारी, पंचायत समिति शाहपुरा द्वारा पुलिस थाना शाहपुरा में आई.पी.सी. की धारा 409 में प्राथमिकी संख्या 53/2016 दर्ज करवाई गई हैं तथा तत्कालीन सचिव श्री श्याम लाल जाट को जिला परिषद, भीलवाड़ा के आदेश क्रमांक 5137 दिनांक 18.3.16 द्वारा निलम्बित किया गया है। एफ.आई.आर की प्रति परिशिष्ट-ब एवं निलम्बन आदेश की प्रति परिशिष्टद पर संलग्न है।

(सूची व प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

दौसा जिले को ईसरदा बांध से पेयजल की आपूर्ति

597. **श्रीमती गीता वर्मा** (सिकराय): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दौसा जिले को ईसरदा बांध से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कार्य प्रारम्भ किया गया है? यदि हां, तो कब से व उक्त कार्य हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्य कब तक पूर्ण किया जाना है और वर्तमान में कितना कार्य पूर्ण हो चुका है तथा परियोजना से किन-किन गांवों को पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दौसा जिले के 4 शहर दौसा, बांदीकुई, लालसोट व महुवा एवं जिले की 5 तहसीलों के कुल 1,079 ग्रामों तथा इसके साथ सवाई माधोपुर जिले के रास्ते के 165 ग्रामों को सतही जल स्रोत ईसरदा बांध से पेयजल आपूर्ति के दीर्घकालिक समाधान के अन्तर्गत इसके निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 530.00 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 19.09.2013 को जारी हुई थी। ईसरदा बांध का निर्माण जल संसाधन विभाग के माध्यम से डिपोजिट कार्य के अन्तर्गत कराया जाना है।

जल संसाधन विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार ईसरदा बांध के निर्माण हेतु राशि रुपये 541.00 करोड़ की निविदा आमंत्रित की गई है, जिसे दिनांक 21.04.2016 को प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है। नये भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 के लागू होने, बी.एस.आर. 2014 के अनुसार दरें लिये जाने एवं बांध की लम्बाई बढ़ जाने के कारण, जल संसाधन विभाग द्वारा बांध की संशोधित अनुमानित लागत रुपये 1856.49 करोड़ होना अवगत कराया गया है। इस बांध के निर्माण में आकार की वास्तविक आवश्यकता को देखते हुए चरणबद्ध रूप से कराने हेतु तकनीकी परीक्षण कराया जा रहा है। संशोधित लागत हेतु धनराशि की व्यवस्था कर शीघ्र स्वीकृति जारी करने की प्रक्रिया जारी है।

(2) उपरोक्तानुसार। जल संसाधन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार बांध निर्माण की उक्त परियोजना के कार्य को कार्यादेश/आबंटित दिये जाने की स्थिति में 4 वर्षो में पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

उक्त परियोजना से दौसा जिले के लाभान्वित किये जाने वाले 1,079 ग्रामों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

पेयजल में निर्धारित मानकों से अधिक पारे की मात्रा

598. **श्री राजेन्द्र सिंह यादव** (कोटपूतली) व **श्री गोविन्दसिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में गत तीन वर्षों में किस-किस जिले में पीने के पानी में पारे की मात्रा की जांच की गई एवं उसके क्या निष्कर्ष रहे? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश के अनेक जिलों में पीने के पानी में निर्धारित मानक से कई गुना ज्यादा पारा होने से जन स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कारगर उपाय करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की विभागीय प्रयोगशालाओं द्वारा वर्तमान में जल नमूनों में आवश्यक पैरामीटर यथा पीएच, एल्केलिनिटी, कठोरता, क्लोराइड, फ्लोराईड, नाइट्रेट, कुल घुलनशील लवण (टी.डी.एस.), कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं जीवाणुओं का परीक्षण किया जाता है।

पारे की जांच हेतु आवश्यक उपकरण एटामिक एब्जार्प्शन स्पेक्ट्रो फोटोमीटर के क्रय हेतु राशि रुपये 50.00 लाख की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। इस उपकरण के क्रय हेतु प्राप्त निविदा निर्णय की प्रक्रिया में है।

(2) उपरोक्तानुसार उपकरण प्राप्त होने पर जल नमूनों में पारे की नियमित जांच की जाकर तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।

बहरोड़ में स्वीकृत उच्च व भू-तल जलाशय

599. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला अलवर में पेयजल हेतु उच्च जलाशय एवं भू-तल जलाशय स्वीकृत किये गये हैं? यदि हां, तो कब व कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में कितने उच्च जलाशय एवं भू-तल जलाशय स्वीकृत किये गये; इनकी वर्तमान स्थिति क्या है; उन पर कितनी राशि व्यय की जानी थी; और अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जलाशयों के निर्माण से कितने गांव/परिवार लाभान्वित हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अलवर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारु बनाये रखने हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 की अवधि में राशि रुपये 308.20 करोड़ की कुल स्वीकृत 69 योजनाओं में 41 स्वच्छ जलाशय, 50 उच्च जलाशय, 9 जलाशय पहाड़ी पर एवं 118 भू-तल

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

जलाशयों का निर्माण करना प्रावधित है। वांछित पूर्ण विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) अलवर जिले हेतु उक्त स्वीकृत योजनाओं में विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में उक्त वित्तीय वर्षों में राशि रुपये 29.16 करोड़ की कुल स्वीकृत 10 योजनाओं में 1 स्वच्छ जलाशय, 4 उच्च जलाशय, 2 जलाशय पहाड़ी पर एवं 12 भू-तल जलाशयों का निर्माण करना प्रावधित है। वांछित पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है।

विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ हेतु स्वीकृत कुल 10 योजनाओं में से 8 योजनाएं पूर्ण की जाकर 1 स्वच्छ जलाशय, 2 जलाशय पहाड़ी पर एवं 12 भू-तल जलाशयों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। एक योजना का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है तथा यह योजना माह अप्रैल, 2016 तक पूर्ण की जानी प्रस्तावित है। उक्त पूर्ण की गई 8 एवं 1 प्रगतिरत, इस प्रकार कुल 9 योजनाओं पर माह फरवरी, 2016 तक रुपये 2.88 करोड़ की राशि व्यय की जा चुकी है। बहरोड़ शहर की शेष एक योजना के निष्पादन हेतु दिनांक 16.03.2016 को राशि रुपये 24.04 करोड़ का कार्यादेश जारी किया जा चुका है तथा कार्यादेश अनुसार योजना दिनांक 14.10.2017 तक पूर्ण करनी निर्धारित है।

(3) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में उक्तानुसार पूर्ण की गई 8 योजनाओं अन्तर्गत निर्मित किये गये 1 स्वच्छ जलाशय, 2 जलाशय पहाड़ी पर एवं 12 भू-तल जलाशयों से 8 ग्रामों की 18,925 आबादी को लाभान्वित किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बालाजी विहार II, गोविंदपुरा, कालवाड़ रोड, जयपुर में पेयजल उपलब्ध कराने की योजना

600. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बालाजी विहार II गोविंदपुरा, कालवाड़ रोड, जयपुर कालोनी को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 1992 में नियमित कर दिये जाने के बाद भी अब तक सरकार द्वारा उक्त कालोनी में पेयजल हेतु कोई व्यवस्था नहीं की गयी है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री निर्मल कुमावत)

(2) क्या सरकार उक्त कालोनी में पेयजल उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा उक्त कालोनी में पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु अब तक क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में गोविन्दपुरा कालवाड़ रोड बालाजी विहार II योजना के नाम से नियमन नहीं किया गया है। प्राधिकरण द्वारा उनके स्वयं की विकसित आवासीय योजनाओं में ही पेयजल सम्बन्धी कार्य करवाये जाते हैं। बालाजी विहार II कालोनी गोविंदपुरा, कालवाड़ रोड, प्राधिकरण की स्वयं द्वारा विकसित आवासीय योजना नहीं है। प्राप्त पत्र की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

उक्त कालोनी में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था हेतु एक नलकूप निर्माण तथा वितरण पाइप लाइनें बिछाने का कार्य पूर्ण किया जाकर इस कालोनी में वर्ष 2015 से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। सहमति अनुसार योजना का संचालन एवं संधारण मय विद्युत बिलों के भुगतान का कार्य स्थानीय समिति द्वारा किया जा रहा है। पेयजल हेतु की गई अतिरिक्त मांग की आपूर्ति हेतु ग्रीष्म, 2015 के माह जून एवं जुलाई में एक टैंकर ट्रिप प्रतिदिन के हिसाब से पेयजल उपलब्ध कराया गया। ग्रीष्म, 2016 में भी आवश्यकतानुसार टैंकरों द्वारा पेयजल परिवहन कराया जाना प्रस्तावित है।

(2) जी हां। विभाग द्वारा अजमेर रोड से सीकर रोड के मध्य के क्षेत्र, जिसमें पृथ्वीराज नगर योजना (अजमेर रोड का उत्तर क्षेत्र) एवं कालवाड़ रोड से सीकर रोड तक का क्षेत्र सम्मिलित है, में बीसलपुर बांध से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु परियोजना रिपोर्ट तैयार कराई गई है। इस परियोजना रिपोर्ट का विभाग द्वारा वर्तमान में अध्ययन/परीक्षण किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति हेतु जलाशय एवं पम्प हाउस के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि का चिन्हीकरण किया जाकर जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भूमि आबंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है। भूमि का आबंटन एवं वित्तीय

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित होने के उपरान्त परियोजना रिपोर्ट की स्वीकृति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा।

(3) उपरोक्तानुसार। बालाजी विहार II कालोनी गोविंदपुरा, कालवाड़ रोड, जयपुर सहित उक्त समस्त क्षेत्र हेतु तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट की स्वीकृति, भूमि का आबंटन एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित होने के उपरान्त जारी करने बाबत निर्णय लिया जायेगा।

परिशिष्ट–अ

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

विषय – 14वीं विधानसभा के षष्टम सत्र के अतारांकित प्रश्न संख्या 7544 द्वारा श्री निर्मल कुमावत, माननीय सदस्य, राजस्थान विधान सभा का संशोधित जवाब।

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह सही है कि बालाजी विहार ।। गोविंदपुरा, कालवाड रोड, जयपुर कालोनी जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 1992 में नियमित कर दिये जाने क बाद आज दिनांक तक सरकार द्वारा उक्त कालोनी में पेयजल हेतु कोई व्यवस्था नहीं की गयी? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।	जी नहीं। जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में गोविन्दपुरा कालवाड़ रोड बालाजी विहार II योजना के नाम से नियमन नहीं किया गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वयं की विकसित आवासीय योजनाओं में ही पेयजल संबंधी कार्य करवाये जाते हैं। सहकारी समितियों द्वारा विकसित या अन्य आवासीय योजनाओं में पेयजल संबंधी कार्य जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा करवाये जाते हैं। बालाजी विहार II, गोविन्दपुरा, कालवाड़ रोड, जयपुर, जयपुर विकास प्राधिकरण की स्वयं द्वारा विकसित आवासीय योजनाएं नहीं हैं। अतः बालाजी विहार II में पेयजल व्यवस्था की जिम्मेदारी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित है।

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
2	क्या सरकार बालाजी विहार II गोविंदपुरा, कालवाड़ रोड, जयपुर कालोनी में सरकारी पेयजल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।	उपरोक्तानुसार।
3	सरकार द्वारा बालाजी विहार II गोविंदपुरा, कालवाड़ रोड, जयपुर कालोनी में सरकारी पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु अब तक सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।	उपरोक्तानुसार।

संयुक्त आयुक्त
(संसाधन विकास एवं समन्वय)

खण्डेला में पेयजल की समस्या के निराकरण की योजना

601. श्री बंशीधर (खण्डेला): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जनवरी, 2014 से 31 जनवरी, 2016 तक कितनी-कितनी राशि की कौन-कौन सी योजनाएं कब-कब स्वीकृत की गईं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनाओं में किन-किन ग्रामों/कस्बों को कब तक लाभान्वित किया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के लिये पेयजल की समस्या के निवारण हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किन गांवों के लिए और कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारु बनाये रखने हेतु माह जनवरी, 2014 से फरवरी, 2016 की अवधि में शहरी क्षेत्र हेतु 814 योजनाएं राशि रुपये 621.38 करोड़ एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु 9,246 योजनाएं राशि रुपये 1,682.01 करोड़ की स्वीकृत की गई। जिलेवार वांछित सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। इसके अतिरिक्त, इस अवधि में 6 वृहद् पेयजल परियोजनाएं लागत रुपये 1,970.53 करोड़ की स्वीकृत की गई हैं। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) उक्त स्वीकृत शहरी जल योजनाओं के 232 संवर्धन प्रस्तावों में से 198 प्रस्तावों का क्रियान्वयन पूर्ण किया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्र में स्वीकृत 12,683 ग्राम/ढाणियों के विरुद्ध अब तक 8,177 ग्राम/ढाणियों को स्वच्छ पेयजल से लाभान्वित किया जा चुका है। वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है। वृहद् पेयजल परियोजनाओं को लाभान्वित किये जाने का विवरण संलग्न परिशिष्ट-ब में निहित है।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार कुल सम्मिलित 152 आबाद ग्रामों में से 11 ग्राम पाइप्ड जल योजना, 88 ग्राम जनता जल योजना एवं 53 ग्राम हैण्डपम्प योजनाओं से वर्तमान में लाभान्वित हैं। इन समस्त ग्रामों में उक्त जल योजनाओं से की जा

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

रही पेयजल आपूर्ति वर्तमान में सुचारु एवं संतोषप्रद है तथा कोई पेयजल योजना वर्तमान में बंद नहीं है। ग्रामवार पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

उक्त क्षेत्र की ग्रामीण जल योजनाओं अन्तर्गत माह जनवरी, 2014 से माह फरवरी, 2016 की अवधि में कुल 90 योजनाएं राशि रुपये 434.47 लाख की तथा शहरी क्षेत्र में कुल 3 योजनाएं राशि रुपये 170.50 लाख की आवश्यकतानुसार स्वीकृत की गई हैं।

इनमें से ग्रामीण क्षेत्र की 66 योजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की क्रमशः 18 एवं 3 योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं। ग्रामीण क्षेत्र की शेष रही 6 योजनाओं (5 सौर ऊर्जा आधारित सिंगल फेज नलकूप निर्माण एवं एक पुनर्गठित योजना) के निष्पादन हेतु निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

इसके अतिरिक्त, 13 जनता जल योजनाओं अन्तर्गत सूखे नलकूपों के लम्बित विद्युत बिलों की राशि सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा माह मार्च, 2016 में जमा कराये जाने के उपरान्त इन सूखे नलकूपों के स्थान पर नवीन नलकूपों के निर्माण हेतु प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

हैल्परों को स्टोर मुंशी के पद पर पदोन्नति देने की योजना

602. डा. मंजू बाघमार (जायल): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या विभाग में कार्यरत हैल्परों को स्टोर मुंशी के पद पर पदोन्नति देने का प्रावधान है? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि गत तीन वर्षों में विभाग में कार्यरत हैल्परों को स्टोर मुंशी के पद पर पदोन्नति दी गई है? यदि हां, तो किस-किस को व कब-कब? पदोन्नति की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार ने वर्तमान में हैल्परों से स्टोर मुंशी के पदों पर पदोन्नति पर प्रतिबंध लगा रखा है? यदि हां, तो क्यों एवं किन नियमों के अन्तर्गत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. मंजू बाघमार)

(4) क्या सरकार हैल्परों को स्टोर मुंशी के पद पर पदोन्नति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किन को व कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। विभाग में स्टोर मुंशी का पद कार्य प्रभारित संवर्ग का पद है तथा कार्य प्रभारित सेवा नियम 1964 (राजस्थान वर्क चार्जड कोड) में हैल्पर के पद से स्टोर मुंशी के पद पर पदोन्नति दिये जाने का प्रावधान नहीं है। नियम की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। उपरोक्तानुसार नियमों में पदोन्नति का प्रावधान नहीं होने के कारण हैल्परों को विगत वर्षों में स्टोर मुंशी के पद पर पदोन्नति नहीं दी गई है।

(3) उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 के उत्तर के अनुसार कार्य प्रभारित सेवा नियम 1964 (राजस्थान वर्क चार्जड कोड) में हैल्पर के पद से स्टोर मुंशी के पद पर पदोन्नति दिये जाने का प्रावधान नहीं है।

(4) जी नहीं। उपरोक्तानुसार।

परिशिष्ट-अ

43. (1) पद का नाम.......................... स्टोर मुंशी/मुंशी

(2) वेतनमान- 950-20-1150-25-1400-30-1640-40-1680

(3) पद कार्य का विवरण-

(i) ओवरसीयर/स्टोर कीपर या प्रभारी को रिपोर्ट करना।

(ii) स्टोर लेखा, माप पुस्तिकाएं तथा अन्य प्रकार की वस्तुओं का रख-रखाव करना।

(4) भर्ती की प्रक्रियाएं-

(1) सीधी भर्ती द्वारा...........50 प्रतिशत

(2) पदोन्नति द्वारा..........50 प्रतिशत

(5) अर्हताएं -

(क) सीधी भर्ती हेतु : (1) मेट्रिकुलेट या उसके समान।

(ख) पदोन्नति हेतु : मेट्रिकुलेट और साथ में मुंशी के रूप में 2 वर्ष का अनुभव नॉन-मैट्रिक होने पर मुंशी का कार्य करने का 7 वर्ष का अनुभव।

(6) श्रोत/ग्रेड- जिनसे पदोन्नति की जानी है।

मुंशी/गोदामी/मोहिरर

फतेहपुरा ग्राम (चौमूं) में कब्जेराज ली गई भूमि का आबंटन

603. **श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम फतेहपुरा तहसील चौमूं जिला जयपुर की भूमि जिसका खसरा नं. 41 व हाल खसरा नं. 145 व 146 कब्जेराज ली गई है? यदि हां, तो कब?

(2) वर्तमान में उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में किसके नाम दर्ज है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जो भूमि कब्जेराज ली गई उसको राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज किया जाकर ही आबंटित किया जा सकता है तथा आबंटन के पश्चात् भी राजस्व रेकार्ड में गैर-खातेदारी अंकित किया जाना आवश्यक है? यदि हां, तो क्या इस प्रकरण में यह पालना की गई है? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन-कौन दोषी हैं व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार इस अनियमितता की जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम फतेहपुरा तहसील चौमूं की भूमि जिसका ख.नं. 41 व हाल ख.नं. 145 व 146 को अतिरिक्त जिला कलक्टर, जयपुर के आदेश दिनांक 08.08.1991 की पालना में दिनांक 26.12.1991 को कब्जेराज लिया गया था एवं नामान्तकरण संख्या 415 दिनांक 15.02.1992 से सिवायचक दर्ज किया गया।

(2) वर्तमान में उक्त भूमि रावल राघवेन्द्र सिंह पुत्र राजेश्वर सिंह हिस्सा ½, यादवेन्द्र सिंह पुत्र रावल राजेश्वर सिंह हिस्सा ½ जाति राजपूत नि. सामोद हाउस, गंगापोल, जयपुर के नाम दर्ज है।

(3) जी हां। कब्जेराज ली गई भूमि को राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज किया जाकर ही आबंटित की जा सकती है। आबंटन के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में गैर-खातेदार में अंकित किया जाता है, लेकिन राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण नियम 1973 के नियम 19 के अनुसार किसी आबंटी द्वारा भूमि के पूरे मूल्य के संदाय पर उसका आबंटन खातेदारी भू-धृति पर होगा और वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अधीन किसी

(राजस्व राज्य मंत्री)

खातेदार काश्तकार के समस्त अधिकारों का पात्र और दायित्वों के अध्यधीन होगा। नामान्तकरण संख्या 434 दिनांक 01.12.1993 के अनुसार हीरा पुत्र दुला जाति माली साकिन विजयसिंहपुरा हाल फतेहपुरा के नाम आबंटित उक्त भूमि की सम्पूर्ण प्रीमियम राशि जमा होने पर खातेदारी दर्ज की गई। इस प्रकरण में भी उपरोक्त नियम के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की गई है।

(4) जी नहीं। प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की गई है।

नावां (नागौर) में भूतपूर्व जागीरदारों को आबंटित भूमि

604. **डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला नागौर के ग्राम नावां में भूतपूर्व जागीदारों की भूमि कब-कब किन-किनको कहां-कहां पर आबंटित की गई? खसरा नम्बर वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि का आबंटन खेती हेतु किया गया था? यदि हां, तो उपरोक्त में से किन-किन खसरा नम्बर में खेती हो रही है तथा किन-किन खसरों में अन्य कार्य किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि आबंटित भूमि से अधिक क्षेत्र पर अवैध अतिक्रमण व कब्जा भी है? यदि हां, तो किस-किस क्षेत्र में, कितनी भूमि पर व उस भूमि का वर्तमान में क्या उपयोग हो रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि ग्राम नावां के खसरा नं. 1803, 1804, 1805, 1806 एवं 1807 की भूमि का बगैर स्थानान्तरण हुए ही वहां पर नमक उत्पादन हो रहा है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त कार्यवाही को अवैध मानते हुए रोकने तथा इसमें लिप्त दोषी उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या नावां तहसील के ग्राम बबली गुढा स्थित रेलवे लाइन की भूमि पर अवैध अतिक्रमण है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जिला नागौर के ग्राम नावां में भूतपूर्व जागीरदारों को खुदकाश्त आयुक्त जयपुर द्वारा कुल 7 भूतपूर्व जागीरदारों को निम्नानुसार भूमि आबंटित की गई हैः-

क्र. सं.	भूतपूर्व जागीरदार	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर में	आबंटन आदेश क्रमांक दिनांक
1.	दुर्गेश कुमार पत्नी श्री रघुवीर सिंह भू.पू.जागीरदार, बिसाउ	1803	8.50	318/18.08.2004
2.	अमर कंवर पत्नी श्री लादू सिंह भू.पू.जागीरदार, भावण्डा	1803	13.35	328/19.08.2004
3.	राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुमेर सिंह भू.पू.जागीरदार, हुकमपुरा	1805	19	475/18.10.2004
4.	श्रवणी देवी पत्नी श्री सरदार सिंह भू.पू.जागीरदार, बलूडा	1805	19	491/18.10.2005
5.	औंकार सिंह पुत्र कंवरानी जोधी जी भू.पू.जागीरदार, मडेला	1803	21.60	734/26.09.2002
6.	बच्चन सिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह भू.पू. जागीरदार, बलुडा	1800	19	511/30.12.2004
7.	थान सिंह पुत्र श्री भरत सिंह भू.पू.जागीरदार, बलुडा	1801 व 1803	7.89 व 11.11	519/30.12.2004

(2) जी हां। उक्त भूमि का आबंटन खेती हेतु किया गया था। आबंटित खसरा नम्बरों में खेती नहीं हो रही है। कुल आबंटित 119.45 हैक्टेयर में से 44 हैक्टेयर भूमि पर नमक उत्पादन हो रहा है तथा शेष 75.45 हैक्टेयर भूमि पड़त है जिसका विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र.सं.	खसरा नम्बर	आबंटन	नमक उत्पादन	पड़त
1-	1800	26.89	7	19.89
2-	1803	54.56	11	43.56
3-	1805	38	26	12
	सर्व योंगः-	119.45	44	75.45

(राजस्व राज्य मंत्री)

(3) जी हां।

(4) खसरा नम्बर 1804, 1806 रेलवे विभाग के नाम खातेदारी में दर्ज है। खसरा नम्बर 1807 सिवायचक भूमि के रूप में दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 1803 व 1805 में से नमक उत्पादन के कार्य में उपयोग में आ रही भूमि के रूपान्तरण से सम्बन्धित पत्रावलियों में नगरपालिका नावां द्वारा पेराफेरी क्षेत्र में होने के कारण कार्यवाही की जाती है। अधिशासी अधिकारी नगरपालिका नावां से प्राप्त सूचना अनुसार खसरा नम्बर 1803 व 1805 की 16 पत्रावलियां 90-ए की कार्यवाही हेतु प्राप्त हुई थी, जिनमें सांभर साल्ट बनाम राज्य सरकार व अन्य विवादित प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 6,620 बीघा भूमि का मालिकाना हक तय करने हेतु कमेटी गठित करने का निर्णय हुआ है। उक्त विवादित भूमि से सम्बन्धित होने के कारण नगरपालिका नावां द्वारा उक्त 16 पत्रावलियां निरस्त करने के बारे में अवगत कराया गया है। इस प्रकरण में पूर्व से कोई भी उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार लिप्त नहीं है।

(5) जी नहीं। ग्राम बबली गुढा नावां शहर से नागौर की तरफ पड़ता है। ग्राम बबली गुढा के रेलवे विभाग के नाम से भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है एवं मौके पर ग्राम बबली गुढा में रेलवे विभाग की भूमि नहीं है। तहसील नावां में रेलवे विभाग की जयपुर-जोधपुर रेलमार्ग (रेल लाइन) राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा इस भूमि पर किसी का अतिक्रमण नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के पट्टे का नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की प्रक्रिया

605. श्रीमती संजना आगरी (सोजत): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने या उनकी स्वेच्छा से पट्टे में नाम हस्तांतरण अथवा नामान्तरण की क्या प्रक्रिया एवं नियम निर्धारित हैं? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पट्टे का नामान्तरण नहीं होता है एवं पट्टा जारी होने के बाद दूसरा पट्टा बनाने का नियमों में प्रावधान नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(श्रीमती संजना आगरी)

(3) क्या यह भी सही है कि पिता के नाम से जारी पट्टों पर बेटे व पोते को ऋण नहीं मिलता है? यदि हां, तो क्या सरकार पट्टों के नाम हस्तांतरण अथवा नया पट्टा जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि पट्टे के रजिस्ट्रेशन के बाद ऋण मिलता है और पट्टा जारी करने के 8 माह तक रजिस्ट्रेशन शुल्क सामान्य रहता है और बाद में डी.एल.सी. रेट से शुल्क लिया जाता है? यदि हां, तो कितना और क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त रजिस्ट्रेशन शुल्क को कम करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने या उनकी स्वेच्छा से पट्टे में नाम हस्तान्तरण अथवा नामान्तरण का राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में कोई प्रावधान निर्धारित नहीं है।

(2) जी हां। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में वर्णित नियमों में एक बार ही पट्टा बनाये जाने की प्रक्रिया निर्धारित की हुई है।

(3) बैंकों द्वारा निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने वाले व्यक्तियों को ही पट्टे पर ऋण दिया जाता है। पट्टो के नाम हस्तान्तरण के सम्बन्ध में सभी पहलुओं पर विचार कर राजस्थान पंचायती राज नियम में आवश्यक संशोधन किये जाने पर विचार किया जा रहा है।

(4) पट्टों पर ऋण सम्बन्धित बैंकों द्वारा अपने नियमों एवं शर्तों के आधार पर दिया जाता है।

पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा-23 के प्रावधान अनुसार किसी भी दस्तावेज को उसके निष्पादन की दिनांक से 4 माह की अवधि के पश्चात् पंजीयन हेतु प्रस्तुत करने पर उक्त अधिनियम की धारा-25 सपठित राजस्थान पंजीयन नियम, 1955 (खण्ड प्रथम) के नियम-186 के प्रावधान अनुसार पंजीयन शुल्क की राशि पर निम्नानुसार जुर्माने का प्रावधान है :-

(राजस्व राज्य मंत्री)

1. जब विलम्ब 1 माह से अधिक नहीं हो, देय पंजीयन शुल्क का 10 प्रतिशत;
2. जब विलम्ब 1 माह से अधिक हो, किन्तु 2 माह से अधिक नहीं हो, देय पंजीयन शुल्क का 20 प्रतिशत;
3. जब विलम्ब 2 माह से अधिक हो किन्तु 3 माह से अधिक नहीं हो, देय पंजीयन शुल्क का 30 प्रतिशत। एवं
4. जब विलम्ब 3 माह से अधिक हो किन्तु 4 माह से अधिक नहीं हो, देय पंजीयन शुल्क का 50 प्रतिशत;

(5) उपरोक्त बिन्दु संख्या-4 में उल्लिखित रजिस्ट्रेशन शुल्क को कम करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

जैसलमेर जिले में भू-आबंटन के आवेदनों की जांच

606. श्री दर्शन सिंह (करौली): क्या उपनिवेशन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2004 में जैसलमेर जिले के भूमिहीन काश्तकारों को भू-आबंटन करने हेतु आवेदन पत्र मांगे गये थे? यदि हां, तो कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए; कितने आवेदकों को आबंटन किया गया; कितने आवेदकों के आवेदन निरस्त किये गये; व निरस्त करने के क्या कारण रहे? आबंटन व निरस्त किए गए आवेदनों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त आवेदन पत्रों की जांच किए बिना ही आबंटन किया गया था? यदि हां, तो क्या इनकी जांच की गई है? जांच प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले में वर्ष 2004 के बाद राजस्थान राज्य के बाहर की कंपनियों को भू-आबंटन किया गया था? यदि हां, तो कहां-कहां व कब-कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि वर्ष 2004 में जैसलमेर जिले के भूमिहीन काश्तकारों को भू-आबंटन करने हेतु आवेदन पत्र मांगे गये थे। प्राप्त आवेदन पत्रों का आबंटन अधिकारीवार विवरण निम्नानुसार है:-

(उपनिवेशन राज्य मंत्री)

क्र. सं.	आबंटन अधिकारी	प्राप्त आवेदन पत्र	आबंटन	निरस्त
1.	उपायुक्त जैसलमेर	36,813	1,848	226
2.	उपायुक्त नाचना	13,647	441	-
3.	सहायक आयुक्त मोहनगढ़-ए	3,381	291	-
4.	सहायक आयुक्त मोहनगढ़-बी	9,638	346	-
	कुल योग	63,479	2,928	226

आबंटन सलाहकार समिति द्वारा किये गये आबंटनों तथा निरस्त किये गये आवेदनों का आवेदकवार विवरण आबंटन सलाहकार समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण में अंकित है, जो प्रपत्र-अ संलग्न है।

(2) जी नहीं। यह सही नहीं है कि उक्त आवेदन पत्रों की जांच किये बिना ही आबंटन किया गया था। जांच में भू-आबंटन के अपात्र आवेदकों के आवेदन आबंटन सलाहकार समिति की बैठक में निरस्त किये गये हैं। आबंटन सलाहकार समिति द्वारा निरस्त आवेदनों का विवरण आबंटन सलाहकार समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण में अंकित है, जो प्रपत्र-अ संलग्न है।

(3) जी हां। यह सही है कि जैसलमेर जिले में वर्ष 2004 के बाद राजस्थान राज्य के बाहर की कंपनियों को सौर एवं पवन उर्जा परियोजनाओं के लिए भू-आबंटन किया गया था। राजस्थान से बाहर की कंपनियों को किये गये भू-आबंटन का विवरण प्रपत्र-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नागौर जिले में श्रम कल्याण की योजनाओं में पंजीकृत श्रमिक

607. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने श्रम कल्याण की योजनाओं द्वारा श्रमिकों को राहत प्रदान करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर मजदूरों का पंजीयन करने की योजना बनाई थी? यदि हां, तो उक्त योजना के तहत नागौर जिले की मुंडवा, नागौर, मेड़ता तथा खींवसर पंचायत समितियों के

(श्री हनुमान बेनीवाल)

अधीन आने वाले राजस्व ग्रामों में कुल कितने मजदूरों का पंजीयन किया गया? ग्रामवार पंजीकृत मजदूरों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में पंजीकरण के बाद मुंडवा, नागौर, मेड़ता तथा खींवसर पंचायत समितियों के अधीन आने वाले राजस्व ग्रामों में कितने मजदूरों को क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना में मजदूरों को पंजीकरण के बाद किस बीमा कवर का लाभ मिला व इसके क्या मानक तय हैं?

(4) क्या सरकार उक्त योजना में पंजीकृत मजदूरों की संतानों को निःशुल्क उच्च शिक्षा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन व सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत गठित राज्य के भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल में पात्र निर्माण श्रमिकों का पंजीयन हिताधिकार के रूप में करने के लिए विकास अधिकारियों तथा ग्राम पंचायतों के ग्राम सेवकों/पंचायत स्तर के कनिष्ठ लिपिक को भी अधिकृत किया गया है। मण्डल में पंजीकृत हिताधिकारियों के डिजीटाइज्ड किए जा चुके रिकार्ड के अनुसार नागौर जिले की मुंडवा, नागौर, मेड़ता तथा खींवसर पंचायत समितियों के अधीन आने वाले ग्रामों में कुल 5,230 निर्माण श्रमिकों का पंजीयन किया गया, जिसका ग्रामवार संख्या विवरण परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(2) मण्डल में पंजीकृत हिताधिकारियों तथा उनके आश्रितों के लिए मण्डल की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जाती हैं। योजनाओं के अन्तर्गत आवेदन करने वाले हिताधिकारियों को योजनाओं में निर्धारित पात्रता, शर्तों व मापदण्डों के अनुसार सहायता दी जाती है। मुंडवा, नागौर, मेड़ता तथा खींवसर पंचायत समितियों के अधीन आने वाले 1,411 हिताधिकारियों को मण्डल की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया है, जिसका विवरण परिशिष्ट-"ख" पर संलग्न है।

(3) मण्डल में पंजीकृत हिताधिकारियों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की आम आदमी बीमा योजना के अन्तर्गत समूह बीमा दिनांक 14.1.2016 को प्राप्त किया गया है। आम आदमी बीमा योजना के अन्तर्गत

(श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री)

बीमित की साधारण मृत्यु होने पर 30,000/- रुपये, दुर्घटना में मृत्यु होने पर 75,000/- रुपये, दुर्घटना में स्थायी व पूर्ण अक्षमता होने पर 75,000/- रुपये तथा स्थायी व आंशिक अक्षमता होने पर 37,500/- रुपये का बीमा लाभ जीवन बीमा निगम द्वारा दिया जायेगा।

(4) मण्डल द्वारा हिताधिकारियों के अधिकतम 2 बच्चों के लिए छात्रवृत्ति देने की योजना लागू कर रखी है जिसमें उच्च शिक्षा के लिए भी छात्रवृत्ति देय है। बच्चों को नि:शुल्क उच्च शिक्षा दिए जाने का विषय मण्डल से सम्बन्धित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

बाल श्रमिकों का सर्वे

608. श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अजमेर जिले में बाल श्रमिकों का अंतिम सर्वे कब करवाया गया? वर्तमान में कार्यरत बाल श्रमिकों का उपखण्डवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में बाल श्रमिकों के कल्याणार्थ कौन-कौनसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? वर्ष 2010 से 31 जनवरी, 2016 तक किस-किस योजना में किस-किस उपखण्ड में किस-किस बाल श्रमिक को लाभान्वित किया गया?

(3) क्या वर्तमान में सरकार द्वारा बाल श्रमिक कल्याण हेतु कोई नई योजना स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है? यदि हां, तो कौन-कौनसी एवं कितने बाल श्रमिकों के लिये व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) श्रम मंत्रालय, भारत सरकार की राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना स्कीम के अन्तर्गत संचालित अजमेर बाल श्रमिक परियोजना संस्था द्वारा परियोजना की गाइडलाइंस अनुसार स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से वर्ष 2013 में बाल श्रमिक सर्वे कराया गया था जिसमें कुल 1,934 बाल श्रमिक चिह्नित हुए। विभाग को किसी बाल श्रमिक के कार्यरत होने की शिकायत/ सूचना मिलते ही उसे तत्काल मुक्त कराने की कार्यवाही की जाती है। अत: वर्तमान में कार्यरत बाल श्रमिकों की संख्या शून्य है।

(श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री)

(2) अजमेर जिले में वर्तमान में बाल श्रमिकों के कल्याणार्थ कोई योजना संचालित नहीं है। पूर्व में वर्ष 2010 से अगस्त 2014 तक श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित बाल श्रमिक परियोजना के तहत 20 विशेष बाल श्रमिक विद्यालय (50 बाल श्रमिकों पर एक विशेष विद्यालय) जिले में विभिन्न क्षेत्रों में संचालित रहे, जिनमें 991 बच्चों को शिक्षा प्रदान कर मुख्य धारा से जोड़कर पुनर्वासित किया गया। विशेष विद्यालयों का क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। सितम्बर, 2014 से 31 जनवरी, 2016 तक की अवधि में विद्यालय संचालित नहीं रहे।

(3) जी हां। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत वित्त पोषित बाल श्रम परियोजना 31.3.2017 तक लागू है। परियोजना में विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए सर्वे के सम्बन्ध में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार से मार्ग-दर्शन चाहा गया है जो प्राप्त होते ही सर्वे के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी। सर्वे के उपरान्त पाये गये बाल श्रमिकों की संख्या के आधार पर ही यह निर्धारित किया जायेगा कि कितने बाल श्रमिकों के लिए योजना लागू होगी।

परिशिष्ट-क

AJMER CHILD LABOUR PROJECT (NCLP)
(Minisitry of Labour, Govt. of India)
2010-2013

S. No.	Name of the NGOs/Vos and Address	No. of Centers Run	Location of NCLP School
1.	Sh. S. S. Rawat (Secretary) Gramin Mahila Vikas Sansthan, Near Patakha Factory, Rajareddi, Kishangarh, Distt-Ajmer	3	(1) Near Patwar Khana, Gram-Muhami, via-Gagwana
			(2) Sh. Laxman Rawat ka Makan, Phichola Basti, Gram Nolkha
			(3) Near Papu ji Temple, Bubani
2.	Smt. Sagufta Khan (Secretary) Garib Nawaz Mahila Aivam Bal Kalyan Samiti, Hamidia Cottage, Ander Kot, Ajmer 305001	1	(1) Masjid gali, Somalpur, Ajmer (2012 तक)

S. No.	Name of the NGOs/Vos and Address	No. of Centers Run	Location of NCLP School
3.	Sh. C.B.S. Khanjan (Director) Indian Institute of Human Help, K.K. Villa, Shiv Nagar, Bihari Ganj, Ajmer-305001	4	(1) Hatai, Lohagal, Ajmer
			(2) C/o Ratan Kumhar, Sanpla Gate, Bhil Mohalla, Sarwar
			(3) Bhil Basti, Kota Road, Sarwar
			(4) Khiriya, Kota Road, Near Sarwar
4.	Sh. Jamil Kazmi (Secretary) INFER, (Institute for Non formal Education and Research) 11/880, Street No. 4, Azad Nagar Khanpura, Beawar Road. Ajmer	2	(1) Shiv Colony, Sansi Basti, Pisangan
			(2) Lohar Basti, Mewari Gate, Beawar
5.	Sh. Lokesh Pachori (Secretary) Snehi Vikash Samiti, 173/29, Street No 2, Gulab Bari, Ajmer	2	(1) 173/29, Street No. 2 Gulab Bari, Ajmer
			(2) Regar Mohalla-Kalyanipura, Ajmer
6.	Sh. S.N. Padiyar (Secretary) Samajik Chetna Aivam Takniki Sansthan, Ramsar Distt. Ajmer	2	(1) Samudaik Bhawan, Balad Ka Dra, (Srinagar)
			(2) Near Kund, Opp. Bus Stand-Ramsar
7.	Sh. Sunil Patwa (Secretary) Social Work For Awareness & Development Of Education Sansthan Ajmer, 1168/32, Shrinagar Road Ajmer (Raj.)	2	(1) C/o Shambhu Singh, Bhatta Road, Gurjarwada, Kekri
			(2) C/o Shambhu Singh, Bhatta Road, Gurjarwada, Kekri
8.	Sh. Yobi George (Secretary) Apna Theatre Sansthan, Plot No. 10, Dadabhai Colony, Nasirabad Road, Ajmer 305001	1	(1) Rais Bhai's House, Chistiya, Nagar-Subhash Nagar, Ajmer
9.	Sh. Harish Chandra Purohit (Secretary) Kaman Shiksha Sanskrit Aivam Vikas Sanstha, Behind Police Choki, Near Prabhat Bakery, Badanwaran, Distt. Ajmer	1	(1) Kanjar Basti, Bhinay Road-Badanwara
10.	Sh. Bishan Lal Vaishanev (Secretary) Social Work And Environment For Rural Advancement-Post-Kanpura, via-Sringar, Distt. Ajmer 305025	1	(1) Balai Mohalla Near Bus Stand-Kanpura
	Total Number of School/ Centers	**19**	

AJMER CHILD LABOUR PROJECT
(Minisitry of Labour, Govt. of India)
List of Child Labour Special School
अप्रैल 2012 - अगस्त, 2014

S. No.	Name of the NGOs/Vos and Address	No. of Centers Run	Location of Centre	No. of Student	D.O.C. School
1.	Smt. Sagufta Khan (Secretary) Garib Nawaz Mahila Aivam Bal Kalyan Samiti, Hamidia Cottage, Ander Kot, Ajmer 305001	1	(1) Imaran bhai ka Makan, Bada Peer Road, Anderkot, Ajmer	46	2-4-2014
	Total Number of School/Centres	+19 20	Total Number of Student	46	

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या 426 का विवरण)

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र दौसा के लिए वर्ष 2015-16 हेतु पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोलने/क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव एवं वर्तमान स्थिति:-

(अ) नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोलने के प्रस्ताव

क्र.सं.	प्रस्ताव ग्राम पंचायत	वर्तमान स्थिति
1	कालोता	उपकेन्द्र दिनांक 8.12.2015 से स्वीकृत
2	खानपुरा	उपकेन्द्र दिनांक 8.12.2015 से स्वीकृत
3	भांकरी/खानभांकरी	विचाराधीन
4	सीगवाड़ा	विचाराधीन
5	धर्मपुरा	विचाराधीन
6	चांवण्डेडा	विचाराधीन
7	बडागांव	विचाराधीन
8	पंचकुईयां/छोटी दौसा	विचाराधीन
9	सैंथल मोड	विचाराधीन
10	महेशवरांकलां	विचाराधीन
11	बिहारीपुरा	विचाराधीन
12	रजवास शेरसिंह	विचाराधीन
13	जसोता	विचाराधीन
14	डुंगरावता	विचाराधीन
15	निमाली	विचाराधीन
16	जौपाडा	विचाराधीन
17	हिगोटिया	विचाराधीन
18	बडौली	विचाराधीन
19	बिसनपुरा	विचाराधीन

(ब) पशु चिकित्सा उपकेन्द्र/पशु चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव

क्र. सं.	प्रस्ताव ग्राम पंचायत	वर्तमान स्थिति
1	बापी	पशु औषधालय स्वीकृत है। (पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किये जाने के प्रस्ताव प्राप्त, परन्तु वर्तमान में पशु औषधालय को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत नहीं किया जा रहा है।)
2	बनियाना	पशु औषधालय स्वीकृत है। (पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किये जाने के प्रस्ताव प्राप्त, परन्तु वर्तमान में पशु औषधालय को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत नहीं किया जा रहा है।)
3	भण्डाना	पशु चिकित्सालय स्वीकृत है। (प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किये जाने के प्रस्ताव, परन्तु वर्तमान में पशु चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत नहीं किया जा रहा है।)
4	लवाण	प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय स्वीकृत है। (पशुधन आरोग्य चल इकाई स्वीकृत करने के प्रस्ताव प्राप्त-पशुधन आरोग्य चल इकाई की स्वीकृति जारी की जा चुकी है।)